चतुर्दश माला, खंड 12, अंक 13

बुधवार, 10 अगस्त, 2005
19 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 2 Aug 2007

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 10 अगस्त, 2005/19 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
स्थगन प्रस्ताव	
नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की विफलता	
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	1, 674
श्री पवन कुमार बंसल	681
श्री लालकृष्ण आडवाणी	702
मोहम्मद सलीम	711
श्री रामजीलाल सुमन	720
श्री विजय कृष्ण	726
श्री सुशील कुमार मोदी	730
श्री कपिल सिब्बल	743
श्री अनंत गंगाराम गीते	767
श्री सी. कुप्पुसामी	772
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	774
श्री गुरुदास दासगुप्त	776
श्री जार्ज फर्नान्डीज	779
श्री राजेश वर्मा	787
श्री सुखबीर सिंह बादल	788
श्री गुरजीत सिंह राणा	794
श्री अविनाश राय खन्ना	799
श्री बसुदेव आचार्य	801
डा. मनमोहन सिंह	804
प्रो. राम गोपाल यादव	810
श्रीमती मेनका गांधी	812

विषय		कॉलम
	श्री इलियास आजमी	814
	श्री किन्जरपु येरननायडु	815
	श्री बीर सिंह महतो	818
	श्री हरिन पाठक	819
	श्री जोवाकिम बखला	825
	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	827
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	830
	श्री पी.सी. थामस	833
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	834
	श्री हरिभाऊ राठौड़	835
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	838
	श्री रामदास आठवले	839
	श्री असादूद्दीन ओवेसी	841
	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	844
	श्री शिवराज वि. पाटील	846-877
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 260	2-88
	अतारांकित प्रश्न संख्या 2516 से 2725	88-674
सभा पटल पर रखे गए पत्र		877-883
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
	बारहवां प्रतिवेदन	883
लोक लेखा समिति		
	सोलहवां प्रतिवेदन	884
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
	(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 109वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री शिवराज वि. पाटील	884

विषय		कॉलम
(दो)	लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों के ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए पालिसी पैकेज श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	884
(तीन)	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	885
(चार)	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री एम.वी. राजशेखरन	885
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	887-888
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	888-894
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	895-896
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	895-898

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी०डी०टी०आचारी

लोक सभा

बुधवार, 10 अगस्त, 2005/19 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

स्थगन प्रस्ताव

नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की विफलता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि "नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार की विफलता" के संबंध में मुझे श्री रामजीलाल सुमन, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा, सर्व श्री संतोष गंगवार, सुखेदव ढींडसा, प्रभुनाथ सिंह, सर्वानन्द सोनोवाल, सुशील कुमार मोदी, पी०सी० थामस, अनंत गंगाराम गीते और योगी आदित्यनाथ की ओर से 10 सूचनाएं प्राप्त हुई है।

मैंने श्री सुशील कुमार मोदी को, जिन्हें बैलट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी है :

"नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार की विफलता"

इसी दौरान श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा लिखित पत्र मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि श्री सुखेदव सिंह ढींडसा को सभा की सहमति प्राप्त करने तथा उनके स्थान पर उन्हें चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : महोदय, मैं 'नानावती जांच आयोग' द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई करने में सरकार की विफलता के सम्बंध में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस अनुमति का कोई विरोध कर रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : चर्चा शुरू की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो लोग स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य : खड़े हुए–

अध्यक्ष महोदय : चूंकि पक्ष में अपेक्षित संख्या से ज्यादा सदस्य हैं।

इसलिए अनुमति दी जाती है। नियम 161 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर अपराह्न 4.00 बजे या इससे पूर्व चर्चा होगी। नियम 62 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए 2 घंटे 30 मिनट से कम समय आवंटित नहीं होता है। प्रस्ताव पर चर्चा तत्काल शुरू की जाए। मैं समझता हूं कि सभा की सहमति है।

इससे पूर्व प्रश्न-काल को स्थगित करने का प्रस्ताव मेरे समक्ष कभी नहीं आया था। मैं समझता हूं कि विषय के महत्व को देखते हुए सभा प्रश्न-काल को स्थगित करने के पक्ष में है। मैं समझता हूं कि सभा की सहमति है।

प्रश्न-काल स्थगित होता है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पत्तनों की कार्गो उठाई-धराई क्षमता

*241. **श्री जीवाभाई ए० पटेल** : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महापत्तनों की वर्तमान कार्गो उठाई-धराई क्षमता का ब्योरा क्या है;

(ख) कार्गो कंटेनरों द्वारा इन पत्तनों तक पहुंच के लिए उपलब्ध वर्तमान सड़क अवसंरचना क्षमता और पत्तनों से कंटेनर की वापसी की औसत समय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आयात-निर्यात व्यापार में अनुमानित वृद्धि को प्राप्त करने में इन पत्तनों तक पहुंच के लिए वर्तमान सड़क अवसंरचना पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा पत्तनवार क्या कदम उठाए जाने का विचार है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इसके लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) 31.03.2005 को मौजूद स्थिति के अनुसार, महापत्तनों की जहाज़ी माल की संभालने की मौजूदा क्षमता का ब्योरा निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	वस्तु	कुल (मिलियन टन)
1.	पी०ओ०एल०	157.35
2.	लौह अयस्क	5.1
3.	कोयला (थर्मल)	44.20
4.	उर्वरक	4.1
5.	सामान्य ब्रेक बल्क जहाज़ी माल	92.55
6.	कंटेनर (लाख ट्वेंटी फीट ईक्विवलेंट यूनिट)	48.30 (25)
	कुल	397.50

(ख) से (ङ) आवश्यकताओं के आधार पर, सड़कों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। देश में महापत्तनों से संपर्क की मौजूदा सड़क से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधा के रूप में सामान्यत: दो लेनों की सड़कें हैं। दो लेनों के उपर्युक्त राजमार्ग जिस यातायात को लिए वांछित स्तर की सेवा सुलभ कुरवाते हैं, उसका परिमाण, 15,000 यात्री कार इकाई है। कंटेनरों के पत्तनों से लौटने में लगने वाला समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यार्ड के क्षमता, क्रेनों और जहाज़ी माल संभालने के अन्य उपस्करों की संख्या, सीमा-शुल्क से संबंधित औपचारिकताओं के निर्वाह, सड़क की क्षमता और स्थिति तथा यात्रा के आरंभ और उसकी समाप्ति के बिन्दुओं (स्थलों) पर निर्भर करता है।

महापत्तनों तक और उनसे होने वाले यातायात में प्रत्याशित बढ़ोतरी के मद्देनज़र, पत्तनों से सम्पर्क कायम करने वाली सड़कों से संबंधित मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधा अपर्याप्त समझी गई। तद्नुसार, इस मंत्रालय द्वारा, उपर्युक्त अवसंरचनात्मक सुविधा बेहतर बनाने की दृष्टि से, पहले, कांडला-पत्तन को जोड़ने वाली 56.16 किलोमीटर लम्बी चार लेनों की सड़क की व्यवस्था से संबंधित परियोजना मंजूर की गई। उपर्युक्त परियोजना का निष्पादन पूरा कर लिया गया है। बाद में, राष्ट्रीय राजमार्ग-विकास-कार्यक्रम चरण-I के हिस्से के रूप में, देश में 11 महापत्तनों के सड़क से संपर्क से संधित चार लेनों की सड़कों की व्यवस्था किए जाने की परियोजना अनुमोदित कर दी गई। पत्तनों द्वारा अपने आप ही विकसित किए जाने वाले पत्तन-क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सड़क के कुछ छोटे टुकड़ों के मामले के सिवाय, सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ा काम-काज राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण को सौंप दिया है। इन परियोजनाओं का निष्पादन पूरा किए जाने की संभावित तारीख सहित इनका ब्योरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण ने उपर्युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन-कम्पनियां क़ायम कर दी हैं। इन कंपनियों में ईक्विटी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण किसी परियोजना विशेष की कुल लागत के 30% तक की धनराशि का ही अंशदान करता है। शेष धन जुटाने के स्रोतों में, राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण से उप ऋण, पत्तनों से ईक्विटी और उप ऋण एवं राज्य-सरकारों से ईक्विटी अथवा अंशदान लिया जाना शामिल है। यदि आवश्यकता हुई तो वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	पत्तन	विस्तार	लंबाई (कि०मी०)	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	जवाहर लाल नेहरु पत्तन	चरण-I रा०रा०-4ख + रा०रा० 4 (जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास को मुंबई-पुणे एक्सप्रैस वे से जोड़ने वाला अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग)	30	कार्य पूरा हो चुका है और इसे 21.07.2005 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
		चरण-II राज्य-राजमार्ग-54 + अग्रा मार्ग + पनवेल क्रीक ब्रिज	14.35	मई, 2007
2.	मुरगांव	रा०रा०-17ख (रा०रा०-17 पर पत्तन से वर्ना जंक्शन तक)	18.3	मई, 2004 में 13.1 कि०मी० तक का कार्य पूरा हो गया है। शेष विस्तार का कार्य, राज्य-सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुन-स्थापन आदि कार्यों को पूरा कर लिए जाने के बाद ही करना आरंभ किया जाएगा।
3.	नव मंगलूर	रा०रा०-17 (सूरतकल-नंतूर खंड), रा०रा०-48 (पादिल-बंतवाल खंड) और नज़दीकी पहुंच मार्गों वाले आर०ओ०बी०/आर०यू०बी० को छोड़कर रा०रा०-17 पर स्थित नंतूर जंक्शन से रा०रा०-48 पर स्थित पादिल जंक्शन तक एक बाईपास	37.5	जनवरी, 2008
4.	कोचीन	रा०रा०-47 (विल्लिल्ला से अरूर जंक्शन तक) 5 पुलों सहित, 348/382 कि०मी० से 358/750 कि०मी० तक (एन०एच०डी०पी० के उत्तर-दक्षिण गलियारे के छोर को जोड़ने वाला)	10.40	दिसंबर, 2006
5.	तूतीकोरिन	रा०रा०-7ए (तूतीकोरिन-तिरुनेलवेल्ली-खंड) (एन०एच०डी०पी० के उत्तर-दक्षिण गलियारे को जोड़ने वाला)	47.2	मार्च, 2007
6.	चेन्नई	चेन्नई-इन्नौर एक्सप्रैस वे (6.8 कि०मी०) टी०पी०पी० मार्ग (9.8 कि०मी०), अंदरूनी रिंग रोड (8.1 कि०मी०) और मनाली तेल रिफाइनरी मार्ग (5.4 कि०मी०) (रा०रा०-5 पर स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने वाला)	30	समुद्र के संरक्षण का कार्य दिसंबर, 2005 में पूरा हो जाने की संभावना। शेष कार्य, समुद्र-संरक्षण कार्य के पूरा हो जाने के बाद और इन्नौर में उपर्युक्त परियोजना द्वारा प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास और पुन:स्थापना से संबंधित कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। पुनर्वास और पुन:स्थापन से संबंधित कार्य में आ रही मुख्य बाधा, भूमि की उपलब्धता है।
7.	विशाखापट्टनम	रा०रा०-5 पर स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज से पत्तन को जोड़ने वाला राज्य-मार्ग	12.47	दिसंबर, 2005

1	2	3	4	5
8.	पारादीप	रा०रा०-5ए (कि०मी० से कि०मी० 77 तक) (रा०रा०-5 पर स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने वाला)	77	जून, 2007
9.	हल्दिया	रा०रा०-41 (रा०रा०-6 पर स्थित कोलाघाट से हल्दिया तक) (रा०रा०-5 पर स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने वाला)	52.2	जून, 2007
10.	कोलकाता	स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ा जाना प्रस्तावित	10	कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका, क्योंकि रक्षा-प्राधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति नहीं दी गई थी, उपर्युक्त अनुमति अब दे दी गई है और परामर्शदाता से सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर देने को कह दिया गया है।
11.	मुंबई	—	30	उपर्युक्त प्रस्तावित मार्ग (30 कि०मी०) नमक की क्यारियों के क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है जिसके कारण इस कार्य में भूमि का उद्धार/स्थिरीकरण अपेक्षित है। इस कार्य के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता उपर्युक्त पत्तन-न्यास के ही पास है। मुम्बई पत्तन-न्यास ने मई, 2004 में यह सूचित किया है कि वह यह कार्य स्वयं ही करने जा रहा है।
	कुल		369.42	

*कांडला पत्तन को रा०रा०-8क के साथ स्थित 4 लेनों वाली सड़क द्वारा गांधी धाम से जोड़ दिया गया है। परियोजना, जुलाई, 2002 में पूरी हो गई।

डाकघरों को बन्द करना या उनका दर्जा घटाना

*242. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कतिपय डाकघरों को बन्द करने अथवा उनका दर्जा घटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में पिछले वर्ष के दौरान बंद किये गए अथवा दर्जा घटाये गये डाकघरों का राज्य/सर्किल-वार ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (ग) देश में डाकघरों को बंद करने का कोई सामान्य नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। डाकघर केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बंद किए जाते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थित दूरी का मानदंड पूरा न करने वाले उन एकल और दो कर्मचारियों वाले डाकघरों को विलय करने अथवा जरूरतमंद जगहों पर पुनर्स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है। कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए दूरी का मौजूदा मानदंड पूरा न करने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों/अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को जरूरतमंद क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जाए। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में निहित नीति निर्देशों के अनुरूप है, जिनके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, विभाग से अपने नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने

और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अपेक्षा की गई है ताकि विश्व सेवा दायित्व को निभाने के साथ-साथ वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

डाकघरों का दर्जा घटाया जाना, जब भी इसकी जरूरत हो, एक रूटीन प्रशासनिक कार्य है जो किसी डाकघर के दर्जे को इसके कार्यभार के अनुरूप लाने के लिए किया जाता है। अत: किसी डाकघर का दर्जा घटाया जाना स्थापना पुनरीक्षा के परिणाम पर निर्भर होता है, जो निर्धारित अवधि के अनुसार की जाती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान उपयुक्त जगह के अभाव, बांध निर्माण के कारण कुछ स्थानों के जलमग्न होने, भारी वित्तीय घाटे और डाकघरों के कम दूरी पर होने आदि जैसी समस्याओं के कारण 1,55,000 से अधिक डाकघरों में ये 30 डाकघरों को बंद कर दिया गया। 172 डाकघरों का विलयन भी किया गया और 56 डाकघरों को जरूरतमंद क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया गया। इसी अवधि के दौरान 123 डाकघरों का दर्जा घटाया गया। इन सभी डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2004-05 के दौरान बंद, विलय, पुनर्स्थापित तथा दर्जा घटाए गए डाकघरों का ब्यौरा

क्रम सं०	सर्किल का नाम	बंद किए गए डाकघरों की संख्या	विलय किए गए डाकघरों की संख्या	पुनर्स्थापित किए गए डाकघरों की संख्या	दर्जा घटाए गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	1	3	1
2.	असम	3	शून्य	2	1
3.	बिहार	1	शून्य	1	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	1	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	3	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	38	8	7
7.	हरियाणा	शून्य	7	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	1	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	30	6	39
12.	केरल	शून्य	3	5	18
13.	मध्य प्रदेश	3	28	शून्य	4
14.	महाराष्ट्र	6	11	2	शून्य
15.	उत्तर पूर्व	3	शून्य	3	1
16.	उड़ीसा	शून्य	14	3	47
17.	पंजाब	6	2	10	शून्य
18.	राजस्थान	शून्य	14	7	4
19.	तमिलनाडु	शून्य	21	1	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	1	2	1
21.	उत्तरांचल	शून्य	1	शून्य	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	2	शून्य
	कुल	30	172	56	123

[हिन्दी]

भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा

*243. **श्री हंसराज जी० अहीर** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) से (घ) पाकिस्तान ने अपनी बाध्यताओं, इसमें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बाध्यताएं भी शामिल हैं, के बावजूद भारत को अभी तक

सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है, और इसके लिए उसने असंगत राजनैतिक एवं अन्य कारणों का उल्लेख किया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिए जाने का मामला बार-बार पाकिस्तान के साथ उठाया जाता रहा है।

सरकार ने भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान किए जाने की पाकिस्तान की बाध्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा यह भी कहा है कि यह कदम भारत के साथ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में सुधार लाने, और भारत के साथ सामान्य व्यापार एवं आर्थिक संबंध बनाने की पाकिस्तान की मंशा का सूचक होगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

*244. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल :**
श्री तापिर गाव

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन-घनत्व का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन-घनत्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान (30 जून, 2005 तक), ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेली-घनत्व का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण टेली-घनत्व (आर०टी०डी०) के कमी के कारणों का विश्लेषण नीचे किया गया है :

I. राज्यों का श्रेणीकरण उनके ग्रामीण टेली-घनत्वों के आधार पर किया जा सकता है। यह देखा गया है कि इनके चार समूह हैं :

(1) उच्च टेली-घनत्व (4% से अधिक) वाले राज्य;

(2) मध्यम टेली-घनत्व (2% से 4% के बीच) वाले राज्य;

(3) कम टेली-घनत्व (0.9% से 2% के बीच) वाले राज्य; और

(4) काफी कम टेली-घनत्व (0.9% से कम) वाले राज्य।

इन समूहों के अंतर्गत आने वाले राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि निम्नलिखित कारक ग्रामीण-टेली-घनत्व के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

(i) प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय

(ii) प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद

(iii) साक्षरता दर

(iv) ग्रामीण साक्षरता दर

(v) ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

(vi) शहरी टेली-घनत्व

विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि विशिष्ट राज्यों में कठिन भू-भागीय परिस्थितियां भी कम ग्रामीण टेली-घनत्व होने का कारण हैं (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में पर्वतीय भू-भाग-क्योंकि इनमें वायर लाइन सेवा के राल आउट की दिक्कतें है)।

II. ग्रामीण टेली-घनत्व कम होने के अन्य कारण इस प्रकार हैं—विद्युत आपूर्ति की खराब व्यवस्था जो दूरसंचार सेवा की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं; लोगों का अलग-थलग स्थानों पर रहना जिसके कारण दूरसंचार सेवा प्रदान करना प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाता है।

III. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने देश में 2647 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों की आर्थिक-व्यवहार्यता की जांच की है। इसके आधार पर उन्होंने 1685 निवल लागत वाले सकारात्मक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों का पता लगाया। इन अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों, सेवा प्रदान करने की लागत, सेवाओं से माध्यम से अर्जित राजस्व से अधिक है। बिहार, असम पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों

में कम ग्रामीण टेली-घनत्व तथा निवल लागत सकारात्मक एस०डी०सी०ए० के प्रतिशत का कुल एस०डी०सी०ए० के साथ परस्पर संबंध है। इससे यह पता चलता है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि संबंधित राज्यों में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत कम अच्छी हैं।

(घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू०एस०ओ०) निधि के प्रशासक ने सभी 1685 निवल लागत सकारात्मक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी०ई०एल०) प्रदान करने के लिए चार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं [(बी०एस०एन०एल०, रिलायंस टैलीकॉम लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज और टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र)] के साथ करार को अंतिम रूप दिया है। इस करार के तहत, सेवा प्रचालक इन अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों सहित प्रत्येक गौण स्विचिंग क्षेत्रों (एस०एस०ए०) में सितम्बर, 2005 तक कम-से-कम 100 ग्रामीण सीधी एक्सचेंस लाइनें प्रदान करेंगे। दूर-दराज, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों (जिनके लिए सार्वजनिक टेलीफोनों में भी सेटलाइट फोन संस्थापित करने की आवश्यकता है) को छोड़कर, वे निवल लागत सकारात्मक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों के सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2005 तक मांग पर कनैक्शन प्रदान करने में समर्थ होंगे। जहां तक शेष निवल लागत नकारात्मक (व्यवहार्य) अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों का संबंध है, बाजार-शक्तियों (मार्केट फोर्सेज) द्वारा इन क्षेत्रों की उभरती मांग पूरा किए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, बी०एस०एन०एल० ने लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबल बिछाने हेतु 2.5 कि०मी० की दूरी के अपेक्षा 5.0 कि०मी० तक केबल बिछाने की छूट दी है। इससे, मौजूदा एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों ने व्यापक रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान होगी।

विशेष रूप से, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनायी गई हैं ताकि इस क्षेत्र में टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जा सके।

1. बी०एस०एन०एल० ने मार्च, 2006 तक लगभग 89000 फिक्सड तथा डब्ल्यू०एल०एल० फोन उपलब्ध कराने की योजना बनायी है।

2. मार्च, 2007 तक 18.5 लाख मोबाइल फोन प्रदान करने की भी योजना बनायी गई है।

3. मोबाइल टेलीफोनी प्रदान करने के लिए निजी प्रचालकों अर्थात् मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०, मै० भारती टेलीवेन्चर्स लि०, मै० हचिसन एस्सार और मै० डिशनेट वायरलैस को लाइसैंस दे दिए गए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार दूरसंचार घनत्व

क्रम सं०	राज्य/सर्किल का नाम	2004-05			2005-06 (30.06.2005 की स्थिति के अनुसार)		
		शहरी	ग्रामीण	समग्र	शहरी	ग्रामीण	समग्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.12	9.07	12.63	22.49	9.15	13.89
2.	आंध्र प्रदेश	28.53	2.39	9.48	30.19	2.37	9.92
3.	असम	16.75	0.63	2.79	18.22	0.67	3.04
4.	बिहार	17.63	0.57	2.36	19.71	0.57	2.58
5.	छत्तीसगढ़	6.50	0.54	1.80	7.18	0.46	1.90
6.	गुजरात	28.88	2.63	12.73	30.12	2.63	13.24
7.	हरियाणा	28.78	2.80	10.83	29.21	2.90	11.06
8.	हिमाचल प्रदेश	68.36	6.79	13.12	78.11	6.82	14.17

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	17.58	0.76	5.09	19.87	0.78	5.71
10.	झारखंड	8.42	0.50	2.30	8.56	0.51	2.34
11.	कर्नाटक	29.98	2.49	12.19	31.26	2.49	12.66
12.	केरल	44.74	9.74	18.77	47.61	9.74	19.50
13.	मध्य प्रदेश	17.36	0.66	5.21	17.15	0.67	5.16
14.	महाराष्ट्र(-) मुंबई	25.23	2.56	9.96	27.71	2.59	10.71
15.	पूर्वोत्तर-I	14.63	1.22	4.33	15.93	1.24	4.65
16.	पूर्वोत्तर-II	12.83	1.20	3.66	14.21	1.21	3.97
17.	उड़ीसा	19.68	1.04	3.96	21.35	1.05	4.24
18.	पंजाब	49.21	5.33	21.94	51.57	5.34	22.89
19.	राजस्थान	21.27	1.44	6.12	22.94	1.45	6.52
20.	तमिलनाडु(-) चेन्नई	22.96	2.73	11.21	23.10	2.86	11.48
21.	उत्तरांचल	17.08	1.63	5.74	17.05	1.68	5.78
22.	उत्तर प्रदेश	17.15	0.52	4.06	18.89	0.52	4.43
23.	पश्चिम बंगाल(-) कोलकाता	14.85	1.04	2.98	17.14	1.05	3.26
24.	कोलकाता	24.22	0.00	24.22	25.09	0.00	25.09
25.	चेन्नई	47.56	0.00	47.56	48.03	0.00	48.03
26.	दिल्ली	50.94	0.00	50.94	52.09	0.00	52.09
27.	मुम्बई	45.43	0.00	45.43	45.81	0.00	45.81
	कुल	26.88	1.73	8.95	28.25	1.74	9.37

विवरण-II

राज्य-ग्रामीण टेली-घनत्व के श्रेणी वार रेंज

श्रेणी 1 ग्रामीण टेली-घनत्व 4 प्रतिशत से अधिक

1. केरल
2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
3. हिमाचल प्रदेश
4. पंजाब

श्रेणी 2 ग्रामीण टेली-घनत्व 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत से बीच

5. गुजरात
6. हरियाणा
7. कर्नाटक
8. आंध्र प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. तमिलनाडु

श्रेणी 3 ग्रामीण टेली-घनत्व 0.9 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच

11. उत्तरांचल
12. राजस्थान
13. पूर्वोत्तर
14. पश्चिम बंगाल
15. उड़ीसा

श्रेणी 4 ग्रामीण टेली-घनत्व 0.9 प्रतिशत से कम

16. मध्य प्रदेश
17. जम्मू और कश्मीर
18. असम
19. बिहार
20. उत्तर प्रदेश
21. छत्तीसगढ़
22. झारखण्ड

तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

*245. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री ई० पोन्नुस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तपेदिक के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक तपेदिक के रोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या तपेदिक का उपचार करने के लिए डायरेक्टली आब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शाट कोर्स (डॉट्स) पूरे देश में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई;

(ङ) क्या सरकार ने डॉट्स के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(छ) देश में डॉट्स के अंतर्गत राज्यवार कितने केन्द्र चल रहे हैं; और

(ज) इस रोग पर नियंत्रण पाने और इस दिशा में लोगों को विशेषकर मलिन-बस्ती के निवासियों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सूचित किए गए क्षय रोगियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कमोवेश स्थिर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए और उपचार शुरू किए गए रोगियों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 585 से अधिक जिलों/रिपोर्टिंग एककों के लगभग 1038 मिलियन लोगों को डाट्स कार्यनीति के तहत कवर किया गया है। शेष जिलों में संशोधित कार्यनीति को लागू करने के लिए प्रारम्भिक कार्यकलाप किए जा रहे हैं और मौजूदा वर्ष (2005) के दौरान संशोधित कार्यनीति के तहत पूरे देश को कवर करने की योजना है।

(घ) मौजूदा वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत निधियों का राज्य-वार आबंटन एवं व्यय से संबंधित विवरण-II संलग्न है।

(ङ) और (च) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना जिलों ने वर्ष 2004 में पाजीटिव स्पूटम वाले 85 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्ति दर और ऐसे 72 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने की दर प्राप्त कर ली है जबकि लक्ष्य 85 प्रतिशत रोगमुक्ति दर और ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने की दर प्राप्त करने का था। डाट्स के तहत वर्ष 2005 तक देश की पूरी आबादी को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि 93 प्रतिशत लोगों को पहले ही कवर कर लिया गया है।

(छ) राष्ट्रीय स्तर पर डॉट केन्द्रों के बारे में आंकड़ा रखना संभव नहीं है क्योंकि क्षय रोगियों की पहुंच वाले एवं उनको स्वीकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति जवाबदेह कोई भी व्यक्ति डॉट प्रदायक के रूप में काम कर सकता है तथा ऐसे प्रदायकों की संख्या बदलती रहती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सभी जिला क्षय रोग केन्द्रों (डी०टी०सी०) उपचार एककों (टी०यू०) एवं निर्धारित माइक्रोस्कोपी केन्द्र (डी०एम०सी०) भी डॉट केन्द्र के रूप में काम कर सकते हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला क्षय रोग केन्द्रों, उपचार केन्द्रों एवं निर्धारित माइक्रोस्कोपी केन्द्रों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। सभी सरकारी अस्पताल,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र डॉट केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठन, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत काम कर रहे प्राइवेट प्रैक्टिशनर, सामुदायिक स्वयं सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्व दल आदि भी डॉट प्रदायक/डॉट केन्द्र के रूप में काम करते हैं।

(ज) क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार के पूरे कोर्स हेतु क्षय रोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित नैदानिक एवं उपचारात्मक सुविधाएं क्षय रोगियों को मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। गुणवत्ता युक्त निदान हेतु प्रति एक लाख की आबादी तथा पहाड़ी/आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50,000 की आबादी के लिए माइक्रोस्कोपी केन्द्र खोले जाते हैं। देश में 10,000 से अधिक माइक्रोस्कोपी केन्द्र खोले गए हैं। औषधें रोगी-वार बक्से में प्रदान की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रोगी को उपचार के लिए पंजीकरण करने के दिन ही क्षयरोगी के उपचार के पूरे कोर्स के वास्ते आवश्यक औषध वितरित कर दिए गए हैं। औषधियां डाक्टरों की देख-रेख में प्रदान की जाती हैं और रोगियों की मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें। इस कार्यक्रम को अधिकाधिक लोगों को सुलभ कराने के लिए और इस दिशा में सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम में मेडिकल कालेजों, सभी जनरल अस्पतालों, प्राइवेट प्रैक्टिशनरों एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर भी बल दिया जा रहा है।

क्षय रोग के बार में लोगों को शिक्षित करने और क्षय रोग से जुड़े कलंक को दूर करने हेतु केन्द्र, राज्य, जिला एवं उप-जिला स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों पर विशेष जोर दिया गया है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों एवं अन्य कमजोर वर्गों को इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए उनको लक्ष्य बनाते हुए विशेष अभियान चलाए गए हैं।

मलिन बस्तियों जैसी वृहत एवं घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यनीतियां अर्थात् गैर-सरकारी संगठनों, प्राइवेट प्रैक्टिशनरों की सहभागिता एवं स्थानीय लोगों की आवश्यकता आधारित डाट्स उपचार प्रदानगी में लचीलापन अपनाया गया है ताकि लोगों को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सेवाओं की सुविधा प्रदान की जा सके। सरकारी-निजी साझा शहरी डॉट परियोजनाएं एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले 14 बड़े शहरों में शुरू की गई हैं जिनमें मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और मार्च, 2005 तक के दौरान इस कार्यक्रम के तहत पता लगाए गए एवं उपचार शुरू किए गए क्षय रोगियों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं०	राज्य	2002	2003	2004	2005 (मार्च, 2005 को समाप्त हुई पहली तिमाही)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	524	566	595	235
2.	आंध्र प्रदेश	100505	119368	109365	27731
3.	अरुणाचल प्रदेश	3123	2232	2057	533
4.	असम	18038	20459	28551	6703
5.	बिहार	37520	33361	24422	6901
6.	चंडीगढ़	1727	2058	2208	598
7.	छत्तीसगढ़	14295	15724	23822	5792
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	दिल्ली	32604	38847	43809	11299
10.	गोवा	1138	0	509	450
11.	गुजरात	61415	73133	80626	19744
12.	हरियाणा	31703	30908	33606	8051
13.	हिमाचल प्रदेश	12691	13312	13458	3188
14.	जम्मू और कश्मीर	9142	8632	6089	1933
15.	झारखण्ड	16336	13538	20031	5221
16.	कर्नाटक	57276	57449	65403	17564
17.	केरल	23923	24878	25439	6427
18.	मध्य प्रदेश	48675	54224	68260	17796
19.	महाराष्ट्र	117554	130676	143766	37554
20.	मणिपुर	5556	5095	5042	1022
21.	मेघालय	2730	2669	3800	1057
22.	मिजोरम	1456	1631	2035	473
23.	नागालैंड	933	1763	2707	650
24.	उड़ीसा	27152	27080	43238	10916
25.	पांडिचेरी	2541	2322	1203	336
26.	पंजाब	20000	22449	23304	6745
27.	राजस्थान	93462	98144	105596	24430
28.	सिक्किम	1250	1403	1724	403
29.	तमिलनाडु	80895	89616	96639	24723
30.	त्रिपुरा	1032	1197	924	540
31.	उत्तर प्रदेश	207670	153459	164406	43312
32.	उत्तरांचल	14725	11194	10872	2369
33.	पश्चिम बंगाल	81485	89836	104026	26512
	कुल	1129076	1147223	1257532	321208

नोट :– संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की पहुंच में बढ़ोतरी और इस कार्यक्रम के प्रबंधन में सुधार तथा कार्यक्रम के और अधिक लोकप्रिय होने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्षय रोगियों की सूचना में वृद्धि हुई है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य-वार एवं वर्ष-वार आबंटन एवं व्यय से संबंधित विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-05		2005-06	
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1050.00	952.66	600.00	635.47	700.00	775.42	1100.00	1100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	40.09	30.19	114.13	31.03	123.52	55.50	51.76
3.	असम	391.77	256.81	411.91	448.95	750.26	536.17	1318.13	163.53
4.	बिहार	697.27	285.01	608.38	393.29	903.34	669.11	1223.56	398.96
5.	गोवा	13.78	11.37	13.00	22.50	14.17	24.00	22.71	25.49
6.	गुजरात	536.22	239.74	506.28	301.97	551.38	710.10	890.42	486.01
7.	हरियाणा	179.75	137.13	619.00	148.91	200.00	200.05	200.00	156.46
8.	हिमाचल प्रदेश	64.64	91.20	61.03	133.65	66.47	173.84	105.42	128.98
9.	जम्मू और कश्मीर	95.28	31.95	86.71	125.21	110.06	195.20	181.65	117.36
10.	कर्नाटक	534.01	455.28	497.42	636.25	574.26	482.85	911.51	459.48
11.	केरल	336.99	156.31	318.17	252.85	346.52	327.12	535.23	176.42
12.	मध्य प्रदेश	592.09	663.03	545.77	412.35	658.17	752.73	1068.83	498.84
13.	महाराष्ट्र	1025.81	627.16	968.53	1399.29	1054.81	1038.69	1702.99	655.58
14.	मणिपुर	30.77	77.14	65.88	126.83	67.69	95.07	124.88	60.58
15.	मेघालय	31.74	70.19	45.92	58.39	64.87	45.19	120.25	40.65
16.	मिजोरम	11.82	84.09	22.56	97.94	25.38	72.14	46.25	37.58
17.	नागालैंड	25.64	28.46	54.90	68.72	56.41	65.67	111.00	38.85
18.	उड़ीसा	450.00	785.45	515.00	364.13	600.00	100.20	300.00	167.73
19.	पंजाब	227.00	202.79	206.68	267.01	264.79	226.93	423.31	186.40
20.	राजस्थान	598.74	497.23	565.31	502.29	615.67	643.99	1012.06	634.13
21.	सिक्किम	6.41	34.28	13.72	42.25	14.10	53.25	27.75	20.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	658.09	350.10	621.34	982.42	676.69	995.96	1050.99	41.69
23.	त्रिपुरा	33.57	44.61	68.49	30.80	90.26	49.05	157.25	5.12
24.	उत्तर प्रदेश	1586.33	1142.25	1449.76	1275.73	1809.96	1476.21	2718.98	1466.49
25.	पश्चिम बंगाल	849.90	877.95	802.44	889.30	873.90	978.17	1389.97	659.94
26.	दिल्ली	146.25	393.55	138.08	384.15	150.38	479.11	262.83	294.72
27.	पांडिचेरी	9.96	0.00	9.23	0.39	10.90	15.00	16.43	0.13
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.23	13.00	1.84	0.21	3.27	18.00	6.57	12.00
29.	चंडीगढ़	9.54	16.00	9.00	30.17	9.81	38.00	16.43	27.60
30.	दादरा एवं नगर हवेली	1.48	0.00	1.23	0.00	2.18	5.00	4.92	10.00
31.	दमण और दीव	1.48	0.00	1.23	0.21	2.18	5.00	3.28	0.00
32.	लक्षद्वीप	1.06	9.34	1.00	3.27	1.09	0.00	1.64	0.01
33.	झारखण्ड	233.91	78.32	431.00	373.60	957.30	261.45	342.32	247.35
34.	उत्तरांचल	67.21	97.16	136.00	273.39	302.49	128.09	106.68	148.76
35.	छत्तीसगढ़	183.56	196.55	333.00	513.91	740.21	349.38	260.26	294.17
	कुल	10700.00	8746.22	10760.00	11309.98	13300.00	12109.66	17820.00	9188.91
	मुख्यालय	800.00	948.90	740.00	479.66	700.00	1253.37	780.00	206.63
	महायोग	11500.00	9695.12	11500.00	11789.64	14000.00	13363.03	18600.00	9395.54

विवरण-III

जिला क्षय रोग केन्द्रों, क्षय रोग एककों एवं निर्धारित माइक्रोस्कोपी केन्द्रों, जो संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में डॉट के रूप में भी काम करते हैं, का राज्य-वार विवरण

कार्यान्वित करने वाले राज्य	कार्यान्वित करने वाले जिले		
	जिला क्षय रोग केन्द्र वाले जिलों/ रिपोर्टिंग एककों की संख्या	क्षय रोग एककों की संख्या	निर्धारित माइक्रास्कोपी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	24	164	861
अरुणाचल प्रदेश	6	13	32
असम	23	62	315
बिहार	13	62	271
चंडीगढ़	1	2	13
छत्तीसगढ़	16	62	286
दिल्ली	21	33	164
गोवा	2	3	18
गुजरात	27	123	622

1	2	3	4
हरियाणा	19	46	203
हिमाचल प्रदेश	12	39	163
जम्मू और कश्मीर	3	11	42
झारखण्ड	17	40	211
कर्नाटक	28	116	607
केरल	14	67	553
मध्य प्रदेश	45	136	718
महाराष्ट्र	48	264	1095
मणिपुर	9	11	45
मेघालय	7	16	44
मिजोरम	8	9	27
नागालैंड	8	8	28
उड़ीसा	31	70	523
पांडिचेरी	1	4	11
पंजाब	17	50	278
राजस्थान	32	143	702
सिक्किम	4	5	17
तमिलनाडु	29	138	729
त्रिपुरा	2	5	33
उत्तर प्रदेश	50	250	1026
उत्तरांचल	13	30	121
पश्चिम बंगाल	19	168	822
महायोग	549	2150	10580

नोट :– देश के शेष जिलों में संशोधित कार्यनीति को लागू करने से संबंधित प्रारम्भिक कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

चिकित्सकों का पलायन

*246. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रशिक्षित चिकित्सकों का एक बड़ा प्रतिशत भाग विदेशों में अपने व्यवसाय में लग गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में किए गए भारी निवेश का कोई खास परिणाम नहीं निकला;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित चिकित्सक एवं निश्चित समयावधि तक ग्रामीण क्षेत्र सहित देश में सेवा करने के बाद ही विदेश जा सकेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली विभिन्न विषयों के स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिला देता है। प्रति वर्ष एम०बी०बी०एस० कोर्स में भारत की राष्ट्रीयता वाले 45 विद्यार्थियों, विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 158 विद्यार्थियों और विभिन्न अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में 83 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है। एम्स के अलावा देश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 27,142 सीटें और विभिन्न विषयों में लगभग 8000 स्नातकोत्तर सीटें हैं।

यह सत्य है कि एम०बी०बी०एस०, स्नातकोत्तर/अतिविशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले काफी विद्यार्थी या तो उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा प्रतिष्ठित कार्य हेतु विदेश जाते हैं। ऐसा एम्स और देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध चिकित्सा शिक्षा के उच्च स्तर के कारण हो सकता है जो कि विकसित देशों में स्वीकार्य पाया गया है। सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य जनशक्ति को रोकने के बारे में विचार करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है।

दिनांक 28.2.2005 को पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या 639729 और दिनांक 1.1.2003 को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या लगभग 694712 है। पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी के चिकित्सकों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों का जनसंख्या की दृष्टि से अनुपात लगभग 128

चिकित्सक प्रति लाख व्यक्ति (1:781) है। इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में सेवाएं देने हेतु चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त है। तथापि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चिकित्सकों तथा कुछ विषयों में डाक्टरों की उपलब्धता में असमानता है।

इस समय प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा निश्चित वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सेवा कर लेने के बाद ही देश छोड़ने के संबंध में कानून बनाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के छठे सम्मेलन के संकल्प के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में, डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर सीटों का 25 प्रतिशत ऐसे सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की सलाह दी गई है। जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किय हो और यह वचन पत्र दिया हो कि वे कम से कम पांच वर्षों तक सरकारी सेवा करेंगे। कुछ राज्यों ने इस बारे में आवश्यक कदम उठाए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पांच वर्षों की अविध तक सेवा कर चुके सरकारी सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के बारे में ''स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1977 और ''स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000'' में संशोधन करने का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें स्नातक डिग्री प्रदान करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष अनिवार्य तैनाती को लागू कर सकती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल सेवा की गुणवत्ता

*247. **डा० टौकचोम मैन्या :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बी०एस०एन०एल० द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा की गुणवत्ता खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इम्फाल तथा पूर्वोत्तर के अन्य भागों में मोबाइल फोन कनेक्शनों की भारी मांग है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवा नेटवर्क का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के अधिकांश बेंचमार्क पूरा कर रही है। तथापि, बी०एस०एन०एल० के मोबाइल नेटवर्क की क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण व्यस्त समय में कुछ क्षेत्रों में संकुलन (भीड़-भाड़) देखने में आया है। संकुलन की समस्या को दूर करने तथा नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए बी०एस०एन०एल० पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने मोबाइल नेटवर्क की क्षमता का निरन्तर विस्तार कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चार कंपनियों नामत: मै० रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०, मै० भारती हेक्साकॉम लि०, बी०एस०एन०एल० और मै० डिशनेट वायरलेस लि० को पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इसी प्रकार, मै० रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०, मै० भारती सेल्युलर लि०, बी०एस०एन०एल० और डिशनेट वायरलेस लि० को असम दूरसंचार सर्किल क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। मै० डिशनेट वायरलेस लि० को छोड़कर, सभी कपंनियां पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल सेवा प्रदान कर रही हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए बी०एस०एन०एल० अपने मोबाइल नेटवर्क का निरन्तर विस्तार का रहा है तथा तद्नुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 2 लाख लाइनें और बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसी प्रकार, निजी प्रचालक भी अपनी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने मोबाइल नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने हेतु मानदंड

*248. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनसंख्या का आकार राज्यों में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार कितने स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार कितने स्वास्थ्य उप-कन्द्र हैं और राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में अभी और कितने स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर किए जाने हैं;

(घ) क्या सरकार दूरी या राज्यों के क्षेत्र के आधार पर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने हेतु मानदंड बनाने पर विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मानदंड कब तक तैयार किए जाएंगे;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, ता उस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) जी, हां। मैदानी क्षेत्रों में 5000 तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र खोला जाता है। देश में 2001 की जनगणना के अनुसार अपेक्षित उपकेन्द्रों की संख्या 158792 है। सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार 2001 की जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की राज्यवार संख्या और कमी संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, वहां पर इस समय 8835 उपकेन्द्र चल रहे हैं और 1567 उपकेन्द्रों की कमी है।

(घ) और (ङ) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी वित्तीय दिशा-निर्देश" पर 20.7.2005 को एक कार्य दल का गठन किया गया है। इस दल के विचारार्थ विषयों में से एक विषय विशेष रूप से पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के लिए जनसंख्या मानदण्डों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सलाह देना भी है। इस कार्य दल को 30 सितम्बर, 2005 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) केवल उत्तर प्रदेश राज्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उपकेन्द्र खोलने के लिए ग्राम पंचायत-वार मानदण्ड अपनाने का अनुरोध किया गया है। इस कार्य को कार्य दल द्वारा भी देखा जाएगा।

विवरण

भारत में वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे में कमी

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र		
		अपेक्षित	कार्यरत सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार	अधिक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11699	12522	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	254	376	*
3.	असम	5063	5109	*
4.	बिहार	14959	10337	4622
5.	छत्तीसगढ़	4164	3818	346
6.	गोवा	135	172	*
7.	गुजरात	7263	7274	*
8.	हरियाणा	3005	2433	572
9.	हिमाचल प्रदेश	1128	2067	*
10.	जम्मू व कश्मीर	1666	1879	*
11.	झारखण्ड	5057	4462	595
12.	कर्नाटक	7369	8143	*
13.	केरल	4761	5094	*
14.	मध्य प्रदेश	10402	8835	1567
15.	महाराष्ट्र	12153	9727	2426
16.	मणिपुर	412	420	*
17.	मेघालय	597	401	196
18.	मिजोरम	146	351	*
19.	नागालैंड	535	394	141
20.	उड़ीसा	7283	5927	1356
21.	पंजाब	3219	2852	367

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	9554	9926	*
23.	सिक्किम	109	347	*
24.	तमिलनाडु	7057	8682	*
25.	त्रिपुरा	659	539	120
26.	उत्तरांचल	1294	1525	*
27.	उत्तर प्रदेश	26344	18577	7767
28.	पश्चिम बंगाल	12101	10356	1745
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	51	107	*
30.	चंडीगढ़	15	13	5
31.	दादरा व नगर हवेली	50	38	12
32.	दमण व दीव	21	21	0
33.	दिल्ली	188	42	146
34.	लक्षद्वीप	11	14	*
35.	पांडिचेरी	65	75	*
	भारत	158792	142655	21983

नोट :— आवश्यकता का हिसाब निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2001 की जनगणना के कुल योग और आदिवासी जनसंख्या के अनुसार लगाया गया है। अखिल भारतीय कमियों के राज्यवार आंकड़ों को जोड़कर और कुछ राज्यों से अधिक केन्द्रों को छोड़कर लगाई गई हैं।

कार्यरत आंकड़े अनंतिम हैं।

*अतिरिक्त।

जंक-फूड के कुप्रभाव

*249. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में जंक-फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग उनकी ओर तीव्रता से आकर्षित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे विश्व में भोजन विशेषज्ञों ने जंक-फूड के बढ़ते हुए उपभोग पर चिंता व्यक्त की है;

(ग) क्या विभिन्न शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि ऐसे भोजन के उपयोग के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे तथा युवा घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जंक-फूड संस्कृति को बढ़ने से रोकने तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए भी कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) जंक फूड की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। ''जंक फूड'' वाक्यांश का प्रयोग ऐसे खाद्य-पदार्थों का निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जिनमें कैलारी की मात्रा अधिक होती है। और जिनमें एन्जाइम पैदा करने वाले विटामिन एवं मिनरल कम होते हैं। जब ऐसे खाद्य-पदार्थ को खाया जाया है तो शरीर का इन निस्सार कैलोरियों को प्रयोज्य उर्जा में परिणत करने के लिए अपने एन्जाइम उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में एन्जाइम उत्पन्न करने वाली क्रिया को महत्वपूर्ण चयापचयी प्रतिक्रियाओं के निष्पादन के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

विशेषतौर पर स्कूली बच्चों तथा किशोरों में ''जंक फूड'' जिनमें प्रचुर कैलोरी होती है किन्तु जिनका पौषणिक मान कम होता है, को खाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। फिर भी, जंक फूड के उपभोग की सीमा के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है।

विश्व भर में केवल ऊर्जा वाले तथा थोड़े अथवा बगैर विटामिन और मिनरल वाले अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए उपभोग के संबंध में चिन्ता व्यक्त की जा रही है।

ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि निस्सार कैलोरी वासे खाद्य पदार्थों के उपभोग तथा चिरकारी अपकर्षक रोगों एवं उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदयवाहिका समस्याओं और ग्लूकोज असहनता के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। 2002 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पाया गया कि जंक फूड का उपभोग स्कूलों तथा किशोर जनसंख्या में बढ़ रहा है। इसी अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ है कि शहरी किशोरों तथा युवा वयस्कों में इस प्रवृत्ति तथा संबद्ध जीवन शैली कारकों के परिणामस्वरूप चुनाओं में गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हुई है।

जंक फूड से बचने के लिए आम लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता बढ़ गई है और लोगों को उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार, पोषण विज्ञानियों तथा आहार-विदों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी जनसख्या के सभी आयु वर्गों द्वारा जंक फूड का परिहार करने की सलाह देते हुए कुछ सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण सामग्रियां तैयार की हैं। इन सामग्रियों को सभी राज्यों को परिचालित कर दिया गया है और इन्हें इस मंत्रालय द्वारा आयोजित ''स्वास्थ्य मेलों'' के दौरान प्रदर्शित एवं वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जहां यह सुझाव दिया गया है कि बने-बनाए खाद्य पदार्थों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और अधिकतर चीनी रहित खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

'मनी-आर्डर' नहीं पहुंच पाना

*250. **श्री सीताराम सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने 'मनी-आर्डर' सेवा का उपयोग किया है;

(ख) क्या 'मनी-आर्डर' नहीं पहुंचने और विलम्ब से पहुंचने संबंधी शिकायतें बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर 2004 से आज की तिथि तक इस संबंध में राज्य/सर्किल-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक जारी किए गए मनीआर्डरों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	बुक किए गए मनीआर्डरों की संख्या (लाख में)
1	2
2001-02	1122
2002-03	1050
2003-04	993
2004-05 (अनंतिम आंकड़ा)	1150

मनीआर्डर सेवा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अत: वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक बुक किए गए मनीआर्डरों से संबंधित आंकड़े सभापटल पर रखे गये हैं।

(ख), (घ) और (ङ) वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान वितरण न होने और देर से वितरण होने वाले मानीआर्डरों की शिकायतों के आंकड़ों में घट-बढ़ की प्रवृत्ति दिख रही है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :–

वर्ष	वितरण न होने से संबंधित शिकायतों की संख्या	देर से वितरण होने से संबंधित शिकायतों की संख्या	परियात के अनुपात में मनीआर्डर सेवा संबंधी शिकायतें
2001-02	70204	141360	0.451%
2002-03	98730	177172	0.584%
2003-04	19015	106222	0.359%
2004-05	44329	171073	0.424%

मनीआर्डर के वितरण न होने और देरी से वितरण होने पर विभाग में सभी स्तरों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट मामलों को अलग से सुलझाया जाता है, जबकि प्रणाली में ध्यान में आई खामियों को दूर किया जाता है ताकि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो। मनीआर्डर की प्राप्ति न होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बाद एक जांच शुरू की जाती है और अगर भुगतान के बारे में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती तो एक डुप्लिकेट मनी आर्डर जारी कर तत्काल भुगतान किया जाता है। शिकायतों का निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों में से 99% का निपटान तीन महीनों के भीतर कर दिया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान मनीआर्डरों के भुगतान में देरी और भुगतान नहीं होने के कारण 177 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पारेषण के समय में कमी लाने के लिए विभाग वी-सैट के माध्यम से भी मनीआर्डर पारेषित करता है। समय पर भुगतान हेतु इसकी कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए मनीआर्डर सेवा की निरन्तर पुनरीक्षा और मानीटरिंग की जाती है।

(ग) दिसम्बर 2004 से जून 2005 तक की सर्किलवार शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :–

सर्किल का नाम	मामलों की संख्या					
	वितरण न होना दिसम्बर, 04	देर से वितरण दिसम्बर, 04	वितरण न होना (जनवरी से मार्च, 05)	देर से वितरण (जनवरी से मार्च, 05)	वितरण न होना (अप्रैल से जून, 05)	देर से वितरण (अप्रैल से जून, 05)
असम	शून्य	224	शून्य	525	312	677
आंध्र प्रदेश	285	384	151	806	578	954
बिहार	शून्य	207	शून्य	960	212	401
छत्तीसगढ़	शून्य	493	शून्य	07	शून्य	431
दिल्ली	शून्य	5460	शून्य	10874	शून्य	8500
गुजरात	288	333	594	638	250	766
हरियाणा	524	264	1064	1438	536	1371
हिमाचल प्रदेश	318	201	163	426	46	1123
जम्मू व कश्मीर	148	107	287	323	676	403
झारखण्ड	468	152	56	915	39	815
कर्नाटक	36	352	77	1143	74	669
केरल	32	423	53	1053	शून्य	1245
मध्य प्रदेश	39	84	90	815	141	936
महाराष्ट्र	शून्य	0	शून्य	1153	05	1860
उत्तर पूर्व	शून्य	133	शून्य	470	305	677
उड़ीसा	108	500	324	1526	210	652
पंजाब	3872	823	9049	1186	247	425
राजस्थान	343	592	654	845	981	491
तमिलनाडु	188	714	328	2272	279	4963
उत्तर प्रदेश	458	2681	607	5154	19	5493
उत्तरांचल	11	518	51	893	587	1257
पश्चिम बंगाल	24	1124	49	2819	80	1903
एपीएस	176	329	588	867	504	854
कुल	7318	16098	14185	37108	6080	36866

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*251. श्री वी०के० तुम्मर :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्षवार किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है तथा कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उन पिछड़े क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) आज की तिथि तक इन क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष की स्थापना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन्) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना दसवीं योजना में शुरू की गई थी जिसके तीन घटक हैं, नामत: (i) बिहार के लिए विशेष योजना जिसके लिए वर्ष 2003-04 में 445.75 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 248.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी; (ii) उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट (के०बी०के०) जिलों के आठ जिलों के लिए विशेष योजना जिसके लिए विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रुपये जारी किए गए; तथा (iii) 147 जिलों (115 पिछड़े जिले तथा 32 उग्रवाद प्रभावित जिले) को कवर करते हुए पिछड़े जिले पहल जिसके लिए वर्ष 2003-04 में 402.50 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 1241.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। पिछड़े जिले पहले के अंतर्गत 147 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिहार के लिए विशेष योजना के मामले में प्रगति निम्नानुसार है : (i) मिलियन शेलो ट्यूबवेल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 तक निर्धारित 377,111 ट्यूबवेलों के संचयी लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2005 की समाप्ति तक 3,27,590 ट्यूबवेलों के लिए निधियां वितरित कर दी गई हैं जोकि लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। (ii) उप-पारेषण प्रणाली को मजबूत बनाने की स्कीम के अंतर्गत 18 में से 8 उप-स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें 7 पहले ही चालू कर दिए गए हैं, तथा 22 में से 12 पारेषण लाइनों का चार्ज परीक्षण हो चुका है। (iii) बागवानी विकास हेतु स्कीम के अंतर्गत, बैंकों को निधियां जारी कर दी गई हैं तथा बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। के०बी०के० के लिए विशेष योजना के अंतर्गत उपलब्धियों में प्रतिवर्ष 14 लाख रोगियों के उपचार हेतु 90 चल स्वास्थ्य इकाइयां, 2 लाख वृद्धों, अशक्त और निर्धन व्यक्तियों को आपात भोजन उपलबध कराना, 9.42 लाख बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, 7700 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन, लगभग 28000 हेक्टेयर भूमि का वानिकीकरण 314 जल संभरों का शोधन, 202 सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करना तथा 238 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं एवं 283 आंगनवाड़ियों का निर्माण आदि शामिल है। पिछड़े जिले पहल के मामले में जिला योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2004-05 में अधिकतर योजनाएं अनुमोदित की गई थीं तथा विकास संबंधी निर्माण कार्य का विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन हो रहा है।

(घ) से (च) जी, हां। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए जाएंगे।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना : पिछड़े जिले पहल
पिछड़े जिलों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिले के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
		2. वारंगल
		3. चित्तूर
		4. महबूब नगर
		5. विजयनगरम्
2.	बिहार	1. वैशाली
		2. समस्तीपुर
		3. शिवहर
		4. जमुई

1	2	3
		5. नवादा
		6. अररिया
		7. दरभंगा
		8. पूर्णिया
		9. मधुबनी
		10. सुपौल
		11. मुज्जफरपुर
		12. कटिहार
		13. लखीसराय
3.	छतीसगढ़	1. बस्तर
		2. दांतेवाड़ा
		3. कांकर
		4. बिलासपुर
4.	गुजरात	1. डांग्स
		2. दोहाद
		3. पंचमहल
5.	हरियाणा	1. सिरसा
6.	झारखंड	1. लोहरदगा
		2. गमला
		3. सिमडेगा
		4. सरायकेला
		5. पश्चिम सिंहभूमि
		6. गोड्डा
7.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. बीदर
		3. चित्रदुर्ग और
		4. दावनगिरी

1	2	3
8.	केरल	1. पलक्काड़
		2. वायनाड
9.	मध्य प्रदेश	1. मांडला
		2. बरवानी
		3. पश्चिम नीमाड़
		4. सिओनी
		5. शहडोल
		6. उमरिया
		7. बालाघाट
		8. सतना
		9. सिद्धि
10.	महाराष्ट्र	1. गढ़चिरौली
		2. भण्डारा
		3. गोंडिया
		4. चंद्रापुर
		5. हिंगोली
		6. नांदेड
		7. धुले
		8. नंदरबार
		9. अहमदनगर
11.	उड़ीसा	1. क्योंझर
		2. सुंदरगढ़
12.	पंजाब	1. होशियारपुर
13.	राजस्थान	1. बांसवाड़ा
		2. डुंगरपुर
		3. झालावाड़

1	2	3
14.	तमिलनाडु	1. तिरूवन्नामलाई
		2. डिंडीगल
		3. कुड्डालोर
		4. नागापट्टिनम
		5. सिवगंगै
15.	उत्तर प्रदेश	1. सोनभद्र
		2. रायबरेली
		3. उन्नाव
		4. सीतापुर
		5. हरदोई
		6. बांदा
		7. चित्रकूट
		8. फतेहपुर
		9. बाराबंकी
		10. मिर्जापुर
		11. गोरखपुर
		12. कुशीनगर
		13. ललितपुर
		14. जौनपुर
		15. हमीरपुर
		16. जालौन
		17. महोबा
		18. कौशाम्बी
		19. आज़मगढ़
		20. प्रतापगढ़
16.	पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया
		2. 24 दक्षिण परगना
		3. जलपाईगुडी
		4. मिदनापुर पश्चिम
		5. दक्षिण दिनाज़पुर
		6. बांकुरा
		7. उत्तर दिनाज़पुर
		8. बीरभूम
17.	असम	1. कोकराझार
		2. उत्तरी लखीमपुर
		3. करबी आंगलांग
		4. धीमाजी
		5. उत्तरी कछार हिल्स
18.	अरुणाचल प्रदेश	1. अपर सुबनसिरि
19.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
		2. सिरमौर
20.	जम्मू व कश्मीर	1. डोडा
		2. कुपवाड़ा
		3. पुंछ
21.	मणिपुर	1. तमेनलांग
22.	मेघालय	1. पश्चिम गारो हिल्स
23.	मिजोरम	1. लांगतलाई
24.	नागालैंड	1. मोन
25.	सिक्किम	1. सिक्किम
26.	त्रिपुरा	1. धलाई
27.	उत्तरांचल	1. चम्पावत
		2. टिहरी गढ़वाल
		3. चमोली
	कुल	115

राष्ट्रीय सम विकास योजना : पिछड़े जिले पहल-32
उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिले के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. करीमनगर
		2. खमाम
		3. मेडक
		4. नलगोंडा
		5. निजामाबाद
2.	बिहार	1. औरंगाबाद
		2. गया
		3. जहानाबाद
		4. रोहतास
		5. नालंदा
		6. पटना
		7. भोजपुर
		8. कैमूर
3.	झारखंड	1. हजारीबाग
		2. पलामू
		3. चतरा
		4. गढ़वा
		5. रांची
		6. लातेहार
		7. गिरीडीह
		8. कोडरमा
		9. बोकारो
		10. धनबाद
4.	मध्य प्रदेश	1. डिंडोरी
5.	छत्तीसगढ़	1. कावर्धा
		2. राजनंदगांव
		3. सरगुजा
		4. जशपुर
6.	उड़ीसा	1. गंजम
		2. गजपति
		3. मयूरभंज
7.	उत्तर प्रदेश	1. चंदौली
	योग	32
	कुल	147

[अनुवाद]

नए जलमार्गों की घोषणा

*252. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :***
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए जलमार्गों की घोषणा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय अंतर्देशीय जल-परिवहन का कुल हिस्सा कितना है और सरकार द्वारा अगले 10 वर्षों में इसे बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) इन नए जलामार्गों से देश में जल-परिवहन के किस हद तक सुकर बनने की संभावना है;

(ङ) क्या निजी कंपनियों को जलमार्गों के विकास कार्य में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन कंपनियों को कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए जलमार्गों का विवरण, निम्नानुसार है :–

(i) गोदावारी और कृष्णा-नदियों के साथ-साथ, काकीनाड़ा-पांडिचेरी-नहर (1095 किलोमीटर)

(ii) ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के साथ-साथ पूर्वी तट नहर (623 किलोमीटर)

(iii) बराक नदी (140 किलोमीटर)

(ग) अंतर्देशीय जल-परिवहन की आदर्श हिस्सेदारी, इस समय 1% से कम है। सरकार ने अंतर्देशीय जल-परिवहन के आदर्श हिस्सेदारी, अगले 8-10 वर्षों में बढ़ाकर, 2% तक करने का लक्ष्य रखा है।

(घ) तीन नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने से, राष्ट्रीय जलमार्गों का दायरा, 1858 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। तद्नुसार, अंतर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित कार्य-कलाप बढ़ेगा।

(ङ) और (च) जी, हां। गैर सरकारी कंपनियों को ठेकेदारों के रूप में विकासात्मक काम-काज के निष्पादन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। उनका चयन, निविदा-प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। अंतर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाना संभावनीय नहीं है, क्योंकि इसमें उपर्युक्त क्षेत्र को तत्काल लाभ होना संभावित नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने हेतु राज्य-निधियन परिकल्पित है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सेवा पोर्टल

*253. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सेवा पोर्टल आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त पोर्टल के कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) नामक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संबद्ध कार्यालय उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन एवं अधिकारिता (कोर) शीर्षक से अपनी परियोजना के अंतर्गत उपभोक्ता पोर्टल (http://core.nic.in) के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को तकनीकी परामर्श सेवा प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल, जिसका प्रचालन एवं प्रबंध उपभोक्ता समन्वय परिषद द्वारा किया जा रहा है, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से एक "भारत पोर्टल" स्थापित करना चाहता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सूचना और सेवाओं की एक ही स्थान पर, वेब आधारित उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना है।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात

*254. श्री राकेश सिंह :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी डॉलर के हिसाब से कितने मूल्य के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया है और वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान किन-किन देशों को निर्यात किया गया और उसका वर्षवार तथा देशवार ब्योरा क्या है;

(ग) विश्व के औद्योगिक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत का हिस्सा कितना है; और

(घ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान सॉफ्टवेयर के कुल निर्यात में भारतीय कम्पनियों का हिस्सा कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां। सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं का निर्यात वर्ष 2000-01 में 6.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 17.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

(ख) विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं का निर्यात (डॉलर में) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान विश्व सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के अनुमानित बाजार में भारतीय कम्पनियों का अंश 2.2% था; तथा वर्ष 2004-05 में यह अंश 2.8% था।

विवरण

मूल्य : मिलियन अमरीकी डॉलर

स्थान	2004-05 मूल्य	2003-04 मूल्य
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा	10517	7980
यूरोप (यूरोपीय संघ देश)	4709	3160
जापान, कोरिया एवं अन्य सुदूर पूर्वी देश	587	680
सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य दक्षिण एशियाई देश	530	425
अफ्रीकी देश	275	135
मध्य पूर्वी देश	266	150
आस्ट्रेलिया एवं अन्य महासागरीय देश	245	160
यूरोप (गैर यूरोपीय देश)	64	110
कुल योग	17193	12800

[अनुवाद]

संचारी रोगों की रोकथाम

*255. **डा० रामचन्द्र डोम :**
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचारी रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2005 में आज की तारीख तक दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में, और राज्यवार भी, मेनिनजाइटिस, हेपाटाइटिस, कोलेरा, चिकन पॉक्स, डेंगू, मिजल्स, टाइफाइड और गेस्ट्रोइन्ट्रिटिस के अलग-अलग कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) आंत्र ज्वर, वायरल हेपाटाइटिस, खसरा, तीव्र श्वसनी संक्रमण, निमोनिया, गोनोकोक्कलन संक्रमण, डिप्थीरिया, मेनिनगोकोकल मेनिन जाइटिस और सिफलिस जैसे कुछ संचारी रोगों की घटनाएं निम्नलिखित कारणों से सामान्यत: पूरे देश में कुल मिलाकर बढ़ रही हैं :–

- तीव्र शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त अवसंरचना
- घरेलू जल भंडारण प्रैक्टिसज
- औद्योगिकीकरण और सिंचाई के परिणामस्वरूप श्रमिक जनसंख्या की आवाजाही हुई है और मच्छर-जनित परिस्थितियों में वृद्धि हुई है
- अपर्याप्त जल आपूर्ति और अपर्याप्त जल गुणवत्ता निगरानी
- घटिया खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता निगरानी
- घटिया व्यक्तिगत स्वच्छता
- घटता प्रतिरक्षण कवरेज
- बढ़ती भीड़ और अस्वच्छ पर्यावरण परिस्थितियां
- अधिक संख्या में रोगियों का पता लगाने के लिए बेहतर निगरानी प्रणालियां

2005 में सूचित मेनिनजाइटिस, हेपाटाइटिस, हैजा, डेंगू, खसरा, आंत्र ज्वर (टाइफाइड) और गेस्ट्रोइंटेरिटिस के रोगियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

स्वास्थ्य मुख्यत: राज्य का विषय है और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से संचारी रोगों की चिकित्सा राहत की देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। संचारी रोगों को पर्यावरणिक स्वच्छता, सफाई रखने, निरापद और अच्छे पेयजल के उपयोग से जोड़ा जाता है। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारक उपायों में निरापद पेय जल, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता में सुधार, मानव मल-मूत्र का सुरक्षित निस्सारण, उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी और मॉनीटरिंग करना, क्लोरीन गोलियों और ओ०आर०एस० पैकेटों का वितरण आदि शामिल हैं।

भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, स्कूली स्वच्छता और स्वच्छता शिक्षा के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं और पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के संबंध में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर काबू पाने के लिए कम लागत स्वच्छता स्कीम के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और संचारी रोगों के लिए निगरानी, शीघ्र पहचान और निवारण एवं नियंत्रण भी करती है। सरकार ने मेनिनजाइटिस, हेपाटाइटिस, हैजा, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, गेस्ट्रोइंटेराइटिस आदि जैसे विभिन्न जल जनित और वेक्टर जनित रोगों के प्रकोपों की पहचान को सुदृढ़ करने के लिए नवम्बर, 2004 में एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है ताकि शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सके और ऐसे संचारी रोगों से होने वाली घटनाओं, अपंगताओं और मौतों को कम किया जा सके।

विवरण

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या — 2005

मेनिंगोकोक्कल मेनिनजाइटिस — 2005

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि कब तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश							उ०न०
2.	अरुणाचल प्रदेश	..	..	..	..	..		उ०न०
3.	असम			..				उ०न०
4.	बिहार		..					उ०न०
5.	छत्तीसगढ़						..	उ०न०
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	मार्च 2005
7.	गुजरात	1	1	0	0	1	1	मई 2005
8.	हरियाणा	10	0	6	0	16	0	अप्रैल 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	अप्रैल 2005
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	अप्रैल 2005
11.	झारखंड							उ०न०
12.	कर्नाटक	176	19	136	0	312	19	फरवरी 2005
13.	केरल	1	0	2	0	3	0	अप्रैल 2005 (फरवरी 2005 को छोड़कर)
14.	मध्य प्रदेश	110	0	87	0	197	0	अप्रैल 2005
15.	महाराष्ट्र	78	24	67	12	145	36	अप्रैल 2005
16.	मणिपुर	4	0	2	0	6	0	मार्च 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मेघालय	15	3	14	4	29	7	अप्रैल 2005
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	अप्रैल 2005
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	जनवरी 2005
20.	उड़ीसा	7	0	6	2	13	2	अप्रैल 2005
21.	पंजाब	2	0	0	0	2	0	अप्रैल 2005श
22.	राजस्थान	52	4	21	2	73	6	मार्च 2005
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	मार्च 2005
24.	तमिलनाडु	..					..	उ०न०
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	फरवरी, अप्रैल और मई 2005
26.	उत्तरांचल			..				उ०न०
27.	उत्तर प्रदेश	..		..	..	..		उ०न०
28.	पश्चिम बंगाल			..	..			उ०न०
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	केवल फरवरी 2005
30.	चंडीगढ़	..			..	..		उ०न०
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	केवल अप्रैल 2005
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	जनवरी 2005
33.	दिल्ली	34	0	29	0	63	0	मार्च 2005
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	मई 2005
35.	पांडिचेरी	13	1	14	1	27	2	अप्रैल 2005
	कुल	503	52	384	21	837	73	

आंकड़े अनंतिम हैं और कुपरिभाषित कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

.. सूचित नहीं किए गए।

एन०आर०—प्राप्त नहीं है।

पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योग कुल आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग से सूचित नहीं की है।

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या – 2005

वाइरल हैपेटाइटिस – 2005

कुल

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि कब तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1563	2	1255	0	2818	2	मार्च 2005
2.	अरुणाचल प्रदेश						..	उ०न०
3.	असम		..	..				उ०न०
4.	बिहार	..	..	..	..		..	उ०न०
5.	छत्तीसगढ़		..					उ०न०
6.	गोवा	7	0	6	0	13	0	मार्च 2005
7.	गुजरात	2396	4	1621	4	4017	8	मई 2005
8.	हरियाणा	566	7	246	4	812	11	अप्रैल 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	316	0	249	0	565	0	अप्रैल 2005
10.	जम्मू और कश्मीर	..			..	2437	0	अप्रैल 2005
11.	झारखंड		..	..	..	..	..	उ०न०
12.	कर्नाटक	4603	11	2965	21	7568	32	फरवरी 2005
13.	केरल	1472	6	860	1	2332	7	अप्रैल 2005 (फरवरी 2005 को छोड़कर)
14.	मध्य प्रदेश	1336	8	1299	5	2635	13	अप्रैल 2005
15.	महाराष्ट्र	12641	13	4801	14	17442	27	अप्रैल 2005
16.	मणिपुर	13	0	12	0	25	0	मार्च 2005
17.	मेघालय	33	0	28	0	61	0	अप्रैल 2005
18.	मिजोरम	116	0	92	0	208	0	अप्रैल 2005
19.	नागालैंड	13	0	0	0	13	0	जनवरी 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	उड़ीसा	441	5	187	5	628	10	अप्रैल 2005
21.	पंजाब	373	3	256	0	629	3	मार्च 2005
22.	राजस्थान	222	7	119	1	341	8	मार्च 2005
23.	सिक्किम	42	1	29	0	71	1	मार्च 2005
24.	तमिलनाडु	...	..	..		..		उ०न०
25.	त्रिपुरा	92	1	96	0	188	1	फरवरी, अप्रैल और मई 2005
26.	उत्तरांचल	..		..	..		..	उ०न०
27.	उत्तर प्रदेश	..	..	..		..	..	उ०न०
28.	पश्चिम बंगाल		..	..	..	..	..	उ०न०
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	0	7	0	20	0	केवल फरवरी 2005
30.	चंडीगढ़					..		उ०न०
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	केवल अप्रैल 2005
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	जनवरी 2005
33.	दिल्ली	1403	5	1013	8	2416	13	मार्च 2005
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	2	0	मई 2005
35.	पांडिचेरी	181	0	92	0	273	0	अप्रैल 2005
	कुल	27844	73	15233	63	45514	136	

आंकड़े अनंतिम हैं और कुपरिभाषित कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

.. सूचित नहीं किए गए।

एन०आर०—प्राप्त नहीं।

पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रोग कुल आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग से सूचित नहीं की है।

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

तालिका 5: 23.07.2005 को समाप्त सप्ताह की 2005 के दौरान भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैजा के अधिसूचित

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून		जुलाई			
						2.7.05		9.7.05	
		सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	0	15	0		..		
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0						
3.	असम						..		
4.	बिहार						..		
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0				
6.	गोवा	0	0	0	0				
7.	गुजरात	0	0	31	0				
8.	हरियाणा	0	0	4	0	..	..		
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0		
10.	जम्मू डिवीजन	0	0	0	0	..	..		
	कश्मीर डिवीजन	0	0	0	0	..	..		
11.	झारखंड			..	..		..		
12.	कर्नाटक	4	0	15	0	2	0		
13.	केरल	3	0	8	0				
14.	मध्य प्रदेश	0	0						
15.	महाराष्ट्र	57	0	22	0				
16.	मणिपुर	0	0	0	0	..			
17.	मेघालय			..		..	..		
18.	मिजोरम	0	0	0	0	..	..		
19.	नागालैंड	0	0	0	0		..		
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	..	..		
21.	पंजाब	0	0	0	0	..	..		

साप्ताहिक महामारी विज्ञानी रिपोर्ट (सप्ताह सं० 29)
*किए गए रोगियों और मौतों को दर्शाने वाला विवरण****

16.7.05		23.7.05		उत्तरोतर कुल					
				रोगी			मौतें		
सी	डी	सी	डी	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				..		18	..	..	0
				0	0	0	0	0	0
					..	0			
				..		0			
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				..		31			0
				1	3	4	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				..	..	0			
				9	12	21	0	0	0
				9	2	11	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
						79			0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	0	0	0	0		..		
23.	सिक्किम	0	0	0	0				
24.	तमिलनाडु	77	0	76	0	7	0		
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	..			
26.	उत्तर प्रदेश	0	0						
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	18	0	34	0				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	..			
30.	चंडीगढ़	0	0	1	0	..			
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0		..		
32.	दमन व दीव	0	0	0	0				
33.	दिल्ली	8	0	350	0	28	0	39	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0				
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0				
	कुल	170	0	556	0	37	0	39	0

नोट: सी = रोगी डी – मौतें एम – पुरुष एफ – महिला .. = प्राप्त नहीं 0 – शून्य

यह विवरण साप्ताहिक रिपोर्टों पर आधारित है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर के क्षेत्रों जहां मामले घटित हुए हैं, का ब्योरा प्रदान करते हैं।

पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रोग कुल योग से मेल नहीं रखा सकता है क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना नहीं दी है।

देश में 2005 के दौरान डेंगू के राज्यवार रोगी और मौतें

(31.07.2005 तक अनंतिम)

क्रमांक	राज्य	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	–	–
4.	बिहार	0	0
5.	छत्तीसगढ़	–	–
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	0	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				89	71	160	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				35	17	52	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	1	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
63	0	71	0	343	216	559	..		
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
63	0	71	0	486	322	936	0	0	0

1	2	3	4
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—
11.	झारखंड	—	—
12.	कर्नाटक	39	0

1	2	3	4
13.	केरल	547	5
14.	मध्य प्रदेश	—	—
15.	महाराष्ट्र	16	0
16.	मणिपुर	—	—
17.	मेघालय	—	—

1	2	3	4
18.	मिजोरम	—	—
19.	नगालैंड	—	—
20.	उड़ीसा	—	—
21.	पंजाब	1	0
22.	राजस्थान	7	0
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	140	0
25.	त्रिपुरा	—	—
26.	उत्तरांचल	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0
32.	दमन व दीव	—	—
33.	दिल्ली	6	1
34.	लक्षद्वीप	—	—
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	756	6

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या-2005

खसरा — 2005

कुल

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरूष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि कब तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	714	1	718	0	1432	1	मार्च 2005
2.	अरुणाचल प्रदेश	..	..	..	..	..		उ०न०
3.	असम				..			उ०न०
4.	बिहार							उ०न०
5.	छतीसगढ़							उ०न०
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	मार्च 2005
7.	गुजरात	96	2	74	1	170	3	मई 2005
8.	हरियाणा	17	0	11	0	28	0	अप्रैल 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	115	0	102	0	217	0	अप्रैल 2005
10.	जम्मू और कश्मीर			..	..	621	0	अप्रैल 2005
11.	झारखंड			..	..		..	उ०न०
12.	कर्नाटक	741	0	589	0	1330	0	फरवरी 2005
13.	केरल	631	0	544	0	1175	0	अप्रैल 2005 (फरवरी 2005 को छोड़कर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	115	0	125	0	240	0	अप्रैल 2005
15.	महाराष्ट्र	616	2	470	2	1086	4	अप्रैल 2005
16.	मणिपुर	17	0	13	0	30	0	मार्च 2005
17.	मेघालय	164	1	151	0	315	1	अप्रैल 2005
18.	मिजोरम	30	0	20	0	50	0	अप्रैल 2005
19.	नागालैंड	17	0	2	0	19	0	जनवरी 2005
20.	उड़ीसा	175	0	151	0	326	0	अप्रैल 2005
21.	पंजाब	26	0	14	0	40	0	अप्रैल 2005
22.	राजस्थान	14	0	11	0	25	0	मार्च 2005
23.	सिक्किम	9	0	9	0	18	0	मार्च 2005
24.	तमिलनाडु							उ०न०
25.	त्रिपुरा	142	0	87	0	229	0	फरवरी, अप्रैल और मई 2005
26.	उत्तर प्रदेश				..			उ०न०
27.	उत्तरांचल						..	उ०न०
28.	पश्चिम बंगाल	..	..		..			उ०न०
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0	1	0	केवल फरवरी 2005
30.	चंडीगढ़			..	..			उ०न०
31.	दादरा व नगर हवेली	3	0	1	0	4	0	केवल अप्रैल 2005
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	जनवरी 2005
33.	दिल्ली	99	0	72	2	171	2	मार्च 2005
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	मई 2005
35.	पांडिचेरी	28	0	35	0	63	0	अप्रैल 2005
	कुल	3769	6	3200	5	7590	11	

आंकड़े अनंतिम हैं और कुपरिभाषित कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

.. सूचित नहीं किए गए।

एन०आर०—प्राप्त नहीं है।

पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रोग कुल आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग से सूचित नहीं की है।

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या – 2005

आन्त्र ज्वर – 2005

(कुल)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ कब तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	7540	0	7345	4	14885	4	मार्च 2005
2.	अरुणाचल प्रदेश			..	..			उ०न०
3.	असम		..	..	..			उ०न०
4.	बिहार	..		..	..	..	..	उ०न०
5.	छत्तीसगढ़		..	..	..	..	..	उ०न०
6.	गोवा	18	0	12	0	30	0	मार्च 2005
7.	गुजरात	841	0	805	0	1646	0	मई 2005
8.	हरियाणा	944	3	667	0	1611	3	अप्रैल 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	2025	1	2297	1	4322	2	अप्रैल 2005
10.	जम्मू और कश्मीर	..	..	..		11877	0	अप्रैल 2005
11.	झारखंड			..				उ०न०
12.	कर्नाटक	13915	45	10870	32	24785	77	फरवरी 2005
13.	केरल	1263	0	1132	0	2395	0	अप्रैल 2005 (फरवरी 2005 को छोड़कर)
14.	मध्य प्रदेश	3839	5	3796	0	7635	5	अप्रैल 2005
15.	महाराष्ट्र	1956	0	1491	1	3447	1	अप्रैल 2005
16.	मणिपुर	85	1	73	0	158	1	मार्च 2005
17.	मेघालय	612	2	710	2	1322	4	अप्रैल 2005
18.	मिजोरम	98	1	105	0	203	1	अप्रैल 2005
19.	नागालैंड	151	1	101	0	252	1	जनवरी 2005
20.	उड़ीसा	1860	3	1496	0	3356	3	अप्रैल 2005
21.	पंजाब	2448	1	2114	1	4562	2	अप्रैल 2005
22.	राजस्थान	364	0	293	1	657	1	मार्च 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	8	0	9	0	17	0	मार्च 2005
24.	तमिलनाडु		..					उ०न०
25.	त्रिपुरा	3513	4	3030	4	6543	8	फरवरी, अप्रैल और मई 2005
26.	उत्तरांचल	..			..	..		उ०न०
27.	उत्तर प्रदेश	..	..		..		..	उ०न०
28.	पश्चिम बंगाल		..		..		..	उ०न०
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	0	2	0	7	0	केवल फरवरी 2005
30.	चंडीगढ़	..	..	..		..		उ०न०
31.	दादरा व नगर हवेली	3	0	10	1	13	1	केवल अप्रैल 2005
32.	दमन व दीव	1	0	1	0	2	0	जनवरी 2005
33.	दिल्ली	2306	2	1999	0	4305	2	मार्च 2005
34.	लक्षद्वीप	8	0	2	0	10	0	मई 2005
35.	पांडिचेरी	151	0	100	0	251	0	अप्रैल 2005
	कुल	43954	69	38460	47	94291	116	

आंकड़े अनंतिम हैं और कुपरिभाषित कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

.. सूचित नहीं किए गए।

एन०आर०—प्राप्त नहीं है।

पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रोग कुल आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग से सूचित नहीं की है।

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या — 2005

तीव्र अतिसारीय रोग — 2005

(कुल)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ कब तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	174597	41	170811	13	345408	54	मार्च 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश		..					उ०न०
3.	असम			..			..	उ०न०
4.	बिहार	..	..		..		..	उ०न०
5.	छत्तीसगढ़	..		..			..	उ०न०
6.	गोवा	912	0	837	0	1749	0	मार्च 2005
7.	गुजरात	79508	1	75753	0	155261	1	मई 2005
8.	हरियाणा	40436	1	39257	4	79693	5	अप्रैल 2005
9.	हिमाचल प्रदेश	51099	7	53176	0	104275	7	अप्रैल 2005
10.	जम्मू और कश्मीर					121054	0	अप्रैल 2005
11.	झारखंड			..			..	उ०न०
12.	कर्नाटक	123840	95	105574	49	229414	144	फरवरी 2005
13.	केरल	41568	0	69059	0	110627	0	अप्रैल 2005 (फरवरी 2005 को छोड़कर)
14.	मध्य प्रदेश	53585	18	45491	4	99076	22	अप्रैल 2005
15.	महाराष्ट्र	79400	5	76224	1	155624	6	अप्रैल 2005
16.	मणिपुर	1616	0	1486	1	3102	1	मार्च 2005
17.	मेघालय	20349	4	18932	3	39281	7	अप्रैल 2005
18.	मिजोरम	3286	2	3073	2	6359	4	अप्रैल 2005
19.	नागालैंड	384	0	301	0	685	0	जनवरी 2005
20.	उड़ीसा	57233	9	43464	1	100697	10	अप्रैल 2005
21.	पंजाब	22263	4	22089	3	44352	7	अप्रैल 2005
22.	राजस्थान	29060	1	22076	0	51136	1	मार्च 2005
23.	सिक्किम	4962	0	4922	0	9884	0	मार्च 2005
24.	तमिलनाडु							उ०न०
25.	त्रिपुरा	29110	7	21729	3	50839	10	फरवरी, अप्रैल और मई 2005
26.	उत्तर प्रदेश							उ०न०
27.	उत्तरांचल	..	..	..	..	..	..	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	पश्चिम बंगाल							उ०न०
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1323	0	1172	0	2495	0	केवल फरवरी 2005
30.	चंडीगढ़			..				उ०न०
31.	दादरा व नगर हवेली	2264	0	2344	0	4608	0	केवल अप्रैल 2005
32.	दमन व दीव	160	0	156	0	316	0	जनवरी 2005
33.	दिल्ली	14883	2	11653	2	26536	4	मार्च 2005
34.	लक्षद्वीप	1373	0	1236	0	2609	0	मई 2005
35.	पांडिचेरी	25390	1	22719	1	48109	2	अप्रैल 005
	कुल	858601	198	813534	87	1793189	285	

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/मरम्मत

*256. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री अधिनाश राय खन्ना :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/भारत का कार्य सरकारी एजेंसियों से न कराकर निजी कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/मरम्मत के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से पृथक-पृथक किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/मरम्मत की गई है;

(च) क्या पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/मरम्मत के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) निजी कंपनियों और सरकारी उपक्रम दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। ये कार्य प्रतियोगी बोली के आधार पर सौंपे जाते हैं जिसमें निजी कंपनियां और सरकारी उपक्रम/कोपरेटिव दोनों ही भाग ले सकते हैं। सरकार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दे रही है जहां निर्माण और अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र द्वारा काफी निवेश किया जाता है।

(ग) से (ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आदर्श रियायत करार (एम०सी०ए०) में मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं जिसके आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए रियायत करार तैयार किया जाता है। गैर-सरकारी व्यक्ति बी०ओ०टी० (टोल) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं और प्रयोक्ताओं से शुल्क मांग सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं तथा ऐसे राजमार्गों पर यातायात को नियंत्रित कर सकते हैं। बी०ओ०टी० (वार्षिकी) परियोजनाओं में टोल एकत्रित करने का अधिकार सरकार के पास रहता है। सरकार भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलीटिज) के स्थानांतरण, कर रियायत जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं और बी०ओ०टी० (टोल) परियोजनाओं में परियोजना की कुल लागत आदि के अधिकतम 40% तक का पूंजीगत अनुदान प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूरे किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) जी, हां।

(छ) अधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने और जुटाने के लिए निजी क्षेत्र से वित्तपोषण अनिवार्य है।

विवरण

गत तीन वर्षों (अप्रैल, 2002 से मार्च, 2005) के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	रा०रा० सं०	राज्य	लंबाई कि०मी०	टिप्पणी
1.	थाणे-भिवंडी बाइपास	3	महाराष्ट्र	24	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
2.	छः पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	6 सं०	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
3.	रा०रा० 9 के 14/00 से 40/00 कि०मी० तक पुणे-शोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना	9	महाराष्ट्र	26	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
4.	डैराबासी में आर०ओ०बी०	22	पंजाब	आर०ओ० बी०	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
5.	तुमकुर-नीलमंगला को चार लेन का बनाना (रा०रा०-4 का 29.5 से 62.0 कि०मी०)	4	कर्नाटक	32.5	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
6.	टाडा (52.8 कि०मी०) से नेल्लौर (163.6 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	110.52	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
7.	महापुरा (जयपुर के समीप)-किशनगढ़ (273.5-363.885 कि०मी०)	8	राजस्थान	90.38	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
8.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	35	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (टोल)
9.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव खंड को चार लेन का बनाना	4	कर्नाटक	77	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (वार्षिकी)
10.	अनाकपल्ली-तुनी खंड को चार लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	58.947	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (वार्षिकी)
11.	धर्मावरम-राजमुंदरी खंड को चार लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	53	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (वार्षिकी)
12.	नेल्लौर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.2	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (वार्षिकी)
13.	ताम्बरम-टिंडीवनम खंड को चार लेन का बनाना	45	तमिलनाडु	93	निजी क्षेत्र – बी०ओ०टी० (वार्षिकी)

[अनुवाद]

कम्प्यूटरों में वायरस

***257. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर प्रणाली को सदैव विभिन्न प्रकार के वायरसों से खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, हां। कम्प्यूटर वायरस ऐसे दुर्भावपूर्ण कोड (सॉफ्टवेयर) हैं, जो कम्प्यूटर में संचित आंकड़ा और प्रोग्रामों को संक्रमित करते हैं। वे नेटवर्क पर अथवा शेयर्ड ड्राइवों के जरिए एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर तक फैलते हैं। कई किस्म के वायरस हैं जिसमें वार्म और ट्रोजन शामिल हैं जिनके प्रसार और संक्रमण के विभिन्न ढंग हैं।

साइबर स्पेस में कई किस्म के नए वायरस आ रहे हैं जिनसे सूचना को नुकसान पहुंचने का खतरा निरन्तर बना रहता है।

(ग) कम्प्यूटर वायरस के खतरे का सामना करने के लिए काफ़ी संख्या में वायरस प्रतिरोधी समाधनों/उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने भी कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) का गठन किया है, जो वायरस के आक्रमणों का सामना करने में प्रयोक्ताओं को सतर्क करता है, सलाह देता है तथा अन्य सहयोग देता है।

[हिन्दी]

छोटा परिवार रखने संबंधी मानदंड अपनाना

*258. **श्री कमला प्रसाद रावत :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोगों को छोटा परिवार रखने संबंधी मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई समान नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हेतु विधान बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान लोगों को छोटा परिवार रखने संबंधी मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण को वर्ष 2045 तक देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के अनुरूप स्तर तक हासिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक तथा समग्रतावादी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को अंगीकार किया है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे अपनी ऐसी राज्य जनसंख्या नीति बनाएं जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की आम भावना को कायम रखते हुए राज्य की विशेष कार्यनीतियां निहित हों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यथापरिकल्पित, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है, जिसके अनुसार कोई भी दंपत्ति बगैर किसी बाध्यता के अपनी इच्छानुसार अपने लिए सबसे उपयुक्त परिवार कल्याण के तरीके को अपना सकता है। वे अपने परिवार का आकार निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होते हैं।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान, उड़ीसा तथा दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने दो बच्चों के मानदंड को अपनाया है। ऐसे राज्यों द्वारा उठाए गए इन कदमों में ये प्रावधान शामिल हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके दो से ज्यादा जीवित बच्चे हैं वे पंचायती राज्य संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं होंगे; सरकार कर्मचारियों को दो बच्चों तक ही मातृ-अवकाश प्रदान किया जाएगा; गृह-निर्माण अग्रिम पर ब्याज की आधा प्रतिशत दर कम ली जाएगी; दो जीवित बच्चों के पश्चात बंध्यकरण करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि के बराबर विशेष वेतन प्रदान किया जाएगा; ऐसे व्यक्तियों को ही सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा तथा उत्तरवर्ती पदोन्नति/ऋण लेने की सुविधा दी जाएगी। जिनके दो से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 दो बच्चों के मानदंड को बढ़ावा नहीं देती है। अत: संघ सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य, क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपनी राज्य जनसंख्या नीति में अंतर्विष्ट दो बच्चों के मानदंडों के प्रावधानों की समीक्षा करें तथा उन्हें राज्य जनसंख्या नीति की भावना के अनुरूप बनाएं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाने से पहले दिसंबर 1992 में राज्य सभा में संविधान (उन्नासी) संशोधन विधेयक, 1992 पुर:स्थापित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि जिन व्यक्तियों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे वे संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं होंगे। यह विधेयक राजनैतिक सर्वसम्मति के अभाव में तभी से लंबित पड़ा हुआ है।

सरकार ने देश में जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंगीकरण तथा क्रियान्वयन के अलावा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मई 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया था ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसियों में नियोजन तथा क्रियान्वयन में अंत: क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके, सिविल समाज (सोसाइटी) तथा निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सके तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को अप्रैल 2005 में पुनर्गठित किया गया है। इसकी अंतिम बैठक दिनांक 23.7.2005 को आयोजित की गई थी।

बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे जनसांख्यिकी रूप से कमजोर राज्यों पर पूर्ण (फोकस्ड) ध्यान देने के लिए वर्ष 2001 में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त कार्य दल का गठन किया गया था ताकि आपूर्ति संबंधी अपूर्ण आवश्यकता, सेवाओं, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों तथा स्वास्थ्य अवसंरचना पर ध्यान दिया जा सके।

जनसंख्या स्थिरता कोष का एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में गठन किया गया है ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी परियोजनाओं को विशेष रूप से सहायता देने के लिए संघीय बजट के योगदान तथा स्वैच्छिक स्रोतों के जरिए निधियों को मार्गीकृत (कैनेलाइज) करने के लिए एक माध्यम प्रदान किया जा सके।

प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) की शुरूआत की गई है तथा इसमें 18 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखण्ड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर पर विशेष बल दिया गया है। एन०आर०एच०एम० में आर०सी०एच० कार्यक्रम सम्मिलित है जो प्रतिरक्षण तथा संस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देने संबंधी उपाय सहित समेकित और सुदृढ़ परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई सहायता को दर्शाने वाले ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई सहायता

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	19821.17	24187.52	30059.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	785.62	545.42	848.22
3.	असम	14358.75	11073.99	7895.22
4.	बिहार	22449.70	24618.92	29117.91
5.	छत्तीसगढ़	7818.05	8944.55	9242.70
6.	गोवा	184.46	337.24	489.43
7.	गुजरात	14605.69	16852.43	20067.31
8.	हरियाणा	5682.61	8326.63	7903.82
9.	हिमाचल प्रदेश	3667.73	4009.02	4278.19
10.	जम्मू और कश्मीर	3293.74	3156.28	4162.85
11.	झारखंड	8290.23	9555.72	9827.08
12.	कर्नाटक	19118.87	14407.64	19907.22
13.	केरल	8387.62	8621.27	10644.81
14.	मध्य प्रदेश	14107.10	20237.48	23256.97
15.	महाराष्ट्र	24531.36	24971.36	28116.16
16.	मणिपुर	1907.68	1493.21	725.13
17.	मेघालय	1296.31	797.65	931.76
18.	मिजोरम	1678.70	1067.97	1288.26
19.	नागालैंड	1195.09	924.83	1078.41
20.	उड़ीसा	10085.03	10915.38	12049.59
21.	पंजाब	2857.36	5698.35	6958.79
22.	राजस्थान	18980.09	25618.03	25910.23
23.	सिक्किम	660.50	673.26	533.42
24.	तमिलनाडु	17478.95	16255.46	19407.40
25.	त्रिपुरा	1689.63	968.35	1202.93
26.	उत्तर प्रदेश	50626.42	61266.25	68219.15
27.	उत्तरांचल	3378.77	4141.05	3880.81
28.	पश्चिम बंगाल	16164.84	19508.90	22225.01
	कुल-सभी राज्य	295102.27	329174.16	370228.61

1	2	3	4	5
	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली*	1884.04	4246.22	3339.87
2.	पांडिचेरी	495.02	839.92	655.70
	विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	438.24	381.40	406.61
2.	चंडीगढ़	401.30	225.13	255.77
3.	दादरा व नगर हवेली	101.27	125.03	109.00
4.	दमन व दीव	167.56	115.37	133.79
5.	लक्षद्वीप	73.71	84.68	67.68
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	3561.14	6017.75	4968.42
	महायोग	298663.41	335191.91	375197.03

आंकड़े अनंतिम हैं।

डाक सेवाओं में सुधार

*259. **डा० राजेश मिश्रा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कूरियर, स्पीड-पोस्ट एवं पार्सल सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन डाक-विभाग से बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों से स्पीड पोस्ट राजस्व में 2.8% प्रति वर्ष की औसत दर से वृद्धि हुई है जो कि विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक एक्सप्रेस उद्योग के लिए आकलित वृद्धि दर अर्थात् 17.5% से अधिक है।

इसी प्रकार विभाग के एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट के राजस्व में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सहित मूल्य वर्द्धित प्रीमियम उत्पादों को डिजाइन, मॉनीटर, विकसित और इनकी मार्केटिंग करने के लिए विभाग ने 1996 में एक व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की है। मात्रा आधारित छूट, बुकिंग अभी भुगतान बाद में योजना, मासिक बिलिंग, पिक-अप सेवाएं, ग्राहकोनुकूल परिचालन आदि जैसी व्यवसाय सुलभ नीतियां नियमित रूप से अपनाई जाती है। स्पीड पोस्ट के कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्पीडनेट नामक एक ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा भी लागू की गई है।

स्पीड पोस्ट और पार्सल सहित सभी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक नीति निर्धारक ढांचा और कार्ययोजना बनाने हेतु व्यवसाय विकास निदेशालय में पिछले वर्ष एक मार्केटिंग डिवीजन स्थापित किया गया है।

इस व्यवसाय को प्रबल गति प्रदान करने के लिए फील्ड स्तर पर एक सहायक ढांचे के साथ-साथ एक पार्सल एवं लोजिस्टिक्स डिवीजन भी बनाया गया है। बड़े पार्सलों और कार्गो के लिए लोजिस्टिक पोस्ट की शुरूआत की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट राजस्व और परियात में हुई प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	परियात लाख में	राजस्व (करोड़ रु० में)
2002-2003	634.07	243.01
2003-2004	826.00	298.35
2004-2005	960.00	354.16

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट के समान आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	परियात लाख में	राजस्व (करोड़ रु० में)
2002-2003	57.61	26.09
2003-2004	67.27	31.45
2004-2005	65.81	37.70

अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों का अभाव

*260. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
श्री मुन्नी राम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह मूल्यांकन किया है कि भारतीय अस्पतालों की गहन उपचार इकाइयां (आई०सी०यू०) विश्व स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आई०सी०यू० सुविधा वाले अस्पताल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंधी में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण प्रति वर्ष मर रहे दिल की बीमारी और श्वास-संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रोगियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(झ) क्या अल्बर्ट आइंस्टीन कालेज ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय अस्पतालों में सुधार करने और आधुनिक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता के संबंध में सुझाव दिया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत में इंटेंसिव केयर यूनिटों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) और (घ) इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित परामेडिकल स्टॉफ उपलब्ध है।

(छ) और (ज) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, इसमें आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण किसी भी मौत की सूचना नहीं है।

(झ) और (ञ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अलबर्ट आइंस्टीन कालेज ऑफ मेडिसिन की उस रिपोर्ट से अवगत नहीं है जिसमें भारतीय अस्पतालों में आधुनिक प्रणाली विकसित करने और सुधार कार्य करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है।

नैदानिक केन्द्र के लिए धनराशि

2516. **श्री मनोज कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड में पलामू जिले से डाल्टनगंज मंडलीय मुख्यालय में नैदानिक केन्द्र की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसकी तिथि क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आबंटित धनराशि के उपयोग हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) 11वें वित्त आयोग ने सदर अस्पताल, पलामू, डाल्टनगंज (प्रत्येक को 300 लाख रुपए की लागत से) सहित विभिन्न स्थानों पर 5 नैदानिक केन्द्रों की स्थापना के लिए 1500 लाख रुपए के अनुदान देने के लिए सिफारिश की थी।

भवन के निर्माण (47 लाख रुपए) और इलेक्टो-कार्डियो ग्राम (ई०सी०जी०) मशीन, ट्रीड मिल, इलेक्ट्रो-ऐन्सेफेलोग्राम (ई०ई०जी०) मोड मशीन, एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सी०टी०) स्केन मशीन जैसे विभिन्न उपकरणों और नैदानिकीय रोग विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विभिन्न उपकरणों और दो आपरेशन थिएटरों (253 लाख रुपए) की खरीद के लिए इस धन का उपयोग किया जाना था।

वर्ष 2000-05 की अवधि के दौरान निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किए गए दावों के आधार पर धन का उपयोग किया जाना था। 603.30 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है। आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ई०एफ०सी० के एवार्ड की अवधि 31.3.2005 को समाप्त हो गई है।

एच०आई०वी० पॉजीटिव और एड्स में अंतर

2517. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०आई०वी० पाजीटीव होने और एड्स से संक्रमित होने से अंतर है और यह कि एच०आई०वी० पाजीटीव से ग्रस्त व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह एड्स का भी रोगी हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों का कोई रिकार्ड रखा है जो एच०आई०वी० पाजीटीव होने के बावजूद एड्स से ग्रस्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या लंबे समय से मलेरिया, कालाजार आदि से पीड़ित रोगी भी जांच के बाद एच०आई०वी० पाजीटीव पाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार एड्स और एच०आई०वी० पाजीटीव होने के के संबंध में व्याप्त भ्रम को दूर करने हेतु कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। एच०आई०वी० पॉजीटिव और एड्स रोगी में अंतर है। यह जरूरी नहीं कि एच०आई०वी० पॉजीटिव व्यक्ति एड्स रोगी हो। रोग के प्राकृतिक इतिहास के अनुसार जब एक बार कोई व्यक्ति एच०आई०वी० वायरस से संक्रमित हो जाता है तो शुरू के 5-6 वर्षों में उसमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते। इस अवधि के दौरान वह स्वस्थ रहता है और उसमें रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता। तदोपरान्त, जब उसकी रोग प्रतिरक्षण प्रणाली, वायरस द्वारा सीडी 4 सैलों को मार देने से नष्ट हो जाती है तो उसे विभिन्न अवसरघाती संक्रमणों का खतरा हो जाता है जिनमें से सबसे आम क्षयरोग का होना है। एच०आई०वी० पाजीटिव व्यक्ति में इस तरह के अवसरघाती संक्रमणों की विद्यमानता एड्स को जन्म देती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सार्वभौमिक सूचना प्रणाली के अनुसार देश के अस्पतालों में स्थित स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों में कोई भी व्यक्ति एच०आई०वी० परीक्षण करा सकता है ये केन्द्र व्यक्ति विशेष की एच०आई०वी० स्थिति का रिकार्ड गोपनीय रखते हैं ताकि ऐसे रोगी का अनुवर्ती उपचार सुनिश्चित किया जा सके। परीक्षण के अन्य तरीकों में क्योंकि नयाचार (प्रोटोकोल) 'अनलिंकड एनोनिमस' होता है इसलिए ऐसे रिकार्ड व्यवस्थित करना सम्भव नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं। एच०आई०वी० संक्रमित व्यक्तियों में एच०आई०वी० एंटीबाडी परीक्षण द्वारा पता लगाए गए व्यक्ति के सीरम में एच०आई०वी० एंटीबॉडीज की विद्यमानता एच०आई०वी० पाजीटिव वाले परीक्षण के लिए सुनहरा मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) है। चिरकालिक मलेरिया, कालाजार आदि जैसी बीमारियों में इस तरह के परीक्षण किसी भी दशा में पाजीटिव नहीं पाए जा सकते।

(च) और (छ) जी, नहीं, एच०आई०वी० पाजीटिव और एड्स रोगी के संबंध में कोई भ्रांति नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एड्स रोगियों के लिए एक मानक परिभाषा दी गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के लिए वित्तीय पैकेज

2518. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में वर्तमान वित्तीय संकट के मद्देनजर वित्तीय पैकेज हेतु राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने उड़ीसा के लिए पांच वर्षों के अवधि में निम्नलिखित हेतु 13,096 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है (i) राजकोषीय संकट का समाधान (ii) पहचान किए गए महत्व के क्षेत्रों में गहन क्षेत्रकीय हस्तक्षेप और (iii) एक व्यापक स्व-रोजगार कार्यक्रम।

(ग) विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियों के सामान्य प्रवाह के अतिरिक्त वार्षिक योजना 2005-06 में अविभक्त कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (के०बी०के०) जिलों के एक विशेष योजना हेतु 250 करोड़ रुपये और पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये सहित क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान की स्कीमों के लिए 100% अनुदान आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 68 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

2519. श्री वी० करुणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में कितने गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए कोई प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोगियों की पहचान, उनके प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में केवल एक गैर-सरकारी संगठन अर्थात् शान्ता जीव ज्योति, बैंगलूर कार्य कर रहा है और एक गैर-सरकारी संगठन भारत सरकार से सहायतानुदान प्राप्त कर रहा है।

(ख) जी, हां। रोगियों को सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अंतग्रत विरूपता (डिफार्मिटी) की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस राज्य में चल रहे एक अन्य गैर-सरकारी संगठन श्री रमण महाऋषि न्याय दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र चलाने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 423 कुष्ठ रोगियों को सर्वेक्षण, शिक्षा व उपचार योजना के अंतर्गत विरूपता के निवारण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 120, 150 और 153 रोगियों को प्रशिक्षित किया गया।

श्री रमण महाऋषि न्यास कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों को कपड़े सीने और कागज के लिफाफे बनाने में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह केन्द्र गंभीर रूप से विकलांग कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों को भोजन, औषध इत्यादि सहित आवासीय सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 129, 146 और 145 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों की परिसम्पत्ति को सार्वजनिक करना

2520. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी परिसम्पत्तियों को सार्वजनिक करने हेतु कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की परिसम्पत्तियों की समीक्षा हेतु स्थायी न्यायिक आयोग गठित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के मौजूदा प्रावधान इस बारे में पर्याप्त समझे जाते हैं।

उत्तरांचल में छोटे स्टेडियम का निर्माण

2521. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल जिले में छोटे स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और उक्त राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस छोटे स्टेडियम का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने 2002 से खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न स्थानों पर आऊटडोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की थी। उन स्टेडियमों के ब्योरे, जिनके लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत/जारी की गई थी, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खेलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह मंत्रालय अनुमोदित पैटर्न के अनुसार खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं को 31.3.2005 तक कार्यान्वित कर रहा था। तत्पश्चात, सरकार ने खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं को 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और तद्नुसार, वर्ष 2005-2006 के बजट में इन योजनाओं के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। तद्नुसार सभी राज्य सरकारों को 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया है। इस प्रकार, चल रही परियोजनाओं की शीघ्रता से पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, योजना आयोग ने हाल ही में सूचित किया है कि चल रही अनुमोदित खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी। अधूरी पड़ी परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्टें, समापन प्रमाण पत्र आदि अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	अनुमोदित धनराशि (अनुमोदन की तारीख)	जारी की गई धनराशि (जारी करने की तारीख)	टिप्पणी
1.	बुगीधर में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00 (5.7.2002)	13.50 (28.9.2004)	उन चार मामलों में केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी जिनमें अपेक्षित दस्तावेज नामत: प्रगति रिपोर्टें आदि ठीक पाई गई थीं। तथापि, क्र०सं० 4 पर दर्शाये गए मामले में प्राप्त दस्तावेज ठीक नहीं थे इसलिए कोई धन जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, जैसा कि उत्तर के भाग (ग) और (घ) में दर्शाया गया है यह योजना 1.4.2005 से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। अत: निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेज नामत: उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रगति रिपोर्ट समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पौडी गढ़वाल की 5 अधूरी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने पर विचार किया जाएगा।
2.	कोट में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00 (5.7.2002)	13.50 (28.9.2004)	
3.	नैनीधडा में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00 (8.7.2002)	13.50 (28.9.2004)	
4.	जहारीखल में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00 (8.7.2002)	00	
5.	रांसी, पौढ़ी में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00 (28.7.2002)	20.00 (28.9.2004)	

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/इंटरनेट/फैक्स सुविधाएं

2522. श्री जोवाकिम बखला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों की उन ग्राम पंचायतों का ब्योरा क्या है जहां वर्ष 2004-05 के दौरान एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/इंटरनेट/फैक्स सुविधाएं प्रदान की गई हैं और वर्ष 2005-06 के दौरान प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	उन ग्राम पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2004-05 के दौरान एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा प्रदान की गई है।	
		एस०टी०डी०	आई०एस०डी०
1	2	3	4
1.	असम	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	शून्य

1	2	3	4
3.	मणिपुर	10	शून्य
4.	मेघालय	शून्य	शून्य
5.	मिजोरम	शून्य	शून्य
6.	नागालैंड	10	शून्य
7.	सिक्किम	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
9.	पश्चिम बंगाल	249	शून्य

एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधाएं ग्राम पंचायत टेलीफोन के अभिरक्षक के अनुरोध पर प्रदान की जाती हैं। इंटरनेट सुविधा के लिए अभिरक्षक को अपना उपकरण लगाना होता है तथा वह इंटरनेट कनैक्शन इंटरनेट सेवा प्रदाता से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार फैक्स सुविधा के लिए भी अभिरक्षक को यथा-स्थिति पर्सनल कम्प्यूटर/फैक्स उपकरण की व्यवस्था करनी होती है। अत: अभिरक्षक द्वारा आवश्यक साधन स्वयं जुटा कर, इंटरनेट/फैक्स सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ उन्मूलन

2523. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अंत तक भारत से कुष्ठ का उन्मूलन हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कुष्ठ का उन्मूलन हो गया है;

(घ) किन-किन राज्यों में इस वर्ष के दौरान कुष्ठ उन्मूलन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) सरकार द्वारा भारत से इसके उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है;

(च) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस संबंध में भारत की सहायता कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। देश को दिसम्बर, 2005 के अंत तक कुष्ठ की उन्मूलन दर अर्थात् प्रति 10,000 जन संख्या पर एक से कम रोगी की व्यापतता दर प्राप्त होने की आशा है। इस व्यापतता दर से पिछले तीन वर्षों में इसमें लगातार कमी दिखाई दे रही है।

(ग) 24 राज्यों/संघ क्षेत्रों ने पहले ही कुष्ठ उन्मूलन का स्तर अर्थात् प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम रोगी की व्यापतता दर प्राप्त कर ली है। इन राज्यों/संघ क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमण और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी हैं।

(घ) सरकार ने अलग-अलग राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ङ) भारत सरकार देश से कुष्ठ उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का ब्योरा इस प्रकार है :-

(i) विकेन्द्रीकरण और संस्थागत विकास योजना के अंतर्गत देश के 27 प्रमुख राज्यों और सभी जिलों में क्रमश: राज्य और जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं जो उपयुक्त नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और समय पर सही/उपचारी कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ii) देश में समुदाय द्वारा सेवाओं की बेहतर पहुंच और उपयोग के लिए कुष्ठ सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ मिलाना।

(iii) देश में सभी रोगियों को सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से शुरू में ही कुष्ठ रोगी का पता लगाना और नि:शुल्क बहु औषध चिकित्सा।

(iv) इलाके में जन प्रचार साधनों और स्थानीय प्रचार साधनों के माध्यम से तीव्रीकृत जन जागरुकता अभियान।

(v) सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को कुष्ठ और विकलांगता निवारण और परिचर्या में प्रशिक्षण।

(vi) विरूपताओं की रोकथाम और परिचर्या।

(च) और (छ) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को निम्नलिखित सहायता दी है :–

– कुष्ठ रोधी औषधों की नि:शुल्क आपूर्ति

– राज्य कुष्ठ सोसाइटियों और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय कुष्ठ प्रभाग को स्टाफ और उपकरणों के जरिए सहायता।

– प्राथमिकता वाले राज्यों में पर्यवेक्षण और मानीटरिंग हेतु कर्मचारियों की सहायता।

– कुष्ठ मानीटरिंग के कार्यकलापों का आयोजन करके मानीटरिंग और निगरानी सहायता।

– जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

कर्नाटक में टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण

2524. श्री जी०एम० सिद्दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक में टेलीग्राफ सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना बजटीय आवंटन किया गया;

(ग) टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य में टेलीग्राफ सेवाओं के आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में क्या कार्य शुरू किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां। कर्नाटक में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और तत्संबंधी जिला-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता है

(घ) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रदान किए गए आधुनिक उपस्करों का जिला-वार ब्योरा

क्रम सं०	राजस्थान जिले का नाम	एसएफएमएसएस	एसएफएमएसएस पोर्ट्स	ईकेबीसी/ एफटीसी	ईकेबी	बी/एफएएक्स	एफटी तथा ईटीपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बंगलौर शहरी	1 (128-एल)	12	1	18	17	31
2.	बंगलौर ग्रामीण	–	–	–	15	7	6
3.	बीदर	–	1	1	27	1	1
4.	बेल्लारी	–	2	1	15	1	1
5.	कोप्पल	–	–	–	23	–	–
6.	बीजापुर	–	3	1	23	1	1
7.	बागलकोट	–	–	–	14	1	1
8.	बेगॉम	–	4	1	36	1	2
9.	चित्रदुर्ग	–	1	–	12	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	दावणगिरी	—	1	1	12	1	1
11.	चिकमंगलूर	—	1	1	23	1	1
12.	दक्षिण कन्नड़	—	7	1	37	1	3
13.	उडुपी	—	1	—	19	—	1
14.	धारवाड़	1 (64-एल)	6	1	38	1	4
15.	हावेरी	—	—	—	13	—	1
16.	गुलबर्ग	—	2	1	19	1	1
17.	हासन	—	1	1	12	1	1
18.	कोडगू	—	1	1	13	1	1
19.	कोल्लार	—	2	1	13	1	1
20.	मांडया	—	1	1	19	1	1
21.	मैसूर	—	3	1	33	1	8
22.	चमराजनगर	—	—	—	6	—	1
23.	रायचूर	—	3	1	23	1	1
24.	शिमोगा	—	2	1	28	1	2
25.	तुमकुर	—	2	1	21	1	2
26.	उत्तर कन्नड़	—	3	1	23	1	1
	जोड़	2	59	19	537	45	75

संक्षिप्तियां :

एसएफएमएसएस : स्टोर एंड फॉडवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम

एसएफएमएसएस पोर्ट : एसएफएमएसएस से/एसएफएमएसएस तक तार भेजने के लिए एक पीसी आधारित टर्मिनल

एफटीसी : फॉर्मेटेड टर्मिनल कन्सन्ट्रेटर

ईकेबीसी : इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सन्ट्रेटर

एफटी : फॉर्मेटेड टर्मिनल

ईटीपी : इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर

बी-फैक्स : ब्यूरो फैक्स

[हिन्दी]

उड़ीसा में डाकघरों/शाखा डाकघरों का खोला जाना

2525. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने नए डाकघरों और शाखा डाकघरों के खोलने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान उड़ीसा में नए डाकघर खोलने के योजना लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

	लक्ष्य	उपलब्धियां
विभागीय उप डाकघर	1	1
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	6	6

2004-05 में नए डाकघर खोलने के कोई योजना लक्ष्य नहीं दिए गए थे। हालांकि मौजूदा डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से 3 विभागीय उप डाकघर खोले गए।

(ग) और (घ) पिछले 2 वर्षों में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उड़ीसा में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्योरा

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिले का नाम	खोले गए डाकघर का प्रकार
1	2	3	4
	2003-2004		
1.	चंदनेश्वर	बालासोर	डी०एस०ओ०
2.	पोदामला	कटक	ई०डी०बी०ओ०
3.	सिलीपुर	केन्द्रपाड़ा	ई०डी०बी०ओ०
4.	रोक्सि	सुन्दरगढ़	ई०डी०बी०ओ०
5.	लुतुरपंका	सोनपुर	ई०डी०बी०ओ०
6.	कौडिया	गंजम	ई०डी०बी०ओ०
7.	डोरागुडा	मलकानगिरी	ई०डी०बी०ओ०
	2004-2005		
1.	बी०पी०यू०डी० कैम्पस, राउरकेला	सुन्दरगढ़	डी०एस०ओ०
2.	भरतपुर एम०सी०एल० प्रोजेक्ट एरिया	धेनकनाल	डी०एस०ओ०
3.	ब्रह्मणी तरंग, उदितनगर, राउरकेला	सुन्दरगढ़	डी०एस०ओ०

ई०डी०बी०ओ० – अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

डी०एस०ओ० – विभागीय उप डाकघर

[अनुवाद]

उड़ीसा में खेल-कूद छात्रावासों को बंद किया जाना

2526. श्री जुएल ओराम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थान-वार कितने खेल-कूद छात्रावास हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ छात्रावासों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) किन-किन खेल-कूद छात्रावासों को बंद किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण उड़ीसा में धनकनाल और कटक में खेल प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। इसके अतिरिक्त जगतपुर और सुंदरगढ़

में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों में खेल छात्रावास हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम

2527. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एच०आई०वी०/एड्स के बारे में जागरुकता पैदा करने हेतु स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम (एस०ए०ई०पी०) चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है;

(घ) क्या एस०ए०ई०पी० के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 1999 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को एच०आई०वी०/एड्स के बारे में निवारक शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, देश भर में इस कार्यक्रम को राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है और यह संगठन, राज्यों/संघ क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के बेहतर तालमेल से काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में छात्रों को एच०आई०वी०/एड्स शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण और पीयर एजुकेटर्स शामिल हैं। ये सत्र 'जीवन हेतु सीख' माड्यूल पर आधारित हैं और इसे शिक्षकों द्वारा पाठ्यचर्या ढंग से पूरा किया जाता है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण में संसाधन सहायता के रूप में शामिल किया जाता है। वे शिक्षा विभाग इत्यादि सहित विभिन्न विषयगत विभागों के साथ राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर परामर्शी कार्यशालाओं का संचालन करने में भी सहायता दे रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। छात्रों में सत्र चलाने में एक नोडल शिक्षक सहित प्रत्येक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में से दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन सत्रों में भूमिका नाटक (रोलप्लेज) वार्ताएं, वाद-विवाद प्रतियोगिता, अन्त प्रतियोगिताएं प्रश्न-डिब्बा, रेफरल सेवाओं इत्यादि तक पहुंच जैसे भागीदारी वाले कार्यकलाप शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

मोबाइल फोनों/संचार नेटवर्क उपकरण का निर्माण

2528. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड की कंपनी ने बंगलोर में मोबाइल फोनों और संचार नेटवर्क उपकरण निर्माण के लिए अपनी इकाई स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) कंपनी का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(घ) क्या अन्य देशों ने भी संचार नेटवर्क उपकरण के निर्माण हेतु अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि प्रदर्शित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इसके लिए कितने देशों को अनुमति दी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। मै० एल्कोटेड नेटवर्क कारपोरेशन, फिनलैंड की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मै० एल्कोटेक इलैक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा०लि०, ने बंगलोर में एक इलैक्ट्रोनिक विनिर्माणकारी सेवा (ई०एम०एस०) इकाई की स्थापना की है। कम्पनी द्वारा जिन उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा उनमें हैंडसैट, बेतार साधन (वॉयरलैस डिवाइस) तथा संचार नेटवर्क उपकरण शामिल हैं। एल्कोटेक सुविधा का उद्घाटन हाल ही में हुआ है, इसलिए कम्पनी के वार्षिक उत्पादन के बारे में बताना जल्दबाजी होगी।

(घ) से (च) स्वीडन, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, चीन इत्यादि देशों की कुछ कम्पनियों ने प्रचार तंत्र (मीडिया) के कतिपय घोषणा के द्वारा यह इच्छा जतायी कि वे भारत में दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण करना चाहती हैं। दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण करने के

लिए सरकार से किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्तरांचल में एन०एच०ए०आई० के कार्य में प्रगति

2529. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) के कार्यों में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु नई योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा उत्तर-दक्षिणी पूर्व-पश्चिमी कॉरीडोर कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरांचल में कोई कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक नई स्कीम एन०एच०डी०पी०-III के अंतर्गत है, रा०रा०-58 और रा०रा०-72 की लगभग 125 कि०मी० लंबाई का उन्नयन कार्य सुदृढ़ीकरण तथा चार लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है। यह स्कीम उन अन्य स्कीमों से अतिरिक्त है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य अनुरक्षण सहित वार्षिक योजना के जरिए सामान्य बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत हाथ में ली जा रही है।

विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

2530. श्री रबेन बर्मन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम आदि के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) शेष राशि, यदि कोई है, का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और विश्व बैंक इस परियोजना को प्रतिपूर्ति के जरिए उदार ऋण के रूप में सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने अब तक 191 मिलियन यू०एस० डालर के प्रतिबद्ध दायित्व की तुलना में 175 मिलियन यू०एस० डालर की प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। यह परियोजना 31.3.2006 को समाप्त हो जाएगी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :–

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	2002-03	225.00	242.00	240.00
2.	2003-04	225.00	225.00	231.75
3.	2004-05	259.00	426.00	422.00
4.	2005-06	553.50	–	174.27

गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को कम करना

2531. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना की कुल आवंटित राशि में से विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि का प्रतिशत कितना है;

(ख) गुजरात में इस समय विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर व्यय किए गए बजटीय आवंटन का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार द्वारा किया गया खर्च कुल योजना व्यय (प्रचलित मूल्यों पर) 24657.98 करोड़ रुपये था जिसमें से 24640.74 करोड़ रुपये विकासात्मक परियोजनाओं (आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं) के लिए था, जो कुल व्यय का 99.93 प्रतिशत था। गैर-विकासात्मक परियोजनाओं का व्यय की गई राशि 17.24 करोड़ रुपये थी, जो कुल व्यय का 0.07 प्रतिशत थी।

(ख) दसवीं योजना की प्रथम तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर हुए व्यय के योजना आवंटन का प्रतिशत क्रमशः 99.96 प्रतिशत और 0.04 प्रतिशत है।

(ग) जहां तक योजना व्यय का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय कॉल सुविधा के लिए मानदंड

2532. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में 100 किमी० क्षेत्र के दायरे में स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा दिल्ली और हरियाणा में भिवानी के बीच स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली और भिवानी के बीच की सीधी दूरी 100 किमी० से अधिक नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्थानीय कॉल सुविधा अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (जो एक तहसील प्ररूपी होता है) में प्रदान की जाती है। तदनुसार, दिल्ली और भिवानी के बीच स्थानीय कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्व अर्जन करने वाले गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

2533. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड देश में राजस्व अर्जन करने वाले सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2005 तक भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्व अर्जन करने वाले कितने गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध करायी है और आज की तिथि तक कितने गांव इस सुविधा से वंचित है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित छोटी बस्तियों में टेलीफोन सुविधा देने के लिए कोई कार्यक्रम/योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू०एस०ओ०) निधि के कार्यालय ने उन शेष 66822 टेलीफोन सुविधा रहित गांवों, जो विवाद रहित हैं और जिनकी प्रत्येक की आबादी 100 से अधिक है, में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लि० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना में पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव शामिल हैं।

जून 2005 तक 66822 गांवों में से 7295 गांवों को वी०पी०टी० की सुविधा दी गई है।

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, बी०एस०एन०एल० ने 5,18,992 गांवों को वी०पी०टी० की सुविधा प्रदान कर दी है। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, 59,527 गांवों को उक्त सुविधा नहीं दी गई है। इन गांवों को नवम्बर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा देने की योजना है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र एड्स दल का दौरा

2534. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र एड्स दल ने भारत का दौरान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) दौरे पर आए दल के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां।

यू०एन०ए०आई०डी०एस० के साऊथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रिजनल सपोर्ट टीम के निदेशक की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र दल ने 17-20 जुलाई, 2005 को भारत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य योजना प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने के लिए एन०ए०सी०पी० चरण-III के दल से मिलने और एड्स मृत्यु के अनुमानों के संबंध में विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठक में भाग लेना था।

इस दल ने एन०ए०सी०पी०-II की योजना में प्रगति के संबंध में एन०ए०सी०पी० चरण-III की योजना प्रक्रिया में सभी संभव तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

इस दल ने एड्स से होने वाली मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए प्रक्रिया विधि तैयार करने के वास्ते विशेषज्ञों की एक दिवसीय बैठक में भाग लिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख विशेषज्ञों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के बाद यह निर्णय किया गया कि देश में एड्स से होने वाली मौतों के अनुमान संबंधी आगे और क्रियाविधियां तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु अनुमान दल गठित किया जाएगा।

नया राष्ट्र स्वास्थ्य कार्यक्रम

2535. **श्री अनन्त नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का कार्यनिष्पादन कैसा है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य विशेषकर निर्धन एवं असुरक्षित लोगों को सुविधाजनक, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी एवं भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इस मिशन में पहुंच बढ़ाकर, सामुदायिक स्वामित्व एवं सेवाओं की मांग बढ़ाकर, प्रभावकारी सेवा प्रदानगी हेतु जन-स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करके, समानता एवं जवाबदेही बढ़ाकर एवं विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करके प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की बात कही गई है।

इस मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :–

- 8 ई०ए०जी० राज्यों, जम्मू व कश्मीर और असम में चार वर्षों में ग्राम स्तर पर 2.5 लाख स्वयंसेवकों, महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकताओं (आशा) का संवर्ग बनाना
- सभी राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य दलों का गठन एवं ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना
- सभी राज्यों में असंबद्ध (अनटाइड) निधियों से उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
- भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का सुदृढ़ीकरण
- सभी राज्यों में 2000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों का दर्जा बढ़ाकर इनको भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के स्तर का करना
- सभी राज्यों में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक समान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं सोसाइटियों का एकीकरण।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख स्कीमों के तहत राज्य-वार आबंटन

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 आबंटन	2003-04 आबंटन	2004-05 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	217.85	237.75	225.71
2.	आंध्र प्रदेश	1001.11	871.91	822.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	280.72	331.44	464.71
4.	असम	1626.32	2115.17	2233.50
5.	बिहार	1592.57	3025.40	4379.25
6.	चंडीगढ़	36.00	36.25	49.78
7.	छत्तीसगढ़	1917.27	2035.47	1848.70
8.	दादरा एवं नगर हवेली	34.33	42.32	40.09
9.	दमण व दीव	11.72	16.15	14.17
10.	दिल्ली	97.39	88.88	55.62
11.	गोवा	8.85	11.75	16.15
12.	गुजरात	882.21	771.41	655.72
13.	हरियाणा	71.32	109.32	95.33
14.	हिमाचल प्रदेश	3.06	7.00	16.00
15.	जम्मू व कश्मीर	11.94	45.63	70.23
16.	झारखंड	1246.54	1691.84	1846.74
17.	कर्नाटक	176.38	297.75	453.96
18.	केरल	12.69	28.76	78.00
19.	लक्षद्वीप	6.10	7.47	10.36
20.	मध्य प्रदेश	2013.06	1727.48	1709.78
21.	महाराष्ट्र	1221.56	1207.98	1084.86
22.	मणिपुर	121.36	126.44	190.06
23.	मेघालय	167.63	275.01	435.89
24.	मिजोरम	118.51	175.01	380.57
25.	नागालैंड	212.48	306.04	422.30
26.	उड़ीसा	2588.63	2907.85	2671.61
27.	पांडिचेरी	22.61	23.12	31.38
28.	पंजाब	70.79	89.89	63.16
29.	राजस्थान	1170.62	1484.83	1201.40
30.	सिक्किम	4.37	5.15	16.30
31.	तमिलनाडु	237.68	320.03	270.23
32.	त्रिपुरा	302.79	401.05	519.42
33.	उत्तर प्रदेश	235.83	720.19	870.14
34.	उत्तरांचल	7.84	7.60	48.20
35.	पश्चिम बंगाल	521.98	790.36	858.65
	कुल	18252.01	22339.70	24050.91

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 आबंटन	2003-04 आबंटन	2004-05 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार दीपसमूह	2.23	1.84	3.27
2.	आंध्र प्रदेश	1050.00	600.00	700.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	30.19	31.03
4.	असम	391.77	411.91	750.26

1	2	3	4	5
5.	बिहार	697.27	608.38	903.34
6.	चंडीगढ़	9.54	9.00	9.81
7.	छत्तीसगढ़	183.56	333.00	740.21
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1.48	1.23	2.18
9.	दमण व दीव	1.48	1.23	2.18
10.	दिल्ली	146.24	138.08	150.38
11.	गोवा	13.78	13.00	14.17
12.	गुजरात	536.22	506.38	551.33
13.	हरियाणा	179.75	619.00	200.00
14.	हिमाचल प्रदेश	64.64	41.03	66.47
15.	जम्मू व कश्मीर	95.28	86.71	110.06
16.	झारखंड	233.91	431.00	957.30
17.	कर्नाटक	534.01	497.42	574.26
18.	केरल	337.00	318.17	346.52
19.	लक्षद्वीप	1.06	1.00	1.09
20.	मध्य प्रदेश	592.09	545.77	658.17
21.	महाराष्ट्र	1025.81	968.53	1054.81
22.	मिजोरम	30.77	65.88	67.69
23.	मेघालय	31.74	45.92	64.87
24.	मणिपुर	11.82	22.56	25.38
25.	नागालैंड	25.64	54.90	56.41
26.	उड़ीसा	450.00	515.00	600.00
27.	पांडिचेरी	9.96	9.23	10.93
28.	पंजाब	227.65	206.68	264.79
29.	राजस्थान	598.74	565.31	615.67
30.	सिक्किम	6.41	13.72	14.10
31.	तमिलनाडु	658.09	621.34	676.69
32.	त्रिपुरा	33.57	68.49	90.26
33.	उत्तर प्रदेश	1586.38	1449.76	1809.96
34.	उत्तरांचल	67.21	136.00	302.49
35.	पश्चिम बंगाल	849.90	802.44	873.92
	कुल	10700.00	10760.00	13300.00

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 आवंटन	2003-04 आवंटन	2004-05 आवंटन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.22	0.50	1.39
2.	आंध्र प्रदेश	179.22	174.80	215.81
3.	अरुणाचल प्रदेश	115.96	72.75	60.32
4.	असम	97.48	93.28	3.57
5.	बिहार	855.85	413.77	523.52
6.	चंडीगढ़	10.13	10.50	2.49
7.	छत्तीसगढ़	354.41	305.60	311.31
8.	दादरा एवं नगर हवेली	6.00	6.00	2.27
9.	दमण व दीव	14.50	9.50	4.00
10.	दिल्ली	93.42	100.50	64.12
11.	गोवा	8.10	7.53	1.75
12.	गुजरात	99.65	38.21	139.77

1	2	3	4	5
13.	हरियाणा	43 89	2.16	25.05
14.	हिमाचल प्रदेश	30.45	36.15	37.20
15.	जम्मू व कश्मीर	96.39	21.90	3.90
16.	झारखंड	257.46	147.60	376.83
17.	कर्नाटक	122.66	70.46	75.81
18.	केरल	69.36	15.00	14.25
19.	लक्षद्वीप	7.26	5.50	0.58
20.	मध्य प्रदेश	676.61	225.91	304.96
21.	महाराष्ट्र	263.14	83.01	327.37
22.	मणिपुर	101.25	65.50	14.03
23.	मेघालय	46.24	1.89	1.17
24.	मिजोरम	76.50	22.50	30.00
25.	नागालैंड	112.44	83.00	83.53
26.	उड़ीसा	478.63	403.22	351.49
27.	पांडिचेरी	6.00	0.35	1.85
28.	पंजाब	40.27	25.19	37.06
29.	राजस्थान	52.32	23.42	90.68
30.	सिक्किम	39.36	23.54	14.55
31.	तमिलनाडु	240.63	230.02	52.64
32.	त्रिपुरा	33.60	3.50	31.86
33.	उत्तर प्रदेश	1503.04	1163.93	356.07
34.	उत्तरांचल	120.21	43.78	13.50
35.	पश्चिम बंगाल	593.55	413.47	135.88
	कुल	6877.20	4403.04	3760.58

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 आबंटन	2003-04 आबंटन	2004-05 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	89.50	100.00	180.50
2.	आंध्र प्रदेश	2080.00	2175.00	3052.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	130.50	150.00	285.50
4.	असम	614.50	475.00	1214.50
5.	बिहार	600.50	700.00	1079.50
6.	चंडीगढ़	156.50	225.00	228.50
7.	छतीसगढ़	243.50	250.00	429.50
8.	दादरा एवं नगर हवेली	17.00	67.00	76.00
9.	दमण व दीव	35.00	100.00	101.00
10.	दिल्ली	451.00	500.00	609.55
11.	गोवा	170.50	200.00	163.50
12.	गुजरात	1295.19	1477.62	1997.30
13.	हरियाणा	315.00	300.00	266.00
14.	हिमाचल प्रदेश	256.50	270.00	454.28
15.	जम्मू व कश्मीर	295.50	150.00	279.50
16.	झारखंड	193.00	200.00	256.00
17.	कर्नाटक	1025.00	1100.00	1664.50
18.	केरल	855.00	850.00	1104.00
19.	लक्षद्वीप	25.50	50.00	29.50
20.	मध्य प्रदेश	521.50	490.00	855.50

1	2	3	4	5
21.	महाराष्ट्र	2293.50	2120.00	3287.50
22.	मणिपुर	787.50	1100.00	1847.75
23.	मेघालय	90.50	50.00	15.50
24.	मिजोरम	311.50	450.00	571.50
25.	नागालैंड	626.50	675.00	1065.25
26.	उड़ीसा	448.00	500.00	530.00
27.	पांडिचेरी	74.00	100.00	114.00
28.	पंजाब	403.50	250.00	371.50
29.	राजस्थान	368.50	250.00	867.50
30.	सिक्किम	64.00	75.00	179.00
31.	तमिलनाडु	2221.95	2588.38	3893.34
32.	त्रिपुरा	71.00	75.00	221.00
33.	उत्तर प्रदेश	1674.50	700.00	1070.80
34.	उत्तरांचल	162.00	200.00	293.00
35.	पश्चिम बंगाल	1503.50	1200.00	2393.00
	कुल	20482.14	20163.00	31052.72

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 आबंटन	2003-04 आबंटन	2004-05 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.59	7.30	6.49
2.	आंध्र प्रदेश	834.82	450.43	327.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	16.22	36.04	57.24
4.	असम	35.70	100.09	63.77
5.	बिहार	157.97	258.00	95.90
6.	चंडीगढ़	10.07	19.58	12.15
7.	छत्तीसगढ़	165.23	186.59	290.81
8.	दादरा एवं नगर हवेली	4.16	7.87	1.05
9.	दमण व दीव	4.97	5.71	6.41
10.	दिल्ली	22.30	48.86	491.61
11.	गोवा	10.52	28.09	75.89
12.	गुजरात	231.45	377.45	477.75
13.	हरियाणा	45.36	147.90	173.95
14.	हिमाचल प्रदेश	54.11	98.22	175.91
15.	जम्मू व कश्मीर	66.79	94.50	201.23
16.	झारखंड	118.57	161.29	185.43
17.	कर्नाटक	368.30	651.75	499.47
18.	केरल	153.22	253.61	196.30
19.	लक्षद्वीप	1.56	6.04	4.81
20.	मध्य प्रदेश	667.29	457.16	880.84
21.	महाराष्ट्र	627.15	523.93	373.58
22.	मणिपुर	20.13	27.84	15.94
23.	मेघालय	25.12	33.39	41.92
24.	मिजोरम	31.72	25.13	17.30
25.	नागालैंड	23.22	15.18	21.24
26.	उड़ीसा	324.80	302.18	393.54
27.	पांडिचेरी	2.04	13.10	8.48
28.	पंजाब	189.25	136.55	49.23

1	2	3	4	5
29.	राजस्थान	526.93	328.01	641.44
30.	सिक्किम	20.56	23.36	7.54
31.	तमिलनाडु	1653.03	1495.29	1319.62
32.	त्रिपुरा	39.88	52.71	33.32
33.	उत्तर प्रदेश	1063.20	1001.44	1020.25
34.	उत्तरांचल	115.02	138.63	122.01
35.	पश्चिम बंगाल	305.12	385.99	271.23
	कुल	7937.37	7899.21	8118.29

विवरण-II

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

दसवीं योजना के दौरान राज्यवार एवं वर्ष-वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

राज्य	2002		2003*		2004	
	एबीईआर	एपीआई	एबीईआर	एपीआई	एबीईआर	एपीआई
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	44.42	1.90	43.04	1.95	आकलित नहीं	
आंध्र प्रदेश	12.42	0.54	14.11	0.51		
अरुणाचल प्रदेश	29.43	43.97	26.03	32.93		
असम	8.38	3.23	7.66	2.75		
बिहार	0.49	0.04	0.43	0.03		
चंडीगढ़	8.01	0.17	9.11	0.09		
छत्तीसगढ़	15.27	10.21	15.75	8.28		
दादरा एवं नगर हवेली	13.72	2.24	13.29	1.85		
दमण व दीव	14.30	1.08	13.36	0.87		
दिल्ली	8.30	0.11	8.71	0.06		
गोवा	20.71	12.74	21.11	8.61		
गुजरात	13.99	1.62	15.84	2.48		
हरियाणा	9.66	0.04	10.67	0.20		
हिमाचल प्रदेश	10.99	0.04	10.32	0.03		

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू व कश्मीर	7.72	0.10	7.26	0.06		
झारखंड	3.15	4.75	2.64	4.42		
कर्नाटक	18.46	2.60	18.90	1.94		
केरल	4.66	0.11	5.79	0.08		
लक्षद्वीप	3.10	0.13	3.11	0.10		
मध्य प्रदेश	13.59	1.71	13.78	1.53		
महाराष्ट्र	14.29	0.46	14.26	0.62		
मणिपुर	4.14	0.51	5.85	1.01		
मेघालय	11.52	8.77	8.63	7.96		
मिजोरम	26.97	9.65	22.33	8.05		
नागालैंड	3.01	1.98	3.33	1.69		
उड़ीसा	9.31	9.64	11.75	11.15		
पांडिचेरी	29.90	0.11	30.13	0.06		
पंजाब	10.80	0.01	10.53	0.02		
राजस्थान	10.08	1.22	13.87	2.53		
सिक्किम	9.80	0.38	6.94	1.97		
तमिलनाडु	11.40	0.56	12.14	0.69		
त्रिपुरा	7.69	4.17	7.91	4.33		
उत्तर प्रदेश	2.92	0.59	3.24	0.67		
उत्तरांचल	3.43	0.20	4.02	0.28		
पश्चिम बंगाल	4.70	2.34	5.04	2.78		
अखिल भारत	8.93	1.80	9.65	1.82		

*अनन्तिम

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य	2002-03				2003-04				2004-05			
	स्पूटम जांच		नए स्पूटम पाजीटिव वाले रोगियों का पता लगाना		स्पूटम जांच		नए स्पूटम पाजीटिव वाले रोगियों का पता लगाना		स्पूटम जांच		नए स्पूटम पाजीटिव वाले रोगियों का पता लगाना	
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां लक्ष्य	वार्षिक	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	303320	432898	30332	50645	349535	462679	34954	48644	454380	638461	45438	62148
अरुणाचल प्रदेश	3815	8557	382	696	3815	9984	382	748	6540	17654	654	1131
असम	94995	23215	9500	3542	94995	25305	9500	3808	120490	101681	12049	9831
बिहार	306835	43200	30684	4320	306835	46380	30684	5174	319330	198314	31933	18315
छत्तीसगढ़	72800	43490	7280	3010	86420	55157	8642	5878	96300	67813	9630	7184
गोवा	4690	10396	469	564	4690	10795	469	586	4690	7615	469	554
गुजरात	248875	129064	24888	28291	248875	219290	24888	39344	303960	309484	30396	46813
हरियाणा	81475	111343	8148	19566	81475	109326	8148	18544	126000	184681	12600	21464
हिमाचल प्रदेश	30400	45890	3040	4589	30400	53718	3040	6641	36480	67384	3648	7381
जम्मू कश्मीर	35245	53137	3525	772	35245	48085	3525	963	35245	49831	3525	3164
झारखण्ड	101505	26258	10151	4958	106110	29383	10611	5880	122185	86741	12219	7458
कर्नाटक	217240	259848	21724	26544	243715	314806	24372	32461	306805	416581	30680	39841
केरल	159200	103220	15920	10322	159200	129239	15920	11314	191040	173181	19104	14431
मध्य प्रदेश	221115	254787	22112	27288	231675	251592	23168	28735	323615	378164	32362	39461
महाराष्ट्र	450495	431668	45050	47498	452940	521616	45294	48543	580500	583451	58050	59370
मणिपुर	11950	16255	1195	1892	11950	15208	1195	1512	14340	15322	1434	1384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मेघालय	8035	5366	809	887	8085	6319	809	958	13860	11831	1386	1684
मिजोरम	3115	3623	312	486	3115	4438	312	559	5340	5338	534	981
नागालैंड	6965	3988	697	640	7430	6172	743	752	11715	10813	1172	1283
उड़ीसा	149275	96110	14928	9611	149275	102273	14928	10680	220260	198613	22026	16215
पंजाब	87775	118303	8778	9033	107275	80238	10728	6052	123515	114531	12352	8341
राजस्थान	282350	370110	28235	37011	282350	342579	28235	33815	338820	476936	33882	38461
सिक्किम	2700	7229	270	625	2700	6445	270	605	3240	7135	324	811
तमिलनाडु	310550	520259	31055	29313	310550	543498	31055	31839	372660	658931	37266	35413
त्रिपुरा	11165	12344	1117	719	11165	13013	1117	828	11165	12864	1117	984
उत्तरांचल	29680	48911	2968	3989	32545	36471	3255	1907	34680	38641	3468	2243
उत्तर प्रदेश	612030	696659	61203	65832	651435	672880	65144	59528	797175	733892	79718	82755
पश्चिम बंगाल	388980	318410	38898	31841	394890	350013	39489	32937	481320	407318	48132	38641
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1260	4551	126	232	1260	3735	126	211	1260	3719	126	234
चंडीगढ़	4500	5583	450	906	4500	8810	450	1196	5400	12374	540	1291
दादरा व नगर हवेली	770	1527	77	110	770	1517	77	92	770	1460	77	94
दमन एवं द्वीव	560	1360	56	138	560	1242	56	190	560	1188	56	114
दिल्ली	68900	102660	6890	21000	68900	89876	6890	16240	82680	155778	8268	23869
लक्षद्वीप	210	342	21	4	210	373	21	5	210	845	21	3
पांडीचेरी	3395	16615	340	1507	3395	16707	340	1300	5820	21451	582	1543
कुल	4316220	4327176	431622	448381	4488285	4589162	448829	458469	5552350	6170016	555238	594890

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

रोगी का पता लगाने और डिस्चार्ज करने से संबंधित राज्यवार एवं वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि
(वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05)

क्रम सं०	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05*	
		पता लगाया गया ए०सी०एच०	डिस्चार्ज	पता लगाया गया ए०सी०एच०	डिस्चार्ज	पता लगाया गया ए०सी०एच०	डिस्चार्ज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	39115	43579	31816	36671	18751	28055
2.	अरुणाचल प्रदेश	126	159	104	125	66	79
3.	असम	1570	2322	1331	1569	1227	1336
4.	बिहार	94561	113399	65019	95539	40395	68214
5.	गोवा	294	103	320	485	13110	18034
6.	गुजरात	11564	11481	10229	10675	290	353
7.	हरियाणा	718	814	643	716	6900	10195
8.	हिमाचल प्रदेश	280	258	308	289	449	503
9.	जम्मू व कश्मीर	572	641	356	623	252	286
10.	कर्नाटक	13071	15561	10598	13209	19131	22944
11.	केरल	2512	2624	1891	2449	293	316
12.	मध्य प्रदेश	16570	18377	12639	14397	7850	13671
13.	महाराष्ट्र	48549	51187	44192	44375	1500	1845
14.	मणिपुर	103	158	53	107	7626	11773
15.	मेघालय	78	62	17	71	32618	45602
16.	मिजोरम	23	47	16	17	41	46
17.	नागालैंड	58	77	55	63	27	17
18.	उड़ीसा	36349	44018	21201	35479	18	18
19.	पंजाब	1356	1464	1345	1319	59	54
20.	राजस्थान	2212	2791	2000	3414	20595	25652
21.	सिक्किम	46	75	47	44	1173	1344

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	24767	32209	16051	21936	1299	1594
23.	त्रिपुरा	80	152	93	104	39	53
24.	उत्तर प्रदेश	90586	104570	80072	89144	11244	14609
25.	पश्चिम बंगाल	32243	43248	25050	21159	60	105
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	60	99	55	74	48310	76701
27.	चंडीगढ़	323	427	346	295	1280	1656
28.	दादरा व नगर हवेली	268	400	616	427	20891	28607
29.	दमण व दीव	19	39	5	9	48	41
30.	दिल्ली	5975	5557	5362	5649	289	294
31.	लक्षद्वीप	27	26	4	17	195	440
32.	पांडिचेरी	225	358	226	270	2	3
33.	झारखंड	26982	46362	17719	24290	4221	5315
34.	छत्तीसगढ़	18468	25916	15385	17949	3	14
35.	उत्तरांचल	2216	2503	1917	2346	106	162
	कुल	476000	571068	367143	445365	260063	376934

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

मोतियाबिन्द सर्जरी संबंधी कार्य निष्पादन

क्रम सं०	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005*	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
बड़े राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	350000	404002	350000	443091	400000	457069
2.	बिहार	140000	63927	140000	87876	100000	86182
3.	छत्तीसगढ़	80000	56451	80000	64196	80000	84388
4.	गोवा	7000	5294	7000	5497	7000	5913
5.	गुजरात	400000	436740	400000	449234	450000	490205

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	110000	90665	110000	104375	110000	75239
7.	हिमाचल प्रदेश	16000	16226	16000	18343	16000	14059
8.	जम्मू व कश्मीर	13000	11553	13000	10712	13000	7663
9.	झारखंड	70000	29544	70000	28054	70000	30000
10.	कर्नाटक	220000	244699	220000	263613	250000	239802
11.	केरल	90000	83345	90000	79696	100000	74127
12.	मध्य प्रदेश	240000	224049	240000	233870	250000	220646
13.	महाराष्ट्र	420000	480356	420000	519561	500000	537256
14.	उड़ीसा	130000	81619	130000	82652	130000	80712
15.	पंजाब	160000	122670	160000	133376	160001	137270
16.	राजस्थान	220000	188747	220000	226829	230000	260033
17.	तमिलनाडु	400000	371559	400000	452650	440000	478826
18.	उत्तर प्रदेश	450000	551516	450000	567718	450000	466147
19.	उत्तरांचल	100000	34703	100000	37105	60000	34641
20.	पश्चिम बंगाल	220000	233382	220000	249895	220000	181028
	कुल	3836000	3731047	3836000	4058343	4036000	3961206
पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	1000	532	1000	654	1000	776
2.	असम	45000	20889	45000	23063	45000	9809
3.	मणिपुर	2000	722	2000	553	2000	604
4.	मेघालय	2000	824	2000	1283	2000	827
5.	मिजोरम	800	733	800	796	800	859
6.	नागालैंड	500	400	500	429	500	365
7.	सिक्किम	1000	376	1000	253	1000	241
8.	त्रिपुरा	8000	8270	8000	8098	8000	5186
	कुल	60300	32746	60300	35139	60300	18667

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	530	500	693	500	739
2.	चंडीगढ़	5500	5560	5500	6320	5500	5748
3.	दादरा व नगर हवेली	330	500	330	250	330	2
4.	दमण व दीव	350	372	350	372	350	305
5.	दिल्ली	80000	73391	80000	79994	80000	60764
6.	लक्षद्वीप	20	8	20	87	20	1
7.	पांडिचेरी	7000	7397	7000	9969	7000	9885
	कुल	93700	87758	93700	97685	93700	77444
	ई०एस०आई०ए०एफ०, सी०आर०	10000	5582	10000	6442	10000	4950
	कुल योग	4000000	3857133	4000000	4197609	4200000	4062267

*अंतिम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 2001-02 में राज्य-वार उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	एस०टी०डी० क्लिनिकों की संख्या	टी०आई० परियोजनाओं की संख्या	बी०सी०टी०सी० की संख्या	प्रमुख रक्त बैंकों की संख्या	जिला रक्त बैंकों की संख्या	जेड०बी०टी०सी० की संख्या	ग्रहरी स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	3	3	1	1	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	28	103	30	21	40	12	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	4	1	4	1	3
4.	असम	7	10	9	3	15	3	5
5.	बिहार (झारखंड सहित)	21	1	15	9	42	9	12
6.	चंडीगढ़	3	6	3	2	1	1	3
7.	छत्तीसगढ़							
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	1	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	दमण व दीव	0	0	1	1	0	0	2
10.	दिल्ली	11	10	7	2	14	5	9
11.	गोवा	4	6	2	2	1	2	5
12.	गुजरात	31	70	20	13	42	6	15
13.	हरियाणा	11	9	6	4	14	4	7
14.	हिमाचल प्रदेश	20	4	5	3	6	2	12
15.	जम्मू व कश्मीर	10	1	8	7	6	2	5
16.	झारखण्ड			33			0	
17.	कर्नाटक	34	18	33	13	39	9	18
18.	केरल	24	35	14	14	21	5	6
19.	लक्षद्वीप	1	0	1	0	1	3	0
20.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	50	10	20	9	39	10	24
21.	महाराष्ट्र	34	46	33	30	41	7	34
22.	मणिपुर	9	17	10	2	0	1	13
23.	मेघालय	6	3	3	1	2	1	5
24.	मिजोरम	8	8	5	4	1	0	6
25.	नागालैंड	8	15	9	1	8	3	7
26.	उड़ीसा	19	8	5	7	39	4	11
27.	पांडिचेरी	5	1	1	2	1	1	4
28.	पंजाब	7	6	6	12	25	3	7
29.	राजस्थान	24	12	8	8	11	6	12
30.	सिक्किम	2	3	2	1	1	1	3
31.	तमिलनाडु	53	103	38	28	67	19	17
32.	त्रिपुरा	3	8	2	6	1	0	3
33.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	44	16	20	22	47	13	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	उत्तरांचल			10				
35.	पश्चिम बंगाल	30	37	10	15	61	9	15
	कुल	516	571	377	245	591	144	307

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर कैटलपास/अंडरपास

2536. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर हवेरी जिला के टोटाड यल्लापुर गांव के सामने कैटलपास और अंडरपास उपलब्ध नहीं करा रहा है;

(ख) क्या अब बनाया गया 'अंडरपास' एक नाला में है जो लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष जांच/तकनीकी समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सं०-4 पर हवेरी जिला के टोटाड यत्तनापुर गांव (331.200 कि०मी०) के समीप निम्नलिखित पहुँच मार्ग और क्रॉसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं :–

(1) 331+447 कि०मी० पर 3.5 × 3.5 मीटर का भूमिगत मार्ग।

(2) 332+250 कि०मी० पर छोटा पुल।

(3) 332+765 कि०मी० पर वाहनों के लिए भूमिगत मार्ग।

(ख) जी, नहीं। बैलगाड़ियों के आवागमन को सुगम बनाने की सार्वजनिक मांग पर, कार्ट ट्रैक के साथ एक भूमिगत मार्ग का निर्माण किया गया है। भारी वर्षा की अवधि के दौरान यदि ट्रैक पर बाढ़ के पानी से भर जाता है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में भूमिगत मार्ग का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्षा ऋतु के अलावा वर्ष की अन्य सभी ऋतुओं में भूमिगत मार्ग का अपने अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 77 को चार लेन वाली सड़क बनाना

2537. श्री सीता राम यादव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 77 को चार लेन वाली सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, हां। रा०रा०-77 के हाजीपुर- मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा खण्ड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए शामिल किया है।

(ख) रा०रा०-77 के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड को चार लेन का बनाने के लिए बी०ओ०टी० बोली आमंत्रित की गई थी लेकिन दिनांक 31.05.2005 तक किसी भी उद्यमी से कोई उत्तर नहीं मिला यद्यपि बोली लगभग 11 महीनों तक खुली रखी गई। मुजफ्फरपुर-सोनवर्षा खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसलिए, इस परियोजना के समापन की कोई समय-सीमा इंगित करना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों में सिंचाई सुविधाएं

2538. श्री परसुराम माझी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या लक्ष्य तय किया गया है; और

(ख) 31 मार्च, 2005 की समाप्ति तक इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी उपलब्धि हासिल की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) दसवीं योजना के प्रारंभ में राज्य सरकारों के प्रक्षेपणों के आधार पर यह आशा की गई थी कि योजना के दौरान 16.744 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई की संभाव्यता का सृजन हो सकेगा। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एम०टी०ए०) के दौरान लक्ष्य घटाकर 10.5 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया जो कि दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में वास्तविक/संभावित निष्पादन के आधार पर था जिसके दौरान 5.497 मिलियन हेक्टेयर संभाव्यता सृजित होने की आशा थी। मूल लक्ष्य और उपलब्धियों की राज्यवार स्थिति का विवरण संलग्न है।

विवरण

(संभाव्यता 000 हेक्टे० में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	संभाव्यता सृजन हेतु दसवी योजना का लक्ष्य	मार्च 2005 के अंत तक संभावित उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	935.28	449.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	14.79
3.	असम	232.20	104.78
4.	बिहार	1213.02	445.6
5.	छत्तीसगढ़	360.00	257.1
6.	गोवा	31.20	11.92
7.	गुजरात	1968.00	212.38
8.	हरियाणा	161.50	53.89
9.	हिमाचल प्रदेश	18.00	6.89
10.	झारखंड	371.93	77.315
11.	जम्मू व कश्मीर	48.50	22.66
12.	कर्नाटक	1221.18	564.38
13.	केरल	140.00	67
14.	मध्य प्रदेश	390.30	344.72
15.	महाराष्ट्र	2434.43	443.3
16.	मणिपुर	42.60	10.2
17.	मेघालय	12.50	6.49
18.	मिजोरम	1.66	0.81
19.	नागालैंड	9.43	5.89
20.	उड़ीसा	597.44	234.54
21.	पंजाब	160.30	31.78
22.	राजस्थान	463.80	211.45
23.	सिक्किम	5.00	2
24.	तमिलनाडु	18.40	25.63
25.	त्रिपुरा	42.90	25.11
26.	उत्तर प्रदेश	4617.56	1571.9
27.	उत्तरांचल	18.08	17.38
28.	पश्चिम बंगाल	1200.00	271.52
29.	केन्द्र शासित प्रदेश	5.38	6.82
	कुल	16744.59	5497.96

कांगो में शांति सेना की तैनाती

2539. श्री के०सी० पलनिसामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कांगो में और अधिक शांति सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) वहां पहले से ही तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) 2002 में कॉंगोलीस दलों द्वारा सम्पन्न, संक्रमण काल से सम्बद्ध वैश्विक और समग्र करार के अनुसार 2005 के अंत से पूर्व कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। आने वाले कार्य के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (एम०ओ०एन०यू०सी०) में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन की वर्तमान सेना को अपर्याप्त मानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यू०एन०एस०सी०) ने 26 मई, 2005 की अपनी विशेष रिपोर्ट में मुख्य रूप से चुनावों के लिए एम०ओ०एन०यू०सी० में एक अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती की सिफारिश की थी। यू०एन०एस०जी० की सिफारिश और सैनिकों की वृद्धि किये जाने के लिए सुरक्षा परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने भारत से जानना चाहा था कि क्या भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अतिरिक्त शांति सेना उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा। सैद्धांतिक रूप से भारत सरकार ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति सेना को सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा जताई है।

(ग) फिलहाल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के 3551 सैनिक तैनात हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2540. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दिशानिर्देशों के कब तक अमल में लाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। निर्णय की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन०सी०एम०पी०) में घोषणा की गयी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) को बढ़ावा देना जारी रहेगा और इसकी मांग विशेष रूप से अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्र में की जाती रहेगी। दूरसंचार क्षेत्र इस कसौटी पर खरा उतरता है और तदनुसार तत्संबंधी पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार करने के पश्चात, प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 49 प्रतिशत बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मार्गनिर्देशों का शीघ्र परिचालन किए जाने की संभावना है।

विवरण

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02.02.2005 को दूरसंचार क्षेत्र में सकल विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। इस निर्णय से दूरसंचार क्षेत्र की कतिपय सेवाओं जैसे बुनियादी, सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाओं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं (पी०एम०आर०टी०एस०), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सेवाओं (जी०एम०पी०सी०एम०) और अन्य मूल्ययोजित सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मौजूदा अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है।

संयुक्त विदेशी होल्डिंग (जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों, अमेरिकी डिपोजिटरी रिसीप्ट्स (ए०डी०आर०), ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट्स (जी०डी०आर०), परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों, भारतीय प्रवर्तक/निवेशक कंपनियों (जिनमें उनकी नियंत्रक कंपनियां शामिल है) आदि द्वारा निवेश शामिल है, किंतु वह उनके निवेश तक ही सीमित नहीं है, 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 74 प्रतिशत विदेशी निवेश प्रचालनकर्ता कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अथवा किसी होल्डिंग कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है। अत: शेष 26 प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों या किसी भारतीय कंपनी के हाथ में होगा (अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से अधिक नहीं होगा और प्रबंधन भारतीय स्वामियों के हाथ में होगा)। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भारतीय कंपनी का आनुपातिक विदेशी निवेश घटक भी 74% की अधिकतम सीमा के भीतर ही गिना जाएगा। लाइसेंसधारी कंपनी के लिए ऐसी विदेशी होल्डिंग की हैसियत स्पष्ट करना अपेक्षित होगा और वह कंपनी अर्धवार्षिक आधार पर यह प्रमाणित करेगी कि विदेशी निवेश 74% की अधिकतम सीमा के भीतर है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाते समय, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। मुख्य शर्तें ये हैं :—

(क) निदेशक मंडल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित अधिकांश निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे। शेयरधारक करार (एस०एच०ए०) में इस शर्त को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा और इसमें लाइसेंस करार के अनुपालन की शर्तों पर भी विचार किया जाएगा।

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु कि निवेश के प्रति गंभीर कम-से-कम एक निवासी भारतीय प्रवर्तक, निवासी भारतीय शेयर होल्डिंग की समुचित राशि का निवेश करे, इसके लिए ऐसे निवासी भारतीय प्रवर्तक के पास लाइसेंसधारक कंपनी की कम-से-कम 10 प्रतिशत इक्विटी होगी।

(ग) मुख्य तकनीकी अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक हों। लाइसेंसदाता/दूरसंचार विभाग को ऐसी कंपनी में निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा धारित किए जाने वाले किसी प्रमुख पद को अधिसूचित करने का भी अधिकार होगा।

(घ) भारत के भीतर के उपभोक्ताओं द्वारा भारत के भीतर के उपभोक्ताओं तक कोई ट्रैफिक (मोबाइल और लैंडलाइन) भारत के बाहर किसी स्थान पर जाने नहीं दिया जाएगा।

(ङ) कंपनी भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को निम्नलिखित सूचना अन्तरित नहीं करेगी :–

(i) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन संबंधी सूचना (सिवाय रौमिंग/बिलिंग के) (टिप्पणी : यह कानूनी अपेक्षा वाले वित्तीय स्वरूप के प्रकटन पर रोक नहीं लगाता है);

(ii) प्रयोक्ता सूचना (सिवाय रोमिंग के समय भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए विदेशी उपभोक्ता से संबंधित सूचना); और

(iii) अपने संरचना नेटवर्क आरेख के ब्योरे दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ता/निर्माता, जो गैर-प्रकटन करार पर हस्ताक्षर करते समय लाइसेंसधारक कंपनी की संरचना की संस्थापित, चालू आदि करता है, को छोड़कर।

ये शर्तें, 49 प्रतिशत की मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा के सहित दूरसंचार सेवा (सेवाओं) का प्रचालन कर रही कंपनियों पर भी लागू होंगी। उपर्युक्त व्यवस्था से निवेशक कंपनी के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में किए गए मौजूदा प्रावधान, दूरसंचार क्षेत्र पर अब लागू नहीं रहेंगे। चूंकि लाइसेंसधारक कंपनी में विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश को भी 74 प्रतिशत की सीमा तक समझा जाएगा।

सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर ध्यान रखने के लिए अभी लगाई जा रही लाइसेंस शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर, कंपनी को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया माना जाएगा और लाइसेंसदाता को निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाने का अधिकार होगा तथा लाइसेंसदाता किसी भी प्रकार के नुकसान के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त लाभार्थियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति

2541. श्री बालेश्वर यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० के अंतर्गत सेवानिवृत्त लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले एक साल से भी अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इनमें से अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के शेष मामलों के अब तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कतिपय सी०जी०एच०एस० औषधालयों विशेषत: तिमारपुर और यमुना विहार में मांग पत्र पर दी जाने वाली दवाओं की आपूर्ति हेतु किसी निजी दवा विक्रेता को गत एक वर्ष से ठेका नहीं दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मांग पत्र पर दवा की आपूर्ति के कब तक सामान्य होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में 87 एलोपैथिक औषधालय कार्य कर रहे हैं (मोतीनगर, शकूरबस्ती और पुलबंगस औषधालय अस्थाई रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं) जिनमें से निम्नलिखित औषधालयों के इस समय उनके सामने दी गई अवधि से अधिकृत स्थानीय केमिस्ट नहीं हैं :–

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का नाम	तारीख जब से स्थानीय केमिस्ट उपलब्ध नहीं हैं
1.	आर०के० पुरम, से०-III	1.6.2005
2.	आर०के० पुरम, से०-XII	1.6.2005
3.	कालका जी-II	1.6.2005
4.	एम०बी० रोड	1.6.2005
5.	एंड्रूज गंज	1.6.2005
6.	किदवई नगर	1.6.2005
7.	लक्ष्मीबाई नगर	1.6.2005
8.	अलीगंज	1.6.2005
9.	नेताजी नगर	1.6.2005
10.	चाणक्यपुरी	1.6.2005
11.	तिमारपुर औषधालय/अस्पताल	1.6.2005
12.	कालकाजी-I	एक वर्ष से अधिक
13.	फरीदाबाद	एक वर्ष से अधिक

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आसपास के केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के स्थानीय केमिस्टों को उक्त औषधालयों को लोकल परचेज इंडेंट मेडिसिन की आपूर्ति करने के संबंध में अपनी इच्छा बतलाने के संबंध में पत्र लिखे हैं।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों की भर्ती

2542. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०एस०एन०एल० अपने खेल-कोटा के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करती है;

(ख) यदि हां, तो बी०एस०एन०एल० द्वारा आरंभ से अब तक विभिन्न खेल-कूद में विशेषत: हॉकी के कितने खिलाड़ियों की भर्ती की गयी है;

(ग) क्या बी०एस०एन०एल० ने खिलाड़ियों की भर्ती करते समय राष्ट्रीय खेल हॉकी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बी०एस०एन०एल० का अपने खेल-कोटा के अंतर्गत हॉकी खिलाड़ियों को भर्ती करने की क्या योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक विभिन्न खेलों के लिए भर्ती किए गए खिलाड़ियों की संख्या लगभग 100 है। तथापि, हॉकी में किसी भी खिलाड़ी की भर्ती नहीं की गई है।

(ग) जिन खेलों के खिलाड़ियों की भर्ती की जानी थी उनमें हॉकी को शामिल नहीं किया गया था।

(घ) वर्ष 2002 में, हमने सर्किलों को वर्ष 2005 तक प्रत्येक वर्ष 5 खिलाड़ियों को भर्ती करने की अनुमति दी है। जिन 12 खेलों के लिए बी०एस०एन०एल० द्वारा भर्ती की जा रही थी उनमें हॉकी को शामिल नहीं किया गया था।

(ङ) 14 दिसम्बर, 2004 को आयोजित बी०एस०एन०एल० की खेल तथा सांस्कृतिक बोर्ड की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन खेलों में भर्ती की जानी है उनकी कुल संख्या 12 तक सीमित होगी और सर्किल हॉकी या फुटबाल में भर्ती कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की स्थिति

2543. श्री रायापति सांबासिवाराव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2002 के अनुसार आंध्र प्रदेश की स्थिति 1981 में आठवें से गिरकर 2001 में दसवें स्थान पर पहुंच गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केन्द्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश विशेषत: साक्षरता, विद्यालयी शिक्षा और शिशु मृत्युदर में पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश की स्थिति जो वर्ष 1981 में 9 थी, वर्ष 2001 में गिरकर 10 हो गई है।

(ख) आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केन्द्र (सी०ई०एस०एस०) की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश मानव विकास सूचकों, विशेषत: साक्षरता, स्कूली शिक्षा और शिशु मर्त्यता में अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में पीछे हैं।

(ग) उपर्युक्त को व्यापक रूप से सामाजिक क्षेत्रक व्यय (जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शामिल है), जी०डी०पी० के प्रतिशत और 1980 की तुलना में 1990 में किए गए कुल सार्वजनिक व्यय में कमी का उत्तरदायी माना गया है।

[हिन्दी]

भूमि घोटाले के मामले को सी०बी०आई० को सौंपा जाना

2544. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर/नोएडा में धोखाधड़ी पूर्वक ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी मामले को सी०बी०आई० को सौंपने का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी०बी०आई० ने उक्त जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार जांच की स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन करते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संदर्भ भेजे जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 15.07.2005 को आर०सी० संख्या 0072005ए0019 दर्ज किया है। आरोप यह है कि 91 व्यक्तियों ने, राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से, भ्रष्ट तरीके अपना कर ग्राम कसना के किसानों और ग्राम सभा की कुल जमीन के पट्टों में जालसाजी की और अपने नाम ग्राम कसना, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिए। यह मामला अभी जांच के प्रथम चरण में है।

सी०जी०एच०एस० औषधालयों में प्रयोगशाला सुविधाओं की व्यवस्था

2545. **श्री संतोष गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० औषधालयों में विशेषत: दिल्ली के औषधालयों में एक्स-रे, ई०सी०जी०, अल्ट्रासाऊंड और अन्य परीक्षण जैसे प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औषधालयवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार योजना, दिल्ली के औषधालयों में एक्स-रे, ई०सी०जी०, अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच जैसी सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश सुविधाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डधारकों के लिए सी०जी०एच०एस० पॉलिक्लिनिकों, सरकारी अस्पतालों और सी०जी०एच०एस०, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों में उपलब्ध हैं। सी०जी०एच०एस० पॉलिक्लिनिकों के अतिरिक्त, सामान्य प्रयोगशाला जांचें/परीक्षा सी०जी०एच०एस० दिल्ली के अंतर्गत उनतीस एलोपैथिक औषधालयों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

कृषि पर पूंजीगत व्यय

2546. **श्रीमती निवेदिता माने** :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत की तुलना में कृषि पर पूंजीगत व्यय घट कर वर्ष 2004 में 0.4 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि पर पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित और प्रकाशित भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी के अनुसार कृषि और सम्बद्ध सेवाओं पर

पूंजीगत व्यय वर्ष 1981-82 में प्रचलित मूल्यों पर बाजार में सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2003-04 में 0.2 प्रतिशत था। ये आंकड़े प्रश्न में उल्लिखित आकड़ों से काफी भिन्न हैं। इससे पता चलता है कि कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों में सार्वजनिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण से संबंधित प्रश्न के आंकड़े, जो कि प्रचलित मूल्यों पर बाजार में जी०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में है, वस्तुतः 1981-82 में 1.2 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2002-03 में 0.4 प्रतिशत हो गया है।

(ख) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में गिरावट का एक प्रमुख कारण केन्द्र और राज्यों दोनों के संसाधन दबाव के कारण विशेष रूप से सिंचाई के क्षेत्र में पूंजी निर्माण के लिए अपर्याप्त निवेश रहा है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि और सिंचाई के अंतर्गत सार्वजनिक निवेश में अधिक वृद्धि करने की सिफारिश की गई है।

दवाओं के विज्ञापन हेतु नई आचार संहिता

2547. श्री मदन लाल शर्मा :

श्री अनंत गुढे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दवाओं के विज्ञापन हेतु नई आचार संहिता बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या देश में दवाओं के जिम्मेदाराना विज्ञापन हेतु सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

निर्धारित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को निधियां

2548. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार समय पर राज्यों को निधियां देने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अगले वर्ष से इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) से (ङ) जी, हां। योजना आयोग और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला आबंटन निम्नानुसार अनुसूचित किया गया है :—

क्रम सं०	मदें	आबंटन की अनुसूची
1	2	3
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	राज्य सरकारों द्वारा विभागीय/प्रत्याशित व्यय के आधार पर जारी की जा रही आखिरी किस्त सहित बारह बराबर मासिक किस्तें।
2.	केन्द्रीय करों में शेयर	संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर मार्च में जारी की जा रही अन्तिम तीन किस्तों सहित चौदह बराबर मासिक किस्तें।
3.	गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान	बारह मासिक बराबर किस्तें।

1	2	3
4.	लघु बचत ऋण	राज्य सरकारों द्वारा निवल लघु बचत संग्रह के आधार पर बाहर मासिक किस्तें।
5.	अन्य योजना स्कीमों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	उपयोग के संबंध में अनुभव के आधार पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की सिफारिशों पर।
6.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आबंटन सहायता लेखानियंत्रक और प्रतिपूर्ति/सीधे भुगतान आधार संबंधी लेखा-परीक्षा की सिफारिशों पर किया जाता है।

प्रशासनिक सुधार

2549. **श्री काशीराम राणा :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार संबंधी कोई समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली की पुनर्संरचना करने हेतु एक विस्तृत नक्शा तैयार करने के लिए दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। यह आयोग भारत सरकार के संगठनात्मक ढ़ांचे का अध्ययन करेगा एवं एक कुशल, किफायती, संवेदनशील, स्वच्छ, सकारात्मक एवं उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र के ढ़ांचे को सुदृढ़ीकृत करने से संबंधित अपनी सिफारिशें देगा। इसी बीच अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने निष्पादन आकलन रिपोर्ट को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जिसमें वरिष्ठ सिविल सेवकों को निपुणताओं एवं सक्षमताओं को प्रवृद्ध करने एवं निष्पक्ष एवं सकारात्मक प्रोत्साहन योजना को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवकों, अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण का सकारात्मक मूल्यांकन किया जायेगा। इन परिवर्तनों को अगले वर्ष राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् लागू किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामलों में आई०पी०एस० अधिकारियों का शामिल होना

2550. **श्री प्रदीप गांधी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आई०पी०एस० अधिकारियों में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार देश भर में कितने आई०पी०एस० अधिकारी राज्यवार भ्रष्टाचार के आरोप में, सी०बी०आई० जांच का सामना कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सुलभ करवाई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पड़ताल का सामना कर रहे हैं। इनके संबंध में राज्यवार ब्योरा निम्नानुसार है :–

मणिपुर-त्रिपुरा	–	1
सिक्किम	–	1
तमिलनाडु	–	4
उत्तरांचल	–	2

ये आंकड़े भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच अत्यधिक भ्रष्टाचार नहीं दर्शाते।

(ग) लोक सेवकों के मामले में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र को सुदृढ़ करना, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के आशय से प्रशिक्षण माड्यूल शुरू करना, सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन, विसल ब्लोअर्स संकल्प की अधिसूचना, ई-शासन का व्यापक प्रयोग और नागरिक चार्टर इत्यादि शुरू करना शामिल है।

एच०आई०वी०/एड्स परियोजना

2551. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०आई०वी०/एड्स परियोजना हेतु प्राप्त ग्लोबल फंड की पहली किस्त का उपयोग गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) क्या एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर (ए०आर०सी०ओ०एन०) मुम्बई को धनराशि प्राप्त हो गई है और उनकी योजना कार्यान्वयन के दूसरे चरण को शुरू करने की है;

(ग) यदि हां, तो ए०आर०सी०ओ०एन० परियोजना के कार्यान्वयन में नाको और अन्य गैर-सरकारी संगठनों की किस प्रकार सहायता कर रहा है;

(घ) क्या एच०आई०वी०/एड्स के मरीजों को इस परियोजना के अंतर्गत दवाइयां, देखभाल और उपचार सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। माता पिता से बच्चे को होने वाले एच०आई०वी० संक्रमण की रोकथाम हेतु जी०एफ०ए०टी०एम० परियोजना के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान गैर सरकारी संगठन संकाय को 430.56 लाख रु० की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। गैर सरकारी संगठन संकाय को जारी कुल 430.56 लाख में से 216.19 लाख रु० एरकान को जारी किए गए हैं।

गैर सरकारी संगठन संकाय का शीर्ष गैर सरकारी संगठन एरकान, का गठन ग्लोबल निधि चरण-II के कार्यान्वयन के लिये किया गया था, इसको निम्नलिखित कार्यकलाप करने हैं :–

चार फार्मास्यूटिकल कम्पनियों (रैन्बैक्सी, सिप्ला, सिटाडेल औरबिन्दो, जैनिक्स फार्मा) तथा ग्रैजुएट कास्ट रीकवरी स्कीम में गैर सरकारी संगठन संकाय (एरकान, फ्रीडम फाउन्डेशन एंड वाई०आर०जी० केयर) के बीच एक नवीन मूल्य निर्धारण सहयोग के माध्यम से एच०आई०वी०/एड्स (पी०एल०एच०ए०) से ग्रस्त लोगों को ए०आर०वी० औषधियां प्रदान करना।

एच०आई०वी०/एड्स परिचर्या में फिजिशियनों का प्रशिक्षण तथा ए०आर०वी० औषधियों का सही प्रयोग सहित इलाज।

ए०आर०वी० औषधियां लेने वाले मरीजों की निगरानी हेतु प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करने के वास्ते सी०डी० 4 मशीनों की खरीद सुनिश्चित करना।

चल रहे परामर्शों तथा सामुदायिक स्तर पर पी०एल०एच०ए०, एन०जी०ओ०/सी०बी०ओ० के साथ नेटवर्किंग करके गरीब लोगों में संक्रमण का पता लगाने एवं अनुवर्ती कार्यों में होने वाले घाटे को कम करने के लिए संस्थानों, समुदायों तथा घरेलू स्तरों के बीच परस्पर सम्पर्क स्थापित करना।

अस्पताल स्तर पर वी०सी०टी० सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

परियोजना साइट पर कार्य कर रहे निजी फिजिशियनों द्वारा ए०आर०टी० से इलाज पा रहे 6000 अतिरिक्त मरीजों को सी०डी० 4 के लिए छूट प्रदान करना।

सी०डी० 4 जांचों हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण तथा आश्वासन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करना।

परियोजना क्षेत्रों में ए०आर०टी० तक बढ़ती पहुंच के डिटरमिनेंट्स का पता लगाने, अन्य उच्च व्याप्तता वाले क्षेत्रों में ए०आर०टी० की पहुंच को बढ़ाने तथा गरीब लोगों में संक्रमण का पता लगाने एवं अनुवर्ती कार्य करने में होने वाले घाटे को कम करने हेतु कार्यनीतियां सुनिश्चित करने के लिए संचालनात्मक अनुसंधान स्टूडियो आरंभ करना।

(घ) और (ङ) जी, हां। परियोजना के तहत मई, 2004 से शुरू होने वाले प्रथम वर्ष में एंटी रेटरोवायरल औषधियां प्रदान करने हेतु 1000 पात्र एच०आई०वी०/एड्स के मरीजों को लक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन मरीजों पर सी०डी० 4/सी०डी० 8 काउन्ट के साथ एवं ओ०आई० के निदान के लिए निगरानी रखी जाएगी। आज तक, गैर सरकार संगठन संकाय द्वारा 167 मरीजों को एंटी रेटरोवाइरल औषधि पर रखा गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में युवक विकास केन्द्र

2552. **श्री पंकज चौधरी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी खण्डों को युवक विकास केन्द्र के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकलापों का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में सरकार द्वारा यूथ मूवमेंट क्लब चलाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1. चूंकि पंजीकृत युवा क्लबों पर उनका युवा विकास केन्द्रों के रूप में उन्नयन किए जाने हेतु विचार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे युवा क्लबों के लिए पंजीकृत प्रक्रिया को सरल बनाएं तथा पंजीकरण हेतु फीस को कम करें।

2. मंत्रालय ने युवा क्लबों के युवा विकास केन्द्रों में उन्नयन हेतु पात्रता मानदण्डों में भी छूटी दी है।

(ग) और (घ) नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी तथा आकलन नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मंडल कार्यालय द्वारा आवधिक निरीक्षण तथा निगरानी द्वारा किया जाता है। सूचना विकास तथा संसाधन एजेंसी (आई०डी०ए०आर०ए०), लखनऊ उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियों की समवर्ती निगरानी करता है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में, 23,040 गांवों में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत युवा क्लब/महिला मंडल/ग्रामीण खेल क्लब हैं जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध हैं।

[अनुवाद]

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन

2553. श्री पी०सी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में कतिपय संशोधन सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम 1983 में संशोधन किए जाने से संबंधित कैबिनेट नोट का मसौदा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। प्रस्तावित संशोधन के बारे में केरल सरकार तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

गुवाहाटी में "बी" नोड इंटरनेट गेटवे का "ए" नोड में उन्नयन

2554. डा० अरुण कुमार शर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुवाहाटी में "बी" नोड इंटरनेट गेटवे को "ए" नोड में उन्नत करने और मोबाइल सर्विस का स्वतंत्र सर्वर लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का 24 घंटे इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा वर्तमान खराब मोबाइल सेवा को किस प्रकार सुधारने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (घ) भारत संचार निगम लि० गुवाहाटी की परियोजना "नेशनल इंटरनेट बैकबॉन फेज-II" (एन०आई०बी०-II) के अंतर्गत, "ए" टाइप इंटरनेट नोड गुवाहाटी में पहले से ही प्रचालन में है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड ने गुवाहाटी को "इंटरनेट गेटवे नोड" का दर्जा देने की योजना नहीं बनाई है।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने असम दूरसंचार सर्किल में मोबाइल स्विचन केन्द्र (एम०एस०सी०) एवं इससे संबद्ध उपकरण की संस्थापना कर दी है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड ने तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर इंटेलीजेंट नेटवर्क (आई०एन०), संक्षिप्त संदेश सेवा केन्द्र (एस०एम०एस०सी०) तथा बिलिंग केन्द्र इत्यादि जैसे सामान्य उपकरणों की संस्थापना कोलकाता में की है।

गुवाहाटी में भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से इंटरनेट अभिगम्यता पहले से ही 24 घंटे उपलब्ध है तथा असम दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में मोबाइल सेवा इस समय संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते, हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देना

2555. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान खेल-वार और विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

2556. **श्री टेक लाल महतो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों और औषधालयों की वर्तमान संख्या मरीजों की बढ़ती संख्या को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी सरकारी प्रयास से बेहतर है;

(घ) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राज्यों में नए अस्पताल खोलने का दायित्व, अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों का है।

तथापि, दिनांक 1.1.2004 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित 5479 एलौपैथी अस्पताल हैं जिनमें कुल 3,80,993 बिस्तरों की क्षमता है। इसके अलावा, देश में चल रहे प्राइवेट क्षेत्र के ऐलोपैथी अस्पताल और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अस्पताल काफी संख्या में विद्यमान हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003 में प्रारम्भ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार (पटना), छत्तसीगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) में एक-एक 'एम्स' की तरह की संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, स्वास्थ्य के सभी अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक एवम् तृतीयक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता का स्वागत करती है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में देश में स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थापित बनाने की आवश्यकता की सिफारिश की है। स्वास्थ्य परिचर्या में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य स्तरों पर और अधिक सार्वजनिक संसाधनों को जुटाने (डाइरेक्ट) हेतु सरकार की क्षमता को बढ़ाता है।

[अनुवाद]

पत्तन और संबद्ध संरचनाओं को नुकसान

2557. **श्री सुग्रीव सिंह** :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आई सुनामी लहरों के कारण पत्तनों, बंदरगाहों, लाइटहाउसों और संबद्ध संरचनाओं को हुई हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सुनामी से पत्तन, बंदरगाह और लाइटहाउसों पर कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों को हुए नुकसान का ब्योरा क्या है;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अभी तक कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई है;

(ङ) पत्तन, बंदरगाह, लाइटहाउसों और संबद्ध संरचनाओं में अभी तक पूरे किए गए पुनर्निर्माण कार्यों का ब्योरा क्या है;

(च) उक्त पुनर्निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(छ) इस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सुनामी लहरों के कारण क्षतिग्रस्त हुई पत्तन और बंदरगाह-सुविधाओं, दीपस्तम्भों, सहायक ढांचों को हुई हानि और उनकी मरम्मत/उनके पुनर्निर्माण और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि की अपेक्षा का आकलन, भारत-सरकार के संगठनों और संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अपेक्षित धनराशि का अनुमान, 1752.99 करोड़ रु० है जिसे, संलग्न विवरण में दर्शाए गए सुनामी-पुनर्वास और पुनर्निर्माण-कार्यक्रम के अंतर्गत धन के आबंटन हेतु योजना-आयोग को बता दिया गया है।

(ग) और (घ) सुनामी लहरों से पोत-परिवहन-विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों के 22 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के परिवारजनों को 6,70,000/-रु० की धनराशि अनुग्रह-पूर्वक भुगतान के रूप में वितरित कर दी गई है और शेष भुगतान शीघ्र कर दिए जाने की आशा है।

(ङ) से (छ) अंडमान-लक्षद्वीप-बंदरगाह-निर्माण-कार्य के संबंध में पूरे किए गए कार्यों में हट बे और कैचल द्वीप पर जेटियों के अस्थायी निर्माण के साथ-साथ, पोर्ट ब्लेयर में ड्राई डॉक की बाहरी दीवार का निर्माण, मस बंदरगाह, मालक्का जेटी और मायाबंदर जेटी पर जेटी तक पहुंचने के मार्ग का पुनर्निर्माण शामिल है। कुड्डालोर, तंजौर, चेन्नई, पांडिचेरी और अल्लापुझा में स्थित दीपस्तम्भों की मुख्य भूमि पर मरम्मत कर दी गई है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में कैचल पूर्व, कैचल पश्चिम, कीटिंग पॉइंट और इंदिरा पॉइंट पर स्थित दीपस्तम्भों के सिवाय शेष सभी दीपस्तम्भ कार्य कर रहे हैं। अंडमान-निकोबार-बंदरगाह-निर्माण-कार्य तथा दीपस्तंभ और दीपपोत-महानिदेशालय द्वारा मरम्मत-कार्यों पर कुल 3.45 करोड़ रु० का ख़र्च किया गया है। अनुबंध में दिए गए ब्योरे के अनुसार, वर्ष, 2004 से वर्ष, 2010 तक धन के आबंटन हेतु, धन की अपेक्षाओं और चरणबद्ध ख़र्च का ब्योरा, योजना-आयोग को सूचित कर दिया गया है।

विवरण

धन की आवश्यकता और चरणबद्ध खर्च का ब्यौरा

क्रम सं०	संगठन का नाम	कुल धनराशि (करोड़ रु०)	वर्ष-वार आवश्यकता (करोड़ रु०)					
			2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान-लक्षद्वीप-बंदरगाह-निर्माण-कार्य							
	(i) पुनर्वास, पुनर्निर्माण	347.71	2.85	77.69	79.40	78.75	66.31	42.71
	(ii) अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन	1258.62	0.00	108.62	200.00	350.00	300.00	300.00
		*1606.33	2.85	186.31	279.40	428.75	366.31	342.71
2.	नौवहन निदेशालय की सेवाएं	**104.39	2.78	72.69	22.92	6.00	—	
3.	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	11.25	1.30	7.95	2.00	—	—	
4.	चेन्नई-पत्तन-न्यास	@23.96	0.33	18.32	5.31	—	—	
5.	तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास	0.50	—	0.50	—	—	—	
6.	विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास	4.95	2.10	2.85	—	—	—	

1	2	3.	4	5	6	7	8	9
7.	लघु पत्तन-सर्वेक्षण-संगठन (एम०पी०एस०ओ०)@	1.50	—	1.50	—	—	—	
8.	राष्ट्रीय पत्तन-प्रबंधन-संस्थान	0.11	—	0.11	0.11	—	—	—
	कुल	1752.99	9.36	290.23	309.63	434.75	366.31	342.71

@ लघु पत्तन-सर्वेक्षण संगठन के लिए बताए गए आंकड़े अनंतिम हैं और ये बढ़ सकते हैं।

* 1606.33 करोड़ रु० (347.71 करोड़ रु० मरम्मत/पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण/ पुन:स्थापन के लिए)
(1258.62 करोड़ रु० आधुनिकीकरण/अतिरिक्त सुविधाओं के लिए)

(आधुनिकीकरण और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए 1258.62 करोड़ रु० में से, 560.20 करोड़ रु० की टर्न की परियोजनाएं हैं। योजना-आयोग से, 560.20 करोड़ रु० की इस धनराशि को अंडमान-निकोबार प्रशासन-शीर्ष के अंतर्गत बजट में शामिल करने का अनुरोध है।)।

**104.39 करोड़ रु० (यह धनराशि, में अंडमान-निकोबार-प्रशासन के शीर्ष के अंतर्गत बजट में शामिल की जानी है)

23.96 करोड़ रु० (क्षति के लिए अपेक्षित धनराशि)

कार्य-संचालन से संबंधित हानि के संबंध में 3.00 करोड़ रु०। अत: कुल धनराशि 26.96 करोड़ रु० है।

[हिन्दी]

रिक्त पद

2558. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेन गोहेन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में काफी समय से विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालयवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकार का विचार इन पदों को भरने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विद्यमान अनुदेशों/नियमों के अनुसार, रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य

2559. **श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हैदराबाद, बंगलौर, कन्याकुमारी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) समस्त परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। कोच्चि-सलेम स्पर सहित श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के राजमार्गों

को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर की दिनांक 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :–

कुल लंबाई	– 3761 कि०मी० (वर्तमान में)
जिस पर कार्य पूरा हो गया है	– 573 कि०मी०
कार्यान्वयनाधीन	– 698 कि०मी०
जिस पर सिविल कार्य अभी सौंपे जाने हैं	– 2490 कि०मी०

(ग) इस परियोजना पर दिनांक 31.07.2005 तक 1422.93 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं।

(घ) इस परियोजना के वर्ष 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पट्टे की शर्त से छूट

2560. श्रीमती रूपाताई डी० पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई निजी अस्पतालों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें गरीब लोगों का नि:शुल्क उपचार करने हेतु पट्टे की शर्त से छूट दी जाए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों को पट्टे की इस शर्त से छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने गरीब लोग इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि भूमि एवं विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ अस्पतालों को गरीब मरीजों को नि:शुल्क इलाज प्रदान करने की शर्त पर भूमि प्रदान की थी।

इनमें से कुछ अस्पतालों ने आबंटन एवं पट्टा शर्तों का उल्लंघन किया है।

निशुल्क इलाज के बंधन के इन अस्पतालों को मुक्त करने तथा दिल्ली में गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने के लिए एक प्रस्ताव किया गया है। तथापि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विषय है अत:निजी अस्पतालों जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा भूमि दी गई है को पट्टा शर्तों से छूट देने के अनुरोधों, यदि कोई हो तो, को विनियामन करने/विचार करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस प्रकार की सूचना नहीं रखता।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

2561. श्री बापू हरी चौरे : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में कार्गो सुविधा वाले अंतर्देशीय जलमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्गो कैरिज में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु बनाई गई परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं और निजी क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) भारत में लगभग 14500 कि०मी० के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जिनमें से, गंगा नदी-(1620 कि०मी०), ब्रह्मपुत्र-नदी (891 कि०मी०) तथा पश्चिमी तट-नहर (205 कि०मी०) को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजी माल संभालने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में क्रमश: 501 कि०मी० तथा 286 कि०मी० के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र-सरकार को अंतर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत सहायता दी गई है।

(ख) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के नाम विवरण के रूप में संलग्न हैं। विवरण में दशाई गई प्रथम पांच परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गई, लेकिन केवल तीन परियोजनाओं के बारे में ही उत्तर के रूप में बोलियों से युक्त निविदाएं मिली। इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। शेष दो परियोजनाओं के बारे में फिर से बोलियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन उनके उत्तर के रूप में बोलियों से युक्त कोई भी निविदा नहीं मिली। विवरण में क्रम सं० 6 से 11 तक की 6 परियोजनाओं के लिए भी बोलियां आमंत्रित की गई थीं, जिनके उत्तर के रूप में दो परियोजनाओं के

बारे में बोलियां प्राप्त हो गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। शेष 6 परियोजनाओं के संबंध में बोली के दस्तावेज़ तैयार कर लिए गए हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिये परियोजनाओं के नाम

1. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर हल्दिया में हुगली नदी पर एक जेटी/लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण।

2. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर हुगली नदी पर बन्डेल पर हॉपर सुविधाओं के साथ-साथ फ़्लोटिंग जेटी का निर्माण।

3. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर हुगली नदी पर हावड़ा की ओर शालीमार पर जेटी का निर्माण।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर हुगली नदी पर बज-बज पर फ़्लाई ऐश जेटी का निर्माण।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर कोलाघाट पर फ़्लाई ऐश जेटी का निर्माण।

6. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर कोलकाता से मोंगला (बंगलादेश) तक जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 1000 डी०डब्ल्यू०टी० की नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

7. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में संयुक्त उद्यम के आधार पर धुबरी से कोलकाता तक जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 1000 डी०डब्ल्यू०टी० की नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

8. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर जोगीघोपा से कोलकाता तक जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 1000 डी०डब्ल्यू०टी० की नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

9. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर पाण्डु से कोलकाता तक जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 1000 डी०डब्ल्यू०टी० की नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

10. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संयुक्त उद्यम के आधार पर डिब्रूगढ़ से कोलकाता तक जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 600 डी०डब्ल्यू०टी० की नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

11. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में संयुक्त उद्यम के आधार पर कोचीन के आस-पास के क्षेत्रों तथा जहाज़ी माल की ढुलाई के लिये 200 डी०डब्ल्यू०टी० की टैंकर नौकाओं की खरीद तथा उनका संचालन।

12. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर हुगली नदी में हल्दिया पर भारतीय अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण जेटी का विकास।

13. बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स में नौका जेटी का विकास।

14. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर कोलकाता में नमक तथा अन्य जहाज़ी माल संभालने के लिये वी०आई०एस०एन० जेटी का विकास।

15. राष्ट्रीय राजमार्ग-3 में बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर मराड्डू पर एक जेटी का विकास।

16. राष्ट्रीय राजमार्ग-1 में बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर कोल्लम पर जेटी का विकास।

17. राष्ट्रीय राजमार्ग-1 में बनाओ, चलाओ तथा हस्तान्तरित कर दो के आधार पर कोचीन में एक समर्पित नौका घाट/जेटी का निर्माण।

वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन

2562. श्री रामदास आठवले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु उनकी एक अलग प्रतीक्षा-सूची बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबित आवेदनों को समाप्त करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) में टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है और यहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) में टेलीफोन कनैक्शन हेतु वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर नॉन-ओवाईटी विशेष श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज किए जाते हैं,

जो अपने-आप में एक प्राथमिकता वाली श्रेणी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष श्रेणी में अलग-से प्रतीक्षा सूची बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) वरिष्ठ नागरिकों की प्रतीक्षा सूची सहित लम्बित आवेदनों को निपटाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो।

[अनुवाद]

व्यवसायजनित रोग

2563. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनन कार्यों से कई व्यवसायजनित रोग उत्पन्न हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इससे निपटने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०) के अनुसार उत्खनन कार्य हाथ से अथवा मशीन द्वारा खोदने और विस्फोट करने की प्रक्रिया से किया जाता है। इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट लग सकती है और शोर तथा धूल का सामना भी करना पड़ सकता है। खदान श्रमिक उन खनिजों के जोखिम का सामना करते हैं जिनका खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिलिका, जो चट्टानों का एक सामान्य संघटक है, से खुलाव होने पर सिलिकोसिस, चिरकारी श्वसनी शोथ और क्षयरोग के प्रति बढ़ती हुई अतिसंवेदनशीलता जैसे श्वसनीय समस्याओं जैसे जोखिम उत्पन्न होते हैं। खोदने और विस्फोट संबंधी कार्यकलापों में तीव्र और चिरकारी शोर से खुलाव होने के कारण श्रवण शक्ति क्षय होने की बात भी देखी गई है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, जिसकी व्यावसायिक रोगों से संबंधित मामलों में नोडल अभिकरण के रूप में पहचान की गई है, ने धूल की रोकथाम हेतु एक प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसमें वायुजनित धूल में 75%-85% की कमी होने का पता चला है। इस प्रौद्योगिकी का फैक्टरियों के मालिकों, श्रमिकों, फैक्टरी निरीक्षणालय और स्थानीय प्रशासन में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रचार-प्रसार किया गया है।

चिकित्सीय उपकरणों का मानकीकरण

2564. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री गणेश सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र कई समस्याओं यथा-घातक बीमारियों से निपटने का हल ढूंढने, गरीबों को उचित कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयोजनार्थ चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरणों के मानकीकरण हेतु एक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या देश में "मेडिकल क्योस्क" सृजित करने का कोई प्रस्ताव है जो आम जनता विशेषकर ग्रामीण लोगों की पहुंच में हो; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। जनसंख्या से निर्धन एवं असुरक्षित वर्गों को खासकर पहुंचयोग्य, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु सरकार ने अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। यह मिशन पहुंच में सुधार करके सामुदायिक स्वामित्व को सक्षम बनाकर और सेवाओं की मांग बढ़ाकर, अच्छी सेवा प्रदानगी हेतु जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर, समानता और जवाबदेही को बढ़ाकर तथा विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देकर सभी को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना चाहता है। मिशन के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :–

– आठ अधिकार प्राप्त राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा असम से चार वर्षों में ग्रामीण स्तर पर 2.5 लाख स्वयंसेवकों के एक कैडर, महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं का सृजन।

– सभी राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य दलों का सृजन और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करना।

– सभी राज्यों में उपकेन्द्रों को 10,000 रुपए का सालाना अनटाइड फंड देकर सुदृढ़ करना।

– भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों को सुदृढ़ करना।

– सभी राज्यों में 2000 से अधिक सामुदायिक केन्द्रों का स्तर भारतीय जनस्वास्थ्य मानदण्डों के अनुरूप उठाना।

– सभी राज्यों में राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एकीकृत विभिन्न (वर्टीकल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजित करना और समितियां बनाना।

(ग) और (घ) चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चिकित्सा एवं शल्यक्रिया कार्यों हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के मानकीकरण के वास्ते संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चिकित्सा एवं शल्यक्रिया कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के मानक/विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) इस विभाग के पास देश में मेडिकल क्योस्क सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों का इलाज

2565. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 25 अप्रैल, 2005 को दिए अपने निर्णय में यह व्यवस्था की है कि डॉक्टर/अस्पताल इस आधार सहित कि मरीज के रिश्तेदार अपेक्षित फीस देने हेतु तैयार नहीं हैं, अन्य किसी आधार पर दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों का इलाज करने से इंकार नहीं कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसा ही निर्णय दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इसके व्यापक प्रचार और अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 25.4.2005 के अपने आदेश में टिप्पणी की है कि डाक्टर/अस्पताल, इस आधार पर कि अपेक्षित अग्रिम धन जमा नहीं करवाया गया है, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं। संदर्भाधीन मामले में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को जब कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में लाया गया तो उसका आपाती उपचार शुरू कर दिया गया लेकिन उपचार करना बन्द कर दिया गया क्योंकि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल में लाने वाला व्यक्ति पेशगी के रूप में 15,000/-रुपए जमा नहीं कर सका। उस रोगी को किसी स्थानान्तरण रिकार्ड के बिना सरकारी अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया गया। (जो दूरी पर स्थित था)। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने इस मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है।

सभी राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को समुचित सलाह जारी करने हेतु इस आयोग की टिप्पणियां और दिनांक 25.4.2005 के इसके आदेश को भेज दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुकदमा सं० 796/92-पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम बंगाल राज्य व अन्य में दिनांक 6.5.1996 के अपने निर्णय में नागरिकों को देश में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने और इनका सुधार करने पर भी जोर दिया है। इस निर्णय को सख्ती से अनुपालन कराने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में परिचालित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

2566. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 2005 तक आयोग की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी संरचना में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, मानीटर करने तथा दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए 11 मई, 2000 को किया गया था। आयोग की अब तक दो बैठकें हुई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आरम्भिक गठन के समय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के 122 सदस्य थे। इसका 11 अप्रैल, 2005 को पुनर्गठन किया गया है और इसके 41 सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना इसके उपाध्यक्ष हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्री, आठ राज्यों के मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष, कुछ विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन और पेशेवर अभिकरण भी इसमें सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पुनर्गठन का प्रमुख कारण इसका भारी-भरकम गठन का होना था जिससे इसकी प्रभावकारिता में बाधा आ रही थी और इस कारण अप्रैल, 2005 तक आयोग की एक ही बैठक हो सकी थी।

[अनुवाद]

प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

2567. श्री निखिल कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में वृद्धि करने और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को समर्थ बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीतियां अथवा योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु गैर-सरकारी संगठनों/अन्य देशों से सहायता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को देश भर में विशेष रूप से गरीब महिलाओं एवं बच्चों को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन का आरम्भ किया गया है। इसकी मुख्य कार्यनीतियों में ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य योजना का सुदृढ़ीकरण, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व, अन्तर्क्षेत्रीय तालमेल, विकेन्द्रीकृत जिला स्तर योजना, ग्राम स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भारतीय जनस्वास्थ्य, मानकों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन तथा संचालनात्मक स्तर पर सहक्रिया में विकास करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बहु-कार्यक्रमों एवं सोसाइटियों का एकीकरण करना शामिल है।

(ग) और (घ) इस मिशन की कार्यनीति को अंतिम रूप देते हुए गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श कर लिया गया है।

अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की वृद्धि दर का असमान अनुपात

2568. श्री राम कृपाल यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास दर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि गरीबी का प्रमुख कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) गत दस वर्षों में देश में आर्थिक विकास दर और जनसंख्या वृद्धि दर का अनुपात क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, नहीं। 1991 से 2001 तक के दौरान स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार मापी गई देश की आर्थिक वृद्धि उसी अवधि के दौरान 1.97% की जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले 5.6% थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ देश में गरीबी के प्रसार की व्याख्या हेतु आर्थिक वृद्धि तथा व्यवसायों, क्षेत्रकों और क्षेत्रों के बीच इसके वितरण को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

(ङ) इस अवधि के दौरान, देश में आर्थिक वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात 2.8 : 1 अनुमानित किया गया है।

तमिलनाडु में खेल अवसंरचना परियोजनाएं

2569. डा० के० धनराजू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान तमिलनाडु में केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त खेल अवसंरचना परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और प्रत्येक परियोजना हेतु कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार आबंटित धन के उपयोग की निगरानी करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में किन नई खेल अवसंरचना, परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और वर्ष 2005-06 हेतु कितना धन आबंटित किया गया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) अनुमोदित खेल अवस्थापना परियोजनाओं के विवरण, जिसके लिए 2003-2004 के दौरान, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी, संलग्न विवरण में दिए हुए हैं।

(ख) से (घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, अनुदानग्राही द्वारा परियोजना की लागत पर अपने अंश का कम से कम 50% खर्च करने और प्रगति रिपोर्ट, लेखाओं की लेखा-परीक्षा इत्यादि के पश्चात्, भारत सरकार द्वारा पहली किस्त जारी की गई। पुनः राज्यों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगे और अनुदान देने से पूर्व पहले से प्रदान किए गए अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा-परीक्षित लेखे आदि निरपवाद रूप से प्राप्त किए गए।

(ङ) सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाएं राज्य-क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है तद्नुसार खेल अवस्थापना के लिए वर्ष 2005-06 के बजट में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इस प्रकार, खेल अवस्थापना परियोजनाओं के नये प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से वित्त-पोषित किए जाने हैं। तद्नुसार, सभी राज्य सरकारों को दिनांक 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया है।

विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	परियोजना	अनुमोदित राशि	वर्ष 2003-04 में दी गई धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल फार गर्ल्स, नंदीवरम, जिला कुचीपुरम में बास्केटबाल कोर्ट	0.84	0.84	परियोजना पूरी हो चुकी है।
2.	अन्ना स्टेडियम, तिरूचिरापल्ली में तरणताल (श्रेणी-1)	25.00	12.50	8.1.2002 को 12.50 लाख रु० जारी किया गया। परियोजना पूरी हो चुकी है।
3.	नागा पट्टीनम में जिला स्तरीय खेल परिसर	48.00	26.00	पूर्व में 16.47 लाख रु० जारी किये गये थे।
4.	नागाकोइल, जिला कन्याकुमारी में तरणताल (श्रेणी-2)	25.00	25.00	2004-05 में 2.50 लाख रु० जारी किये गये थे। परियोजना पूरी हो चुकी है।
5.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल मानप्पारा, जिला तिरूचिरापल्ली में फुटबाल मैदान	0.75	0.75	परियोजना पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5
6.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल (ब्वायज), कदयानाल्लूर, तिरूनवेली में बास्केटबाल कोर्ट	0.75	0.75	परियोजना पूरी हो चुकी है।
7.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल अरास्वैमोजी, जिला कन्याकुमारी में बास्केटबाल कोर्ट	0.99	0.99	परियोजना पूरी हो चुकी है।
8.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल बह्मनवी सागर, जिला इरोड में बास्केटबाल कोर्ट	0.84	0.84	परियोजना पूरी हो चुकी है।
9.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, एनीयालौर, जिला पेराम्बलर में हाकी मैदान	1.40	1.40	परियोजना पूरी हो चुकी है।
10.	आर०के० मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर द्वारा कोयम्बटूर में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1	90.00	43.38	2002-03 में 37.62 लाख रु० जारी किये गये थे और 2004-05 में 9.00 लाख रु० की अंतिम किस्त जारी की गई थी। परियोजना पूरी हो चुकी है।
11.	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल पलानी, जिला डिंडीगुल में हाकी मैदान का विकास	1.43	1.43	परियोजना पूरी हो चुकी है।
12.	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल वृद्धा चडन, जिला कुड्डालोर में फुटबाल मैदान का विकास	1.44	1.44	परियोजना पूरी हो चुकी है।
13.	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल राजक्का मंगलौर, जिला कन्याकुमारी में बास्केटबाल कोर्ट	1.00	1.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
14.	चेन्नई में इंडोर स्टेडियम	60.00	30.00	2002-03 में 30.00 लाख रु० जारी किये गये थे। परियोजना पूरी हो चुकी है।
15.	गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कूल टी० वादीपत्ती मदुरै में बास्केटबाल कोर्ट	0.94	0.94	परियोजना पूरी हो चुकी है।
16.	सलेम में तरणताल (श्रेणी-2)	25.00	2.50	2001-02 में 22.50 लाख रु० जारी किये गये थे। परियोजना पूरी हो चुकी है।
17.	गवर्नमेंट ब्वायज हायर सेकेण्डरी स्कूल मार्थनदम कन्याकुमारी में फुटबाल मैदान	1.50	1.50	परियोजना पूरी हो चुकी है।
18.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल कदायल, कन्याकुमारी में बास्केटबाल कोर्ट	1.00	1.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5
19.	जिला यूनिट स्टेडियम, सलेम में खेल मैदान का विकास	3.55	3.55	परियोजना पूरी हो चुकी है।
20.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, एम०एम०डी०ए० कालोनी, चेन्नई में खेल मैदान का विकास	0.80	0.80	परियोजना पूरी हो चुकी है।
21.	वी०ओ०सी० पार्क स्टेडियम, इरोड में तरणताल (श्रेणी-2)	25.00	6.25	2001-02 में 18.75 लाख रु० जारी किये गये थे। परियोजना पूरी हो चुकी है।
21.	रामनाथपुरम में तरणताल (श्रेणी-2)	25.00	10.00	2001-02 में 15.00 लाख रु० जारी किये गये थे। परियोजना पूरी हो चुकी है।

खेल संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना को समाप्त करना

2570. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना को समाप्त कर दिया है और उक्त को राज्य योजना परियोजना को हस्तांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं को 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और तदनुसार, वर्ष 2005-2006 के बजट में खेल अवस्थापना के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार, खेल अवस्थापना संबंधी नई परियोजनाओं को राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त-पोषित करना है। तदनुसार 28.2.2005 को सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम करने की सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने के लिए खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं का पता लगाया गया है। तथापि, हाल ही में योजना आयोग ने सूचित किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत चल रही स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध देयताओं की सीमा तक निधियां प्रदान की जाएंगी।

[हिन्दी]

राजस्थान के विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले का कोटा

2571. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले का निर्धारित कोटा कितना है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को निर्धारित कोटे के अनुसार कोयला मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें अपने कोटे के अनुसार कब से कोयला मिल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) राजस्थान के विद्युत गृहों हेतु दीर्घावधि कोयला लिंकेज 9.98 मि०ट० प्रतिवर्ष है।

(ख) जी, हां। वर्ष 2004-05 के दौरान, राजस्थान के विद्युत गृहों को की जानी वाली आपूर्तियां दीर्घावधि लिंकेजों से अधिक हैं।

(ग) कोटा विद्युत गृह 1982-83 से तथा सूरतगढ़ विद्युत गृह 1998-99 से कोयला आहरित कर रहा है।

(घ) ऊपर भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट गुड्स एक्ट, 1993

2572. **श्री महेश कनोडीया :**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट गुड्स एक्ट, 1993 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) हिस्सेदारों से परामर्श करके, आवश्यक संशोधनों को ठोस और निश्चित रूप देने के कदम उठाए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोहिनूर को भारत वापस लाने के प्रयास

2573. **सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोहिनूर को भारत वापस लाने का निरंतर प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयासों से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) सरकार, मामले के संतोषप्रद समाधान के लिए निरंतर तरीकों एवं उपायों की खोज कर रही है।

गैर-सरकारी संगठनों को धन देना

2574. **श्री गणेश सिंह :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा युवा विकास संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों हेतु धन संस्वीकृत किया गया है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित धन का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) 2002-03 से 2004-05 के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई राशि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) (1) अनुदान केवल उन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया जाता है जो कि कम से कम तीन वर्षों से विद्यमान हैं।

(2) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अलावा गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार/जिला न्यायधीश/उपायुक्त/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिश पर कार्रवाई की जाती है।

(3) गैर-सरकारी संगठनों को अगला अनुदान, पिछले अनुदान के लेखों के निपटारे और सक्षम प्राधिकारी से संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किया जाता है।

(ग) कुछ मामलों में गैर-सरकारी संगठनों के अस्तित्व में न होने की रिपोर्टें/सहायता के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का पता चला है। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने या देर से प्रस्तुत करने के मामले हैं। राज्य सरकारें साथ ही साथ नेहरू युवा केन्द्र, चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के कार्य में लगे हैं।

(घ) संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है।

विवरण

विगत वर्षों 2002-2003 तथा 2004-2005 के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि में शामिल गैर सरकारी संस्थाओं की सूची

2002-2003

क्रमांक	संस्था का नाम व पता
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	सेन्टर फॉर ह्यूमन एक्टीविटी इन रूरल डेवेलपमेण्ट, जिला-खमाम, आन्ध्र प्रदेश
2.	औद्योगिक महिला मण्डली, जिला गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश
3.	वानी महिला मण्डली, नगरम, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश
4.	श्री रामाकृष्णा रूरल डेवेलपमेण्ट सोसायटी, खमाम, आन्ध्र प्रदेश
5.	सोसायटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस एण्ड रूरल डेवेलपमेण्ट, कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश
6.	श्री साई सोसल आर्गेनाइजेशन, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश
7.	रूरल डेवेलपमेण्ट सोसायटी, कुडाप्पा, आन्ध्र प्रदेश
8.	ओल्ड स्टुडेण्ट एसोसिएशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
9.	जागरूति, खमाम, आन्ध्र प्रदेश
10.	चैतन्य रूरल डेवेलपमेण्ट एसोसिएशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
11.	कृषि वालन्टेरी आर्गेनाइजेशन, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
12.	प्रियदर्शनी महिला मण्डली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
13.	रूरल एक्शन फॉर सोशल इन्टेगरेशन, नैल्लौर, आन्ध्र प्रदेश
14.	स्लीनज युवाजना संगम, अनन्तापुर, आन्ध्र प्रदेश
15.	अम्बेडकर महिला मण्डल, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश
	बिहार
1.	स्वरोजगारमुखी सेवा संस्थान, जिला-मधेपुरा, बिहार
2.	सर्वप्रिया खादी ग्रामोद्योग समिति, जिला-खगरिया, बिहार
3.	राजेन्द्रा आश्रम, कटिहार, बिहार

1	2
4.	महिला जन स्वास्थ्य शिशु कल्याण केन्द्र, जिला-पटना, बिहार
5.	मानव सेवा आश्रम, औरंगाबाद, बिहार
6.	युवा कल्याण परिषद, जिला-सिवान, बिहार
7.	महिला विकास एवं जन जागृति मंच, गोपालगंज, बिहार
8.	युवा विकास मंच, पटना, बिहार
9.	नवोदय ग्राम, जिला-पूर्णिया, बिहार
10.	नालंदा समाज सेवा आश्रम, नालंदा, बिहार
11.	अंजुमन फराज-ए-मिलत, जिला-पूर्वी चंपारन, बिहार
12.	खंड गधारी ग्रामीण विकास संस्थान, जेहानाबाद, बिहार
13.	गांधी सेवा संघ, मोतिहारी, पूर्वी चंपारन, बिहार
14.	स्वामी विवेकानन्द अनन्त सुरक्षा आश्रम, नालन्दा, बिहार
15.	गंगा देवी महिला विकास समिति, मधुबनी, बिहार
16.	सामाजिक कल्याण सोसायटी, दरभंगा, बिहार
17.	मिथिला सेवा समिति, मधुबनी, बिहार
18.	खादी विकास ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नवादा, बिहार
19.	तथागत शिक्षा प्रतिष्ठान, सिवान, बिहार
20.	कोशी आंचल समग्र विकास एवं कल्याण परिषद, पूर्णिया, बिहार
21.	दलित महिला एवं बाल उत्थान संस्थान, पूर्वी चंपारन, बिहार
22.	बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान एवं महाविद्यालय, पटना, बिहार
	छत्तीसगढ़
1.	यूथ फोरम फॉर सोसल एक्शन, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़
	दिल्ली
1.	भारत कल्याण प्रतिष्ठान, दिल्ली
2.	श्री संतोष महिला एवं बाल कल्याण समिति, दिल्ली
3.	सैल्फ इनीशिएटिव फॉर टौटल अवेयरनेस, दिल्ली
4.	ऑल इण्डिया कोनार्क एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली

1	2
5.	नवयुग यूथ कल्चरल एसोसिएशन, दिल्ली
6.	महिला बाल उत्थान एवं मंच, दिल्ली
7.	श्री अरविन्दो एजूकेशन सोसायटी, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
8.	ऑल इण्डिया दलित डेवेलपमेण्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली
9.	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, दिल्ली
10.	जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेण्टर, दिल्ली
11.	हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स एसोसिएशन, दिल्ली
12.	सर्वधर्म जन परोपकारी संस्थान, दिल्ली
13.	महिलायें प्रगति की ओर, दिल्ली
14.	वसुन्धरा, दिल्ली
15.	आल इण्डिया वूमेन्स वेल्फेयर एसोसिएशन, दिल्ली
16.	ग्रीन एज, दिल्ली
17.	दिल्ली स्टेट गर्ल्स एण्ड ब्वायज स्काउट्स, दिल्ली
18.	बलकान-जी-बारी इण्टरनेशनल, दिल्ली
19.	सर्वेण्ट्स ऑफ द पिपुल सोसायटी, दिल्ली
20.	एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी, दिल्ली
21.	जयप्रकाश सोध संस्थान, दिल्ली
22.	राजयोग एजूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली
23.	कोऑरटीवम ऑफ वूमेन एण्टरप्राइजेज ऑफ इण्डिया, दिल्ली
24.	गंगा देवी शैक्षिक सोसायटी, नांगलोई, दिल्ली
25.	रामाकृष्ण मिशन, नई दिल्ली
26.	इण्डिया इण्टरनेशनल रूरल कल्चरल सेण्टर, दिल्ली
27.	अवन्तिका, दिल्ली
28.	सेण्ट साईरथ मॉडर्न पब्लिक शिक्षा समिति, दिल्ली
29.	दी प्रोमोशन ऑफ इण्डियन क्लासिकल म्यूजिक एण्ड कल्चरल अमोंगेस्ट यूथ, दिल्ली
30.	ऑल इण्डिया वूमेन्स कांफ्रेंस, नई दिल्ली

राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन

1	2
31.	रेनाईसानसे, दिल्ली
32.	अखिल भारतीय पूर्जीया सुमित्रा माताजी ग्रामीण विकास संस्थान, दिल्ली
	हरियाणा
1.	राय साहिब प० बसंत लाल एजूकेशन सोसायटी, जिला-झज्जर, हरियाणा
2.	रॉयल शिक्षा समिति, जिला-हिसार, हरियाणा
3.	हरिजन सेवक संघ, पानीपत, हरियाणा
4.	फ्रेण्डी ग्रामोद्योग समिति, अम्बाला, हरियाणा
5.	घूमर एकेडमी, पंचकूला, हरियाणा
6.	हरियाणा युवा सक्ति, रोहतक, हरियाणा
7.	नेशनल एजूकेशन एण्ड वेल्फेयर सोसायटी, पानीपत, हरियाणा
8.	विकास सेवा समिति, जिला-गुड़गांव, हरियाणा
9.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, जिला-सोनीपत, हरियाणा
10.	भारती ग्रामीण विकास समिति, कुरूक्षेत्र, हरियाणा
11.	बालाजी ग्रामोद्योग मण्डल, जिला-पानीपत, हरियाणा
12.	श्राष्ट्रीय विकास युवती मण्डल, करनाल, हरियाणा
13.	अमर ज्योति फाउण्डेशन, जीन्द, हरियाणा
14.	परशुराम सेवा दल, रोहतक, हरियाणा
15.	सूर्या फाउण्डेशन, सोनीपत, हरियाणा
16.	कीर्ति युवा क्लब, सोनीपत, हरियाणा
	हिमाचल प्रदेश
1.	फ्रेण्ड्स स्पोर्टस एण्ड सोसल वेल्फैयर क्लब, जिला-करनाल, हिमाचल प्रदेश
	जम्मू एण्ड कश्मीर
1.	माडॅर्न कल्चरल क्लब, जम्मू एण्ड कश्मीर
2.	लोखरी युवा संगठन सोसायटी, जम्मू एण्ड कश्मीर
3.	उधमपुर डेवेलपमेण्ट सोसायटी, जम्मू एण्ड कश्मीर

राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन

1	2
	झारखण्ड
1.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, बोकारो
2.	प्रियदर्शिनी स्वास्थ्य सेवा संस्थान, साहेबगंज, जम्मू एण्ड कश्मीर
3.	सेंथल आदिवासी कल्याण परिषद, बोन्धिक जैनेमेर, जिला-बोकारो, झारखण्ड
4.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला-धांगी, पी०ओ० रोवान, ब्लॉक-टोपेहाची, जिला-धनबाद,
	कर्नाटक
1.	धर्मात्मा एजूकेशन एण्ड रूरल डेवेलपमेण्ट सोसायटी, बेंगलौर, कर्नाटक
2.	जीवन विकास सोसायटी फॉर रूरल डेवेलपमेण्ट, चित्रादुर्गा, कर्नाटक
3.	रॉयल एजूकेशन सोसल टैक्नीकल कल्चरल आर्गेनाइजेशन, बेंगलौर, कर्नाटक
	मध्य प्रदेश
1.	यूथ वेलफेयर ऑफ इण्डिया सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	रेवा महिला मण्डल, जिला-होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
3.	परशुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश
4.	जगत शिक्षा प्रसार समिति, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
5.	महिला उत्कर्ष संस्थान, जिला-मंदसौर, मध्य प्रदेश
6.	विवेकानन्द शिक्षा एवं सेवा समिति, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
7.	दीपवर्मा शिक्षा एवं महिला कल्याण शिक्षा उत्थान समिति, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश
8.	जासनीम महिला शिक्षा समिति, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश
9.	स्वामी चैतन्य महा प्रभु शिक्षा समिति, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
1.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल, अमरावती, महाराष्ट्र
2.	सेण्टर फॉर ट्राइबल एण्ड रूरल डेवेलपमेण्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
3.	जॅय विश्वाकर्मा सर्वोदय सोसायटी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

1	2
4.	मध्य भारत एजूकेशन सोसायटी, ओपी० टू सामरथा स्कूल, भण्डारा, महाराष्ट्र
5.	श्री नटराज शैक्षणिक सांस्कृतिक वा क्रीडा संस्थान, अमरावती, महाराष्ट्र
6.	आचार्य नरेन्द्रदेव शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकास संशोधन प्रकल्प वा भारत पदयात्री केन्द्र, परभनी, महाराष्ट्र
	उड़ीसा
1.	उत्कल सेवक समाज, भगतपुर, उड़ीसा
2.	नेशनल यूथ इण्टेग्रेटिड सेण्टर, पुरी, उड़ीसा
3.	डेवेलपमेण्ट इनीशिएटिव, जिला-झारसुगुडा, उड़ीसा
4.	श्री रामाकृष्णा सेवा आश्रम, जिला-खुर्दा, उड़ीसा
5.	श्री आर०के० आश्रम, कालाहाण्डी, उड़ीसा
6.	नेशनल महिला इन्स्टीट्यूट (नामी), जिला-धेनकनल, उड़ीसा
7.	आल उड़ीसा रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर डेवेलपमेण्ट आफ वूमेन मूवमेण्ट, उड़ीसा
8.	महिला विकास समिति, कटक, उड़ीसा
9.	उत्कल युवक सांस्कृतिक संघ, कटक, उड़ीसा
10.	जनकल्याण सेवा संस्था, केन्द्रापाडा, उड़ीसा
11.	श्री श्री जाडीमहल यूथ क्लब, उड़ीसा
12.	भारत ज्योति, जिला-कटक, उड़ीसा
13.	कल्याण, जिला-जगतसिंहपुर, उड़ीसा
	राजस्थान
1.	नवयुवक मण्डल, करौली, राजस्थान
2.	राजस्थान नवचेतना समिति, नागौर, राजस्थान
3.	उत्कल संस्थान, जिला-अलवर, राजस्थान
	तमिलनाडु
1.	गांधी दर्शन केन्द्र, चेन्नई, तामिलनाडु

1	2
2.	केन्द्र फॉर इन्टेग्रटिड रूरल एण्ड अर्बन पीपुल्स एक्शन, मदुरई, तामिलनाडु
3.	श्री मनमोहन रूरल डेवलेपमेण्ट सोसायटी, तिरूनलवेल्ली, तामिलनाडु
	उत्तर प्रदेश
1.	बाल कल्याण संस्थान, जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
2.	दाउ दयाल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश
3.	पूर्वांचल सोसल डेवलेपमेण्ट सोसायटी, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
4.	शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
5.	स्व० सिओवाधर जल कल्याण समिति, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
6.	गंगा कटारी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
7.	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
8.	पी०आई० ग्रामोद्योग सोसायटी, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
9.	आदर्श युवा समिति, 56 शक्ति नगर, मोहाली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश
10.	स्वामी विवेकानन्द प्राकृतिक एवं सामाजिक कल्याण संस्था, जालौन, उत्तर प्रदेश
11.	बैरागी शिक्षा संस्था, वाराणासी, उत्तर प्रदेश
12.	जन सेवा समिति, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
13.	अखिल भारतीय जन सेवा संस्थान, फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश
14.	ग्रामीण महिला सेवा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
15.	आर०के० मिशन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
16.	समाज कल्याण एवं बाल विकास परिषद, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश
17.	नेहरू युवा क्लब, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
18.	विराज ग्रामोद्योग विकास समिति, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
19.	अखिल भारतीय समाजोत्थान विकास सेवा समिति, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
20.	बुधा जन कल्याण सेवा समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश

1	2
21.	राधा शिक्षा प्रसार समिति, उत्तर प्रदेश
22.	बैरागी शिक्षा संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
23.	योगसाधना एवं युवा विकास संस्थान, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
24.	कविता देवी शिक्षण समिति, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
25.	राजीव युवा विकास संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
26.	उत्तरांचल ग्रामीण विकास समिति, जिला-चमौली, उत्तर प्रदेश
27.	संस्कार भारती, आगरा, उत्तर प्रदेश
28.	भूतपूर्व सैनिक संस्था, फोलाईनगर, उत्तर प्रदेश
29.	शिवानी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश
30.	सर्वांगीण महिला एवं युवा बाल विकास समिति, भादौली, उत्तर प्रदेश
31.	श्रीजन भारती, गांव-मालापुर, पी०ओ० कादीपुर, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
32.	त्रिवेनी यूथ क्लब, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
33.	अवध सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
34.	ग्राम विकास एवं सुरक्षा समिति, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश
	पश्चिम बंगाल
1.	आमबागान कर्मी संघ, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल
2.	काडलागोरा खेरोकल गान्टा, जिला-पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
3.	ठण्डियन माईम थियेटर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
4.	बरूईपुर भारत शैली जनकल्याण समिति, साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल
5.	जिरकपुर सिस्टर निवेदिता सेना मिशन, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल
6.	बाडकुला सुना सिल्क खादी समिति, नादवी, पश्चिम बंगाल
7.	तरूण संघ, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
8.	आर०के० मिशन विद्यामन्दिर, नेलुर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
9.	नन्दीकर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

1	2
	नार्थ ईस्ट स्टेटस
	आसाम
1.	ग्राम विकास परिषद, वि० रंगालू, पो०आ० जुमारपुर, जिला-नौगांव, आसाम
2.	खोराबाई, दारंग, आसाम
3.	खारक्वापथा सनमिलिता युवक समाज, लखीमपुर, आसाम
4.	बलीसत्रा आंचलिक स्पोटर्स एसोसिएशन, कामरूप, आसाम
5.	बिजोय लक्ष्मी युवक संघ, कामरूप, आसाम
6.	इतिहाद, नागांव, आसाम
7.	बरचला ग्राम्या सहकारिता समिति, मोरीगांव, आसाम
8.	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नगांव, आसाम
9.	तिनसुकिया न्यू स्टार क्लब, जिला-नागांव, आसाम
10.	सदन आसोम ग्राम्या पुथीभरल संस्था, नागांव, आसाम
11.	महेरीपुर आदर्श समाज कल्याण समिति, आसाम
	मणिपुर
1.	वालन्टरी एक्शन सोसायटी, मणिपुर
2.	हाईलैण्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, सारतन हिल्स, मणिपुर
3.	एनवायरमेण्ट एण्ड इकनॉमिक मैनेजमेण्ट एसोसिएशन, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर
4.	भारत सेवक समाज, मणिपुर
	नागालैण्ड
1.	सेसीकू, फेक, नागालैण्ड
2.	किरहा स्टुडेण्ट यूनियन, कोहिमा, नागालैण्ड
3.	टीसामु मल्टीपरपज को-आप्रेशन सोसायटी, दीमापुर, नागालैण्ड
4.	एजेमाईन लांगखुम विलेज, जिला-मोकोकेहुरी, जिला-नागालैण्ड
5.	नागालैण्ड वोमेन एसोसिएशन, दीमापुर, नागालैण्ड
6.	टेरटीयूमेके वूमन सोसायटी, नागालैण्ड

1	2
7.	केझा वेल्फेयर डेवेलपमेण्ट सोसायटी, कोहिमा, नागालैण्ड
8.	आर्ट एण्ड टैक्सटाईल म्यूजियम सोसायटी, दीमापुर, नागालैण्ड
	सिक्किम
1.	आरीगांव समाज सुधार मण्डली, प० सिक्किम, सिक्किम
2.	नारी कल्याण संस्थान, छुबा लोअरिंग पेस्चींग, सिक्किम
	त्रिपुरा
1.	विलेन डेवेलपमेण्ट टीम, पीओ-सेकेरकोटे, पीएस-अमताली, झातीलेटा, चौमुहानी बाजार, पं० त्रिपुरा

2003-2004

क्रमांक	संस्था का नाम व पता
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	दी प्रेसीडेण्ट सुबोधया युवाजना संघम, गांव, बानजोर नगर कॉलोनी, प्लाट नं० 34, कुरनूल
2.	दी प्रेसीडेण्ट चन्द्रा कला महिला मण्डली, नं० 12, भास्कर नगर, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश
3.	दी सेक्रेटरी प्रियदर्शनी महिला मण्डली, हैदराबाद, 8-1-2006/ए, मिलारदेवपल्ली, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश-500005
4.	दी प्रेसीडेण्ट श्री साई सोसल आर्गेनाइजेशन, डी० नं० 7-6-888/2, फर्स्ट लैन, संजीवा नगर, जिला-गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश
5.	दी जनरल सेक्रेटरी, इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन स्टडी, 2-2-4/1, अरबिन्दो मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500044
	बिहार
1.	दी प्रेसीडेण्ट, भारतीय कला निकेतन, एम०ओ०-स्टेडियम रोड, नवादा, बिहार
2.	दी सेक्रेटरी, समाज सेवा प्रांगण, एट एण्ड पी०ओ०-रानी, वाया-बछवारा, जिला-बेगूसराय
3.	दी सेक्रेटरी, ग्रामीण समग्र विकास परिषद, गांव व पो०आ० शिवीपत्ती, पी०एस० एण्ड तह० राजनगर, जिला-मधुबनी, बिहार

1	2
4.	दी सेक्रेटरी, नारी उत्थान केन्द्र, सैदपुर, दीगवारा, सारन, छपरा, बिहार
5.	दी सेक्रेटरी, सीमान्त गांधी अल्पसंख्यक विकास समिति, हाउस ऑफ आर०डी० सिंह, गांव व पो० गारा, वाया-संभारा, जिला-वैशाली, बिहार
6.	दी सेक्रेटरी, समग्र मानव सेवा समिति, एट-भालनाना, पी०ओ०-चन्दू, पी०एस०-चारपोखरी, भोजपुर, बिहार
7.	दी सेक्रेटरी, अखिल लोक विकास संस्थान, गांव व पो०आ० जेओहिली, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार
8.	दी सेक्रेटरी, शान्तिदूत, उदन्तपुरी, नालन्दा, बिहार
9.	दी सेक्रेटरी, स्वामी विवेकानन्द अनन्त सुरक्षा आश्रम, कांटा पार, मुरारपुर, नालंदम, बिहार-803101
10.	दी प्रेसीडेण्ट, हेडगेवार समाजोत्थान एण्ड कल्याण समिति, पारसन्दो, हवेली, खडगपुर, मुंगेर, बिहार-811213
11.	दी प्रेसीडेण्ट? सावित्री बाल विकास केन्द्र, गांव-काटारू, पीओ-छेप, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार-843107
	छत्तीसगढ़
1.	दी सेक्रेटरी, रामाकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़-494661
	दिल्ली
1.	दी सेक्रेटरी, आल इण्डिया सेण्टर फार अर्बन एण्ड रूरल डेवेलपमेण्ट, 16 भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली
2.	दी प्रेसीडेण्ट, सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, 365/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली
3.	दी सेक्रेटरी, श्री संतोष महिला एवं बाल कल्याण समिति, 116 कोटला, मयूर विहार, दिल्ली-110091
4.	दी सेक्रेटरी, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110055
5.	दी मेम्बर सेक्रेटरी, इण्डिया इण्टरनेशनल रूरल कल्चरल सेण्टर, 7 नेल्सन मण्डेला रोड, सी-1, वसंत कुंज, दिल्ली
6.	दी सेक्रेटरी जनरल, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, ए०आई०यू० हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली

1	2
7.	दी डायरेक्टर, नेशनल बूथ प्रोजेक्टर, 221 डी०डी० उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
8.	दी मेम्बर सेक्रेटरी, इण्डिया इण्टरनेशनल रूरल कल्चरल सेण्टर, 7 नेल्सन मण्डेला रोड, सी-1, वसंत कुंज, दिल्ली
9.	दी प्रेसीडेण्ट, महिलायें प्रगति की ओर, 5-1/77, ओल्ड महावीर नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली
10.	दी सेक्रेटरी, वसुन्धरा, 118-बी, स्ट्रीट नं० 6, ईस्ट बाग, सराय रोहिला, दिल्ली
11.	दी कन्वेनर, श्री अरबिन्दो एजूकेशन सोसायटी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली
12.	दी जनरल सेक्रेटरी, ग्रामीण स्वाभिमान, एट-कादीपुर, पी०ओ०-अलीपुर, दिल्ली
13.	दी चेयरपर्सन, आल इण्डिया वूमेन्स वेल्फेयर एसोसिएशन, सी-4-ई/301, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
14.	दी सेक्रेटरी, सर्वेन्टस ऑफ पीपुल्स सोसायटी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024
15.	दी जनरल सेक्रेटरी, सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्था, 363/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063
	दी जनरल सेक्रेटरी, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, ए०आई०यू० हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
16.	दी चेयरमैन, आल इण्डिया वूमेन्स वेल्फेयर एसोसिएशन, सी-4-ई/301 जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
17.	दी सेक्रेटरी, सर्वेन्टस ऑफ पीपुल सोसायटी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024
18.	दी सेक्रेटरी जनरल, आल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, 6 भगवानदास रोड, नई दिलली-110001
19	दी सेक्रेटरी, भारत कल्याण प्रतिष्ठान, संकट मोचन हनुमान मन्दिर, आर०के० पुरम, सेक्टर-6, नई दिल्ली-110062
20.	दी प्रेसीडेण्ट, वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, टी-19, बाबा फरीद पुरी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
21.	दी डायरेक्टर, भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स, नेशनल हैडक्वार्टर, 16 महात्मा गांधी मार्ग, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली-2

1	2
22.	दी डायरेक्टर, भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स, नेशनल हैडक्वार्टर, 16 महात्मा गांधी मार्ग, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली-2
	गुजरात
1.	दी प्रेसीडेण्ट, श्री एक्सीलेण्ट युवक मण्डल, सोसीया, ओपो० प्लाट नं० 162, सोसीयाशिप ब्रेकिंग यार्ड, तह० तालाजा, जिला-भावनगर, गुजरात-364120
	हरियाणा
1.	दी सेक्रेटरी, हंस खादी ग्रामोद्योग समिति, कोठी नं० 280, सेक्टर-8, यू०ई० करनाल, हरियाणा
2.	दी प्रेसीडेण्ट, राष्ट्रीय विकास युवती मण्डल, टक्कर चौक, मेन बाजार, घरौंदा, करनाल, हरियाणा
3.	दी सेक्रेटरी, लोक कल्याण फाउण्डेशन, बल्यू जे रोड, समालखा, पानीपत, हरियाणा
4.	दी सेक्रेटरी, आल इण्डिया यूथ वेलफेयर सोसायटी, हाउस नं० 422, वार्ड नं० 15, शिव कालोनी, सफीदों, जिला-जीन्द, हरियाणा
5.	दी सेक्रेटरी, अखिल भारतीय नव युवक कला संघ, 94/22, लक्ष्मीनगर, रोहतक, हरियाणा
6.	दी सेक्रेटरी, खेल युवा संगठन, कांडेला, जीन्द, हरियाणा-126102
7.	दी प्रेसीडेण्ट, सोसायटी फॉर अवेयरनेस वेलफेयर एजूकेशन एण्ड रूरल एडवांसमेण्ट, जीन्द, हरियाणा-126112
8.	दी प्रेसीडेण्ट, हरियाणा युवा शक्ति, महम, 41/1, सैनिक कालोनी, नियर हिसार रोड, रोहतक, हरियाणा
9.	दी प्रेसीडेण्ट, राय साहिब पं० बसंत लाल एजूकेशनल सोसायटी, जिला-जफर सिलानी गेट, हरियाणा
	जम्मू एवं कश्मीर
1	चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पाटनीटॉप डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, पी०डी०ए०, आई०आई०क्यू०, के०यू०डी०, जिला-उधमपुर, जम्मू एवं कश्मीर-182142
2.	चेयरमेन, साईनिंग स्टार बॉर्डर एरिया स्पोर्टस एण्ड यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, द्रास, कारगिल, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर

1	2
	झारखण्ड
1.	दी सेक्रेटरी, महिला कल्याण समिति, धोरी, जिला-बोकारो, झारखण्ड
2.	दी सेक्रेटरी, ग्रामीण कल्याण समिति, नेताजी सुभाष कालोनी, नियर सेंट जोसेफ एकेडमी, साहिबगंज, झारखण्ड
3.	दी सेक्रेटरी, युवा कल्याण विकास केन्द्र, जोधाधी मोड़, चास, बोकारो, स्टील सिटी, झारखण्ड
4.	दी सेक्रेटरी, भारतीय ग्रामोत्थान एवं ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, शांगी, रोवां, धनबाद, झारखण्ड
5.	दी सेक्रेटरी, बुधा प्रज्ञा मण्डल, एट एण्ड पी०ओ०-महेशपुर, पाकुर, झारखण्ड
6.	दी सेक्रेटरी, महिला आश्रम विकास संस्था, सरकुलर रोड, देओघर, झारखण्ड
	कर्नाटक
1.	दी प्रेसीडेण्ट, रॉयल एजूकेशनल सोसल टैक्नीकल कल्चरल आर्गेनाइजेशन, 834, 15 मेन, 3 ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगकॉक, कर्नाटक-600010
2.	दी प्रेसीडेण्ट, प्रगति रूरल डेवेलपमेण्ट सोसायटी द्वारा श्री लक्ष्मी नारायानप्पा-एच, पेलेंगरी, थिरूवल्ली कैम्प, शिमोगा, कर्नाटक
	मध्य प्रदेश
1.	दी सेक्रेटरी, दर्पण कला साहित्य क्रीडा एवं महिला बाल युवा समिति, एवपी० 30, चंबल कालोनी, मुरैना, एमपी-476001
2.	दी सेक्रेटरी, सरोजनी एजूकेशन सोसायटी, 53 रवि शंकर वार्ड, बड़ा बाजार, जिला-सागर, मध्य प्रदेश-470072
3.	दी प्रेसीडेण्ट, यूथ वेलफेयर ऑफ इण्डिया सोसायटी, 95 ए/9, तुलसी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462003
4.	दी सेक्रेटरी, हैबन्ती बाई महिला मण्डल, 12/16 पुलिस लाईन, लक्ष्मण तालिया, गणेश पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
5.	द सेक्रेटरी, परशुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, हस्तिनापुर, मुरार, ग्वालियर मध्य प्रदेश
6.	द सेक्रेटरी, परशुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, हस्तिनापुर, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

1	2
7.	द सेक्रेटरी, न्यू कृष्णा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, नियर कोठी नं० 28, माधोनगर फतेहपुर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश
8.	द प्रेसीडेंट, मनोरमा स्वास्थ्य शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक समिति, एम०आई०जी० 29/8 गीतांजली कॉम्पलेक्स, टी०टी० नगर जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
9.	द सेक्रेटरी, श्री राममस्वरूप सिंह, शिक्षा प्रसार समिति, मकान नं० 45, विलेज एण्ड पोस्ट-नुहाद गुरमी, तह महगांव, भिण्ड, मध्य प्रदेश-477 660
	उड़ीसा
1.	सचिव, आदिवासी एकिकृत मास सामाजिक एजेन्सी, पी०ओ० फलबनी कन्धामल, उड़ीसा-762001
2.	निदेशक, सुपुत्र, द्वारा पी०ओ० अन्लो, वाया-बरोई, जिला-कटक द-754010
3.	सचिव, रत्नाकर, रूरल एण्ड अर्बन विकास इंस्टीट्यूशन, पी०ओ० एण्ड पी०सी०-गोडिया, ग्राम-कबरा, जिला-ढेंकनाल, उड़ीसा
4.	सचिव, अहिंसा (आदिवासी हरिजन इंस्टीट्यूट एण्ड नेशनल सोशल एकशन) कपिलास ब्लॉक रोड, कोकिडा, गोडिया, रायताला ढेंकनाल, उड़ीसा
5.	निदेशक, नेचुरल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर द्वारा, न्यू जमूपोसी, पी०ओ०-सुकिंदा, जिला-जाजपुर, उड़ीसा
6.	सचिव, एकिकृत महिला एवं बाल विकास केन्द्र बनार्सिंग, गोडिया, सदर धीनकानलं, उड़ीसा-759014
7.	कार्यकारी निदेशक, सेटर फॉर रूरल एकिकृत एण्ड सोशल सोलिडिट्री, ग्राम-अदसपुर कटक, उड़ीसा-754011
8.	सचिव, नेशनल यूथ इंटरग्रिटेड सेंटर, बी०एन० दास सोना बिल्डिंग, 1 फ्लोर, बिहाईड, म्युनिसीपेलिटी मार्किट, पुरी, उड़ीसा-752001
9.	द चेयरमैन, वालियन्ट्री ऑर्गेनाईजेशन फॉर रूरल एण्ड सोशल वेलफेयर (बी०ओ०आर०एस०डब्ल्यू०), पी०ओ० मगराजपुर वाया-बटटीपाडा, जिला ढेंकनाल, उड़ीसा
10.	द डायरेकटर ट्रायबल एज्यूकेशन एण्ड रूरल ओरफन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, विलेज-चिरकुली, पी०एस० गोडिया, ढेंकनाल, उड़ीसा

1	2
	पंजाब
1.	द प्रेसीडेंट प्राग्रेसिव यूथ फॉरम, बी०पी०ओ०-धागा, तहसील-सामारा, जिला-पटियाला, पंजाब
2.	द सेक्रेटरी, यूथ फाउंडेशन, 388, 2 फ्लोर जैल सिंह नगर, रूप नगर, पंजाब
	राजस्थान
1.	द सेक्रेटरी, क्रिएटिव डेवलपमेंट एक्शन सोसायटी, जयपुर, राजस्थान
2.	द प्रेसीडेंट, भारतीय शिक्षा शोध एवं निर्देशन संस्था, 52/529, प्रताप नगर, सानानेर, जयपुर, राजस्थान
3.	द सेक्रेटरी, रॉयल स्पोर्टस सोसायटी, मोरी चार बाग, भरतपुर राजस्थान-321001
4.	द सेक्रेटरी, नवोदय बाल विद्यालय समिती, आई-जी-4, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटला, राजस्थान-324009
5.	द सेक्रेटरी, मदर इंडिया शिक्षा समिति, 25 ए, गायत्री नगर, सोदाला, जयपुर, राजस्थान-302006
6.	द प्रेसीडेंट, सरदार पटेल युवा ग्रामीण विकास संस्थान, बी०पी० खुरीकलां, जिला-दौसा, राजस्थान
	तमिलनाडु
1.	द मैनेजिंग ट्रस्टी, सेवा ट्रस्ट, पोस्ट-वनावनकुड्डी, वाया-अरीमालम् जिला-पुदुकोट्टाई, तमिलनाडु-622 205
2.	द एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गांधी दर्शन केन्द्र, 1, 5 क्रॉस स्ट्रीट, सरवामंगला नगर, चेन्नई-600 064
	उत्तर प्रदेश
1.	द सेक्रेटरी, जनता कल्याण संस्थान, 54, सराईजीवा, निकट पुलिस स्टेशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2.	द सेक्रेटरी, भारतीय जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, विलेज-भरगडियापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
3.	द सेक्रेटरी, सर्वहित ग्राम सुधार समिति, हाथरस, उत्तर प्रदेश
4.	द सेक्रेटरी, नारायण शिक्षा प्रसार भारती, बिलारियागंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

1	2
5.	द सेक्रेटरी, अग्रवाल खादी ग्रामोद्योग संस्था, विलेज-मूंदा, सुलतानपुर, पोस्ट-सहासपुर, ठाकुरद्वारा, (मुरादाबाद), उत्तर प्रदेश
6.	द सेक्रेटरी, बैरागी शिक्षा संस्थान, श्री 1/121-1 नारायणपुर, श्योपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
7.	द सेक्रेटरी, प्रयास भारती विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, 121, एच०आई०जी०, निती खण्ड-III इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
8.	द सेक्रेटरी, प्रताप सेवा समिति, 1529, शास्त्री नगर, जिला-सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
9.	द सेक्रेटरी, हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसायटी, विलेज एण्ड पी०ओ०-गालामी, तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	द प्रेसीडेंट, लालजी ग्रामोद्योग सेवा समिति, (वासुदेव रोड) अलीजन मंजिल, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश
11.	द सेक्रेटरी, वूमनस केरियर इंस्टीट्यूट, एच० नं० 303, पुलिया, एटा, उत्तर प्रदेश
12.	द सेक्रेटरी, ब्रज लोक संस्थान, 302, गुरूकुल रोड, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश
13.	द सेक्रेटरी, केशव ग्रामोद्योग विकास समिति, के-970, संजय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
14.	द प्रेसीडेंट, भारतीय जन कल्याण संस्थान, आज़ादपुरा, वी०जे०आई०, कॉलेज रोड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
15.	द सेक्रेटरी, अंकुर संस्थान, शाहवाबाद, जगतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
16.	द सेक्रेटरी, युवा लोक कल्याण समिति, विलेज एण्ड पी०ओ०-अमापुर, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश
17.	द प्रेसीडेंट, भारती ग्रामोत्थान सामाजिक विकास संस्थान, एकता नगर (प्रकाश नगर), नियर रामलीला ग्राऊंड, लेन पार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
18.	द प्रेसीडेंट, नव जागृती सेवा संस्थान, 1/116, राधा नगर, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
19.	द प्रेसीडेंट, प्यारे लाल सेवा संस्थान, विलेज एन०गोल, पी०ओ०-बरहान, तहसील एण्ड पी०एस०-एतमादपुर, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश

1	2
	पश्चिमी बंगाल
1.	द प्रिंसीपल, हिमालयन माऊंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल
2.	द प्रिंसीपल, रामकृष्णा मिशन विद्यामंदिर बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल
3.	द जनरल सेक्रेटरी, परूल शरत ग्राम विकास समिति, विलेज-परूला, पी०ओ०-हाती, पी०एस० एण्ड ब्लॉक-परशुरह्म, जिला-हुगली, पश्चिमी बंगाल
4.	द जनरल सेक्रेटरी, जीराकपुर सिस्टर नवोदिता, सेवा मिशन, विलेज-जीराकपुर पी०ओ०-बार्सिहट रेलवे स्टेशन, जिला-24-परगना (उत्तरी) पश्चिमी बंगाल-743 414
5.	द सेक्रेटरी, कुलतीकारी मदर टेरेसा सोशल वेलफेयर सोसायटी, प्लॉट नं० 610, विलेज एण्ड पी०ओ०-कुलतीकारी, श्यामपुर, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल
6.	द सेक्रेटरी, बरूईपुर भरत शैली जन कल्याण समिति, विलेज-दत्तापारा, पी०ओ० एण्ड पी०एस० बैराईपुर, साऊथ 24 परगना, पश्चिमी बंगाल
7.	द डायरेक्टर नंदीकर 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700 004
8.	द सेक्रेटरी, श्री अरविंदो अनुशीलन सोसायटी, ब्लाक्स नं०-X पी०ओ०-सुरी, बीरभूम
9.	द जनरल सेक्रेटरी, काईकाला रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, विलेज-काईकाला, जिला-हुगली, पश्चिमी बंगाल
	यूनियन टेरिटरी
	दादरा एण्ड नगर हवेली
1.	द सेक्रेटरी, सेंटर फॉर ट्राईबल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, टाईप-IV, क्वार्टर नं० 25, वहाईन्ड पावर ब्लाक्स, झण्डा चौक, सिलवासा, दादर एण्ड नगर हवेली-396 230
	नॉर्थ ईस्ट इस्टेट, आसाम
1.	द जनरल सेक्रेटरी, ग्राम विकास परिषद, विलेज रंगालू, पी०ओ०-जुमारमुर, जिला-नौगांव, आसाम

1	2
	मणिपुर
1.	द जनरल सेक्रेटरी, कॉऊंसिल, ऑफ यूथ डेवलपमेंट एण्ड कॉपरेशन, कैबी, एस०पी०ओ० लामलॉग, इम्फाल, मणिपुर-795 010
2.	द सेक्रेटरी, यूनाईटेड, रूरल डेवलपमेंट सर्विस, पी०ओ० वॉनजिग, एच०ओ० हीरोक-हीतुप्पोकपी, थोबॉल, जिला-मणिपुर
3.	द सेक्रेटरी, चिन्गामथक नामीराकपम माखा लेकई डेवलपमेंट सेंटर रोड, इम्फाल, मणिपुर-795 001
4.	द सेक्रेटरी, नेशनल एसोसिएशन आफ फिशरमैन, मणिपुर स्टेट यूनिट, असेम्बली रोड, इम्फाल-795 001
5.	द सेक्रेटरी, इंटरग्रिटेड रूरल डेवलपमेंट एजेन्सी, हनगुल, बी०पी०ओ०-संथेल, पी०ओ० एण्ड पी०एस० – मयंका, इम्फाल
6.	द सेक्रेटरी, ऑल इंडिया वूमेन्स कॉनफ्रेंस मणिपुर स्टेट ब्रांच, सागोलबैंड, नेपारा मेजर लेकई, इम्फाल
	सिक्किम
1.	द प्रेसीडेंट, संगम क्लब, अपर पोलक, साऊथ सिक्किम-737 126
2.	द प्रेसीडेंट, नारी कल्याण संस्था, चूबा प्रेबिंग, नामची, साऊथ सिक्किम-737 126
3.	द प्रेसीडेंट, गांरलू समाज (क्लब) पुरानो नामची, साऊथ सिक्किम-737 120
	त्रिपुरा
1.	द सेक्रेटरी, विलेज डेवलपमेंट टीम, पी०ओ० सेकरकोटे, पी०एस० एमताली ह्रातीलेटा, वाऊमुह्नी बाजार, पश्चिमी त्रिपुरा-799 130

2004-2005

क्रमांक	संस्था का नाम व पता
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किरकाटपल्ली, हैदराबाद

1	2
	बिहार
1.	आदिवासी महिला कल्याण समिति, मुंगेर, बिहार
2.	प्रभात किरन विकास संस्थान, मुज्जफ्फरपुर, बिहार
3.	बाबा चुहारमणि स्मारक समिति, पटना, बिहार
4.	नवोदय ग्राम, विलेज-तुरानी, पुर्णिया, बिहार
5.	सिद्धार्थ ग्राम केन्द्र कुसिया, समस्तीपुर, बिहार
6.	वेलफेयर इंडिया, कटिहार, बिहार
7.	महिला ज्योति केन्द्र मो०-अमरूद्री गेट, पटना, बिहार
	छत्तीसगढ़
1.	छत्तीसगढ़, आदिवासी महिला उत्थान समिति, छत्तीसगढ़
2.	आर०के० मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़
	दिल्ली
1.	एसोसिएशन ऑफ इंडियन, यूनिवर्सिटी, (ए०आई०) ह्राऊस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
2.	नारी उत्थान समिति, कृष्णा गेट-5 दिल्ली
3.	ऑल इंडिया सरस्वती एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, बुद्ध बिहार, दिल्ली
4.	आर०के० मिशन, दिल्ली
5.	सर्वेंट आफ द पीपुल सोसायटी, नई दिल्ली
6.	राजयोगा एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, ई-38 ए, राजोरी गॉर्डन, नई दिल्ली
7.	इंडिया इंटरनेशनल रूरल कलचरल सेंटर 7, नेल्सन मंडेला रोड़, सी-1, वसंत कुंज, दिल्ली
8.	नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, 221, डी०डी० उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
9.	बालकन-जी-बारी इंटरनेशनल, ई-ए/109, इंदिरापुरी, नई दिल्ली
10.	मां शारदा अखिल भारतीय शक्ति समिति, बी-25, न्यू मॉर्डन शाहदरा, दिल्ली

1	2
11.	सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एण्ड कलचरल अमंगस्ट द यूथ 41/42, लखनऊ रोड, दिल्ली-110054
12.	ऑल इंडिया कोणर्क एण्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जी-21, विकास विहार, मानस कुंज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली
13.	बोसनोली सर्वोदया ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली
14.	सूर्या फाउंडेशन, बी-3/330, पश्चिमी विहार नई दिल्ली
15.	श्री अरविन्दो एण्यूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली
16.	तेलगु इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन, 18-सी, डी०आई०जेड० एरिया, सेक्टर-4, राजा बाजार, नई दिल्ली
17.	सेट श्रीनाथ मार्डन पब्लिक शिक्षा समिति, सुन्दर नगर, नंद नगरी, दिल्ली-1100 93
18.	जय प्रकाश शोध संस्थान, 5861, जवाहर नगर, दिल्ली-110 007

गुजरात

1.	ग्राम लक्ष्मी महिला मंडल, साबरकांथा, गुजरात
2.	नेहरू युवा क्लब, वडोदरा, गुजरात

हरियाणा

1.	मां विष्णु समाज कल्याण समिति, कुरूक्षेत्र, हरियाणा
2.	समता मंच, कैथल, हरियाणा
3.	सर्व हितकारी महिला एवं बाल कल्याण समिति कैथल, हरियाणा
4.	भारतीय ग्रामीण विकास समिति कुरूक्षेत्र, हरियाणा
5.	खेल युवा संस्थान केन्द्राला, जींद, हरियाणा
6.	इंडियन यूथ क्लब, जगदीश कालोनी, बल्लभगढ़, हरियाणा
7.	दुर्गा ग्रीनिंग एण्ड वेलफेयर सोसायटी, संजय कालोनी, पानीपत, हरियाणा
8.	ग्राम सुधार समिति, बुड़ाना, जीन्द, हरियाणा
9.	हरियाणा विकास संघ, वी०पी०ओ० कानाडा, तहसील-बहादुरगढ़, जिला-झज्जर, हरियाणा
10.	आई०एस० शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, रोहतक, हरियाणा
11.	समता मंच, फतेहपुर, पी०एस० एण्ड तहसील-पुडरी, कैथल, हरियाणा
12.	करम भूमि संस्थान, विलेज खेरी मारकंडा, कुरूक्षेत्र, हरियाणा

जम्मू एण्ड कश्मीर

1.	मॉर्डन कलचरल क्लब, जम्मू एण्ड कश्मीर

झारखण्ड

1.	हेल्प विहार, हनुमान टिकरी, झारखण्ड
2.	आदिवासी विकास समिति सिंहभूम, झारखण्ड
3.	विवेकानन्दा पर्यावरण एवं अरोग्या मिशन, झारखण्ड
4.	नव युवक कला मंच री रीहैबिलिटेशन साईट, झारखण्ड
5.	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण समिति, भिण्ड, झारखण्ड
6.	आर०के० मिशन आश्रम, विलेज एण्ड पी०ओ० मोराबडी, पी०एस० बारीअतु, रांची, झारखण्ड

कर्नाटक

1.	साधना रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, जिला-कोलार, कर्नाटक
2.	इंटरग्रिटेड डेवलपमेंट ट्रस्ट, मैसूर, कर्नाटक

मध्य प्रदेश

1.	लोकहित शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	प्रसेवा महिला मंडल, जबलपुर, मध्य प्रदेश
3.	राज भारती एण्यूकेशन सोसायटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश
4.	पं० एन०पी० शर्मा शिक्षा एण्ड सेवा समिति सिहोर, मध्य प्रदेश
5.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
6.	तरन महिला शिक्षण प्रशिक्षण तथा समाज कल्याण समिति, बजरंग कॉलोनी, रायसेन, मध्य प्रदेश
7.	द फिथ डिमेंशन एकेडमी, 25, शारदा सबसोनी कॉटेज, ऑपोजिट टू आकाशवाणी, बिझाईन्ड होटेल, सीता मेनन, गांधी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

1	2
8.	प्रियाशी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, आर्या नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश
9.	लक्ष्मी वैकेटेश जन कल्याण समिति, एच० नं०-153, रवि शंकर, वॉर्ड, तहसील-सागर, जिला-सागर, मध्य प्रदेश
10.	महिला जागृति कला मंच, सागर, मध्य प्रदेश
11.	परशुराम समाज कल्याण समिति, हस्तिनापुर, मुरार, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश
	उड़ीसा
1.	बासुदेब पटगर, वाया-नियाली, कटक, उड़ीसा
2.	गंगाधर युवक संघ, कालाहांडी, उड़ीसा
3.	द हेवन, कटक, उड़ीसा
4.	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, खुर्दा, उड़ीसा
5.	कुंड आदिवासी सेल्फ हेल्प सोसायटी (के०ए०एस०एस०) केन्द्रपाडा, उड़ीसा
6.	वर्ल्ड, जगन्नाथ रोड़, ढेंकनाल, उड़ीसा
7.	अवॉर्ड, खुर्दा, उड़ीसा
8.	थानापल्ली मिलित्रा जुवक संघ, बेथामारी, खुर्दा, उड़ीसा
9.	पीपुल्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एडवांसमेंट नेटवर्क, उड़ीसा
10.	नेताजी युवा परिषद, स्टेशन रोड़, ढेंकनाल, उड़ीसा
11.	उपकार विलेज एण्ड पी०ओ० बेहामपुर जिला-गंजम, उड़ीसा
12.	सूरज एकीकृत वालेन्टरी एजेन्सी (एस०आई०वी०ए०) आनन्दनगर, उड़ीसा
13.	नारी अभ्युदया संघ, प्लाट नं० 634, कबातबंधा, पी०एस० एण्ड तहसील-धरमशाला, जिला-जयपुर, उड़ीसा
14.	वालेन्टरी ऑर्गेनाईजेशन फॉर रूरल एण्ड सोशल वेलफेयर पी०ओ० मंगराजपुर, केन्द्रपाडा, उड़ीसा
	राजस्थान
1.	राजस्थान समाज कल्याण शिक्षा समिति, झुनंझुनू, राजस्थान
2.	बाल मंदिर समिति, हनुमानगढ़, राजस्थान

1	2
3.	कोटा शिक्षा संस्था, कोटा, राजस्थान
	तमिलनाडु
1.	विवेकानन्द रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
2.	गांधी दर्शन केन्द्र, चेन्नई, तमिलनाडु
	उत्तर प्रदेश
1.	अर्पित महिला और ग्रामीण विकास संस्था, कानपुर, उत्तर प्रदेश
2.	शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्था, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
3.	ग्रामीण विकास संस्था, मेरठ, उत्तर प्रदेश
4.	भारतीय जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्था, कानपुर, उत्तर प्रदेश
5.	श्री नागेश्वर्तन कल्याण समिति, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
6.	क्रेचिसन मिरर, नोएडा, उत्तर प्रदेश
7.	नेहरू युवा क्लब, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
8.	लोक कल्याण एवं ग्रामीण सांस्कृतिक उत्थान समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश
9.	ग्रामीण युवा कल्याण संस्थान, मुज्जफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
10.	समाज सेवा संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश
11.	युवा क्लब करहारी, मथुरा, उत्तर प्रदेश
12.	ग्राम्या एवं ग्रामीण विकास समिति, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
13.	शान महिला कल्याण समिति, रामपुर, उत्तर प्रदेश
14.	तिभुवन ग्रामोद्योग सेवा समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
15.	इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एकिकृत डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
16.	जनहित सेवा संस्थान, शक्ति पुरम कालोनी, रामपुर, उत्तर प्रदेश
17.	सासाहित ग्राम सुधार समिति, विलेज रापरी, पी०ओ० मिठाई, जिला-हाथरस उत्तर प्रदेश
18.	देवता खादी ग्रामोद्योग संस्थान, विलेज एण्ड पोस्ट-देवता, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
19.	विजय ग्राम्या विकास सेवा समिति, बस्ती, उत्तर प्रदेश

1	2
20.	आर०के० मिशन सेवाश्रम, मथुरा, उत्तर प्रदेश
21.	सर्वोदया सेवा संस्थान, विलेज-दुबकीकलां, पोस्ट-होडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
22.	पूर्वांचल मानव संस्थान ग्राम्या विकास सेवा संस्थान, वी एण्ड पी०ओ०-बेनबेना, वाया-फाज़िलनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश
23.	शिव ग्राम्या जनहितकारी एण्ड शिक्षा प्रसार समिति, 44, कृष्णापुरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश
24.	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्था, इटावा रोड़, तह०-बलोगांव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
25.	श्री कैला देवी शिक्षण समिति, 285, महावीर नगर, फिरोज़पुर, उत्तर प्रदेश
26.	पी०आई० ग्रामोद्योग सोसायटी, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
27.	पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी, 2, मुलतुरियाबर्न, विलेज-लोहार्गा, आगरा, उत्तर प्रदेश
28.	ज्योति सेवा संस्थान, विलेज-शोभापुर पी०ओ०-नवाबगंज, तरबगंज, जिला-गोण्डा, उत्तर प्रदेश
29.	भारतीय जनकल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, विलेज-बरगाडियापुर, जिला-कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश
30.	संदीप ग्रामोद्योग समिति, एच० नं० 356, मोह०-कतरा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
	पश्चिमी बंगाल
1.	मोलारपुर नई सेवा, जिला-बीरभूम, पश्चिमी बंगाल
2.	रूपहर युवा संघ, पी०ओ० रूपहर, पी०एस० रायगंज, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिमी बंगाल
3.	नंदीकर, 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल-04
4.	मदल, इंडियन ट्राबल आर्ट, एण्ड कलचरल सोसायटी, 79/4बी, एजेंसी बोस रोड़, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल
5.	इंस्टीट्यूट फॉर प्लानटेशन एग्रीकलचरल एण्ड रूरल वर्कर्स, चा स्मारिक भवन, जलपाईगुडी, पश्चिमी बंगाल
6.	नांदीकर 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल-04
7.	उदयरामपुर आजाद यूनाईटिड क्लब, जिला 24 परगना, पश्चिमी बंगाल

1	2
	यूनियन टेरिटेरी
	अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह
1.	आर०के० मिशन, 50 वी०एन० रोड, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह
	नॉर्थ ईस्ट इस्टेट
	आसाम
1.	ग्राम विकास परिषद, विलेज रंगलू, पी०ओ० जुमारमुर, जिला-नागांव, आसाम
2.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एण्ड मैनेजमेंट, वॉर्ड नं० 03, पी०ओ० देरगांव, जिला-गोलाघाट, आसाम
3.	रामपुर मानव कल्याण समिति, सालापाथर, पी०ओ० एण्ड पी०एस०-बाटोदर्बा, जिला-नागांव, आसाम
	मणिपुर
1.	रूरल सोशल एण्ड एज्यूकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थोबॉल, मणिपुर
2.	वूमनस इंकम जनरेशन सेंटर, थोबॉल, मणिपुर
3.	पीपुल्स सोशिओ-इकोनोमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, थेगेमीबैंड, लुअरंगोलुरेल, लेकई, इम्फाल (वेस्ट)
4.	सेंटर फॉर ऑर्गेनाईजिंग लेबर्स डेवलपमेंट, पी०ओ० एण्ड पी०एस० सिंगजामी, थॉंगजू बोराई, माकहोंग, इम्फाल, (ईस्ट)
5.	विधामथक नामिराक, माखा लईकी डेवलपमेंट सेंटर सिंगजामी रोड, इम्फाल
6.	द खुरी थोईदींगज़म लुईकी वुमनस वेलफेयर इम्फाल, मणिपुर
7.	अरूबा मंगल नागामापल सोरम लुईकी, इम्फाल
8.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टीविटी नीर इंडो मयंनमार रोड वानज़िंग मणिपुर
9.	द नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन असेम्बली रोड, इम्फाल, मणिपुर
10.	द भारत समाज सेवक, असेम्बली रोड, इम्फाल
11.	पीपुल्स डेवलपमेंट सोसायटी, वानज़िंग, होडम्बा, मायेन लुईकी, पी०ओ० वानज़िंग, थोबॉल, मणिपुर

1	2
12.	पीपुल्स फाऊंडेशन, कुम्बी बाजार वॉर्ड नं०-7, पी०ओ० मोरिंग, बीसनपुर, जिला-मणिपुर
	नागालैण्ड
1.	माऊंट कैटेल्या वूमन वेलफेगर सोसायटी, नागालैण्ड
2.	ट्रानगोपान क्लब, विश्वेमा, कोहिमा, नागालैण्ड
3.	ठराज़ो वेलफेयर सोसायटी, छोजुबा टाऊन, जिला-पेक, नागालैण्ड
4.	वाईस क्लब, योरूबा विलेज, जिला-पेक, नागालैण्ड
5.	ठतीबहु वेलफेयर सोसायटी, कोहिमा टाऊन, नागालैण्ड
6.	फुसाछेदु यूथ सोशल एण्ड कलचरल सोसायटी, एच० नं० 169, पी०ओ० एण्ड पी०एस० फुतेसेरो पेक, जिला-नागालैण्ड
7.	मोबाईल स्पोर्टिंग क्लब, चुकितोंग विलेज, जिला-पेक, नागालैण्ड
8.	कोझा बॉईस क्लब, बी०पी०ओ० खैज़हाकेनो विलेज, जिला-पेक, नागालैण्ड
9.	जोरलैम्प वूमन सोसायटी, तेनक ब्लॉक, मॉन टाऊन, जिला-मॉन, नागालैण्ड
10.	कम्यूनिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसायटी, श्धाई विलेज, जुमहीबोतो, नागालैण्ड
11.	चैरिटी वेलफेयर सोसायटी, बी०पी०ओ० खैजहाकेनो, पी०ओ० फुसेरो, जिला-पेक, नागालैण्ड
	त्रिपुरा
1.	विलेज डेवलपमेंट टीम, पी०ओ० सेकेरकोते, पी०एस० अमताली, हालिलिता, चौवमुहानी बाजार, वेस्ट त्रिपुरा

वित्त वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक साहसिक प्रोत्साहन योजना के अंतगत गैर सरकारी संस्थाओं को जारी की गई निधि के राज्यवार सूची

2002-2003

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता
1	2
	बिहार
1.	यूथ एडवेंचर सेंटर पटना, बिहार
	चण्डीगढ़
1.	नेशनल एडवेंचर क्लब, चण्डीगढ़
2.	यूथ एडवेंचर एण्ड माऊंटेनियरिंग, एसोसिएशन, चण्डीगढ़
	दिल्ली
1.	दिल्ली एडवेंचर स्पोर्टस एसोसिएशन, 1131-ए, जे०एन० स्टेडियम, नई दिल्ली
2.	रामजस स्पोर्टस एण्ड माऊंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, 36/17, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली
3.	श्री अरविन्दो एजूकेशन सोसायटी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
4.	नेशनल एडवेंचर फाऊंडेशन, गेट नं० 20, 3 फ्लोर, जे०एन० स्टेडियम, नई दिल्ली
5.	श्री तरूण के० रॉय, 35/ए, अनामिका गंगोत्री विहार डब्ल्यू घोण्डा, स्ट्रीट नं०-2, के बाग दिल्ली
6.	कु० बबीता कश्यप एण्ड पार्टी (इंडिविजल) 9/7505 स्ट्रीट नं० 4, अमर मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली
7.	कु० रचना थोमस, 9024, सैक्टर-सी, पॉकेट-9, वसंत कुंज, नई दिल्ली
8.	इंडियन माऊंटेनियरिंग फाऊंडेशयान, नई दिल्ली
9.	वेलफेयर एसोसिएशन डूडंलीहीन, नई दिल्ली
10.	बॉल इंडिया सरस्वती एजूकेशन वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली
11.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर रूरल एफीलीमेंट, नई दिल्ली
	गुजरात
1.	अरावली एडवेंचर एसोसिएशन, सबरकान्ता, गुजरात
	हरियाणा
1.	भारती ग्रामीण विकास समिति भगवान नगर कॉलोनी, पिपली, कुरूक्षेत्र, हरियाणा
2.	समता मंच, पो०ओ० फतेहपुर जिला-कैथल, हरियाणा
3.	ऑल इंडिया यूथ वेलफेयर सोसायटी, विलेज रामपुरा, तह० सैफीदौन, जिला-जीन्द, हरियाणा

1	2
4.	भारतीय युवा कल्याण समिति एस०सी०ओ०-2 कांची भवन, पनवेल, करनाल, हरियाणा
5.	मॉडर्न एजुकेशन सोसायटी, सोनीपत, हरियाणा
6.	नेशनल डेवलपमेंट सेन्टर, जीन्द, हरियाणा
7.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल, कैथल, हरियाणा
	हिमाचल प्रदेश
1.	डी०टी०ई० ऑफ माउन्टेनियरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्ट्स फुल कैम्पस मनाली, कुल्लू, एम०पी०
	जम्मू एवं कश्मीर
1.	सर सैय्यद मेमोरियल मुसिहिम इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जम्मू एवं कश्मीर
2.	मार्डन कल्चरल क्लब, राजौरी, जम्मू एवं कश्मीर
3.	विन्टर गेम्स ऐसोसियेशन, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
4.	जम्मू स्काई क्लब, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
	कर्नाटक
1.	कुर्ग एडवेंचर क्लब, कुर्ग, कर्नाटक
2.	श्री विवेकानन्द एजुकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, साइंन्स सोसायटी, तुमकूर, कर्नाटक
3.	ग्वान, एजुकेशन ट्रस्ट, बीदर, कर्नाटक
4.	कल्याणी रूरल डेवलपमेंट, साइंस सेन्टर, कोलार, कर्नाटक
	मध्य प्रदेश
1.	स्पंदन, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	दीप्ती प्रभा शिक्षा एवं जन कल्याण समिति भोपाल, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
1.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र
	उड़ीसा
1.	सुप्रतिवा, फ़कीरपाडा, बीरवती, जिला कटक, उड़ीसा

1	2
	पंजाब
1.	विशाल युवा शक्ति क्लब, गुरदासपुर, पंजाब
	राजस्थान
1.	श्री कृष्णा विकास संस्थान, अलवर, राजस्थान
2.	सरदार पटेल युवा खेलकूद विकास मंडल, दौसा, राजस्थान
3.	सरदार पटेल युवा विकास संस्थान, दौसा, राजस्थान
	तमिलनाडु
1.	गांधीग्राम रूरल इन्सटीट्यूट, डिंडीगुल, तमिलनाडु
	उत्तर प्रदेश
1.	श्री बालाजी ग्रामोद्योग संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश
	उत्तरांचल
1.	नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ़ माउन्टेनियरिंग, उत्तरकाशी, उत्तरांचल
2.	कुमाऊ एडवेंचर एंड एन्वायरमेंट फ़ेलोशिप, अल्मोडा, उत्तरांचल
	पश्चिम बंगाल
1.	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल
2.	सी एक्सपलोरस इन्सटीट्यूट, ओटराम घाट, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700 021
3.	हिमालयन माउन्टेनीयरिंग इन्स्टीट्यूट, दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल
4.	गिरीदूत, आन्नदा कॉटेज, बागबाजार, चान्दनगर, हुगली, पश्चिम बंगाल
	पूर्वोत्तर राज्य
	नागालैण्ड
1.	नागा कल्चरल सोसाइटी, कोहिमा, नागालैण्ड
	त्रिपुरा
1.	विलेज डेवलपमेंट टीम, पी०ओ० सैकरकोट, हीटीलेटा, चाउमुहानी बाजार, पश्चिमी त्रिपुरा

2003-2004

क्रमांक	संगठनों के नाम एवं पते
1	2
	दिल्ली
1.	निदेशक, इन्डियन माउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन, 6, जाठरेज रोड, नई दिल्ली
2.	सचिव, दिल्ली एडवेन्चर एसोसिएशन, 1132 ए गेट न० 27 ज०न० स्टेडियम, नई दिल्ली
3.	श्री तरूण के राय (नेता) 35/ए गली नं० 2 के ब्लॉक, अनामिका गंगोत्री विहार (प घोडा), दिल्ली 110052
4.	निदेशक, नेशनल एडवेन्चर फाउन्डेशन, गेट नं० 20 तृतीय तल ज०न० स्टेडियम, नई दिल्ली 110003
5.	अध्यक्ष, वेलूनिंग इन्डिया एसोसिएशन, सी 123 डिफैंस कॉलोनी, नई दिल्ली
6.	संयोजक श्री अरविन्दो एजुकेशन सोसाईटी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
7.	निदेशक, नेशनल एडवेन्चर फाउन्डेशन, गेट नं० 20 तृतीय तल ज०न० स्टेडियम, नई दिल्ली 110003
8.	सचिव, श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति 116, कोटला, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली 110091
9.	कुमारी बबीता कश्यप, (नेता) एण्ड पार्टी (व्यक्तिगत) ix/4678, लेन नं० 1 अजीत नगर दिल्ली 110031
10.	सचिव, अखिल भारतीय पूज्यनीय सुमित्रा माता जी ग्रामीण विकास संस्था, वी०पी०ओ० रिठाला, रोहिणी, दिल्ली
11.	अध्यक्ष, सर्व धर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, हरिजन बस्ती, जी ब्लॉक के पास कंझावाला रोड, मंगोल पुरी, कालन, दिल्ली 110085
12.	सचिव, ग्रामीण स्वाभिमान, वी०पी०ओ० ए-1, कादीपुर, अलीपुर, दिल्ली-1100036
13.	श्री कुलदीप मुदगल (नेता) ix/5529 ओल्ड सीलमपुर, दिल्ली 110014
14.	कार्यक्रम अधिकारी, रा०से०यो०, आदिती महाविद्यालय बवाना, दिल्ली

1	2
15.	श्री कुलदीप मुदगल (नेता) ix/5529 ओल्ड सीलमपुर, गांधीनगर, दिल्ली-110014
	हरियाणा
1.	अध्यक्ष, भारतीय युवा कल्याण समिति, एस०सी०ओ०-2, कंच भवन, करनाल रोड, जिला करनाल, हरियाणा
2.	अध्यक्ष ग्रामीण युवा विकास मण्डल, गांव कलाल माजरा, थंसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136131
3.	अध्यक्ष, सोसायटी फॉर अवेयरनेस, वेलफेयर, एजुकेशन एण्ड रुरल एडवांसमेन्ट, घिमरान कॉलोनी, वार्ड नं०, झजिया वाला कूआँ, साफी डॉन सीटी, हरियाणा-126112
4.	अध्यक्ष, सेन्टर फॉर एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, 665/20 प्रेम नगर रोहतक हरियाणा
5.	अध्यक्ष, हरियाणा युवा शक्ति 41/1 सैनिक कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा
6.	अध्यक्ष, ग्रामीण विकास समिति, मोती आटा चक्की के पास, पिपली, भगवान नगर कॉलोनी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136131
7.	निदेशक, डी०टी०ई० ऑफ माउन्टेनियरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्ट्स, मनाली, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश-175131
8.	अध्यक्ष, हंस खादी ग्राम उद्योग समिति, करनाल, मकान नं० 280, सेक्टर 8, अरबन एस्टेट, करनाल, हरियाणा-132001
9.	सचिव, दीपिका रुरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, वी०पी०ओ० लसरोन, तहसील बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा
	जम्मू एवं कश्मीर
1.	महासचिव, मॉर्डन कल्चर क्लब, वार्ड नं० 2 राजौरी जम्मू एवं कश्मीर
2.	महासचिव, विन्टर गेम ऐसोसियेशन, 87 गली कालीजाम, पक्का दंगा, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
3.	अध्यक्ष, जम्मू स्काई क्लब, गली कालीजाम, पक्का दंगा, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180001
4.	महासचिव, शीतकालीन खेल संघ, 78 गली कालीजंग, पक्काडांगा, जम्मू एवं कश्मीर-180001
5.	अध्यक्ष, हिमालयन वॉयरस, वार्ड नं० राजौरी, जम्मू कश्मीर-185131

1	2
	राजस्थान
1.	अध्यक्ष, कमल निशिधा संस्थान, धोली मण्डी, चौमूं, जयपुर, राजस्थान
2.	अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा, शोध एवं निर्देशन संस्थान, 52/529 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
	उत्तर प्रदेश
1.	महानिदेशक, महर्षि शिक्षा संस्थान, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304
2.	अध्यक्ष, सोशल एक्शन फॉर यूथ अवेयरनेस, सड़क, दुधली, देहरादून रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001
3.	श्री देवेन्द्र (नेता) एण्ड पार्टी (व्यक्तिगत), 82 जसवन्तपुरी, सावंत रोड, मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश
4.	सचिव ग्रामीण विकास संस्था, गांव एवं पोस्ट मुरलीपुर, फूल, पी०एस० मुज्जली, तहसील/जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश
5.	सचिव, प्रयास भारतीय, विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, 121 एच०आई०जी० डूप्लेक्स, नीति खण्ड-III, इन्दिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
6.	सचिव, अम्बेडकर शिक्षा, प्रचार प्रसार समिति, राजा याकूबपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
7.	सचिव, दलित महिला एवं बाल विकास सोसायटी, डी० ब्लाक गोविन्द नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
	पश्चिम बंगाल
1.	प्रिंसिपल, हिमालयन माउन्टेनियरिंग इन्स्टीट्यूट, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
2.	महासचिव, सी० एक्स प्लोरर्स, इन्स्टीट्यूट, आउट रेम घाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
3.	सचिव, पालसा पाली उन्नयन समिति, गांव पालसा, पो० गोरारा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल-742184
4.	महासचिव, सी० एक्स प्लोरर्स, इन्स्टीट्यूट, आउट रेम घाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700021

1	2
	संघ शासित प्रदेश
	चण्डीगढ़
1.	अवैतनिक महासचिव, नेशनल एडवेंचर क्लब, कमरा नं० 17, प्रथम तल, करुणा सदन, सेक्टर 11, चण्डीगढ़
2.	महासचिव, नेशनल एडवेंचर क्लब, कमरा नं० 13, द्वितीय तल, करुणा सदन, सेक्टर 11, चण्डीगढ़
	पूर्वोत्तर राज्य
	अरुणाचल प्रदेश
1.	वार्डन, यूथ होस्टल, नहरालागन, जिला पापुम पेरे, अरुणाचल प्रदेश-791110
	त्रिपुरा
1.	सचिव, गांव डेवलपमेंट टीम, पो० सेकेरकोटे, बिद्योमुआनी बाजार, पश्चिम त्रिपुरा 799130

2004-2005

क्रमांक	संस्था का नाम और पता
1	2
	दिल्ली
1.	सूर्या फाउण्डेशन, बी० 3/330, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली
2.	आई०डी० रिसर्च सेन्टर, दिल्ली
3.	आदिती महाविद्यालय, एन०एस०एस० भवन, नई दिल्ली
4.	श्री तरुण कुमार राय (लीडर) और पार्टी, 35/ए, अनामिका, के० ब्लाक, स्ट्रीट न० 2, गंगोत्री बिहार, दिल्ली
5.	वेलफेयर एसोसिएशन फोर डाऊनट्रेडन 60 जंगपुरा, नई दिल्ली
6.	बेलूनिंग इन्डियन एसोसिएशन सी० 123 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली
7.	बिसनौली, सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली
8.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, हरीजन बस्ती नियर जी० ब्लाक कंझावला रोड, मंगोलपुर कालान, दिल्ली

1	2
9.	संतोष महिला एवं बाल कल्याण समिति 116 कोटला, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली
10.	श्री अरविन्दो एजूकेशन सोसायटी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
11.	इन्डियन एसोसिएशन रूरल डवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर आर०जेड० 239/जी० (डी०240) राजनगर पार्ट-2, पालम कालोनी, नई दिल्ली
12.	नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन गेट नं० 20 तीसरी मन्जिल, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
13.	दिल्ली एडवेंचर स्पोर्टस एसोसिएशन 1131ए, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
14.	इन्डियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन 6 विन्तो जुरेज रोड, नई दिल्ली
15.	आल इन्डिया सोसायटी फोर रूरल अपलिफ्टमेन्ट डी 134, नसिरपुर, कालोनी, नई दिल्ली
16.	रामजस स्पोर्टस एण्ड माउटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, 36/17 वेस्ट पटेलनगर, नई दिल्ली
17.	इन्डियन एडवेन्चर एण्ड माउन्टेनियरिंग एसोसिएशन डी० 11/319 विनय मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
18.	श्रीमती बबिता कश्यप और पार्टी (व्यक्तिगत), 9/7505, स्ट्रीट नं० 4, अमर मोहल्ला, गांधीनगर, नई दिल्ली
19.	कम्यूनिटी वेलफेयर संस्थान, ए० 65, वन्टी भवन, गोकुलपुरी, दिल्ली
20.	नॉर्थ दिल्ली यूथ क्लब, मकान न० 86, विलेज-कौशिक न० 1, पी०ओ० कादीपुर, दिल्ली
21.	संत संनाथ मोडर्न पब्लिक स्कूल, शिक्षा समिति, बी०-5/1, सुन्दर नगरी, दिल्ली

गुजरात

1.	श्री एक्सीलेन्ट युवक मण्डल, भावनगर, गुजरात
2.	नेहरु युवा क्लब, तीसरी मन्जिल, दार-इ- अम्मा फलैट्स, मेहतावादी नाका, मेन रोड. नगरवादा, बडोदरा

हरियाणा

1.	रूरल एजुकेशन एण्ड डवलपमेंट समिति विलेज पी०ओ० सिवान जिला, झज्झर, हरियाणा
2.	इन्डियन कल्चर एण्ड सोसल एजुकेशन सोसायटी, रिवाड़ी, हरियाणा
3.	युवा परिषद झंझकालान, जींद, हरियाणा
4.	आल इन्डिया यूथ वेलफेयर सोसायटी वी०पी०ओ० रामपुरा तहसील, सफीदा डिस्ट्रिक्ट, जींद हरियाणा
5.	दीपिका रूरल डवलपमेंट सोसायटी लडरावन तहसील बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्झर, हरियाणा
6.	भारती ग्रामीण विकास समिति भावनगर कालोनी पीपली, कुरूक्षेत्र हरियाणा
7.	आर्य समाज कल्याण निकतेन विलेज रामपुर पोस्ट ऑफिस जनौला तहसील पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुडगांव, हरियाणा
8.	ग्राम सुधार समिति वी०पी०ओ० बडाना, जींद, हरियाणा
9.	समता मंच पीओ० फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा
10.	यूथ एडवेन्चर क्लब विलेज भोपली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा
11.	भारतीय सांस्कृतिक कला केन्द्र शिवपुरी वी०, मकान नं० 139 नियर आई०टी०आई० डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा
12.	गारगी फाउंडेशन फीर डवलपमेंट एण्ड रिसर्च 1885/45 रंजीत नगर, नियर. रेलवे स्टेशन, अम्बाला, हरियाणा
13.	युवा विकास केन्द्र चन्दलाना कैथल, हरियाणा
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनआर्ट समिति 98-99/4 झरनाली कोठी, करनाल, हरियाणा
15.	मानव कल्याण समिति विलेज संजरवास ब्लाक चर्खीधारी डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

1.	डी०टी०ई० ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड अलाइड स्पोर्टस फुल कैम्पस मनाली कुल्लू, एच०पी०
2.	माडर्न कल्चर क्लब वार्ड नं० 2 राजौरी जम्मू एण्ड कश्मीर
3.	जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्टस नन्वानम तहलगांव, जम्मू एण्ड कश्मीर
4.	हिमालयन वायस वार्ड नं० 2 राजौरी जम्मू एण्ड कश्मीर

साहसिकता प्रोत्साहन

साहसिकता प्रोत्साहन

1	2
	झारखण्ड
1.	एडवांचरर्स ट्रेकिंग क्लब 4/2 इन्द्रलोक अपार्टमेंट कदम् जमशेदपुर, इस्ट सिंहभूमि, झारखण्ड
	कर्नाटक
1.	फिरदौसा महिला समाज हसन, कर्नाटक
2.	अलअमीन रूरल एजुकेशन डवलपमेंट हेल्थ सोसायटी तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक
3.	समाज सेवा समिति, 60, III क्रोस रोड एम०वी० सीता रमैया रोड गोवीपुरम एक्सटेंशन बैंगलौर
	मध्य प्रदेश
1.	आल इन्डिया सद्भूल सेन्टर, युव जन समाज 8/231 वार्ड नं० 8 जाति की लेन, विरला नगर ग्वालियर, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
1.	लोक सेवा शिक्षण प्रसारक मण्डल सॉप न० 33 नियर ओंकार एग्रो ऐजेन्सी, श्रीराम कॉम्प्लेक्स, पटेल मार्केट, पुसा रोड, उमराक डिस्ट्रिक्ट यावतमाल, महाराष्ट्र
	उड़ीसा
1.	यंग इन्डिया, एटी-अनासार, पी०ओ० धमित्री, कोणार्क, उड़ीसा
2.	सुप्रतिवा, फकीरवाड़ा, बीरधाती, डिस्ट्रिक्ट, कटक, उड़ीसा
3.	स्टेट युथ वेलफेयर बोर्ड नायापाली भुवनेश्वर, उड़ीसा
4.	पाली विकास समिति गांधी मन्दिर रोड, धंकनाल, उड़ीसा
5.	दिव्य-ज्योति क्लब विलेज बुरौडी पी०ओ० देवीधर तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट जाजपुर, उड़ीसा
6.	संकल्प विलेज कन्याकाना नार्थ धन्कनाल, उड़ीसा
7.	सुप्रतिवा कटक, उड़ीसा
	पंजाब
1.	विशाल युवा शक्ति क्लब गुरूदासपुर, पंजाब
	राजस्थान
1.	मदर इन्डिया शिक्षा समिति जयपुर, राजस्थान

1	2
2.	शिव कृष्णा विकास संस्थान, अलवर, राजस्थान
3.	बाल मन्दिर समिति वार्ड न० 4 रवातसर, हनुमानगढ़, राजस्थान
	उत्तर प्रदेश
1.	सोसल एक्शन फोर यूथ अवारनेस, सारक दोधली, देहरादून रोड, सहारनपुर, यू०पी०
2.	आकांक्षा वोमेन्स और चाइल्ड डवलपमेंट सोसायटी, गाजियाबाद, यू०पी०
3.	टीयर्स, लखनऊ, यू०पी०
4.	गौरव एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मकान न० 99, लक्ष्मी नगर, जी०टी० रोड, गुजरंता, जे०पी० नगर, यू०पी०
5.	अंकन इन्टर प्राइसेस, जी-24, सेक्टर-22, नोएडा, यू०पी०
6.	नेहरू युवा महिला समिति, बी०पी०ओ० हाथीपुर, छिप्पू, वाया-कुन्दरकी, मुरादाबाद, यू०पी०
7.	शहरी एवं ग्रामीण विकास समिति, गोकुल नगर, चान्दपुर, डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर, यू०पी०
8.	महर्षि शिक्षा संस्थान, महर्षि विद्या मन्दिर, महर्षि नगर, नोएडा, दादरी रोड, गौतमबुद्ध नगर, यू०पी०
	उत्तरांचल
1.	कुमाउं एडवांचर एण्ड अन्वायरन्मेंट फैलोशिप, खत्री टोप, अल्मोड़ा, विवेकानन्द पुरी, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, उत्तरांचल
	पश्चिम बंगाल
1.	माउन्टेनिरीज एसोसियेशन ऑफ कृष्णा नगर, नाडिया, पश्चिम बंगाल
2.	गोरिदूत, आनन्द कोटेज, बैगबाजार, चन्दन नगर, हुगली, पश्चिम बंगाल
3.	हिमालियन माउन्टेनिरीज इन्स्टीट्यूट दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
4.	सी एक्सप्लोर इन्स्टीट्यूट, आउटर्म घाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700021
	यूनियन टैरीटरी
	चण्डीगढ़
1.	युथ एडवेन्चर एण्ड माउन्टेनिरीज एसोसियेशन, 2442, सेक्टर-27सी, चण्डीगढ़

1	2
2.	नेशनल एडवेन्चर क्लब, रूम नं० 15 प्रथम मंजिल, करमा सदन सेक्टर-11, चण्डीगढ़
	नार्थ ईस्ट
	मणिपुर
1.	मणिपुर वोमेन को-ओडीनेटिंग काउंसिल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर
2.	दी ग्रीनलैण्ड डवलपमेन्ट आर्गेनाइजेशन, मणीपुर
3.	रूरल डवलपमेंट सोसायटी, पणजी बाजार, पी०ओ० पणजी, मणीपुर
	नागालैण्ड
1.	ककड़ी, मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दिमापुर, नागालैण्ड
2.	रूरल एरिया वोमेन, वेलफेयर सोसायटी लिमि० चौच रोड, दिमापुर, नागालैण्ड
3.	यूटीवाऊ वेलफेयर सोसायटी कोहिमा, नागालैण्ड
4.	सोसायटी फोर युथ वेलफेयर पैकटाउन, पैक डिस्ट्रक्ट, नागालैण्ड
5.	ए-1 स्पोर्टिंग क्लब एच०एस० स्कूल एरिया अपोजिट विलूम फिल्ड एकादमी डिस्ट्रिक्ट वोखा, नागालैण्ड
6.	किलशट वेलफेयर सोसायटी सिंगनल वोस्ट दिमापुर, नागालैण्ड
7.	माउन्ट कैटल्या वुमैन वेलफेयर सोसायटी संघ लिमावार्ड, मोकोकैचुंग नागालैण्ड
8.	एजुकेटिड अन एम्पलोइड यूनीयन, दिपु-पूर, विला – दिमापुर, नागालैण्ड
9.	हिल एरिया डवलपमेन्ट ओरगनाइजेशन, मौनटाउन, डिस्ट्रिक्ट, मौन, नागालैण्ड
10.	एम-एम०एच०ए० मल्टीपरपज सोसायटी, बी-295, चुंगिरो कालोनी, डिस्टिक्ट, वोखा, नागालैण्ड
	त्रिपुरा
1.	विलेज डवलपमेन्ट टीम, पी०ओ० शेकरकोट, हेटीलेटा, चौमुहनी बाजार, वेस्ट त्रिपुरा

साहसिकता प्रोत्साहन

विगत तीन वर्षों 2002-03 से 2004-05 तक युवाओं के लिए गतिविधि एवं प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाओं को दी गई निधि के राज्यवार सूची

2002-2003

क्रमांक	स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	शिवाजी युव जन संगम रुरल डेवलपमेंट सोसायटी प्लॉट नम्बर 80 मॉडल कॉलोनी, हिन्दुपुर
2.	के०एस०आर० मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट फॉर रुरल डेवलपमेंट, बाजार स्ट्रीट नाइडूपेट, नेल्लोर
3.	ऐसोसियेशन ऑफ मेर्सी सिविल ऑर्गनाईजेशन (एमको) गन्तीवीर स्ट्रीट, विजयवाड़ा
4.	श्री साई पवन एजुकेशनल एण्ड हेल्थवेलफेयर सोसायटी, बालाजी स्वर्णपुरी कॉलोनी मोतीनगर बाराबन्दा, हैदराबाद
5.	नन्द वर्धन भेमाभाई महिला मण्डली माधव रयन्नापेठ, ईस्ट गोदावरी
6.	नेहरु युवा केन्द्र, केन्टोनमेन्ट कलेक्ट्रेट, नियर विजयनगरम
7.	बिरमानी रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, डी० नं० 2-16, गुन्डू गोलानू भिमाले मण्डल वेस्ट गोदावरी
8.	पेयर फॉर हेल्थ आश्रम चिक्काडा पल्ली, हैदराबाद
9.	रामकृष्णन ओल्ड स्टूडेन्ट ऐसोसियेशन, अनाप्यू एन्कलेव, आनंद नगर, खेराताबाद, हैदराबाद
10.	सिद्धार्था इन्स्टीट्यूट फॉर एजूकेशनल नीड्स, श्रीनिवासनगर, क्लूरु, वेस्ट गोदावरी
11.	रुरल ट्राईवल डेवलपमेंट सोसायटी, अदेनी रोड, आर०सी०एम० चुरु पट्टीकोण्डा, कुरनूल
12.	श्री रामा युवाजन संगम, पेरेडेयलया निडाडावोलू मण्डल, वेस्ट गोदावरी
13.	स्नेहा युथ एशोसियेशन, न्यू इन्दिरा नगर, चन्दनारायण गुट्टा, हैदराबाद
14.	विजन वोलन्ट्री आर्गनाईजेशन, डोलर चेम्बर, अपार्टमेन्ट्स, ए-सी, गाड्र्स, लकाडीकपूल, हैदराबाद

युवा प्रशिक्षण एवं गतिविधि प्रोत्साहन

1	2
15.	अरुणदती युवाजन सेवा संगम, यूड हाउस संगम, नेल्लोर
16.	स्पन्दन ग्रामीण विकास सोसायटी, कूरनूल रोड, डोन, कुरनूल
17.	मास एक्शन फॉर सोशल सर्विस, एनीकूट रोड, संथापेट नेल्लोर
18.	सेवा भारतीय जेड०पी०पी० हाई स्कूल के पीछे, तिरुचानूर, चित्तूर
19.	इन्टर नेशनल एजुकेशन सोसायटी, वेलपुर रोड, टानुकु, वेस्ट गोदावरी
20.	चन्द्रकला महिला मण्डली, भास्कर नगर, कुरनूल
21.	चैतन्य महिला कल्याण ऐसोसियेशन, नासा स्ट्रीट, पीपूल्ली, कुरनूल
22.	राजेश्वरी कला अकादमी, राजीव गांधी रोड, चित्तूर
23.	प्रगति महिला मन्दारी, चित्तीपल्ली नेल्लोर
24.	कुशी स्वैच्छिक संगठन, हैदराबाद
25.	कल्पतरु हरीजन निरुद्योग युवाजन समाक्या चर्च के पास पश्चिमी गोदावरी
26.	श्रीधारा लक्ष्मी महिला मण्डली, हैदराबाद
27.	राष्ट्रीय पर्यावरण एवं शैक्षिक विकास, विजयानगरम
28.	विशनोई शैक्षिक समिति, रायशाना
29.	वेनूगोपाल शिक्षा समिति राजामुन्दरी
30.	स्वास्थ्य देखभाल एवं सामाजिक कल्याण सोसायटी नेल्लोर

आसाम

1.	एन०ई०आर०आई०एम० (नोर्थ ईस्टर्न रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट) शिक्षा सोसायटी, नबीन नगर, गोहाटी
2.	इनयाम दीप्ति संघ, दारंग
3.	नोर्थ ईस्ट कॉउन्सिल फॉर एजुकेशनल प्रमोशन पाडेरत्ना
4.	कराईबाड़ी युवा मण्डल गोलपाड़ा
5.	सर्वांगीण उन्नयन समिति, नालबारी
6.	साई आस्था, गोहाटी
7.	सेन्टर फॉर यूथ एवं रुरल डेवलपमेंट, कोकराझार
8.	अन्देलिका ग्राम उन्नयन परिषद, बारपेटा

1	2
9.	बॉक्सर स्पोर्ट्स क्लब कम लाईब्रेरी, कोकराझार
10.	डा० अम्बेडकर मिशन, कामरुप
11.	बथेर क्लीब एवं लाईब्रेरी, बॉगई गांव
12.	दहारा बागबोरी नवज्योति समिति, ग्वालपाड़ा
13.	वेल विशर गोपालपुर
14.	पोसी क्लब, मोरनई गांव
15.	नौलोगा उजपानपारा महिला समिति, गोलपाड़ा
16.	निलांचल उन्नयन सांस्कृति परिषद, नौगांव
17.	रुरल महिला अपलिफ्टमेन्ट ऐसोसियेशन, गोहाटी
18.	ईस्ट डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन, बारपेटा
19.	असम सोसायो इकोनोमिक्स हेल्थ ऐसोसियेशन, बारपेटा
20.	मातृभूमी बल्दामीनी, गोलपाड़ा
21.	कालालारदेर गांव उन्नयन समिति, नालबाड़ी
22.	असम गांधी स्मारक निधि, कामरुप
23.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर, नौगांव
24.	असम ऐसोसियेशन ऑफ द डेक गोपीनाथ, गोहाटी
25.	इनस्टीट्यूट कम्यूनिटि डेवलपमेंट नेटवर्क, बारपेटा

बिहार

1.	अमरदीप समाज कल्याण् संस्थान, गांव – इनायत नगर, पो० गोरोले, जिला-वैशाली
2.	ब्राईटवेय कॉमर्सियल इन्स्टीट्यूट कमला प्रेस केम्पस आनदेर झाला रोड, सीवान
3.	दधीची सेवा संस्था पो० बसुरा वाया – आयाघाट, जिला दरभंगा
4.	नारी कल्याण संस्थान पो० झंझारपुर, जिला – मधुबनी
5.	ग्राम विकास संघ, गांव – अशिनपुर, पो० – धुरलाख, जिला – समस्तीपुर
6.	फिरहट लोक सेवा संस्थान, बापू चौक, नाका नं० 1 के पास पो० लालबाग, जिला दरभंगा

1	2
7.	युवा कल्याण परिषद्, धुरघाट, पो० – चैनपुर, जिला – सिवान
8.	विकास विहार, प्रथम तल छपरा, एक्स रे क्लिनिक, गोपेश्वर नगर, छपरा सारण
9.	राजेन्द्र सेवा संस्थान, सरचाकिया निवासी बालूघाट, मुज्जफरपुर
10.	शांति दूत, गधपुर उदन्तपुरी, बिहार शरीफ, नालन्दा
11.	पर्यावरण विकास संस्थान, गांव बायका, पो० बघोनी, मधुबनी
12.	चन्द्राशिल्प कला विद्या केन्द्र, अगरेल पो० चम्पारण
13.	दरभंगा जिला विकास परिषद पो० – नरौच, दरभंगा
14.	जीवन कल्याण समिति संजय सिनेमा बेहरामपुर के पास मुज्जफरपुर
15.	महिला आश्रय विकास संस्थान सरकुलर रोड्, सत्संग, देवगढ़
16.	बिहार नव जीवन ज्योति प्रतिष्ठान, लक्ष्मीसराय रोड्, जमुई
17.	जन जागरण समिति, भटुबिघा, सरकुलर रोड, देवघर
18.	मिथिला सेवा समिति, गांव – नरताली, मधुबनी
19.	शुभा सोशल वेलफेयर सोसायटी, कांकेरबाग कॉलोनी, पटना
20.	मानव चेतना संस्थान, ग्राम एवं पो० – देवघर, थाना – अरनदती, मधुबनी
21.	अन्तोदय चेतना केन्द्र बाहुरबार्म, जिला बेगुसराय
22.	अंकुर ग्रामीण महिला एवं समाज कल्याण समिति गांव बामभाई, ब्लाक कारपी, जिला – जहानाबाद
23.	ग्रामीण समग्र विकास परिषद ग्राम एवं प्रो० – शिविपट्टी, ब्लाक राजनगर, जिला मधुबनी
24.	मिथिलांचल समग्र विकास संस्था, मगोलपुरा (नोरतिया टोला) दरभंगा
25.	नागार्जुन बौधिस्ट वेलफेयर सोसायटी इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड के पास लालबाग दरभंगा
26.	टेरीटोरियल अपलिफ्टमेंट ऑफ लेबर्स एण्ड लोअर्स इन्स्टीट्यूट राम प्रताप भवन चेतना कोठी के पास दक्षिण मन्दिर, पटना
27.	शिव लक्ष्मी ग्रामीण् सेवा आश्रम शिव लक्ष्मी ग्रमठ, सेवा आश्रम पाटूबेलवा पोस्ट मिहसी, पूर्वी चम्पारण
28.	रामेश्वर सेवा संस्थान कन्हौली, पो० रामना, मुज्जफरपुर

1	2
29.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण आवाम उद्योगिक केन्द्र गांव नवादा पो० सुतिहार, सारण
30.	जय मंगला विकास केन्द्र रामना, मुज्जफरपुर
31.	आदर्श महिला शिल्पकला केन्द्र अमीरगंजु, समस्तीपुर
32.	मानव सेवा आश्रम सोनवर्षा चौक हरीआनन्द भवन, समस्तीपुर
33.	भोजपुर समग्र विकास संस्थान, आरा, भोजपुर
34.	राजलक्ष्मी राष्ट्र सेवा संस्थान, मधुबनी
35.	स्वामी दयानन्द आर्य समिति, भोजपुर
36.	समाज सेवा संस्था, दरभंगा
37.	लक्ष्मी कला एवं आर्थिक विकास संस्थान, पटना
38.	सर्वजन कल्याण समिति, मधुबनी
39.	कलैक्टिव रुरल ऑपरेशन फॉर दी पूअर, पो० कोईल
40.	लोकआयतन इण्डिया, दरभंगा
41.	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति, पटना
42.	यशोदाग्राम सेरी कल्याण संस्थान, दरभंगा
43.	महिला चेतना समाज, अररिया
44.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर
45.	मुस्कान, जहानाबाद
46.	अमोघ प्रबाभी सेव संस्थान, वैशाली
47.	दलित ग्राम, लक्ष्मीसराय
	छत्तीसगढ़
1.	अक्षराग्रामोत्थान समिति सतीपाड़ा प्राइमरी स्कूल के पास अम्बिकापुर, सरगुजा
2.	अम्बिकापुर विकास समिति ओल्ड भाटलीरोड, केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
	दिल्ली
1.	बिहार भव युवक परिषद्, रोहिणी

1	2
2.	अखिल भारतीय सरस्वती एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी, बुद्ध विहार
3.	सामुदायिक कल्याण संस्थान, गोकुलपुरी
4.	स्लम देहात मानव उत्थान समिति, पालम
5.	श्री अरविन्दो एजुकेशन सोसायटी, श्री अरविन्दो मार्ग
6.	ठरिवी विक्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, विशाल इनक्लेव
7.	ऑल इण्डिया सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट वेलफेयर सोसायटी पोस्ट ऑफिस के पास दिल्ली
8.	प्राचेता शिक्षा समिति शक्करपुर, दिल्ली-
9.	सर्व धर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, पश्चिम पुरी
10.	आई०डी० रिसर्च सेन्टर, पश्चिम विहार
11.	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, मयूर विहार
12.	श्रीमती सुभाष रानी ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, जहांगीरपुरी
13.	नारी उत्थान समिति, मौजपुर
14.	ऑल इंडिया मैत्री सोसायटी, रोहिणी
15.	माँ रत्नी, गोकुलपुरी
16.	ग्रामीण विकास एवं नव निर्माण समिति रोहिणी
17.	कम्प्यूटर एजुकेशन डेवलपमेंट आर्गनाईजेशन, चन्द्रनगर
18.	इण्डियन ह्यूमन वेलफेयर सोसायटी, शाहदरा
19.	महिला बाल उत्थान एवं कला मंच डा० अम्बेडकर नगर
20.	न्यू अपॉच्यूनिटी फॉर वूमेन, सिद्धार्थ इनक्लेव
	गुजरात
1.	सागर खाड़ी ग्राम उद्योग संघ, अहमदाबाद
2.	श्री नव चेतना कलवानी मण्डल, अहमदाबाद
3.	विवेकानन्द ग्राम विकास प्रतिष्ठान, अहमदाबाद
4.	स्वामी विवेकानन्द केलवाणी मण्डल, अहमदाबाद
5.	स्व० पटेल शिवभाई द्वारिका दास शिक्षा ट्रस्ट, गांधीनगर

1	2
	हरियाणा
1.	लक्ष्मी ग्राम उद्योग मण्डल, कैथल
2.	राष्ट्रीय विकास युवती मण्डल, करनाल
3.	युवा नेतृत्व ज्योति, सोनीपत
4.	ऑल इण्डिया महिला सेवा समिति, रोहतक
5.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, सोनीपत
6.	बाल राजा खादी ग्राम् उद्योग समिति, गुड़गांव
7.	द यूथ डेवलपमेन्ट ऐसोसियेशन फॉर इनवायरमेन्ट, रेवाड़ी
8.	मानव एवं जन कल्याण एजुकेशनल सोसायटी, झज्झर
9.	सोसायटी फॉर ऑलराउण्ट ह्यूमेन डेवलपमेंट रेवाड़ी
10.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल कैथल
11.	शैरी शमशेर राणा अमर ज्योति फाउण्डेशन, जिन्द
12.	राष्ट्रीय युवा संस्थान, करनाल
13.	आर्य कन्या गुरुकुल, फरीदाबाद
14.	हंस खादी ग्राम उद्योग, करनाल
15.	शांति युवा मण्डल, करनाल
16.	ग्राम विकास युवा मण्डल, करनाल
17.	शिवम ग्राम उद्योग मण्डल, करनाल
18.	नेतराज थियेटरीकल ग्रुप सोनीपत
19.	हरी ओम ग्राम उद्योग मण्डल, हिसार
20.	सेन्टर फॉर एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, रोहतक
	हिमाचल प्रदेश
1.	बाल भारती पब्लिक स्कूल, कांगड़ा
	जम्मू एवं कश्मीर
1.	वोलोर वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी, जम्मू
2.	मदर वूमेन वेलफेयर आर्गनाईजेशन, श्रीनगर

1	2
3.	ह्यूमन चैन वेलफेयर सोसायटी, अनन्तनाग
	झारखण्ड
1.	ग्रामीण समाज कल्याण मंच, पलामु
	कर्नाटक
1.	धर्मश्री युवती मण्डल हासन
2.	श्री रेणुका देवी वुमेन एण्ड चाईल्ड डेवलपमेन्ट फाउंडेशन दावणगेरे
3.	एक्शन फॉर एन्वायरमेन्ट एसोसियेशन, मैसूर
4.	सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड एक्शन इन रुरल डेवलपमेंट, चित्रदुर्ग
5.	दिव्य ज्योति विद्या केन्द्र, बैंगलोर
6.	बी०आर० अम्बेडकर शिक्षा, कोलार
7.	हरिहरा ग्रामीण अभिवृधी संघ, कोलार
8.	भारतीय विकास ट्रस्ट, उड्डपी
9.	प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, चिकबल्लापुर
10.	ग्राम विकास सेवा समिति, बेल्लारी
11.	नव चैतन्य शहरी एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, कोलार
12.	किशन वेलफेयर सोसायटी, दावणगेरे
13.	जनजागृति युवक संघ, नेतराज लॉज हुबली के पास
14.	गोवान शिक्षा ट्रस्ट, बीदर
15.	ऑल इण्डिया मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी, बीदर
16.	सीटीजन एजुकेशन सोसायटी, कोलार
	मध्य प्रदेश
1.	सेवा भारती, भोपाल
2.	आशा सोसायटी फॉर डेवलपमेंट प्रमोशन, जबलपुर
3.	अमर आशा शिक्षा कल्याण समिति, मण्डला
4.	एकता एजुकेशन सोसायटी, होशंगाबाद
5.	रुरल डेवलेमेन्ट सोसायटी, ग्वालियर
6.	युवा भारत भारतीय सामाजिक मंच, दमोह
7.	सेवा भारती, भोपाल
8.	अम्स शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
9.	के० श्रीकांत नेहरु युवा मण्डल, दमोह
10.	अभिप्रेरणा, भोपाल
11.	नेहरु युवा केन्द्र, भोपाल
12.	नेहरु युवा केन्द्र, भोपाल
13.	सफल सधुआ शिक्षा समिति, जबलपुर
14.	पैरामाउन्ट शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
15.	सेवा भारती (मध्य भारत) मातृछेया (शिशु कल्याण सेन्टर), भोपाल
16.	श्री साईनाथ एजुकेशनल सोसायटी, गुना
17.	रेनु शिक्षा समिति, सिहोर
18.	स्नेही शिक्षा कल्याण समिति, कांठी
19.	सफनी शिक्षा समिति, सिवनी
20.	शिक्षा दर्शन कल्याण समिति, मण्डला
21.	नवसंगम शिक्षा समिति, नरसिंगपुर
22.	गोपाल महिला मण्डल, रायगढ़
23.	सुविचार शिक्षा समिति, कांठी
24.	रानी महिला एवं बाल कल्याण समिति, रायसेन
25.	पारवती महिला कल्याण शिक्षा समिति जबलपुर
26.	शिक्षा विकास कल्याण समिति, मण्डला
27.	सुमन महिला कल्याण शिक्षा समिति, बलाघाट
28.	श्रद्धा महिला मण्डल, रायसेन
29.	सहयोग शिक्षा समिति, कटनी
30.	मानसी शिक्षा समिति, राजगढ़
31.	राज ज्योति महिला कल्याण शिक्षा समिति, मण्डला

युवा प्रशिक्षण एवं गतिविधि प्रोत्साहन

1	2
32.	गजेन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, भिण्ड
33.	माधुरिमा महिला कल्याण शिक्षा समिति, मण्डला
34.	न्यू विकास शिक्षा समिति, जबलपुर
35.	लक्ष्मी उयेन कितेश कल्याण समिति, सागर
36.	डा० अम्बेडकर संस्थान, सागर
37.	विचार शिक्षा समिति, मण्डला
38.	नेहरु युवा केन्द्र, धार
39.	शीतल छाया शिक्षा प्रसार समिति, बालाघाट
40.	सत्कार शिक्षा समिति, मण्डला
41.	समाज विकास शिक्षा समिति, बालाघाट
42.	पावन रूप लोक कल्याण एवं जागरण समिति, मुरैना
43.	ज्ञान वर्धन ग्राम समाज उत्थान शिक्षा समिति, नरसिंगपुर
44.	मिलन साथिया शिक्षा कल्याण समिति, सिवनी
	महाराष्ट्र
1.	अहिल्या बहुउद्देश्यी शिक्षा प्रसारक मण्डल, लातूर
2.	जोगाई मां संस्कृतिक सामाजिक शैक्षणिक मण्डल, धूले
	मणिपुर
1.	ईस्टर्न स्टार एसोसियेशन पूर्वी, इम्फाल
2.	नेशनल एसोसियेशन ऑफ फिशर मैन, इम्फाल
3.	अपलिफ्टमैन ऑफ ह्यूमन रिसंच एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इनस्टीट्ट, वेंगजिंग
	मिजोरम
1.	न्यू मिलेनियम कम्प्यूटर सेन्टर, एजवाल
	नागालैण्ड
1.	एसोसियेशन फॉर रेमिडियल टिचिंग इन स्कूल, फावे
2.	यूथ मिनिस्ट्री, फेक

युवा प्रशिक्षण एवं गतिविधि प्रोत्साहन

1	2
	उड़ीसा
1.	जेनामणी युवा क्लब, कटक
2.	वसुधा इन्स्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट वर्क ट्रेनिंग एण्ड रिहेबिलिटेशन, भुवनेश्वर
3.	समन्वित ग्राम्य उन्नयन समिति करधामठ
4.	भारत ज्योति, कटक
	पंजाब
1.	समाज सेवी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, रोपड़
2.	सैन्टर फॉर ट्रेनिंग एण्ड एम्पलायमेंट ऑफ पंजाब यूथ, चण्डीगढ़
	राजस्थान
1.	नेहरू युवा केन्द्र, भरतपुर
2.	अंजुमन संस्थान, जयपुर
3.	नेहरू युवा केन्द्र, झुंझूनू
4.	नवचेतना समिति, नागपुर
5.	आदिवासी सांस्कृतिक सेवा संस्थान, जयपुर
	दादरा एवं नगर हवेली
1.	ट्राबिल केन्द्र एवं ग्रामीण विकास, सिलवासा
	सिक्किम
1.	घरेलू सेवा क्लब, साउथ सिक्किम
2.	बजाङ्ग जम जबती समाज, वैस्ट सिक्किम
3.	नेहरू युवा केन्द्र, गयालसिंह, वैस्ट सिक्किम
4.	नेहरू युवा केन्द्र, गंगलोब, ईस्ट सिक्किम
5.	संगम क्लब, नामची
	त्रिपुरा
1.	ग्राम विकास टीम, वैस्ट त्रिपुरा

प्रशिक्षण एवं युवा गतिविधि प्रोत्साहन

1	2
	तमिलनाडु
1.	ओरगेनाईजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट इकनोमिक एजुकेशन एण्ड कॉमयूनिटी सोसाईटी, शिवगंगा
2.	कालीमंगल कलवी संगम, त्रियुनवेली
3.	रिहबलीटेशन ब्लेयरनेस गाईडंस एण्ड एक्शन, मुदरई
4.	डेवलपमेंट एजुकेशन फॉर रूरल मास, पुडकूकोटाई
	उत्तरांचल
1.	पर्वतीय जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान, पिथोरागढ़
2.	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति, चमोली
3.	उत्तरांचल युवा कल्याण समिति, नैनीताल
	उत्तर प्रदेश
1.	महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति, मउ
2.	ग्रामीण सर्वहलीय मानव उत्थान समिति, बिजनौर
3.	ग्राम विकास समिति, बाराबंकी
4.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण समिति, बाराबंकी
5.	ग्रामीण महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाराबंकी
6.	फेरदिल ग्रामोद्योग सेवा समिति, बाराबंकी
7.	अखिल भारतीय आदिवासी समाज उत्थान परिषद, प्रतापगढ़
8.	श्री अम्बिकेशवर सेवा संस्थान, गोंडा
9.	विवेकानन्द ग्रामोत्थान संस्थान, रायबरेली
10.	श्री बाबा भीमराव अम्बेडकर महिला उत्थान सिलाई खादी प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी
11.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति, सुल्तानपुर
12.	शिवम युवा विकास समिति, बहराइच
13.	मानव विकास संस्थान, लखनऊ
14.	खादी सेवा आश्रम, गाजीपुर
15.	सोशल वर्क एवं रिसर्च इन्स्टीटयूट, सीतापुर

1	2
16.	ग्रामीण औद्योगिक संस्थान, गोरखपुर
17.	श्री सरदार सेवा संस्थान, इटा
18.	आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, अलीगढ़
19.	कविता सेवा समिति, बुलन्दशहर
20.	श्री संजय गांधी बाल विकास केन्द्र, गोण्डा
21.	राजवन्ती देवी महिला सेवा संस्थान, गाजीपुर
22.	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ
23.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ
24.	नैशनल ग्राम उद्योग सेवा समिति संस्थान, बुलंदशहर
25.	सीमा सेवा संस्थान, लखनऊ
26.	ह्यूमन नीन, बाराबंकी
27.	पूर्वांचल औद्योगिक सेवा संस्थान, महाराजगंज
28.	समाजोत्थान एण्ड बाल विकास संस्थान, इलाहाबाद
29.	पूर्वांचल विकास संस्थान, सिद्धार्थ नगर
30.	राजू ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोण्डा
31.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, उन्नाव
32.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर
33.	स्मृति, लखनऊ
34.	ओतारूमा ग्रामीण विकास समिति, सुल्तानपुर
35.	प्रयास, बाराबंकी
36.	राकुल खादी ग्रामोद्योग समिति, फिरोजाबाद
37.	गौरव एजुकेशन एण्ड वेल्फेयर सोसाइटी, जे०पी० नगर
38.	चम्पा देवी नारी विकास संस्थान, गोरखपुर
39.	महिला चिकन एवं कटाई सिलाई प्रशिक्षण समिति, लखनऊ
40.	जन कल्याण संस्थान, महाराजगंज
41.	राजू ग्रामोद्योग सेवा समिति, बरम्पुर

1	2
42.	बाल एकता अल्प संख्यक सेवा समिति, सिद्धार्थ नगर
43.	शिवम सेवा संस्थान, महाराजगंज
44.	बुद्धा जन कल्याण सेवा समिति, बलिया
45.	आकांक्षा वूमेंस एण्ड चाईल्ड डवलपमैन्ट, गाजियाबाद
46.	बसोया ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जी०बी० नगर
47.	युवा कल्याण समिति, लखनऊ
48.	मंगला, लखनऊ
49.	संदीप ग्रामोद्योग समिति, मैनपुरी
50.	गोरखनाथ सर्वोदय आश्रम, बलिया
51.	शीतल गंज ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोण्डा
52.	श्री महेन्द्र सिंह समाज कल्याण शिक्षा समिति, एटा
53.	शालीन इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, एटा
54.	लाल जी ग्रामोद्योग सेवा समिति, बुलन्दशहर
55.	समग्र महिला विकास समिति, गाजीपुर
56.	सोशल एक्शन फॉर यूथ एवेयरनस, सहारनपुर
57.	जेपी सेवा समिति, कन्नौज
58.	समता सेवा समिति, देवरिया
59.	मानव उन्नयन समिति, बिजनौर
60.	ए०के० मॉडल पब्लिक स्कूल, बिजनौर
61.	आदर्श युवा समिति, मथुरा
62.	भारतीय जन कल्याण, ग्रामोद्योग जन संस्थान, कानपुर
63.	ज्योति सेवा संस्थान, गोरखपुर
64.	तेरयी औद्योगिक विकास संस्थान, महाराजगंज
65.	आदर्श जन कल्याण समिति, गोरखपुर
66.	सन्त विजन, लखनऊ
67.	आदर्श जन कल्याण सेवा समिति, बस्ती

1	2
68.	बाबा गोरख नाथ जन कल्याण समिति
69.	बाल कल्याण केन्द्र, देवरिया
70.	प्ररेणा विजन, लखनऊ
71.	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, जालौन
72.	नैशनल यूथ टेलेंट सोसाइटी, देवरिया
73.	केशव ग्रामोद्योग विकास समिति, गाजियाबाद
74.	शिक्षा महिला समिति, बस्ती
75.	श्री नागेशवर जन कल्याण समिति, इलाहाबाद
76.	प्रभात कुमार विकास समिति, गाजीपुर
77.	प्रह्लाद शिक्षण समिति, गाजीपुर
78.	ऑल इण्डिया वेल्फेयर सोसाइटी, उन्नाव
79.	सहयोग संस्थान, देवरिया
80.	जन कल्याण सेवा समिति, श्रावस्ती
81.	कमला सेवा समिति, गाजियाबाद
82.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, इलाहाबाद
83.	भूतपूर्व सैनिक संस्थान, ज्योतिबा फुले
84.	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी
85.	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर विकास समिति, हमीरपुर
86.	अवध मैमोरियल सोसाइटी, बाराबंकी
87.	मदरसा अनवरूल उल्लूम तालिम सोसाइटी, लखनऊ
88.	उपकार दीक्षा संस्थान, फिरोजाबाद
89.	ग्रामीण विकास समिति, कुशीनगर
90.	भारतीय बुद्धिजीवियस सेवा समिति, लखनऊ
91.	सत्यम युवा विकास समिति, उन्नाव
92.	आदर्श विकास सेवा समिति, बाराबंकी
93.	राष्ट्रीय विकास सेवा समिति सुल्तानपुर

1	2
94.	श्री भूलई बाबा ग्राम विकास पुस्तकालय, गोण्डा
95.	युवा महिला विकास केन्द्र, आजमगढ़
96.	नैशनल सोशल वेलफेयर एकाडमी, बाराबंकी
97.	ग्रामोद्योगिक शिक्षा समिति, गोण्डा
98.	गुंजीमाठ ग्राम विकास समिति सुल्तानपुर
99.	यूथ कैरियर इन्स्टीट्यूट लखीमपुर खीरी
100.	केशव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बाराबांकी
101.	समाज सुधार एवं अमन समिति, मेरठ
102.	लोक कल्याण सेवा संस्थान, देवरिया
103.	एस०के०डी० शिक्षा समिति, अलीगढ़
104.	जन कल्याण समिति, गोण्डा
105.	शेरी शिक्षा प्रसार समिति, बंदायू
106.	पूर्वांचल ग्रामीण सेवा संस्थान गोरखपुर
107.	मानव विकास परिषद, लखनऊ
108.	समाज कल्याण संस्थान, संत कबीर नगर
109.	आस्था सेवा संस्थान, लखनऊ
110.	चन्द्र शेखर सेवा संस्थान, सुल्तानपुर
111.	मीनाक्षी नारी सेवा संस्थान, फिरोजाबाद
112.	श्री सुखदेव सिंह समाज कल्याण सेवा समिति, अलीगढ़
113.	प्रगतिशील मानव कल्याण, कानपुर
114.	बुद्ध जन कल्याण सेवा समिति बालिया
115.	शशी खादी ग्रामोद्योग आश्रम, लखनऊ
116.	योगेन्द्र ग्राम विकास समिति, बुलन्दशहर
117.	अवध सेवा संस्थान, लखनऊ
118.	नवीन प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी
119.	मां गंगा चेरीटेबल सोसाइटी, कानपुर
120.	सैन्टर फॉर एजुकेशन टेकनोलोजीकल रिसर्च एण्ड एक्सटैंशन, कानपुर
121.	सर्वोदय ग्राम विकास समिति, जौनपुर
122.	ग्राम सेवा सदन, जे०पी० नगर
123.	कलावती महिला विकास जन कल्याण समिति, जे०पी० नगर
124.	ग्राम विकास समिति, मठ
125.	सहयोग विकास संस्थान, कुशीनगर

पश्चिम बंगाल

1.	ई०टी०आर० फॉर दी डिसेबल्ड, कोलकता
2.	आर०के० मिशन आश्रम, साउथ 24 परगना
3.	चिल्ड एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिमी मदिनीपुर
4.	कानपुर सेवा संस्थान, हावडा
5.	इचारपुर बराहमणपारा शिल्पा निकेतन, नॉर्थ 24 परगना
6.	ऑल बैकवॉर्ड कैलास रिलिफ एण्ड डैवलपमैन्ट मिशन, कोलकता
7.	कामना सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, हावड़ा
8.	आर०के० मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर
9.	कालीताला शिशु एण्ड महिला कल्याण केन्द्र, नॉथ 24 परगना

2003-2004

आन्ध्र प्रदेश

1.	भारती रूरल डवलपमैन्ट सोसाइटी, ईस्ट मुरली नगर, विशाखापट्टनम
2.	श्री पदमिनी महिला मण्डली, द्वारिका तिरूमाला मण्डलम, डबलयू जी डिस्टीक
3.	श्री संजीवनी एजुकेशनल सोसाइटी, दीनडूलूरू मण्डल, डबलयू जी डिस्टीक
4.	शान्ति महिला मण्डली, तिरूमाला मण्डलम डब्ल्यू०जी० डिस्टीक
5.	के०एस०आर० मैमोरियल चरीटेबल ट्रस्ट फॉर डैवलपमैन्ट, दिलसुखनगर, हैदराबाद
6.	भारत रत्न फाउण्डेशन डीपटी अपलिफ्ट सोसाइटी, उनदराजावरम मण्डलम, डबलयू जी डिस्टीक

प्रशिक्षण एवं युवा गतिविधि प्रोत्साहन

1	2
7.	डिसेबल्ड वेल्फेयर एण्ड चाईल्ड डैवलपमैन्ट रूरल यूथ एसोसियेशन, श्रीकाकूलम
8.	श्री रामा कृष्णा एजुकेशनल सोसाइटी, नीदावोल मण्डल डबलयू जी डिस्टीक
9.	आदर्श एजुकेशनल सोसाइटी सईदाबाद, हैदराबाद
10.	नवोदय, युवाजन संगम, नालाजीरला मण्डल, डबलयू जी डिस्टीक
11.	हैल्थ एजुकेशन एग्रीकैल्चर डवलपमैन्ट सोसाइटी, आत्माकुर मण्डल, अन्तपुर
12.	ज्योति वेल्फेयर सोसाइटी, विजयवाडा, कृष्णा जिला
13.	चन्द्र शेखर एजुकेशनल सोसाइटी, जदचेलरा, महबूबनगर
14.	फालाकुरती एजुकेशन सोसाइटी, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
15.	श्री वेंकटेशवर महिला मण्डली, बरोदीपट, गंटूर
16.	चेतना युवा जन संगम, इल्लूर डबलयू जी डिस्टीक
17.	चेतना महिला मण्डली, पोलावरम मण्डल, डबलयू जी डिस्टीक
18.	राजेश्वरी महिला मण्डली, डोण्हडवी, कूरनूल
19.	सुबोधया युवाजन संगम, बंजरा नगर कालोनी, कूरनूल
20.	श्री विजया वूमन वेल्फेयर डवलपमैंट सोसाइटी, हनामकोनडा, वारानगल
21.	वेंकटा भानू रूरल एण्ड डवलपमैंट एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, इल्यूर डबलयू जी डिस्टीक
22.	तेजा रूरल एण्ड अरबन वेल्फेयर एण्ड एजुकेशन डवलपमेंट सोसाइटी पालाकूलू, डबलयू जी डिस्टीक
23.	श्री वेंकटेश्वर रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, हिन्दूपुर मण्डल, अन्तपुर
24.	रूरल ओरेगेनाइजेशन सोसाइटी इकनोमिक एजुकेशन फॉर वूमन, हिन्दूपुर, अन्तपुर
25.	विकास सोसाइटी फॉर रूरल डवलपमेंट, पुतापरती मण्डल, अन्तपुर
26.	स्वतंत्र भारती महिला मण्डली, पीनयूमंतरा मण्डलम, डबलयू जी डिस्टीक
27.	ग्रामा ज्योति महिला मण्डली, त्रियूपती रूरल, चित्तूर

1	2
28.	ग्रामीण पर्यावरण और विकास समिति, गुदीपाला मंडल, चित्तूर
29.	बाबू शिक्षा आर्थिक विकास संगठन, ईलुरू, डब्ल्यू०जी० जिला
	असम
1.	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नागोन
2.	एन०वाई०के० डिब्रूगढ़
3.	ग्लोबल हैल्थ ईम्यूनाईजेशन एण्ड पापूलेशन कंट्रोल, नागोन
4.	एस०पी० मेमोरियल शिक्षा निकेतन समिति, एन०सी० हिल्स
5.	मोरीगांव माहिल मोरीगांव
6.	आगृति सोनितपुर
	बिहार
1.	लोक परिवर्तन केन्द्र पटना
2.	भारतीय ग्रोमोदय जमुई
3.	युवा परिसंघ, मुजफ्फरपुर
4.	जन उत्थान संस्थान, जमुई
5.	नवचेतना विकास केन्द्र, नारीपुर, मधुबनी
6.	खादीधारी ग्रामीण विकास संस्थान, जहानाबाद
7.	सामाजिक कल्याण समिति, भरवारा, दरभंगा
8.	ग्राम स्वराज अभिजन संस्थान, बेजहा, वैशाली
9.	आल राठण्ड विकास समिति, मोतीहारी
10.	ग्राम प्रौद्योगिक विकास संस्थान, पटना
11.	युवा विकास मंच राजेन्द्र नगर, पटना
12.	ग्राम विकास परिषद, मधुबनी
13.	सुमित्रा महिला शिल्प विद्यालय, लखीसराय, मुंगेर
14.	शांतिदूर उदंतपुरी, बिहार शरीफ
15.	राम टहल सिंह जनचेतना समिति, दुल्हन बाजार, पटना
16.	समाज कल्याण विकास संस्थान, कृष्णा, पट्टी, जमुई

1	2
17.	सुरभि महिला विकास संस्थान, शुभंकरपुर, दरभंगा
18.	कैलाश सेवा आश्रम, पियोरम्मना, मुजफ्फरपुर
19.	लोक सेवा संस्थान, आनंदीपुर, दरभंगा
20.	खादी विकास ट्रस्ट आफ इंडिया, मिर्जा टोली, नवादा
21.	सेवा संकल्प एवं विकास समिति, मुजफ्फरपुर
22.	बापू बाल विकास महिला समिति, राजनगर, मधुबनी
23.	हरिजन महिला बाल कल्याण समिति, बेतिया, प० चंपारण
24.	अदिति कल्याण फाउण्डेशन, लहरिया सराय, दरभंगा
25.	महिला शिल्प कला केन्द्र, भोजपुर
26.	मॉनिटर हाजीपुर, वैशाली
27.	निर्माण समिति, अकोना बाजार, नवादा
28.	निराश्रित महिला सेवा सदन, भगवान दास मौहल्ला, दरभंगा
29.	अंत्याज सेवा समिति, सरन
30.	ग्रोमोत्थान परिषद, बैल्थवार, मधुबनी
31.	कोसी आंचल समग्र विकास एवं कल्याण परिषद, मधुबनी, पूर्णिया
32.	क्रांति श्री सेवा समिति राजनगर, मधुबनी
33.	महिला सामाजिक चेजना एवं बाल विकास केन्द्र, जलालपुर, वैशाली
34.	मुजफ्फरपुर समेकित कार्यक्रम न्यास, मुजफ्फरपुर
35.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर
36.	छोटानागपुर विकास संस्थान, हीरापुर, धनबाद
37.	वसुंधरा चाकन्ड गया
38.	छपरा महिला हाल सुधार एवं कल्याण समिति
39.	संचार एवं ग्रामीण विकास संस्थान, महाराजगंज, सिवान
40.	सेंटर फार सेनिटेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, सपटा, मधुबनी·
41.	बिहार एण्टी एक्सपलायटेशन सोसायटी, दिलबारपुर
42.	सेवा संस्थान, रामना, मुजफ्फरपुर
43.	सर्वांगीण विकास समिति, मेहास, शिखापुर
44.	जन शिक्षण विकास परिषद, नाजीरपुर, मधुबनी
45.	महिला जन स्वास्थ्य शिक्षु कल्याण केन्द्र, खागोल, पटना
46.	जनोदय विकास परिषद, बुनियादगंज, गया
47.	नारी उत्थान केन्द्र, दिगवारा, छपरा
48.	फाउण्डेशन फार डवलपमेंट आलटरनेटिव, साहबगंज
49.	भारतीय कला निकेतन स्टेडियम रोड, नवादा
50.	ग्राम विकास आरती, राजनगर, मधुबनी
51.	महिला विकास सूरतगंज, मधुबनी
52.	शरीद परमेश्वर युवा मंडल, सुगापट्टी, मधुबनी
53.	भारत रत्न जयप्रकाश नारायण वेलफेयर मेमोरियल ट्रस्ट, राजेन्द्र कालेज कैंपस, सरन
54.	मानव उत्थान समिति, नवादा
55.	रामवती प्रशिक्षण केन्द्र, खाडिया, जमुई
56.	सावित्री बाल विकास केन्द्र, मुजफ्फरपुर
57.	विकास मंडल, बेवनो, नालंदा
58.	समाज पुनर्जागरण सेवा संस्था, रामतौल, दरभंगा
59.	वैशाली क्षेत्र सर्वांगीण विकास संस्थान, जनडाह, वैशाली
	गुजरात
1.	श्री जन कल्याण ट्रस्ट, सावरकंठा
2.	नवचेतन शिक्षा ट्रस्ट, गांधीनगर
3.	डी०एन० पोलीटेक्निक शिक्षा ट्रस्ट, अहमदाबाद
4.	एक्सीलेंट युवक मंडल, भावनगर
5.	स्वामी विकाकानंद शिक्षा ट्रस्ट, अहमदाबाद
6.	डा० अम्बेडकर शिक्षा ट्रस्ट, भावनगर
7.	आशापुरा खादी ग्रामोद्योग और खेत विकास सेवा मंडल, अहमदाबाद

1	2
	हरियाणा
1.	मार्डन शिक्षा समिति, मडोरा, सोनीपत
2.	राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, गोहना, सोनीपत
3.	शिव युवा मंडल, संघवारी, रेवाड़ी
4.	आदर्श ग्राम विकास समिति, रायसीना, कैथल
5.	अखिल भारतीय देहात विकास समिति, बहादुरगढ़, झज्झर
6.	जनचेतना संगठन, अर्बन एस्टेट, जींद
7.	राष्ट्रीय शिक्षा एवं कल्याण समिति, तहसील कैम्प, पानीपत
8.	आधार, नियर ओल्ड कोर्ट, नारनौल
9.	युवा परिसंघ सैक्टर-4, करनाल
10.	शंकर ग्रामोद्योग मंडल, अंजनथली, करनाल
11.	अखिल भारतीय युवा समिति, जींद
12.	गुलशन ग्रामोद्योग समिति, आदर्श कालोनी, फरीदाबाद
13.	अन्नपूर्णा हर्बल एवं समाज कल्याण समिति, मेहर, यमुनानगर
14.	नारी परमार्थ चेतना समिति, बंसल नर्सिंग होम के निकट, फरीदाबाद
15.	भारतीय युवा क्लब, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
16.	समाज सुधार युवती मंच, गोहना, सोनीपत
17.	खेल युवा संस्थान, खंडेला, जींद
18.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, लक्ष्मीनगर, रोहतक
19.	ग्रामीण युवा विकास मंडल, संगल, कैथल
20.	आयुर्वेदिक शिक्षा समिति, रेवाड़ी
21.	एन०वाई०के०, हिसार
	हिमाचल प्रदेश
1.	महिला कल्याण संगठन, कुल्लू
	झारखण्ड
1.	एन०वाई०के० संगठन, रांची
2.	श्री अमर संस्कार कल्याण केन्द्र, बोकारो
3.	नंदकिशोर फाउण्डेशन, गुडहा
4.	सर्वांगीण महिला उन्नयन संस्थान, बोकारो
5.	पर्यावरण एवं सामाजिक चेतना के लिए समिति, पलामू
6.	अमरनाथ ग्रामोदय विकास विद्यालय, अम्बेडकर नगर, रांची
7.	ग्रामीण चेतना विकास समिति, पलामू
8.	जनकदेव राजकुमारी सेवा सदन, बोकारो
9.	मानव समाज कल्याण संस्था, गोड्डा
10.	अखिल भारतीय महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, साहबगंज
11.	बुद्ध प्रोज्ञान मंडल, साहबगंज
	जम्मू व कश्मीर
1.	भारत के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० एवं महिला विकास के लिए समिति, जम्मू
2.	वाऊलर कल्याण संगठन, जम्मू
3.	कश्मीर गृह शांति एवं महिला कल्याण समिति, कूपवाड़ा
4.	मार्डल कल्चरल क्लब, राजौरी
5.	कश्मीर महिला एवं बाल कल्याण समिति, श्रीनगर
6.	आकाश ग्रामीण विकास समिति, जम्मू
	कर्नाटक
1.	नवोदय शिक्षा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण विकास समिति, कोलर
2.	कर्नाटक शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, हुमानाबाद, बिदर
3.	सत्यहरिशचन्द्र नेशनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट समिति, गांधीनगर, बंगलौर
4.	श्री छौडेश्वरी ग्रामीण विकास समिति, गुडीबंडे, कोलर
5.	ग्रामीण विकास चिंतामणि के संवर्धन हेतु समिति, कोलर
6.	श्री कृष्णदेवरय्या शिक्षा समिति, राममोहनकौम, बंगलौर
7.	अरूणोदय ग्रामीण विकास समिति, बेगापल्ली, ताल्लुक
8.	नेहरू युवा जन संगम मुदीगेरे, चिकमंगलूर
9.	चेतन्य महिला समाज जगलुरू, दैवनगेरे

1	2
10.	सेंट जोन शिक्षा समिति, विद्यानगर, चिंतामणि
11.	कल्याणी ग्रामीण विकास समिति, गुडीवांडे, कोलर
12.	श्री अनंत ग्रामीण विकास समिति, विजयपुर, एक्स० चिकमंगलूर
13.	ग्रामीण विकास चैन्नारायपतना, हसन के लिए सामुदायिक कार्यवाई
14.	श्री वेंकटेश्वर शिक्षा और ग्रामीण विकास सेवा समिति हिन्दुपुर, अनंतपुर
15.	आशीर्वाद ग्रामीण विकास ट्रस्ट, गुडीवंडे, कोलर
16.	एकीकरण ग्रामीण विकास समिति, गोरेनतला, अनंतपुर
17.	श्री वेंकटेश्वर एकीकरण ग्रामीण एवं शहरी विकास संघ, चित्रदुर्ग
18.	एस०सी०/एस०टी० विकास संघ, मैसूर
19.	ज्ञान दीपिका महिला मंडली, वैल्लरी
20.	ग्रामीण विकास संघ, चित्रदुर्ग
21.	विनायक दिशा समस्त, माण्डया
22.	परिवर्तन ग्रामीण विकास समिति, सिमोगा
23.	इखारा अरेबिक शिक्षा ट्रस्ट, कोलर
24.	महिला कल्याण समिति, कोलर
25.	कमल ग्रामीण विकास समिति, वेलगाम
26.	स्वर्ण दीपिका महिला मंडली, मैसूर
27.	अरूणोदय महिला सेवा समिति, मैसूर
28.	कोपल युवक संघ, हुबली
29.	प्रगति शिक्षा प्रशिक्षण समिति, वेल्लरी
30.	लक्ष्मी महिला मंडली, वेल्लरी
31.	श्री मंजुनाथ ग्रामीण विकास समिति, वेलगांव
32.	फार्मर विकस परियोजना, हुबली
33.	मार्गदर्शी युवा कल्याण संघ, कोलर
34.	श्री विद्यारन्या संस्थान, देवनगेरे
35.	श्री भाग्य लक्ष्मी महिला मंडली, देवनगेरे
36.	झांसी रानी महिला समिति, कोलर
37.	सांस्कृतिक कार्यवाई के माध्यम से विद्या लिबरेशन, सिमोगा
38.	जनजागृति महिला मंडल, हसन
39.	डा० अम्बेडकर युवजन संगम, बिदर
40.	डा० अम्बेडकर सियोभीवृद्धि समस्त, चित्रदुर्ग
41.	ग्राम जीवन युवा संघ, बीजापुर
42.	वोउवरी ग्रामीण विकास समिति, हसन
43.	एकीकरण विकास समिति, हसन, कर्नाटक
44.	गणपति युवजन संघ, बिदर
	केरल
1.	वायालार मेमोरियल युवा क्लब, तिरूवनंतपुरम
2.	ग्रामीण विकास के लिए संस्था, कन्नानौर
3.	ग्रामीण विकास और शांति के लिए केरल संघ, त्रिवेंद्रम
4.	अभय चेरिटेबल समिति, कोलम
	मध्य प्रदेश
1.	होप एण्ड फैथ वेलफेयर सोसायटी, भोपाल
2.	सप्तेश्वर समाज कल्याण समिति, रायसेन
3.	विनीत कल्याण समिति, खण्डवा
4.	बोनी फोई सोसायटी, भोपाल
5.	दीप्ति प्रभा शिक्षा एवं कल्याण समिति, भोपाल
6.	बाल कल्याण एवं शिक्षा समिति, ग्वालियर
7.	ज्ञान रक्षा शिक्षा समिति, भोपाल
8.	हर्ष छाया शिक्षा समिति, भोपाल
9.	अन्नपूर्णा विकास समिति, भोपाल
10.	लोहिया शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर
11.	राम नवयुवक मंडल, मंडला
12.	ज्ञान दीप महिला समिति, होशंगाबाद

1	2
13.	अंकुर संस्कार एवं शिक्षा उत्थान समिति, मंडला
14.	सोनाली पब्लिक शिक्षा समिति, गूना
15.	सदभावना शिक्षा समिति, सिवनी
16.	गायत्री ग्रामीण महिला बाल विकास समिति, टीकमगढ़
17.	सुसांकर शिक्षा समिति, जबलपुर
18.	सामंता शिक्षा समिति, मांडला
19.	संजय शिक्षा प्रसार समिति, दतिया
20.	गुरूदेव समाज सेवा संस्थान, दतिया
21.	गीता शिक्षा प्रसार समिति, सागर
22.	जयदुर्गा शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर
23.	आदर्श महिला एवं बाल कल्याण समिति, विदिशा
24.	शुभांजली शिक्षा केन्द्र, जबलपुर
25.	मंगला शिक्षा विकास समिति, रायसेन
26.	बाल मित्र एवं ग्रामीण उत्थान समिति, जबलपुर
27.	पार्वती मुरली महिला एवं शिक्षा प्रसार समिति, जबलपुर
28.	जनसेवा शिक्षा समिति, टीकमगढ़
29.	नेहरू युवा केन्द्र, धार
30.	पीपुल्स आल राउण्ड वैलफेयर एण्ड डेवलपमैंट असिस्टैंट कोउंसिल, नरसिंहपुर
31.	अमित शिक्षा प्रसार समिति, कटनी
32.	मारूति ग्रामीण जन कल्याण समिति, मुरैना
33.	अभिनव शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
34.	परशुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, ग्वालियर
35.	ग्राम विकास सेवा समिति, रीवा
36.	महिला विकास एवं बाल कल्याण समिति, भोपाल
37.	कल्पना महिला मंडल, मुरैना
38.	जिला आदिवासी एवं हरिजन कल्याण संघ, टीकमगढ़
39.	स्वामी विवेकानंद कल्याण समिति, विदिशा
40.	अनामिका महिला कल्याण शिक्षा प्रसार समिति, बलघा
41.	नेहरू युवा केन्द्र, होशंगाबाद
42.	ग्रामीण विकास परिषद, भोपाल
43.	श्रीमती हरकुंवर शिक्षा समिति, शिवपुरी
44.	नेहरू युवा मंडल, दतिया
45.	बालव शिक्षा समिति, भिण्ड
46.	नव जागृति महिला मंडल, होशंगाबाद
47.	महिला विकास समिति, कटनी
48.	शक्तिसर शिक्षा समिति, मांडला
49.	आरती महिला कल्याण समिति, भोपाल
50.	सभ्यता महिला कल्याण शिक्षा समिति, नरसिंहपुर
51.	एम०पी० प्राकृतिक चिकित्सालय तथा महाविद्यालय समिति, ग्वालियर
52.	नेहरू युवा केन्द्र, जबलपुर
53.	नारी शिशु विकास परिषद, टीकमगढ़
54.	क्षितिज समाज कल्याण समिति, टीकमगढ़
55.	शिवम शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, शाजपुर
56.	भारती बाल प्रगति संस्थान, छतरपुर
57.	नवीन दिशा शिक्षा एवं ग्रामीण उत्थान समिति, जबलपुर
58.	नेहरू युवा केन्द्र, होशंगाबाद
59.	महिला जागृति कला मंच, सागर
60.	अमर लाल मानव विकास समिति, शिवपुरी
61.	निकिता शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, शिवपुरी
62.	दीनदयाल मानव कल्याण समिति, सागर
63.	ददरूरा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भिण्ड
64.	महाकालेश्वर समाज कल्याण संस्थान, राजगढ़

1	2
65.	मालवा विकास समिति, राजगढ़
66.	राइट सोल्यूशन डाक्यूमेंटेशन एण्ड रिसोर्स सेंटर, भोपाल
67.	लोचन दास ग्रामीण विकास समिति, सागर
68.	लता ग्रामीण महिला समिति, मुरैना
69.	श्रीराम प्रशिक्षण संस्थान, भिण्ड
70.	आशिश समाज सेवा समिति, छत्तरपुर
	महाराष्ट्र
1.	स्नेहदीप शिक्षा समिति, औरंगाबाद
2.	नाइस तकनीकी संस्थान, अहमदनगर
3.	मानव विकास शिक्षण संस्था, औरंगाबाद
4.	महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडल, अहमदनगर
5.	नालंदा बाल विकास और मेगासवारजिए महिला विकास मंडल, धुले
6.	ज्ञानदीप जन कल्याण प्रतिष्ठान, पुणे
7.	क्रांति सामाजिक और सांस्कृतिक क्लब, धुले
8.	मध्य भारत शिक्षा समिति, गोंडिया
9.	ग्रामीण जन सेवा शिक्षण संस्था, धुले
10.	प्रियदर्शिनी महिला तंत्र शिक्षण मंडल, अहमदनगर
11.	जयलक्ष्मी महिला मंडल, नांदेड़
12.	नवभारत सेवा प्रतिष्ठान, लातूर
13.	छत्रपति शिवाजी महाराज, अपेक्षापूर्व केन्द्र, उस्मानाबाद
14.	जयबजरंग बहुउद्देशीय विकास संस्था, वर्धा
15.	सोनाली शिक्षण संस्था, भण्डारा
16.	सर्वोदय बहुउद्देशीय संस्था, उस्मानाबाद
17.	बालाजी शिक्षण संस्था नांदेड़
18.	एकता युवा मंडल, लातूर
19.	जीवन रेखा प्रतिष्ठान, बीड़
20.	लोक कल्याण शिक्षा संस्था, गोंडिया
21.	नेहरू युवा मंडल, धुले
22.	ओंकार उन्नति मंडल, धुले
23.	सौरभ बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था, नागपुर
24.	सानू बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था, लातूर
25.	जगाई माता खादी और ग्रामोद्योग संस्था, धुले
26.	आदिवासी कल्याण सेवा संस्था, धुले
27.	सहकारी सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, नासिक
28.	जनक्रांति शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड़
29.	चेतना कृषि ग्रामीण विकास सेवा भाव संस्था, धुले
	मणिपुर
1.	ग्रामीण सामाजिक और शैक्षणिक विकास संघ, थाऊबाल
2.	मणिपुर सीमा क्षेत्र विकास समिति, चांदेल
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, इम्फाल
4.	लैरेनजाम लेकारी महिला कल्याण संघ, इम्फाल
5.	संसाधन विकास केन्द्र, थाऊबाल
6.	ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक विकास संघ, इम्फाल
7.	नांगचैचिंग कल्याण संघ, तेनसिल रोड
8.	पीपल्स फाऊंडेशन, मोइरंग
9.	ग्रामीण महिला विकास संघ, विष्णुपुर
10.	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी महिला और बाल विकास, थाऊबाल
11.	प्रगामी विकास समिति, लेकाई
12.	द यूथ यूनियन फॉर वालंटरी एक्शन, विष्णुपुर
13.	हंगल यूनाईटिड डवलपमेंट एसोसिएशन, इम्फाल
14.	लेनलाई विकास संस्थान, चुराचांदपुर
15.	प्यूपल विकास समिति, थाऊबाल

1	2
16.	समन्वित ग्रामीण विकास एजेंसी, थाऊबाल
17.	द पायनियर यूमेंस वेल्फेयर एसोसिएशन, इम्फाल
18.	महिला आय सृजन केन्द्र, थाऊबाल
19.	कोंथोमजम केन्द्र, इम्फाल पश्चिम
	मिजोरम
1.	इंटरनेशनल पूअर चिल्ड्रन चम्पाई, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एजवाल
2.	नेहरू युवा केन्द्र लुंगलेई
	नागालैण्ड
1.	नागा सांस्कृतिक समिति, कोहिमा
2.	विसाला-यू० ड्रेस मेकिंग सोसायटी, कोहिमा
3.	नेहरू युवा केन्द्र, कोहिमा
4.	सनराइज कल्याण समिति, मोकोक्चुंग
5.	तेरूनेके महिला समिति, कोहिमा
6.	वावे समिति, फेक
7.	नागालैण्ड बुनकर संघ, कोहिमा
	उड़ीसा
1.	न्यू लाईट खुर्दा
2.	अग्रगामी, रायागाडा
3.	सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास संगठन, खुर्दा
4.	थानापल्ली मिलिता युवक संघ, खुर्दा
5.	वारसा, पीपल एक्शन सैल, खुर्दा
6.	ठडया भानू क्लब, धेनकनाल
7.	विरडा, धेनकनाल
8.	उपकार, गंजम
9.	आशा, धेनकनाल
10.	नव ज्योति युवक संघ, खुर्दा
11.	सोसल आर्गनाइजेशन फॉर वालंटरी एक्शन, धेनकनाल
12.	उदयनाथ पठागारा, कोरापुट
13.	ग्रामीण विकास और सामाजिक सेवा, कटक
14.	गांधी संस्थान, अंगुल
15.	समन्वित विकास स्वैच्छिक संगठन, गंजम
16.	शहीद युवा संघ, खुर्दा
17.	बैराबी क्लब, खुर्दा
18.	पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केन्द्र, भद्रक
19.	सापट, खुर्दा
20.	पाली विकास समिति, धेनकनाल
21.	नागेश्वरी प्रतिष्ठान, खुर्दा
22.	परपेचुअल रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्टीविटीज, भुवनेश्वर
23.	स्वराज भारती, धेनकनाल
24.	बाल जागृति संघ, भुवनेश्वर
25.	उमा महेश क्लब, खुर्दा
26.	छछाखाई युवक संघ, जगतसिंह पुर
27.	वर्ल्ड, धेनकनाल
28.	जीवन विकास, खुर्दा
29.	पाली मांगला, कटक
30.	वालंटरी आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल इम्प्रूवमेंट, क्योंझर
31.	बोस वैज्ञानिक तकनीकी सामाजिक, सांस्कृतिक संघ, पुरी
32.	आदर्श शिशु मंदिर, संभलपुर
33.	जन विकास परिषद गंजम
34.	ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक कार्य, सम्बलपुर
35.	नारायणी महिला मंडल, खुर्दा
36.	रूपायन समिति, कटक
37.	आदिवासी हरिजन इंटीग्रीटिड मास सोसल एजेंसी, खंधामल
38.	ठकलिया अहिंसा मंच, कटक

1	2
39.	मानव विकास केन्द्र, भुवनेश्वर
40.	जन विकास, पुरी
41.	गांधियन एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, केन्द्रपाड़ा
42.	विश्व चेतना, धेनकनाल
43.	बाजीराउत मेमोरियल युवक संघ, धेनकनाल
44.	सोपुत्र, कटक
45.	मदर टैरेसा सेवा प्रतिष्ठान, खुर्दा
46.	राधा मदहाबा सेवा संस्था, धेनकनाल
47.	सुचेता महिला खादी और ग्रामोद्योग समिति, कटक
48.	ग्रामीण सेवा परिषद, खंढ़ामल
49.	खंडुलसेंटर, खुर्दा
50.	अहिंसा (आदिवासी हरिजन इंस्टीट्यूट एंड नेशनल सोशल एक्शन), धेनकनाल
51.	सहयोग, कटक
52.	जन कल्याण सेवा संस्थान, केन्द्रपाड़ा
53.	जीवन ज्याति चैरिटी मिशन, केन्द्रपाड़ा
54.	सामाजिक कल्याण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जाजपुर
55.	मीडिया (मैनेजमेंट ऑफ मास इक्विटी एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्सेसरी), धेनकनाल
	पंजाब
1.	गुरू अंगद देव सेवा समिति, लुधियाना
2.	महिला कल्याण समिति, मानसा
	राजस्थान
1.	कमलनिष्ठा संस्थान, जयपुर
2.	कोटा शिक्षण संस्थान, कोटा
3.	ग्रामीण पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण संस्थान, दौसा
4.	हरिजन पिछड़ी महिला मंडल, नागौर
5.	आजाद व युवक मंडल संस्थान, दौसा
6.	जनजागृति एवं ग्रामोत्थान संस्थान, जयपुर
7.	भारतीय शिक्षा सोध एवं निर्देशन संस्थान, जयपुर
8.	पविष्कृति संस्थान, जयपुर
9.	श्री धर्मा बाल विद्या पीठ संस्था, बीकानेर
10.	नेहरू युवा केन्द्र, भरतपुर
11.	मदर इंडिया शिक्षा समिति, जयपुर
12.	सरदार पटेल युवा ग्रामीण विकास संस्थान, दौसा
13.	दिव्य ज्योति विद्या मंदिर, कोटा
	सिक्किम
1.	यूथ फेडरेशन आफ इंडिया, सिक्किम
2.	नेहरू युवा केन्द्र, नार्थ सिक्किम
3.	नेहरू युवा केन्द्र, ग्यालसिंह पश्चिम, सक्किम
4.	नेहरू युवा केन्द्र, नाचमी
5.	नेहरू युवा केन्द्र, गंगटोक
	तमिलनाडु
1.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ट्रस्ट, थेनी
2.	ग्रामीण कल्याण संगठन, पेरम्बलूर
3.	अन्नाई इंदिरा पेंगल मुनेत्र संघ, शिव गंगा
4.	नेटवर्क ऑफ एजूकेशन एनवायर्नमेंट, डेवलपमेंट सोसायटी, डिंडीगुल
5.	आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिला अम्बेडकर
6.	महिला और बाल विकास समिति तिरूनलवेली
7.	मदर टैरेसा, शैक्षणिक ट्रस्ट, विरूद्धनगर
8.	आरासेन ग्रामीण विकास समिति, थिरूनलवेली
9.	सिंगुमपट्टी ग्राम मुनेत्र संगम, सिवगंगा
	त्रिपुरा
1.	नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरी त्रिपुरा
2.	ग्रामीण विकास टीम, पश्चिमी त्रिपुरा

1	2
	उत्तर प्रदेश
1.	सत्यमेव सेवा संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
2.	आलोक ग्राम विकास जन हितकारी संस्थान कानपुर रोड़ लखनऊ
3.	महिला एवं ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद
4.	जनप्रिय महिला कल्याण समिति, अल्मोड़ा
5.	अल्लामा इकबाल शैक्षणिक समिति किरावली आगरा
6.	सफी ग्रामोद्योग विकास समिति, मुरादाबाद
7.	ग्रामीण विकास एवं शैक्षणिक, नोएडा
8.	प्रिया ग्रामोद्योग समिति, बाराबंकी
9.	श्री पुरूषोत्तम प्रसाद, दुबे बालवाड़ी एवं बाल निकेतन, मिर्जापुर
10.	गायत्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कामरूप, बलिया
11.	हनुमंत कृषि बालवाड़ी जूनियर हाईस्कूल शिक्षा समिति, मिर्जापुर
12.	द्वारिका ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़
13.	लोक कल्याण एवं ग्रामीण सांस्कृतिक उत्थान समिति, आगरा
14.	दीनदयाल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा
15.	भावना ग्राम एवं मानव विकास संस्थान, फतेहपुर
16.	प्रतिभा बाल कल्याण उन्नयन समिति, सोनभद्र
17.	मंगला शिक्षा प्रसार समिति, इटावा
18.	अखिल भारतीय लोक कल्याण परिषद, मुरादाबाद
19.	ग्राह्य विकास एवं शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
20.	मानव विकास समिति, आजमगढ़
21.	ग्रामीण जन विकास समिति, कानपुर
22.	चन्द्र ग्रामीण विकास संस्थान, प्रतापगढ़
23.	मास्टर जरी आठ सेवा संस्थान, फर्रूखाबाद
24.	जनहित विकास सेवा संस्थान, सुल्तानपुर
25.	प्रेमना शिक्षा समिति, गोण्डा
26.	विराज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, अलीगढ़
27.	डा० अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति, लखनऊ
28.	सुराज समाज सेवा समिति, फिरोजाबाद
29.	सनविज़न आजमगढ़
30.	एक्सीलेंट एजूकेशनल सोसल सोसायटी, बुलंद शहर
31.	वीरांगना रानी अवंती बाई महिला एवं बाल कल्याण समिति, अलीगढ़
32.	जनता विकास सेवा संस्थान, लखनऊ
33.	फाइव स्टार वेलकम सोसायटी, हाथरस
34.	यूपी फाउंडेशन, लखनऊ
35.	युवा कल्याण समिति, मुरादाबाद
36.	अनुभूति जन कल्याण समिति, बलरामपुर
37.	मित्र मंडल समाज सुविधा विकास समिति, मथुरा
38.	ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर
39.	शांति समाज सेवा समिति, फर्रूखाबाद
40.	राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान, फिरोजबाद
41.	अजय सेवा समिति, बुलंदशहर
42.	शिक्षा विकास सभा, अलीगढ़
43.	सर्वांगीण महिला एवं बाल विकास समिति, भदोही
44.	नवोदय प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, बरेली
45.	जन सेवा समिति, रायबरेली
46.	शहरी एवं ग्रामीण विकास समिति, बिजनौर
47.	समाज सेवा संस्थान, जेपी नगर
48.	भारतीय जन कल्याण संस्थान, आगरा
49.	जनता समाज सेवा संस्थान, उन्नाव
50.	बाला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हरदोई
51.	महिला सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
52.	प्रयास, लखनऊ
53.	सहयोगिनी, लखनऊ

1	2
54.	नव चेतना जन कल्याण संस्थान, महाराजगंज
55.	परिवर्तन समिति, इटावा
56.	कैलाशी देवी प्रशिक्षण संस्थान, मऊ
57.	शिव ग्रामोत्थान सेवा संस्थान, उन्नाव
58.	शिवम युवा विकास समिति, बिजनौर
59.	प्रगतिशील उद्योग समिति, लखनऊ
60.	श्री राम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
61.	आदर्श महिला उत्थान संस्थान, बाराबंकी
62.	श्री मीरा सरस्वती शिक्षा समिति, कानपुर नगर
63.	भारत ग्राम विकास समिति, गाजियाबाद
64.	विवेकानंद युवा विकास संस्थान देवरिया
65.	सरोज शिक्षा समिति, मऊ
66.	जीवन ज्योति विकास समिति, अलीगढ़
67.	बहिन, लखनऊ
68.	मानव सेवा आश्रम, शिकोहाबाद
69.	शानू शिक्षा प्रसार समिति, इटावा
70.	आदर्श ग्रामीण विकास संस्थान, उन्नाव
71.	राज नरायन स्मारक शिक्षा समिति, सोनभद्र
72.	यूनिक सामाजिक और सांस्कृतिक समिति, लखनऊ
73.	सावित्री महिला कल्याण समिति, इटावा
74.	नवीन ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, गोण्डा
75.	उत्थान सेवा संस्थान, सुल्तानपुर
76.	लक्ष्मी ग्रामोद्योग समिति, रायबरेली
77.	मानव कल्याण एवं प्रशिक्षण सेवा समिति, उन्नाव
78.	आदर्श शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
79.	अर्पण सामाजिक उत्थान समिति, आगरा
80.	मां शकुन्तला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, महाराज गंज
81.	ग्रामीण महिला उत्थान समिति, इटावा
82.	कविता खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बुलन्दशहर
83.	दलित समाज सेवा संस्थान, अलीगढ़
84.	वीनस विकास संस्थान, लखनऊ
85.	निधि विकास संस्थान, जौनपुर
86.	शांति निकेतन मांऊटेशरी एवं जूनियर हाई स्कूल समिति, फरुखाबाद
87.	अखिल भारतीय कल्याण संस्थान, आगरा
88.	श्री संतोष ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फिरोजाबाद
89.	पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी, आगरा
90.	पाठक ग्रामोद्योग विकास संस्था, बुलंदशहर
91.	शांतिबाई निकेतन शिक्षा समिति, मिर्जापुर
92.	देवी सहाय समवती सेवा संस्थान, हरदोई
93.	ग्राम विकास संस्थान, बदायुं
94.	ऑल इंडिया एपेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, इलाहाबाद
95.	पूजा उद्यमिता विकास परिषद, लखनऊ
96.	कृष्णानन्द सर्वोदय सेवा समिति, मिर्जापुर
97.	ज्योति विद्या मंदिर, गोंडा
98.	समाज कल्याण बालिका विद्यालय समिति, प्रतापगढ़
99.	आल्हा सांस्कृति एवं समाज कल्याण संस्थान, सुल्तानपुर
100.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
101.	शादाब संस्थान, लखनऊ
102.	ओम सरस्वती युवा विद्या सेवा समिति, अलीगढ़
103.	सत्येन भारतीय ग्रामीण समाजोत्थान समिति, सिद्धार्थनगर
104.	कल्याण संस्थान, लखनऊ
105.	अंशुल जन विकास परिषद, मैनपुरी
106.	गुरुजी समाज कल्याण संस्थान, फिरोजाबाद
107.	चन्द्रभागा ग्रामोद्योग सेवी समिति, गोंडा

1	2
108.	युवा लोक कल्याण समिति, फिरोजाबाद
109.	युवा जन सेवा संस्थान, मैनपुरी
110.	पूअर हैल्प ग्रामोद्योग संस्थान, गोरखपुर
111.	ग्रामीण औद्योगिक संस्थान, गोरखपुर
112.	क्षेत्र विकास एवं जन कल्याण समिति, लखनऊ
113.	शनु शिक्षा प्रसार समिति, मथुरा
114.	तराई एनवायरमेंट अवयेरनेस समिति, लखनऊ
115.	ओम मददगार समिति, लखनऊ
116.	रूरल एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट, हरदोई
117.	अवध सेवा संस्थान, लखनऊ
118.	नारी प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर नगर
119.	ग्राम्य एवं ग्रामीण विकास समिति, फतेहपुर
120.	संभव ग्रामोद्योग संस्थान, बुलंदशहर
121.	गार्डेन भारती शिक्षा अकादमी समिति, मथुरा
122.	सेंटर फॉर एक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, प्रतापगढ़
123.	आजाद प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बेडकरनगर
124.	इंस्टीट्यूट फोर रीजनल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, कानपुर
125.	शोध एवं सेवा संस्थान, बलरामपुर
126.	भारतीय सर्वोदय संस्थान, रायबरेली
127.	मिर्जा गालिब शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, मुरादाबाद
128.	भारतीय बाल एवं महिला कल्याण समिति, सुल्तानपुर
129.	रोहन शिक्षा प्रसार समिति, आगरा
130.	समग्र ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, मिर्जापुर
131.	विकास संस्थान, देवरिया
132.	ग्रामीण कृषक विकास समिति, सुल्तानपुर
133.	प्रयास भारती विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, गाजियाबाद
134.	निर्बल उत्थान समिति, अम्बेडकरनगर
135.	साई ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कानपुर
136.	विवेकानन्द युवा महिला एवं बाल सेवा संस्थान, देवरिया
137.	सामुदायिक विकास केन्द्र, जे०पी० नगर
138.	श्री दारा सिंह स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, मेरठ
139.	शिवम युवा विकास समिति, बदायूं
140.	कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, हाथरस
141.	सोसायटी फॉर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर अवेयरनेस, कानपुर
142.	भारतीय मानव उत्थान समिति, आगरा
143.	जयोर्तिगमय संस्थान, लखनऊ
144.	श्री साधुशरण सिंह बाल विद्या निकेतन, फतेहपुर
145.	शैलेश कुमार सिंह ललिता मानव सेवा एवं शिक्षा समिति, चित्रकूट
146.	आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय समिति, कुशीनगर
147.	लोक विकास केन्द्र, गोरखपुर
148.	सैंट हमेदिया मायनोरिटी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मुरादाबाद
149.	श्रीमती मार्गश्री वेलफेयर सोसायटी, अलीगढ़
150.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास संस्थान, सुल्तानपुर
151.	ह्यूमन नीड, बाराबंकी
152.	सुमित सेवा संस्थान, कन्नौज
153.	कमला सेवा समिति, गाजियाबाद
154.	फेयरडील ग्रामोद्योग सेवा समिति, बाराबंकी
155.	भारतीय ग्राम समिति, मऊ
156.	भारती ग्रामोत्थान सामाजिक विकास संस्थान, बिजनौर
157.	फैज सेवा संस्थान, लखनऊ
158.	उत्तर प्रदेश ग्राम सेवा संस्थान, रायबरेली
159.	आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, महामायानगर
160.	जागृति समाज कल्याण समिति, लखनऊ
161.	संभव समाज कल्याण संस्थान, यू०पी०

1	2
162.	गौरव सेवा संस्थान, बाराबंकी
163.	महिला उत्थान कल्याण समिति, बहराइच
164.	आश्रय वेलफेयर इंस्टीट्यूट, लखनऊ
165.	समर्पण जन कल्याण संस्थान, देवरिया
166.	नारायण शिक्षा प्रसार भारती, आजमगढ़
167.	नवीन प्रगति संस्थान, मऊ
168.	महिला उत्थान समिति, आजमगढ़
169.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति, सुल्तानपुर
170.	जवाहर लाल नेहरु सेवा संस्थान, देवरिया
171.	नेटवर्क फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट, लखनऊ
172.	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ
173.	समर्पण जन कल्याण संस्थान, देवरिया
174.	ग्रामीण महिला विकास एवं शिशु कल्याण समिति, संत कबीर नगर
175.	अखिल भारतीय मधुरवि गंगाधर सेवा संस्थान, बाराबंकी
176.	कविता सेवा समिति, बुलंदशहर
177.	समर्पण जन कल्याण संस्थान, देवरिया
	उत्तरांचल
1.	मरातोलिया हस्तकला ग्रामीण महिला अनुसूचित जाति एवं जनजातिय विकास समिति, अल्मोड़ा
2.	मायावी ग्रामोद्योग विकास समिति, यू०एस० नगर
3.	सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ हिल्स एनवायरमेंट एण्ड रुरल इम्पावरमेंट, हल्दवानी
4.	किशन ग्रामोद्योग विकास समिति, यू०एस० नगर
5.	शिव सामाजिक संस्थान, गढ़वाल
6.	अर्चना मानव विकास संस्थान, देहरादून
7.	उत्तरांचल युवा समिति, नैनीताल

1	2
	पश्चिम बंगाल
1.	पार्टीसिपेट्री पीस मिशन फोर ह्यूमेनिटी, मिदनापुर
2.	कोलाघाट लोक शिक्षा निकेतन, हुगली
3.	ताजपुर मां श्रद्धामयी नारी निकेतन समिति, मेदनीपुर
4.	कोशीपोर महिला उद्योग, कोलकत्ता
5.	कैकला रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, हुगली
6.	बसीर हाट वूमन डेवलपमेंट सोसायटी, उत्तरी चौबीस परगना
7.	बेहाला पिपिलीका, कोलकत्ता
8.	बादकुला लुना सिल्क खादी सोसायटी, नादिया
9.	राजीबपुर यूथ यूनियन, हावड़ा
10.	राणा पारा ग्राम विकास केन्द्र, हावड़ा
11.	जीरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन, उत्तरी चौबीस परगना
12.	रुपाहार युवा संगठन, दिनाजपुर
13.	टिकाशी एसन ऑफ सोशल वेलफेयर, पूर्वा मिदनापुर
14.	काल्याचक नेताजी सुभाष संघ, पूर्वा मिदनापुर
	दिल्ली
1.	ग्रामीण स्वाभिमान, अलीपुर
2.	रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, कटवारिया सराय
3.	इंटरनेशनल रुरल कल्चरल सेंटर, वसन्त कुंज
4.	ऑल इंडिया सरस्वती एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, बुद्धविहार
5.	इंटीग्रेटेड सोसायटी डेवलपमेंट ऑरगेनाइजेशन, पश्चिम विहार
6.	महिलायें प्रगति की ओर, तिलकनगर
7.	डी०ए०वी० कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, तिलकनगर
8.	डेस्टीट्यूट वेलफेयर ट्रस्ट, नांगलोई
9.	ऑल इंडिया वूमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, जनकपुरी
10.	प्रियदर्शनी महिला मंडली, प्रेमनगर
11.	वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डाऊनट्रोडेन, जंगपुरा

1	2
12.	नारी चेतना संगठन, मयुर विहार फेज-1
13.	ऑल इंडिया कोणार्क एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, उत्तम नगर
14.	एन०वाई०के०, महरौली
15.	गरीब सेवा उद्योग समिति, राजेन्द्र प्लेस
16.	श्री अरविन्दो एजुकेशन सोसायटी, श्री अरविन्दो आश्रम
	दादर व नगर हवेली
1.	ग्राम विकास मंडल, सिलवासा

2004-2005

1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	वीकर सेक्शंस ऑरगेनाइजेशन फॉर रुरल ट्रैनिंग एण्ड हैल्थ, हाऊस नम्बर 6/131-ए-1, शंकरपुरम, कुडप्पा, आन्ध्र प्रदेश
2.	नव चेतन्य एजुकेशनल सोसायटी, 2-2-2/6(ए-9), प्रशान्तनगर, विद्यानगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
3.	कस्तुरीबाई गिरिजन वेलफेयर सोसायटी, वेंकटेश्वरपुरम गांधी गिरिजन कालोनी, नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
4.	ग्राम विकास, अय्यागरिपेट, बी०सी० हॉस्टल के पास, सत्तुपल्ली, खम्माम, आन्ध्र प्रदेश 507303
5.	वोलेन्ट्री इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी, डी० नं० 2/947-ए, न्यू मास्क स्ट्रीट, गौरनताला, अन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश 515231
6.	सर्वोदय यूथ ऑरगेनाइजेशन, हाऊस न० 6-1-76/ए, श्रीदेवी थिएटर, हमकोंडा, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश 506001
7.	रुरल डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसायटी, 26/11/2300, वेंकटरेड्डी नगर, वेदयापालेम नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
8.	रुरल रिकंस्ट्रक्शन कम्पेन, 2-2-1146/9-ए(425), न्यु नल्ला कुंटा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
9.	स्वामी विवेकानन्द युवा एसोसिएशन, 1-25, गोविंद पुरम (पी०), मदाकासिरा (टी०क्यू०), अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश 515291
10.	सोसायटी फॉर वेलफेयर एण्ड एवेकनिंग, इन रुरल, एनवायरमेंट, सुशील रेड्डी कालोनी, जे०एन०टी०यू० कालेज के सामने, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश 515002
11.	जनपद युवा कला करुला संगम, शुब्बारापेट, ग्राम एवं डाकखाना धरनावरम् मंडल, अन्तपुरम, आन्ध्र प्रदेश
12.	चन्द्रशेखर सेवा संस्थान, ग्राम एवं डाक खाना गैमऊ, तहसील, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर
	असम
1.	बाजाली गांव उन्नयन समिति, ग्राम-भाटी, उलुवा, डाकखाना नित्यानन्द, जिला बारपेटा, असम
2.	सोशियों इकोनोमिक डेवलपमेंट फोरम, न्यू मार्केट पंचारट रोड, गोलपाडा, असम
3.	उत्तर बोकराझार गांव उन्नयन संघ, ग्राम बोकराझार, डाकखाना तेन्याबाडी, जिला दारंग, असम
4.	ग्राम विकास परिषद, रंगालु, डाकखाना जुमारमुर, जिला नागौन, असम
5.	महेरीपन, आदर्श समाज कल्याण समिति, डाकखाना, कालियाडिंगा, ग्राम जोनिया, जिला नागौन, असम
6.	रपही कोहीनूर क्लब ग्राम और डाकखाना रपही, जिला नागौन, असम 782125
	बिहार
1.	शास्त्री नगर कल्याण समिति, काल बहादुर शास्त्री मधेशिया, शास्त्री नगर, ब्लाक नं० 4, डाकखाना कुदमा, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, बिहार
2.	बेला जन कल्याण विकास संस्थान, कैदराबाद, नाका नं० 2, जिला दरभंगा, बिहार
3.	महिला विकास समिति, ग्राम डुमरा, डाकखाना ब्रह्मपुरा, वाया बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार
4.	कौमी एकता, ग्राम विशनपुर गीधा, डाकखाना सुगता, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
5.	श्यामा शिल्प शिक्षा और जन कल्याण संस्थान, कार्लो मारूती शो रूम के पीछे, बारिंग रोड, पटना, बिहार
6.	गरीब जनजागृति सेवा केन्द्र, ग्राम व डाकखाना पुनबद्ध, वाया घनश्यामपुर, जिला दरभंगा, बिहार
7.	महिला चेतना समाज, अररिया, खरिया, बस्ती, वार्ड नं० 8, डाकखाना अररिया बिहार

1	2
8.	नारी बल सेवा संस्थान, बाल भवन, झंझारपुर, डाकखाना झंझारपुर, पुलिस स्टेशन झाना, मधुबनी बिहार
9.	महिला बाल विकास संस्थान, अन्देर रोड, डाकखाना सिवान, सिवान, बिहार
10.	बिहार युवा जागृति परिषद्, कैंब्रिज स्कूल ऑफ एजुकेशन कम्प्लेक्स के पास, नरसम, डाकखाना राठीयास, जिला मधुबनी, बिहार
	दिल्ली
1.	सर्वप्रिय मानव कल्याण समिति, 115बी०/7, सेक्टर 3 रोहणी दिल्ली
2.	दिल्ली स्वागत शिक्षा समिति, दिल्ली
3.	नारी उत्थान समिति, 185/31 ए, मेन कृष्णा गली, मौजपुर, दिल्ली
4.	इंडिया इंटरनेशनल रुरल कल्चरल सेंटर, 7, नेल्सन मंडेला रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर सी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली
5.	श्री अरविन्दो एजुकेशन सोसायटी, श्रीअरविन्दो मार्ग नई दिल्ली-110016
6.	सर्व धर्म एवं जनपरोपकारी संस्था झाऊस नं० 365, पॉकेट-3, प० पुरी दिल्ली
7.	न्यू डाइमेन्शंस टैलेंटर्स वेलफेयर सोसायटी, 1-सी, एस-505, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली
8.	राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाऊंडेशन, युनिवर्सल राजयोग इंस्टीट्यूट, ई-38 ए, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली
9.	एस०पी०यू०एम० (सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेस), बी-4/3054, बसंतकुंज, नई दिल्ली
10.	कम्यूनिटी वेलफेयर ऑरगेनाइजेशन, स्पोर्टस शेड के पास, 4-65, बंटी भवन, गोकुलपुरी, दिल्ली-94
11.	संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, 116, कोटला, ग्राम मयुरविहार, फेज-1, दिल्ली-91
12.	उषी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, जी-4 अनुपम बिल्डिंग हौजखास मार्केट नई दिल्ली
	गुजरात
1.	खेड़ा जिला महिला एण्ड बाल विकास संघ, सी-9, आयोजन नगर, श्रेयास क्रासिंग रोड के निकट, पालदी, अहमदनगर-7
2.	हरिओम सहयोग मंडल, 8, चिमनलाल पार्क, केडला लेट गेडासर के सामने, अहमदाबाद, गुजरात
	हरियाणा
1.	भारतीय युवा कल्याण समिति, फारमर ग्रामीण युवा विकास मंडल, एस०सी०ओ० नं० 2, कांची भवन करनाल रोड, बी०पी०ओ० बाजिदाजाटन, करनाल, हरियाणा
2.	हरियाणा समाज सुधार समिति, ग्राम और डाकखाना-शेखपुरा, जिला सोनीपत, हरियाणा
3.	महिला चेतना समिति, जींद रोड, रोहतक हरियाणा
4.	सोसायटी फोर ऑल एराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, झाऊस नं० 1040, सेक्टर-4, हुडा कालोनी, गुडगांव, हरियाणा
5.	दादा शिवाई युवा मंडल, ग्राम कतलुपुर, ब्लाक राय, तहसील खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा
6.	सरस्वती एजुकेशन सोसायटी, 671/1 जींद रोड़, मोटर दरवाजा, रोहतक, हरियाणा
7.	ह्यूमन डेवलपमेंट सोसायटी, नं० 2160, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा
8.	आदर्श युवा खेल क्लब, ग्राम नहरी, जिला सोनीपत, हरियाणा
9.	परिवर्तन, एस०सी०एफ०-6, सैक्टर-6, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
10.	बाबा खेतनाथ युवा जागृति समिति, ग्राम अटाली, डाकखाना-डूलोट जाट, तहसील, नरनौल, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
11.	हरियाणा विकास संघ, कनोडा, झज्जर, हरियाणा
	झारखंड
1.	प्रियदर्शनी स्वास्थ्य सेवा संस्था, स्टेशन रोड, तैल्जहरी, साहेबगंज, झारखंड
2.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, रेलवे कालोनी, डी०एस० 2, 29 ए०बी०एस०, सिटी-10, बोकारो, झारखंड
3.	नवयुवक कला मंच, रिहैबलीटेशन साइट, तैना मोर, डाकखाना जैना मोर, बोकारो, झारखंड
	जम्मू और कश्मीर
1.	हिमालयन वाइस, वार्ड नं० 2, राजौरी-185131, जम्मू एवं कश्मीर
2.	मॉर्डन कल्चरल क्लब, वार्ड नं० 2, राजौरी, जम्मू एवं कश्मीर

1	2
3.	मजेस्टिक वॉलन्टरी ऑर्गेनाइजेशन, नवारा, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
	कर्नाटक
1.	एक्शन फार एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, निवर सी०एस०एस० आफिस क्वार्टर, 45635ए, टीपू नगर, मैसूर, कर्नाटक.
2.	इलिट एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, म०सं० 4, 601/66 एम०बी० निवर, गुलबर्गा, कर्नाटक
3.	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, गुडीबन्द, कोलार, कर्नाटक
4.	कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बच्चीरडयाली, डी-पालक्का (पी), गौरीबीदानूर (तालूक), जिला-कोलार, कर्नाटक
5.	जन संकसेवा सेवा समिति, गांव-बारामामूडा, जगलपुर (ता०) देवागेरी, कर्नाटक
6.	स्वामी विद्या संस्थान, गांव-परासूरामपुरा, चैलकेसा (ता०) चित्रदुर्गा, कर्नाटक
	केरल
1.	ग्रामीण मानव दारीद्र मुक्ति केन्द्रम, पावीथेशवरम, पोस्ट-कोटाराकारा, कोल्लम, केरल
	मध्य प्रदेश
1.	केतकी कल्याण समिति, द्वारा – अच्युतानंद मिश्र, अमीझ तहसील हुजूर, सेवा, मध्य प्रदेश
2.	विकास संबंधी प्रयास में सामाजिक-सांस्कृतिक कार्रवाई उन्नयन केन्द्र, 171, वैशाली नगर, कटरा सुल्तानाबाद, तहसील हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश
3.	निवेदिता कल्याण समिति, रायपुर, करछुलिया, जिला रेवा, मध्य प्रदेश
4.	जागृति महिला समिति, 90 क्वार्टर चौक, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश
5.	श्वेता शिक्षा समिति, सिद्धेश्वर नगर, मुरार, तहसील/जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006
6.	सद्भावना शिक्षा समिति, धूमा, तहसील लखनदांव, जिला श्योनी, मध्य प्रदेश
7.	सागर सामाजिक विकास समिति, म०सं० 113, गोविन्द कोलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश
8.	अवन्ति शिक्षा समिति, राम नगर के समीप, आधार ताल, जिला/तहसील जबलपुर, मध्य प्रदेश
9.	वैभव लक्ष्मी शिक्षा समिति, बस स्टैण्ड के समीप, कुंदम, जबलपुर, मध्य प्रदेश
10.	प्रियंशी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, गली नं० 2, आर्य नगर, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
11.	स्तुति महिला कल्याण शिक्षा समिति, विवेकानन्द कालोनी, तहसील/जिला छिंदवाडा, मध्य प्रदेश
12.	श्री हरगोविन्द शिक्षण समिति, ग्राम होली चौक, डाक/जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
13.	परसुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, आदर्श गांव, हस्तिनापुर, मोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
14.	पं० एन०पी० शर्मा शिक्षा एवं सेवा समिति, 46/3, गल्ला मंडी, तहसील/जिला सिहोर, मध्य प्रदेश
15.	श्री बजरंगम शिक्षा प्रसार समिति, मोहल्ला-पलेरा, जिला-टिकमगढ़, मध्य प्रदेश
16.	किर्तन कला प्रेम मंडल, डी-3-बी, सारिका एनक्लेव, सारिका नगर, न्यू दर्पण कोलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
1.	प्रबोधन सर्वांगीण विकास संस्था, धुले, 28, संत गाडगे महाराज कोलोनी, देवपुर, धुले-424005, महाराष्ट्र
2.	जीवन धारा शैक्षणिक व सामाजिक प्रतिष्ठान, द्वारा-लक्ष्मी हास्पिटल, बस्वेश्वर चौक, कावा रोड़, लातूर, महाराष्ट्र
3.	जोगाई माता कृषि ग्रामीण विकास सेवा भावी विकास संस्थान, केपाडाना, धुले, महाराष्ट्र
4.	महात्मा फूले सेवा भावी संस्थान, वालेवाडी, डाक इटोला, तहसील अम्बोजोगई, बीड, महाराष्ट्र
5.	प्रावर प्राकृतिक तथा सामाजिक सेवा शोध एवं शिक्षा संस्थान, लोनी, तालुक रहाता, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र
6.	ग्रामीण विकास संस्था, काकरडे, जिला नानदरबार, महाराष्ट्र
7.	प्रियदर्शनी ग्रामीण सेवा भावी संस्थान, दीपराज काम्प्लेक्स, प्रथम जल, इंदिरा गांधी मार्ग, संगम कर, जिला अहमनगर, महाराष्ट्र

1	2
8.	ग्राम विकास ज्ञान प्रसारक मंडल, गुटकला, वार्ड नं० 45, भावसार वार्ड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
9.	हनुमान व्यायाम शाला व युवक क्रीडा मंडल, खरोसा, ता० ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र
10.	अर्पण शिक्षण संस्थान, प्लाट नं० 97, नंदनवन कोलोनी, कैंट क्षेत्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 431002
11.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा शोध संस्थान परिषद्, प्लाट नं० 97, नंदनवन कोलोनी, कैंट क्षेत्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
	मणिपुर
1.	लेनअलाई विकास संगठन, मुख्यालय-चुराचन्द्रपुर, मणिपुर
2.	ग्रामीण विकास सोसायटी, स्वयंसेवक, चकपीकारंग बाजार, डाक चम्पीके, चंदेल, मणिपुर
3.	पर्यावरण तथा आर्थिक प्रबंधन संघ, हावबाम मारक चिंगथाम लेकाई, इम्फाल, मणिपुर
4.	महिला विकास कार्यकलाप एजेंसी, केशोमपट, थाऊहू, लेकाई, इम्फाल, मणिपुर
5.	सर्व पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक विकास संगठन, समोरक बाजार, थाऊ बल, मणिपुर
6.	नूपी खुनाई, थिंगल लेकाई, ओईनाम, ओईनाम बाजार, डाक नाम्बल-795134, विष्णुपुर, मणिपुर
7.	यूनाइटेड डेवलपमेंट सर्विसेज, हिरोक-भाग 1, हितूपोकपी, मणिपुर
8.	ग्रामीण स्वैच्छिक सेवा, वांगबल थायाई लेकाई आफ थाऊबल, मणिपुर
9.	गांधीवादी ग्रामीण विकास संस्थान, होटल-पौंगबा, एम०आई० रोड, थाऊबल, मणिपुर-795138
10.	द मणिपुर रूरल सर्विसेज एसोसिएशन, ओल्ड चेकोन, आनंद सिंह हायर सैकण्डरी, एकेडमी गेट, इम्फाल पूर्व, मणिपुर
11.	लाइरेन काबी युवा नाट्य संघ, बी०पी०ओ० लाम सांग, इम्फाल, मणिपुर
12.	सर्वहारा वर्ग विकास संघ, लोएरीक यंगवाम, माफा किकाई, जिला इम्फाल, मणिपुर
13.	सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, इम्फाल, मणिपुर
14.	ग्राम विकास संगठन, फाउडेन, बी०पी०ओ० थाऊबल, मणिपुर
15.	ग्रामीण विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान, डाक थाऊबल, बी०पी०ओ०-डोलरूखोलजिन, जिला इम्फाल पूर्व, मणिपुर
16.	विकास कार्यकलाप केन्द्र, वांगजिन, भारत मिया मार्ग के समीप, वांगजिम, मणिपुर-795148
17.	दरिद्र एवं मजदूर विकास परिषद्, लिलोंग, इम्फाल, मणिपुर
18.	दरिद्र एवं मजदूर विकास परिषद्, लिलोंग, इम्फाल, मणिपुर
19.	द यूथ यूनियन फार वोलंटरी एक्शन, टेंगाजारेन, डाक मोइरंग, विष्णुपुर, मणिपुर
20.	मणिपुर वूमेन कोर्डिनेटिंग कॉनवेंट, चांदीपुर, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर-795003
	नागालैंड
1.	ग्रामीण महिला कल्याण सोसायटी, ग्राम सुंगीपि, जिला वोखा, नागालैंड
2.	केजा सोसायटी, जेल कोलोनी, कोहिमा, नागालैंड
3.	अकिवी एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी, कोहिमा, नागालैंड
4.	उराजो वेलफेयर सोसायटी, चोजोबा टाउन, फेक, नागालैंड
5.	अखिल भारतीय सरस्वती शैक्षिक कल्याण सोसायटी, म०सं० 322, के०एच० नं० 79, ग्राम नागालैंड
6.	यू०टी०आई०बी०ओ०यू० वेलफेयर सोसायटी, कोहिमा टाउन, नागालैंड, बायाविनी हिल, कोहिमा, नागालैंड
7.	ग्रामीण क्षेत्र महिला कल्याण सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड
8.	यूवा तथा महिला सोसायटी, चोजोबा टाउन, फेक, नागालैंड
9.	ग्रामीण महिला विकास न्यास, मोकोक चुंग टाउन, सेंगटेंगडा वार्ड, मोकोकचुंग, नागालैंड
10.	एम०-एम०एच०ए०-बहुद्देशीय कल्याण सोसायटी, वोखा टाउन, वोखा, नागालैंड
11.	लोंगसंघ युवा क्लब, लोंगसंघ, वोखा, नागालैंड
12.	लोक कल्याण संघठन, लजामि, जिला झुन्हेबातो, नागालैंड
	उड़ीसा
1.	सुभद्रा महिला कल्याण विकास संघठन, राधाबल्लभ साही, डाक-खुर्दा (उड़ीसा)
2.	जीवन ज्योति समाज कल्याण तथा ग्रामीण विकास क्लब, महादिया, गुडासिला, धेनकनाल, उड़ीसा

1	2
3.	महिला ग्रामीण विकास संघठन (वर्ड), डाक-भुसंदपुर, खुर्दा, उड़ीसा
4.	शिशु राजा क्लब, कांतानाली, (जे०जे०), दयूलासाही, डाक धेनकनाल, उड़ीसा
5.	खानदुआल शेल्टर, डाक ताराबोई, वाया जटनी, पो०बा० नं० 31, खुर्दा, उड़ीसा
6.	सामाजिक ग्रामीण तथा युवा उन्नयन संघ, डाक अर्जुनपुर, जिला खुर्दा, उड़ीसा
7.	मंगल ज्योति स्वैच्छिक संगठन, एकाघरिया, डाक बतराम प्रसाद, वाया हिंदू रोड, जिला धेनकनाल, उड़ीसा
8.	बासुदेव पाठागार, डाक नुआगन पधानसाही, वाया नियाली, जिला कटक, उड़ीसा
9.	राष्ट्रीय युवा संगठन, श्री खेत्र कोलोनी, ई०डब्ल्यू०एस०-100, जिला पुरी, उड़ीसा
10.	रत्नाकर ग्रामीण तथा शहरी विकास संस्थान, डाक कबारा माथापुर, वाया महिमागढ़ी, जिला धेनकनाल, उड़ीसा
11.	असम फार वूमन एवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट (एवार्ड), बी 41, साहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा
12.	जीवन ज्योति, प्लाट नं० 708, बी०जे०बी० नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा
13.	जिला हरिजन आदिवासी विकास संगठन, बहापल, डाक कांतल, वाया कंकडबाद, धेनकनाल, उड़ीसा
14.	राम राज्य सेवा सदन, राज्य पटना, वाया भापर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा
15.	सैंटर फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल सोलिडेरिटी, डाक फतुखरा, कटक, उड़ीसा
16.	कृषि आदिवासी स्वसहायता सोसायटी, डाक बातिरा, ब्लाक मारसाघास, पटकुरा, जिला केन्द्रपाडा, उड़ीसा
17.	हरा पार्वती क्लब, डाक खुंतापल, जिला मयूरभंज, उड़ीसा
18.	मिशन आन यूनाइटेड क्वेस्ट फार ट्रांसफोरमेशन एंड इनोवेशन, डाक नवागन, वाया कुजांग, ब्लाक इरासामा, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा
19.	जीवन ज्योति, प्लाट नं० 708, बी०जे०बी० नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा
20.	गंगोत्री सामाजिक संगठन, प्लाट नं० एम/450, मधुसूदन नगर, यूनिट नं० 4, भुवनेश्वर, उड़ीसा
21.	विकल्प विकास, ओडाकापा, डाक टुकूडा, जिला आंगल, उड़ीसा
22.	मुक्ति, गांधी मंदिर रोड़, धेनकनाल, उड़ीसा
23.	रूपायन सोसायटी, डोलामुंडाई (जगन्नाथ मंदिर के समीप) डाक तैलंग बाजार, कटक, उड़ीसा

राजस्थान

1.	महर्षि दयानन्द विकास समिति, 368, पटेल नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
2.	एस०के० पब्लिक स्कूल समिति, चांदी चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान 335001
3.	भाग्य राष्ट्रीय चेतना मिशन संस्थान, बी-176 सी, मालवीय नगर, अलवर, राजस्थान
4.	राजस्थान समाज कल्याण शिक्षा समिति, मंडरेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान
5.	सोसायटी फार आल राउंड डेवलपमेंट, ग्राम एवं कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान

सिक्किम

1.	नारी कल्याण संस्था, चूबा ब्लॉक, लोअर परबिंग, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम

तमिलनाडु

1.	मारी अम्मान सर्विसेज सोसायटी, 24 वेल्यू उय्यम लेन, एसुवरनकोइल स्ट्रीट, मानापराई, त्रिचि, तमिलनाडु, 621306
2.	दुराई स्वामी जीरेरस सोशल एजुकेशन एसोसिएशन, विलवरायु नल्लूर, न्यू मम्बाकम, तालुक कांचीपुरम, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

1.	तराई खादी ग्रामोद्योग संस्थान, 20/31, समता नगर, सेक्टर-II, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
2.	शान महिला कल्याण समिति, बजोडी टोला, टी-2/32 रामपुर, उत्तर प्रदेश
3.	सीमा सेवा संस्थान, 503/131/20ए, राजीव गांधी नगर, बरोलिया, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
4.	अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास संगठन, सैनिक कोम्पस, ग्राम कुमराला गजरोला, जे०पी० नगर, उत्तर प्रदेश
5.	इंडिया लिटरेसी बोर्ड, लिटरेसी हाउस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6.	बी०डी० ग्रामीण विकास संस्थान, अपर कोट, नया बाजार, अपर कोट बहजोई, उत्तर प्रदेश

1	2
7.	अवनीश कल्याण संस्थान, ग्राम करथक, डाक ईशनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
8.	नव ज्योति संस्थान, 45, अशोक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
9.	शिव सेवा संस्थान, ग्राम कोटिला, डाक डेक, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश
10.	ग्रामीण उद्यमिता विकास एवं शोध संस्थान, 32, नरेन्द्र नगर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
11.	सेहाट (सोसायटी फार एक्सटेनशील हेल्थ एक्टिविटी), 15/182, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
12.	सेंट पाल्स चेरिटेबल एजुकेशन सोसायटी, 130/बी 1, ग्रेस सदन, डामर गोदाम के पीछे, सी०पी० मिशन कम्पाउंड, झांसी, उत्तर प्रदेश
13.	शोध एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम पूरे केदवा, डाक अफीम की कोठी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
14.	जयकरण बिंद ग्राम विकास सेवा संस्थान, ग्राम खिजिरपुर, डाक सराय ममराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
15.	अवध मेमोरियल सोसायटी, गुलारिया गर्दा पूरब गली, घंटाघर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
16.	जनता ग्रामोद्योग सेवा समिति ग्राम तथा डाक फतेहगंज, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
17.	आशा विकास सोसायटी, बस स्टेशन रोड़, अकबरपुर हेड पोस्ट, अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
18.	नेहरू युवा क्लब, झबीपुर, डिस्ट्रू पोस्ट तथा ब्लाक, डिंगरपुर, सुंदरखी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
19.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति, 98, मंडी रेलवे रोड़, पिलखवा, उत्तर प्रदेश
20.	अर्चना महिला कल्याण समिति, ग्राम–अभीपुर, डाक घनमऊ, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
21.	श्रीराम लडाअती शिक्षा विकास समिति, संजय नगर, आगरा रोड़, एटा, उत्तर प्रदेश
22.	नेशन ग्रामोद्योग सेवा समिति, मोहल्ला सात, शेखन अपर कोट, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
23.	संत सेवाश्रम, रेलवे रोड़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
24.	भारतीय लोक कल्याण संस्थान, ग्राम बाघोल, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
25.	अर्पित महिला एवं ग्रामीण विकास संस्थान, मकान नं० 242, भाषा नगर, सनीगवान रोड़, कानपुर, उत्तर प्रदेश
26.	पब्लिक सेवा सोसायटी, ग्राम तथा डाक सैइदनपुर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
27.	जगत जगदीश बन कल्याण, धनगढ़ कोट, आवसनगंज, तहसील कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
28.	ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम रामगढ़, बलिया, उत्तर प्रदेश
29.	अभियुक्ति फाउंडेशन, 249/109, टेगोर टाउन, डा० ए०के० सुर रोड़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
30.	हिमांशी सोशल वेलफेयर सोसायटी, ग्राम तथा डाक गलामी, तहसील सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
31.	पृथ्वी सेवा संस्थान, ग्राम प्रताप पूरवा, डाक तिवारीपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
32.	बन कल्याण समिति, दुर्बनपुर घाट, गोंडा, उत्तर प्रदेश
33.	भारतीय युवा कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम बरगडियापुर, ब्लाक काकवा, डाक मचपुर, तहसील बिलहोर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश
34.	संदीप ग्रामोद्योग समिति, मकान नं० 356, मोहल्ला कटरा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
35.	युवा लोक कल्याण समिति, ग्राम तथा डाक कछरा, तहसील सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
36.	एस०बी०टी० ग्रामोद्योग शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम बरसिंहपुर, डाक माधोपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश
37.	निधि विकास संस्थान, ग्राम काशीरामपुर, डाक ईशनपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश
38.	सर्वांगीण महिला एवं युवा बाल विकास समिति, ग्राम गांधी, डाक सागर, काइपुर, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश
39.	राजू ग्रामोद्योग सेवा समिति, मोहल्ला खलवा, डाक बलरामपुर, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
40.	मेजर ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, हुग्गा, तालाब, चक्की वाली, रामपुर, उत्तर प्रदेश

1	2
41.	पंडित दीनदयाल सेवा समिति, ग्राम तथा डाक रतनपुरा, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश
42.	जन सेवा संस्थान, ग्राम तथा डाक भीलपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
43.	बालाजी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम केसरीपुर, डाक मलिकपुर, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश
44.	आर०ए० पब्लिक एजुकेशन सोसायटी, ग्राम पेगम्बरपुर, डाक गजाम, जे०पी० नगर, उत्तर प्रदेश
45.	चौधरी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मोहल्ला बोलागंज, बहगई, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
46.	महिला तथा बाल देखभाल धर्मार्थ सोसायटी, 219-ए/1ए, चाक रघुनाथ जेल रोड नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
47.	यू०एम० मेमोरियल समाज उत्थान समिति, 634 ईदगाह रोड़, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
48.	हरिओम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मोहल्ला शिक्षक कोलोनी, जेट किला, बाबा गोरीशंकर रोड़, कन्नौज, उत्तर प्रदेश
49.	युवा कल्याण सेवा समिति, ग्राम तथा डाक कासीपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश
50.	सैनिक वेलफेयर इंस्टीट्यूट, इंदलपुर रोड़, माहेवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
51.	युवा कल्याण समिति, सराय तारेन रोड़, चामुंडा हयात नगर, सम्भल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
52.	डा० भीम राव अम्बेडकर बाल विकास केन्द्र, ग्राम खंडोवा, डाक शिवदयालगंज, उत्तर प्रदेश
53.	छेन्द्र भागा ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम तथा डाक माधोपुर, तराबगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश
54.	ग्रामीण जन विकास समिति, छोटी बाजार, जय प्रकाश नगर, बिलहारी, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश
55.	प्रिति महिला एवं बाल विकास सेवा संस्थान, ग्राम बंठ, डाक वाल्टरगंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश
56.	श्री संजय गांधी बाल विकास केन्द्र, अकबरपुर, तराबगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश
57.	एकजुट, कचहरी मोड़ कोलोनी, साहिबगंज, उत्तर प्रदेश
58.	संजय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम व डाक कोटा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
59.	पूजा उद्यमिता विकास परिषद्, त्रिवेणीगंज, नानबस्ता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
60.	किसान मजदूर महिला उत्थान समिति, ग्राम मोजपुर, डाक रामपुर, भगाही तहसील, तराबगंज, उत्तर प्रदेश
61.	अवध मेमोरियल सोसायटी, गुलारिया गर्दा गली, घंटाघर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

उत्तरांचल

1.	युवा ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम तथा डाक गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तरांचल
2.	सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, मोहल्ला भूत बंगला, उधम सिंह नगर, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
3.	किर्ति समाज सेवा संस्था, बस स्टैंड के पास, पौडी गढ़वाल, उत्तरांचल
4.	गुरूदेव ग्रामोद्योग विकास समिति, मोहल्ला काछी मस्जिद, तहसील गोदापुर, नैनीताल, उत्तरांचल
5.	जन कल्याण सेवा समिति, सौर गोतीजय, जामा मस्जिद रूद्रपुर के पास, जिला नैनीताल, उत्तरांचल

पश्चिम बंगाल

1.	श्रीबोरा विवेकानंद संघ, ग्राम तथा पोस्ट श्रीबोरा (मानव टोला), दासपुर, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल
2.	देवोलपुर शिशु कल्याण समिति, ग्राम तथा डाक देवोलपुर, जिला हावडा, पश्चिम बंगाल
3.	आम बागान कर्मी संघ, ग्राम सुबलचक, डाक उत्तर मानश्री, हावडा, पश्चिम बंगाल
4.	असुरअली विवेकानंद समिति, ग्राम असुरअली, डाक साधुरहाट, 24 परगना, पश्चिम बंगाल
5.	विकलांग हेतु ई०टी०आर०, 104/106, एन०एस०सी० बोस रोड़, डाक नाकतला, जिला कोलकाता, पश्चिम बंगाल 74
6.	बाडाबाड़ी नेताजी सेवा संघ, ग्राम व डाक बाडाबाड़ी, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल
7.	तरूण संघ, ग्राम फकीर चक, डाक बाडाबाडी (दक्षिण), जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल

1	2
8.	बनियाझी, बीना पानी पाठागार व क्लब, ग्राम बनियाझी, डाक गंगाधर चक, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल 721444
9.	मालीपुकुर समाज उन्नयन समिति, ग्राम मालीपुकुर, डाक जाजेरसा, जिला हावडा, पश्चिम बंगाल
10.	पारूल सरत ग्राम विकास समिति, हुगली, पश्चिम बंगाल
11.	आर०के० मिशन लोक शिक्षा परिषद, आर०के० मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700103

*वर्ष 2004-05 के दौरान "किशोरों/किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण" संबंधी स्कीम के तहत वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची**

क्रमांक	गैर सरकारी संगठनों के नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	राजेश्वरी महिला मंडली, कुरनूल
2.	प्रियदर्शनी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था, मेडक
3.	सोशल सर्विस फार वूमन वेलफेयर, चित्तूर
4.	बारगवी महिला मंडली, महबूब नगर
5.	वानजा महिला मंडली, चुडप्पा
6.	समेकित विकास सोसायटी, नालगोंडा
7.	श्री मंजूनाथ महिला मंडली, वारंगल
8.	स्वर्ण वेलफेयर एसोसिएशन, निर्मल मंडल, अदिलाबाद
9.	शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसायटी, वारंगल
10.	आदर्श सेवा समिति, नेल्लोर
11.	ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक सोसायटी, कडापा
	बिहार
1.	खदागधरी ग्रामीण विकास संस्थान, जहानाबाद
2.	श्याम शिल्प शिक्षा तथा जन कल्याण संस्थान, पटना
3.	ग्रामीण कल्याण समिति, खगडिया
4.	जन सेवा, खगडिया
	हरियाणा
1.	आदर्श सरस्वती शिक्षण समिति, सोनीपत
2.	बालाजी ग्रामोद्योग मंडल, पानीपत
3.	आई०एस० शिक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति, रोहतक
	कर्नाटक
1.	कुमार कुरूप एजुकेशनल सोसायटी, चित्र दुर्ग
2.	समेकित शिक्षा विकास सोसायटी, कोलार
3.	श्री वेंकेश्वर शिक्षा सोसायटी, टुमकूर
4.	राघवेन्द्र ग्रामीण विकास सोसायटी, टुमकूर
5.	त्रिवेणी शिक्षा सोसायटी, तालाकलार
6.	सुभद्रा महिला मंडली, चित्रदुर्ग
7.	ग्रामोध्युदय सोसायटी, कोलार
8.	देवम्मा सेवा संघ (आर), बेल्लारी
9.	अभय ग्रामीण विकास एजेंसी, बेल्लारी
10.	विवेकानंद ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक सोसायटी, करवार
11.	आर्शीवाद ग्रामीण विकास न्यास, कोलार
12.	कमल ग्रामीण विकास सोसायटी, बंगलौर
13.	हरीहर ग्रामीणधीर वृद्धि संघ, कोलार
14.	चन्द्रमुखी युवा संघ, हसन
15.	समाज सेवा सोसायटी, बगलकोट
16.	इंदिरा गांधी स्मारक शैक्षिक सोसायटी, बीदर
17.	मार्गदर्शी सेवा सदन, देव नगर
18.	कर्नाटक ग्रामीण विकास न्यास, कोलार
	मध्य प्रदेश
1.	जनहित मानव चेतना एवं विकास समिति, भोपाल

*"किशोरों/किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण" नामक स्कीम अक्तूबर 2004 में प्रारंभ की गई थी।

1	2
2.	लक्ष्मी वेंकेटश जन कल्याण समिति, सागर
3.	ग्वालियर उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर
4.	अनुपम युवा जन कल्याण समिति, सागर
5.	सरोजनी शिक्षा समिति, सागर
6.	परसुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, ग्वालिघर
7.	वरिष्ठ शिक्षा तथा ग्रामीण विकास सोसायटी, जबलपुर
8.	मार्गदर्शक शिक्षा समिति, जबलपुर
9.	जयसिंह शिक्षा समिति, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
1.	ग्रामीण जन सेवा शिक्षण संस्थान, धुले
	उड़ीसा
1.	लक्ष्मी नारायण हरिजन तथा आदिवासी पिछड़ा वर्ग विकास सोसायटी, जजपुर
2.	शिवसूरज समेकित स्वैच्छिक एजेंसी, धेनकनाल
3.	प्रगति युवक संघ, भद्रक
4.	संकल्प, धेनकनाल
5.	पल्ली विकास समिति, धेनकनाल
6.	ज्वाय दुर्गा डायनेमिक यंग क्लब, कटक
7.	थर्मल यूथ क्लब, अंगुल
8.	जगत जननी पाठागार, चंदाली
9.	जंजाली पाठागार, भद्रक
10.	स्वराज भारती, धेनकनाल
11.	कुंज बिहारी युवक संघ, जजपुर
12.	उपकलिया हिन्दू धाम संसद, भद्रक
13.	पल्ली प्रगति युवक संघ, धेनकनाल
14.	नेहरू युवक संघ, जजपुर
	पंजाब
1.	फरीदकोट जिला संस्कृति सोसायटी, फरीदकोट

1	2
	राजस्थान
1.	मानव मंगल समिति, श्रीगंगानगर
2.	शिक्षा सोसायटी एकादमी, बेसन
3.	गौरी देवी महिला उत्थान समिति, जयपुर
4.	झुलेलाल समेसी संस्थान, जयपुर
	तमिलनाडु
1.	कम्युनिटी एक्शन फार सोशल स्पर्न फारमेशन, थीरूवीरूथेनपल्ली
	उत्तर प्रदेश
1.	शहरी एवं ग्रामीण विकास समिति, बिजनौर
2.	लोक सेवा समिति, गोंडा
3.	राजीव ग्राम विकास शोध सोसायटी, गोंडा
4.	पवन सेवा संस्थान, गोंडा
5.	शिखा महिला समिति, बस्ती
6.	अखिल भारतीय युवा विकास संस्थान, मेरठ
7.	महिला एवं ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद
8.	युवा लोक कल्याण समिति, फिरोजाबाद
9.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास संस्थान, मेरठ
10.	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी
11.	थारू जनजाति महिला विकास समिति, गोंडा
12.	स्टार विकास संस्थान, इलाहाबाद
13.	शान्ति समाज सेवी समिति, फर्रूखाबाद
14.	श्री नागेश्वर जनकल्याण समिति, इलाहाबाद
15.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, सराय समरेज,
16.	वीर एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान, बलिया
17.	महिला कल्याण समिति लखनऊ
18.	सन्दीप ग्रामोद्योग समिति, मैनपुरी
19.	पर्यावरण एवं युवा विकास समिति, रामपुर

1	2
20.	युवा कल्याण समिति मुरादाबाद
21.	भारतीय श्लेक कल्याण सेवा संस्थान, इलाहाबाद
22.	गुरू गोविन्द प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़
23.	अतरौना ग्रामीण विकास समिति, सुलतानपुर
24.	सरयू ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गोण्डा
25.	सर्वांगीण महिला एवम् युवा बाल विकास समिति, भदोही
26.	दुर्गा सेवा समिति, एटा
27.	नेशनल युवा कार्यक्रम समिति, बागपत
28.	डा० अम्बेडकर समता बाल विद्यालय समिति, गाजीपुर
29.	अंशुल जन विकास परिषद, मैनपुरी
30.	मीनाक्षी नारी सेवा संस्थान, मैनपुरी
31.	नेहरू सेवा संस्थान, मथुरा
32.	सरोजनी जन कल्याण संस्थान, फर्रूखाबाद
33.	झिमांसी सोशियल वेलफेयर सोसाइटी, फिरोजाबाद
34.	सुमित सेवा संस्थान, कन्नौज
35.	प्रेरणा, मेरठ
36.	ग्रामीण विकास समिति, आजमगढ़
37.	शान्ति निकेतन, फर्रूखाबाद
38.	शान्ति सर्वोदय संस्थान, लखनऊ
39.	एस०जी०टी० ग्रामोद्योग शिक्षा प्रसार समिति, गोण्डा
40.	महिला कल्याण समिति, लखनऊ
41.	जन सेवा संस्थान, मैनपुरी
42.	सेन्टर फार एक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, प्रतापगढ़
43.	प्रकाश डेवलपमेंट सोसाइटी, बलिया
44.	कमला सेवा समिति, गाजियाबाद
45.	समृति सेवा संस्थान, लखनऊ
46.	चन्द्रशेखर सेवा संस्थान, सुलतानपुर
47.	ज्ञान भारती महिला कल्याण एवं शिक्षा, एटा
48.	आधारशिला सामाजिक एवं संस्कृत निकास संस्थान, लखनऊ
49.	गूंगे सन ग्राम विकास समिति, सुलतानपुर
50.	ग्राम सेवा सदन, जे०पी० नगर
51.	सैसी ग्राम उद्योग विकास समिति, मुरादाबाद
52.	ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ
53.	राष्ट्रीय विकास सेवा संस्थान सुलतानपुर
54.	सेठिया नेहरू युवा समिति, गोण्डा
55.	गोरखनाथ सर्वोदय आश्रम, बलिया
56.	आदर्श ग्रामोद्योग विकास संस्थान, गाजीपुर
57.	लक्ष्मी युवा सेवा संस्थान, फिरोजाबाद
58.	कविता खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बुलन्दशहर
59.	ग्रामीण विकास समिति, गाजीपुर
60.	भगवान बुद्ध सेवा संस्थान, सन्त कबीर नगर
61.	कुमार ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ
62.	पंडित दीनदयाल सेवा समिति, मऊ
63.	पूर्वांचल सोशियल डेवलपमेंट सोसाइटी, गाजीपुर
64.	द्वारिका ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़
65.	आकांक्षा वुमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, गाजीपुर
66.	तराई क्षेत्र विकास संस्थान, महराजगंज
67.	डा० भीमराव अम्बेडकर महिला एवं बाल विकास संस्थान, रामपुर
68.	डा० भीमराव अम्बेडकर महिला शिक्षा संस्थान, महराजगंज
69.	शिव साहित्य परिषद, गोण्डा
70.	वीर एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान, बलिया

जम्मू एवं कश्मीर

1.	हिमालयन वायस (रजिस्टर्ड) राजौरी
2.	मोर्डन कल्चरल कल्ब, राजौरी

1	2
	उत्तरांचल
1.	युवा ग्रामीण विकास संस्थान, उधमसिंह नगर
2.	जन कल्याण सेवा समिति, उधमसिंह नगर
3.	गुरुदेव ग्रामोद्योग विकास समिति, उधमसिंह नगर
4.	सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, रुद्रप्रयाग
5.	चारी युवा विकास केन्द्र, नैनीताल
	हिमाचल प्रदेश
1.	फ्रेन्ड क्लब, कांगरा
	दिल्ली
1.	अनुग्रह, दिल्ली
2.	नारी उत्थान समिति, दिल्ली
3.	अरिंदो विक्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली
4.	डायरेक्टर जनरल, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
	मणिपुर
1.	सेन्टर फार डेवलपमेंट एक्टीविटीज (सी/डेक), चंगजिंग-795148
2.	फाउन्डेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट (फोर्ड), मणिपुर
3.	इन्गुल युनाइटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन (इुड्डा), इम्फाल, मणिपुर
4.	सेन्टर ऑफ रूरल अपलिफ्ट सर्विस, थोबल, मणिपुर
5.	अनुवा मंगल नगमपाल सोशेप लेरक, इम्फाल, मणिपुर
6.	सेन्टर ऑफ रूरल अपलिफ्ट सर्विस, थोबल (सी०आर०यू०एस०), मणिपुर
7.	युनाइटेड विधिल फार हेल्थी सोसाइटी, खान्गाबोक, मणिपुर
8.	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेन्सी, इम्फाल मणिपुर
9.	रूरल एजूकेशनल एण्ड सोसियो एकोनामिक डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, मणिपुर
10.	फोयजिंग ऐवन्गयूथ क्लब (पी०ए०वाई०सी०) इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर
11.	नागो हिन्दी विद्यापीठ, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर

1	2
12.	समग्र विकास परिषद नमवाल थम्बुपुर ईस्ट, मणिपुर
13.	इन्टीग्रेटेड इकोनामिक डेवलपमेंट सोसाइटी (आई०ई०डी०एस०) कांचीपुर, मणिपुर
14.	इन्टीग्रेटेड रूरल अपलिफ्टमेन्ट सर्विस (आई०आर०यू०एस०), थोबल, मणिपुर
15.	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सेन्टर (आई०आर०डी०सी०), थोबल, मणिपुर
16.	ईस्टर्न सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, थोबल, मणिपुर
17.	इन्वायरनमेन्ट एण्ड एकोनामिक इन्वायरनमेन्ट, इम्फाल, मणिपुर
18.	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आर०यू०डी०ए०), इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर
19.	युनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यू०आर०डी०एस०), थोबल मणिपुर
20.	लियानामथ नागा क्रापटिस्ट एसोसिएशन (आई०एन०बी०ए०) (एम०), टेमे, मणिपुर
21.	फाउन्डेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थोबल, मणिपुर
22.	पीपुल डेवलपमेंट सोसाइटी, मयाय, मणिपुर
23.	सेन्टर फार आर्गनाइजिंग लेबर्स डेवलपमेंट, इम्फाल, मणिपुर
24.	रिशोर्स सेन्टर फार सोशल वेलफेयर एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट, चन्देल, मणिपुर
25.	वलन्टीयर्स यूनियन फार रूरल फारवर्ड एण्ड इन्टीग्रिटी, मणिपुर
26.	सम्राज्य सेवा संस्थान, खोन्गीपुर, थोबल, मणिपुर
27.	साउथ ईस्टर्न रूरल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (एस०ई०ई०डी०ओ०) वन्गजिंग, मणिपुर
28.	ग्रीनलैन्ड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, इम्फाल वेस्ट मणिपुर
29.	फार्मर्स डेवलपमेंट सेन्ट (एफ०डी०सी०) वान्गजिंग, मणिपुर
30.	न्यू जनरेशन वेलफेयर एसोसिएशन, वन्गजिंग, मणिपुर
31.	अनौवा मंगल नागमपाल आश्रम, इम्फाल वेस्ट
	आसाम
1.	महिला मंडल नागौन, नागौन (आसाम) जी०ए०आर०डी०, दक्षिणगांव पो० काहिलापरे गुवाटी, आसाम

1	2
2.	युनाइटेड डेवलपमेंट सोसाइटी, नागौन, आसाम
3.	तिन्सुखिया न्यू स्टार क्लब, नागौन, आसाम
4.	नैचुरल कलामिटी रेस्टोरेशन टीम, नागौन, आसाम
5.	कौमुदी सामान्य गोष्ठी, नागौन, आसाम
6.	बहुमुखी कृषि अरू समाज कल्याण समिति, नागौन, आसाम
7.	एस०पी० मेमोरियल शिक्षा निकेतन समिति एन०सी० हिल्स, आसाम
8.	महेरीपार आदर्श समाज कल्याण समिति, नागौन, आसाम
9.	बरमेन्ग बहजेनी खटे यूनियन समिति, अरारा नलबासी, आसाम
10.	आसाम स्कूल ऑफ एजूकेशन स्वहीद पथ काफिलीपरे, गुहाटी, आसाम
11.	पथरी वोकेशनल इन्स्टीट्यूट, नागौन आसाम
12.	सोनाली गौनुन्यान समिति दुपगुरी, नागौन आसाम
13.	मानक कल्याण खिलीपारा, गुहाटी, आसाम
14.	प्रगति सोशल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (पी०एस०डी०ओ०) नर्नखटोवाल, आसाम
15.	गरम पानी महिला समिति उभरान्गस नाथ कैचर हिल्स, आसाम
16.	स्वान्गीन उन्नयन समिति नलवारी, आसाम
17.	डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफयेर कमेटी एन०सी० हिल्स, आसाम
18.	पथरी वोकेशनल इन्स्टीट्यूट नियर कोर्ट कैम्पस नागौन, आसाम
19.	ग्राम उन्नयन समिति नलवारी, आसाम

नागालैण्ड

1	2
1.	लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी कोहिमा, कोहिमा नागालैण्ड
2.	लाहे वेलफेयर आर्गनाइजेशन लाजन्द विलेज जम्वेवोटो, नागालैण्ड
3.	सुटोकिटो (एम०पी०एस०एस०) लिमिटेड, डीमापुर, नागालैण्ड
4.	वेहेटो एण्ड प्राश मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जम्वेवोटो नागालैण्ड
5.	ईस्टर्न गोस्पेल वैन्ड सोसाइटी नागालैण्ड
6.	ए०वी०सी०ओ० यूथ आर्गेनाइजेशन कोहिमा नागालैण्ड
7.	मेसर्स ओटिलिया वेलफेयर सोसाइटी मोकोक चुन्ग, नागालैण्ड
8.	स्वागत वालन्टरी आर्गनाइजेशन नागालैण्ड
9.	चिन्धा किंग निगिन अन्म सोसाइटी नागालैण्ड
10.	लाहे वेलफेयर आर्गनाइजेशन, नागालैण्ड
11.	मेसर्स सेन्दान्यू यूथ आर्गनाइजेशन डीमापुर नागालैण्ड
12.	मेसर्स तेहोक डेवलपमेंट सोसाइटी मोन, नागालैण्ड
13.	चेन वारको डेवलपमेंट सोसाइटी मोन, नागालैण्ड
14.	मोन टाउन वेलफेयर सोसाइटी, मोन नागालैण्ड
15.	सुरानी वेलफेयर सोसाइटी मोको केहुन्ग, नागालैण्ड
16.	एसोएिशन ऑफ ट्राइवल्स वेलफेयर डेवलपमेंट, डीमापुर, नागालैण्ड
17.	नागालैण्ड वीमर्स एसोएिशन दीमापुर नागालैण्ड
18.	अतुल्ला वेलफेयर सोसाइटी दीमापुर, नागालैण्ड
19.	वैम्हू वेलफेयर सोसाइटी जुनकाचोटो नागालैण्ड
20.	अटसुन्ग चान्गर कल्चर वेलफेयर सोसाइटी मोकोक चुन्ग नागालैण्ड
21.	रूरल वूमेन डेवलपमेंट ट्रस्ट नागालैण्ड
22.	वेनखोम कोनयत फाउन्डेशन नागालैण्ड
23.	एजूकेटेड अनइम्पलोयड यूनियन दीमरपुर, नागालैण्ड
24.	कोनापक यूथ सोसाइटी चेन टाउन मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैण्ड
25.	अनगेटीपान्ग वेलफेयर सोसाइटी मोकोकचुन्ग नागालैण्ड
26.	कोपापान्ग सर्विस कोऑपरेटिव सोसल लि० नागालैण्ड
27.	इमचर्मस एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी दीमापुर नागालैण्ड
28.	मेसर्स वेदा स्पोर्टिंग क्लब मोन डिस्ट्रिक्ट
29.	रूरल अपलिफ्टमेन्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी दीमापुर नागालैण्ड
30.	चीलोंग मल्टीपरपज सोसाइटी लान्ग लेन नागालैण्ड
31.	हाजम राइसिंग क्लब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरान नागालैण्ड
32.	जीमेन वेलफेयर सोसाइटी जी०ए० प्रोजेक्ट कालोनी ओखा हाउस नं० 41, नागालैण्ड

1	2
33.	मेसर्स सेमटेल वीमेन वेलफैयर सोसाइटी नागालैण्ड
34.	रूरल पीपुल डेवलपमेंट सोसाइटी दीमापुर नागालैण्ड
35.	मस कोटी डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ दीमापुर नागालैण्ड
36.	नागालैण्ड स्कालर सोसाइटी दीमापुर नागालैण्ड
37.	सिखू एसोसिएशन सोसाइटी दीमापुर नागालैण्ड
	मेघालय
1.	पान्ती माटगासिक क्लब साउथ गैरोहिल मेघालय
2.	अनोग्री फारमर्स सोसाइटी
3.	मटाही दुम्बा क्लब ईस्ट गैरोहिल्स मेघालय
4.	वी०पी० रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी शिलॉंग-3, मेघालय
5.	विलियम नगर यूथ क्लब ईस्ट गैरो हिल्स मेघालय
6.	यूथ क्लब वेस्ट गैरोहिल्स मेघालय
7.	चेन्गाल्वा फारमर्स सोसाइटी ईस्ट गैरो हिल्स मेघालय
8.	वैमान्ग क्लब वेस्ट काशी हिल्स मेघालय
9.	चिवक स्पोटर्स क्लब वेस्ट काशी हिल्स मेघालय
10.	छिंतु मास ईस्ट गैरो हिल्स मेघालय
11.	करेन्दराय यूथ क्लब वेस्ट काशी हिल्स मेघालय
12.	अपरचिवक यंग व्लू एसोसिएशन वेस्ट काशी हिल्स मेघालय
	सिक्किम
1.	ईश्वरेम्भा समिति संघ स्मेश सिक्किम
2.	सिक्किम महिला कल्याण सिंह रोनीपूल ईस्ट सिक्किम
	अरुणाचल प्रदेश
1.	संग्राम डेवलपमेन्ट सोसाइटी पापुमपुरी डिसट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश
2.	तमे तानन्ग मेमोरियल सोसाइटी पापुमपुरे, अरुणाचल प्रदेश
3.	जोरम सोसियो कल्चर एण्ड लिटरैसी सोसाइटी रोवर सवानक्षी जि० अरुणाचल प्रदेश
4.	कम्प्रीहेन्सिव ऑफ रूरल एक्सेलेन्स इटानगर लापुमपरे (ए०पी०)

1	2
	मिजोरम
1.	जरकार वीविंग एण्ड हैन्डीक्राफ्ट सोसाइटी आइजाल, मिजोरम
2.	किमी हैन्डलूम 8 हैन्डीक्राफ्ट सोसाइटी आइजोल, मिजोरम
3.	बजार वन्ग कान विपरिंग एण्ड हैन्डीक्राफ्ट सोसाइटी आइजोल, मिजोरम
	त्रिपुरा
1.	विलेज डेवलपमेंट टीम वेस्ट त्रिपुरा

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ

क्रमांक	परिसंघ का नाम
1	2
1.	आल इन्डिया कैरम फैडरेशन
2.	आल इन्डिया चेस फैडरेशन
3.	आल इन्डिया फूटबाल फैडरेशन
4.	आल इन्डिया काराटे डू फैडरेशन
5.	आल इन्डिया स्पोर्टस काउन्सिल ऑफ इन्डिया
6.	अमेच्यूर अथलेटिकस फैडरेशन ऑफ इन्डिया
7.	अमेच्यूर वेसक्वाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
8.	अमेच्यूर हैन्डवाल फैडरेशन ऑफ इन्डिया
9.	अमेच्यूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इन्डिया
10.	आरचेरी एसोसिएशन ऑफ इन्डिया
11.	अत्य पत्या फैडरेशन ऑफ इन्डिया
12.	बाल बैडमिन्टन फैडरेशन ऑफ इन्डिया
13.	बास्केटबाल फैडरेशन ऑफ इन्डिया
14.	बिलियर्डस एन्ड स्नूकर फैडरेशन ऑफ इन्डिया

1	2
15.	साईकिल पोलो फैडरेशन ऑफ इन्डिया
16.	साईकिल फैडरेशन ऑफ इन्डिया
17.	इक्वेस्ट्रियन फैडरेशन ऑफ इन्डिया
18.	फेन्सगि एसोसिएशन ऑफ इन्डिया
19.	इन्डियन अमेच्यूर बाक्सिग फैडरेशन
20.	जिमनासटिक्स फैडरेशन ऑफ इन्डिया
21.	इन्डियन अमेच्यूर बाक्सिंग फैडरेशन
22.	इन्डियन बाडी बिलडिंग फैडरेशन
23.	इन्डियन गोल्फ यूनियन
24.	इन्डियन हॉकी फैडरेशन
25.	इन्डियन कायाकिंग एन्ड कैनोइंग एसोसिएशन
26.	इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन
27.	इन्डियन पोलो एसोसिएशन
28.	इन्डियन पावर लिफटिंग फेडरेशन
29.	इन्डियन वेटलिफटिंग फेडरेशन
30.	इन्डियन वीमेन हॉकी फेडरेशन
31.	जूडो फेडरेशन ऑफ इन्डिया
32.	खोखो फेडरेशन ऑफ इन्डिया
33.	कार्फ बाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
34.	आल इन्डिया टैनिस एसोसियेशन
35.	नेशनल रीफली एसोसियेशन ऑफ इन्डिया
36.	नेटबाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
37.	रोलर स्कैटिड फेडरेशन ऑफ इन्डिया
38.	रोविंग फेडरेशन ऑफ इन्डिया
39.	स्कूल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
40.	सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इन्डिया
41.	सूटिंग बाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
42.	सापट बाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
43.	स्क्वास रैकेट फेडरेशन ऑफ इन्डिया
44.	स्वीमिन्ग फेडरेशन ऑफ इन्डिया
45.	टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इन्डिया
46.	टेकवोन्डो फेडरेशन ऑफ इन्डिया
47.	टेगीक्वाएट फेडरेशन ऑफ इन्डिया
48.	टेनिस बाल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इन्डिया
49.	तुग आफ वार फेडरेशन ऑफ इन्डिया
50.	वालीबाल फेडरेशन ऑफ इन्डिया
51.	वूमेन क्रिकेट एसोसियेशन ऑफ इन्डिया
52.	रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इन्डिया
53.	यार्चटिंग एसोसियेशन आफ इन्डिया
54.	वीसू एसोसियेशन ऑफ इन्डिया
55.	विन्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इन्डिया

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

2002-2003

क्रमांक	स्वैच्छिक संस्था का नाम
1	2
	आसाम
1.	डिस्ट्रिक स्पोर्टस एसोसियेशन नार्थ लखीमपुर आसाम
2.	जनरल सेक्रेटरी खानपारा स्पोर्टस एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन पो० खनपुरा जिला गुझटी आसाम
3.	जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन जमधूपुर पो० आ० बरतसल (नियर बी० एन० कालेज) जिला सोनीपत, आसाम-784176

1	2
	नागालैण्ड
1.	जनरल सेक्रेटरी, नागालैण्ड टेनिस एसोसिएशन, चर्मो पेसेरी मेमोरियल टेनिस काम्पलेक्स, कुदा विजेज, नगरजान दिमापुर, नागलैण्ड
2.	चेयरमैन हिलपायनिपरस डिस्ट्रिक्ट फेक छथवा, नागालैण्ड
3.	प्रेसीडेन्ट के के क्लब यूथ वेल्फेयर सोसाइटी न्यू टसोफेन्यू कोहिमा ठिसेमाइनय, नागालैण्ड
4.	चेयरमैन, एक्सप्रेशन वालन्टरी आर्गेनाइजेशन पुराना बाजार दिमापुर, नागालैण्ड
5.	प्रेसीडेन्ट चेन वानकेन डेवलपमेंट सोसाइटी चेन टाउनमोन डिस्ट्रिक्ट नागालैण्ड
	मणिपुर
1.	हनी सेक्रेटरी थोवल डिस्ट्रिक्ट टेवल टेनिस एसोसिएशन थोवल (वान्गमेटावान, थेवल मनीपुरि)
2.	सेक्रेटरी इन्टीग्रेटेड टावल डेवलपमेंट सोसाइटी खोपम पो० आ० ननुगवा 795147 डिस्ट्रिक्ट तामेनग लांग मनीपुर
3.	सेक्रेटरी अंगथा वेस्टर्न पैन थेपवी क्लब अगंथा विलेज एरीपोक बाजार इम्फाल ईस्ट मनीपुर 795149
4.	सेक्रेटरी सोसल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशन आर्गेनाइजेशन पो० आ० थोवल हौखा मनीपुर
5.	सेक्रेटरी युनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विसेस हेरोक पो० आ० वान्गजिग डिस्ट्रिक्ट थोवल मनीपुर 795149
	हरियाणा
1.	प्रिन्सपल श्री गुरू हरी सिंह कालेज जीवन नगर डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा
	कर्नाटक
1.	सेक्रेटरी पीपुल एजूकेशन ट्रस्ट मोन्डया डिस्ट्रिक्ट मान्डया कर्नाटका 57140
2.	चेयरमैन एक्सन कमेटी के०एम० करिपप्पा मल्टीपरपज एडीटोरियम ट्रस्ट प्रीयुनिवर्सिटी कालेज मेडीकेरी 571201 डिस्ट्रिक्ट कोडागू कर्नाटका
	महाराष्ट्र
1.	सेक्रेटरी परवाना रूरल ऐजूकेशन सोसाइटी एटी पो०आ० लोनी प्रवार नगर श्री रामपुर ब्लाक लोनी अहमद नगर 413713 महाराष्ट्रा
2.	कार्यध्यारवा कोल्हापुर जिला राष्ट्रीय तालीम संघ 1358, वी वर्ड खरी कार्नर कोल्हापुर महाराष्ट्रा
3.	मैनेजिंग ट्रस्टी नवजीवन एजूकेशन सोसाइटी विन्चूर गैवली पो० आ० मदसंगवी नासिक महाराष्ट्रा
4.	श्री सत्य साई क्रीड़ा नागरी वाघपुर सतचिकित्सा प्रसारक मण्डल चावत्मल महाराष्ट्रा
5.	जनरल सेक्रेटरी डीकान जीमखाना तालिम पैवीलियान 759/2 डीकान जिमखाना पुणे महाराष्ट्रा
	तमिलनाडु
1.	जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु स्क्वास रैकेट एसोसिएशन धुन विल्डिग थई फ्लोर नार्थ विंग 827 औना सलाप चेन्नई 600002 चेन्नई
2.	सेक्रेटरी श्री आर०के० मिशन विद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु 692582
	वेस्ट बंगाल
1.	सेक्रेटरी जलपाई गुरी बैडमिन्टन प्लेयर एसोसियेशन जलपाईगुरी 73510

2003-04

क्रमांक	स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	इन्डोर स्टेडियम ऐट चिराला वाई रोटरी सर्विस ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रकाशम
	आसाम
1.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-111 एट तेजपुर वाई तेजपुर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोशियेशन
2.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-11 एट कोलन्गपार डिस्ट्रिक्ट नागाव आसाम
	हरियाणा
1.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-11 एट सिरसा वाई महाराजा अग्रसेन चेरीटेबल ट्रस्ट
2.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-11 एट छारा डिस्ट्रिक्ट झांझर वाई लाला दीवान चन्द्र माडर्न रेस्टलिंगस योगासेन्टर छारा

1	2
	कर्नाटक
1.	पूर्जप्रज्ञना एजूकेशन सेन्टर बंगलौर फार डेवलपमेंट आफ प्लेफील्ड
	केरल
1.	फुटबाल ग्राउन्ड वाई जुवेनाइल स्पोर्टस क्लब इलावाना मलापपुरम
2.	इन्डोर स्टेडियम एट ओटापालम वाई श्री छेत्तर सनकारन नियर मेमोरियल कल्चरल, ट्रस्ट ओटापालम डिस्ट्रिक्ट पालधट
	महाराष्ट्र
1.	स्वीमिन्ग पूल कैटेगरी-11 एट लोनी अहमद नगर वाई प्रवारा रूरल ऐजूकेशन ट्रस्ट
2.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-111 एट कोल्हापुर वाई कोल्हापुर जिला राष्ट्रीय तालिग संघ
3.	स्वीमिन्ग पूल कैटेगरी-11 एट रोध वाई जगन्नाथ राथी चेरिटी ट्रस्ट
4.	स्वीमिन्ग पूल कैटेगरी-1 एट पुने वाई महाराष्ट्रीय मन्डल पुणे
5.	आउट डोर स्टेडियम कैटेगरी-1 एट पुणे वाई महाराष्ट्रीय मण्डल पुने
6.	स्वीमिन्ग पूल कैटेगरी-11 एट कारवीरवाई आर०एल० वादे फाउन्डेशन कोल्हापुर महाराष्ट्र
7.	स्वीमिन्ग पूल कैटेगरी-11 एट विन्चुर गैवली नासिक वाई नवजीनम ऐजूकेशन सोसाइटी नासिक
8.	स्वीमिन्ग पूल एट पुने वाई डाक्कान जिमखना पुने
9.	स्वीमिन्ग पूल एट चक्की खापा वाई सेन्ट्रल हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी नागपुर
	नागालैण्ड
1.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-11 वाई नागालैण्ड टेनिस एसोसियेशन नागरजान एट नागरजान
2.	प्लेफीड एट दीमापुर वाई एसोसियेशन आफ ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट
3.	इन्डोर स्टेडियम कैटेगरी-111 एट जिनेही वोटो वाई रीन्हो क्लब जिनेही वोटो
4.	इन्डोर स्टेडियम (कैट-111) एट चेन टाउन वाई वेटा स्पोर्टटिंग क्लब नागालैण्ड
5.	फुटबाल ग्राउण्ड एट काशीराम वाई मम्मीज मल्टीपरपज सोसाइटी दीमापुर
6.	फुटबाल फील्ड एट लोखुटी विजोखा नागालैण्ड वाइ सोसल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन ओखा
7.	प्लेफील्ड एट वाधरी ओखा वाइ मिक्सड फार्म सोसाइटी सोखू वैली
	उड़ीसा
1.	डेवलपमेंट आफ प्लेफील्ड एट आर्टाट्ना विद्यानिकेतन खुर्दा
	राजस्थान
1.	स्वीमिन्गपूल कैटेगरी-11 एट कोटा वाई हितकारी समिति कोटा
	तमिलनाडु
1.	इन्डोर स्टेडियम कैट-1 एअ कोयम्बटूर वाई आर के मिशन विद्यालय कोयम्बाटूर
2.	इन्डोर स्टेडियम एट चेन्नई, तमिलनाडु स्क्वास रैकेट एसोसियेशन
	वेस्ट बंगाल
1.	फूटबाल/क्रिकेट फील्ड एट विलेज फकी चाकाडिस्ट्रिक्ट मिडनापोर वाई तारू संघ
2.	इन्डोर स्टेडियम कैट 111 एट जलपाई गुरी वाई जलपाई गुरी वैडमिन्टल प्लेयरस एसोसियेशन

2004-05

क्रमांक	स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम
1	2
	आसाम
1.	कान्स्ट्रक्शन आफ इन्डोर स्टेडियम कैट 111 ऐट हैलकांडी वाई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन हैलकांडी आसाम
2.	इन्डोस्टेडियम कैट 111 एट कोओन्गपार डिस्ट्रिक्ट नागौन वाई एजूकेशनल फाउन्डेशन
3.	इन्डोर स्टेडियम कैट ली ऐट चाईगांव डिस्ट्रिक्ट कामरूप वाई चयागांव स्पोर्टस एसोसिएशन एट चाईगांव आसाम

1	2
	हरियाणा
1.	इन्डोर स्टेडियम (कैट 1) ऐट निडाई, जीन्द वाई च भारत मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी
2.	इन्डोर स्टेडियम (कैट 1) ऐट सिरसा वाई महाराजा अग्रसेन चरीटेबल ट्रस्ट सिरसा हरियाणा
3.	इन्डोर स्टेडियम कैट 11 ऐट द्वारा झाझर डिस्ट्रिक्ट वाई ला०। दीवान चन्द माडर्न रेस्टलिंग योगा सेन्टर ऐट निदानी वाई च भारत सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी
	कर्नाटक
1.	स्वीमिन्ग पूल (कैट 11) ऐट मानिक प्राभी सिकसारी समिति मानिक नगर निडार वाई मानिक प्रभु शिक्षण समिति डिस्ट्रिक्ट बिडार
2.	इन्डोर स्टेडियम (कैट 11) ऐट होनाउर वाई मालनाद प्रोग्रेसिव एजूकेशन सोसाइटी होनाउर डिस्ट्रिक्ट उत्तर कनाड़ा
3.	इन्डोर स्टेडियम (कैट 111) ऐट गुन्डल्यूपेट चमराजा नगर वाई श्री समाहार एजूकेशन सोसाइटी गुन्डल्यूपेट चमराजा नगर
	मध्य प्रदेश
1.	स्पोर्टस हास्टल ऐट इन्डोर वाई इन्डोर टेवल टेनिस ट्रस्ट
	महाराष्ट्र
1.	स्वीमिन्ग पूल (कैट 1) कमपटी वाई श्री सदाशिव राव शिक्षण संस्था काम्पटी नागपुर
2.	आउटडोर स्टेडियम कैट 1 ऐट पुने वाई महाराष्ट्रीय मंडल पुने
3.	इन्डोर स्टेडियम कैट 1 ऐट राजाराम नगर संघ वाई राजारामबापू पाटिल इन्डोरमेन्ट ट्रस्ट सांग्ली
4.	इन्डोर स्टेडियम कैट 11 ऐट नासिक बाई रचना ट्रस्ट
5.	स्वीमिन्ग पूल (कैट 1) ऐट काम्पटी नागपुर वाई श्री सदाशिव राव शिक्षण संस्था काम्पटी नागपुर
6.	आर०एल० तवान्डोफाउन्डेशन कोल्हापुर फार स्वीमिन्ग पूल ऐट कारवीर कोल्हापुर
	मणिपुर
1.	इन्डोर स्टेडियम कैट 111 ऐट थोवल वाई थोवल डिस्ट्रिक्ट टेवल टेनिस एसोसियेशन थोवल मणिपुर
2.	टेनिस कोर्ट एट टेम्फेलपैट वाई मणिपुर टेनिस एसोसियेशन
3.	स्वीमिन्गपूल (कैट 1) ऐट तेराखोन्ग वाई ब्राइट वेज
	नागालैण्ड
1.	स्वीमिन्गपूल कैट 1 ऐट दीमापूर वाई एक्सप्रेशन वोल आर्गनाइजेशन
2.	इन्डोर स्टेडियम कैट 11 ऐट नगरजन वाई नागालैण्ड टेनिस एसोसियेशन दीमाकपुर नागालैण्ड
3.	आउटडोर स्टेडियम कैट 1 ऐट चेन वाई चेन वान कौन डेवलपमेंट सोसाइटी
4.	इन्डोर स्टेडियम कैट 11 ऐट चेन वाई वेदा स्पोर्ट क्लब
	तमिलनाडु
1.	इन्डोर स्टैडियम (कैट 1) ऐट आर के मिशन विद्यालय कोयम्बटूर वाई सैक्रेटरी विवेकानन्द मिशन आश्रम होलडिया (वेस्ट बंगाल)
2.	डेवलपमेंट आफ फुटबाल/क्रिकेट ऐट बहुमुखी संघ डिस्ट्रिक्ट मिडनापोर वाई बहुमुखी संघ

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विनियमन

2575. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय परिषद् गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्राइवेट अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों के कार्यकरण को विनियमित/मॉनीटर करे और यह सुनिश्चित करे कि वे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनैतिक और भ्रष्ट आचरण वाले मामलों में प्राइवेट अस्पतालों/डाक्टरों

के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें। केन्द्रीय सरकार, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के आकलन, मान्यता, निरीक्षण, प्रमाणन, विनियमन तथा अभिलेखों के रखरखाव के लिए मानदंडों का निर्धारण करने के साथ-साथ मानकों एवं विनिर्देशों को तैयार कर रही है।

खिलाड़ियों के चिकित्सकों की जवाबदेही

2576. श्री डी० विट्टल राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन चिकित्सकों को जवाबदेह बनाने का कोई प्रस्ताव है जिन पर खिलाड़ियों के फिटनेस की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों/टीमों के साथ चिकित्सकों को लगाया जाता है। जहां आवश्यकता होती है, वे सरकारी लागत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीमों के साथ भी जाते हैं। संगत प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों/टीमों की सामान्य फिटनेस के लिए चिकित्सक जिम्मेदार हैं। इन चिकित्सकों का चयन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय शिविरों के दौरान उनकी उपलब्धता तथा भूमि की निगरानी रखता है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय में स्थित डोप नियंत्रण केन्द्र राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा चिकित्सकों और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में डोप नियंत्रण उपायों के बारे में सलाह देता है तथा डोपिंग व इसके दुष्प्रभावों के बारे में सामान्य जागरूकता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

2577. श्री सुशील कुमार मोदी :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से बी०एस०एन०एल० के प्रीपेड मोबाइल कनेक्शनों हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदनों की संख्या कितनी है और ये आवेदन कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) उक्त आवेदनों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के विशेषकर मऊ जिले के लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में प्री-पेड सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्रमशः 636679 और 169165 है। इन आवेदकों में कुछ आवेदक उत्तर प्रदेश में सितम्बर, 2004 से तथा बिहार में अगस्त, 2004 से प्रतीक्षारत हैं।

(ग) नेटवर्क क्षमता संबंधी दिक्कतों की वजह से भारत संचार निगम लिमिटेड की प्री-पेड सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं की जा सकी।

(घ) मऊ जिला सहित उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा सूची का निपटारा चालू वर्ष की समाप्ति तक कर दिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम

2578. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में (वर्ष 1993 और 2001 में) किए गए अंतिम दो संशोधनों से परिषद् को स्वायत्तता सुदृढ़ हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नया विधेयक लाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विधेयक में परिषद् में चिकित्सकों की जगह नौकरशाहों को नामित करने की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे भारतीय चिकित्सा परिषद् की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 1993 और 2001 के संशोधन इस परिषद् की स्वायत्ता के मुद्दे से सम्बन्धित नहीं थे। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से 1993 के संशोधन के द्वारा नये चिकित्सा

महाविद्यालय की स्थापना, प्रवेश क्षमता में वृद्धि, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति ले ली थी। इन प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की भूमिका संस्तुतात्मक (रिकमेंडेटरी) प्रकृति की थी।

2001 के संशोधन द्वारा विदेशों से चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू की गई थी।

इस परिषद् की संरचना को और सुगठित तथा प्रतिनिधि जन्य बनाने और परिषद् की कार्यकुशलता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु भी उक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक नये विधेयक की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा

2579. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) ग्रामीण खेल कार्यक्रम उन घटकों में से एक है जिसके अंतर्गत खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजना को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण खेल कार्यक्रम को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए सहायता-अनुदान प्रदान की जाती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान राशि का आबंटन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मंत्रालय जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए, नेहरू युवा केन्द्र संगठन सहित गैर-सरकारी संगठनों को भी 30,000/- रुपये प्रति विधा की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रति विधा 50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संघ शासित क्षेत्र के मामले में, यह सहायता प्रति विधा 25,000/-रुपये तक समिति है। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 2,50,000/- रुपये प्रति खेल विधा की सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

2580. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्व बैंक की सहायता से एड्स अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान में भी एड्स अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से देश में कोई एड्स अनुसंधान केन्द्र गठित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सरकार को राजस्थान में एड्स अनुसंधान केन्द्र का गठन करने संबंधी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गरीबी का आकलन

2581. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी की व्यापकता के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) और राष्ट्रीय

अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स (एन०ए०एस०) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की असमानता पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों संगठनों द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ और मध्य में तथा मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार शहरी और ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के संबंध में क्या अद्यतन अनुमान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) इस असमानता के मुख्य क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में दसवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने और उक्त असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) से (ग) योजना आयोग, नोडल एजेंसी के रूप में देश में गरीबी की व्यापकता के अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन०ए०एस०) से प्राप्त आंकड़ों से गरीबी के अनुमान नहीं लगाता है। यह गरीबी का अनुमान केवल 'गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान' (लाकड़ा वाला समिति) संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसरण में एन०एस०एस०ओ० द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा सृजित आंकड़ों से लगाता है। जहां तक सरकार को ज्ञात है, देश में गरीबी की व्यापकता संबंधी कोई भी अनुमान केवल एन०ए०एस० के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं। अत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन०ए०एस०) द्वारा उपलब्ध कराए गए गरीबी के आंकड़ों के बीच असमानता का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, एन०एस०एस० सर्वेक्षण के आंकड़ों और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों से अनुमानित 'निजी अन्तिम उपभोग-व्यय' में भिन्नता है। वर्ष 1999-2000 (एन०एस०एस० का 55वां दौर) में कराए गए नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा लगाये गये कुल पारिवारिक उपभोक्ता व्यय का अनुमान 707151.9 करोड़ रुपये था। जबकि, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, निजी अन्तिम उपयोग व्यय प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 1999-2000 के दौरान 1271556.00 करोड़ रुपये था। 'निजी अंन्तिम उपभोग-व्यय' के दो अनुमानों के बीच अंतर एन०एस०एस० सर्वेक्षणों और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा भिन्न रीति-विधानों और आवधारणाओं को ध्यान में रखने के कारण है।

गरीबी संबंधी नवीनतम अनुमान केवल वर्ष 1999-2000 के लिए ही उपलब्ध हैं, जिसके लिए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी एन०एस०एस०ओ० सर्वेक्षण के 55वें दौर से प्राप्त आंकड़े विद्यमान हैं। यह संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की संख्या और प्रतिशतता — 1999-2000

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू और कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैण्ड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारतीय	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणी : 1 असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।

2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।

3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू और कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।

4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयोग किया गया है।

5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।

6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नगर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।

7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।

8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।

मंगलौर पत्तन का विकास

2582. श्री डी०वी० सदानन्द गौडा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर पत्तन के चहुंमुखी विकास हेतु कोई विशेष क़दम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मंगलौर पत्तन का विकास करने हेतु कितना धन आबंटित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) समुद्री व्यापार की आवश्यकताएं ध्यान में रख कर, महापत्तनों को विकसित करना लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में नव मंगलूर-पत्तन हेतु 147.40 करोड़ रु० की धनराशि के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। नीचे दर्शाए जा रहे परियोजना-वार ब्योरे के अनुसार, उपर्युक्त पत्तन के संबंध में, वर्ष, 2005-2006 में, अनुमोदित वार्षिक योजना-परिव्यय के रूप में 26.00 करोड़ रु० की धनराशि रखी गई है :–

परियोजना का नाम	वर्ष, 2005-2006 में परिव्यय (करोड़ रु०)
1	2
अतिरिक्त सामान्य जहाज़ी माल-घाट (गहरे डुबाव से युक्त बहुउद्देशीय घाट का निर्माण)	15.00
कंटेनर/जहाज़ी माल संभालने के उपस्करों से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था	0.50
जलमार्ग और पश्चजल को और अधिक गहरा किए जाने हेतु बड़े पैमाने का निकर्षण	10.45
सामान्य जहाज़ी माल-घाटों का बेहतर बनाया जाना, सशक्त किया जाना तथा अपेक्षाकृत अधिक गहरा किया जाना	0.05

इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से कैप्टिव कोयला-घाट विकसित किए जाने की योजना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होर्डिंग एवं डिसप्ले बोर्ड

2583. श्री गणेश प्रसाद सिंह :
श्री रविन्दर कुमार राणा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के पास बड़ी संख्या में होर्डिंग एवं डिसप्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनाई है अथवा कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एस० मुनियप्पा) : (क) यद्यपि, राज्य सरकारों को

समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग और प्रदर्शन बोर्ड लगाने की अनुमति न देवें और जहां भी अनधिकृत रूप से विज्ञापन होर्डिंग और प्रदर्शन बोर्ड लगाए गए हैं उन्हें हटवा दिया जाए, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उनके स्थानों पर अब भी विज्ञापन और प्रदर्शन बोर्ड लगे हुए हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा "ए पालिसी ऑफ रोड साइड एडवर्टिजमेंट्स" नामक शीर्षक वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रकाशन संख्या 46 वर्ष 1972 के माध्यम से सड़कों के किनारे विज्ञापन संबंधी नीति निर्दिष्ट की गई है। चूंकि होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, मूर्तियां आदि लगाए जाने से यातायात का ध्यान भंग होता है, अत: राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर इन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, सार्वजनिक हित के सूचना संबंधी संकेतों की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरा-भरा बनाने और सड़क संकेतों के लिए निजी प्रायोजन की नीति के अंतर्गत, निजी उद्यमियों को निर्दिष्ट आकार के संकेत में अपनी कंपनी का नाम/लोगो प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परंपरागत दवाओं की गुणवत्ता जांच

2584. **श्री उदय सिंह :**
श्रीमती जयावहन बी० ठक्कर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परंपरागत दवाओं की गुणवत्ता आदि की जांच करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाजारों में खुलेआम उपलब्ध कई आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाओं को कोई मान्यता नहीं दी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में परंपरागत जड़ी-बूटी संबंधी दवाओं के मूल्यांकन मानकीकरण और गुणवत्ता में सुधार में दृष्टि से वैज्ञानिकों, उद्योग और गैर-सरकारी संगठनों को मिलाते हुए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या कृतिक बल ने परंपरागत दवाओं के विनियमन हेतु अथवा मानकों की सिफारिश की है; और

(छ) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33 (झ) और (ञ) में अपमिश्रित और नकली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए दण्ड की व्यवस्था है। इस अधिनियम की धारा 33 (ढ) के अनुसार आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी औषधियों की उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया अधिसूचित की गई है ताकि विनिर्माण एकांश उसका अनुपालन कर सकें। आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी औषधियों के संबंध में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उपबंधों का प्रवर्तन करने का दायित्व राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रक और राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी का है।

(ग) से (छ) इस अधिनियम की क्रमश: धारा 33(ग) और 33(घ) के अनुसार, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार मंडल तथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। इनका प्रयोजन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की समस्त भारत में मानक और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एकरूपता सुनिश्चित करना है। आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी भेषज संहिता समितियां भी गठित की गई हैं। ये आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी दवाइयों का मानक निर्धारित करती हैं। इन समितियों ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं के राजकीय औषध योग संग्रह प्रकाशित किए हैं। इनके अलावा इन्होंने आयुर्वेद और यूनानी भेषजसंहिताएं भी निकाली हैं, इनमें 325 तथा 45 एकल औषधियों के क्रमश: गुणवत्ता मानक अंतर्विष्ट हैं।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाइयों की अनुज्ञप्ति राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा दी जाती है। ये दवाएं शास्त्रीय गुण संपन्न होने के साथ-साथ पेटेन्ट तथा एकायत्त होती हैं। आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति का हाल में गठन किया है। यह समिति आयुष दवाइयों के पेटेन्ट तथा एकायत्तता का अनुज्ञापन करने के उद्देश्य से राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश तय करेंगी।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र

2585. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री किसन भाई वी० पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न लागत प्रभावी योजनाओं के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्यवार कितने पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। समय-समय पर प्रयास किए जा रहे हैं कि डाक सेवाओं तक ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने के विश्व सेवा दायित्व को पूरा करने के और किफायती तरीके तलाशे जाएं। ऐसी कुछ योजनाओं में पंचायत संचार सेवा योजना, लाइसेंसधारी डाक-टिकट विक्रेता योजना और लाइसेंसधारी डाक एजेंसी योजना शामिल हैं।

(ग) पंचायत संचार सेवा केन्द्र केवल 10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान खोले गए। 2004-05 में पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए थे। 10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का सर्किलवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) ग्राहकों की उभरती जरूरतों को और कुशलता से पूरा करने के लिए विभाग पंचायत संचार सेवा केन्द्र योजना को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इस कार्य को वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।

विवरण

10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की सर्किलवार संख्या

क्रम सं०	सर्किल का नाम	खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या	
		2002-03	2003-04
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30	15
2.	असम	95	65
3.	बिहार	253	96
4.	छत्तीसगढ़	100	70
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	55	23
7.	हरियाणा	55	35
8.	हिमाचल प्रदेश	54	44
9.	जम्मू व कश्मीर	10	10
10.	झारखण्ड	49	48
11.	कर्नाटक	6	3
12.	केरल	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	140	100
14.	महाराष्ट्र	150	96
15.	उत्तर पूर्व	56	49
16.	उड़ीसा	20	10
17.	पंजाब	30	15
18.	राजस्थान	82	40
19.	तमिलनाडु	75	40
20.	उत्तर प्रदेश	200	118
21.	उत्तरांचल	20	10
22.	पश्चिम बंगाल	2	2
	कुल	1482	889

[हिन्दी]

प्लाज्मा घटकों का आयात

2586. मोहम्मद शाहिद :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री मो० ताहिर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्लाज्मा फ्रेक्सनेशन सुविधाओं की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष 2500 करोड़ रुपए के प्लाज्मा घटकों का आयात किया जाता है जैसा कि दिनांक 12.7.2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में फ्रेक्सनेशन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में ऐसे संयंत्रों की स्थापना और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष होने वाली बचत का अनुमान लगाया है;

(च) क्या ऐसे संयंत्रों की स्थापना से देश में रक्त की आवश्यकता पूरी हो सकती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) देश में प्रत्येक वर्ष कुल कितने यूनिट रक्त संग्रहित किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष 60-70 करोड़ रु० के मानव प्लाज्मा उत्पादों का आयात किया जाता है। इस आयात का अधिकतर भाग मानव अल्बूमिन एवं इम्यूनोग्लोबूलिन का होता है।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1988 में के०ई०एम० अस्पताल, मुम्बई में नेशनल प्लाज्मा फ्रेक्शेनेशन केन्द्र (एन०पी०एफ०सी०) खोला है। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इस केन्द्र को दोबारा चालू एवं चुस्त-दुरूस्त बनाने की पहल की है जो प्लाज्मा उत्पादों (फ्रेक्शन्स) तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 लीटर प्लाज्मा को संसाधित कर सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) नेशनल प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन सेंटर ही भारत में एक मात्र केन्द्र है जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 10,000 लीटर प्लाज्मा को संसाधित करने की है। भारत की वृहत आबादी की तुलना में एन०पी०एफ०सी०, मुम्बई का उत्पादन पूरे देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश की प्लाज्मा उत्पादों संबंधी पूरी मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 लीटर प्लाज्मा को संसाधित करने की वृहत क्षमता वाले संयंत्र की आवश्यकता है। प्रति वर्ष 100,000 लीटर प्लाज्मा संसाधित करने की क्षमता वाले वृहत संयंत्र स्थापित करने की लागत 100 करोड़ रु० अनुमानित है। भारत में ऐसी वृ. फ्रेक्शनेशन सुविधा स्थापित करके काफी मात्रा में फ्रेक्शनेटेड प्लाज्मा उत्पादों के आयात पर होने वाले व्यय से काफी हद तक बचा जा सकता है।

(ज) राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में वर्ष 2001 के दौरान 4.41 मिलियन रक्त यूनिटें एकत्र की गई थीं।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला

2587. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अनुसार ही राज्यों को योजनागत सहायता देने का निर्णय लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कम जनसंख्या घनत्व वाले बड़े क्षेत्रों के लिए जन सेवाएं प्रदान करने में प्रति यूनिट लागत बढ़ जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनसंख्या की तुलना में बड़े क्षेत्रों को उचित महत्व देने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मानदंड के अनुसार राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों को उचित महत्व देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए आवंटित केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन०सी०ए०), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई०ए०पी०) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) और विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) शामिल होती है। जहां एन०सी०ए० के तहत आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन०डी०सी०) द्वारा दिसम्बर, 1991 में यथा-अनुमोदित गाडगिल फार्मूला के आधार पर होता है वहीं ई०ए०पी० और विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए ए०सी०ए० के तहत आवंटन उनके अपने विशिष्ट मानदण्डों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर होता है। गाडगिल फार्मूले में अन्य बातों के साथ-साथ जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, कर प्रयास के निष्पादन, राजकोषीय प्रबंधन और राष्ट्रीय उद्देश्यों विशेषकर जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में, निरक्षरता उन्मूलन, ई०पी०ए० और भूमि सुधारों का समय पर पूरा

किए जाने के संबंध में हुई प्रगति पर विचार किया जाता है। ई०पी०ए० के लिए ए०सी०ए० का आवंटन परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग पर आधारित होता है। विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन राज्यों की आवश्यकताओं और प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र-वार प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करता है।

(ग) राज्यों में सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने की लागत का निर्धारण व्यापक प्रकार के कारकों के द्वारा किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र और जनसंख्या भी शामिल होता है।

(घ) एन०डी०सी० द्वारा यथा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के ए०सी०ए० के द्वारा राजस्थान सहित देश के मरूस्थलीय क्षेत्रों को उचित महत्व दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर पुलों का निर्माण

2588. श्री देविदास पिंगले : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नासिक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर यातायात की सुचारू आवाजाही हेतु कई स्थानों पर पुलों के निर्माण से संबंधित लंबित प्रस्तावों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नासिक शहर में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्वीकृति के कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) नासिक शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर पुलों के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु धनराशि

2589. श्री रामसेवक सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु विभिन्न राज्यों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से आबंटित धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को कम धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई पर अपितु लेन की चौड़ाई, भू-भाग के आकार-प्रकार, यातायात के घनत्व, मिट्टी की किस्म, क्षति की मात्रा, वर्षा की तीव्रता आदि पर भी निर्भर करता है। उपर्युक्त कारणों की वजह से, प्रति किलोमीटर आबंटन प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग है। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रति कि०मी० आबंटित किए गए फंड के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति किलोमीटर के लिए आबंटित निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.26
3.	असम	2.03
4.	बिहार	1.65
5.	चण्डीगढ़	3.88
6.	छत्तीसगढ़	1.40
7.	दिल्ली	4.69
8.	गोवा	1.12

2	3
9. गुजरात	2.05
10. हरियाणा	1.06
11. हिमाचल प्रदेश	1.59
12. जम्मू और कश्मीर	0.46
13. झारखंड	1.44
14. कर्नाटक	1.11
15. केरल	1.05
16. मध्य प्रदेश	1.41
17. महाराष्ट्र	1.47
18. मणिपुर	3.30
19. मेघालय	2.35
20. मिजोरम	1.43
21. नागालैण्ड	1.40
22. उड़ीसा	1.17
23. पाण्डिचेरी	1.58
24. पंजाब	1.61
25. राजस्थान	1.23
26. तमिलनाडु	1.50
27. उत्तर प्रदेश	1.50
28. उत्तरांचल	1.21
29. पश्चिम बंगाल	1.67

[अनुवाद]

टेलीफोन डायरेक्ट्री का मुद्रण

2590. **श्री एस०के० खारवेनथन** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम०टी०एन०एल० ने दिल्ली और मुम्बई में चार वर्षों से अधिक समय से टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रकाशित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) दिल्ली और मुंबई ने चार वर्ष से अधिक समय से दूरभाष निर्देशिकाएं प्रकाशित नहीं की हैं क्योंकि अन्तिम दूरभाष निर्देशिका 1999 में मुद्रित की गई थी।

(ख) वर्ष 2004 में, एम०टी०एन०एल०, दिल्ली और मुम्बई द्वारा नई दूरभाष निर्देशिकाएं मुद्रित करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। तथापि, दूरभाष निर्देशिकाएं मुद्रित करने संबंधी दिशा-निर्देशों में बदलाव करने के कारण निविदा रद्द कर दी गई थी।

(ग) एम०टी०एन०एल०, मुम्बई, नई दूरभाष निर्देशिकाएं मुद्रित करने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित कर चुका है। निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

जहां तक एम०टी०एन०एल०, दिल्ली का संबंध है, मामला न्यायाधीन है क्योंकि माननीय उच्च-न्यायालय, दिल्ली ने एम०टी०एन०एल०, दिल्ली को निर्देशिका मुद्रित करने हेतु नई निविदा सूचना जारी करने से रोका है।

उल्लेखनीय है कि एम०टी०एन०एल० में निर्देशिका संबंधी सेवाएं "सी०डी० रोम" के रूप में इन्टरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा यह टॉल-फ्री निर्देशिका सेवा 197 पर भी उपलब्ध है।

यौन क्षमता बढ़ाने हेतु नई औषध

2591. **डा० एम० जगन्नाथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यौन क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली अद्भुत औषध और भारतीय बाजारों में जल्द से इसके छा जाने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 25 मई, 2005 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जॉनशन और जॉनशन के दावे को सत्यापित करने के लिए इसका कोई नैदानिक परीक्षण कराया है अथवा कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) 25 मई, 2005 के एशियन एज में मैसर्स जॉन्सन एंड जॉन्सन द्वारा बनाई गई नई औषधी डैपोक्सेटीन के प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन वाले पुरुषों का इलाज करने हेतु अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में अनुमोदित होने की सूचना दी गई है।

मैसर्स जॉन्सन एंड जॉन्सन ने देश में इस औषध की क्लिनिकल जांच करने के लिए अनुमति मांगने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया था। इस मामले की जांच करने के बाद 22 जुलाई, 2005 को मैसर्स जॉन्सन एंड जॉन्सन को डैपोवसेटीन की देश में क्लिनिकल जांच करने की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

एड्स के मरीज

2592. श्री मोहन सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन को यू०एन० एड्स रिपोर्ट की जानकारी है जिसके अनुसार दक्षिण अफ्रीका के पश्चात् विश्व में एड्स के मरीजों की सर्वाधिक संख्या भारत में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 30 लाख एड्स मरीजों में से केवल 7.30 लाख एड्स मरीजों को ही एड्स का उचित इलाज (ए०आर०टी०) मिल पाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा एनटीरिट्रो-वाइरल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(च) बाजार में एन्टीरिट्रो वाइरल को पर्याप्त मात्रा में कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को समय-समय पर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू०एन०ए०आई०डी०एस० की रिपोर्ट की जानकारी है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट वर्ष 2004 में यू०एन०ए०आई०डी०एस० द्वारा जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में 2004 में एच०आई०वी० संक्रमित रोगियों की अनुमानित संख्या दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक थी। दक्षिण अफ्रीका में 5.3 मिलियन एच०आई०वी० संक्रमित रोगियों की तुलना में भारत में एच०आई०वी० संक्रमित रोगियों की अनुमानित संख्या 5.134 है।

(ग) और (घ) यह कहना ठीक नहीं है कि देश में 30 लाख एड्स रोगी हैं और केवल 7.3 लाख एड्स रोगियों को ही एड्स का उपचार सुलभ हो पाया है। भारत में अनुमानत: 5.134 मिलियन एच०आई०वी० संक्रमित व्यक्ति हैं और यह भी अनुमान है कि इनमें से लगभग 500,000 को एड्स होगा। इस समय, एड्स के सूचित रोगियों की संख्या 110,856 है और 30,000 रोगी एंटी रिट्रोवायरल उपचार प्राप्त कर रहे हैं जिनमें से 10,000 रोगी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने 6 उच्च व्यापतता दर वाले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आठ (8) एंटी रिट्रोवायरल उपचार केन्द्रों पर 1 अप्रैल, 2004 को मुफ्त एंटीरिट्रोवायरल उपचार शुरू किया था। इसका देश के 13 राज्यों में 25 केन्द्रों तक विस्तार किया गया है।

वर्ष 2005 तक 100 केन्द्रों और वर्ष 2007 तक 188 केन्द्रों पर एंटीरिट्रोवायरल उपचार उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2005 के अंत तक, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ए०आर०टी० केन्द्र का प्रस्ताव है। जुलाई, 2010 तक 180,000 रोगियों को एंटीरिट्रोवायरल उपचार प्रदान करने की योजना है।

बाजार में एंटीरिट्रोवायरल औषधें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

अस्पतालों संबंधी मान्यता नीति

2593. श्री अधीर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अस्पतालों संबंधी मान्यता नीति को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में कतिपय नए नियम और मानकों को अपनाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) नई मान्यता नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के लिए मानक और विनिर्देश तैयार कर रही है। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के आकलन, मान्यता, निरीक्षण, प्रमाणन, विनियमन तथा अभिलेखों के रखरखाव के लिए मानदंडों का निर्धारण भी किया जाएगा।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालयों में संवर्ग समीक्षा

2594. श्री सुरेश कुरुप : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ की कमी से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु हाल में कोई संवर्ग समीक्षा कराई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सी०वी०ओ० के अंतर्गत पासपोर्ट कार्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने व्यक्ति सेवारत हैं;

(ङ) भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति का कोटा कितना है और वर्तमान में प्रोन्नत व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(च) भर्ती नियमों के अनुसार पदों को भरे जाने में अंतर यदि कोई है, के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) मंत्रालय ने वर्ष 1999 में सी०पी०ओ० हेतु एक संवर्ग समीक्षा कराई थी, जिसमें विभिन्न वर्गों में 81 पद सृजित किए गए। 2001 में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस०आई०यू०) द्वारा की गई सिफारिशों पर, विभिन्न वर्गों में 138 अतिरिक्त पद सृजित किए गए। हाल में पासपोर्ट कार्यालयों का एक ताजा एस०आई०यू० अध्ययन करवाया गया है। एस०आई०यू० की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद, संवर्ग समीक्षा का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) से (च) अधिकारी अर्थात् अधीक्षक एवं ऊपर के स्तर पर केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सी०पी०ओ०) से अधिकारियों हेतु 182 स्वीकृत पद तथा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों हेतु 31 स्वीकृत पद हैं। इस समय, सी०पी०ओ० कोटा के अंतर्गत समस्त 182 पद तथा प्रतिनियुक्ति कोटा में 26 पद भरे हुए हैं।

[हिन्दी]

पोलियो टीके पर 'वैट'

2595. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो टीके पर वैट लगाने से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इस टीके को अन्य देशों से खरीदने पर विचार कर रहा है क्योंकि यह भारत में महंगा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वैक्सीनों को डेली मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम 2004 (11 मई 2005 की अधिसूचना सं० एफ० 101(328/2005-फिन (ए/सी) (ii) (548)- के साथ संलग्न तीसरी अनुसूची में क्रम सं० 16 में ''ड्रग्स एंड मेडिसिन'' श्रेणी के अंतर्गत प्रविष्टि में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में पोलियो वैक्सीनों को अलग से नहीं रखा गया हे। तथापि, वैट से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी अधिप्राप्तियां यूनीसेफ के माध्यम से की जाती हैं और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अध्याय III के अंतर्गत धारा 6, उप धारा 3 और 4) के अनुसार डीलर द्वारा तैयार किए गए किसी सामान की बिक्री पर किसी अधिकारी, कार्मिक, कॉनसुलर अथवा संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक प्रतिनिधि अथवा अन्य निकाय को अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य की स्थिति में उस डीलर को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए यूनीसेफ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन की खरीद करता है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व-अर्हताप्राप्त भारतीय विनिर्माता भी भाग लेते हैं। भारत सरकार ने यूनीसेफ को न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) से उसके द्वारा पेश की गई क्षमता के अनुसार तथा शेष मात्रा अगले उच्चतर बोलीदाता से खरीदे जाने की सलाह दी है। वर्ष 2004-05

के दौरान यूनीसेफ ने भारतीय विनिर्माता (पनासिया बायोटेक लिमिटेड) से ओरल पोलियो वैक्सीन प्राप्त की है।

[अनुवाद]

गुजरात में डाकघरों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

2596. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के डाकघरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान स्थानवार और श्रेणीवार कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया है; और

(ग) गुजरात में शेष डाकघरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में डाकघरों के आधुनिकीकरण (एर्गोनॉमिक्स में सुधार) के लिए कुल 62,13,759 रु० की कुल राशि व्यय की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2004-05 तक 27,74,599 रु० की राशि व्यय की गई है।

(ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान तेरह डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। ऐसे डाकघरों का स्थान और श्रेणी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निधि की उपलब्धता के आधार पर, वर्षवार बड़े डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाता है। वर्ष 2005-06 में, गुजरात को 10 डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 20 लाख रु० आवंटित किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान गुजरात में आधुनिकीकृत किए गए डाकघर

क्रम सं०	डाकघर का नाम/स्थान	जिला	श्रेणी	वर्ष
1	2	3	4	5
1.	अम्बावडी विस्तार	अहमदाबाद	उप डाकघर	2003-04
2.	नारनपुरा विस्तार	वही	उप डाकघर	2003-04
3.	एल्लिसब्रिज	अहमदाबाद	उप डाकघर	2003-04
4.	रेस कोर्स	वडोदरा	उप डाकघर	2003-04
5.	आनंद	आनंद	प्रधान डाकघर	2003-04
6.	सिलवासा	वलसाड़	उप डाकघर	2003-04
7.	सायला	सुरेन्द्रनगर	उप डाकघर	2003-04
8.	गांधीधाम	कच्छ	उप डाकघर	2003-04
9.	दीसा	बनासकंठा	मुख्य डाकघर	2004-05
10.	भड़ूच	भड़ूच	प्रधान डाकघर	2004-05
11.	ओलपाद	सूरत	उप डाकघर	2004-05
12.	उना	जूनागढ़	उप डाकघर	2004-05
13.	कांडला पोर्ट	भुज	उप डाकघर	2004-05

पिछले दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत डाकघरों की कुल संख्या : 13

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मोबाइल टावरों को शुरू करना

2597. श्री इलियास आज़मी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 14 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में अलग-अलग कितने मोबाइल टॉवर शुरू किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में कितने प्रीपेड सिम कार्ड आवंटित किए गए हैं; और

(ग) हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में बुनियादी कनैक्शन हेतु अलग-अलग कितने आवदेक प्रतीक्षा सूची में हैं और उक्त सूची कब से लंबित है तथा इन दोनों जिलों का तुलनात्मक ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने पिछले 14 महीनों के दौरान हरदोई जिले में 12 सेल्युलर मोबाइल टॉवर तथा लखीमपुर खीरी जिलों में 6 सेल्युलर मोबाइल टॉवर चालू किए हैं।

(ख) पिछले 14 महीनों के दौरान, बी०एस०एन०एल० द्वारा हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में जारी किए गए प्री-पेड सिम कार्डों की संख्या क्रमशः 5735 तथा 9665 है।

(ग) अपेक्षित ब्योरा नीचे दिया गया है :–

जिला	लैंडलाइन के लिए प्रतीक्षा सूची	प्रतीक्षा सूची में दर्ज सबसे पुराने आवेदनकर्ता की तारीख	एक्सचेंजों की संख्या	लैंडलाइन क्षमता	कार्यरत लैंडलाइन कनेक्शन
हरदोई	2511	14.12.99	45	31592	23773
लखीमपुर खीरी	1338	30.06.99	89	48264	32170

[अनुवाद]

दक्षेस प्रलेखन केन्द्र

2598. श्रीमती सी०एस० सुजाता : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेडिशनल डिजीटल नोलेज लाइब्रेरी दक्षेस प्रलेखन केन्द्र के कार्यकलाप का हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त कार्यकलाप को शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यकलाप से सदस्य देशों के पारम्परिक ज्ञान का पेटेंट अधिकार प्रभावित होता है और इसके परिणामस्वरूप पेटेंट चोरी होने की संभावना बनी रहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग में लाई गई है;

(ज) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न खर्चों के लिए मदवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(झ) अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा मुक्ति का मानदंड क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार नियुक्त और सेवामुक्त अधिकारियों का ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) पारम्परिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (टी०के०डी०एल०) अभी भी सार्क प्रलेखन केन्द्र के कार्यकलाप/उद्देश्य का हिस्स नहीं है। तथापि 27-28 दिसम्बर, 2004 को सार्क प्रलेखन केन्द्र ने सार्क सदस्य देशों के लिए पारम्परिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की सिफारिशों से पार्क सदस्य देशों को अवगत करा दिया गया है और इस प्रकार के कार्यकलाप आरम्भ किए जाने के संबंध में उनके विचार प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

(ख) पारम्परिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (टी०के०डी०एल०) जहां कहीं स्थानीय भाषा और कोडयुक्त रूप में इस प्रकार का ज्ञान मौजूद है, वहां देशों के अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में पारम्परिक ज्ञान के दुर्विनियोजन को रोकने के लिए है। यह प्रस्तावित परियोजना संबंधित सार्क देशों के पारम्परिक ज्ञान के प्रलेखन के लिए है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) विगत वर्षों के दौरान सार्क प्रलेखन केन्द्र द्वारा कुल निधियों के वर्ष-वार आबंटन व उपयोग के ब्योरे निम्नानुसार है :–

वर्ष	आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि	स्थागत	कार्यक्रम	पूंजी	कुल
2002	1,55,400/-	48,900/-	13,600/-	35,300/-	शून्य	48,900/-
2003	1,75,000/-	1,03,900/-	14,000/-	89,900/-	शून्य	1,03,900
2004	2,34,500/-	1,19,100/-	12,700/-	96,600/-	9800/-	1,19,100/-

(झ) अधिकारियों को सार्क प्रलेखन केन्द्र (एस०डी०सी०) के शासी निकाय द्वारा सार्क प्रलेखन केन्द्र के निदेशक की सिफारिश के आधार पर नियुक्त व कार्यमुक्त किया जाता है। आमतौर पर अधिकारियों को सार्क प्रलेखन केन्द्र के शासी निकाय द्वारा 2 वर्ष की अवधि के आधार पर नियुक्त किया जाता है जिसे शासी निकाय द्वारा आगे एक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। विगत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त व कार्यमुक्त अधिकारी निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति की अवधि
1.	श्रीमती रेनु अरोड़ा	एस०डी०सी० समन्वयक	2001-2005
2.	श्रीमती अरूणा करनजई	राष्ट्रीय केन्द्रीय बिन्दु-एस०डी०सी० समन्वयक	2001-2005
3.	श्री एस०के० अरोड़ा	एस०डी०सी० समन्वयक	2005-2007
4.	डॉ० (सुश्री) अर्चना शर्मा	राष्ट्रीय केन्द्रीय बिन्दु-एस०डी०सी० समन्वयक	2005-2007

स्वास्थ्य योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

2599. **डा० के०एस० मनोज :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री जी०एम० सिद्देश्वर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में कितने गैर-सरकारी संगठन लगे हुए हैं;

(ख) वर्ष 2001-05 की अवधि के दौरान और आज की तिथि तक स्वास्थ्य क्षेत्र में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के नाम और ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन संगठनों को गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक प्रदान की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या ये गैर-सरकारी संगठन नियमित रूप से संबंधित विभाग को अपने लेखा और कार्य रिपोर्ट सौंपते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदाचार देखने में आया है;

(च) यदि हां, तो उक्त का ब्योरा क्या है; और

(छ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर-बंगलौर कॉरीडोर परियोजना

2600. श्री एम० शिवन्ना : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-बंगलौर कॉरीडोर परियोजना को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना का कार्य पुन: शुरू कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। मैसूर-बंगलौर एक्सप्रेस कॉरीडोर एक राज्यीय सड़क परियोजना है। अत: इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है।

तथापि, कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बंगलौर-मैसूर अवसंरचना कॉरीडोर परियोजना के निर्माण में 111 कि०मी० लंबी सड़क और 5 शहरों का विकास शामिल है जिसमें से 41 कि०मी० परिधीय सड़क, 12 कि०मी० एक्सप्रैस मार्ग और एक शहर के विकास का कार्य चरण-I के लिए निर्धारित किया गया है। चरण-I में ही इस विकास कार्य को स्टेटेज में किए जाने का प्रस्ताव है। स्टेज-I में, 41 कि०मी० परिधीय सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य 5 फरवरी, 2004 को प्रारंभ हुआ है और यह कार्य

चल रहा है। स्टेज-I में भूमि-अधिग्रहण के संबंध में कुछ समस्याएं हैं, इस दिशा में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए कुछ उपाय किए हैं। राज्य राजस्व विभाग, पट्टा आधार पर सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए कार्रवाई कर रहा है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय वन भूमि के संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु खुली निविदा प्रणाली

2601. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षित कोयला खनन हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं जैसाकि दिनांक 13 अप्रैल, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षित खनन हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन के संबंध में खुली निविदा प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस नई प्रणाली को आरंभ करने के बाद कोयले की लागत में संभावित वृद्धि की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला ब्लाकों की नीलामी करने से पूर्व सरकारी विद्युत उत्पादन कंपनी के हित पर भी विचार किया है;

(छ) क्या इस संबंध में विद्युत मंत्रालय से विचार मांगे गए थे; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी अनुमोदित अन्त्य उपयोग में लगी गृहीत ब्लाक आबंटिती कम्पनी स्वयं कोयले का खनन कर सकती है और उसकी खपत अपने अन्त्य उपयोग संयंत्र में कर सकती है। इसके अलावा, किसी अनुमोदित अन्त्य उपयोगों में लगी कोई कम्पनी, केवल कोयला खनित करने तथा अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी को गृहीत कोयला ब्लाक से एकमात्र आधार पर कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य से गठित सम्बद्ध कोयला कम्पनी के माध्यम से गृहीत ब्लाक का खनन कर सकती है। बशर्ते की उपयोगकर्ता कम्पनी का सम्बद्ध कोयला कम्पनी में इक्विटी स्वामित्व सदैव कम से कम 26 प्रतिशत रहे और इसमें दो सहायक कम्पनियां अर्थात् (i) किसी अनुमोदित अनत्य उपयोगों में लगी कोई कम्पनी और (ii) केवल कोयला खनन करने तथा अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी को गृहीत कोयला ब्लाक से एकमात्र आधार पर कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य से गठित एक सम्बद्ध कोयला कम्पनी बशर्ते कि धारक कम्पनी का, अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी और सम्बद्ध कोयला कम्पनी दोनों में कम से कम इक्विटी स्वामित्व 26% हो, वाली एक धारक कम्पनी हो सकती है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ए)(iii)(4) के अन्तर्गत मामला-दर-मामला आधार पर अन्त्य उपयोग के रूप में अधिसूचित करके कोयला ब्लाकों को ऐसी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खनन करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (च) प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से गृहीत खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन पर निर्णय अभी सरकार द्वारा लिया जाना है।

(ङ) और (च) जी, हां।

(छ) और (ज) गृहीत कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण को प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय लिया जाना है।

किराए के भवनों में डाकघर

2602. श्री एम० अप्पादुरई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी किराए के भवनों में राज्यवार कितने डाकघर चल रहे हैं;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने डाकघर हैं जिन्होंने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है परंतु अब तक भवन का निर्माण नहीं किया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) डाकघरों के लिए अधिग्रहित भूमि पर भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) देश 22 डाक सर्किलों में विभाजित

है। किराए के निजी भवनों में चल रहे/कार्यरत डाकघरों तथा ऐसे डाकघरों का, जिनके लिए जमीन तो उपलब्ध है पर अब तक भवन नहीं बनाए गए हैं, ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार प्राथमिकता के आधार पर हर वर्ष योजना निधियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से भवनों का निर्माण कर रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए इन प्लॉटों पर भवन निर्माण हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार नहीं की जा सकती।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	किराए के निजी भवनों में चल रहे/कार्यरत डाकघरों की संख्या	उन डाकघरों की संख्या जिन्होंने जमीन तो अधिग्रहीत कर ली है, पर अब तक भवनों का निर्माण नहीं हुआ है
1	2	3	4
1.	असम	455	15
2.	आंध्र प्रदेश	2083	244
3.	बिहार	793	53
4.	छत्तीसगढ़	273	6
5.	दिल्ली	276	19
6.	गुजरात	1121	105
7.	हरियाणा	363	13
8.	हिमाचल प्रदेश	391	27
9.	जम्मू व कश्मीर	228	8
10.	झारखण्ड	385	13
11.	कर्नाटक	1436	381
12.	केरल	1255	131
13.	मध्य प्रदेश	785	27
14.	महाराष्ट्र	1771	105
15.	उत्तर पूर्व	191	29
16.	उड़ीसा	1022	32
17.	पंजाब	708	20
18.	राजस्थान	1176	226
19.	तमिलनाडु	2525	156
20.	उत्तर प्रदेश	2197	75
21.	उत्तरांचल	306	10
22.	पश्चिम बंगाल	1532	72
	कुल	21272	1767

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मरपार खान का कार्यान्वयन

2603. **प्रो० महादेवराव शिवनकर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में कमी के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मरपार खान से कितने टन कोयले का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह खान घाटे में चल रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा घाटे के कारणों की जांच की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस खान को लाभकारी एकक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मुरपार खान ने 61.600 टन कोयले का उत्पादन किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) घाटों का मुख्य कारण खान से कम उत्पादन होना है जोकि खान की प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों अर्थात् प्रतिकूल छत स्थिति तथा अत्यधिक जल रिसाव के कारण हुआ है।

छत की स्थिति के सुधारने के लिए, रूफ सपोर्ट हेतु रूफ बोल्टों के साथ शीघ्र जमने वाले रेसीन कैपसूलों का उपयोग किया जाता है। हाल ही में, क्रॉलर आधार वाले साइड डिस्चार्ज लोडरों के स्थान पर 2 उच्च उत्पादक क्षमता आधार वाली लदान मशीनें जैसे, लोड हॉल डम्पर उपलब्ध कराए गए हैं। विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए डीजल जेनरेटर उपलब्ध कराए गए हैं।

आपातकालीन सेवाओं का उन्नयन और सुधार

2604. श्री मुनव्वर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल सरकार ने राज्यों के मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुधार के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल के विभिन्न मेडिकल कालेजों की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने और उनके आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते क्षमता निर्माण हेतु सहायता योजना के अंतर्गत उत्तरांचल में दून अस्पताल देहरादून, गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा और जिला अस्पताल, गोपेश्वर, जिला चमौली और उत्तर प्रदेश में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, जिला अस्पताल, रायबरेली और जिला अस्पताल, शाहजहांपुर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली से वित्तीय सहायता मांगने के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर तक उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कॉमन सर्विस सैंटर

2605. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अप्पासाहब पाटील शिवाजीराव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार कॉमन सर्विस सैंटर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा ऐसे कॉमन सैंटरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली संभावित सेवाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने सर्विस सेंट खोले जाने का विचार है; और

(घ) ऐसे सैंटरों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) दसवीं योजना में डाकघरों को बहुउत्पाद/बहुसेवा केन्द्र बनाने की परिकल्पना की गई। तदनुसार, डाकघर इस समय स्थानीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप अनेक रीटेल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जा रही कुछ रीटेल सेवाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। अपनी व्यापक पहुंच के मद्देनजर, विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ग्रामीण सेवा वितरण केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना में डाकघरों को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) चूंकि डाकघरों में समान सेवा केन्द्रों को स्थापित करने की योजना को अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है इसलिए खोले जाने वाले ऐसे केन्द्रों की संख्या, इन्हें खोलने के लिए निर्धारित समय-सीमा आदि से संबंधित अधिक जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। हालांकि, विभाग ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हरसंभव सेवाएं देशभर में स्थित अपने आउटलेटों के माध्यम से उपलब्ध कराता रहेगा।

विवरण

विभिन्न डाक सर्किलों में चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे रीटेल कार्यकलापों/बिजनेस पैकेजों की सूची

क्रमांक	बिजनेस पैकेज
1	2
1.	चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से बी०ई० जैसे कारपोरेटों की ओर से देशव्यापी ऋण आवेदन फार्मों की प्राप्ति और मंजूर किए गए ऋणों का संवितरण
2.	बी०एस०एन०एल० के सेल फन ग्राहकों के पत्रों का सत्यापन और क्रेडिट रेटिंग
3.	केवल कनेक्शनों की पहचान के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वेक्षण
4.	विश्वविद्यालयों, यू०पी०एस०सी०, राज्य पी०एस०सी०/ एस०एस०सी०, इंजीनियरिंग परीक्षाओं के फार्मों की बिक्री
5.	बिजली बिल के भुगतानों की राशि का संग्रहण
6.	बी०एस०एन०एल०/एयरटेल और दूसरे निजी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल बिलों का वितरण
7.	टेलीफोन राजस्व बिलों का संग्रहण
8.	निजी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के सिम कार्डों और रीचार्ज वाउचरों की बिक्री
9.	कोडक, इमामी आदि जैसी निजी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री
10.	महानगर गैस लिमिटेड, मुम्बई के बिलों को स्वीकारना
11.	प्रसादम का वितरण
12.	दुग्ध कार्डों की बिक्री
13.	मसालों, आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण
14.	कार्टन बाक्सों की बिक्री
15.	महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वी०सी०डी० की बिक्री
16.	विभिन्न प्रकाशकों की किताबों की बिक्री
17.	ट्यूशन फीस (डा० बी०आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से) का संग्रहण
18.	शिक्षण सामग्रियों/सी०डी० की बिक्री
19.	वृद्धावस्था मनीआर्डरों/विधवा पेंशनों का संवितरण
20.	फिलैटली फ्रेमों की बिक्री
21.	पिनकोड सी०डी० की बिक्री

विशेष भर्ती अभियान

2606. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष भर्ती अभियान विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के व्यक्तियों के लिए शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्र विशेष के लिए विशेष भर्ती अभियान कानूनी रूप से युक्तियुक्त नहीं होगा।

खेल संबंधी अवसंरचना की स्थापना हेतु निधियां

2607. डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान खेलों के लिए नई अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और जारी की गई निधियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को दी जाने वाली निधियों की वर्तमान पद्धति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) सरकार ने 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को खेल अवस्थापना

संबंधी योजनाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और तदनुसार, खोल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए वर्ष 2005-06 के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार, खोल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए नये प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से वित्त पोषित किए जाने हैं। हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 28.2.2005 को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश से नये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर पुल को चौड़ा किया जाना

2608. श्री के० सुब्बारायन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयंबटूर शहर में ज्योति कालेज के निकट और रेलवे ट्रैक के पार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर पुल को चौड़ा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पुल को चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कोयम्बटूर शहर में यह सड़क खंड जिस पर रेलवे ट्रैक के पास ज्योति कालेज के पास सड़क उपरि पुल बना है, कोयम्बटूर बाइपास के निर्माण के बाद जो रा०रा०-47 का हिस्सा नहीं रहा है और अब यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

नेपाल द्वारा भूमि पर कथित अतिक्रमण

2609. श्री कैलाश मेघ्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में नेपाल द्वारा भूमि पर कथित अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को नेपाल के समक्ष उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को उस सीमा विवाद की भी जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप नदी का मार्ग बदल जाने के कारण सुस्ता में स्थित छह्पर्चे हुई थी जिस सीमा के रूप में माना गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) से (ङ) भारत सरकार और नेपाल की राही सरकार के बीच पश्चिमी चम्पारण (भारत) के सुस्ता क्षेत्र और भारत-नेपाल सीमा के नवलपरासी क्षेत्र में सीमा के संरेखण के संबंध में दृष्टिकोणों में भिन्नता है जो पिछले अनेक वर्षों के दौरान गंडक नदी के मार्ग में आये स्वाभाविक परिवर्तन के कारण हुआ है।

लुप्त/क्षतिग्रस्त खंभों के निरीक्षण/पुनर्स्थापना से संबंधित कार्यों का समन्वय और खंभों के करने के लिए लुप्त होने तथा नदियों के मार्ग बदलने इत्यादि के कारण आई विसंगतियों को दूर करने के लिए किये जाने वाले कार्यों का समन्वय भारत और नेपाल की एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की गयी है। संयुक्त तकनीकी समिति सुस्ता क्षेत्र में सीमा के संरेखण से जुड़े मुद्दों की भी जांच कर रही है।

सरकार को सीमा की पहचान किये जाने के संबंध में सुस्ता क्षेत्र में तनाव की हाल की कुछ खबरों की जानकारी है। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रभावी गश्ती सहित अन्य उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए निर्धारित धनराशि

2610. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) धनराशि किन-किन परियोजनाओं पर खर्च की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष 2005-06 के लिए 45.50 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त निर्धारित राशि में से, 10.00 करोड़ रुपये तदर्थ परिचालन अग्रिम के तौर पर, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन करने वाली समिति को जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 1.60 करोड़ रुपये जारी किया गया है। उसी प्रकार, वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल शुल्क के भुगतान के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 10.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सी०जी०एच०एस० में रिक्त पद

2611. श्री निखिल चन्द : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 11 मई 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6864 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (आयुष) के मानदंडों संबंधी कर्मचारी निरीक्षण यूनिट (एस०आई०यू०) रिपोर्ट की जांच की जा रही है, इसलिए उक्त प्रश्न के संबंध में सूचना भेजने में कुछ और समय लगेगा।

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे को क्षति

2612. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जुलाई 2005 में भारी वर्षा के कारण अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे के लगभग 750 मीटर कैरिजवे को भारी क्षति होने की सूचना मिली है। इस एक्सप्रेस मार्ग को अस्थायी रूप से बहाल करने की अनुमानित लागत 0.50 करोड़ रु० है और इसे स्थायी रूप से बहाल करने की लागत 7.47 करोड़ रु० होने का अनुमान है। मरम्मत और बहाली कार्य चल रहा है और इसके 15.8.2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कोयला भंडारों की खोज

2613. श्री मनोज कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी विभिन्न सहायक कम्पनियों की आय और व्यय का ब्योरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों को लाभ कमाने वाली कम्पनियां बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) झारखण्ड के पलामु, गढ़वा और लातेहार जिलों में किन-किन क्षेत्रों में कोयला भंडार पाए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कितनी मात्रा में कोयला भंडार हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की इन क्षेत्रों में कोयला खनन आरंभ करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) और उसकी सहायक कम्पनियों के आय तथा व्यय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु० में)

कम्पनी	2002-03		2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
ई०सी०एल०	2918.90	3257.68	3232.76	3559.14	3286.71	3310.43
बी०सी०सी०एल०	2081.31	2588.44	2138.12	2707.97	2559.12	2604.63
सी०सी०एल०	2855.57	2470.92	3065.85	2695.48	3625.58	3171.74
एन०सी०एल०	3332.21	2839.20	3788.30	2141.24	4462.89	2397.41
डब्ल्यू०सी०एल०	3244.22	2771.70	3592.61	2849.01	4290.44	3034.41
एस०ई०सी०एल०	4181.57	3299.44	4881.97	3567.75	5683.63	4102.70
एम०सी०एल०	2117.55	1235.24	2510.44	1091.84	3103.10	1498.40
एन०ई०सी०/सी०आई०एल०	270.10	475.30	598.22	308.45	298.25	223.86
सी०एम०पी०डी०आई०एल०	124.02	122.03	143.32	141.56	135.80	133.72
समग्र सी०आई०एल०	21125.45	18259.95	23951.50	19062.44	27445.53	20486.28

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) तथा भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) ही कोल इंडिया लि० की घाटे में चल रही सहायक कम्पनियां हैं। ई०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० की पुनरुद्धार योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रस्तुत की गई हैं।

(ग) झारखण्ड राज्य के पालामाऊ जिले में हुतार तथा डालटनगंज कोलफील्ड्स हैं। झारखण्ड राज्य के लतेहार जिले में औरंगा और उत्तरी करनपुरा कोलफील्डों का पश्चिमी भाग है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) के अनुसार 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार उनके भण्डार निम्नलिखित हैं :–

कोलफील्ड्स	भण्डार (मिलियन टन में)
हुतार कोलफील्ड	250
डालटनगंज	144
औरंगा	2997
उत्तरी करनपुरा	3900

गढ़वा जिले में केवल पतली तथा खर्चीली सीमें हैं।

(घ) से (च) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी०सी०एल०) ने हुतार, डालटनगंज और उत्तरी करनपुरा कोलफील्डों के एक-एक ब्लाक में खनन किया है और उसकी प्रत्येक कोलफील्ड में एक और परियोजना में खनन की योजना है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में विद्युत, लोहा तथा इस्पात और सीमेंट निर्माताओं को कैप्टिव खपत के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। उक्त नीति के अनुसरण में कोयले में कैप्टिव खनन के लिए उल्लिखित क्षेत्र में उत्तर करनपुरा कोलफील्ड्स में 13 कोयला ब्लाक, औरंगा कोलफील्ड्स में 4 कोयला ब्लाक, डालटनगंज कोलफील्ड्स में 3 ब्लाक और हुतार कोलफील्ड्स में 1 (एक) ब्लाक की पहचान की गई है। इनमें से उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में 9 ब्लाक, औरंगा कोलफील्ड्स में 1 (एक) ब्लाक और डालटनगंज कोलफील्ड्स में 3 ब्लाक आवंटित किए गए हैं/आवंटन का निर्णय लिया गया है। वे कम्पनियां जिनके पक्ष में इन ब्लाकों का आवंटन किया गया है/आवंटन करने का निर्णय लिया गया है, खनन का प्रचालन शुरू करने से पूर्व राज्य सरकार से खनन पट्टा प्राप्त करना अपेक्षित है।

ग्रष्टाचार में वांछित वृद्धि

2614. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के स्तरों में वृद्धि हो रही है जैसा कि दिनांक 10 जुलाई, 2005 के हिन्दी दैनिक "राजस्थान पत्रिका" में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले की सच्चाई क्या है;

(ग) क्या 'ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल' ने भारत में भ्रष्टाचार में कथित वृद्धि पर रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) राजस्थान पत्रिका ने, ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल नामक निजी निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों को केवल विस्तारपूर्वक बताया है।

(ग) सैंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, नई दिल्ली के सहयोग से ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा "शासन में सुधार लाने हेतु भारत भ्रष्टाचार अध्ययन 2005" शीर्षक से एक प्रकाशन निकाला गया है।

(घ) से (च) भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा प्रशासनिक काम-काज में सुधार लाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में महत्वपूर्ण कदम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित करना और व्हिसल ब्लोअर्स रेजॉल्यूशन, 2004; सतर्कता के संबंध में वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग का सकारात्मक सक्रिय जुड़ाव; केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और संविदा से संबद्ध प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के संबंध में व्यापक अनुदेशों का जारी किया जाना; केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम को अधिनियमित किया जाना और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपने भ्रष्टाचार निरोधी काम-काज का निर्वाह प्रभावशाली-कारगर ढंग से करने के क्रम में उसे सशक्त बनाया जाना आदि हैं। इसके अलावा, सरकारी संगठन, ई-शासन, नागरिक चार्टर जारी करने तथा उन प्रक्रियाओं और पद्धतियों के सरलीकरण के माध्यम से अपना कार्यकरण निरंतर सुधारने में लगे हुए हैं जिनका लक्ष्य भी पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार करके भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मेले

2615. श्री जी० करुणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जागरूकता पैदा करने और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य मेले आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक आयोजित स्वास्थ्य मेलों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) स्वास्थ्य मेले की अवधारणा और तंत्र का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार विशेषकर कर्नाटक सरकार से राज्य में स्वास्थ्य मेले आयोजित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित राज्य-वार स्वास्थ्य मेलों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के लिए सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में सूचना के अलावा, स्वास्थ्य मेलों में चुनिंदा स्वास्थ्य चैक अप और सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। मेले, लोक सभा संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए भारत सरकार प्रति मेला के 8.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। धन राज्य स्कीम सोसायटी के माध्यम से जारी किया जाता है। मेला स्थानीय संसद सदस्य के परामर्श से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित राज्यवार स्वास्थ्य मेलों का विवरण

क्रम सं०	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	41	—

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	—
3.	असम	1	14	—
4.	बिहार	5	31	40
5.	छत्तीसगढ़	—	7	11
6.	गुजरात	—	26	2
7.	गोवा	—	2	—
8.	हरियाणा	—	10	2
9.	हिमाचल प्रदेश	6	3	—
10.	जम्मू व कश्मीर	—	6	—
11.	झारखण्ड	—	13	14
12.	कर्नाटक	1	26	—
13.	केरल	—	20	—
14.	मध्य प्रदेश	5	28	29
15.	मणिपुर	1	2	—
16.	मेघालय	1	2	—
17.	मिजोरम	3	1	—
18.	महाराष्ट्र	3	47	—
19.	नागालैण्ड	—	1	—
20.	उड़ीसा	1	21	21
21.	पंजाब	—	13	—
22.	राजस्थान	4	25	25
23.	सिक्किम	—	1	—
24.	तमिलनाडु	—	39	4
25.	त्रिपुरा	1	2	—
26.	उत्तर प्रदेश	2	75	78
27.	पश्चिम बंगाल	—	40	2
28.	उत्तरांचल	—	5	5
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1	—
30.	चण्डीगढ़	—	1	—
31.	दमण व दीव	10	1	—
32.	दादरा व नगर हवेली	—	1	—
33.	दिल्ली	2	6	—
34.	लक्षद्वीप	—	1	—
35.	पांडिचेरी	—	1	—
	कुल	46	515	233

[हिन्दी]

प्रायोजित खेल योजना

2616. **श्री जीवाभाई ए० पटेल :**
श्री वी०के० दुग्गर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खेल क्रियाकलापों से संबंधित कोई प्रायोजित योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस योजना का नाम क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी निधियां आवंटित की गई और दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी निधियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए "राज्य खेल अकादमी की योजना" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य 10-13 वर्ष के आयु वर्ग के बीच खेलों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन तथा 10-18 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का चयन करना तथा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने हेतु आने वाले वर्षों तक उनको तैयार करना तथा उनका पालन करना है।

इस बारे में गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजना अर्थात् "अवस्थापना से संबंधित योजना" जिसमें "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान" "खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूल को अनुदान", "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान" तथा "सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने के लिए अनुदान", नामक चार घटक शामिल हैं, 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए गुजरात राज्य में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :–

1. ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत, दिसम्बर, 2004 तथा जनवरी, 2005 के दौरान आगरा (उ०प्र०), कोरबा (छत्तीसगढ़) तथा औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में अखिल भारतीय ग्रामीण टूर्नामेंट, 2004-05, आयोजित किए गए जिसमें गुजरात के 151 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

2. खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 2004-05 के दौरान 178 छात्रों को 12,40,500/-रु० की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

3. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०) योजना के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेड़ा स्थित नवोदय विद्यालय को अपनाया है।

4. गांधीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र (एस०टी०सी०) चलाया जा रहा है।

5. गांधीनगर में एक उत्कृष्टता केन्द्र (सी०ओ०एक्स) कार्यरत है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित अवस्थापना से संबंधित योजना के अंतर्गत परिकल्पित कुल व्यय 312.61 करोड़ रु० था। अभी तक बजट प्रावधान 2003-04 के लिए 35 करोड़ रु० तथा 2004-05 के लिए 48.05 करोड़ रु० है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध देयता तक अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "राज्य खेल अकादमी के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल परिव्यय 93.24 करोड़ रु० था। 2003-04 तथा 2004-05 में, प्रत्येक का बजट प्रावधान 7.00 करोड़ रु० था। 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान, व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जारी की गई धनराशि उस अवधि के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

बर्लिन में भारतीय दूतावास

2617. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास को वर्ष 1999 में बॉन से बर्लिन में स्थानांतरित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बॉन स्थित दूतावास भवन अभी भी गतिविधि का प्रमुख केन्द्र है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भवन को बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या अनिवासी भारतीयों ने इस भवन की प्रस्तावित बिक्री का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस भवन की अनुमानित लागत क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर 1999 से जून 2002 तक शेष कौंसली एवं प्रशासनिक मामलों का निपटान करने के लिए बॉन में एक स्थायी कार्यालय बनाये रखा गया था। मई 2002 में म्यूनिख में भारत का नया प्रधान कौंसलावास खोले जाने के साथ ही बॉन कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया। तब से बॉन स्थित पूर्व भारतीय दूतावास के भवन का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इस भवन का आर्थिक आधार पर प्रभावी उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पाया इसलिए भारत सरकार ने जनहित में

इस संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है। अप्रैल, 2005 में स्थानीय समाचार पत्रों में बॉन की सम्पत्ति की बिक्री के लिए विज्ञापन आये थे जिनमें इच्छुक पक्षों से बोलियां आमंत्रित की गयी थी।

(ङ) और (च) सरकार को जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफालिया, जहां बॉन अवस्थित है, के भारतीय संगठनों के व्यावसायिक/सांस्कृतिक गतिविधियों तथा कतिपय कॉसली सेवाएं देने के लिए भवन का संभावित उपयोग किए जाने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि इन सुझावों को अर्थक्षम और लागत प्रभावी नहीं पाया गया। हालांकि, बॉन निर्धारक बोर्ड ने इस संपत्ति की कीमत 943,000 यूरो लगायी थी, इसका वास्तविक मूल्य बाजार की वर्तमान स्थिति और अन्य कारकों, मुख्यत: इस संपत्ति के कितनी पुरानी होने और हेरिटेज भवन होने के कारण इसके उपयोग के संबंध में किस प्रकार के प्रतिबंध हैं, पर निर्भर करेगा।

(छ) अब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा

2618. श्री वीर सिंह महतो : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई स्टेडियम का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) ''खेल'' राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार अपनी योजना तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) की योजनाओं के जरिए यूनियर, सब-जूनियर तथा सीनियर स्तर पर खेलों के प्रदर्शनों को सुधारने के लिए खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए ''खेल गतिविधियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन'' की योजना कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण खेल कार्यक्रम एक घटक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए सहायता अनुदान, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को आबंटन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के जिम्मे सौंपा है। राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण टूर्नामेंट 13 से 16 जनवरी, 2005 तक औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आयोजित किए गए थे जिनमें पश्चिम बंगाल के 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

पश्चिम बंगाल में खेलों के संवर्धन तथा विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :–

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०) – निम्नलिखित स्कूलों की सहायता की गई है:–
   - (क) सुकांतनगर विद्यानिकेतन साल्ट लैक सिटी, कलकत्ता
   - (ख) जी०जी० हाई सैकेण्डरी स्कूल, कृष्णा नगर
   - (ग) डोहिल जी०एच० स्कूल, कुर्सियांग
   - (घ) शारदा विहार मंदिर, सुदर्शनपुर पोस्ट रायगंज, जिला दिनाजपुर
2. भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र (एस०टी०सी०) :–
   - (क) कोलकता
   - (ख) बर्दमान
   - (ग) सिलीगुड़ी
   - (घ) लीबॉग
3. उत्कृष्टता केन्द्र (सी०ओ०एक्स०) इसके अतिरिक्त, कोलकाता में एक उत्कृष्टता केन्द्र चलाया जा रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर आयोजित चयन परीक्षणों के आधार पर किया जाता है जिसमें ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे भी भाग लेते हैं।

(ख) से (च) 31.3.2005 तक, मंत्रालय ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्टेडियमों/खेल परिसंघों सहित खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल सहित राज्य सरकारों के खेलों को पूरा कर रही थी।

पिछले दो वर्षों के दौरान, स्टेडियमों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को प्रदान की गयी सहायता का ब्योरा निम्नलिखित है :–

परियोजना	स्थिति
जलपाईगुड़ी में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-3)	20.00 लाख रु० की कुल अनुमोदित धनराशि में से 2 लाख रु० 2003-2004 में अंतिम किस्त के रूप में जारी किए गए। परियोजना पूरी हो गयी है।
बोलापुर, जिला बीरभूम में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-1)	21.3.2005 को 42.00 लाख रु० जारी किए गए तथा परियोजना निर्माणाधीन है।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में टेलीफोन अदालतें

2619. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 में और आज तक उत्तरांचल के प्रत्येक जिले में विशेषकर हरिद्वार में कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले दर्ज हुए तथा कितने मामलों को निपटाया गया;

(ग) उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों का ब्योरा क्या है; और

(घ) राज्य में वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित होने वाली टेलीफोन अदालतों का जिले-वार ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ग) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2005-2006 की शेष अवधि के दौरान, बी०एस०एन०एल० के उत्तरांचल दूरसंचार सर्किल के प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्रों (एस०एस०ए०) में, दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो महीने में एक बार टेलीफोन अदालत लगाने की योजना है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान, अभी तक उत्तरांचल के प्रत्येक जिले, विशेष रूप से हरिद्वार में, आयोजित अदालतों का ब्योरा

एसएसए का नाम	01.04.2004 से 31.03.2005 तक				01.04.2005 से 04.08.2005 तक			
	अदालत लगाने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई राहत का ब्योरा (रु०)	अदालत लगाने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई राहत का ब्योरा (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अलमोड़ा	12.05.04	10	10	870	12.05.05	4	4	240
	16.12.04	5	4	189				
देहरादून	04.06.04	10	10	4368	31.05.05	5	5	—
	27.08.04	4	4	—				
	27.10.04	9	9	—				
	28.01.05	6	6	—				
	21.03.05	5	5	3326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरिद्वार	28.04.04	11	11	1670	26.04.05	5	5	75835
	04.08.04	9	9		28.06.04	4	4	—
	06.10.04	7	7					
	18.12.04	10	10					
	24.02.05	6	6					
नैनिताल	30.06.04	4	3	1160	26.05.05	7	7	248
	29.09.04	7	7	600	27.07.05	9	9	—
	24.12.04	8	8					
	10.03.05	13	13	17910				
श्रीनगर	14.05.04	22	19	80	28.05.05	17	17	3218
	08.09.04	17	17	1880	28.07.05	6	6	—
	23.12.04	5	5	2100				
	11.02.05	9	9	3300				
नई टिहरी कस्बा	12.05.04	19	19	32844	26.05.05	19	18	14899
	15.07.04	20	20	18307				
	15.09.04	33	33	70711				
	17.11.04	15	15	27869				
	19.01.05	24	24	18673				
	23.03.05	15	15	2143				

[हिन्दी]

खेल छात्रावासों का स्थान बदला जाना

2620. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने हरियाणा के खेल छात्रावासों को भिवानी से सोनीपत ले जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) भिवानी स्थित खेल छात्रावासों के उचित रखरखाव तथा पुनरुद्धार के लिए तथा छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों एवं कोचों को दी जा रही खानपान सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) ने भिवानी में राज्य सरकार द्वारा छात्रावास के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने तक खेल प्रशिक्षण केन्द्र (एस०टी०सी०) को भिवानी से सोनीपत में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित करने पर विचार किया है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण, सोनीपत के क्षेत्रीय कार्यालय से एक औचित्य रिपोर्ट मांगी गई है।

(ख) खेल प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अनुसार, खेल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु छात्रावास भवन और खेल-सुविधाएं जैसी आवश्यक

खेल अवस्थापनाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। भिवानी में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए छात्रावास के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण ने भिवानी में खेल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए वर्तमान भवन की मरम्मत करवाने अथवा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए यह मामला हरियाणा सरकार के साथ उठाया है।

पंचायत संचार केन्द्र

2621. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत संचार केन्द्रों के लिए प्रति सप्ताह 1500 रुपये तथा प्रतिमाह 6000 रुपये का व्यवसाय करना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों को कोई छूट दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इतना व्यवसाय करना संभव नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे पंचायत संचार केन्द्रों को बंद करने के लिए निदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों संबंधी व्यवसाय

2622. **डा० राजेश मिश्रा :**
श्री वे०एम० अरुन रशीद :
श्री पी०एस० गड्डी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने अर्ध-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत संचार निगम ने अब अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों संबंधी व्यवसाय में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या भारत संचार निगम ने इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) इस अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों संबंधी व्यवसाय शुरू करने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड एक्सेस डेफिसिट चार्ज (ए०डी०सी०) का हकदार होगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों संबंधी व्यवसाय के संबंध में कुल कितनी पूंजीगत तथा प्रचालनात्मक लागत आएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) बी०एस०एन०एल० एकमात्र सेवा प्रदाता है जिसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान किया है और लगातार कर रहा है। 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के 136.5 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को बी०एस०एन०एल० की बुनियादी फ़ोन सेवाओं द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। बी०एस०एन०एल० मोबाइल टेलीफोन सेवा (102 लाख ग्राहकों को) भी प्रदान कर रहा है जिसकी पूरे देशभर में व्यापक कवरेज है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। बी०एस०एन०एल० सितंबर, 2004 से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के व्यवसाय के हिस्से के रूप में :–

(i) बी०एस०एन०एल० ने भारत-श्रीलंका समुद्री केबल परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की है जिसे सभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के लिए ई०ओ०आई०, (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित किया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) ट्राई के मौजूदा आई०यू०सी० विनियम के अनुसार बी०एस०एन०एल० सहित बुनियादी सेवा प्रचालकों (बी०एस०ओ०) को वहनीय प्रशुल्क (जो लागत से कम होता है) पर स्थिर सेवाएं प्रदान करने के लिए ए०डी०सी० का भुगतान किया जाता है। संबंधित ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के व्यवसाय पर प्रत्याशित पूंजीगत व्यय लगभग 80 करोड़ रु० होगा।

विवरण

विभिन्न प्रकार की कॉलों के लिए लागू रु० प्रति मिनट में अभिगम घाटा प्रभार

अभिगम घाटा प्रभार	स्थानीय कॉल	इन्ट्रा सर्किल कॉल		इंटर सर्किल कॉल	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के कॉल	
		0-50 किमी	>50 किमी	सभी दूरियों के लिए	आउट गोइंग	इन कमिंग
स्थिर – स्थिर	0.00	0.00	0.30	0.30		
स्थिर – डब्ल्यूएलएल (मोबाइल)	0.30	0.30	0.30	0.30	2.50	3.25
स्थिर – सेल्युलर	0.30	0.30	0.30	0.30		
डब्ल्यूएलएल (मोबाइल) – स्थिर	0.30	0.30	0.30	0.30		
डब्ल्यूएलएल (मोबाइल) – डब्ल्यूएलएल	0.00	0.00	0.00	0.30	2.50	3.25
डब्ल्यूएलएल (मोबाइल) – सेल्युलर	0.00	0.00	0.00	0.30		
सेल्युर – स्थिर	0.30	0.30	0.30	0.30		
सेल्युर – डब्ल्यूएलएल (मोबाइल)	0.00	0.00	0.00	0.30	2.50	3.25
सेल्युर – सेल्युर	0.00	0.00	0.00	0.30		

– सेल्युलर मोबाइल/डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) से स्थिर लाइन में किए जाने वाली सभी इंट्रा-सर्किल कॉलों के लिए बी०एस०एन०एल० को अभिगम घाटा राशि का भुगतान किया जाना है।

– स्थिर से सेल्युलर मोबाइल/डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) में किए जाने वाले सभी इंट्रा सर्किल कॉलों के लिए जिस सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर कॉल आरंभ होता है उसके द्वारा अभिगम घाटा राशि रखी जानी है।

– स्थिर लाइन ने स्थिर लाइन में की जाने वाली इंट्रा सर्किल कॉलों के लिए जिस सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर कॉल आरंभ होता है उसे उसके द्वारा अभिगम घाटा राशि रखी जानी है (स्थानीय कॉलों और 10 से 50 कि०मी० के भीतर की जाने वाली कॉलों के लिए कोई अभिगम घाटा प्रभार वसूल नहीं किया जाता)। जिस स्थिर नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती हो उसके प्रचालक को अभिगम घाटा प्रभार की कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

– स्थिर लाइन से की जाने वाली आउटगोइंग इंटर सर्किल और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए जिस सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर कॉल आरंभ होता है उसके द्वारा अभिगम घाटा राशि रखी जानी है। जिस स्थिर नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती हो उसके प्रचालक को कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

– स्थिर लाइनों पर की जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा बी०एस०एन०एल० को अभिगम घाटा राशि का भुगतान किया जाना है (जहां लागू हो, सीधे या राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के माध्यम से) तथा समापन शुल्क उस नेटवर्क प्रचालक को दिया जाएगा जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती हो।

– सेल्युलर मोबाइल/डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) से स्थिर लाइन पर की जाने वाली सभी इंटर सर्किल कॉलों के संबंध में अभिगम घाटा राशि राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक द्वारा उस सेवा प्रदाता से एकत्र की जानी है जिसके नेटवर्क पर कॉल आरंभ हो रही हो और अभिगम घाटा प्रभार का भुगतान बी०एस०एन०एल० को और समापन प्रभार का भुगतान उस सेवा प्रदाता को किया जाना है जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती हो।

– सेल्युलर मोबाइल और डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) से सेल्युलर (मोबाइल)/डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) में की जाने वाली सभी इंटर सर्किल कॉलों के संबंध में अभिगम घाटा राशि राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक द्वारा उस सेवा प्रदाता से वसूल की जानी है जिसके नेटवर्क पर कॉल आरंभ हुई हो और इस राशि का भुगतान बी०एस०एन०एल० को किया जाना है।

– सेल्युलर मोबाइल से डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) में या डब्ल्यू०एल०एल० (मोबाइल) से सेल्युलर मोबाइल में की जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉलों के संबंध में अभिगम घाटा प्रभार की राशि अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक द्वारा एकत्रित करके बी०एस०एन०एल० को प्रदान की जानी है।

[हिन्दी]

कन्या भ्रूण हत्याओं के मामलों में वृद्धि

2623. **श्री हंसराज वी० अहीर :**
श्री के०एस० राव :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के एक अध्ययन में यह दर्शाया गया कि अत्यधिक कन्या भ्रूण हत्या के मामले हो रहे हैं जैसा कि 15 जुलाई, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के प्रभावी होने के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितने मामले सामने आए हैं; और

(ङ) सरकारी/निजी अस्पतालों में लिंग निर्धारण परीक्षणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत के क्रिश्चियन चिकित्सा संघ द्वारा 2000 तथा 2001 के अस्पताल संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए दिल्ली में किए गए अध्ययन से उन मामलों में जहां पहला तथा दूसरा शिशु कन्या है, जन्म के समय पुरुष लिंग अनुपात की तुलना में महिला लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई है। उन लोगों जिनके पहले से ही बालक शिशु हैं, के लिए दूसरे क्रम के जन्म के लिए, जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां) 959 था। तथापि, जब प्रथम शिशु कन्या है तो जन्म के समय लिंग अनुपात 542 पाया गया। इसी प्रकार, जब पहले दोनों शिशु कन्या हैं तो जन्म के समय लिंग अनुपात 219 पाया गया।

(ग) और (घ) सरकार गर्भधारण पूर्व तथा प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम 1994 का कार्यान्वयन करती आ रही है। उक्त अध्ययन ने सुझाव दिया है कि पी०एन०डी०टी० अधिनियम प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के प्रसार को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकता है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालयों में दर्ज शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकार गर्भधारण-पूर्व तथा प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 तथा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन करने के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर निर्देश देती आ रही है। उपयुक्त प्राधिकारी यह देखने के लिए क्लिनिकों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं कि अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित एक राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति भी समस्याग्रस्त राज्यों का फील्ड दौरा करके जमीनी सच्चाई का जायजा लेती है। दिल्ली जैसे राज्य ने पी०एन०डी०टी० अधिनियम के उल्लंघन के अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र समिति द्वारा चिकित्सा प्रतिष्ठानों की लेखा-परीक्षा शुरू कर दी है।

विवरण

पी०सी० एवं पी०एन०डी०टी० अधिनियम/नियमावली के विरुद्ध दर्ज चल रहे मामलों का ब्योरा

(31.07.05 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-पंजीकरण	अभिलेखों का रख-रखाव न होना	भ्रूण के लिंग की सूचना	प्रसवपूर्व/गर्भधारण पूर्व वैदानिक सुविधाओं के बारे में विज्ञापन	अधिनियम/ नियमावली के अन्य उल्लंघन	कुल मामले (कॉलम 3 से 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8	—	—	—	—	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	6	—	—	—	—	6
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	9	—	—	3	4	16
8.	हरियाणा	2	4	12	4	—	22
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	15	—	1	—	4	20
13.	केरल	—	—	—	—	—	—
14.	मध्य प्रदेश	1	—	—	4	—	5
15.	महाराष्ट्र	15	1	4	5	—	25
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	1	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	13	4	9	—	28	54
22.	राजस्थान	—	—	—	—	3	3
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	45	—	1	1	—	47
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तरांचल	—	1	—	1	—	2
27.	उत्तर प्रदेश	17	—	—	1	—	18
28.	पश्चिम बंगाल	10	—	—	—	—	10
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
31.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
32.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
33.	दिल्ली	69	—	—	6	—	75
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	कुल	211	10	27	25	39	312

खेल संबंधी बुनियादी संरचना के लिए केन्द्रीय सहायता

2624. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल संबंध बुनियादी संरचना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता बहाल करने का है या इस प्रयोजनार्थ राज्यों को उतनी ही धनराशि अलग से उपलब्ध करायी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं तथा ये कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं के लिए युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए नवीन पहलों में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की सेवाएं प्रदान की हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ज) क्या वर्तमान में ये सेवाएं प्राधिकरण द्वारा वापस ले ली गई हैं; और

(झ) यदि हां, तो ये सेवाएं कब तक पुन: प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और तद्नुसार, खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए वर्ष 2005-06 के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 28.2.2005 को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा नयी खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं पर विचार किया जाना है और उनको अपने संसाधनों में से वित्त पोषित किया जाना है। तथापि, योजना आयोग ने हाल ही में सूचित किया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत चल रहीं स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के विस्तार के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल के कुछ घटकों को पूरा किया गया है, जबकि अन्य घटक प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। आशा की जाती है कि सभी घटकों का निर्माण वर्ष 2006-07 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(च) से (झ) पूर्व में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्यों में और राज्य सरकारों के जिला स्तरीय स्थापनाओं में प्रशिक्षकों को नियुक्त किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार के संदर्भ में स्टाफ की कमी थी। वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने भी सिफारिश की थी कि चूंकि खेल राज्य का विषय है इसलिए जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में लगे भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों को वापस कर लिया जाए, व्यवहार में इसका कोई औचित्य नहीं था। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपेक्षित तैयारी की पृष्ठभूमि में, भारतीय खेल प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों की जरूरतों के बीच मूल असंगति और प्रशिक्षकों की उपलब्धता को तत्काल रूप से पता लगाना था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण की अपनाई गई रणनीति के तहत कोचों को जिला प्रशिक्षण केन्द्रों से राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों और भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण एककों में पुन: नियुक्त किया गया है। कुछ आवश्यकता से अधिक स्टाफ वाले राज्यों को छोड़ कर इस प्रकार से पुन: नियुक्ति की गई है कि राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षक पहले जितना रहें किंतु उनकी जवाबदेही अधिक हो।

[अनुवाद]

दसवीं योजना में गुजरात में निवेश

2625. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान गुजरात में और अधिक निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निवेश राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान गुजरात का कुल राज्य योजना संसाधन वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 37741.20 करोड़ रुपये प्रक्षेपित था तथा 33012.85 करोड़ रुपये वास्तविक प्राप्ति थी। इसमें से प्रक्षेपित केन्द्रीय सहायता 11510.53 करोड़ रुपये तथा वास्तविक प्राप्ति 8911.99 करोड़ रुपये थी जो प्राप्त योजना आवंटन का 27 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, दसवीं योजना में गुजरात का प्रक्षेपित राज्य योजना संसाधन वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 40007 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना के दौरान गुजरात की राज्य योजना के लिए प्रक्षेपित केन्द्रीय सहायता 13156.34 करोड़ रुपये है जो कि दसवीं योजना में राज्य के कुल योजना संसाधन का 32 प्रतिशत है। दसवीं योजना के दौरान गुजरात की राज्य योजना के लिए प्रक्षेपित केन्द्रीय सहायता नौवीं योजना की प्राप्ति से 4244.35 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है। राज्य योजना के लिए दी जा रही केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालय भी अपनी चालू स्कीमों के अंतर्गत राज्य में निवेश कर रहे हैं। तथापि, ये आवंटन विभिन्न स्कीमों के विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों से अभिशासित हैं तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय संबंधी प्रगति एवं उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार ही निधियां जारी की जाती है।

(ग) राज्य का वार्षिक योजना आकार, जो मूलत: राज्य के निजी संसाधनों और केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करता है, पर योजना आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा योजना अवधि के दौरान संसाधन उपलब्धता पर विस्तृत आकलन के पश्चात् सहमति है, अत: राज्य में अपेक्षा के अनुसार निवेश में वृद्धि ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नए विनियामक तंत्र की स्थापना

2626. श्री राजपति सांबासिवा राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नया विनियामक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग को विचार-विमर्श पत्र तैयार करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग ने ऐसे पत्र पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन०सी०एम०पी०) तथा प्रधानमंत्री के निदेशों के अनुसरण में, योजना आयोग विनियामक तंत्र में सुधार हेतु एक चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है जिससे कि प्रति-स्पर्धा आधार पर निवेश, विशेषकर निजी क्षेत्रों में, अधिक हो। प्रस्तावित पत्र पर मतैक्य की दृष्टि से इस पर पणधारियों एवं विशेषज्ञों से भी चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन

2627. **श्री प्रवेश पाठक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया था तथा उस समय उक्त श्रेणी के अधीन कितनी प्रतिशत जनसंख्या आ रही थी;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण के उपबंधों में कोई संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त श्रेणी की जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में आरक्षण वृद्धि के सम्बंध में कितने अनुरोध सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण में संबंधित अनुदेश क्रमश: 1947 और 1950 में जारी किए गए थे। 1951 की जनगणना के अनुसार, देश की जनसंख्या में उनका अनुपात क्रमश: 15.05% तथा 6.31% था।

(ख) से (घ) 2001 की जनगणना के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, सामान्यत: किसी स्थान अथवा क्षेत्र से उम्मीदवार आकर्षित करने वाले समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, आरक्षण की मात्रा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36017/1/2004-स्था०(आरक्षण) द्वारा संशोधित कर दी गई है।

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण, जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर दिए जाने के संबंध में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

(च) जैसा कि ऊपर भाग (ख) से (घ) के उत्तर में बताया गया है।

[अनुवाद]

समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट

2628. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसमें शामिल सुझावों/सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई-मेल टैलर्स सुविधा

2629. **श्री जोआकिम बखला** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई-मेल टेलर्स के वितरण सम्बन्धी सुविधा को देश के प्रमुख शहरों में डाकघरों के माध्यम से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा किन शहरों में शुरू किये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त सुविधा कोरियर तथा फोरेन मेल की तुलना में सस्ती होगी; और

(घ) यदि हां, तो देश के सभी छोटे तथा बड़े शहरों में ई-मेल टेलर्स सुविधा कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) इंटरनेट के माध्यम से सन्देशों को ई-पोस्ट के रूप में परिवर्तित करने की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ख) यह सुविधा 30 जनवरी, 2004 से 650 से अधिक ई-पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से देश के सभी डाकघरों में उपलब्ध है।

(ग) ई-पोस्ट के माध्यम से ए-4 आकार का सन्देश भेजने की दर 10/- रु० प्रति प्राप्तकर्ता है।

(घ) 30 जनवरी, 2004 से यह सुविधा छोटे और बड़े शहरों समेत देश के सभी डाकघरों में उपलब्ध है।

गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेल

2630. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय खेल 2005 गुवाहाटी में होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस स्पर्धा के लिए बजट कितना है तथा इसमें असम सरकार की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) क्या इस स्पर्धा के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के अलावा बुनियादी संरचनाओं का विकास केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 33वें राष्ट्रीय खेल जो 12 से 23 नवम्बर, 2005 को आयोजित किए जाने थे, वे खेल गांव सहित अवस्थापना पूरी न होने के कारण बाद में आयोजित किए जाएंगे।

(ख) असम सरकार ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तथा आयोजन के लिए 251.40 करोड़ रु० की अपेक्षित धनराशि का संकेत दिया है। राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रयोजन के लिए 54.68 करोड़ रु० जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) राज्य में खेल अवस्थापना का विकास करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार ने 3.91 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की थी तथा गुवाहाटी में राज्य स्तरीय खेल परिसर के लिए 11.00 लाख रु० का अग्रिम अनुदान जारी किया था जहां राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, अवस्थापना विकास के लिए 139.45 करोड़ रु० की अनुमानित लागत में से, भारत सरकार ने डी०ओ०एन०ई०आर० तथा योजना आयोग के जरिए 119.11 करोड़ रु० जारी किए हैं। इसके अलावा, आयोजन तथा उपस्करों की खरीद के लिए असम सरकार को 5.00 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए हैं।

दूरसंचार/सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का आधुनिकीकरण/विस्तार

2631. **डा० अरुण कुमार शर्मा** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंटरनेट, मोबाइल तथा डब्ल्यू०एल०एल० कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए अब तक जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित तथा हासिल किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : इस समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थिर फोनों, डब्ल्यू०एल०एल० फोनों, सेल्यूलर मोबाइल और इंटरनेट से संबंधित अब तक के लक्ष्यों और उपलब्धियों का जिलावार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए बी०एस०एन०एल० ने उक्त योजना के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ कई उपाय किए हैं जिनमें निम्न बातें शामिल हैं :–

(i) सभी इलेक्ट्रोमैकनिकल तथा एनालॉग एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम पर जुड़े डिजीटल एक्सचेंजों में बदलना।

(ii) दोष संभावित पेपर कोर केबल को जेली पूरित केबल से बदलने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, बाह्य संयंत्र को खंभा सहित कनेक्टिविटी में बदलने हेतु एक परियोजना प्रगति पर है।

(iii) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रौद्योगिकी की योजना बनाई गई है तथा कार्य तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य तेजी से और कम लागत पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(iv) उपभोक्ताओं को मूल्य वर्द्धित विशेषताओं सहित जी०एस०एम० आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(v) व्यापक बैंडविड्थ तथा विश्वसनीय दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए स्थानीय एवं लंबी दूरी के नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई गई है।

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में मै० रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मै० भारती हेक्साकॉम लि०, मै० डिशनेट वायरलैस लिमिटेड तथा मै० हचिसन एस्सार लि० मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाले निजी प्रचालक हैं।

इसके परिणामस्वरूप 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 925628 (स्थिर+डब्ल्यू०एल०एल०) तथा 493483 सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन हैं।

इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन०आई०सी०) उत्तरदायी है। पूर्वोत्तर राज्यों में एन०आई०सी० द्वारा प्रदान किए गए वी सैट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी०सी०) सुविधा की संस्थापना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इंटरनेट अभिगम, बुनियादी कम्प्यूटर में प्रशिक्षण, मुद्रण, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डी०टी०पी०) इत्यादि जैसी विभिन्न सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए अवसंरचना का उपयोग करने में नागरिकों को सक्षम करने के लिए तथा ब्लॉक स्तर तक नागरिक केन्द्रित ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच में विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्रों की भी स्थापना की है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिर लाइन, डब्ल्यू०एल०एल०, सी०एम०टी०एस० तथा इंटरनेट के लक्ष्य और उपलब्धियों का दूरसंचार जिलेवार ब्योरा

क्रम सं०	सर्किल	एस०एस०ए०/ दूरसंचार जिले का नाम	स्थिर लाइन		डब्ल्यू०एल०एल०		सी०एम०टी०एस०		इंटरनेट	
			लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	डिब्रूगढ़	9000	8643	—	—	—	—	—	830
2.		जोरहाट	10000	7899	400	458	—	—	—	1006
3.		नागांव	8000	6230	800	1493	—	—	—	164
4.		तेजपुर	8000	6462	1700	1500	—	—	—	782
5.		बोगाईगांव	10000	6606	1800	1670	—	—	—	1167
6.		कामरूप	15000	14328	—	1004	—	—	—	243
7.		सिल्चर	10000	8096	300	361	—	—	—	535
8.	पूर्वोत्तर-I	मेघालय	6500	6391	800*	823	—	—	—	648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.		मिजोरम	5800	4651		1219	—	—	—	233
10.		त्रिपुरा	9200	7192		637	—	—	—	438
11.	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश	4600	5474	—	—	—	—	100	496
12.		मणिपुर	5200	7023	300	251	—	—	100	492
13.		नागालैंड	5200	4634	300	337	—	—	100	554
14.	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	1200	3055	300	370	6000	6170	60	63

वर्ष 2003-04 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिर लाइन, डब्ल्यू०एल०एल०, सी०एम०टी०एस० तथा इंटरनेट के लक्ष्य और उपलब्धियों का दूरसंचार जिलेवार ब्योरा

क्रम सं०	सर्किल	एस०एस०ए०/ दूरसंचार जिले का नाम	स्थिर लाइन		डब्ल्यू०एल०एल०		सी०एम०टी०एस०		इंटरनेट	
			लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य*	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि
1.	असम	डिब्रूगढ़	4000	3855	15000	251	38000	2996	—	628
2.		जोरहाट	4000	4310		465		3320	—	384
3.		नागांव	4000	4416		716		3643	—	214
4.		तेजपुर	4000	4362		471		1000	—	410
5.		बोगाईगांव	4000	3316		1190		4166	—	331
6.		कामरूप	5000	-3921		645		7738	—	814
7.		सिल्चर	5000	1457		2027		3348	—	421
8.	पूर्वोत्तर-I	मेघालय	4500	4100	2000	2821	50000	6030	—	437
9.		मिजोरम	4100	2617	2000	1271		2410	—	343
10.		त्रिपुरा	4400	2601	2500	671		3720	—	505
11.	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश	3000	3681	1000	676		1132	400	521
12.		मणिपुर	4500	5610	3000	3051		2752	400	407
13.		नागालैंड	3000	2317	3000	3079		4220	400	417
14.	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	1300	2500	1200	220	7500	7884	400	414

*सी०एम०टी०एस० के मामले में पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II के लिए निर्धारित लक्ष्य संयुक्त रूप में है।

वर्ष 2004-05 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिर लाइन, डब्ल्यू०एल०एल०, सी०एम०टी०एस० तथा इंटरनेट के लक्ष्य और उपलब्धियों का दूरसंचार जिलेवार ब्योरा

क्रम सं०	सर्किल	एस०एस०ए०/ दूरसंचार जिले का नाम	स्थिर लाइन		डब्ल्यू०एल०एल०		सी०एम०टी०एस०		इंटरनेट	
			लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य*	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि
1.	असम	डिब्रूगढ़	2000	2369	2500	2161	168600	15164	–	231
2.		जोरहाट	2500	1539	3000	3347		17318	–	1026
3.		नागांव	3000	2521	2000	1565		11266	–	180
4.		तेजपुर	2500	3809	2000	1726		14462	–	726
5.		कोकराझार	5500	1858	2500	2302		10708	–	272
6.		कामरूप	2500	883	2000	1459		49311	–	1057
7.		सिल्चर	2000	1310	1000	848		7516	–	144
8.	पूर्वोत्तर-I	मेघालय	1920	2581	17500	1686	93300	13835	–	212
9.		मिजोरम	1560	1123		252		10963	–	753
10.		त्रिपुरा	2520	4218		1461		13198	–	786
11.	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश	2000	2218	3750	3241		10189	1250	585
12.		मणिपुर	2800	3010	5250	1167		13028	1750	2198
13.		नागालैंड	3200	198	6000	881		13926	2000	2277
14.	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	100	103	2500	396	10000	10044	500	516

*सी०एम०टी०एस० के मामले में पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II के लिए निर्धारित लक्ष्य संयुक्त रूप में है।

वर्ष 2005-06 (30.06.2005) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिर लाइन, डब्ल्यू०एल०एल०, सी०एम०टी०एस० तथा इंटरनेट के लक्ष्य और उपलब्धियों का दूरसंचार जिलेवार ब्योरा

क्रम सं०	सर्किल	एस०एस०ए०/ दूरसंचार जिले का नाम	स्थिर लाइन		डब्ल्यू०एल०एल०		सी०एम०टी०एस०		इंटरनेट	
			लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि	लक्ष्य	निवल उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	डिब्रूगढ़	3000	512	5000	929	430000	1856	11017	119
2.		जोरहाट	3000	711	4000	829		3482		516
3.		नागांव	3000	627	5000	2016		4040		69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.		तेजपुर	3000	564	4000	941		2643		254
5.		बोगाईगांव	3000	637	4000	1245		4738		254
6.		कामरूप	2000	-6392	2000	590		4117		—
7.		सिल्चर	3000	-518	4000	348		3659		—
8.	पूर्वोत्तर-I	मेघालय	1000	-38	4000	177	150000	1100	5749	1751
9.		मिजोरम	1500	31	2000	84		1991		—
10.		त्रिपुरा	2500	-184	2000	628		2055		—
11.	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश	1750	585	2500	544	150000	6586	6330	242
12.		मणिपुर	2450	-1619	3500	39		5406		845
13.		नागालैंड	2800	444	4000	-2		6612		581
14.	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	4650	320	6000	0	26000	10311	500	249

विवरण-II

एन०आई०सी० द्वारा वी०एस०ए०टी० और वीडियो कन्फरेंसिंग/सुविधा

राज्य	राज्य की राजधानी	जिला	इंटरनेट ऐक्सेस के लिए वीएसएटी की स्थिति	क्या वीडियो कॉनफ्रेंसिंग संस्थापित है (हां/नहीं)
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	ईटा नगर		हां	हां
		छंगलांग	हां	नहीं
		दिबांग वैली	हां	नहीं
		ईस्ट ला, ईंग	हां	नहीं
		ईस्ट सियांग	हां	नहीं
		कुसंग कुमे	हां	नहीं
		लोहित	हां	नहीं
		लोअर सुबंसिरि	हां	नहीं
		पापुच पारे	हां	नहीं
		तवांग	हां	नहीं
		तिरप	हां	नहीं
		अपर सियांग	हां	नहीं
		अपर	हां	नहीं
		सुबंसिरि	हां	नहीं
		वेस्ट कामेंग	हां	नहीं
		वेस्ट सियांग		नहीं
असम	गुवाहटी		हां	नहीं
		बार पेटा	हां	नहीं
		बांगईगांव	हां	नहीं
		कछार	हां	नहीं

1	2	3	4	5
		दारंग	हां	नहीं
		धीमाजी	हां	नहीं
		धुबरी	हां	नहीं
		डिब्रूगढ़	हां	नहीं
		ग्वालपाड़ा	हां	नहीं
		गोलाघाट	हां	नहीं
		हैलाकांडी	हां	नहीं
		जोरहाट	हां	नहीं
		कामरूप	हां	नहीं
		कचीअंगलांग	हां	नहीं
		करीमगंज	हां	नहीं
		कोकराझार	हां	नहीं
		लखीमपुर	हां	नहीं
		मारीगांव	हां	नहीं
		एनसी हिल्स	हां	नहीं
		नागांव	हां	नहीं
		नालबाड़ी	हां	नहीं
		शिव सागर	हां	नहीं
		सोनितपुर	हां	नहीं
		तिनसुकिया	हां	नहीं
मणिपुर	इम्फाल		हां	हां
		बिष्णुपुर	हां	नहीं
		चन्देल	हां	नहीं
		चूराचंदपुर	हां	नहीं
		इम्फाल ईस्ट	हां	नहीं
		जिला	हां	नहीं
		इम्फाल वेस्ट जिला	हां	नहीं
		सेनापति	हां	नहीं
		तमेंगलांग	हां	नहीं
		थाउबल	हां	नहीं
		उखरूल	हां	नहीं
मेघालय	शिलांग		हां	हां
		ईस्ट गारो हिल्स	हां	नहीं
		ईस्ट खासी हिल्स	हां	नहीं
		जयंतिया हिल्स	हां	नहीं
		रिभोई जिला	हां	नहीं
		साउथ गारो हिल्स	हां	नहीं
		वेस्ट गारो हिल्स	हां	नहीं
		वेस्ट खासी हिल्स	हां	नहीं
मिजोरम	ऐजवाल		हां	हां
		ऐजवाल	हां	नहीं
		चम्फई	हां	नहीं
		किम्तुई पुई	हां	नहीं
		कोलासिब	हां	नहीं
		लांगतलाई	हां	नहीं
		लुंगलेई	हां	नहीं
		मामिट	हां	नहीं
		सइहा	हां	नहीं
नागालैण्ड	कोहिमा		हां	हां
		दीमापुर	हां	हां
		कोहिमा	हां	हां
		मोकोकचुंग	हां	हां
		मान	हां	हां
		फेक	हां	हां

1	2	3	4	5
		तुएनसांग	हां	हां
		वोखा	हां	हां
		जुनहेबोटो	हां	हां
सिक्किम	गंगटोक		हां	हां
		ईस्ट जिला	हां	नहीं
		नार्थ जिला	हां	नहीं
		साउथ जिला	हां	नहीं
		वेस्ट जिला	हां	नहीं
त्रिपुरा	अगरतल्ला		हां	हां
		धुलाई	हां	हां
		नार्थ त्रिपुरा	हां	हां
		साउथ त्रिपुरा	हां	हां
		वेस्ट त्रिपुरा	हां	हां

सूचना प्रौद्योगिकी/चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि

2632. श्री तापिर गाव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीमेडीसिन, चिकित्सा महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा राज्य प्रयोगशालाओं के विकास के लिए धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सूचना, एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाना

2633. श्री सीताराम सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० की लैंडलाइन और मोबाइल फोन के अलग-अलग कुल कितने फोन उपभोक्ता हैं; और

(ख) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार बी०एस०एन०एल० के टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

(लाख में)

	लैंडलाइन	डब्ल्यूएलएल	मोबाइल	कुल
बीएसएनएल	355.47	16.94	102.51	474.92
एमटीएनएल	39.02	2.40	11.13	52.55

(ख) बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० ने दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणालियों को शुरू करना।

(ii) अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों और लंबी दूरी प्रभारण केन्द्रों पर इंटरऐक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम (आई०वी०आर०एस०) आधारित केन्द्रीकृत दोष बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iii) केबल लंबाई कम करने के लिए अधिक संख्या में आर०एस०यू०/डी०एल०सी० का उपयोग शुरू करना ताकि केबल के कारण दोष दर में कमी लाई जा सके।

(iv) आउटडोर नेटवर्क के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए खंभा रहित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के साथ-साथ बाह्य संयंत्रों को उन्नत बनाना।

(v) सी-डॉट-256 को ए०एन०आर०ए०एक्स० में और एस०वी०एम० को आर०एस०यू० में बदलना।

(vi) जहां कहीं भी आवश्यक हो, मोबाइल स्विचन क्षमता में वृद्धि करना।

(vii) 15 मिलियन लाइनों के जी०एस०एम० नेटवर्क का विस्तार करना ताकि कवरेज में और विस्तार किया जा सके और मांग पर कनेक्शन प्रदान किया जा सके।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए डब्ल्यू०एल०एल० नेटवर्क का बड़े पैमाने पर उपयोग।

(ix) अत्यधिक आकर्षक प्रशुल्कों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना।

राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग

2634. श्री वी०के० थुम्मर :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इससे सरकार को क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पत्तनों, वाणिज्य-पोत-परिवहन और अन्तर्देशीय जल-परिवहन से युक्त समुद्री क्षेत्र के बारे में नीति के प्रारूप में, महापत्तनों से जुड़े जलमार्गों से आरम्भ करके, पत्तन-जलमार्गों को चरणबद्ध रूप से, राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों के रूप में घोषित किया जाना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धन जुटाए जाने के माध्यम से उन्हें विकसित किया जाना और उनका रख-रखाव किया जाना परिकल्पित है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग घोषित किए गए जाने का ध्येय, जलयानों के बढ़ रहे आकारों के कारण उत्पन्न हुई अपेक्षाकृत अधिक गहरे डुबाव की मांग से ताल-मेल रखने की दृष्टि से, समन्वित ढंग से, पत्तन-जलमार्गों के विकसित किया जाना और उनका रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करना है। पत्तन-जलमार्गों के ऐसे समन्वित विकास से, सामान्यत:, मुख्य जलमार्ग के जलयानों के भारतीय पत्तनों पर अपने और विशेषत:, भारतीय मूल के कंटेनर जहाज़ीमाल के विदेशी पत्तनों में यानान्तरण की आवश्यकता नहीं रहने की उम्मीद है और इस प्रकार, इससे, भारतीय व्यापार की कारोबारी लागत घट जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सिम कार्डों की कमी

2635. श्री अरूप चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर पश्चिम बंगाल के बसीरहाट के उपमंडल में जी०एस०एन०एल० सिम कार्डों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची वाले लोगों को कब तक सिम कार्ड दे दिए जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है। तथापि, बसीरहाट में सीमित रेडियो क्षमता के कारण आगे और कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) अंतरीम उपाय के रूप में, बसीरहाट में जून, 2005 में मोबाइल क्षमता को 4200 से बढ़ाकर 5200 कर दिया गया था तथा क्षमता को 10,000 तक और बढ़ाने के लिए विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। दिसम्बर, 2005 से मांग पर कनेक्शन उपलब्ध होने की संभावना है।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

2636. श्री राकेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के पास केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आवंटित करने के कोई निश्चित मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2004 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को विशेषत: मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) के अंतर्गत, ग्रामीण सड़कों को छोड़कर, राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्धारित धनराशि का 60% राज्य में ईंधन खपत और 40% राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वितरित की जाती है।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि वित्त वर्ष-वार होती है न कि कलेंडर वर्ष-वार। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यीय सड़कों (पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के विकास के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों को प्रदान की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	74.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.25
3.	असम	13.57
4.	बिहार	21.91
5.	छत्तीसगढ़	20.28
6.	गोवा	4.02
7.	गुजरात	55.21
8.	हरियाणा	32.09
9.	हिमाचल प्रदेश	9.75
10.	जम्मू और कश्मीर	27.43
11.	झारखंड	17.44
12.	कर्नाटक	52.76
13.	केरल	25.20
14.	मध्य प्रदेश	52.01
15.	महाराष्ट्र	91.60
16.	मणिपुर	3.06
17.	मेघालय	3.96
18.	मिजोरम	2.55
19.	नागालैंड	2.13
20.	उड़ीसा	27.27
21.	पंजाब	37.36
22.	राजस्थान	67.87
23.	सिक्किम	1.06
24.	तमिलनाडु	57.98
25.	त्रिपुरा	1.74
26.	उत्तरांचल	10.13
27.	उत्तर प्रदेश	80.61
28.	पश्चिम बंगाल	32.59
29.	अंडमान और निकोबार	1.69
30.	चंडीगढ़	2.04
31.	दादरा और नगर हवेली	0.99
32.	दमन और दीव	0.70
33.	दिल्ली	24.98
34.	लक्षद्वीप	0.05
35.	पांडिचेरी	2.02

[अनुवाद]

डाकघर खोलना

2637. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश भर में क्षेत्र-वार और जनसंख्या-वार डाकघरों की औसत, संख्या कितनी है;

(ख) देश के ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में नये डाकघरों को खोलने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड/मानक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए सभी डाकघरों को राजसहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितने डाकघर खोले गए और सरकार द्वारा उन्हें कितनी राजसहायता प्रदान की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) प्रति डाकघर सेवित औसत क्षेत्र और जनसंख्या का सर्किलवार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां। विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान 56 डाकघर खोले गए थे। चूंकि ये डाकघर पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले गए थे इसलिए इनको योजना के अंतर्गत कोई मदद नहीं दी गई। 1.81 करोड़ रु० तक की योजना सहायता केवल दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में खोले गए 2371 पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के लिए प्रदान की गई थी। हालांकि, गैर-योजना के अंतर्गत विभाग प्रत्येक डाकघर के राजस्व और व्यय के बीच अंतर की भरपाई करता आ रहा है, भले ही यह राशि घाटे की अनुमेय सीमा से परे ही क्यों न हो। इस मदद का राज्यवार ब्योरा अलग से नहीं रखा जाता।

विवरण-I

31.3.2004 स्थिति के अनुसार सर्किलवार प्रति डाकघर सेवित औसत क्षेत्र एवं जनसंख्या

क्रम सं०	सर्किल	डाकघरों की कुल संख्या	प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)	प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16197	16.98	4676
2.	असम	4008	19.56	6647
3.	बिहार	9055	11.07	9153
4.	छत्तीसगढ़	5830	23.21	3568
5.	दिल्ली	580	2.41	23759
6.	गुजरात	8967	21.86	5626
	दमन और दीव	19	8.60	8421
	दादरा और नगर हवेली	38	12.92	5789
7.	हरियाणा	2649	16.69	7958
8.	हिमाचल प्रदेश	2780	20.04	2187
9.	जम्मू व कश्मीर	1687	131.71	5969
10.	झारखण्ड	3049	24.20	8826
11.	कर्नाटक	9909	19.37	5319
12.	केरल	5065	7.70	6286
	लक्षद्वीप	10	3.20	6000
	माहे	4	2.18	35119
13.	मध्य प्रदेश	5665	54.40	10660
14.	महाराष्ट्र	12721	24.20	7608
	गोवा	259	14.29	5174
15.	उत्तर पूर्व			
	अरुणाचल प्रदेश	306	272.64	3550
	मणिपुर	698	31.86	3414
	मेघालय	493	45.44	4686
	मिजोरम	404	52.36	2208
	नागालैंड	328	50.62	6105
	त्रिपुरा	716	14.53	4455
16.	उड़ीसा	8175	19.08	4491
17.	पंजाब	3907	12.90	6217

1	2	3	4	5
	चंडीगढ़	50	2.28	18000
18.	राजस्थान	10453	32.74	5402
19.	तमिलनाडु	12101	10.74	5133
	पाण्डिचेरी	95	5.26	10211
20.	उत्तर प्रदेश	17666	13.07	9399
21.	उत्तरांचल	2722	23.33	3115
22.	पश्चिम बंगाल	8752	10.13	9166
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	101	70.30	5347
	सिक्किम	210	39.05	1714
	कुल	155669	21.11	6592

विवरण-II

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड :

1.1 जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा इन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33⅓ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/-रु० तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/-रु० है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि०मी० होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि०मी० होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि०मी० से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा की परिभाषा

2638. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोटी, कपड़ा और मकान को कोई महत्व दिये बिना ही गरीबी रेखा को केलोरीज के हिसाब से परिभाषित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गरीबी रेखा की परिभाषा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) इस बारे में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं; और

(ङ) सरकार को इससे क्या लाभ होंगे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के निर्धारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गरीबी रेखाओं को प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के अर्थ में परिभाषित किया गया है जिनमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, परिवहन, आवास, आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति उपयोग मानक 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी के प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानक पर वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट के समनुरूप हैं। राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएं 'गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान' संबंधी विशेषज्ञ दल (लाकड़ावाला समिति) की पद्धति में वर्ष 1997 में की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों और अन्तर-राज्यीय मूल्य विभेदकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा वालों द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट से प्राप्त की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के निर्धारण के लिए निर्धारित प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय सीमाओं को राज्य विशिष्ट जीवन लागत सूचकांकों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी क्षेत्रों के संबंध में औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। 1999-2000 के मूल्यों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है।

(ख) गरीबी रेखा की परिभाषा की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक महाविद्यालय

2639. **श्री कमला प्रसाद रावत :**
श्री रामदास आठवले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्य-वार कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक महाविद्यालय हैं; और

(ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लापाका लक्ष्मी) : (क) राज्यवार/पद्धतिवार सूचनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 13क के अनुसार 41 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों तथा 5 नए यूनानी महाविद्यालयों के प्रस्ताव केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् को अग्रेषित किए गए हैं तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 12क के अनुसार 8 नए होम्योपैथिक महाविद्यालयों के प्रस्ताव केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को अग्रेषित किए

गए हैं। अग्रेषण का उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण कराना तथा अनुज्ञा प्रदान की अनुशंसा कराना है।

विवरण

*भारत में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कॉलेजों की राज्यवार संख्या**

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथी	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	2	4	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1
3.	असम	1	0	3	4
4.	बिहार	11	4	14	29
5.	छत्तीसगढ़	2	1	3	6
6.	दिल्ली	1	2	2	5
7.	गोवा	1	0	1	2
8.	गुजरात	10	0	15	25
9.	हरियाणा	6	0	1	7
10.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	2
11.	जम्मू व कश्मीर	1	2	0	3
12.	झारखंड	1	0	2	3
13.	कर्नाटक	50	5	10	65
14.	केरल	12	0	5	17
15.	मध्य प्रदेश	14	4	19	37
16.	महाराष्ट्र	56	5	47	108
17.	उड़ीसा	6	0	6	12
18.	पंजाब	11	0	5	16
19.	राजस्थान	6	2	7	15
20.	तमिलनाडु	6	1	10	17
21.	उत्तरांचल	3	0	1	4
22.	उत्तर प्रदेश	14	9	9	32
23.	पश्चिम बंगाल	3	1	13	17
24.	चंडीगढ़	1	0	1	2
	योग	221	38	180	439

*सी०सी०आई०एम० और सी०सी०एच० से प्राप्त सूचना पर आधारित।

नए जलमार्ग

2640. श्रीमती रुपताई डी० पाटील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ नये जलमार्ग आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनकी आवश्यकता, इनकी चयन की प्रक्रिया का ब्योरा क्या है तथा इन पर कितना खर्चा आयेगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए जलमार्गों का विवरण, निम्नानुसार है :–

(i) गोदावरी और कृष्णा-नदियों के साथ-साथ, काकीनाड़ा-पांडिचेरी-नहर (1095 किलोमीटर)

(ii) ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के साथ-साथ पूर्वी तट नहर (623 किलोमीटर)

(iii) बराक नदी (140 किलोमीटर)

(ग) राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने हेतु नए जलमार्गों का चयन, प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता और जलमार्गों की महसूस की गई और मालूम हुई क्षमता के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त तीन नए जलमार्गों को विकसित किए जाने की प्रारम्भिक अनुमानित लागत, क्रमशः 542 करोड़ रुपए, 1526 करोड़ रुपए और 46 करोड़ रुपए है।

एड्स समस्या

2641. श्री रामदास अठावले :
श्री बसवंत सिंह बिरनोई :
श्री दुर्ग्वंत सिंह :
श्री गुरुदास कामत :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार एड्स/एच०आई०वी० की बढ़ती घटनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स की वजह से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने एड्स/एच०आई०वी० की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों को उच्च जोखिम वाला राज्य और कम जोखिम वाला राज्य के रूप में वर्गीकृत कर रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रदान की गई/जारी की गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(च) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता अथवा सहायता अनुदान के उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एड्स मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ज) यदि हां, तो वित्तीय सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(झ) क्या सरकार इस भयंकर बीमारी पर काबू पाने में सफल हो गई है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित एड्स रोगियों की कुल राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्योरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एड्स से मरने वाले रोगियों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
2002	1247
2003	1541
2004	1324

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने विभिन्न राज्यों को इन राज्यों में जनसंख्या के विभिन्न जोखिम समूहों में एच०आई०वी० व्यापकता स्तरों के आधार पर उच्च और मध्यम व्यापकता वाले राज्यों तथा अत्यधिक संवेदनशील और संवेदनशील राज्यों में वर्गीकृत किया है। राज्यों की वर्गीकरणवार सूची दर्शानेवाला ब्योरा विवरण-II में संलग्न है।

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को जारी की गई निधियां इस प्रकार है :–

विश्व बैंक द्वारा सहायताप्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II

वर्ष	रुपये करोड़ में
2002-03	164.62
2003-04	157.77
2004-05	248.37
2005-06 (अब तक)	98.50

डी०एफ०आई०डी० द्वारा सहायताप्राप्त पी०एस०एच० परियोजना

वर्ष	रुपये करोड़ में
2002-03	25.00
2003-04	25.75
2004-05	41.00
2005-06 (अब तक)	39.00

सी०आई०डी०ए० द्वारा सहायताप्राप्त आई०सी०एच०ए०पी० परियोजना

वर्ष	रुपये करोड़ में
1	2
2002-03	0.50

1	2
2003-04	1.50
2004-05	2.00
2005-06 (अब तक)	—

(च) जी, हां। एड्स निवारण तथा नियंत्रण चरण-II के लिए केन्द्रीय सहायता अथवा सहायता अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश इस योजना में दिए गए हैं।

(छ) और (ज) जी, नहीं। एड्स रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(झ) और (ञ) जी, हां। एच०आई०वी०/एड्स नियंत्रित करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की उपलब्धियों को दर्शानेवाला ब्योरा विवरण-III में संलग्न है।

विवरण-I

भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित)

(30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12349
2.	असम	225
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	33
5.	बिहार	155
6.	छत्तीसगढ़	0
7.	चंडीगढ़	1217
8.	दिल्ली	950
9.	दमन और दीव	1
10.	दादरा और नगर हवेली	0
11.	गोवा	566
12.	गुजरात	6191
13.	हरियाणा	469
14.	हिमाचल प्रदेश	247
15.	झारखण्ड	0
16.	जम्मू व कश्मीर	2
17.	कर्नाटक	2896
18.	केरल	1769
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	1396
21.	महाराष्ट्र	20970
22.	उड़ीसा	128
23.	नागालैंड	736
24.	मणिपुर	2866
25.	मिजोरम	106
26.	मेघालय	8
27.	पांडिचेरी	302
28.	पंजाब	292
29.	राजस्थान	1153
30.	सिक्किम	8
31.	तमिलनाडु	52036
32.	त्रिपुरा	5
33.	उत्तरांचल	0
34.	उत्तर प्रदेश	1383
35.	पश्चिम बंगाल	2397
	कोड़	110856

विवरण-II

एच०आई०वी० महामारी के विभिन्न चरणों में राज्यों की सूची : 2004

उच्च व्यापता वाले राज्य	मध्यम व्यापता वाले राज्य	अति संवेदनशील राज्य	संवेदनशील वाले राज्य
1. तमिलनाडु	1. गोवा	1. असम	1. अरुणाचल प्रदेश
2. महाराष्ट्र	2. गुजरात	2. बिहार	2. हरियाणा
3. कर्नाटक	3. पांडिचेरी	3. दिल्ली	3. जम्मू और कश्मीर
4. आंध्र प्रदेश		4. हिमाचल प्रदेश	4. मेघालय
5. मणिपुर		5. केरल	5. मिजोरम
6. नागालैंड		6. मध्य प्रदेश	6. सिक्किम
		7. पंजाब	7. त्रिपुरा
		8. राजस्थान	8. अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह
		9. उत्तर प्रदेश	9. चंडीगढ़
		10. पश्चिम बंगाल	10. दादरा और नगर हवेली
		11. छत्तीसगढ़	11. दमण और दीव
		12. झारखंड	12. लक्षद्वीप
		13. उड़ीसा	
		14. उत्तरांचल	

– संवेदनशीलता का सूचक : प्रवजन की सीमा, जनसंख्या का आकार तथा कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना।

विवरण-III

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियां

– महामारी के और आगे फैलाव की रोकथाम करने तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रक्त नीति कार्यरत हैं।

– कार्यक्रम कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां स्वायत्तशासी निकाय के रूप में गठित की गई हैं।

– शीघ्र निदान तथा यौन संचारित रोगों का उपचार सुनिश्चित करने के लिए 735 यौन संचारित रोग क्लिनिकों को आवश्यक उपभोज्य सामग्रियां तथा औषधें प्रदान कर सहायता दी जाती है।

– जांच-पूर्व तथा जांच पश्चात् परामर्श के साथ स्वैच्छिक एच०आई०वी० जांच के लिए लोगों तक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए 804 स्वैच्छिक परामर्श जांच केन्द्र पहले से ही अस्तित्व में हैं।

– सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में 25 केन्द्रों में निःशुल्क एंटी-रिट्रोवाइरल थिरेपी प्रदान की जा रही है।

– उच्च जोखिम वाली जनसंख्या में एच०आई०वी० के फैलाव की रोकथाम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 965 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

– एच०आई०वी० संक्रमित माताओं से उनके बच्चों में संचरण के निवारक कार्यकलाप के लिए 307 पी०पी०टी०सी०टी० केन्द्र सेवाओं का पैकेज प्रदान कर रहे हैं।

– रक्त तथा रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कार्यात्मक रक्त बैंक की व्यवस्था। इस समय इस कार्यक्रम के तहत 1020 रक्त बैंकों की सहायता की जाती है।

– देश में एच०आई०वी० महामारी की प्रगति का पता लगाने के लिए अभिज्ञात क्लिनिकों में 670 प्रहरी स्थलों की स्थापना की गई तथा लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं शुरू की गई।

– स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 64,453 स्कूलों की कवरेज।

– एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए "समय-समय पर होने वाले संक्रमणों" के उपचार के लिए देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

डाक्टरों हेतु इम्प्रूव्ड पैकेज

2642. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में मनोचिकित्सक और कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है;

(ख) देश के चिकित्सा संस्थानों में संस्थान-वार कितने मनोचिकित्सक हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी संस्थानों को छोड़कर गए डाक्टरों की संख्या और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थानों से डाक्टरों के निष्क्रमण को रोकने के उद्देश्य से उन्हें एक इम्प्रूव्ड पैकेज देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार सरकारी सेवा में कार्यरत डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गए अथवा किये जाने वाले उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में 300 से अधिक अर्हता प्राप्त मनोरोग विशेषज्ञ, 500 क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, 300 मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता और मनोरोग से जुड़ी लगभग 600 प्रशिक्षित नर्सें हैं। मई, 2002 में कराए गए मानसिक स्वास्थ्य संसाधन सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लगभग प्रति 4,50,000 की आबादी पर । मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध है।

(ख) और (ग) देश के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध मनोरोग विशेषज्ञों की संख्या और विभिन्न सरकारी संस्थानों को छोड़ चुके डाक्टरों की संख्या का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के संस्थानों के 11 मनोरोग विशेषज्ञों ने विदेश में विशेषज्ञों को उपलब्ध सुविधाओं, भावी परिदृश्य में सुधार, व्यावसायिक, शैक्षिक और वित्तीय दृष्टि के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान त्यागपत्र दे दिया है।

(घ) से (ज) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के वेतन और भत्तों तथा प्रैक्टिसबंदी भत्ता में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पर्याप्त वृद्धि की गई है। सरकारी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष 1998 में 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष कर दी गई थी।

[हिन्दी]

चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु समिति

2643. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के तरीकों का सुझाव देने के लिए श्री शंकर राय की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है और सरकार को यह रिपोर्ट किस तिथि को प्राप्त हुई थी; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने चिकित्सा से संबद्ध समस्याओं

का समाधान करने के तरीके सुझाने हेतु श्री शंकर राय की अध्यक्षता में कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेल अवसंरचना के सृजन हेतु धनराशि

2644. डा० के० धनराजू :
श्री गणेश सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य को खेल अवसंरचना के सृजन के लिए धनराशि आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस धनराशि के उपयोग पर केन्द्र सरकार कोई रोक लगाती है;

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खेल अवसंरचना के सृजन के लिए विभिन्न राज्यों से केन्द्र सरकार को राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(च) शेष प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत राशि का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर 31.3.0005 तक कार्यान्वित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान "खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान" और "सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदान" की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सरकार ने खेल अवस्थापना योजनाओं 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार इन योजनाओं के लिए 2005-06 के दौरान राशि का आवंटन नहीं किया गया है। सभी राज्य सरकारों को तद्नुसार 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। खेल अवस्थापना योजना के अंतर्गत, खेल उपस्कर की खरीद के अलावा अनुदानग्राही द्वारा परियोजना की लागत पर अपने अंश का कम से कम 50% खर्च करने और प्रगति रिपोर्ट, लेखाओं की लेखा परीक्षा इत्यादि के पश्चात, भारत सरकार द्वारा पहली किस्त जारी की गई। पुन: राज्यों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगे और अनुदान देने से पूर्व पहले से प्रदान किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा-परीक्षित लेखे आदि निरापवाद रूप से प्राप्त किए गए।

(ङ) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान और सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदान की योजनाओं के अंतर्गत खेल अवस्थापना के सृजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों का उनकी स्थिति दर्शाते हुए राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए अब खेल अवस्थापना के नये प्रस्तावों को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा।

विवरण-I

2002-03 से 2004-05 तक (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्योरा

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.74	1	484.527	14	123.75	7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.44	6	191.00	5	27.00	1
3.	असम	73.50	3	17	2	188.09	8
4.	बिहार	0.00	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0.00	0	0	0	65.00	2
8.	हरियाणा	1.20	1	40.17	2	118.135	16
9.	हिमाचल प्रदेश	6.61	3	100.213	8	118.6365	10
10.	जम्मू व कश्मीर	5.02	5	26.823	18	22.50	1
11.	कर्नाटक	82.20	14	58.7	8	101.3	9
12.	केरल	0.124	1	13.018	4	1.50	1
13.	मध्य प्रदेश	62.40	4	152.27	13	115.40	6
14.	महाराष्ट्र	165.00	7	238.437	13	169.04	9
15.	मणिपुर	62.50	5	0	0	22.50	3
16.	मेघालय	0.00	0	100.11	5	234.555	5
17.	मिजोरम	57.75	11	136.323	21	30.00	1
18.	नागालैण्ड	194.00	8	962.463	21	115.98	12
19.	उड़ीसा	15.50	2	0.05	1	0.75	1
20.	पंजाब	10.00	1	45.00	1	0	0
21.	राजस्थान	10.71	2	25.00	2	8.725	1
22.	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	97.011	8	170.369	22	81.15475	13
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	16.29	1	46.94	3	69.23	6
26.	पश्चिम बंगाल	28.00	2	20.07	15	49.70	4
27.	छत्तीसगढ़	0	0	78.50	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	झारखण्ड	0	0	0	0	30.00	1
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	94.80325	5
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़	0.00	0	0	0	0	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0
33.	दमन व दीव	0.00	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	1057.99	85	2906.983	182	1787.999	122

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक सिंथेटिक परतें बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार विवरण (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.00	1	00.00	0	20.00	1
2.	हरियाणा	0.00	0	30.00	1	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	0.00	0	50.00	1	15.00	1
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	50.00	1
10.	पंजाब	20.67	1	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	65.00	1
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	दिल्ली	0.00	0	20.00	1	0.00	0
15.	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखण्ड	0.00	0	100.00	1	0.00	0
	कुल	120.67	2	200.00	4	150	4

विवरण-II

खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 के दौरान प्राप्त किए गए नए प्रस्तावों की संख्या का ब्योरा

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	8
3.	असम	27	7
4.	बिहार	1	0
5.	छत्तीसगढ़	24	3
6.	गुजरात	6	1
7.	हरियाणा	55	32
8.	हिमाचल प्रदेश	37	3
9.	जम्मू व कश्मीर	8	1
10.	झारखण्ड	4	3
11.	कर्नाटक	21	5
12.	केरल	22	3
13.	मध्य प्रदेश	30	8
14.	महाराष्ट्र	34	8
15.	मणिपुर	16	3
16.	मेघालय	25	13
17.	मिजोरम	12	6
18.	नागालैण्ड	20	2
19.	उड़ीसा	14	6
20.	पंजाब	3	1
21.	राजस्थान	12	5
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	27	6
24.	त्रिपुरा	5	0
25.	उत्तर प्रदेश	22	9
26.	उत्तरांचल	6	0
27.	पश्चिम बंगाल	36	29

सिंथेटिक के सतहों को बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत उनकी स्थिति सहित 2002-03 से 2004-05 के दौरान प्राप्त किए गए नए प्रस्तावों की संख्या का ब्योरा

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1
3.	असम	2	0
4.	छत्तीसगढ़	2	1
5.	झारखंड	1	0
6.	कर्नाटक	1	0

1	2	3	4
7.	मध्य प्रदेश	1	0
8.	महाराष्ट्र	3	2
9.	हरियाणा	3	2
9.	राजस्थान	3	2
10.	तमिलनाडु	2	0
11.	उत्तर प्रदेश	3	2
12.	पश्चिम बंगाल	1	0
13.	पांडिचेरी	1	1
	योग	27	12

राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन

2645. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या पोत-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुनिंदा पत्तनों में विजिंजम पत्तन को भी शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस पत्तन के लिए परियोजना का खाका प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यह इस परियोजना को कब तक अनुमोदित कर दिया जायेगा?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वित्तीय सेवाओं का विस्तार

2646. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
श्री मुन्नी राम :
मोहम्मद शाहिद :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है जैसा कि दिनांक 16 जून, 2005 के हिन्दी 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम चरण में कितने वित्तीय सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किये जायेंगे और इनकी स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) डाक वित्त मार्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को फिलहाल योजना आयोग की मंजूरी प्राप्त होनी शेष है। अनुमोदन मिल जाने पर इस प्रस्ताव का विवरण तैयार किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

नये तपेदिक रोधी अणु

2647. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की एक कम्पनी और सरकारी क्षेत्र के चार अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने "सूडोटर्ब" नामक नये तपेदिक रोधी अणु की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके परिणामों का और अधिक अध्ययन करने के लिए मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों की अनुमति/स्वीकृति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में अन्वेषणात्मक नई औषध विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 2004 में औषध सूडोटर्ब (क्षयरोधी एजेंट) के लिए चरण-I मानव नैदानिक परीक्षण की सिफारिश की है। बाद में चरण-I नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी गई। वर्तमान में इस औषध का देश में चरण-I मानव नैदानिक परीक्षण चल रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

2648. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब सरकार का मोहाली को एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाने के उद्देश्य से इसके अवसंरचनात्मक वृद्धि और विकास पर 200 करोड़ रुपए निवेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) पंजाब सरकार मोहाली को एक सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित करना चाहती है तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित पूंजीनिवेश का उद्देश्य आमतौर पर मोहाली में उद्योग के लिए और विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, आई०टी०ई०एस०, इलेक्ट्रानिकी एवं संचार, जैव प्रौद्योगिकी तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकीय उद्योग के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना है।

(ख) भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मोहाली में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विशेष आर्थिक जोन को मंजूरी दे दी है।

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०आई०), जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, ने सॉफ्टवेयर उद्योग को सांविधिक एवं उच्च गति की आंकड़ा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए मोहाली में 5 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश से अपना एक केन्द्र स्थापित किया है।

औषधीय पादपों की खेती

2649. श्री मदन लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों में औषधीय पादपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन पादपों की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए एक परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन पौधों की खेती करने वाले कृषकों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए एक मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) औषधीय पादप बोर्ड ने देश के विविध भागों में विस्तार क्रियाकलापों—सूचना, शिक्षा व संचार, हेतु विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत वित्त सहायता प्रदान की है। इसमें औषधीय पादपों की कृषि करने हेतु कृषकों में जागरूकता उत्पन्न करना सम्मिलित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने औषधीय पादपों की धारित उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मंत्रालयों/विभागों के साथ नीति निर्माण व समन्वय की देखभाल करने तथा इनके विकास व धारणीय उपयोग विषयक सभी मामलों में तालमेल कायम करने के लिए औषधीय पादप बोर्ड गठित किया है। बोर्ड ने संविदापरक खेती योजना कार्यान्वित की है। इसके तहत परियोजना लागत की 30% की राशि की दर से अधिकतम 9.00 लाख रुपये तक की वित्त सहायता निर्धारित औषधीय पादपों की कृषि करने वाले किसानों/उत्पादकों को मुहैया कराई जाती है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन किसानों को अपने उत्पाद के लिए पुनर्क्रय व्यवस्था मयस्सर रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम असम, उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (कृषि मंत्रालय के अंतर्गत संगठन है) द्वारा आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था में औषधीय पादपों की कृषि, पैदावारोत्तर प्रबंधन तथा विपणन के विषय शामिल थे। इनके सहभागियों में किसान भी थे। अन्य राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजित किए जाने का विचार है। इसके अलावा, औषधीय पादप उत्पादकों हेतु निश्चित बाजार विषयक समिति भी गठित की गई है जो तमाम संबंधित मामलों की जांच करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति

2650. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति तैयार कर ली है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर जोर दिया गया है/जोर दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यह नीति कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी;

(घ) क्या इसमें गैर-सरकारी संगठनों और आम जनता का योगदान लिये जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय एड्स निवारण तथा नियंत्रण नीति को अंगीकार किया है।

नीति में जोर दिए गए मुद्दों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह नीति पहले ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) और (ङ) इस नीति में पहले ही कोर जोखिम जनसंख्या में लक्षित कार्यकलाप परियोजनाओं के माध्यम से एच०आई०वी० के फैलाव को कम करने और एच०आई०वी०/एड्स के निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में सूचना का प्रसार-प्रसार करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी विभिन्न एप्रोचों के जरिए गैर-सरकारी संगठनों तथा आम जनता के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी भूमिका तथा सहभागिता की संकल्पना की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स निवारण तथा नियंत्रण नीति के उद्देश्य और लक्ष्य

- एच०आई०वी० संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को पुनः दोहराना।
- सभी सहभागियों में स्वामित्व की भावना पैदा करना।
- एच०आई०वी०/एड्स के निवारण के लिए एक समर्थ सामाजिक-आर्थिक माहौल तैयार करना तथा परिचर्या और सहायता प्रदान करना।
- एच०आई०वी०/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का फील्ड स्तर तक विकेन्द्रीकरण करना।
- एच०आई०वी०/एड्स के प्रति संवेदनशील महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक रूप से अन्य कमजोर वर्गों में रोकथाम के लिए राज्य और अन्य स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करना और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ कार्यान्वयन स्तर पर क्षैतिज एकीकरण करना।
- एच०आई०वी० से संक्रमित व्यक्तियों को उपयुक्त तथा उचित स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान की व्यवस्था करना।
- सहायता तथा सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय तथा अन्य एजेंसियों के साथ निरंतर अन्योन्य क्रिया।
- देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर आम जनता के लिए उचित और निरापद रक्त तथा रक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लोगों में मुख्यतया छात्रों, युवकों तथा यौन रूप से सक्रिय अन्य वर्गों में एच०आई०वी० संक्रमण के प्रति बेहतर समझ को बढ़ावा देना ताकि इसके संचरण की प्रकृति के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा की जा सके तथा रोकथाम के लिए सुरक्षित व्यावहारिक क्रियाएं अपनाना।

[अनुवाद]

कैंसर जांच केन्द्र

2651. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्य-वार और स्थिति-वार कितने कैंसर जांच केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर जांच केन्द्र और अस्पतालों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस सूचना का एकत्रण और रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उपचार सुविधाओं में वृद्धि करना और उनका उन्नयन करना, जागरूकता पैदा करना और उपचार सुविधाओं में भौगोलिक अन्तरों को समाप्त करना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कोई और कैंसर अस्पताल खोलने की योजना नहीं है। तथापि, सरकारी अस्पतालों/सरकारी मेडिकल कालेजों में "आन्कोलाजी विंग विकास" के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए पहले ही क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर को मान्यता प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर बाईपास तथा उपरिपुल

2652. **श्री संतोष गंगवार :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर ऐसे स्थान कौन से हैं, जहां बाईपास तथा उपरिपुल बनाने की मांग की गई है;

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या बरेली में एक बाईपास का निर्माण प्रगति पर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) बरेली शहर में एक बाइपास की मांग है। राज्य लोक निर्माण विभाग ने लखनऊ और दिल्ली के बीच रा०रा०-24 पर निम्नलिखित स्थानों पर रेलवे उपरि पुलों के निर्माण की भी मांग की है :–

(i) मुंडेपांडे – 179 कि०मी० पर

(ii) रामपुर – 188 कि०मी० पर

(iii) मीरगंज – 216 कि०मी० पर

(iv) फतेहगंज – 234 कि०मी० पर

(v) मीरनपुर कटरा – 290 कि०मी० पर

(vi) सीतापुर के समीप – 399 कि०मी० पर

(ख) से (घ) बरेली बाइपास के निर्माण के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है और यह कार्य प्रगति पर है। बरेली बाइपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है और यह कार्य अग्रिम चरण में है। बरेली बाइपास निर्माण और उक्त उल्लिखित रेलवे उपरि पुल जो निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण आधार पर एन०एच०डी०पी० चरण-III के तहत मुरादाबाद-लखनऊ खंड को चार लेन बनाने के हिस्से में ही पड़ते हैं। यह प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है और इस समय इसके पूरा होने की तारीख बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

शंघाई कोओपरेशन आर्गेनाइजेशन समिट मीट

2653. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जुलाई में अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई शंघाई को कोओपरेशन आर्गेनाइजेशन समित मीट में क्षेत्र को समान सुरक्षा हेतु तथा सीमा पार से आतंकवाद से निपटने के लिए भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) इस संबंध में किस बात पर सहमति हुई;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं तथा उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) 4-6 जुलाई, 2005 तक अस्ताना, कजाकस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एस०सी०ओ०) शिखर सम्मेलन में भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश दिया गया था। भारत द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

(ख) एस०सी०ओ० सदस्य देशों द्वारा शिखर सम्मेलन घोषणा में सर्वसम्मति से प्रस्तावित अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति खतरों का सामना करने के लिए सदस्य देशों के बीच निकट समन्वय था।

(ग) एक पर्यवेक्षक के रूप में यह भारत की प्रथम बैठक थी।

खेलों में प्रतिभा की खोज करने के लिए नई योजना

2654. **श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्राम स्तर पर खेलों में प्रतिभा की खोज करने के लिए नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) की शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभा की खोज करने के लिए नई योजना शुरू करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। मं.लय भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से 8-25 वर्ष के आयु वर्ग में पूरे देश से खेल प्रतिभा की खोज करने और पोषण करने के लिए निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाओं को पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है :–

1. राष्ट्रीय खेल प्रति प्रतियोगिता योजना (एन०एस०टी०सी०) (8-14 वर्ष)

2. सेना बाल खेल कम्पनी (ए०बी०एस०सी०)

3. विशेष क्षेत्र खेल (एस०ए०जी०) (14-21 वर्ष)

4. भा०खे०प्रा० प्रशिक्षण केन्द्र (एस०टी०सी०) (14-21 वर्ष)

5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी०ओ०एक्स०) (17-25 वर्ष)

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य

2655. **श्री चन्द्र प्रकाश (मोहनलालगंज) :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद बनाने के उद्देश्यों की व्यवहार्यता तथा इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के लक्ष्यों की व्यवहार्यता और उसमें राज्य सरकारों की भागीदारी की समीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल संकल्प दिनांक 6 अगस्त, 1952 के तहत् किया गया था और मंत्रिमंडल संकल्प दिनांक 7 अक्तूबर, 1967 के तहत् इसका पुनर्गठन हुआ, जिसके अनुसार एन०डी०सी० के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय योजना के प्रतिपादन हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करना, जिसमें योजना संबंधी संसाधनों का मूल्यांकन शामिल है और लोगों की सक्रिय भागीदारी व सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना, प्रशासनिक सेवाओं की कार्य कुशलता में सुधार, कम विकसित क्षेत्रों और समुदाय के वर्गों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करना और, सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किए गए त्याग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु संसाधन निर्मित करना शामिल है। एन०डी०सी० एकमात्र निकाय है, जिसकी स्थापना विशेष रूप से महत्वपूर्ण विकास मुद्दों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए की गई है। इसके प्रारम्भ से ही, एन०डी०सी० में यह प्रथा रही है कि इसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय वैचारिक और चर्चा तथा विश्वास द्वारा मतभेद रहित, और सभी घटकों के परामर्श के माध्यम से किए जाने चाहिएं। समावेश और भागीदारी की यह प्रक्रिया इस निकाय के पर्यालोचन को सभी अन्यों से विशिष्ट बनाती है और यह प्रजातांत्रिक और संघीय आदेशों का अनुमोदन है जो कि इस संस्थान में प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। एन०डी०सी० की 51वीं बैठक हो चुकी है और लोगों के बेहतर भविष्य निर्माण के इसके प्रयासों से परिलक्षित होता है कि राष्ट्र संगठित है।

[अनुवाद]

औषधि आयातकर्ताओं पर प्रतिबन्ध

2656. **श्री उदय सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औषधि आयातकर्ताओं पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से स्वीकृति लिए बिना ओ०जी०एल० के अंतर्गत औषधियों के आयात की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या औषधि आयातकर्ताओं ने इस प्रयोजनार्थ मानदण्डों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधान तथा उसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार, विदेशी औषध विनिर्माण स्थल पंजीकरण तथा उत्पादित औषध के साथ-साथ उक्त नियम के तहत फार्म 10 में आयात लाइसेंस के बिना देश में किसी औषध का आयात नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) यद्यपि, औषध विनिर्माण स्थल पंजीकरण तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के प्रावधानों के तहत फार्म 10 में आयात लाइसेंस के बिना कोई भी औषध आयात नहीं की जा सकती है, किन्तु औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र और फार्म 10 में लाइसेंस के बिना भी औषधों के आयात की छूट निम्नलिखित दशाओं में दी गई है :–

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी०जी०एफ०टी०), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आई०टी०सी० नीति के तहत जारी अग्रिम लाइसेंस के आधार पर आयातित औषध।

2. नैदानिक/परीक्षण के उद्देश्य से आयातित औषधों की अल्प मात्रा।

3. निर्यात सम्बन्धी प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए आयातित गैर-अनुमोदित औषधों की भारी मात्रा।

4. निर्धन रोगियों में वितरित करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दान/उपहार स्वरूप आयातित औषधें।

5. किसी रोगी द्वारा मेडिकल नुस्खे के आधार पर स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित औषधों की अति अल्प मात्रा।

6. किसी औषध की पूरी मात्रा के पुनर्निर्यात हो जाने की स्थिति में किसी निर्यातक द्वारा व्यवसाय कार्य/मूल्य संवर्धन कार्य के लिए आयातित औषध की अल्प मात्रा।

7. सरकारी अस्पतालों और स्वायत्त संस्थाओं द्वारा अपने मरीजों के इलाज के लिए आयात की जाने वाली नई औषधें।

उक्त प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर मानकों के अनुसार जांच की जाती है।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की सेवाओं में सुधार करना

2657. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि के दौरान भारतीय रेड क्रास सोसाइटी द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलापों का ब्योरा क्या है; और

(घ) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय को सहायता अनुदान के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा निम्नलिखित है :–

2002-2003	–	18.00 लाख रुपए
2003-2004	–	18.00 लाख रुपए
2004-2005	–	20.00 लाख रुपए

(ग) भारती रेड क्रास सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचना दी है कि सोसाइटी के प्रमुख कार्यकलाप है :– आपदा राहत, मातृ एवं बाल कल्याण सेवाएं, अस्पताल सेवाएं, रक्त सेवाएं तथा समुदाय कल्याण कार्यक्रम जैसे कि औषध दुर्व्यसन निवारण, कृत्रिम अंग सेवाएं, वृद्धावस्था (ओल्ड एज) गृह, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि।

(घ) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की स्थापना भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम XV, 1920 (1956 के अधिनियम सं० 22 द्वारा यथा संशोधित तथा विधि (सं० 4) आदेश 1957 तथा 1992 के अधिनियम 14 का रूपान्तर) के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का प्रबंधन निकाय एक शीर्ष निकाय है जो भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के शासन के लिए नीतिगत निर्णयों सहित सभी निर्णय लेता है। उक्त अधिनियम भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के प्रबंधन निकाय को उनकी सेवाओं में सुधार लाने के लिए निर्देश देने हेतु केन्द्र सरकार को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।

एड्स का मुकाबला करने के लिए निधियों का आवंटन

2658. श्री एस०के० खारवेलचन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एड्स के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) देश में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा एड्स रोकथाम केन्द्रों की रोकथाम केन्द्रों की राज्य-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें कितनी निधियां आवंटित की गईं तथा क्या निधि को बढ़ाने के लिए कोई मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों को आबंटित निधियों के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य एड्स रोगियों की राज्यवार सूचित संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) से (ङ) आज की तारीख के अनुसार, 922 गैर-सरकारी संगठन उच्च जोखिम समूहों (एच०आर०जी०) में 965 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं तथा 58 गैर-सरकारी संगठन देश में 60 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र (सी०सी०सी०) चला रहे हैं (इसका राज्यवार ब्योरा विवरण-II पर संलग्न है)। केंद्रों की जिलावार सूची का राज्य स्तर पर रख-रखाव किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है जिसके लिए उन्हें विस्तृत कार्यात्मक तथा लागत संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं। राज्यों के साथ हुई वार्षिक कार्य योजना चर्चाओं के अनुसार संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को गैर-सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निधियां जारी की जाती है। 2000-01 से 2004-05 तक लक्षित कार्यकलाप तथा सामुदायिक परिचर्या केन्द्र चलाने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एस०ए०सी०एस०) की वार्षिक कार्य योजना में गैर-सरकारी संगठनों के लिए निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-III)।

विभिन्न पणधारियों से वृद्धि की मांग प्राप्त होने के आधार पर लागत संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया गया है और इसे क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को भेज दिया गया है।

(च) और (छ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार एस०ए०सी०एस० ने 1999 से विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे लगभग 38 गैर-सरकारी संगठनों से सहायता वापिस ले ली है इसके कारण खराब निष्पादन, निधियों के घटिया रख-रखाव तथा प्रबंधन समिति का परिवर्तन इत्यादि हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान तथा जून, 2005 तक एड्स रोगियों की सूचित संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	2002 में सूचित	2003 में सूचित	2004 में सूचित	31 जून, 2005 तक सूचित
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	6	5	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1085	4123	4155	1777
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	16	50	13	0
5.	बिहार	28	9	0	0
6.	चण्डीगढ़	239	173	218	142
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन व दीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
10.	दिल्ली	106	114	68	9
11.	गोवा	68	174	109	71
12.	गुजरात	1108	1124	1536	314
13.	हरियाणा	53	54	85	59
14.	हिमाचल प्रदेश	40	41	75	24
15.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0
16.	झारखण्ड	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	294	201	222	770
18.	केरल	385	626	73	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	156	145	209	91
21.	महाराष्ट्र	3818	5072	4701	1002
22.	मणिपुर	632	1187	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	14	18	54	0
25.	नागालैंड	87	84	269	43
26.	उड़ीसा	15	1	0	117
27.	पांडिचेरी	140	0	0	0
28.	पंजाब	59	38	37	0
29.	राजस्थान	292	266	228	10
30.	सिक्किम	2	2	0	0
31.	तमिलनाडु	9101	7130	15271	3856
32.	त्रिपुरा	5	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	359	339	109	72
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	969	611	0	0
	कुल	19077	21587	27432	8357

विवरण-II

लक्षित कार्यकलापों की स्थिति

क्रम सं०	राज्य	गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या	कुल टीआई परियोजनाएं	सीएसडब्ल्यू	ट्रकर्स	एसएसएस	आईडीयू	प्रवासी कामगार	स्ट्रीट चिल्ड्रन	कैदी	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	4	4	1	0	0	0	0	0	1	2
2.	अहमदाबाद	23	25	1	0	1	0	7	1	0	15
3.	आन्ध्र प्रदेश	110	117	25	24	3	0	23	6	25	11
4.	अरुणाचल प्रदेश	7	7	0	4	0	2	0	0	0	1
5.	असम	30	33	7	5	2	3	4	2	0	10
6.	बिहार	21	21	3	3	1	0	0	0	0	14
7.	चण्डीगढ़	12	12	0	0	0	0	0	1	1	10
8.	छत्तीसगढ़	15	12	5	6	0	0	1	0	0	0
9.	चेन्नई	20	20	5	1	2	3	0	1	0	8
10.	दादरा व नगर हवेली	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	दमन व दीव	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12.	दिल्ली	37	39	9	3	4	3	17	3	0	0
13.	गोवा	8	8	0	0	1	0	0	1	0	6
14.	गुजरात	86	97	9	0	4	0	54	3	9	18
15.	हरियाणा	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17
16.	हिमाचल प्रदेश	8	9	0	0	0	0	0	0	0	9
17.	जम्मू व कश्मीर	6	6	0	2	0	0	4	0	0	0
18.	झारखण्ड	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9
19.	कर्नाटक	30	31	10	0	1	0	0	1	0	19
20.	केरल	54	56	2	0	2	1	3	0	0	48
21.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	मध्य प्रदेश	12	12	4	0	0	0	0	0	0	8
23.	महाराष्ट्र	37	40	17	10	1	0	3	0	0	9
24.	मुम्बई (एमसी)	20	22	9	0	4	1	2	0	0	6
	एयर्ट	31	31	4	1	1	0	15	1	0	9
25.	मणिपुर	38	42	5	2	1	31	3	0	0	0
26.	मेघालय	5	6	2	2	0	0	0	0	0	2
27.	मिजोरम	23	24	5	1	0	13	1	1	1	2
28.	नागालैंड	32	34	3	1	0	25	0	0	2	3
29.	उड़ीसा	6	6	2	0	0	0	0	0	0	4
30.	पांडिचेरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31.	पंजाब	11	11	3	0	0	0	3	0	0	5
32.	राजस्थान	17	17	3	2	0	0	0	2	0	10
33.	सिक्किम	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
34.	तमिलनाडु	62	64	13	15	2	0	27	0	3	4
	एसीएसी	44	44	15	0	1	0	15	0	0	13
35.	त्रिपुरा	17	19	3	5	0	1	8	1	0	1
36.	उत्तरांचल	8	8	0	2	0	0	0	2	0	4
37.	उत्तर प्रदेश	21	21	4	14	0	0	3	0	0	0
38.	पश्चिम बंगाल	35	35	15	6	0	3	9	1	1	0
	कुल	922	965	185	109	31	86	205	27	43	279

सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थिति

क्रमांक	राज्य	गैर-सरकारी संगठन
1	2	3
1.	मणिपुर (5)	1. लैप्रोसी पेशेंट, इम्फाल
		2. शालोम, चूरा चांदपुर
		3. खां मणिपुर योग्य एंड नेचर क्योर एसोसिएशन, मणिपुर
		4. रूरल सर्विस इर्वेंसी (रूसा), म्यानमार बार्डर
		5. पीपुल्स रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन (प्रदा), बिष्णुपुर
2.	आंध्र प्रदेश (17)	1. फ्रीडम फाउण्डेशन, हैदराबाद
		2. सैंट जोसेफ अस्पताल, पूर्वी गोदावरी

1	2	3
		3. गवर्नमेंट टी०बी० एंड चेस्ट अस्पताल, हैदराबाद
		4. आरोग्यवरम मेडीकल सेंटर, चित्तूर
		5. जी०आर०ई०टी०एन०ए०एल०टी०ई०एस०, गुंटुर
		6. सेंट एन्स सोसाइटी सेंट्रल प्रोविंस, कृष्णा
		7. डेमियन लेप्रोसी सेंटर, पश्चिम गोदावरी
		8. विश्वकरुणा डर्मेटोलोजिकल सेंटर, वरंगल
		9. ए०एस०एस०आई०एस०आई० डर्मेटोलोजिकल सेंटर, कृष्णा
		10. मारलयानिलयम सर्विस सोसायटी, कुरनूल
		11. डेविड रीज लेप्रोसी अस्पाल एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, चित्तूर
		12. हेल्थ सेंटर असाहीकेतन, वैल्लोर
		13. शेडोस, प्रकाशम जिला
		14. इंटरनेशनल एड्स प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन, आर आर जिला
		15. क्रिश्चिन मल्टी स्पेशलिटी सेन्टर एंड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूर्व गोदावरी
		16. एम्मान्यूल मिनिस्ट्रीज एसोसिएशन, विशाखापटनम
		17. रोटरी अभ्य एड्स काउंसिलिंग एंड होसपाइस मधुवालसा विलेज, विजयनगरम
3.	कर्नाटक (14)	1. फ्रीडम फाउंडेशन, बंगलौर
		2. फ्रीडम फाउंडेशन, बेल्लारी
		3. फ्रीडम फाउंडेशन, उडुपी
		4. स्नेहादान, बंगलौर
		5. स्नेहादान, मंगलौर
		6. एड्स केयर काउंसिलिंग एजूकेशन एंड प्रीवेंशन ट्रेनिंग, बंगलौर
		7. मूलिका संवृद्धि आरोग्यवीवृद्धि प्रतिष्ठान, शीमोगा
		8. समूह-समरक्ष, कुस्तागी
		9. आशा ज्योति समरक्ष-कुस्तागी
		10. श्री शक्ति एसोसिएशन, बेलगाम
		11. स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट-सरगुर
		12. इंदिरागांधी इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ-बंगलौर
		13. टी०बी० सैनीटेरियम-बीजापुर
		14. टी०बी० सैनीटेरियम-गदक
4.	महाराष्ट्र (4)	1. बेल-एयर अस्पताल, पंचगनी
		2. के०ई०एम० अस्पताल रिसर्च सेंटर, पुणे
		3. सर्वोदय अस्पताल, मुम्बई (एम०डी०ए० सी०एस०)
		4. इदुलजी फराजी, मुम्बई
5.	तमिलनाडु (5)	1. नार्थ आरकोट (एन०ए०ए०) डिस्ट्रिक पीपुल वैलफेयर सर्विस सोसायटी, वैल्लोर
		2. सी०एस० रघुथामन चेरिटेबल ट्रस्ट, कोयम्बटुर
		3. फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मदुरई
		4. मीनाक्षी मिशन हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुदरई
		5. एसोसिएशन आफ अक्कलागम होसपाइस, डिंडीगुल
6.	नागालैंड (4)	1. नागा मदर एड्स होसपाइस, कोहिमा
		2. चर्चिस एलांइस, तेनसांग
		3. कोहिमा केयर सेंटर, कोहिमा
		4. इंटरडीनोमिनेशनल चर्चिस आफ वोखा, वोखा
7.	दिल्ली (3)	1. सहारा दिल्ली

1	2	3
		2. चेलसी दिल्ली
		3. एक्शन इंडिया दिल्ली
8.	पांडिचेरी (1)	1. सोसाइटी फार डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पांडिचेरी
9.	गोवा (2)	1. फ्रीडम फाउंडेशन, गोवा
		2. कैरीटास, गोवा
10.	केरल (1)	1. मरकुंदुलम मेमोरियल रिसर्च एंड रिहेबीलिटेशन सेंटर, त्रिसर
11.	पश्चिम बंगाल (1)	1. भरूका चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता
12.	हिमाचल प्रदेश (1)	1. स्वामी श्री हरिगिरी हास्पिटल कम रिसर्च सेंटर काकिरा कमलारी, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश)
13.	चंडीगढ़ (1)	1. इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, करूणा सदन बिल्डिंग, सैक्टर 11 बी चंडीगढ़
14.	हरियाणा (1)	1. इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, यमुनानगर, हरियाणा

विवरण-III

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लक्षित कार्यकलाप तथा सामुदायिक परिचर्या केन्द्र के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना

क्रम सं०	राज्य	2001-01 (लाख रु० में)		2001-02 (लाख रु० में)		2002-03 (लाख रु० में)		2003-04 (लाख रु० में)		2004-05 (लाख रु० में)	
		टीआई हेतु एलजीओ सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	टीआई हेतु एनजीओ सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	टीआई हेतु एनजीओ सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	टीआई हेतु एनजीओ सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	टीआई हेतु एनजीओ सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	3.00		25.00		15.82		20.00		35.00	15.00
2.	अहमदाबाद	4.00				6.25		170.00	10.00	195.00	20.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	209.29				151.76	67.40	1000.00	84.00	1100.00	85.00
4.	अरुणाचल प्रदेश	14.10		28.00	45.00	15.51		40.00		50.00	15.00
5.	असम	48.95		150.00		172.00		225.00	30.00	300.00	30.00
6.	बिहार	8.00		125.00		95.51		100.00	20.00	200.00	20.00
7.	चण्डीगढ़	18.00		40.00		35.00		50.00	10.00	80.00	15.00
8.	छत्तीसगढ़					40.00		60.00		80.00	20.00
9.	चेन्नई	7.51		100.00	40.00	95.00	35.00	105.00	45.00	110.00	30.00
10.	दादरा और नगर हवेली	3.00		5.00		8.28		15.00		20.00	15.00
11.	दमन व दीव	3.64		15.00		10.00		15.00		25.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	दिल्ली	9.00		155.00		126.18		150.00	45.00	240.00	45.00
13.	गोवा	13.00		80.00		57.00		63.00	20.00	75.00	30.00
14.	गुजरात	0.00				38.10		900.00	15.00	850.00	30.00
15.	हरियाणा	33.00		100.00		110.00		150.00		100.00	20.00
16.	हिमाचल प्रदेश	7.00		45.00		40.00			20.00	85.00	15.00
17.	जम्मू और कश्मीर	15.00		60.00		40.00		30.00		40.00	20.00
18.	झारखण्ड			24.00		40.00		50.00		90.00	10.00
19.	कर्नाटक	109.45		165.00	18.90	165.00	87.65	280.00	100.00	400.00	100.00
20.	केरल	0.00		50.00		66.58		95.00	40.00	100.00	50.00
21.	लक्षद्वीप	2.00		10.00		9.00		15.00		15.00	10.00
22.	मध्य प्रदेश	45.00		199.80		144.92		180.00	20.00	150.00	20.00
23.	महाराष्ट्र	126.54		300.00	100.00	150.00	75.00	250.00	40.00	300.00	50.00
24.	मुम्बई (एम०सी०)	49.68		260.00	60.00	200.00	47.00	170.00	47.00	200.00	60.00
25.	मणिपुर	93.00		250.00	51.00	234.75	112.65	325.00	115.00	380.00	115.00
26.	मेघालय	5.00		90.00		26.00		35.00		50.00	15.00
27.	मिजोरम	41.00		80.00		92.00		115.00	20.00	135.00	15.00
28.	नागालैण्ड	50.00		150.00	30.00	165.00	62.50	170.00	20.00	250.00	50.00
29.	उड़ीसा	0.00				17.00		250.00		220.00	15.00
30.	पांडिचेरी	3.00		25.00		16.00		20.00	20.00	9.00	15.00
31.	पंजाब	43.97				16.00		170.00		150.00	20.00
32.	राजस्थान	4.26		150.00		99.81			20.00	160.00	30.00
33.	सिक्किम	3.92		12.50		15.00		25.00		30.00	15.00
34.	तमिलनाडु	335.24		250.00	97.50	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
35.	त्रिपुरा	8.00		42.00		36.00		40.00		40.00	15.00
36.	उत्तरांचल			12.50		15.26		50.00		37.00	20.00
37.	उत्तर प्रदेश	39.00		257.50		259.21		500.00	20.00	400.00	20.00
38.	पश्चिम बंगाल	129.02		100.00		160.00		700.00	35.00	800.00	35.00
	कुल	1484.57		3356.30	442.40	3383.94	587.2	6933.00	896.00	7901.00	1220.00

खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव

2659. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में खेलों के विकास के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मार्च 2005 तक तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितना अनुदान जारी किया गया है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को अनुमोदन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां। खेलों के विकास के लिए खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-2003 से 2004-2005 के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान और सिंथेटिक खेल परत बिछाने के लिए अनुदान की योजनाओं के अंतर्गत, उनकी स्थिति सहित प्राप्त प्रस्तावों के राज्य-वार विवरण संलग्न हैं।

(घ) सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाएं राज्य-क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है तदनुसार खेल अवस्थापना के लिए वर्ष 2005-06 के बजट में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इस प्रकार, खेल अवस्थापना परियोजनाओं के नये प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से वित्त-पोषित किए जाने हैं। तद्नुसार, सभी राज्य सरकारों को दिनांक 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया है।

विवरण

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)	
				अनुमोदित	प्रदान की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20	9	412.00	342.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	8	939.42	57.00
3.	असम	27	7	596.01	139.08
4.	बिहार	1	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	24	3	573.64	0
6.	गुजरात	6	1	90.00	45.00
7.	हरियाणा	55	32	205.92	67.87
8.	हिमाचल प्रदेश	37	3	99.75	0
9.	जम्मू व कश्मीर	8	1	67.50	0
10.	झारखण्ड	4	3	167.39	30.00
11.	कर्नाटक	21	5	91.35	44.90
12.	केरल	22	3	233.00	0
13.	मध्य प्रदेश	30	8	543.86	65.00
14.	महाराष्ट्र	34	8	465.00	20.00
15.	मणिपुर	16	3	114.72	1.50
16.	मेघालय	25	13	1394.45	334.66
17.	मिजोरम	12	6	920.42	0
18.	नागालैण्ड	20	2	1890.00	900.00
19.	उड़ीसा	14	6	545.00	0
20.	पंजाब	3	1	18.00	0
21.	राजस्थान	12	5	154.75	25.00
22.	सिक्किम	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	27	6	186.00	62.50
24.	त्रिपुरा	5	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	22	9	278.49	17.00
26.	उत्तरांचल	6	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	36	29	139.42	60.22

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान सिंथेटिक खेल परतों को बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत उनकी स्थिति सहित प्राप्त प्रस्तावों के विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)	
				अनुमोदित	प्रदान की गई
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	100.00	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	100.00	0
3.	असम	2	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	2	1	100.00	0
5.	झारखण्ड	1	0	0	0
6.	कर्नाटक	1	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0
8.	महाराष्ट्र	3	2	200.00	65.00
9.	हरियाणा	3	2	200.00	50.00
9.	राजस्थान	3	2	200.00	0
10.	तमिलनाडु	2	0	0	0
11.	उत्तर प्रदेश	3	2	200.00	0
12.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
13.	पाण्डिचेरी	1	1	100.00	0
	कुल	27	12	1200.00	215.00

[हिन्दी]

लिनियर एक्सीलेटर मशीन का लगाया जाना

2660. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अस्पतालों को कैंसर के उपचार के लिए लिनियर एक्सीलेटर मशीन लगाने के लिए निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त तकनीक की तुलना में कोबाल्ट तकनीक के माध्यम से कैंसर का उपचार महंगा है;

(ग) क्या सरकार ने देश के कैंसर विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा इस संबंध में कैंसर विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचार क्या हैं;

(ङ) लिनियर एक्सीलेटर मशीन से कैंसर रोगियों का उपचार कराने में सरकार का विचार किस प्रकार सहायता प्रदान करने का है; और

(च) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) रेडियोथिरेपी मशीनों के प्रापण संबंधी सिफारिशें प्रतिपादित करने के लिए इस मंत्रालय में 12 मई, 2004 को एक बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि लिनियर एक्सीलेरेटर की लागत कोबाल्ट थिरेपी मशीनसे बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की आंकोलाजी विकास स्कीम के अंतर्गत किसी भी सरकारी संस्था को लिनियर एकसीलेरेटर अथवा किसी अन्य उपकरण लगाने के लिए अनुदेश जारी नहीं किए गए और सतही वास्तविकता के आधार पर उपकरण का चयन संबंधित संस्थाओं पर छोड़ दिया गया था।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए कोई स्कीम नहीं है। इस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में 22 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है जो जरूरतमंद लोगों को या तो नि:शुल्क अथवा नाममात्र दर पर उपचार सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ए०आर०वी० का उत्पादन

2661. डा० के०एस० मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक ए०आर०वी० की बच्चों की खुराक राष्ट्रीय ए०आर०टी० कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ए०आर०वी० खुराक के उत्पादन तथा इसे उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय ए०आर०टी० कार्यक्रम के अधीन बालरोग चिकित्सा खुराकें सस्पेंशन रूप में उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों को ए०आर०वी० औषधें वयस्क खुराक गोलियों को तोड़कर (स्प्लिटिंग फार्म में) मिल रही हैं।

(ख) जब नाको ने ए०आर०वी० औषधों का प्रापण शुरू किया तब बाजार में राष्ट्रीय ए०आर०टी० दिशा-निदेशों के अनुसार सभी बाल रोग चिकित्सा फार्मूलेशन उपलब्ध नहीं थे।

(ग) से (ङ) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी नामत: हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को ए०आर०वी० औषधों का विनिर्माण करने का एक परीक्षण लाइसेंस दिया गया है।

मैसूर-बन्तवाल राजमार्ग

2662. श्री एम० शिवन्ना : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के बाहरी क्षेत्र में मेलवेल के निकट मैसूर – बन्तवाल राजमार्ग पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। मैसूर-बन्तवाल राजमार्ग एक राज्यीय राजमार्ग है और जो इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

[हिन्दी]

खेलों को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को दी गई सहायता

2663. श्री मनुव्वर हसन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) धनराशि का उपयोग करने के लिए इन संस्थानों द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि का ब्योरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारत सरकार इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खेल संस्थानों जैसे कि मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन०एस०एफ०), भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल०एन०आई०पी०ई०), ग्वालियर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान" की योजना के अंतर्गत, उनके कार्यक्रमों के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भी दिनांक 31.3.2005 तक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। यह योजना 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है। उपर्युक्त सभी संस्थान अखिल भारतीय आधार पर कार्य करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त खेल संस्थानों को उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्योरे विवरण-I में दिए हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं अर्थात् खेल अवस्थापनाओं के सृजन, स्कूलों में खेलकूद को संवर्धन, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव के आयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्योरे विवरण-II, III, और IV और V दिए हुए हैं।

(ख) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, खेल उपकरणों की खरीद के अलावा अनुदानग्राही द्वारा परियोजना की लागत पर अपने अंश का कम से कम 50% खर्च करने और प्रगति रिपोर्ट, लेखाओं की लेखा परीक्षा इत्यादि के पश्चात, भारत सरकार द्वारा पहली किस्त जारी की गई। पुन: राज्यों तथा एन०एस०एफ० और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगे और अनुदान देने से पूर्व पहले से प्रदान किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षित लेखे आदि अपरिवर्तनीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

विवरण-I

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (धनराशि रुपयों में)

क्रमांक	परिसंघ का नाम	2002-03	2003-04	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	1500974	662657	1424960

1	2	3	4	5
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	11681426	16681512	11190285
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	2795514	1598625	11936264
4.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	1511417	0	0
5.	बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद	871899	1177522	3001819
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	9069998	7025325	21508199
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबॉल परिसंघ	700000	1600000	1250000
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	1475000	1775000	1400000
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	1737015	3485770	2500000
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	2626548	6883370	5894567
11.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ	1200000	1650000	750000
12.	भारतीय बैडमिन्टन संघ	13155431	15980746	16016311
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	1240000	1050000	550000
14.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	3232936	4396382	4960748
15.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	3009347	2416455	2352264
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	1251489	1000000	675000
17.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	2640253	2808508	1637993
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	6805902	2539252	3276426
19.	भारतीय फैन्सिंग संघ	8065684	1959832	1707407
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	12687301	3601507	1887622
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	8984951	10842412	8127806
22.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	50000	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	3343796	1853785	3247660
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	7017214	12878010	19421032
25.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ	2086136	2720945	1606414
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	44491859	5877202	124145335
27.	भारतीय पोलो संघ	176913	20241738	161657

1	2	3	4	5
28.	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	1200000	1750000	1300000
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	3488197	5995302	7987832
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	3510110	308707!	11034974
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	2986892	4435620	5637239
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	1450000	1250000	1891700
33.	भारतीय कोर्फबॉल परिसंघ	1334539	1150000	1250000
34.	अखिल भारतीय टैनिस संघ	7085207	5918312	13687594
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	17436465	17455572	21837241
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	1200000	1645900	750000
37.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	0	900000	1500000
38.	भारतीय रोईंग परिसंघ	3642641	4839159	11843540
39.	भारतीय स्कूल टकारो परिसंघ	1484869	1962015	0
40.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	1200000	1000000	750000
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	0	2100000	1200000
42.	भारतीय सॉफ्टबाल संघ	1699291	1000000	1400000
43.	भारती स्क्वैश रैकेट परिसंघ	9646888	1858975	11936866
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	4602717	6012609	1176457
45.	भारतीय टेबल टैनिस परिसंघ	7100759	7490815	11678239
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	1756800	2321784	600000
47.	भारतीय टैन्निकोइट परिसंघ	1200000	1150000	1050000
48.	भारतीय टैनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	1650000	1200000	700000
49.	भारतीय रस्साकस्सी परिसंघ	1650000	1150000	1250000
50.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	5061449	7655295	3216953
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	300000	0	500000
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	10977678	23488942	22535117
53.	भारतीय याटिंग संघ	10549498	15988068	15988462

1	2	3	4	5
54.	भारतीय वूशू संघ	750000	150000	1050000
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	212000	1227400	964437
	कुल	265579954	364349456	416356420
	अन्य संस्थान			(लाख रुपयों में)
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	12446	11405.65	15223
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	570	696.50	900
3.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	22.50	53.50	62.64

विवरण-II

2002-03 से 2004-05 तक (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्योरा

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.74	1	484.527	14	123.75	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.44	6	191.00	5	27.00	1
3.	असम	73.50	3	17	2	188.09	8
4.	बिहार	0.00	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0.00	0	0	0	65.00	2
8.	हरियाणा	1.20	1	40.17	2	118.135	16
9.	हिमाचल प्रदेश	6.61	3	100.213	8	118.6365	10
10.	जम्मू व कश्मीर	5.02	5	26.823	18	22.50	1
11.	कर्नाटक	82.20	14	58.7	8	101.3	9

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	केरल	0.124	1	13.018	4	1.50	1
13.	मध्य प्रदेश	62.40	4	152.27	13	115.40	6
14.	महाराष्ट्र	165.00	7	238.437	13	169.04	9
15.	मणिपुर	62.50	5	0	0	22.50	3
16.	मेघालय	0.00	0	100.11	5	234.555	5
17.	मिजोरम	57.75	11	136.323	21	30.00	1
18.	नागालैण्ड	194.00	8	962.463	21	115.98	32
19.	उड़ीसा	15.50	2	0.05	1	0.75	1
20.	पंजाब	10.00	1	45.00	1	0	0
21.	राजस्थान	10.71	2	25.00	2	8.725	1
22.	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	97.011	8	170.369	22	81.15475	13
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	16.29	1	46.94	3	69.23	6
26.	पश्चिम बंगाल	28.00	2	20.07	15	49.70	4
27.	छत्तीसगढ़	0	0	78.50	4	0	0
28.	झारखण्ड	0	0	0	0	30.00	1
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	94.80325	5
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़	0.00	0	0	0	0	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0
33.	दमन व दीव	0.00	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	1057.995	85	2906.983	182	1787.999	122

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक खेल उपकरणों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार विवरण (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई धनराशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई धनराशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.12	1	0.37	1	2.76	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	4.35	4	7.74	7
3.	असम	8.67	14	30.88	41	22.18	38
4.	बिहार	1.71	2	3.29	3	7.53	8
5.	छत्तीसगढ़	6.39	7	1.13	2	3.32	4
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	0.85	3	0.00	0	1.08	1
8.	गुजरात	1.54	3	2.98	4	1.42	2
9.	हरियाणा	12.64	24	43.36	59	24.17	41
10.	हिमाचल प्रदेश	9.97	12	5.72	15	10.21	14
11.	जम्मू व कश्मीर	1.00	2	3.17	3	9.64	14
12.	झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	25.08	29	16.75	26	12.10	18
14.	केरल	2.26	4	0.00	0	15.48	17
15.	मध्य प्रदेश	14.12	24	22.95	29	13.67	20
16.	महाराष्ट्र	35.76	46	51.63	58	54.19	71
17.	मणिपुर	6.30	6	3.26	5	1.48	2
18.	मेघालय	0.00	0	1.08	1	9.37	10
19.	मिजोरम	0.75	1	0.00	0	0.00	0
20.	नागालैण्ड	5.12	17	0.00	0	3.80	5
21.	उड़ीसा	27.53	39	44.21	55	61.99	80

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	4.78	6	2.56	3	0.63	2
23.	राजस्थान	11.71	17	25.19	29	18.76	30
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	15.93	45	7.65	21	3.70	6
26.	त्रिपुरा	0.73	2	0.37	1	0.40	1
27.	उत्तर प्रदेश	21.05	29	39.60	47	51.11	75
28.	उत्तरांचल	8.33	8	11.04	12	18.44	26
29.	पश्चिम बंगाल	88.55	102	77.98	106	127.15	167
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	310.99	443	399.63	525	482.45	662

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार विवरण (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.08	16	87.82	27	97.22	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	3.45	2	26.81	10	126.31	48

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	0.26	1	20.60	4	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	20.70	9
6.	गोवा	0.00	0	0.00	0	2.70	1
7.	गुजरात	8.00	3	18.27	10	28.20	1
8.	हरियाणा	3.02	3	10.31	9	26.86	4
9.	हिमाचल प्रदेश	0.16	1	5.85	3	7.37	4
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	2.70	1
12.	कर्नाटक	50.94	22	39.35	35	149.87	63
13.	केरल	8.27	5	39.80	18	45.07	24
14.	मध्य प्रदेश	1.65	3	10.80	4	26.10	7
15.	महाराष्ट्र	186.81	79	197.53	98	244.15	115
16.	मणिपुर	28.48	2	25.03	3	17.80	5
17.	मिजोरम	0.00	0	10.72	4	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	10.80	4
19.	नागालैंड	20.40	3	22.50	11	19.20	10
20.	उड़ीसा	58.98	24	83.60	40	57.98	32
21.	पंजाब	28.48	11	52.68	13	29.45	11
22.	राजस्थान	1.10	1	4.20	2	7.20	3
23.	तमिलनाडु	75.66	17	164.81	27	169.80	29
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	60.24	14	101.56	41	158.65	62
26.	उत्तरांचल	5.40	2	24.60	10	16.80	8
27.	पश्चिम बंगाल	44.09	19	79.86	42	141.28	63
28.	दिल्ली	22.50	1	53.50	2	62.64	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	1.00	1
	कुल	665.98	229	1080.25	413	1472.00	555

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक सिंथेटिक परतें बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार विवरण (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजना की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.00	1	00.00	0	20.00	1
2.	हरियाणा	0.00	0	30.00	1	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	0.00	0	50.00	1	15.00	1
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	50.00	1
10.	पंजाब	20.67	1	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	65.00	1
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	0.00	0	20.00	1	0.00	0
15.	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखण्ड	0.00	0	100.00	1	0.00	0
	कुल	120.67	2	200.00	4	150	4

विवरण-III

स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन
वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक राज्यों को जारी की गई राशि का ब्योरा

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	सिक्किम	शून्य	4.00	शून्य
2.	असम	शून्य	13.50	शून्य
3.	मणिपुर	6.50	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	4.00	4.00	6.00
5.	महाराष्ट्र	19.50	शून्य	शून्य
6.	उत्तरांचल	8.50	शून्य	शून्य
7.	उड़ीसा	17.00	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	8.00	12.00
9.	नागालैण्ड	शून्य	6.00	11.25
10.	दमन व दीव	शून्य	3.00	शून्य
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	21.40
12.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	3.00

विवरण-IV

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक लघु स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा

क्रम सं०	राज्य	2002-03 (रकम रुपयों में)	2003-04 (रकम रुपयों में)	2004-05 (रकम रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	असम	शून्य	3,00,000 (2001-02) 3,00,000 (2003-04)	8,00,000/-
2.	बिहार	2,40,000/-	2,40,000/-	6,40,000/-
3.	हरियाणा	2,10,000/-	शून्य	शून्य
4.	जम्मू व कश्मीर	2,70,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
5.	हिमाचल प्रदेश	1,20,000/-	शून्य	3,20,000/-
6.	पंजाब	3,00,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
7.	केरल	3,00,000/-	शून्य	शून्य
8.	राजस्थान	3,00,000/-	3,00,000/-	शून्य
9	नागालैण्ड	1,50,000/- (2001-02)	1,50,000/-	8,00,000/-
10.	गोवा	1,50,000/-	2,10,000/-	3,00,000/-
11.	उड़ीसा	3,00,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
12.	कर्नाटक	3,00,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
13.	त्रिपुरा	3,00,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
14.	तमिलनाडु	2,10,000/- (99-2000) 2,10,000/-	2,10,000/-	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	3,00,000/-	3,00,000/-	8,00,000/-
16.	महाराष्ट्र	1,80,000/-	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	2,00,000/-
18.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
19.	उत्तरांचल	1,80,000/-	2,70,000/-	7,20,000/-
20.	लक्षदीप	60,000/-	शून्य	शून्य
21.	चण्डीगढ़	60,000/-	शून्य	शून्य
22.	पांडिचेरी	शून्य	30,000/-	शून्य
	कुल	41,40,000/-	38,10,000/-	85,80,000/-

विवरण-IV

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक लघु स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा

क्रम सं०	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	असम	शून्य	2,09,000/- (2001-02)	2,09,000/- (2003-04) 2,09,000/-
2.	बिहार	4,40,800/- (2001-02)	4,46,000/-	4,46,000/-
3.	छत्तीसगढ़	1,45,600/-	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
4.	गोवा	शून्य	22,600/-	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	91,000/-	91,000/-	91,000/-
6.	हरियाणा	शून्य	1,33,600/-	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	74,800/-
8.	राजस्थान	2,48,200/- (2000-01)	2,48,200/-	शून्य
9.	केरल	शून्य	शून्य	1,43,200/- (2003-04)
10.	उड़ीसा	1,00,000/-	शून्य	1,93,600/- (2003-04)
11.	पंजाब	1,43,000/-	शून्य	10,000/- (केवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए)
12.	त्रिपुरा	45,000/-	45,000/-	46,000/-
13.	कर्नाटक	1,96,000/-	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	49,000/-
15.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	14,09,800/-	11,95,400/-	14,71,600/-

[अनुवाद]

अस्पतालों में भ्रष्टाचार

2664. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अनन्त नायक :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री गणेश सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के संबंध में ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया तथा सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किए गए सर्वेक्षण की जानकारी है जैसाकि 19 जुलाई, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए तथ्यों का ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया ने सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज (दोनों गैर-सरकारी मंच हैं) के सहयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के अध्ययन सहित ग्यारह सार्वजनिक सेवाओं में आम आदमी द्वारा सामना किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत के लोगों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से "भारत भ्रष्टाचार अध्ययन 2005" किया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा प्रकाशित की गई अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार के अस्पतालों के बारे में जन अवधारणाओं पर आधारित है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: भ्रष्टाचार की शिकायतों सहित अपने अस्पतालों के कार्यकरण को नियंत्रित करने/उनकी मॉनीटरिंग करने तथा अनैतिक तथा बेईमान आचरण के प्रमाणित मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, सभी अस्पतालों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर दिया गया है। भ्रष्ट चलनों की शिकायत सहित सभी शिकायतों को शिकायत निवारण तंत्र द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाता है और त्रुटिकर्ता स्टाफ के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अस्पतालों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

2665. श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी की तबाही के बाद अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के पिछड़े क्षेत्रों में रोगियों का भारी संख्या में पोर्ट ब्लेयर आने के बारे में हाल ही में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न अस्पतालों पर काफी दबाव आ गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या पोर्ट ब्लेयर के जी०बी० पन्त अस्पताल में रोगियों के प्रवेश में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ज) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अस्पतालों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सुनामी आपदा के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पिछड़े क्षेत्रों में रोगियों के पोर्ट ब्लेयर आने की सूचना सरकार को नहीं है।

(घ) और (ङ) पोर्ट ब्लेयर स्थित जी०बी० पन्त अस्पताल में मरीजों को भरती करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरते जाने की सूचना नहीं है।

(च) और (छ) द्वीप स्थित रेफरल अस्पताल को आधुनिक एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है, ताकि अस्पताल में भरती मरीजों का प्रभावी इलाज किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय कालों का अपवर्तन

2666. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार जिला प्रबंधक टेलीफोन एक्सचेंज इक्यूपमेंट में गड़बड़ी करके अंतर्राष्ट्रीय कालों के अपवर्तन में शामिल हैं जिससे राजकोष को लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार के समक्ष आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राज्यीय संपर्क/आर्थिक महत्व योजना

2667. श्री पी०सी० थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय संपर्क योजना तथा आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत कई राज्यों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केरल सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) सरकार को वर्ष 2005-06 के लिए केरल राज्य तथा एक संघ राज्य क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों से अंतर्राज्यीय संपर्क (कनेक्टीविटी) स्कीम के अंतर्गत 112 प्रस्ताव और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 46 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी लागत 1297.14 करोड़ रु० है।

(ग) से (च) केरल सरकार ने अंतर्राज्यीय संपर्क (कनेक्टीविटी) स्कीम के अंतर्गत 54 करोड़ रु० के तीन प्रस्ताव भेजे हैं। केरल सहित सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सिद्धान्त रूप में अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

सरकारी अस्पतालों में रिक्त पद

2668. श्री के० सुब्बारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य संबंधित सेवाओं के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 206 पद खाली पड़े हैं। अधिकांश पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अनुरोध भेजे गए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कई अन्य तकनीकी और गैर-तकनीकी पद खाली पड़े हैं। सिविल पदों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू किए गए संशोधन (राइडर) के कारण, मंत्रालय को इन पदों को सीधे भरने में दिक्कत आ रही है। अब इस मंत्रालय में तकनीकी पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन प्राप्त करने से छूट हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। तद्नुसार, तकनीकी पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तथापि, इन अस्पतालों में गैर-तकनीकी पदों को भरने के लिए "स्क्रिनिंग समिति" के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के लाभार्थी

2669. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के माहनिदेशक की उस टिप्पणी की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि सरकार की स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं से केवल अमीर ही लाभान्वित होते हैं जैसाकि दिनांक 25 जुलाई, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०) ने सूचना दी है कि अखबार की खबर में उल्लिखित रिपोर्ट दिनांक 24 जुलाई, 2005 को कोलकाता में हुए रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान के संस्थापना दिवस समारोह के संबंध में थी जिसमें डा० एन०के० गांगुली, महानिदेशक, आई०सी०एम०आर० ने व्याख्यान दिया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कैसे भारत की अनेक स्कीमों, मुख्यतया ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम द्वारा समुदाय के अमीर तथा गरीब वर्गों के बीच स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच में व्याप्त असंतुलन को दुरुस्त किया जायेगा। उन्होंने जनसंख्या के सबसे गरीब तथा सबसे अमीर चुतर्थकों (क्वार्टाइल) को प्राप्त जन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों (जैसे मुखसेव्य रिहाइड्रेशन थिरेपी, प्रतिरक्षण, प्रसवपूर्व परिचर्या) के लाभों में व्याप्त असमानताओं का उल्लेख करते हुए भारत) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद) तथा विदेश (विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन) के प्रकाशित आंकड़ों का उद्धरण दिया। अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई स्कीमों से अमीरों को लाभ हो रहा था। वास्तव में, प्रो० गांगुली ने स्वास्थ्य संस्थानों से यह अपील की थी कि ये अधिकाधिक अनुसंधान कार्य करें ताकि गरीब जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच और रीच में बढ़ोतरी हो सके। तथापि, आई०सी०एम०आर० द्वारा यह बताया गया था कि डा० गांगुली द्वारा दिए गए उक्त व्याख्यान को अखबार की रिपोर्ट में संदर्भ से हट कर तथा गलत रूप से उद्धृत किया गया है।

[हिन्दी]

सी०बी०आई० द्वारा दर्ज मामले

2670. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या प्रधानमंत्री 23 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 से 2005 के दौरान सी०बी०आई० द्वारा अपनी ज्ञात आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जांच की स्थिति का ब्योरा क्या है और उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध 23 मार्च, 2005 से आज की तारीख तक सी०बी०आई० और अन्य सतर्कता विभागों ने मामले दर्ज किए हैं;

(ग) क्या प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में तेजी से फैलते भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कोई नया तंत्र तैयार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का राज्यवार ब्योरा क्या है और उक्त जांच के बाद उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) आंकड़ों के समन्वय से यह प्रकट होता है कि लोक-सेवकों के विरुद्ध सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों की प्राप्ति, जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती, के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 2002, 2003, 2004 और 2005 (28.02.2005 तक) के दौरान कुल 320 मामले दर्ज किए थे। 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार 320 मामलों में से 187 मामलों के संबंध में अन्वेषण पूरा कर लिया गया है। 187 मामलों, जिनके बारे में अन्वेषण पूरा कर लिया गया है, में से 107 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं, 39 मामले नियमित विभागीय कार्रवाई हेतु संस्तुत किए गए हैं, 07 मामलों में अभियोजन की मंजूरी की प्रतीक्षा है, 27 मामले बंद कर दिए गए हैं और 07 मामले संबंधित विभागों को यथाउपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए भेजे गए हैं।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास उपलब्ध ब्योरे के अनुसार लोक-सेवकों द्वारा उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बेमेल सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां प्राप्त किए जाने संबंधी और 69 मामले 01.03.2005 से 31.07.2005 तक दर्ज किए गए हैं और एक मामले में आरोप-पत्र दायर किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों के पास उनके प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों संबंधी भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए अपने ही तंत्र हैं। जहां तक राज्यों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या का संबंध है, ऐसे कोई आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

कर्नाटक के जनजातीय गांवों में टेलीकॉम सुविधाएं

2671. श्री जी० करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सभी जनजातीय गांवों में दूरसंचार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक के सभी जनजातीय गांवों में दूरसंचार की सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य में सभी 1,906 जनजातीय गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) उपलब्ध करा दिए गए हैं। ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं०	एस०एस०ए०	जनजातीय गांवों की संख्या
1.	बेलगाम	194
2.	चिकमंगलूर	626
3.	दक्षिण कन्नड़	428
4.	मडिकेरे	231
5.	मैसूर	427
	योग	1906

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पी०सी०ओ० बूथ के लिए लंबित आवेदन

2672. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जिलों विशेषकर उत्तरांचल के हरिद्वार, रुड़की, लक्सर में पी०सी०ओ० बूथ के स्थापना हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा लम्बित पी०सी०ओ० बूथ के आवेदनों को मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार, उत्तरांचल में कुल 51 आवेदन लंबित हैं जो केवल देहरादून जिले के लिए हैं। हरिद्वार, रुड़की और लक्सर सहित उत्तरांचल के किसी अन्य जिले में कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :–

(i) भूमिगत केबल बिछाकर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य (टी०एन०एफ०) क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाना।

(ii) जहां भूमिगत केबल बिछाना व्यवहार्य नहीं है उन क्षेत्रों में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली की योजना बनाना और मौजूदा प्रणालियों का विस्तार करना।

(iii) कमजोर सिगनलों वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए अतिरिक्त डब्ल्यू०एल०एल० टावरों (बी०टी०एस०) की योजना बनाना।

(iv) फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनलों (एफ०डब्ल्यू०टी०) को हासिल करना।

हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2673. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा के भिवानी और हिसार टेलीकॉम सर्किल के अनेक लोग पिछले कई वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भिवानी और हिसार टेलीकॉम सर्किल दूरभाष केंद्रवार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) उपर्युक्त सर्किलों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में हुए असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार भिवानी और हिसार राजस्व जिलों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या का एक्सचेंजवार ब्योरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) इन जिलों के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में बी०एस०एन०एल० से मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तथापि, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बी०एस०एन०एल० द्वारा अलग-थलग मांग को पूरा नहीं किया गया है। क्योंकि दूर-दराज के जिन क्षेत्रों में इस तरह की मांग है वहां दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रतीक्षा सूची ऐसे दूर-दराज के अलग-थलग क्षेत्रों से है जहां दूरसंचार नेटवर्क बिछाना तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(घ) चूंकि अधिकांश प्रतीक्षा-सूची दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से है, ऐसे क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए बी०एस०एन०एल० द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं :–

(i) लैंडलाइन नेटवर्क को प्रतिस्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यू०एल०एल० नेटवर्क की संस्थापना।

(ii) जहां भी ऐसी मांग मौजूद है वहां लैंडलाइन कनेक्टिविटी के लिए आऊट डोर केबल के पहले के मानक को 2.5 किमी से बढ़ाकर 5 किमी तक करना।

(iii) बी०एस०एन०एल० सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ केंद्रों और राज्य राजमार्गों में प्राथमिकता के ऐसे क्रम से अपने मोबाइल नेटवर्क की संस्थापना कर रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से को प्रासंगिक कवरेज मिलेगी।

विवरण-I

31.07.2005 की स्थिति के अनुसार भिवानी राजस्व जिले की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बलियाली	226
2.	बवानी खेड़ा	67
3.	डनाणा	94
4.	जमालपुर	435
5.	खेड़ी दौलतपुर	15
6.	खुंगेर	184
7.	मंढाणा	65
8.	मूंढाल	241
9.	पुर	137
10.	सुई	27
11.	बामला	220
12.	बापोरा	166
13.	भिवानी	2102
14.	बिरन	79
15.	चांग	161

1	2	3
16.	देवसर	85
17.	धणा लडाण पुर	28
18.	हेमतपुरा	103
19.	जुई	56
20.	कायला	145
21.	खरक कलां	354
22.	लोहारी	69
23.	मान्हेरु	109
24.	मिथाथल	79
25.	निमड़ीवाली	98
26.	प्रेम नगर	151
27.	रुपगढ़	144
28.	तिगड़ाना	13
29.	अटेला	173
30.	बथवाना	196
31.	बेरला	148
32.	भागेश्वरी	151
33.	भोरी कलां	367
34.	बोंद कलां	220
35.	चरखी दादरी	208
36.	चिड़ीया	65
37.	द्वारका	72
38.	इमलोटा	174
39.	झिजर	128
40.	झोझू कलां	258
41.	कदमा	202
42.	कलियाणा	108
43.	माई कलां (रुद्रोल)	114
44.	मंडोला	112
45.	मौरी	197
46.	मिस्त्री	49
47.	पैंतावास	216
48.	पिचोपा कलां	148
49.	राणिला	15
50.	सांवर	146
51.	उण	4
52.	बधरा	138
53.	चेहर कलां	116
54.	दिघवा	67
55.	ककरौली	72
56.	लोहारु	51
57.	नान्धा	27
58.	सोहांसरा	125
59.	बरवा	45
60.	बेहल	79
61.	इशरवाल	61
62.	झुप्पा कलां	71
63.	लिलस	18
64.	मिथी	24
65.	सिवानी	18
66.	डत्रढाणी	11
67.	देवराला	176

1	2	3
68.	झणी मदु	112
69.	दूल्हेड़ी	17
70.	फैरोन	6
71.	खनक	78
72.	मिरान	154
73.	सरल	116
74.	संगारपुर	26
75.	तोशाम	62
	कुल	10794

विवरण-II

31.07.2005 की स्थिति के अनुसार हिसार राजस्व जिले की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	हिसार	8
2.	हिसार आजार नगर ओसीबी आरएसयू	3
3.	हिसार डीसी कालोनी 283 आएसयू	8
4.	हिसार सेक्टर-15ए आरएसयू	1
5.	हिसार विकास नगर आरएसयू	17
6.	आर्य नगर	170
7.	बदो ब्राह्मण	34
8.	बलसामंद	194
9.	चौदरीवास	137
10.	धांसू	28
11.	जुगलान	52
12.	कजला	139
13.	खरकड़ी	37
14.	खड़िया (जिला हिसार)	40
15.	लडवा	66
16.	मंगली	144
17.	मतरशाम	8
18.	मय्यार (आरएलयू)	100
19.	मुकलान	83
20.	नियाना	46
21.	सतरोड आरएसयू	58
22.	नलवंडी रुक्का	83
23.	आदमपुर मंडी	455
24.	अग्रोहा	53
25.	कुल्लेरी	85
26.	मोहब्बतपुर	98
27.	नंगथाला	50
28.	सीसवाल	71
29.	बालक	89
30.	बहावलपुर	23
31.	बरवाला	150
32.	हसनगढ़	67
33.	खैरी	27
34.	खरकपूनिया	147
35.	पाबड़ा	37
36.	संदलाना	55
37.	सनियाना	29

1	2	3
38.	सरसोद	42
39.	उकलाना	139
40.	हांसी	643
41.	घास	252
42.	चन्नट	71
43.	दीपल	100
44.	खण्डकलां	186
45.	घिराई	52
46.	गुराना	8
47.	कंवारी	131
48.	कपरो	37
49.	खंडाखेड़ी	203
50.	कोठकलां	53
51.	लोहारी रघू	71
52.	माजरा	32
53.	मेहंडा	43
54.	मिलकपुर	169
55.	मोहला	23
56.	नारनौंद	146
57.	पाली	48
58.	राखीखास	87
59.	सिंघवाखास	57
60.	सिसाई	358
61.	सिसरखरबला	157
62.	मोरखी	76
63.	धुराना	222
64.	उमरा	165
	कुल	6463

[हिन्दी]

आर० एण्ड आर० नीति का क्रियान्वयन

2674. श्री हंसराज चौ० अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला खानों के लिए अधिगृहीत की गई भूमि से प्रभावित हुए परिवारों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अन्यत्र बसाने और पुनर्वास (आर० एण्ड आर०) संबंधी नीति, 2003 को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण

(ग) परियोजना से प्रभावित परिवारों और कोल इंडिया लिमिटेड पर इस आर० एण्ड आर० नीति, 2003 के क्रियान्वयन से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) आर० एण्ड आर० नीति की मुख्य और तुलनात्मक विशेषताएं क्या हैं और आर्थिक मुआवजा और रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र का क्या उपबंध हैं; और

(ङ) आर० एण्ड आर० नीति के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड को कितना लाभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति-2003 (एन०पी०आर०आर०-2003) की मुख्य विशेषताएं और सी०आई०एल० की आर० एण्ड आर० नीति के साथ इसकी तुलनात्मक विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) यदि पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी नीति-2003 को अपनाया जाता है तो कम्पनियां अपनी जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने और गैर-उत्पादक जनशक्ति की भर्ती पर रोक लगाने में समर्थ होंगी।

विवरण

एन०पी०आर०आर०-2003 और सी०आई०एल० की प्रचलित आर० एण्ड आर० नीति में पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रावधानों के बीच तुलना

क्रम सं०	मद सं०	एन०पी०आर०आर०-2003 के तहत प्रावधान	सी०आई०एल० की प्रचलित आर० एण्ड आर० नीति के अन्तर्गत प्रावधान
1	2	3	4
1.	विस्थापित परिवार	विस्थापित परिवार का तात्पर्य कोई धारणाधिकार धारक, काश्तकार सरकारी पट्टाधारी अथवा अन्य सम्पत्ति का स्वामी जो परियोजना के प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्र में आवादी में प्लाट अथवा अन्य सम्पत्ति सहित अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण ऐसी भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति से विस्थापित हो गया हो।	वही
2.	परिवार	परिवार का तात्पर्य परियोजना प्रभावित परिवार जिसमें उसका पति अथवा पत्नी अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क भाई अथवा अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क भाई अथवा अविवाहित बहिनें, पिता, माता और अन्य सदस्य जो उसके साथ रहते हों और अपने जीवन निर्वाहन के लिए उस पर निर्भर हों।	वही परन्तु केवल यह अन्तर कि वयस्क अविवाहित पुत्र को एक अलग परिवार नहीं समझा जाता है।
3.	पात्रता	प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पूर्व कम से कम तीन वर्षों से लगातार रह रहा हो अथवा कम से कम तीन वर्षों से लगातार कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा पैशा कर रहा हो।	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अथवा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख को अथवा उससे पूर्व उस स्थान पर रह रहा हो।
		1980 से पूर्व वन भूमि के अतिक्रमणकारी को भी प्रभावित परिवार के रूप में समझा जाएगा।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
4.	प्रशासक	भूमि के अधिग्रहण, सर्वे, प्रभावित क्षेत्र की घोषणा, मुआवजे के आकलन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है जिसका पद उपायुक्त से कम न हो। पुनर्वास, भुगतान आदि आयुक्त आर० एण्ड आर० के पर्यवेक्षण में है।	सी०आई०एल० द्वारा स्वयं किया जाता है।
5.	विवाचक	नीति में विवाचक की नियुकित का प्रावधान करता है जो रैंक में आयुक्त से कम न हो और वह आर० एण्ड आर० नीति का पर्यवेक्षण करेगा और उसका विवाचन करेगा	सी०आई०एल० के सक्षम प्राधिकारी।
6.	निगरानी तंत्र	सचिव के रैंक में केन्द्र सरकार के स्तर पर निगरानी समिति और अपनी नीति के अन्तर्गत यथापरिभाषित निगरानी सैल का प्रावधान करता है।	ऐसा कोई परिभाषित तंत्र नहीं है।

1	2	3	4
7.	लाभ (क) पुनर्स्थापन	पुनर्वास स्थल, 150 वर्ग मीटर प्रति प्रभावित परिवार	न्यूनतम 100 वर्ग मीटर प्रति प्रभावित परिवार
	(ख) घरेलू सामान का परिवहन	5000 रुपयए प्रति प्रभावित व्यक्ति	शिफ्टिंग की पूरी लागत
	(ग) आवास अनुदान	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे प्रति प्रभावित व्यक्ति 25000 रुपए का एकमुश्त अनुदान प्राप्त करेगा, गरीबी रेखा से नीचे न रहने वाली श्रेणी का परिवार इसके लिए पात्र नहीं है।	वासभूमि तथा उस पर बनी संरचना की रिप्लेसमेंट लागत
	(घ) बुनियादी और अवसंरचनात्मक सुविधाएं	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अर्थात् पेयजल, विद्युत, पाठशालाएं, डिस्पेंसरियां, पहुंच मार्ग आदि	पुनर्स्थापन स्थल पर एन०पी०आर०आर० में उल्लिखित सभी बुनियादी तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं दी जाती हैं। अथवा पुनर्स्थापन स्थल पर प्लाट के बदले प्रति प्रभावित परिवार को 50,000 रुपए एकमुश्त दिए जाते हैं यदि वह स्वयं पुनर्स्थापन के लिए विकल्प देता है।
8.	भूमि के बदले भूमि	अधिकतम 1.00 हेक्टेयर कृषि भूमि अथवा 2.00 हेक्टेयर गैर-कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि की शर्त पर अधिग्रहित वास्तविक कृषि भूमि के समान।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
9.	भूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता	कृषि भूमि के आबंटन के मामले में कृषि के लिए 5000 रुपए की एक बार की एकमुश्त राशि तथा गैर-कृषि भूमि के मामले में 10,000 रुपए।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
10.	पशुबाड़ा	पशुओं वाले पी०ए०पी० को पशुबाड़े के निर्माण के लिए 3000/- रुपए दिए जाएंगे।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
11.	आजीविका के नुक्सान के मुआवजा	कृषि भूमि वाले उस प्रत्येक पी०ए०पी० को जिसकी सारी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है, उस स्थिति 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समान एकबारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी, जब उसे न तो भूमि के बदले भूमि मिली हो और न ही पी०ए०पी० के परिवार के किसी सदस्य को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार अथवा पात्रता और उपयुक्तता की शर्त के अधीन आपवादिक परिस्थितियों में 2.00 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 3.00 एकड़ गैर-सिंचित भूमि के एवज में रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

1	2	3	4
		(ख) सीमांतक किसान (जिसकी सारी भूमि अधिग्रहित न की गई हो) को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	
		(ग) एक छोटे किसान को 375 दिनों की न्यूनतम कृषि मजूदरी के समतुल्य एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	रोजगार के एवज में निम्नलिखित एकबारगी एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है :– 1. न्यूनतम 25,000 रु० की शर्त के अधीन प्रोराटा आधार पर प्रथम एकड़ के लिए 1 लाख रु०। 2. प्रोराटा आधार पर दूसरे और तीसरे एकड़ के लिए 75000 रु०। 3. प्रोराटा आधार पर 3 एकड़ के अधिक के लिए 50,000 रु०।
12. कृषि मजदूर		कृषि अथवा गैर-कृषि मजदूर को 625 दिन की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एकबारगी वित्तीय सहायता के भुगतान का प्रावधान करता है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
13. धंसाव भत्ता		प्रत्येक विस्थापित परिवार एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी का मासिक धंसाव भत्ता प्राप्त करेगा।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
14. भूमि का रेखीय अधिग्रहण		रेलवे लाइन, राजमार्गों, ट्रांसमिशन लाइनों और पाइपलाइनें डालने के लिए भूमि का अधिग्रहण, करने हेतु, जहां कई किलोमीटर तक केवल भूमि के एक संकरे भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है, पी०ए०पी० 10,000 रु० प्रति परिवार एकमुश्त अनुदान का हकदार है और अन्य कोई आर० एण्ड आर० लाभ नहीं मिलेगा।	ऐसे मामलों में भी आर० एण्ड आर० नीतिगत लाभ प्रदान किए जाते हैं।
15. जनजातीय व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान		(i) जनजातीय लोग यदि जिले के बाहर बसते हैं तो प्रत्येक जनजातीय पी०ए०पी० को अन्य के मुकाबले में मुआवजे में 25 प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
		(ii) सामुदायिक और धार्मिक सभाओं के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।	यह सुविधा सभी को उपलब्ध कराई जाती है।
		(iii) प्रत्येक जनजातीय पी०ए०पी० को प्रथागत अधिकारों/वन उत्पादों को उपयोग के नुक्सान के लिए 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को चौड़ा करना

2675. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को चौड़ा करने के बारे में 27 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4832 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सभी सड़क संगठन के विभिन्न स्कन्धों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की मरम्मत, सुधार और चौड़ा करने के लिए अपने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों के किनारे को मजबूत बनाने सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आबंटन निर्धारित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) असम में रा०रा० 52 के किनारों को सुदृढ़ करने सहित मरम्मत, सुधार और चौड़ीकरण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीमा सड़क संगठन के विभिन्न स्कन्धों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीमा सड़क संगठन ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने 260 करोड़ रु० के कुल आबंटन में से उपर्युक्त कार्य के लिए 53.52 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

विवरण

रा०रा० 52 के शोल्डरों के सुदृढ़ीकरण सहित मरम्मत, सुधार और चौड़ीकरण के लिए असम में सीमा सड़क संगठन के विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) इस प्रकार है

क्रम सं०	बी०आर०ओ० परियोजना	खंड	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वर्तमान स्थिति
(क) डी०पी०आर०					
1	वर्तक	265 - 266 कि०मी०	दो लेन बनाना	3.98	डी०पी०आर० अनुमोदित
2	वर्तक	345 - 360 कि०मी०	दो लेन बनाना	14.50	डी०पी०आर० अनुमोदित के अधीन
3	वर्तक	366 - 382 कि०मी०	दो लेन बनाना	9.38	संशोधित डी०पी०आर० इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है
4	उडयक	440 - 510 कि०मी०	दो लेन बनाना	202.14	डी०पी०आर० में बी०आर०ओ० द्वारा संशोधन किया जा रहा है
(ख) प्रस्ताव					
1	वर्तक	331 - 440 कि०मी०	बर्मस का सुदृढ़ीकरण	14.48	प्रस्ताव अनुमोदित
2	दंतक और वंतक	0 - 440 कि०मी०	सड़क गुणता सुधार	—	प्रस्ताव अनुमोदित

अरुणाचल प्रदेश का योजना परिव्यय

2676. श्री तापिर गाव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-2006 का राज्यवार प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय कितना है;

(ख) अरुणाचल प्रदेश के संबंध में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय कम रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे किस प्रकार करने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) वर्ष 2005-2006 हेतु प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय का राज्यवार ब्योरा, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वार्षिक योजना 2005-2006 के लिए अरुणाचल प्रदेश का सभी राज्यों के मुकाबले दूसरा उच्चतम प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक योजना परिव्यय को, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और राज्य के मुख्य मंत्री के बीच दिनांक 15.02.2005 को हुई बैठक में राज्य के निजी संसाधनों और केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था।

विवरण

वर्ष 2005-06 हेतु राज्यवार प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय

क्रम सं०	राज्य	वार्षिक योजना 2005-06 अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये में)	जनसंख्या*	प्रति व्यक्ति वार्षिक योजना 2005-06 अनुमोदित परिव्यय (रुपये में)@
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15650.77	76,210,007	2054
2.	अरुणाचल प्रदेश	950.00#	1,097,968	8652
3.	असम	3000.00	26,655,528	1125
4.	बिहार	5329.65	82,998,509	642
5.	छत्तीसगढ़	4275.00	20,833,803	2052
6.	गोवा	1025.00#	1,347,668	7606
7.	गुजरात	11000.00	50,671,017	2171
8.	हरियाणा	3000.00	21,144,564	1419
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	6,077,900	2632
10.	जम्मू और कश्मीर	4200.00	10,143,700	4141
11.	झारखण्ड	4510.12	26,945,829	1674
12.	कर्नाटक	13555.00	52,850,562	2565
13.	केरल	5369.00	31,841,374	1686
14.	मध्य प्रदेश	7471.00	60,348,023	1238
15.	महाराष्ट्र	11000.00	96,878,627	1135
16.	मणिपुर	915.00	2,166,788	4223
17.	मेघालय	800.00	2,318,822	3450
18.	मिजोरम	685.00	888,573	7709
19.	नागालैंड	620.00	1,990,036	3116
20.	उड़ीसा	3000.00	36,804,660	815
21.	पंजाब	3550.00	24,358,999	1457
22.	राजस्थान	8350.00	56,507,188	1478
23.	सिक्किम	500.00	540,851	9245
24.	तमिलनाडु	9100.00	62,405,679	1458
25.	त्रिपुरा	804.00	3,199,203	2513
26.	उत्तर प्रदेश	13500.00	166,197,921	812
27.	उत्तरांचल	2700.00	8,489,349	3180
28.	पश्चिम बंगाल	6476.00	80,176,197	808
	योग	142935.54	10,12,089,345	1412

टिप्पणी – *जनसंख्या आंकड़े वर्ष 2001 की गणना से हैं।

औपचारिक अनुमोदन अभी जारी किया जाना है।

@ रुपये के नजदीक।

इंटर-सर्विस एरिया कनेक्टिविटी

2677. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में मोबाइल से मोबाइल, मोबाइल से फिक्स लाइन और फिक्स लाइन से मोबाइल पर लोकल कॉल मानने हेतु एक्सेस प्रोवाइडरों के बीच एक दूसरे को काल स्थानांतरित करने के लिए इंटर-सर्विस एरिया कनेक्टिविटी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों के लिए भी ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) बी०एस०एन०एल० को इससे कुल कितना घाटा होने की संभावना है; और

(च) बी०एस०एन०एल० द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने 20.5.2005 को महाराष्ट्र (मुम्बई मेट्रो और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र), तमिलनाडु (चेन्नई मेट्रो और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र), उत्तर प्रदेश [उत्तरांचल सहित (उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र) और पश्चिम बंगाल (कोलकाता मेट्रो और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र] राज्यों में अभिगम प्रदाताओं के बीच एक दूसरे के टर्मिनेटिंग ट्रैफिक के लिए अंतर-सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी है। इस व्यवस्था से, उपर्युक्त राज्यों में राज्य के भीतर कॉलों को अंतरा-सेवा क्षेत्र कॉलें माना जाता है। इन राज्यों के लिए राज्य के भीतर कॉलों के लिए डायल प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और मोबाइल से मोइबल और फिक्सड् से मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल करने के लिए नंबर से पहले "0" लगाने की जरूरत नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) के कतिपय शहरों और पंचकुला को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के भीतर उपर्युक्त सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(ङ) और (च) राज्यों के भीतर डायलिंग प्रक्रिया के सरलीकरण सहित कॉलों के लिए टैरिफ में कमी, जिससे उपभोक्ता ट्रंक-डायलिंग (एस०टी०डी०) सुविधा-रहित-ग्राहक भी उसी राज्य के भीतर अपने सेवा क्षेत्र से बाहर कॉल करने में समर्थ हुआ है, के परिणामस्वरूप परियात में वृद्धि होगी जिससे भारत संचार निगम लिमिटेड को इस कारण हुए किसी नुकसान की भरपाई हो सकती है।

[हिन्दी]

कोयले के मूल्य का विनियंत्रण

2678. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निकाले गए कोयले के मूल्य को पूरी तरह से विनियंत्रित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्योरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) जी, हां। कोयले के मूल्य को दिनांक 1.1.2000 से पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया गया है। कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 बाजार की शक्तियों, उत्पादन की औसत लागत और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कोयले के मूल्यों को निर्धारित करने का अधिकार कोयला कंपनियों को प्रदान करता है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले के मूल्य निर्धारण में तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कोयले के मूल्य निर्धारण की रूपात्मकताएं सुझाने के लिए प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) को शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

मेडिकल डायग्नोस्टिक किटों की गुणवत्ता

*2679. डा० के० धनराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवानर कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०पी०सी० द्वारा "नाको" हेतु मेडिकल डायग्नोस्टिक किटें निविदाओं के माध्यम से खरीदी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी डायग्नोस्टिक किट की गुणवत्ता और इसकी कीमत के संबंध में क्या दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(ग) क्या एन०टी०पी०सी० जो एक गैर-मेडिकल संगठन है वह एच०आई०वी०, एच०सी०वी० और एच०बी०वी० जैसी मेडिकल डायग्नोस्टिक किटों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच करता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्य को स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी विभाग को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

नाको के लिए प्रापण सहायता एजेंट के रूप में एन०टी०पी०सी० ने विगत में नैदानिक जांच किटों का प्रापण किया है। उनकी संविदा 31.3.2005 को समाप्त हो गयी।

(ख) जांच किटों की गुणवत्ता संबंधी आश्वासन के लिए दिशानिर्देश संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

इन जांच किटों की कीमतों का ब्योरा देने वाला एक विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां।

विवरण-I में दिए गए ब्योरे के अनुसार एच०आई०वी० और एच०सी०वी० किटों की गुणवत्ता जांच एन०टी०पी०सी० द्वारा एन०टी०पी०सी०/ए०आई०आई०एम०एस० के परामर्शदाता डाक्टरों की मदद से उनकी प्रारंभिक संविदा (कान्ट्रेक्ट) अवधि के दौरान की गयी थी। दिनांक 30.10.2003 के बाद नाको द्वारा पता लगायी गयी तीन प्रयोगशालाओं में से किसी भी एक प्रयोगशाला अर्थात् एन०ए०आर०आई०, पूणे अथवा एन०आई०सी०डी०, दिल्ली अथवा सी०एम०सी० अस्पताल-वेल्लौर में गुणवत्ता जांचें की जाती हैं। एच०बी०वी० किटों का प्रापण नाको द्वारा केन्द्रीय आधार पर नहीं किया जाता है। इसलिए, एन०टी०पी०सी० ने एच०बी०वी० किटों का प्रापण नहीं किया।

(ङ) और (च) जी, हां। दिनांक 1.4.2005 से, नाको ने हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है, को प्रापण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है।

विवरण-I

एन०ए०सी०पी०-II के अधीन की गई जांच किटों के गुणवत्ता संबंधी आश्वासन के लिए दिशा-निर्देश

I. 30 अक्तूबर, 2003 तक :

(क) देशी जांच किटों के लिए :

उत्तम गुणवत्ता की किटें सुनिश्चित करने और तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप एन०टी०पी०सी० द्वारा एन०टी०पी०सी०/ए०आई०आई०एम०एस० के परामर्शदाता डाक्टरों के साथ मिलकर विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात् कच्ची सामग्री के प्रापण से लेकर उसे अन्तिम रूप से तैयार करने तक, को कवर करते हुए सप्लायर के साथ गुणवत्ता योजना/निरीक्षण चैकलिस्ट को अन्तिम रूप दिया जाता है। किटों को अन्तिम रूप से तैयार किए जाने और सप्लायर द्वारा सभी आंतरिक जांच आदि किए जाने के बाद एन०टी०पी०सी० के निरीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने परामर्शदाता डाक्टर के साथ मिलकर भौतिक निरीक्षण किया जाता है जिसमें किटों का याहच्छिक रूप से चयन किया जाता है और उनकी प्रत्यक्ष रूप से जांच की जाती है। किटों को डिस्पैच करने की अनुमति निरीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने और उनके द्वारा तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाती है।

(ख) विदेशी जांच किटों के लिए :

उत्तम गुणवत्ता की किटें सुनिश्चित करने और तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप एन०टी०पी०सी० द्वारा एन०टी०पी०सी०/ए०आई०आई०एम०एस० के परामर्शदाता डाक्टरों के साथ मिलकर विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात् कच्ची सामग्री के प्रापण से लेकर उसे अंतिम रूप से तैयार करने तक, को कवर करते हुए सप्लायर के साथ गुणवत्ता योजना/निरीक्षण चेकलिस्ट को अंतिम रूप

---

*मंत्री महोदय द्वारा वास्तव में दिया गया उत्तर इस प्रकार है :–

"(ङ) और (च) जी हां, नाको ने 01.4.2005 से हिन्दुस्तान लेटेक्स लि० जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला भारत सरकार का उपक्रम है।"

उपर्युक्त उत्तर में बाद में 24.8.2005 को सभा में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण के जरिए संशोधन किया गया था जिसे एल०टी० सं० 2766/2005 के अंतर्गत ग्रंथालय में भी रखा गया।

दिया जाता है। किटों को अंतिम रूप से तैयार किए जाने और सप्लायर द्वारा सभी आंतरिक जांच आदि किए जाने के बाद सप्लायर द्वारा उनकी समीक्षा के लिए एन०टी०पी०सी० को जांच प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं। सप्लायर द्वारा भेजे गए सभी जांच प्रमाणपत्रों (अवस्था के लिए तथा परिष्कृत उत्पाद पर) की अनुमोदित गुणवत्ता योजना के अनुरूप जांच और समीक्षा की जाती है। डिस्पैच करने की अनुमति इसे स्वीकार किए जाने के बाद दी जाती है।

यदि उसमें कुछ विसंगतियां ध्यान में आती हैं तो ए०आई०आई०एम०एस० से एन०टी०पी०सी० के परामर्शदाता डाक्टरों के विचार लिए जाते हैं और सभी पूछताछ का पूर्णरूप से समाधान हो जाने के बाद ही डिस्पैच करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

II. दोनों प्रकार की किटों के लिए 30 अक्तूबर, 2003 के बाद:

सभी जांच किटें डिस्पैच से पूर्व निरीक्षण के अध्यधीन हैं। ये निरीक्षण, एन०ए०आर०आई० पुणे अथवा एन०आई०सी०डी०, दिल्ली अथवा सी०एम०सी० अस्पताल, बेलौर में स्थित किसी एक प्रयोगशाला में किए जाते हैं। नमूने प्रापण अभिकरण के एक प्रतिनिधि द्वारा लिए जाते हैं। यदि परिणामों को सप्लायर द्वारा विवादास्पद बनाया जाता है तो उसी बैच से ताजे नमूने लेकर एन०आई०बी०, नोएडा को अपीली मूल्यांकन के लिए भेजे जाएंगे जिसके परिणाम नाको और सप्लायर दोनों पर बाध्यकारी होंगे।

विवरण-II

क्रम सं०	किट की टाइप	नवीनतम संविदाओं के अनुसार प्रति जांच हेतु औसत लागत
1.	एच०आई०वी० (एलिसा)	9.82 रुपये
2.	एच०आई०वी० (रेपिड)	15.44 रुपये
3.	एच०सी०वी० (एलिसा)	9.17 रुपये

सी०वी०सी० द्वारा कानून में परिवर्तन की मांग

2680. **श्री मदन लाल शर्मा :**
श्री अनंत गुढ़े :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 में, उसका दायरा बढ़ाए जाने के आशय से संशोधन किए जाने पर विचार कराने का सुझाव दिया है। आयोग ने निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न नहीं होने देने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ)(iii) को संशोधित करने के लिए भी सरकार को लिखा है।

(ग) सरकार, कानून के विभिन्न उपबंधों में सशोधन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विभिन्न अभिकरणों के मत पर विचार करने के उपरांत करती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा जाता है।

नर्सों की कमी

2681. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रशिक्षित नर्सों की राज्यवार अनुमानित कमी कितनी है;

(ग) देश में रोगियों की प्रति मिलियन संख्या पर कितनी प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध हैं, और अमरीका, इंग्लैण्ड, चीन, पाकिस्तान और जापान के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में प्रशिक्षित नर्सों की कोई कमी नहीं है। अब तक भारत में विभिन्न राज्य नर्सिंग परिषदों में 8.65 लाख नर्सें पंजीकृत हैं।

(ग) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू०के०, चीन, पाकिस्तान और जापान में प्रति मिलियन जनसंख्या पर नर्सों की उपलब्धता नीचे दी गई है :–

देश	प्रति मिलियन जनसंख्या पर नर्सें
भारत	450.00
संयुक्त राज्य अमेरिका	9720.00
यू०के०	4970.00
चीन	980.6
पाकिस्तान	340.00
जापान	7440.00

(घ) सरकार ने प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। इसमें नर्सिंग स्कूलों का उन्नयन करके उन्हें नर्सिंग कालेज बनाना, नए नर्सिंग कालेजों की स्थापना करना, नर्सिंग स्कूलों और कालेजों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना, नर्सिंग कार्मिकों के लिए उनके ज्ञान और कार्यकौशलों का उन्नयन करने हेतु अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हैं।

एच०आई०वी०-एड्स से मुकाबला

2682. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच०आई०वी० एड्स और अन्य विश्वव्यापी रोगों का मुकाबला करने में अफ्रीका सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) एच०आई०वी० एड्स का मुकाबला करने के लिए भारत को मदद देने वाले देशों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या एच०आई०वी० एड्स से लड़ने के लक्ष्य के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अफ्रीकी देशों को मदद पहुंचाने की अपनी समग्र नीति के भाग के रूप में भारत द्वारा अफ्रीका के विभिन्न देशों को समय-समय पर अनाज, दवाइयां और ऐंटी रिट्रोवायरल औषधें उपलब्ध कराई जाती रही हैं।

अफ्रीका के विभिन्न देशों को सहायता स्वरूप उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी औषधों का ब्योरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) एच०आई०वी० – एड्स का सामना करने के लिए निम्नलिखित देश भारत को सहायता की पेशकश कर रहे हैं :–

1. यूनाइटेड किंगडम : डी०एफ०आई०डी० सहायता प्राप्त पी०एस०एच० परियोजना।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका : तमिलनाडु और पांडिचेरी में यू०एस०ए०आई०डी० से सहायता प्राप्त ए०पी०ए०सी० परियोजना तथा महाराष्ट्र में ए०वी०ई०आर०टी० परियोजना।
3. कनाडा : भारत- कनाडा सहयोग से एच०आई०वी०/एड्स परियोजना।

(घ) और (ङ) एच०आई०वी०-एड्स का सामना करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियां दर्शाने वाले विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

अफ्रीकी देशों को दान में दी गयी औषधें

क्रम सं०	देश	वित्तीय वर्ष	स्वीकृति राशि (रुपयों में)	स्वीकृति राशि (अमरीकी डालरों में)
1	2	3	4	5
1.	केन्या	2003-04	4544986	100,000
2.	जाम्बिया	2003-04	4592986	100,000
3.	लेसाथो	2003-04	2223697	50,000
4.	नामिबिया	2003-04	4506586	100,000
5.	यूगांडा	2003-04	2226505	50,000

1	2	3	4	5
6.	ईवोरी कास्ट	2003-04	445490	100,000
7.	सिचिलिस	2004-05	2287446	50,000
8.	गिनी	2004-05	4542933	100,000

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियां

- महामारी के और आगे फैलाव की रोकथाम करने तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति और राष्ट्रीय रक्त नीति कार्यरत हैं।

- कार्यक्रम कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां स्वायत्त शासी निकाय के रूप में गठित की गयी हैं।

- शीघ्र निदान तथा यौन संचारित रोगों का उपचार सुनिश्चित करने के लिए 745 यौन संचारित रोग क्लिनिकों को आवश्यक उपभोज्य सामग्रियां तथा औषधें प्रदान कर सहायता दी जाती है।

- जांच-पूर्व तथा जांच-पश्चात् परामर्श के साथ स्वैच्छिक एच०आई०वी० जांच के लिए लोगों तक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए 804 स्वैच्छिक परामर्श जांच केन्द्र पहले से ही अस्तित्व में हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में 8 केन्द्रों में नि:शुल्क एंटी-रिट्रोवायरल थिरैपी प्रदान की जा रही है।

- उच्च जोखिम वाली आबादी में एच०आई०वी० के फैलाव की रोकथाम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 933 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं।

- एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त मृत्यु के कगार वाले बीमार रोगियों के लिए देखरेख की व्यवस्था करने के लिए 60 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र उच्च व्यापतता वाले राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

- एच०आई०वी० संक्रमित माताओं से उनके बच्चों में संचरण के निवारक कार्यकलाप के लिए 307 पी०पी०टी०सी०टी० केन्द्र सेवाओं का पैकेज प्रदान कर रहे हैं।

- रक्त तथा रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कार्यात्मक रक्त बैंक की व्यवस्था। इस समय इस कार्यक्रम के तहत 1020 रक्त बैंकों की सहायता की जाती है।

- देश में एच०आई०वी० महामारी का पता लगाने के लिए अभिज्ञात क्लिनिकों में 670 प्रहरी स्थलों की स्थापना की गयी तथा लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं शुरू की गयीं।

- स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 64,453 स्कूलों की कवरेज।

- एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए "समय-समय पर होने वाले संक्रमणों" के उपचार के लिए देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर बल्क टर्मिनल को बदलना

2683. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
किसनभाई वी० पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर विद्यमान बल्क टर्मिनल को बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप पत्तन पर हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान में क्या स्थिति है; और

(च) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। 10 अगस्त, 2004 को लाइसेंसदाता, जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-न्यास और लाइसेंसधारी, मेएर्सक् ए/एस-कानॅकॉर-संघ द्वारा बनाई गई कंपनी गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

के बीच लाइसेंस-क़रार किया गया। उपर्युक्त लाइसेंस-क़रार में उपर्युक्त पत्तन पर विद्यमान बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल के रूप में पुनर्विकसित किया जाना और बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित कर दो के आधार पर लाइसेंसधारक द्वारा तीस वर्षों की अवधि तथा उपर्युक्त पत्तन का प्रबंधन और संचालन किया जाना परिकल्पित है। उपर्युक्त कंटेनर टर्मिनल को विकसित किए जाने में विद्यमान बल्क जहाज़ी माल संभालने की संरचना को ढहाया जाना और सिविल कार्यों का निष्पादित किया जाना, कंटेनर संभालने के उपस्करों का लगाया जाना, सहायक सुविधाओं को विकसित किया जाना इत्यादि सहित, कंटेनर टर्मिनल का निर्माण किया जाना शामिल है। उपर्युक्त लाइसेंस पर विचार करके, लाइसेंसधारक ने 15 करोड़ रु० की धनराशि पेशगी के रूप में दे दी है और उपर्युक्त लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने के समय 40 करोड़ रु० की निष्पादन (पर्फोर्मेंस) गारंटी प्रस्तुत कर दी है। उपर्युक्त लाइसेंस-क़रार के अनुसार, लाइसेंस-धारक द्वारा लाइसेंस की अवधि के दौरान, लाइसेंस दाता द्वारा उसे सौंपी गईं, परिसम्पत्तियों और लाइसेंस शुदा परिसरों के संबंध में, उपर्युक्त लाइसेंस-क़रार में दर्शाई गई दरों के अनुसार, वार्षिक पट्टेदारी-प्रभार का भुगतान भी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस-क़रार की अवधि के दौरान, कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनरों को संभालने से अर्जित अपनी सकल आय की 35.503% धनराशि का लाइसेंसदाता को भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(ग) जी, हां।

(घ) 900 करोड़ रु०।

(ङ) लाइसेंसधारक ने वित्तीय दृष्टि से काम-काज पूरा कर लिया है। बल्क संभालने की विद्यमान सुविधाएं ढहा दी गई हैं। वार्फ/ घाट के निर्माण-कार्य का दस प्रतिशत, पेवमेंट से संबंधित और रेल से संपर्क से संबंधित आठ प्रतिशत और भवन-निर्माण से संबंधित तेरह प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

(च) उपर्युक्त लाइसेंस-क़रार के अनुसार, अगस्त, 2006 तक उपर्युक्त टर्मिनल के कार्य-संचालन योग्य बना दिया जाना अपेक्षित है।

हज यात्रा

2684. **श्री एस०के० खारवेनथन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने भारतीयों ने हज यात्रा की है;

(ख) सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों का ब्योरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा हज यात्रियों के संबंध में कितनी धनराशि की राजसहायता दी जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सउदी अरब में हज करने वाले भारतीय हज यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है :–

2003	–	1,16,078
2004	–	1,17,490
2005	–	1,31,116

(ख) हज यात्रियों के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं में सउदी अरब में अस्पतालों और डिस्पैंसरियों का गठन, दवाइयों की आपूर्ति, चिकित्सीय, परा चिकित्सीय और प्रशासनिक स्टॉफ की नियुक्ति शामिल है। जद्दाह स्थित भारत का प्रधान कॉंसलावास भारत की हज समिति के माध्यम से हज करने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न रिहायशी व्यवस्थाएं करने में सहायता करता है।

(ग) इस समय उपलब्ध नहीं है।

विदेश स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले भारतीयों को राजसहायता/सुविधाएं देना

2685. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को धार्मिक स्थलवार कितनी धनराशि की राजसहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को भी राजसहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) विदेशों में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए केंद्र सरकार इस समय जो सब्सिडी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वह निम्नलिखित हैं :–

कैलाश मानसरोवर यात्रा :

कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन वर्तमान में चीन की सरकार के साथ एक द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरांचल में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से सरकार द्वारा किया जाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए सरकार 3250/- रु० (तीन हजार दो सौ पचास रुपए) प्रति यात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम को भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क चिकित्सा सहायता, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा भारतीय क्षेत्र में लिपुलेख दर्रे तक सुरक्षा एवं मार्गरक्षण, चीन के साथ संचार संपर्क, और संपूर्ण यात्रा के दौरान आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए तीर्थयात्रियों के प्रत्येक बैच के संपर्क अधिकारी के लिए उपग्रह फोन के प्रावधान करना शामिल है। यात्रियों के प्रत्येक बैच के साथ सरकार एक संपर्क अधिकारी भेजती है जो उनके सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। सरकार का प्रयास यह है कि यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में निरंतर सुधार लाया जाए और उन्हें उन्नत बनाया जाए।

विगत तीन वर्ष (2002, 2003 और 2004) के दौरान 1322 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए और इसके लिए यात्रा हेतु अपेक्षित व्यवस्थाएं करने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम को लगभग 43 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

पाकिस्तान में धार्मिक स्थल :

पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थलों, जिनमें गुरूद्वारा श्री ननकाना साहिब (पिंडी), गुरूद्वारा श्री पंजा साहिब, हसनब्दल (पिंडी), श्री गुरू रामदास की जन्मस्थली, लाहौर, और श्री कटासराज स्थित धर्मस्थान शामिल हैं, की यात्रा पर जाने वाली तीर्थयात्रियों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। मंत्रालय "धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोतोकोल 1974" के अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वीजा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। रेल मंत्रालय, जब और जैसा, अनुरोध किया जाता है, प्रक्रिया के अनुसार लागत के आधार पर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करता है। पाकिस्तान में व्यवस्थाएं, स्वागत संगठनों द्वारा की जाती हैं।

हज यात्री :

विगत तीन वर्ष के दौरान भारत की हज समिति के माध्यम से जिन्होंने हज किया उन हाजियों को सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सब्सिडी की राशि इस प्रकार है :–

2003	–	(लगभग)	172.00 करोड़ रुपए
2004	–	(लगभग)	160.00 करोड़ रुपए
2005	–	(लगभग)	179.66 करोड़ रुपए

हज यात्रियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में सऊदी अरब में चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना, दवाइयों की आपूर्ति, चिकित्सा एवं अर्ध-चिकित्सा तथा प्रशासनिक स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करना शामिल है। भारत की हज समिति के माध्यम से हज करने वाले हाजियों के लिए जद्दाह स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास भी विभिन्न संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं करने में सहायता प्रदान करता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेडियोएक्टीविटी के लीक होने की घटनाएं

2686. श्री ब्रजेश पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे परमाणु विद्युत स्टेशन कौन-कौन से हैं जिनका जीवनकाल समाप्त होने जा रहा है;

(ख) इन विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पन्न रेडियोएक्टीविटी के आसन्न खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वे परमाणु विद्युत स्टेशन कौन-कौन से हैं, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक रेडियोएक्टीविटी के लीक होने की घटनाएं हुई हैं;

(घ) क्या इन स्टेशनों के निकट रहने वाले परिवारों पर रेडियोएक्टीविटी के पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) शून्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, परमाणु बिजलीघरों का आर्थिक कार्यकाल 30-40 वर्ष होता है। व्यवस्थित जीवन काल मूल्यांकन

अध्ययनों और कार्यकाल बढ़ाने संबंधी उपायों के आधार पर, परमाणु विद्युत संयंत्रों को और 20-25 वर्षों तक सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। भारत में भी, हमारा अनुभव ऐसा ही रहा है। सभी संयंत्रों का प्रचालन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए०ई०आर०बी०) द्वारा लाइसेंस दिए जाने, और समय-समय पर प्रचालन की समीक्षा करने पर निर्भर करता है।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक विकिरणसक्रियता के रिसाव अथवा उत्सर्जन की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) परमाणु विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का विकिरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए जानपदिकरोगविज्ञान सर्वेक्षण करने का काम, टाटा स्मारक केन्द्र, जोकि भारत में एक प्रमुख अनुसंधान केन्द्र है, द्वारा पूरा कर लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त सर्वेक्षणों ने यह दर्शाया है कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के प्रचालन से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।

(च) ऊपर (ङ) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए प्रस्ताव

2687. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी तथा निजी क्षेत्र में राज्यवार कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालय हैं;

(ख) केन्द्र सरकार को नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यों से वर्ष 2004-2005 के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(घ) आज की तारीख के अनुसार केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में 31 सरकारी और 174 निजी डेंटल कालेज हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1.10.2003 और 30.9.2004 के बीच विभिन्न राज्यों से नए डेंटल कालेजों की स्थापना के लिए 42 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) 2004-2005 के दौरान नए डेंटल कालेजों की स्थापना के लिए 4 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

(घ) आज की स्थिति के अनुसार कुल 43 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ङ) इन मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करना भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के मानदण्डों और उन पर भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	सरकारी डेंटल कालेज	निजी डेंटल कालेज	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	15	17
2.	असम	1	—	1
3.	बिहार	1	6	7
4.	छत्तीसगढ़	1	3	4
5.	दिल्ली	1	—	1
6.	गोवा	1	—	1
7.	गुजरात	2	5	7
8.	हरियाणा	1	8	9
9.	हिमाचल प्रदेश	1	4	5
10.	जम्मू व कश्मीर	1	—	1
11.	कर्नाटक	1	41	42
12.	केरल	3	9	12
13.	मध्य प्रदेश	1	7	8

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	4	20	24
15.	उड़ीसा	1	1	2
16.	पांडिचेरी	1	—	1
17.	पंजाब	2	9	11
18.	राजस्थान	1	8	9
19.	तमिलनाडु	1	15	16
20.	उत्तर प्रदेश	2	21	23
21.	उत्तरांचल	0	1	1
22.	पश्चिम बंगाल	2	1	3
	कुल	31	174	205

उपकरणों की खरीद

2688. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या संचार और सचूना प्रौद्योगकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को घरेलू निर्माताओं से उपकरण खरीदने के बारे में निर्देश देने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम से सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की स्थिति अलाभकारी हो जाएगी क्योंकि निजी कंपनियां अपनी पसंद की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उपकरण खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगी;

(घ) यदि हां, तो क्या एम०टी०एन०एल०/बी०एस०एन०एल० एक समान खरीद मानदंडों की मांग कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (ङ) टेलीफोन उपकरणों के देशी विनिर्माण को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्धी दरों पर वांछित गुणवत्ता/मानक उत्पादों की उपलब्धता, बिक्री के बाद सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और देश में नई प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से वांछनीय महसूस किया गया है। एक प्रापण ढांचे, जिसके तहत केवल वही विक्रेता प्रापण हेतु पात्र होंगे जो कतिपय दूरसंचार उत्पादों का विनिर्माण देश में ही करते हैं (अथवा ऐसा करने की जिसके पास सुनिश्चित योजनाएं हैं), पर बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० द्वारा सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कैंसर जांच सुविधा

2689. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर जांच सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) आरंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाने की जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कैंसर के मामलों पर प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और उनके उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। देश की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की अधिकांश स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में स्तन, मूत्राशय और मुख के कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने के प्रावधान हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन०सी०सी०पी०) के विभिन्न घटकों के तहत कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था मे पता लगाने, उनके निदान और संबंधित उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को बल प्रदान किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ जैसे केन्द्रीय सरकार के अस्पताल कैंसर के विशेषज्ञ उपचार के लिए सुसज्जित हैं।

एन०सी०सी०पी० के तहत सभी योजनाएं संशोधित हो गई हैं तथा संशोधित योजना के अनुसार सभी सरकारी मेडिकल कालेज/अस्पताल अपने यहां आंकोलॉजी विंग को सुदृढ़ करने के लिए एकबारगी 3.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के पात्र हो गए हैं। एन०सी०सी०पी० के तहत स्थापित 22 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा सम्बद्ध क्षेत्रों/राज्यों में कैंसर का पता लगाने और प्रबंधन सुविधाओं के साथ-साथ परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[अनुवाद]

वृद्धावस्था के रोगियों के लिए ओ०पी०डी० सामान्य वार्ड

2690. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था के रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में एक विशेष ओ०पी०डी० तथा सामान्य वार्ड खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या बुजुर्गों के लिए विशेष ओ०पी०डी० खोलने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचा पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने वाले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सरकार जरा चिकित्सा के रोगियों के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों में एक विशिष्ट ओ०पी०डी० और सामान्य वार्ड खोलने की संभाव्यता की जांच कर रही है। तथापि, इस समय केन्द्र सरकार के अस्पतालों में जरा चिकित्सा के रोगियों के लिए दवाएं देने हेतु अलग काउंटर और परामर्श लेने हेतु अलग पंक्ति की व्यवस्था मौजूद है।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2691. **श्री तापिर गाव** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। अरुणाचल प्रदेश में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् रा०रा०-52, 52ए और 153 हैं जिनकी कुल लंबाई 419 कि०मी० है और इनको सामान्यत: उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। हाल ही में बारिश/बाढ़ के कारण रा०रा०-52 के जिन कुछ खंडों को क्षति पहुंची है, उनको यातायात योग्य स्थिति में रखने की दृष्टि से उन पर सीमा सड़क संगठन द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित की गई कुल धनराशि 26.89 करोड़ रु० है और उसमें से जून, 2005 तक 17.93 करोड़ रु० की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

2692. **श्री जी० करुणाकर रेड्डी** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के किन-किन क्षेत्रों का वित्तपोषण किया जा रहा है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित क्षेत्रों के लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) सरकार द्वारा वित्तपोषित (उपकर

आबंटन और एन०एच०ए०आई० द्वारा बाजार ऋण में से) स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी उप परियोजनाएं संलग्न विवरण-I के अनुसार हैं।

(ख) विदेशी सहायता से निष्पादित की जा रही स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी उप परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। इन संस्थाओं से निष्पादित ऋण के ब्योरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पश्चिमी परिवहन कॉरीडोर (रा०रा०-4 के तुमकुर-हावेरी खंड को चार लेन का बनाना) के लिए ऋण समापन की तारीख दिसंबर, 2005 है और इसे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इस कार्य की जून, 2006 तक पूरे होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटी) के स्थानांतरण में विलंब, खराब प्रबंधन और कुछ ठेकेदारों के साथ नकदी की समस्या के कारण कार्य पूरा करने के लक्ष्य को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) एशियाई विकास बैंक ने संविदा करार के अनुसार दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की है।

विवरण-I

संघ सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लंबाई	वित्त का स्रोत	संबंधित राज्य
1	2	3	4	5
1.	जयपुर बाइपास जोन-सी	13.60	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
2.	जयपुर बाइपास, फेज-II, जोन डी (आरएसआरडीसीसी के लिए भुगतान सहित)	34.70	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
3.	किशनगढ़-नसीराबाद (के यू-I)	36.23	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
4.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (के यू-II)	55.87	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
5.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास (के यू-III)	50.00	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
6.	भीलवाड़ा बाइपास से चित्तौड़गढ़ (के यू-IV)	66.00	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
7.	किशनगढ़-उदयपुर (चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़) पैकेज (के यू-V)	48.00	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
8.	किशनगढ़-उदयपुर (मंगलवाड़-उदयपुर) 172 से 113.825 कि०मी० पैकेज (के यू-VI)	58.18	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
9.	चार लेन वाला 29.5 कि०मी० लंबा पहुंच नियंत्रित बाइपास। रा०रा० 79 पर 159 कि०मी० से राजस्थान में 20 कि०मी० लंबा रा०रा० 76 पर 213 कि०मी०	20.00	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
10.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (उदयपुर-केसरियाजी) रा०रा० 8 का 278 से 340 कि०मी० यू०जी०-I	62.00	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
11.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (केसरियाजी-रतनपुर) 340 से 388 कि०मी० यू०जी०-I	48.40	एन०एच०ए०आई०	राजस्थान
12.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (रतनपुर-हिम्मतनगर) 388.4 से 433 कि०मी० यू०जी०-II	54.60	एन०एच०ए०आई०	गुजरात

1	2	3	4	5
13.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (हिम्मतनगर-चिलोड़ा/गांधीनगर) 443 से 495 कि०मी० यू०जी०-IV	52.00	एन०एच०ए०आई०	गुजरात
14.	वेस्टरली डायवर्जन (पुणे बाइपास)	34.25	एन०एच०ए०आई०	महाराष्ट्र
15.	पुणे-सतारा (वाथर-सतारा) 760-725 कि०मी० (पी०एस०-1)	35.00	एन०एच०ए०आई०	महाराष्ट्र
16.	पुणे-सतारा (सरोल-वाथर) 760-797 कि०मी० (पी०एस०-2)	29.00	एन०एच०ए०आई०	महाराष्ट्र
17.	पुणे-सतारा (कटराज-सरोल) 797-825.5 कि०मी० (पी०एस०-3)	28.50	एन०एच०ए०आई०	महाराष्ट्र
18.	पुणे-सतारा (कटराज बाइपास) कटरा पुनर्संरेखण (पी०एस०-4)	9.00	एन०एच०ए०आई०	महाराष्ट्र
19.	सीरा बाइपास	5.80	एन०एच०ए०आई०	कर्नाटक
20.	तुमकुर बाइपास	13.00	एन०एच०ए०आई०	कर्नाटक
21.	बेलगाम बाइपास	18.00	एन०एच०ए०आई०	कर्नाटक
22.	धारवाड़-बेलगाम (के०टी०) रा०रा० 4 पैकेज-III	62.00	एन०एच०ए०आई०	कर्नाटक
23.	हुबली-हावेरी	64.00	एन०एच०ए०आई०	कर्नाटक
24.	होसूर-कृष्णागिरि	45.40	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
25.	चेन्नै-रानीपेट-कृष्णागिरि (कृष्णागिरी-बनियापबाड़ी) पैकेज-III (के०आर०-1)	49.00	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
26.	चेन्नै-रानीपेट-कृष्णागिरि (बनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा) 49-100 कि०मी० पैकेज-III (के०आर०-2)	51.00	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
27.	चेन्नै-रोनीपेट-कृष्णागिरि (पल्लीकोंडा-रानीपेट) 100-145 कि०मी० पैकेज-III (के०आर०-3)	45.00	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
28.	चेन्नै-रोनीपेट-कृष्णागिरि (पूनामाली-कांचीपुरम) 70.2-13.8 कि०मी० पैकेज-I (आर०सी०-1)	56.40	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
29.	चेन्नै-रोनीपेट-कृष्णागिरि (वलेलपेट-कांचीपुरम) 70.2-106.2 कि०मी० पैकेज-II (आर०सी०-2)	36.20	एन०एच०ए०आई०	तमिलनाडु
30.	धुनकुरी-कोलाघाट डब्ल्यू०बी०-I	54.40	एन०एच०ए०आई०	पश्चिम बंगाल
31.	कोलाघाट-खड़गपुर रा०रा० 6 डब्ल्यू०बी०-II	60.45	एन०एच०ए०आई०	पश्चिम बंगाल
32.	धुनकुनी-खड़गपुर डब्ल्यू०बी०-III (पुल) 17.6-13.6 कि०मी०	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०आई०	पश्चिम बंगाल
33.	लक्ष्मणनाथ-खड़गपुर डब्ल्यू०बी०-IV	65.86	एन०एच०ए०आई०	पश्चिम बंगाल
34.	पुल बालासोर-खड़गपुर ओ०आर०-डब्ल्यू०बी०-I	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०आई०	उड़ीसा

1	2	3	4	5
35.	भुवनेश्वर-खुर्दा ओ०आर०-I	26.30	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
36.	चंडीखोल-भद्रक ओ०आर०-II	75.50	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
37.	भद्रक-बालासोर ओ०आर०-III	62.64	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
38.	बालासोर-लक्ष्मणनाथ ओ०आर०-IV	53.41	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
39.	चंडीखोल-बालासोर (पुल) ओ०आर०-V	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
40.	सुनखला-खुर्दा ओ०आर०-VI 233-284 कि०मी०	52.06	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
41.	गंजम-सुनखला ओ०आर०-VII 284-338 कि०मी०	55.71	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
42.	इच्छापुरम-गंजम ओ०आर०-VIII 338-388 कि०मी०	50.80	एन०एच०ए०अई०	उड़ीसा
43.	चंपावती-श्रीकाकुलम (49-97 कि०मी०) ए०पी०-I	48.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
44.	श्रीकाकुलम-पलसा (97-171 कि०मी०) ए०पी०-II	74.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
45.	विशाखापत्तनम-चंपावती नदी 2.8-49 कि०मी० रा०रा० 5 (ए०पी०-III)	46.20	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
46.	इच्छापुरम-विशाखापत्तनम पैकेज-IA (कोरलम-पलसा) 171-200 कि०मी० ए०पी०-IV ए	29.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
47.	इच्छापुरम-विशाखापत्तनम पैकेज-IB (इच्छापुरम-कोरलम) 233-200 कि०मी० ए०पी०-IV बी	33.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
48.	इच्छापुरम-चंपावती (पुल खंड 49-97 कि०मी०) ए०पी०-V	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
49.	इच्छापुरम-चंपावती (पुल खंड 98-233 कि०मी०) ए०पी०-VI	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
50.	राजमुंदरी-इलूरू ए०पी०-17 (गोथामी-राजमुंदरी) (200-165 कि०मी०)	34.95	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
51.	राजमुंदरी-इलूरू ए०पी०-18 (इलूरू-गोथामी) (80-165 कि०मी०) ए०पी०-18	81.08	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
52.	इलूरू-राजमुंदरी (पुल-II) ए०पी०-19	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
53.	इलूरू-राजमुंदरी (पुल-I) ए०पी०-20	अनुपलब्ध	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
54.	कवली-नेल्लोर (ए०पी०-11)	43.80	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
55.	कवली-अंगोल (ए०पी०-12)	72.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
56.	अंगोल-चिल्कालूरीपेट (ए०पी०-13)	66.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
57.	चेन्नै-टाडा (टी०एन०-1)	41.80	एन०एच०ए०अई०	तमिलनाडु
58.	इलूरू के पास (राजमुंदरी-विजयवाड़ा) (75-80 कि०मी०)	5.00	एन०एच०ए०अई०	आंध्र प्रदेश
59.	इटावा बाइपास रा०रा० 2	13.60	एन०एच०ए०अई०	उत्तर प्रदेश

विवरण-II

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लंबाई	वित्त का स्रोत	संबंधित राज्य
1	2	3	4	5
1.	सूरत-मनोर पैकेज-I	79.60	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-IV)	गुजरात
2.	सूरत-मनोर पैकेज-II	38.60	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-IV)	गुजरात
3.	सूरत-मनोर पैकेज-III	57.40	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-IV)	महाराष्ट्र
4.	गुड्गांव-कोटपुतली (ए०डी०बी० पैकेज-I)	126.00	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-III)	साझा
5.	तुमकुर-हावेरी (तुमकुर-सीरा) पैकेज-I	41.40	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-V)	कर्नाटक
6.	तुमकुर-हावेरी (सीरा-चित्रदुर्ग) पैकेज-II	66.70	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-V)	कर्नाटक
7.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग खंड) पैकेज-III	18.00	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-V)	कर्नाटक
8.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग-दावणगेरे) पैकेज-IV	77.00	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-V)	कर्नाटक
9.	तुमकुर-हावेरी (दावणगेरे-हावेरी) पैकेज-V	56.00	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-V)	कर्नाटक
10.	जगतपुर-चंडीखोल (आई०डी०पी०-100)	33.00	ई०ए०पी० (जे०बी०आई०सी०)	उड़ीसा
11.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा पैकेज-I	25.00	ई०ए०पी० (जे०बी०आई०सी०)	आंध्र प्रदेश
12.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-II, गुंटूर बाइपास सहित 0-15.20 कि०मी०	32.00	ई०ए०पी० (जे०बी०आई०सी०)	आंध्र प्रदेश
13.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-III, 0-10.8 कि०मी० तक कृष्णा पुल के पहुंच मार्गों सहित)	23.78	ई०ए०पी० (जे०बी०आई०सी०)	आंध्र प्रदेश
14.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा पैकेज-IV (कृष्णा पुल)	2.88	ई०ए०पी० (जे०बी०आई०सी०)	आंध्र प्रदेश
15.	विजयवाड़ा-इलूरू (ए०डी०बी०, पैकेज-V) (3.4-75 कि०मी०)	71.60	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-III)	आंध्र प्रदेश
16.	सिकंदरा-भौंटी (टी०एन०एच०पी०-1) पैकेज-IIए	62.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	उत्तर प्रदेश
17.	फतेहपुर-खागा (टी०एन०एच०पी०-2) पैकेज-IIसी (उ०प्र०) 38-115 कि०मी०-रा०रा० 2	77.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	उत्तर प्रदेश
18.	खागा-कोखराज (टी०एन०एच०पी०-3) पैकेज-IIIए (उ०प्र०) डब्ल्यू०बी०	43.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	उत्तर प्रदेश
19.	हंडिया-वाराणसी (टी०एन०एच०पी०-4) पैकेज-IIIसी (उ०प्र०) डब्ल्यू०बी०	72.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
20.	मोहनिया-सासाराम (टी०एन०एच०पी०-5) पैकेज-IVबी (बिहार) (डब्ल्यू०बी०)	45.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	बिहार
21.	डेहरी-ओन-सोन-औरंगाबाद (टी०एन०एच०पी०-6) पैकेज-IVडी (डब्ल्यू०बी०)	40.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	बिहार
22.	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (टी०एन०एच०पी०-7) पैकेज-Vए (औरंगाबाद-बाराचट्टी)	60.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	बिहार
23.	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (टी०एन०एच०पी०-8) (गोरहर-बरवाअड्डा) (बी-सी) 320-398.75 कि०मी०	78.75	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-III)	झारखंड
24.	आगरा-शिकोहाबाद (जी०टी०आर०आई०पी०-1) पैकेज-ए (1999.60-307.50 कि०मी०)	50.84	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	उत्तर प्रदेश
25.	शिकोहाबाद-एटा (जी०टी०आर०आई०पी०-2) पैकेज-बी (250.50-307.50 कि०मी०)	57.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	उत्तर प्रदेश
26.	इटावा-राजपुर (जी०टी०आर०आई०पी०-3) पैकेज-सी (321.1-393 कि०मी०)	72.83	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	उत्तर प्रदेश
27.	भौंटी-फतेहपुर (जी०टी०आर०आई०पी०-4) पैकेज-IIबी	51.50	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	उत्तर प्रदेश
28.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए०बी०पी०-I) 163.280 से 164.30 कि०मी० तक गंगा नदी पर पुल का निर्माण (गंगा पुल)	1.02	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-ए०बी०पी०)	उत्तर प्रदेश
29.	उत्तर प्रदेश में 158-198 कि०मी० तक रा०रा० 2 पर इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए०बी०पी०-III)	39.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-ए०बी०पी०)	उत्तर प्रदेश
30.	उत्तर प्रदेश में 198-242.708 कि०मी० तक रा०रा० 2 पर इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए०बी०पी०-III)	44.70	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-ए०बी०पी०)	उत्तर प्रदेश
31.	वाराणसी-मोहनिया (जी०टी०आर०आई०पी०-5) पैकेज-IV ए (डब्ल्यू०बी०)	76.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	साझा
32.	सासाराम-डेहरी ओन सोन (जी०टी०आर०आई०पी०-6) पैकेज-IV सी (डब्ल्यू०बी०)	30.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	बिहार
33.	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (जी०टी०आर०आई०पी०-7) (V-बी) (बाराचट्टी-गोरहर)	80.00	ई०ए०पी० (डब्ल्यू०बी०-IV)	साझा
34.	रानीगंज-पानागढ़ (ए०डी०बी० पैकेज-II)	42.00	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-III)	पश्चिम बंगाल
35.	बरवाअड्डा-बराकर (ए०डी०बी० पैकेज-II)	42.70	ई०ए०पी० (ए०डी०बी०-III)	झारखंड

विवरण-III

बहुदेशीय एजेंसियों से लिए गए ऋण के ब्यौरे

विवरण	राशि	30.6.2005 की स्थिति के अनुसार ऋण की स्थिति
1	2	3
विश्व बैंक (डब्ल्यू०बी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जी०टी०आर०आई०पी०)	589 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
इलाहाबाद बाइपास	240 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
एन०एच०डी०पी० चरण-II		
लखनऊ-मुजफ्फरपुर	620 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।
उप जोड़ विश्व बैंक	1965 मिलियन अमरीकी डालर	
एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
रा०रा० परियोजनाएं (ए०डी०बी०-III)	245 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समाप्त
सूरत-मनोर (ए०डी०बी०-IV)	180 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
पश्चिम परिवहन कॉरीडोर (ए०डी०बी०-V)	240 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
एन०एच०डी०पी० चरण-II		
पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (ए०डी०बी०-VI)	320 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
सेक्टर-I (चित्तौड़गढ़-कानपुर)	400 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
सेक्टर-II (झांसी-लखनऊ)	400 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।
उप जोड़ ए०डी०बी०	1785 मिलियन अमरीकी डालर	
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे०बी०आई०सी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
नैनी पुल	10037 मिलियन येन	ऋण समाप्त

1	3	4
चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा	11360 मिलियन येन	ऋण समाप्त
जगतपुर-चंडीखोल	5836 मिलियन येन	ऋण समाप्त
गाजियाबाद-हापुड़	4827 मिलियन येन	ऋण समाप्त
उप जोड़ जे०बी०आई०सी०	32060 मिलियन येन	

खेलों को बढ़ावा देने तथा युवाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएं

2693. **श्री राजेन्द्र कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तरांचल राज्य में इस समय खेलों को बढ़ावा देने तथा युवाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए पिछले एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) उक्त राज्य में उक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) मंत्रालय की मुख्य रूप से चल रही युवा विकास तथा खेल संवर्धन की योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

जहां तक उत्तरांचल का संबंध है, विभिन्न योजनाओं जैसे खेल अवस्थापना, युवाओं से संबंधित गतिविधियां तथा प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सेवा योजना, किशोरों के विकास और अधिकारिता की योजना, युवा छात्रावास, राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना, साहस के संवर्धन आदि के अंतर्गत 2004-2005 तथा 2005-2006 (31.7.2005 तक) के दौरान राज्य में राज्य सरकार/स्वैच्छिक संगठनों को कुल 3,55,59,350 रुपये जारी किये गये थे।

(ख) 2004-2005 तथा 2005-2006 (31.7.2005 तक) के दौरान विभिन्न युवा विकास तथा खेल संवर्धन की योजनाओं के अंतर्गत रखा गया कुल व्यय निम्नलिखित है :–

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	योजना	योजनेत्तर	कुल
2004-05	373.89	64.13	443.02
2005-06 (31.7.2005 तक)	92.80	24.15	116.95

(ग) भारत सरकार खेल तथा युवा कल्याण गतिविधियों के संवर्धन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर मैरिट के आधार पर विचार किया जाता है, यदि वे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य हैं।

विवरण

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की निरंतर रूप से चल रही महत्वपूर्ण युवा विकास तथा खेल संवर्धन की योजनाओं की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम
1	2
	युवा कल्याण योजना
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना
2.	नेहरु युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रम
3.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
4.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना
5.	राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम
6.	युवा छात्रावास
7.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना
8.	साहसिक गतिविधियों का संवर्धन
9.	स्काइटिंग एवं गाइडिंग
10.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडल का आदान-प्रदान
11.	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम
12.	मूल्यांकन सहित ग्रामीण युवा तथा खेल क्लबों को सहायता

1	2

13. युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन तथा प्रशिक्षण

14. यू०एन०वी० कार्यक्रम में योगदान

15. किशोरों के कल्याण और विकास की योजना

खेल

1. भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यक्रम

2. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता

3. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम

4. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन

5. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप

6. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि

7. अर्जुन पुरस्कार व ध्यानचंद पुरस्कार

8. द्रोणाचार्य पुरस्कार

9. खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीम विशेषज्ञों का आदान प्रदान

10. होनहार खिलाड़ियों आदि को सहायता की योजना

11. पब्लिक/रिहायशी, सैंट्रल स्टूलों में एन०सी०सी० जूनियर डिविजन ट्रुप्स को अनुदान

12. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

13. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं आदि के विजेताओं को विशेष पुरस्कार

14. विकलांगों में खेलों का संवर्धन

15. राज्य खेल अकादमी

16. डोप परीक्षण योजना

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को बंद करना

2641. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के उचित तथा संतोषजनक कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) 31.07.2005 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में बंद किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। बूथों को बंद करने के कारण निम्नवत् हैं :–

(i) भुगतान न करने के कारण बंद करना।

(ii) फ्रेंचाइजी के अनुरोध पर बंद करना।

(घ) सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के उचित और संतोषजनक ढंग से कार्यकरण के लिए सरकार ने पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र (एस०डी०सी०सी०) के स्तर पर केन्द्रीकृत फॉल्ट बुकिंग।

(ii) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का प्राथमिकता के आधार पर दोष-सुधार।

(iii) "ड्रॉप-वायर" से संबंधित दोषों से बचने के लिए खंभा सहित नेटवर्क तैयार करना।

विवरण-I

31.7.2005 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (वी०पी०टी० को छोड़कर) की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	521

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	85123
3.	असम	6252
4.	बिहार	25375
5.	छत्तीसगढ़	1611
6.	गुजरात	23135
7.	दादरा और नगर हवेली	219
8.	दमन और दीव	242
9.	हरियाणा	12834
10.	हिमाचल प्रदेश	6216
11.	जम्मू व कश्मीर	2853
12.	झारखंड	8525
13.	कर्नाटक	39683
14.	केरल	54466
15.	लक्षद्वीप	49
16.	मध्य प्रदेश	8365
17.	महाराष्ट्र मुम्बई एम०टी०एन०एल० को छोड़कर	65687
18.	गोवा	2673
19.	मेघालय	527
20.	मिजोरम	26
21.	त्रिपुरा	1062
22.	नागालैंड	177
23.	मणिपुर	21
24.	अरुणाचल प्रदेश	963
25.	उड़ीसा	11007
26.	पंजाब चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित	15900
27.	राजस्थान	26911
28.	तमिलनाडु	26982
29.	पांडिचेरी	886
30.	उत्तर प्रदेश	43431
31.	उत्तरांचल	3595
32.	पश्चिम बंगाल	14580
33.	सिक्किम	180
	जोड़	490077

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (वी०पी०टी० को छोड़कर) की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भुगतान न करने के कारण बंद किए गए				भुगतान न करने के कारण के अतिरिक्त अन्य कारणों से बंद किए गए (फ्रेंचाइजी के अनुरोध पर				3 वर्षों का जोड़
		2002-03	2003-04	2004-05	कुल	2002-03	2003-04	2004-05	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	1	0	0	8	8	9
2.	आंध्र प्रदेश	6308	9633	6380	22321	3442	4368	6849	14659	36980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	626	734	276	1636	172	207	147	526	2162
4.	बिहार	1470	1582	1193	4245	302	272	487	1061	5306
5.	छत्तीसगढ़	223	266	590	1079	312	479	353	1144	2223
6.	गुजरात	1930	2735	2550	7215	3370	4038	5547	12955	20170
7.	दादरा और नगर हवेली	20	23	24	67	9	23	52	84	151
8.	दमन और दीव	14	18	24	56	11	22	50	83	139
9.	हरियाणा	868	1664	2336	4868	684	908	1088	2680	7548
10.	हिमाचल प्रदेश	41	123	176	340	61	69	110	240	580
11.	जम्मू व कश्मीर	149	249	150	548	139	149	115	403	951
12.	झारखंड	274	220	200	694	17	45	109	171	865
13.	कर्नाटक	1065	2493	6771	10329	1143	2290	7004	10437	20766
14.	केरल	885	1210	1309	3404	643	1071	1487	3201	6605
15.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	1429	1986	1257	4672	2051	2140	2038	6229	10901
17.	महाराष्ट्र मुम्बई एम०टी०एन०एल० को छोड़कर	3012	4183	5434	12629	3942	5954	8181	18077	30706
18.	गोवा	101	171	144	416	219	364	390	973	1389
19.	मेघालय	65	47	39	151	22	16	14	52	203
20.	मिजोरम	0	0	85	85	0	0	0	0	85
21.	त्रिपुरा	82	25	18	125	30	39	28	97	222
22.	नागालैंड	201	309	114	624	0	0	0	0	624
23.	मणिपुर	46	146	41	233	0	0	0	0	233
24.	अरुणाचल प्रदेश	79	64	6	149	0	0	1	1	150
25.	उड़ीसा	387	491	545	1423	247	495	588	1330	2753
26.	पंजाब चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित	883	1767	1490	4140	2397	3119	3601	9117	13257
27.	राजस्थान	775	887	1284	2946	1840	2361	2747	6948	9894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	तमिलनाडु	4977	9253	5759	19989	6631	5193	9969	21793	41782
29.	पांडिचेरी	0	4	3	7	71	129	168	368	375
30.	उत्तर प्रदेश	1965	2778	2314	7057	1954	3275	4241	9470	16527
31.	उत्तरांचल	71	87	286	444	149	123	186	458	902
32.	पश्चिम बंगाल	3172	4342	4667	12181	1179	3898	3789	8866	21047
33.	सिक्किम	16	11	5	32	3	1	5	9	41
	जोड़	31134	47501	45471	124106	31040	41048	59352	131440	255546

[अनुवाद]

मंत्रालय के कार्य-निष्पादन का आकलन

2695. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री गणेश सिंह :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार के मंत्रालायों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए निजी क्षेत्र से परामर्श करने तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की योजना बना रही है, जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अपने मंत्रालयों तथा विभागों के कामकाज में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) अभी हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत ढ़ांचा एवं अन्य सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 40 गैर-सरकारी संगठनों को नागरिकों एवं सरकार के बीच मध्यस्थ के तौर पर भूमिका, सरकारी संगठनों द्वारा सेवा प्रदायगी में सुधार लाने एवं नागरिक चार्टर मार्क की संकल्पना करने एवं कार्यान्वयन करने के लिए तैयार किये गये एक प्रोटोटाइप मॉडल पर अनुभव के मूल्यांकन/बांटने के लिए चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस परियोजना के निम्नलिखित 3 घटक हैं: (i) नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में श्रेष्ठता को आंकना एवं मान्यता देना; (ii) लोक शिकायत निवारण तंत्र रेटिंग मॉडल एवं (iii) लोक सेवा प्रदायगी में श्रेष्ठता के लिये संस्थानों का आकलन। इस परियोजना के प्रारंभ होने के साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी।

नागरिक चार्टर पहल के तहत, मंत्रालयों/विभागों एवं सगठनों को सलाह दी गई है कि वे पणधारियों जिनमें कि गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों, स्थानीय कल्याण संगठनों एवं जनता के अन्य सदस्य भी सम्मिलित हैं जो कि सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं, से परामर्श करें एवं इनको भी शामिल करें।

कोयले की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नीलामी

2696. **श्री हंसराज जी० अहीर :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की विभिन्न खानों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नीलामी प्रणाली के अंतर्गत कोर तथा गैर-कोर क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की कितनी मात्रा की नीलामी की गई;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नीलामी प्रणाली द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों को लाभ पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो कोयला खान-वार तथा कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से नीलामी का विभिन्न समूहों विशेषकर डब्ल्यू०सी०एल० क्षेत्रों में औद्योगिक एसोसिएशनों ने विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कोयला कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से नीलामी प्रणाली की समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ज) क्या सरकार इस प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) वर्ष 04-05 तथा 05-06 (जून 05 तक) के दौरान ई-नीलामी परीक्षणों के अंतर्गत सफल बोलीदाताओं को आवंटित कम्पनी-वार कोयला नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े लाख टन में)

अवधि	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	सीआईएल
04-05	–	9.48	–	–	–	–	–	1.02	10.50
05-06 जून तक	1.65	8.11	2.96	0.70	3.96	2.91	5.74	1.35	27.38

(ख) जी, हां। ई-नीलामी परीक्षण कोयले के विपणन में अधिक पारदर्शिता लाने में लाभदायक रहा है। जो उपभोक्ता आपूर्ति के आधिकारिक स्रोत से अपनी आवश्यकता का कोयला प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, वे अब एक आधिकारिक स्रोत के माध्यम से, उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निर्धारित की गई कीमत पर मात्रा के प्रतिबंध के बिना अपने प्राथमिकता वाले स्रोतों से अपनी आवश्यकता का कोयला प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) ई-नीलामी के लिए निर्धारित की गई मात्रा को कम्पनी-वार आवंटित किया जाता है और सभी परिकलन तद्नुसार किए जाते हैं। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 (जून तक) के दौरान अधिसूचित कीमत से अधिक बोली कीमत में कोयला कम्पनी-वार तुलनात्मक प्रतिशत वृद्धि नीचे दिए अनुसार है :–

अवधि	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	सीआईएल
04-05	–	34.0	–	–	–	–	–	33.6	34.0
05-06 जून तक	29.1	53.5	25.9	150.9	39.8	82.0	19.0	28.5	59.9

(घ) और (ङ) जी, हां। विभिन्न समूहों द्वारा उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं :–

(i) लघु उद्योग उपभोक्ताओं को इन ई-नीलामी परीक्षणों को शुरू किए जाने के संबंध में पहले से सूचित नहीं किया गया था।

(ii) ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से कोयला अधिक महंगा था।

(iii) यद्यपि व्यापारी ऊंची दरें कोट कर रहे थे और तदुपरान्त उनकी बयाना राशि जब्त हो रही थी, फिर भी भारित औसत ई-नीलामी कीमत इन ऊंची बोलियों पर परिकलित की जा रही थी।

(iv) ई-नीलामी में कोयले की भारी मात्रा उन व्यापारियों द्वारा खरीदी जा रही थी जो कोयले की जमाखोरी कर रहे थे और लघु उद्योगों तथा ईंट यूनिटों को इसकी काला-बाजारी कर रहे थे।

(v) अधिसूचित कीमत के बजाए लिंकड नान-कोर उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्तियों के लिए भारित औसत ई-नीलामी कीमत लागू की जा रही थी।

(vi) नए लिंकेज/लिंकेज मात्रा में वृद्धि को रोक दिया गया है।

कोयला कम्पनियां ई-नीलामी परीक्षणों के माध्यम से नान-कोर उपभोक्ताओं को कोयले की सुलभ प्राप्ति और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कार्य कर रही है। इन ई-नीलामी परीक्षणों के बारे में व्यापक प्रैस प्रचार और विभिन्न शहरों में सड़क शो के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता लाई गई है।

ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए कोयले की कीमतें बाजार गतिशीलता को दर्शाती हैं। तथापि, ग्रामक प्रवृत्तियों से बचने के लिए कोयला कम्पनियों को केवल मात्रा बुक कर दिए जाने के बाद ही और न कि बोलियों को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद, औसत भारित कीमत की गणना करने के संबंध में सावधान कर दिया गया है। ई-नीलामी तंत्र, इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के स्रोत से अपेक्षित ग्रेड का कोयला वांछित मात्रा में प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।

(च) से (झ) लिंकेजों और प्रायोजनाओं के आधार पर नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री की मौजूदा नीति को निरस्त करने वाले दिनांक 13.5.2004 के कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप सरकार ने, परीक्षण आधार पर इन्टरनेट में ई-नीलामी के माध्यम से नान-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री किए जाने को सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है। ई-नीलामी परीक्षणों का भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा साथ ही साथ मूल्यांकन किया जा रहा है और इन परीक्षणों के अनुभव के आधार पर अंतिम मत लिया जाएगा।

एम्स तथा सी०आर०एच०एस० के बीच टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी

2697. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तथा व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (सी०आर०एच०एस०) के बीच टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) टेलीमेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से कितने जिलों को एम्स के साथ जोड़ा गया है;

(घ) क्या टेलीमेडिसिन सेवाओं द्वारा और अधिक जिलों को एम्स के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) देश में सभी जिला मुख्यालयों को कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा बल्लभगढ़ में व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (सी०आर०एच०एस०) परियोजना के बीच टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी ने 5 जुलाई, 2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) इस समय, 81 जिले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की टेलीमेडिसिन प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोलियो का नया टीका

2698. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोलियो के वर्तमान टीके के स्थान पर नया टीका लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश से पोलियो के मामलों के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार 2005 के अंत तक देश से पोलियो का उन्मूलन करने तथा शून्य संचरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन

2699. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए छः सूत्री कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) देश में इस समय कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(घ) इस कार्य योजना को अनुमानित लागत कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार देश में कुष्ठ उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(i) विकेन्द्रीकरण और संस्थागत विकास जिसके अंतर्गत 27 बड़े राज्यों में राज्य कुष्ठ सोसायटियां और देश के सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसायटियों का गठन किया गया जो विनियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और समय पर दोष निवारक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेवार हैं।

(ii) समुदाय द्वारा सेवाओं को बेहतर आउट-रीच और उपयोगिता के लिए देश में कुष्ठ सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीककरण।

(viii) देश में सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से शीघ्र कुष्ठ रोगी निदान और सभी रोगियों को नि:शुल्क बहुऔषध उपचार।

(iv) जन मीडिया और पेरिफेरी में स्थानीय मीडिया के माध्यम से वृद्ध जन जागरूकता अभियान।

(v) सामान स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को कुष्ठ और अशक्तता निवारण एवं परिचर्या में प्रशिक्षण।

(vi) विकलांगता का निवारण और परिचर्या।

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और सभी कार्य दिवसों पर सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क निदान और उपचार उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को 41.75 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं

2700. **श्री ची० करुणाकर रेड्डी** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समय विशेष रूप से कर्नाटक में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की प्रगति संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एन०एच०डी०पी० के लिए बहुदेशीय एजेंसियों से लिए गए ऋण के ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। दिनांक 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :–

(लंबाई कि०मी० में)

क्रम सं०	परियोजना	कुल लंबाई	पूरी हो गई	कार्यान्वयनाधीन	सौंपे जाने के लिए शेष
1.	एन०एच०डी०पी० चरण-I और चरण-II	752	462.42	229.58	60
2.	एन०एच०डी०पी० चरण-III	457	–	–	457

विवरण-I

बहुदेशीय एजेंसियों से लिए गए ऋण के ब्योरे

विवरण	राशि	30.6.2005 की स्थिति के अनुसार ऋण की स्थिति
1	2	3
विश्व बैंक (डब्ल्यू०बी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516 मिलियन अमरीकी डालर	चालू

1	2	3
ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जी०टी०आर०आई०पी०)	589 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
इलाहाबाद बाइपास	240 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
एन०एच०डी०पी० चरण-II		
लखनऊ-मुजफ्फरपुर	620 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।
उप जोड़ विश्व बैंक	1965 मिलियन अमरीकी डालर	
एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
रा०रा० परियोजनाएं (ए०डी०बी०-III)	245 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समाप्त
सूरत-मनोर (ए०डी०बी०-IV)	180 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
पश्चिम परिवहन कॉरीडोर (ए०डी०बी०-V)	240 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
एन०एच०डी०पी० चरण-II		
पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (ए०डी०बी०-VI)	320 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
सेक्टर-I (चित्तौड़गढ़-कानपुर)	400 मिलियन अमरीकी डालर	चालू
सेक्टर-II (झांसी-लखनऊ)	400 मिलियन अमरीकी डालर	ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।
उप जोड़ ए०डी०बी०	1785 मिलियन अमरीकी डालर	
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे०बी०आई०सी०)		
एन०एच०डी०पी० चरण-I		
नैनी पुल	10037 मिलियन येन	ऋण समाप्त
चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा	11360 मिलियन येन	ऋण समाप्त
जगतपुर-चंडीखोल	5836 मिलियन येन	ऋण समाप्त
गाजियाबाद-हापुड़	4827 मिलियन येन	ऋण समाप्त
उप जोड़ जे०बी०आई०सी०	32060 मिलियन येन	

विवरण-II

दिनांक 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना	कुल लंबाई	पूरी कर ली गई	कार्यान्वयनाधीन (जारी एल०ओ०ए० सहित)	अभी सौंपी जानी है
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	5846	4912	934	–
2.	उत्तर-दक्षिणी और पूर्व-पश्चिमी कॉरीडोर	7300 (इस समय वास्तविक 7224)	707	2459	4058
3.	पत्तन संपर्क एवं अन्य परियोजनाएं	1167	386	417	364
4.	एन०एन०डी०पी० IIIक	4000	शून्य	636	3364

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए मोबाइल वैन योजना

2701. **श्री ब्रजेश पाठक :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे महानगर कौन-कौन से हैं, जहां टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए मोबाइल वैन योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या उक्त मोबाइल वैन योजना के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) यह सेवा दिल्ली और चेन्नई में शुरू की गई लेकिन जनता द्वारा अधिक उत्साह नहीं दिखाए जाने के कारण, यह वापस ले ली गई। इस समय टेलीफोन बिलों का भुगतान करने के लिए अनेक केन्द्र हैं जिनमें बैंक, डाकघर और विभागीय काउंटर शामिल हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से आसानी से भुगतान करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी भुगतान करने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) यह योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उ०प्र० (पश्चिम) सर्किलों में शुरू की जा चुकी है और इसे कोलकाता, बिहार, झारखंड और उत्तरांचल सर्किलों में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) बैंकों, डाकघरों सहित संग्रहण काउंटरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के कारण और साथ ही जनता द्वारा अधिक उत्साह नहीं दिखाए जाने के कारण अन्य सर्किलों में यह योजना शुरू नहीं की गई है।

[अनुवाद]

एन०एच०डी०पी० में निजी कार्पोरेट्स की भागीदारी

2702. **श्री एस०के० खारवेनथन :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन०एच०डी०पी०) निजी कार्पोरेट्स को प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एन०एच०डी०पी० का अन्य चरणों में विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजनाओं की कुल लागत, पूरा होने की लक्षित तिथि आदि का चरण-वार ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) उन राजमार्गों

का राज्यवार ब्योरा जिनके ठेके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II और चरण-IIIक के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर सौंपे जाने के लिए प्रस्तावित हैं, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दिनांक 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार एन०एच०डी०पी० चरण-I, II और IIIक की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस समय ब्योरे देना संभव नहीं है।

विवरण-I

(क) एन०एच०डी०पी० चरण-II के अंतर्गत बी०ओ०टी०/वार्षिकी परियोजनाओं के ब्योरे

(30 जून, 2005 के अनुसार स्थिति)

क्रम सं०	रा०रा० सं०	खण्ड	कुल लंबाई (कि०मी०)	कॉरिडोर	राज्य
1.	47	सलेम से केरल सीमा खण्ड	100	उत्तर-दक्षिणी (एन०एस०)	तमिलनाडु
2.	47	सलेम से केरल सीमा खण्ड	82	एन०एस०	तमिलनाडु
3.	47	केरल सीमा से त्रिसूर	88	एन०एस०	केरल
4.	75	ग्वालियर बाइपास (लगभग 24 कि०मी० लंबा)	39	एन०एस०	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश
5.	75	ग्वालियर-झांसी	80	एन०एस०	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश
6.	26	झांसी से ललितपुर	92	एन०एस०	उत्तर प्रदेश
7.	7	लखण्डन से म०प्र०/महाराष्ट्र सीमा	108	एन०एस०	मध्य प्रदेश
8.	7	म०प्र०/आं०प्र० सीमा से अरमूर	134	एन०एस०	आंध्र प्रदेश
9.	7	अरमूर से कालकल्लू गांव	138	एन०एस०	आंध्र प्रदेश
10.	7	फारूखनगर से कोट्टाकाटा	98.2	एन०एस०	आंध्र प्रदेश
11.	7	कोट्टाकाटा से कर्नूल	78	एन०एस०	आंध्र प्रदेश
		जोड़	1037		

ख एन०एच०डी०पी० चरण-II में बी०ओ०टी० टोल आधारित परियोजनाओं के ब्योरे

(30 जून, 2005 के अनुसार स्थिति)

क्रम सं०	रा०रा० सं०	खण्ड	कुल लंबाई (कि०मी०)	कॉरीडोर	राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	1	पानीपत उत्थापित राजमार्ग (सौंपा गया)	10.00	एन०एस०	हरियाणा
2.	2 और 25	बारा से उरई	62.00	ई०डब्ल्यू०	उत्तर प्रदेश
3.	14	पिंडवाड़ा से पालनपुर	76.00	ई०डब्ल्यू०	राजस्थान/गुजरात

1	2	3	4	5	6
4.	8बी	राजकोट बाइपास और गोंडेल-जयपुर (सौंपा गया)	36.00	ई०डब्ल्यू०	गुजरात
5.	7	कृष्णागिरी से थोपुरघाट	63.00	एन०एस०	तमिलनाडु
6.	7	सलेम से करूर	83.00	एन०एस०	तमिलनाडु
7.	7	करूर से मदुरै	139.80	एन०एस०	तमिलनाडु
8.	47	त्रिसुर से अंगामल्ली	46.00	एन०एस०	केरल
9.	7	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-अवाती गांव	60.40	एन०एस०	कर्नाटक
10.	28	गोरखपुर बाइपास	32.40	ई०डब्ल्यू०	उत्तर प्रदेश
11.	2 और 3	आगरा बाइपास	29.00	एन०एस०	उत्तर प्रदेश
12.	7	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से मानासर	37.00	एन०एस०	महाराष्ट्र
13.	7	मानासर से काम्प्टी कहनान बाइपास सहित नागपुर	34.00	एन०एस०	महाराष्ट्र
14.	7	नागपुर बाइपास	30.00	एन०एस०	महाराष्ट्र
15.	31सी	असम/प० बंगाल सीमा से गैरकट्टा	78.00	ई०डब्ल्यू०	पश्चिम बंगाल
16.	31सी और 3	गैरकट्टा से सिलीगुड़ी	94.00	ई०डब्ल्यू०	पश्चिम बंगाल
17.	31	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर	29.00	ई०डब्ल्यू०	पश्चिम बंगाल
18.	45	टिंडीवनम-त्रिची बाइपास	203.00	अन्य	तमिलनाडु
			1142.6		

एन०एस० : उत्तर-दक्षिण महामार्ग

ई०डब्ल्यू० : पूर्व-पश्चिम महामार्ग

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ए के अंतर्गत पहचाने गए खंडों की सूची

क्रमांकइ	रा०रा०सं०	राज्य	खंड	लंबाई (कि०मी०)
1	2	3	4	5
1.	1	पंजाब	जालंधर-अमृतसर	49
2.	3	महाराष्ट्र	धुले-पिंपलगांव	118
3.	3	महाराष्ट्र	वडापे-गोंडे	100
4.	3	मध्य प्रदेश	इंदौर-खालघाट	83
5.	3	मध्य प्रदेश	गुना बाइपास	12.25
6.	4	कर्नाटक	नीलमंगला-बंगलौर	30

1	2	3	4	5
7.	4	कर्नाटक	बंगलौर-होसकोटे-कोलार-मुदबागल	75
8.	4ए	कर्नाटक	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	84
9.	6	छत्तीसगढ़	रायपुर-औरंग	45
10.	6	महाराष्ट्र	नागपुर-वेनगंगा पुल	60
11.	6	महाराष्ट्र	वेनगंगा पुल-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	76
12.	6	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	90
13.	6	महाराष्ट्र	नागपुर-कोंधाली	40
14.	6	महाराष्ट्र	कोंधाली-तालेगांव	50
15.	7	कर्नाटक	बंगलौर-होसूर	25
16.	9	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद-विजयवाड़ा	176
17.	9	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	65
18.	10	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली-हिसार	160
19.	11	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	आगरा-भरतपुर	63
20.	11	राजस्थान	भरतपुर-महुआ	57
21.	11	राजस्थान	महुआ-जयपुर	108
22.	17	कर्नाटक	कुंदापुर-सूरतकल	71
23.	17	कर्नाटक	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	18
24.	21	पंजाब	चंडीगढ़-कीरतपुर	73
25.	21 व 22	हरियाणा/पंजाब	अंबाला-जीरकपुर	35
26.	22	पंजाब/हरियाणा	जीरकपुर-कालका-शिमला	133

विवरण-

एन०एच०डी०पी० चरण-I, II

क्रमांक	राज्य	स्वर्णिम चतुर्भुज			उत्तर-दक्षिणी				पूर्व-पश्चिमी	
		जोड़	4-लेन	कार्यान्वयना-धीन (यू०आई०)	जोड़	4-लेन	कार्यान्वयना-धीन (यू०आई०)	शेष	जोड़	4-लेन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1.016	966.40	49.40	766.00	39.00	23.00	704.00		

1	2	3	4	5
27.	24	उत्तर प्रदेश	लखनऊ-सीतापुर	76
28.	33	झारखंड	हजारीबाग-रांची	75
29.	45	तमिलनाडु	डिंडीगुल-त्रिची	80
30.	45बी	तमिलनाडु	मदुरै-तूतीकोरिन	144
31.	47	केरल	चरयाला-तिरुवनंतपुरम	187
32.	47	केरल/तमिलनाडु	त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी	113
33.	48	कर्नाटक	नीलमंगला-हासन	154
34.	50	महाराष्ट्र	पुणे-खेड	30
35.	58	उत्तर प्रदेश	दिल्ली-मेरठ	46
36.	58	उत्तर प्रदेश	मेरठ-मुजफ्फरनगर	79
37.	58 व 72	उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर-देहरादून	146
38.	66	पांडिचेरी/तमिलनाडु	पांडिचेरी-टिंडीवनम	40
39.	66	तमिलनाडु	कृष्णागिरि-टिंडीवनम	170
40.	67	तमिलनाडु	नागापट्टनम-तंजावूर-त्रिची	130
41.	67	तमिलनाडु	त्रिची-करूर (त्रिची बाइपास सहित)	88
42.	68	तमिलनाडु	सलेम-उलूनडरूपेट	134
43.	200	उड़ीसा	चंडीखोल-धुबरी	39
44.	205	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु	तिरूपति-तिरूवानी-चेन्नै	138
45.	215	उड़ीसा	पनिकोइली-रॉक्सी	249
		जोड़		4014.25

II

और IIIक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग

सारे आंकड़े कि०मी० में

कार्यान्वयना-धीन (यू०आई०)	शेष	पत्तन संपर्क जोड़	4-लेन	कार्यान्वयना-धीन (यू०आई०)	शेष	अन्य जोड़	4-लेन	कार्यान्वयना-धीन (यू०आई०)	शेष	एनएचडीपी चरण क जोड़	यू०आई० एल० ओ० ए० जारी
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		12.00		12.00	0.00	83.00	83.00		0.00	285.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0								
3.	असम	0							690.00	19.00
4.	बिहार	206	137.06	68.94					511.24	
5.	चण्डीगढ़	0								
6.	छत्तीसगढ़	0								
7.	दिल्ली	25	25.00		21.00		21.00	0.00		
8.	गोवा	0								
9.	गुजरात	485	472.00	13.00					634.00	96.00
10.	हरियाणा	152	152.00		183.00	131.00	32.00	20.00		
11.	हिमाचल प्रदेश	0			11.00			11.00		
12.	जम्मू और कश्मीर	0			448.00		133.30	314.70		
13.	झारखंड	192	133.07	58.93						
14.	कर्नाटक	623	455.42	167.58	92.00	7.00	25.00	60.00		
15.	केरल	0			168.00	33.60		134.40		
16.	मध्य प्रदेश	0			519.00	24.00	18.00	477.00	119.00	
17.	महाराष्ट्र	489	469.32	19.68	276.00	35.00	118.00	123.00		
18.	मणिपुर	0								
19.	मेघालय	0								
20.	मिजोरम	0								
21.	नागालैंड	0								
22.	उड़ीसा	443	249.21	193.79						
23.	पाण्डिचेरी	0								
24.	पंजाब	0			270.00	197.00	0.00	73.00		
25.	राजस्थान	722	721.48	0.52	30.00	20.00	0.00	10.00	526.00	
26.	सिक्किम	0								
27.	तमिलनाडु	341	331.95	9.20	775.00	34.00	273.00	468.00		

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
423.00	248.00					10.00		10.00			
122.00	389.24										
						18.00	18.00		0.00	135.00	45
						10.00		10.00	0.00	20.00	
		13.00	13.00		0.00						
504.30	33.70	56.00	56.00		0.00						
						18.00		18.00	0.00	167.00	
										110.00	
										75.00	
		37.00		37.00	0.00					457.00	
		10.00		10.00	0.00					230.00	
88.40	30.60									95.25	14
		44.00	30.00	14.00	0.00	17.40	17.40		0.00	474.00	248
		77.00		77.00	0.00					288.00	
										4.00	
						20.00			20.00	153.00	85
416.00	111.00									186.00	165
		54.00		47.20	8.80	487.00	112.00	36.50	338.50	946.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	त्रिपुरा	0						0.00		
29.	उत्तर प्रदेश	754	421.59	332.41	202.00	23.00	0.00	179.00	652.00	25.00
30.	उत्तरांचल	0								
31.	पश्चिम बंगाल	398	377.00	21.00					330.85	23.00
	जोड़	5846	4912	934	3761	544	643	2574	3463	163

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े विकास कार्य

2703. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अलग-अलग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा कवर की गई कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत लंबाई कवर करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और अब तक पूरा हुए कार्य का प्रतिशत क्या है;

(घ) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5614 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग चार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है। एन०एच०ए०आई० द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 4/6 लेन बनाने के लिए 269 किलोमीटर का निर्धारित लक्ष्य था जिसमें से 66% लक्ष्य (176.65 कि०मी०) प्राप्त कर लिया गया था। इस कार्य में विलंब भूमि अधिग्रहण, युविधा (यूटिलिटी) स्थानांतरण, वन और पर्यावरण संबंधी अनापत्तियां इत्यादि से जुड़ी समस्याओं के कारण हुआ है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास कार्यों को तुंरत पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी चालू कार्यों और अन्य केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही वार क्रिटीकल पुनरीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी नियमित रूप से सड़कों का निरीक्षण नियमित रूप से करते हैं और वे सड़क खंडों की स्थल स्थिति के अनुसार सुधार के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। एन०एच०ए०आई० की परियोजनाओं के लिए, ठेकों की स्वतंत्र इंजीनियर, परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० द्वारा विभिन्न स्तरों पर और मंत्रालय द्वारा नियमित मानीटरिंग की जाती है। राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटी) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति जैसी एन०एच०डी०पी० के कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए हैं। आर०ओ०बी० के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एन०एच०ए०आई० में एक रेलवे के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कुछ आर०ओ०बी० के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स इनकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	रा०रा० सं०	कुल लंबाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	2	748.512
2.	2ए	27.000

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
182.60	444.40					148.00	57.00	91.00	0.00	264.00	79
										125.00	
81.00	226.85	53.00		53.00	0.00						
1816	1484	356	99	250	7	811	287	166	359	4014.25	636

1	2	3
3.	3	28.886
4.	7	125.200
5.	11	42.360
6.	19	127.400
7.	24	491.000
8.	24ए	10.794
9.	25	282.200
10.	26	131.695
11.	27	45.627
12.	28	367.570
13.	29	209.057
14.	56	276.690
15.	56ए	8.725
16.	56बी	14.132
17.	58 (विस्तार सहित)	145.650
18.	72ए	33.000
19.	73	48.890
20.	74	180.000
21.	75 (विस्तार सहित)	108.423
22.	76	372.900
23.	86	144.700
24.	87	42.600
25.	91	408.400
26.	92	77.900
27.	93	232.000
28.	96	153.795
29.	97	56.200
30.	25ए	29.000
31.	28बी	64.215
32.	28सी	152.900
33.	29 विस्तार	98.100
34.	91ए	100.850
35.	119	139.150
36.	76 विस्तार	88.120
	जोड़	5614

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल परिवहन जलमार्ग संबंधी प्रस्ताव

2704. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने करीब 118.04 करोड़ रु० की लागत के अंतर्देशीय जल परिवहन जलमार्ग के 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उनकी स्वीकृत लागत कितनी है;

(घ) लंबित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण को केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु महाराष्ट्र-सरकार से 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका ब्योरा, संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से 22.50 करोड़ रु० की कुल लागत के 06 प्रस्ताव, केन्द्र-सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं और 8.93 करोड़ रु० की धनराशि भी उपर्युक्त राज्य-सरकार को दे दी गई है। 95.23 करोड़ रु० की लागत के शेष 07 प्रस्तावों के संबंध में उपर्युक्त राज्य-सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विवरण

केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र-सरकार के प्रस्तावों का ब्योरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु०)
1	2	3
(क) अनुमोदित प्रस्ताव		
1.	दक्षिण मुंबई से अंबा नदी/मांडवा में धर्मतर क्रीक तक और विलोमत: अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	4.11
2.	दक्षिण मुंबई से अंबा नदी/करंजा में धर्मतर क्रीक तक और विलोमत: अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	4.82
3.	राजपुरी में म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	4.69
4.	जंजीरा फोर्ट में म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय राजमार्गों का विकास	1.25
5.	विष्णुपुरी परियोजना, जिला नांदेड के पास गोदावरी नदी में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	2.72
6.	दिगही में म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	4.99
	उप जोड़ (क)	22.58
(ख) वे प्रस्ताव जिनके संबंध में राज्य-सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है		
1.	दक्षिण मुंबई से अंबा नदी/रेवास में धर्मतर क्रीक तक और विलोमत: अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	2.97
2.	अगरडंडा में म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	3.35
3.	ईसापुर, जिला यवतमाल में पारिस्थितिकीय पर्यटन-परियोजना के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	3.91
4.	मुंबई बंदरगाह के आर-पार (फेरी व्हार्फ से नेरूल तक और विलोमत:) अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	67.00
5.	ऐलीफेंटे, कोंकण तट और कोंकण तट के साथ क्रीकों (जयगढ़ संगमेश्वर, तारकरली-कलावल) पर सुविधा जेटियों का विकास	8.00
6.	कोयना पश्चजल के पास पारिस्थितिकीय पर्यटन-परियोजना के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	5.00
7.	तालुका दिगरास, जिला यवतमाल में अरूणावती नदी के साथ पारिस्थितिकीय पर्यटन-परियोजना के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास	5.00
	उप जोड़ (ख)	95.23
	योग	117.81

पी०एस०एल०वी०-सी०6 का छोड़ा जाना

2705. **प्रो० एम० रामदास** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पी०एस०एल०वी०-सी०6 को छोड़ जाने संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) देश को इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और उपग्रहों को छोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश को इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी०एस०एल०वी०-सी०6 05 मई, 2005 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रमोचित नौवां पी०एस०एल०वी० मिशन है जिसने दो भारतीय उपग्रहों, सुदूर संवेदन उपयोगों के लिए 'कार्टोसैट-1' तथा रेडियो प्रेमियों के लाभ के लिए एक सूक्ष्म उपग्रह, 'हैमसैट' को कक्षा में स्थापित किया।

(ख) इस प्रमोचन के परिणामस्वरूप पी०एस०एल०वी० ने एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता तथा पुनरावृत्ति क्षमता का प्रदर्शन किया है। कार्टोसैट-1 मानचित्रण उपयोगों के लिए 2.5 मीटर विभेदन की त्रिविम प्रतिबिंबन क्षमता प्रदान करता है। हैमसैट अव्यवसायी रेडियो अनुरागियों के लिए विश्वव्यापी संचार के अवसर प्रदान करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं योजना के दौरान, मानचित्रकला के लिए अंतरिक्षयान, कक्षा में परिक्रमा करने वाले अन्तरिक्ष कैप्सूल की पुनर्प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकियों के सूक्ष्म-गुरूत्व अनुसंधान एवं विकास, समुद्री उपयोगों, सूक्ष्मतरंग सुदूर संवेदन, अन्तरिक्ष विज्ञान और चन्द्रयान मिशन का अनुमोदन किया गया है। ये मिशन उच्च विभेदन सुदूर संवेदन क्षमता को सुदृढ करेंगे, सभी मौसम में प्रतिबिंबन को संभव बनायेंगे और वैज्ञानिक ज्ञान का संवर्धन करेंगे।

[हिन्दी]

मोबाइल कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता

2706. **श्री पारसनाथ यादव** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अधिकांश मोबाइल टेलीफोन कंपनियां खराब सेवा प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन मोबाइल कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रचालकों से प्राप्त तिमाही मॉनीटरिंग रिपोर्टों के जरिए सेवा गुणवत्ता विनियमन के संबंध में ट्राई द्वारा अधिसूचित सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क के संदर्भ में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखता है। मार्च, 2005 को समाप्त तिमाही की सेवा गुणवत्ता संबंधी कार्य-निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के अनुसार बहुसंख्यक मोबाइल सेवा प्रदाता ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकांश बेंचमार्कों को पूरा कर रहे हैं। सेवा गुणवत्ता संबंधी विभिन्न पैरामीटरों के लिए बेंचमार्कों को पूरा करने वाले प्रचालकों की संख्या विभिन्न पैरामीटरों के लिए 73.8% से 100% के बीच अलग-अलग है।

(ख) जुलाई, 2000 में जारी सेवा गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की ट्राई द्वारा समीक्षा की गई और जुलाई, 2005 में सेवा गुणवत्ता संबंधी संशोधित विनियम जारी किए गए। इस विनियम के जरिए ट्राई ने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क शर्तों की व्यापक मॉनीटरिंग करने तथा साथ ही सभी प्रचालकों की ग्राहक हेल्प लाइनों की तत्परता की मॉनीटरिंग करने के लिए कुछ नए पैरामीटर निर्धारित किए हैं। ट्राई ने गुणवत्ता संबंधी मानक के बेंचमार्कों को हासिल करने संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की हैं।

(ग) ट्राई को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध अलग-अलग उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि ट्राई अधिनियम, 1997 में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी शिकायतें उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा निपटाई जानी होती हैं, फिर भी व्यवस्था संबंधी शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और अन्य शिकायतें प्रचालकों के पास अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों और छः लेनों वाला बनाना

2707. **श्री धावरचन्द गेहलोत** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार लेनों और छः लेनों में बदले गए राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं और उनकी राज्य-वार और वर्ष-वार लंबाई कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छः लेनों में बदलने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2005-06 के लिए कार्य योजना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की 1456 कि०मी० को 4/6 लेन में परिवर्तित किया जाना है।

विवरण

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 4/6 लेन के बनाए जा चुके राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे

(सभी लंबाई कि०मी० में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	जोड़	रा०रा०सं०
आंध्र प्रदेश	113.66	305.41	495.74	914.81	5, 7, 9, 202
बिहार	0.00	12.00	92.00	104.00	31, 2
चंडीगढ़	0.00	0.00	1.00	1.00	21
गुजरात	116.20	168.10	105.79	390.09	8बी, 14, 8ए, एन०ई० 1, 8
हरियाणा	2.70	0.00	2.00	4.70	10
झारखंड	0.00	0.00	66.30	66.30	2
कर्नाटक	5.80	96.92	227.52	330.24	4
महाराष्ट्र	27.00	156.20	137.53	320.73	4, 6, 7, 8, 4बी, 69
उड़ीसा	27.80	92.16	87.09	207.05	5, 60
राजस्थान	6.00	318.10	245.46	569.56	76, 79ए, 8, 79, 3, 15, 12
तमिलनाडु	45.20	120.40	286.26	451.86	7, 46, 4, 5, 67
उत्तर प्रदेश	64.50	15.35	291.00	370.85	25, 2, 3, 24, 27, 58, 91, 87
पंजाब	0.00	0.00	36.00	36.00	1, 1ए
केरल	0.00	0.00	16.60	16.60	47
मध्य प्रदेश	9.00	0.00	16.80	25.80	3, 12
असम	0.00	8.00	10.50	18.50	37
गोवा	0.00	0.00	13.00	13.00	17बी
पश्चिम बंगाल	0.00	58.00	254.71	312.71	31, 2, 6, 60
उत्तरांचल	0.00	3.00	3.00	6.00	72, 74, 87
जोड़	417.86	1353.64	2388.30	4159.80	

[अनुवाद]

आपातस्थिति के दौरान उपचार

2708. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० लाभार्थी संबंधित औषधालयों से उनके मामलों को रैफर किए बिना आपातस्थिति के दौरान निकटवर्ती अस्पतालों/नर्सिंग होम में शीघ्र उपचार करा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उन अधिकृत निजी अस्पतालों, अर्ध-सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के राज्य-वार और औषधालय-वार नाम क्या हैं जहां उपचार कराया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

आपात स्थिति में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी (सेवारत और पेंशनर दोनों) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा रैफर किए बिना किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/गैर-मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/नर्सिंग होम में सीधा उपचार करवा करते हैं और इसके बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकार से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

विवरण

अहमदाबाद

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० से मान्यप्राप्त निजी अस्पतालों/ निदान केन्द्रों के नाम	सी०जी०एच०एस० के तहत जिस सुविधा के लिए मान्यताप्राप्त है, उनके नाम
1.	कर्णवती हास्पिटल प्रा०लि०, टाउन हाल के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, दूरभाष:079-26575500.	डायालिसिस, ईको, टी०एम०टी० और हाल्टर के लिए विशेषज्ञ उपचार और निदान
2.	पारिक्स हास्पिटल, शालीमार काम्पलैक्स, महालक्ष्मी, फाइव रोड, पालडी, अहमदाबाद दूरभाष:079-26602999-26603999	हिप और नी ट्रांसप्लांट सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
3.	कृष्णा हर्ट इंस्टीट्यूट, 319 ग्रीन सिटी, घूमा, चौरसिया नर्सिंग होम के निकट, अहमदाबाद, दूरभाष:02717-230879 से 881.	कार्डियोलोजी, कार्डियक थौरेसिक सर्जरी और निदान संबंधी विशेषज्ञ उपचार
4.	गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट (राजस्थान हास्पिटल), कैम्प रोड, शाही बाग, अहमदाबाद, दूरभाष:079-22866311, 312 और 313.	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान
5.	स्टर्लिंग हास्पिटल, गुरूकुल रोड, ड्राईव-इन सिनेमा, अहमदाबाद, दूरभाष:079-27481415, 27485767.	कार्डियोलोजी और कार्डियो थोरेसिस सर्जरी संबंधी सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
6.	उस्मानपुरा सी०टी० स्कैन, 30, अम्बिका सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, दूरभाष:079-27552555-27552666.	एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन, सोनोग्राफी, एक्स-रे और ई०ई०जी० से संबंधी विशेषज्ञ निदान

इलाहाबाद

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० से मान्यप्राप्त निजी अस्पतालों/ निदान केन्द्रों के नाम	सी०जी०एच०एस० के तहत जिस सुविधा के लिए मान्यताप्राप्त है, उनके नाम
1	2	3
1.	श्री नारायण आश्रम हास्पिटल, शिवकुटी, इलाहाबाद, 0532-2541630.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और ओन्कोलोजी

1	2	3
2.	जीवन ज्योति हास्पिटल, 162, बाई का बाग, लोथर रोड, इलाहाबाद, 0532-2417248.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
3.	नजरेथ हास्पिटल, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद, 0532-2600430, 2602612.	नेफ्रोलोजी, कार्डियोलोजी और आप्थलमोलोजी से संबंधी सामान्य प्रयोजन के उपचार
4.	वात्सल्य मेटर्निटी एंड सर्जिकल सेंटर प्रा० लि०, एलगिन रोड (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग), इलाहाबाद, 0532-2605050, 2613500.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
5.	प्रीति हास्पिटल, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद, 0532-2460594, 2460226.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
6.	राज नर्सिंग होम, पार्क रोड, इलाहाबाद, 0532-2461527, 2461363.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
7.	चिरंजीव नर्सिंग होम, माधवपुर, इलाहाबाद, 0532-2605060, 2603871.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
8.	साकेत मेटर्निटी एंड नर्सिंग होम, बागम्बरी हाऊसिंग स्कीम, अल्लापुर, इलाहाबाद, 0532-2505252, 2505920.	सामान्य प्रयोजन के उपचार
9.	तमन्ना हास्पिटल, टैगोर टाऊन, इलाहाबाद, 0532-2466061, 2465374.	पेडियाटिक सर्जरी और फिजियोथिरेपी
10.	डा० एन०डी० तहलियान मैमोरियल क्लिनिक, न्याय मार्ग, (हैस्टिंग रोड), इलाहाबाद, 0532-2624444.	यूरोसर्जरी
11.	अल्का हास्पिटल, प्लास्टिक एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी सेंटर, चर्च लेन, इलाहाबाद, 0532-2465464.	प्लास्टिक एंड पेडियाटिक सर्जरी
12.	दीप गंगा क्लिनिक (यूरोलोजी एंड इनफर्टिलिटी सेंटर), कचरी रोड, इलाहाबाद, 0532-2612861, 2625037.	जैनिटो यूरिनरी सर्जरी
13.	रस्तोगी डेंटल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तेज बहादुर सप्रू रोड, निकट लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, 0532-2602978, 2614949.	डेंटल केयर
14.	हर्ट लाइन कार्डियाक सेंटर, एलगिन रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, 0532-2601903, 2614444.	कार्डियाक निदान और थिरोपेटिक उपचार
15.	गंगा नर्सिंग होम, कस्तूरबा गांधी मार्ग इलाहाबाद, 0532-2608585.	हेमोडायलिसिस

1	2	3
16.	सिकरवाराज कलर डाप्लर एंड अल्ट्रासांउड सैंटर, मां आनन्दमई कॉलोनी, लोथर रोड, इलाहाबाद, 0532-2425352.	कलर डाप्लर और अल्ट्रासोनोग्राफी
17.	हर्ट केयर सैंटर, जार्ज टाऊन, इलाहाबाद, 0532-2468355.	ई०सी०जी०, कम्प्यूटरीकृत टी०एम०टी० और 2 डी० ईको
18.	ई०ई०जी० सैंटर, एल०आई०सी० कॉलोनी, टैगोर टाऊन, इलाहाबाद, 0532-2465953.	केवर ई०ई०जी०
19.	सिंह अल्ट्रासांउड सैंटर, मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद, 0532-2504616.	अल्ट्रासोनोग्राफी और डैंटल एक्स-रे
20.	पैथोलोजी क्लिनिक, ए०एन० झा मार्ग, इलाहाबाद, 0532-2614307.	हारमोन्स असे
21.	सरस्वती हर्ट केयर, सी०वाई० चिंतामणि रोड, दरभंगा कॉलोनी, इलाहाबाद, 0532-2461096, 2461882.	कार्डियो डायग्नोस्टिक प्रोसिजर
22.	रानी बसंत डायग्नोस्टिक सैंटर, लूकर गंज, बारा बंगलिया, इलाहाबाद, 0532-2617048.	एक्स-रे और अल्ट्रासोनाग्राफी
23.	प्रयाग स्केनिंग प्रा० लि०, नार्थ मल्का, एस०आर०एन० हास्पिटल के सामने, इलाहाबाद, 0532-2603771.	सी०टी० स्कैन
24.	कीर्ति स्केनिंग सैंटर (प्रा०) लि०, लोथर रोड, इलाहाबाद, 0532-2601805, 2606266.	रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसिजर
25.	प्राज्ञा स्केनिंग सैंटर (प्रा०) लि०, ए०एन० झा मार्ग, जार्ज टाऊन, इलाहाबाद, 0532-2468572.	एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी और कलर डोप्लर
26.	परख अल्ट्रासांउड एक्स-रे एंड पैथोलोजी, नार्थ मल्का, एस०आर०एन० हास्पिटल के सामने, इलाहाबाद, 0532-2600240.	केवल एक्स-रे

बंगलौर

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० से मान्यप्राप्त निजी अस्पतालों/ निदान केन्द्रों के नाम	सी०जी०एच०एस० के तहत जिस सुविधा के लिए मान्यताप्राप्त है, उनके नाम
1	2	3
1.	अगाडी हास्पिटल एंड रिसर्च सैंटर, 35, एच सिदैया रोड, विल्सन गार्डन्स, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार (अंग प्रत्यारोपण और हृदय शल्य चिकित्सा को छोड़ कर)
2.	बंगलौर बैप्टिस्ट हास्पिटल, बैल्लारी रोड, हेब्बल, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार

1	2	3
3.	चिन्मय मिशन हास्पिटल, सी०एम०एच० रोड, इंदिरा नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार और सामान्य/विशेषज्ञ निदान
4.	चोर्ड रोड हास्पिटल प्रा० लि०, 100, एल०आई०सी० कॉलोनी, II स्टेज, बासवेश्वर, नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार
5.	सी०एस०आई० हास्पिटल (चर्च ऑफ साऊथ इंडिया), पोस्ट बाक्स नं० 4, एच०के०पी० रोड, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार
6.	गायत्री हास्पिटल, 91, मगाडी चोर्ड रोड, विजय नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार
7.	आई०टी०आई० हास्पिटल, दुर्वानी नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार
8.	के०आई०एम०एस० हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, के०आर० रोड, वी०वी० पुरम, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार और निदान
9.	नारायण नेत्रालय, 121/सी, चोर्ड रोड, राजा नगर-1, आर ब्लॉक, बंगलौर	विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा उपचार
10.	पी०डी० हिन्दुजा सिंधी हास्पिटल, सम्पन्नगिरमनगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान
11.	राजशेखर हास्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, 21, नाइन्थ क्रास, जे०पी० नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार
12.	रवि किर्लोस्कर मैमोरियल हास्पिटल, 19, सेकंट मेन रोड, पीन्या इंडस्ट्रीयल एरिया, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार
13.	रिपब्लिक हास्पिटल, 5, लैंगफोर्ड गार्डन्स बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार
14.	सेवाक्षेत्र हास्पिटल, ट्वेन्टी सेवेंथ क्रास, बनशंकारी, सेकंड स्टेज, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार और वेस्कूलर सर्जरी, हेमोडायलिसिज और प्लास्टिक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
15.	शेखर हास्पिटल, 81, बुल टेम्पल रोड, बंगलौर	सामान्य प्रयोजना के उपचार और वेस्कूलर सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
16.	बंगलौर चिल्ड्रन हास्पिटल, राजेश्वरी नगर, बंगलौर	पेडीयाट्रिक्स में सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
17.	बंगलौर हास्पिटल, 5/1, होसूर रोड, बंगलौर	कार्डियोलोजी और कार्डियाक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
18.	बंगलौर इंस्टिट्यूट ऑफ ओन्कोलोजी (बंगलौर कैंसर हास्पिटल), 44-45, सैकड क्रास, राजाराम मोहन राय एक्सटेंशन, बंगलौर	केमोथिरोपी और रेडियोथिरेपी सहित ओन्कोलोजी से संबंधित सामान्य/विशेषज्ञ उपचार

1	2	3
19.	बंगलौर किडनी फाउंडेशन (बी०के०एफ० चंदे नेफ्रो यूरोलोजी सेंटर), सी०ए०-6, 15वां मेन, 11 क्रास, पद्मनाभा नगर, बंगलौर	लिथोट्रिप्सी को छोड़कर रेनल ट्रांसप्लांटेशन सहित यूरोलोजी और नेफ्रोलोजी में विशेषज्ञ उपचार
20.	बंगलौर वेस्ट लायन्स आई हास्पिटल एंड कोर्निया ग्राफ्टिंग सेंटर, 56/2, लायन्स आई हास्पिटल रोड, बंगलौर	नेत्र चिकित्सा संबंधी विशेष उपचार
21.	भगवान महावीर जैन हर्ट सेंटर, मिलर्स रोड, बंगलौर	कार्डियोलोजी और कार्डियाक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
22.	भगवान महावीर जैन हर्ट सेंटर, मिलर्स रोड, बसंत नगर, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार और सामान्य/विशेषज्ञ निदान
23.	कूरी सेंटर ओन्कोलोजी, सेंट जॉन्स मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल कैम्पस, पोस्ट ऑफिस कोरमंगला, बंगलौर	ओन्कोलोजी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
24.	एच०ओ०एस०एम०ए०टी० हास्पिटल, 45 मगरथ रोड, बंगलौर	कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
25.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, साऊथ हास्पिटल कम्प्लैक्स, डी०आर०सी० पोस्ट, बंगलौर	पेडीयाट्रिक्स में सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
26.	के०आर० हास्पिटल, 979, 25 मेन रोड, बनशंकरी, फर्स्ट स्टेज, बंगलौर	कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
27.	एम०एस० राम्मैया हास्पिटल, एम०एस०आर० नगर, एम०एस०आर० आई०टी० पोस्ट, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान
28.	मणिपाल हास्पिटल, 98 रूस्तम बाग, एयरपोर्ट रोड, बंगलौर	अंग प्रत्यारोपड सहित सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान
29.	नारायण हृदयालय प्रा० लि०, 258/ए बोम्मासंदरा इंडस्ट्रीयल एरिया, होसूर रोड, अनेकल तालुक, बंगलौर	कार्डियोलोजी और कार्डियाक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
30.	नेत्रधाम आई क्लिनिक और सर्जिकल सेंटर, 818, 13 क्रास, 7वां ब्लाक वेस्ट जय नगर, बंगलौर	नेत्र चिकित्सा संबंधी विशेष उपचार
31.	संतोष हास्पिटल, 6/1 प्रोमेनेड रोड, निकट गुडविल स्कूल, बंगलौर	सामान्य प्रयोजन के उपचार और सामान्य/विशेषज्ञ निदान
32.	श्री राघवेन्द्र हास्पिटल, 13/4, दशरहल्ली, टूम्मकूर रोड, बंगलौर	कार्डियोलोजी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
33.	दी बंगलौर किडनी स्टोन हास्पिटल, 10 और 11, बोक्कालीगारा भवन, हडसन सर्किल, बंगलौर	लिथोट्रिप्सी
34.	वोक्हार्ड हास्पिटल एंड हर्ट इंस्टीट्यूट, 14, कन्नीगम रोड, बंगलौर	कार्डियोलोजी और कार्डियाक सर्जरी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
35.	येल्लम्मा दासप्पा हास्पिटल, 25 एंड्री रोड, शांती नगर, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार अंग प्रत्यारोपड़ और ओन्कोलोजी को छोड़कर

1	2	3
36.	ट्रिनिटी हास्पिटल एंड हर्ड फाउंडेशन, आर०वी० टिचर्स कालेज सर्किल, बासवनगुडी, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान, अंग प्रत्यारोपड़ को छोड़कर
37.	सोनी मेडीकल रिसोर्सेज (मेसर्स एडवांस्ड हेल्थ केयर रिसोर्स इंडिया प्रा०लि०), 1/1ए, फोर्थ मेन रोड, कामराजपेठ, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
38.	स्फूर्ति डायग्नोस्टिक, प्रा०लि०, इन्फैंटरी रोड क्रास, बंगलौर	सामान्य रेडियोलोजी प्रक्रिया
39.	आनन्द इंस्टीट्यूट ऑफ लैबोरेटरी मेडिसिन्स, 11, ब्लू क्रास चेम्बर, इन्फैंटरी रोड क्रास, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांच
40.	कावेरी डायग्नोस्टिक्स, 875, मसकट हाऊस, वेस्ट ऑफ चोर्ड रोड, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
41.	सी०डी०आर० मेडिकल सेंटर, 531, 11 मेन रोड, फोर्थ ब्लाक जयनगर, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
42.	सेंट्रल लैब, 9, ग्राउन्ड फ्लोर, धोंडुसा काम्प्लैक्स, रिचमंड सर्किल जंक्शन, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांच
43.	एलबिट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स लि०, 6/1, इन्फैंटरी रोड, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
44.	गौतम फिजियोथिरेपी सेंटर, 892/बी, डा० एम०सी० मोदी आई हास्पिटल रोड, महालक्ष्मीपुरम, बंगलौर	केवल फिजियोथिरेपी
45.	कन्वा डायग्नोस्टिक्स, 63/बी, 10 मेन रामामंदिर रोड, फोर्थ ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
46.	मेडिनोवा डायग्नोस्टिक्स, इन्फैंटरी रोड, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
47.	पद्मश्री डायग्नोस्टिक्स, 1312, 11 मेन रोड, विजयनगर, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया एम०आर०आई० को छोड़कर
48.	आर०वी० डायग्नोस्टिक, 21, 10 क्रास, येल्लप्पा गार्डन, मलेश्वरम, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांच
49.	राघव डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, सद्गुरू काम्प्लैक्स, 14, 27 क्रास, फोथ ब्लाक वेस्ट, जयनगर, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
50.	यूनाइटिड मेडिकल लैब, 257, 46 क्रास जयनगर, 8वां ब्लाक, संगम सर्किल, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांच
51.	विजयश्री डायग्नोस्टिक्स, 670, 6 क्रास, थर्ड ब्लाक, कोरमंगला, बंगलौर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांच

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० से मान्यप्राप्त निजी अस्पतालों/ निदान केन्द्रों के नाम	सी०जी०एच०एस० के तहत जिस सुविधा के लिए मान्यताप्राप्त है, उनके नाम
1	2	3
	चेन्नई (एस०टी०डी०-044)	
1.	श्री रामचन्द्र ह्रास्पिटल, 1, रामचन्द्र नगर, पोरूर, चेन्नई, 24768027, 24768031	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
2.	वालन्ट्री हेल्थ सर्विसेज, अडयार, चेन्नई, 22542107	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया-एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सामान्य पैथोलोजी और न्यूरोसर्जरी संबंधी विशेष उपचार तथा हिस्टोलोजी, साइटोलोजी, ब्लड बैंक और हेमोफिलिया से संबंधी विशेषज्ञ निदान
3.	मियाट ह्रास्पिटल, 4/12, माउंट पोनामली रोड, मनपक्कम, चेन्नई, 22492288.	सामान्य प्रयोजन के उपचार/निदान प्रक्रिया और रेनल ट्रांसप्लॉट और हिप और नी रिप्लेसमेंट संबंधी विशेषज्ञ उपचार
4.	हंडे ह्रास्पिटल, 45, लक्ष्मी टाकिज रोड, शेन्नाये नगर, चेन्नई, 26461563.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
5.	सुगम ह्रास्पिटल, 349, टी०एच० रोड, त्रिवत्रिपुर, चेन्नई, 25733830.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया-एक्स-रे और जनरल पैथोलोजी तथा रेनल, न्यूरोलोजी और आर्थोपेडिक्स (शल्य चिकित्सा प्रक्रिया) संबंधी विशेषज्ञ उपचार और डोप्लर तथा रेडियोलोजीकल प्रक्रिया
6.	बालाजी ह्रास्पिटल प्रा०लि०, नं० 1, लायर जगन्नाथन स्ट्रीट, गुंडी, चेन्नई-22342402.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
7.	डा० अग्रवाल आई ह्रास्पिटल लि०, 19, कैथीड्रल रोड, चेन्नई, 28116233, 28112959.	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और नेत्र चिकित्सा संबंधी विशेष निदान
8.	विजय हर्ट फाउंडेशन, विजय ह्रास्पिटल, वड्डापलानी, चेन्नई, 24801958/2221.	कार्डियक थौरेसिस सर्जरी और क्रिटिकल केयर में विशेषज्ञ उपचार और निदान प्रक्रिया
9.	के०एच०एम० ह्रास्पिटल, ए०बी०-14, 6 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, 26212218.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
10.	आन्ध्र महिला सभा, दुर्गाबाईदेशमुख जनरल ह्रास्पिटल और रिसर्च सेंटर, 11 डी०डी० रोड, आर०ए० पुरम, चेन्नई, 24938311.	जेरियाट्रिक, रिहेबीलिटेशन और नेत्र विज्ञान तथा आई०बी०पी० में सामान्य उपचार और हिस्टोलोजी, बायोकेमिस्टी, माइक्रोबायोलोजी और साइटोलोजी में विशेषज्ञ निदान
11.	रिजीड ह्रास्पिटल प्रा०लि०, 47/3, न्यू अवाडी रोड, किलपोक, चेन्नई, 26444155, 26447747.	गैस्ट्रोनेस्ट्रोलोजी (गैस्ट्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी) में विशेषज्ञ उपचार
12.	आर०जी० स्टोन, 52, 2 मेन रोड, आर०ए० पुरम, चेन्नई, 26336240, 56855521.	लिथोट्रिप्सी और इंडोयूरोलोजी में विशेषज्ञ उपचार

1	2	3
13.	बिलरोथ हास्पिटल, 43, लक्ष्मी टाकिज रोड, शिनाय नगर, चेन्नई, 26441777, 26440020.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया तथा न्यूरो सर्जरी और आर्थोपैडिक विशेषज्ञ उपचार तथा हिस्टोपेथोलोजी, साइकोलोजी, पैथोलोजी, स्पायरल सी०टी० स्कैन और डोप्लर संबंधी निदान प्रक्रिया
14.	श्री देवी हास्पिटल, 1620, 16 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, 26162000/2900.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
15.	नागमणि हास्पिटल प्रा०लि०, 116, 118-जी०ए० रोड, वासरमेनपेठ, चेन्नई, 25965561.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
16.	डा० मेहता नर्सिंग होम प्रा०लि०, नं० 2, (ओल्ड नं० 21) मैक निकोलस रोड, 2 स्ट्रीट, चेकपट, चेन्नई, 28363558.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
17.	ट्रिनिटी एक्यूट केयर हास्पिटल, 33 देसिकार रोड, मेहलापुर, चेन्नई, 24671166/1188.	कार्डियोलोजी, यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी (रेनल ट्रांसप्लांटेशन) और डोप्लर में विशेषज्ञ उपचार तथा सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
18.	के०जे० हास्पिटल प्रा०लि०, 927, पुन्नामल्ली हाई रोड, चेन्नई	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया तथा न्यूक्लीयर मेडिसिन्स, डोप्लर ब्लड बैंक संबंधी विशेषज्ञ उपचार
19.	सी०एस०आई० कल्यानी जनरल हास्पिटल, 15, डा० राधाकृष्णन स्लाई, मेहलापुर, चेन्नई, 26476433.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
20.	हार्वे हर्ट हास्पिटल लि०, 20, पाइसक्राफ्टस गार्डन रोड, नूगाम्बकम, चेन्नई, 24311721, 24332901.	कार्डियोलोजी और थौरेसिस सर्जरी में विशेषज्ञ उपचार और कलर डोप्लर तथा कोरोनरी एंजियोग्राफी संबंधी निदान प्रक्रिया
21.	कस्तूरी हास्पिटल, 13, शणमुगम रोड, वेस्ट तम्बरम, चेन्नई, 2263762.	लेप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी में विशेषज्ञ उपचार
22.	अश्वनी सुन्दरा हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चेन्नई, 24990780.	आर्थोपैडिक और सामान्य निदान संबंधी उपचार और गैस्ट्रोइंट्रोलोजी, रेनल ट्रांसप्लांटेशन और आर्थोपैडिक में विशेषज्ञ उपचार
23.	भारती राजा हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, 11, निडले रोड, टी० नगर, चेन्नई, 24340740.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
24.	सविता डैंटल कालेज और हास्पिटल, 162, पुन्नामली हाई रोड, चेन्नई, 26801586/1588.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और डैंटल केयर और फिजोओथिरेपी संबंधी विशेषज्ञ उपचार
25.	प्रेम आई क्लिनिक, 118, बाजार रोड, शेदापेठ, चेन्नई, 24321516, 24321517.	आप्थोमोलोजी (नेत्र चिकित्सा विज्ञान) विशेषज्ञ उपचार
26.	शिफा हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 55, ट्रिप्लीकेन हाई रोड, चेन्नई, 28514341.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया

1	2	3
27.	चेन्नई कलीअम्मा हास्पिटल, 55, 2 मेन रोड, राजाअन्नामलाईपुरम, चेन्नई, 24615744.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
28.	मलार हास्पिटल 52, फस्ट मेन रोड, गांधी नगर, अडीयार, चेन्नई, 24914214.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और कार्डियोलोजी, लिथोट्रिप्सी और यूरोलोजी में विशेषज्ञ उपचार
29.	पब्लिक हेल्थ सेंटर, 114, लेक व्यू रोड, वेस्ट मम्बलम, चेन्नई, 24892101, 24897007.	एक्स-रे, अल्ट्रासांउड और रूटिन पैथोलोजी संबंधी सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया
30.	सी०एस०आई० रैनी मल्टीस्पेशियलटि हास्पिटल, 45, जी०ए० रोड, चेन्नई, 26951204.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और कार्डियाक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्थोपैडिक्स, पैडीयाट्रिक्स, कान-नाक-गला, नेत्र चिकित्सा, डायलिसिस और इंडोस्कोपी संबंधी विशेषज्ञ उपचार और फ्यूंगल कलचर, इम्यूनोलोजी, हिस्टोपैथोलोजी, मैमोग्राफी, डाप्लर, बी०ए० मील और आई०वी०पी० संबंधी निदान प्रक्रिया
31.	अपोलो हास्पिटल, 21 ग्रिम्स लेन, चेन्नई 28293333.	केरोनरी एंजियो प्लास्टी और इंजियोग्राम, हिप, नी और ज्वांइट रिप्लेसमेंट्स, रेनल ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ऑकोसर्जरी, रेडिएशन थिरेपी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और अंग प्रत्यारोपड़ सहित सभी रेडियोलोजिकल जांच और प्रक्रियाएं, कार्डियोलोजी, कार्डियोथोरेसिस सर्जरी
32.	नेशनल हास्पिटल, 12, जफार शेरंग स्ट्रीट, 2 विच लाईन, चेन्नई, 52163364 और 52163365.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और हिस्टोपैथोलोजी, ब्लक बैंक, डाप्लर और ईको संबंधी विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
33.	देवकी हास्पिटल लि०, 148, लूज चर्च रोड, चेन्नई, 24992607.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और न्यूरो, आर्थोपैडिक, रेनल, डाप्लर, स्पाइनल सी०टी० स्कैन, हर्मोन एशे, एच०आई०वी० एंड ब्लड बैंक संबंधी विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
34.	मद्रास मेडिकल मिशन, 4 ए, डा० जे०जे० नगर, मोगापिय्यर, चेन्नई, 26561801, 26564839.	कार्डियोलोजी संबंधी सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
35.	सूर्या हास्पिटल, 1, अरूणाचलम रोड, शालिग्रामम, चेन्नई, 23761750, 23761752.	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान प्रक्रिया और रेनल, न्यूरोलोजी और कार्डियोलोजी तथा डाप्लर संबंधी विशेषज्ञ उपचार
36.	सप्तगिरी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा०लि०, ए 17, अन्नानगर ईस्ट, चेन्नई, 26220002/0522.	हिस्टोलोजी, साइटोलोजी और एक्स-रे संबंधी निदान प्रक्रिया
37.	श्री चेन्नई स्कैन एंड रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, 51-मोनीटिय रोड, एग्मोर, चेन्नई, 28554102/3587.	सी०टी० स्कैन और कलर डाप्लर
38.	एरलिच लैबोरेटरी प्रा०लि०, 46 और 48, मशिलामन्नाई रोड, बालाजी नगर, चेन्नई, 28130514/460.	एच०आई०वी०, वेस्टर्न ब्लाट, हारमोनल एशे, अल्ट्रासांउड और एक्स-रे संबंधी निदान प्रक्रिया

1	2	3
39.	शरद डायग्नोस्टिक सेंटर, पुराना नं० 51 ए, नया नं० 38, फस्ट एवेन्यू, 100 फीट रोड, अशोक नगर, चेन्नई, 24898961.	सामान्य निदान प्रक्रिया और हार्मोनल एशे और इम्यूनोलोजिकल जांच संबंधी विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
40.	भारत स्कैन्स प्रा०लि०, 197, पिटर्स रोयापिट्टा, चेन्नई, 28429288.	अल्ट्रासांउड सहित रेडियोलोजी
41.	अर्मा क्लिनिकल सर्विसेज एंड हास्पिटल प्रा०लि०, 1, 73 और 77, फस्ट मेन रोड, गांधी नगर, अडियार, चेन्नई, 24415995, 24910704.	हिस्टोपैथोलोजी, साइटोलोजी, हर्मोनल एशे और अल्ट्रासांउड

हैदराबाद

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यप्राप्त निजी अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्र का नाम	सी०जी०एच०एस० के तहत जिस सुविधा के लिए मान्यताप्राप्त है, उनके नाम
1	2	3
1.	उषा मोहन हास्पिटल, हैदरगुडा, राजेन्द्र नगर, रिंग रोड हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
2.	हैदराबाद नर्सिंग होम प्रा०लि०, 5-9-29/40, बशीरबाग हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
3.	उषा गुल्लापुडि कार्डिएक सेंटर, गजुलारामाराम, जीडीमिटला, कुतुबुल्लाहपुर म्युनिस्पलिटि, हैदराबाद	कार्डियोलोजी और सी०टी०एस० में विशेषज्ञ उपचार एवं निदान प्रक्रिया
4.	आरोग्य हास्पिटल, 5-4-183 से 199, ट्विन सिटी मार्किट, मुजामजाही मर्किट, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
5.	हैदराबाद किडनी एंड लेपरोस्कोपिक सेंटर, डी०नं० 16-2-674/12, जजिज कॉलोनी, मलाकपेट, हैदराबाद	मूत्र रोग एवं नृविज्ञान में विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	न्यू सिटी हास्पिटल, सिकन्दराबाद हैदराबाद	सामान्य उपचार और नैदानिक
7.	विजय हेल्थ केयर, कुमारी गुड्डा, प्रसान्तटाकिज के पीछे, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
8.	आदित्य हास्पिटल प्रा०लि०, बेगमपेट, हैदराबाद	गैस्ट्रोइंट्रोलोजी में विशेषज्ञ उपचार और सामान्य प्रयोजन के उपचार
9.	अरविन्द आई अस्पताल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद	नेत्र चिकित्सा संबंधी विशेषज्ञ उपचार और निदान
10.	हवेयर हास्पिटल, शान्तीवनम, नागार्जुन सागर रोड, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और रेडियोथिरेपी
11.	स्वप्ना हास्पिटल, 1-7-97, चैतन्य पुरी, हैदराबाद	प्रसूति और स्त्रीरोग में सामान्य उपचार
12.	ओवेसी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डी०एम०आर०एल० क्रासिंग रोड के निकट कंचनबाग, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार

1	2	3
13.	निखिल मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल, गाड्डीयानम क्रासिंग रोड, दिलसुख नगर, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और रेडियोलोजी संबंधी निदान और एम०आर०आई० को छोड़कर
14.	बी०आई०बी०आई० जनरल हास्पिटल एंड कैंसर सेंटर, अलाकपेट, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और ओन्कोलोजी संबंधी निदान
15.	जया भूषन हास्पिटल प्रा०लि०, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
16.	गीता मेटरनिटी एंड नर्सिंग होम, वेस्ट मरेडपल्ली, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और स्त्रीरोग एवं प्रसूति
17.	श्रीमतो भगवानदेवी हास्पिटल, 21-7-191, मामा जुमला फाटक चर्कामान, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार, आर्थोपैडिक, स्त्री रोग और प्रसूति
18.	अदित्य हास्पिटल, तिलक रोड, हैदराबाद	बालचिकित्सा, शल्य चिकित्सा और नवजात शिशु रोग
19.	हरिप्रसाद मेमोरियल हास्पिटल, रिकावगंज, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान
20.	माधव नर्सिंग होम, 43 एस०डी० रोड, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ कैंसर उपचार और निदान प्रक्रियाएं
21.	इंडो अमेरिकन कैंसर इनस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोड नं० 14, बंजारा हील्स, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ कैंसर उपचार और निदान
22.	श्रवण नर्सिंग होम, मोजामजाइ मार्किट, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
23.	प्रीमियर हास्पिटल प्रा०लि०, हुमायूं नगर, हैदराबाद	नेत्र रोग विशेषज्ञ उपचार
24.	ए०पी० सुपर स्पे० डेंटल हास्पिटल, बंजारा हिल, हैदराबाद	विशेषज्ञ दन्त चिकित्सा उपचार और निदान
25.	दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं फीजियोथिरेपी
26.	सागरलाल मेमोरियल हास्पिटल एंड मातादीन गोयल रिसर्च सेंटर, 1-5-551 मुशीराबाद, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
27.	मिथरी मुल्टी स्पे० हास्पिटल, अमीरपेठ, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
28.	एल०वी० प्रसाद आई इनस्टिट्यूट, बंजारा हिल, हैदराबाद	नेत्र रोग में सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
29.	राम हास्पिटल, शकूरनगर, एल०डी०ए०, जीदीमेटला हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
30.	मेडविन हास्पिटल, 100, राघवरत्न टावरस, चिराग अली लेन, हैदराबाद	कार्डियोलोजी, सी०टी०एस०, मेडिकल ओन्कोलोजी, सर्जिकल ओन्कोलोजी और नेफ्रोलोजी संबंधी सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान

1	2	3
31.	गगन महल नर्सिंग होम, 1-2-379, गगनमहल, हैदराबाद	स्त्री रोग और प्रसूति संबंधी उपचार
32.	ग्लोबल हास्पिटल, 6-1-1090/1 से 4, आर०आर० डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार निदान डायलिसिस
33.	प्रिसेज दुरू सेवर चिल्ड्रन एंड जनरल हास्पिटल पुरानी हवेली, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान
34.	सी०डी०आर० हास्पिटल मलकपेट, हैदराबाद	सामान्य उपचार, प्रसूति एवं स्त्रीरोग दंत और नेत्र रोग
35.	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल राज भवन रोड, समाजिगुडा, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं निदान
36.	क्वालिटी केयर हास्पिटल, नामपल्ली, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं निदान
37.	पोलोमी हास्पिटल, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान
38.	विजय हास्पिटल, एस०वी० नगर, मेन रोड, नगरम्, किशारामंडल, आर०आर० डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
39.	अपोलो अस्पताल, जुबलीहिल्स, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार और निदान
40.	अपोलो इमरजेंसी हास्पिटल हैदरगुडा, हैदराबाद	कार्डियोलोजी और ट्रामेटोलोजी
41.	अपोलो अमर हास्पिटल, बशीरबाग, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
42.	मेडिसिटी हास्पिटल, 5-9-22 सचिवालय रोड, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार कार्डियोलोजी, सी०टी०एम० एंड नेफ्रोलोजी एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
43.	मेक्सीविजन लेसर सेंटर प्रा०लि० बेगमपेट, हैदराबाद	नेत्र चिकित्सा संबंधी विशेषज्ञ उपचार और निदान
44.	सी०डी०आर० हस्पिटल (सी०डी०आर० हेल्थ केयर लि०) हैदरगुडा, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
45.	रेनबो चिल्ड्रन हास्पिटल, 22, रोड नं० 4 (पुराना रोड नं० 10) बंजारा हिल्स, हैदराबाद	सामान्य विशेषज्ञ बालचिकित्सा उपचार
46.	यशोदा सुपर स्पे० हास्पिटल, मलाकपेट, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार रिनाल ट्रांसप्लांट एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
47.	एफ०एम०एस० डेंटल हास्पिटल, कोटी, हैदराबाद	विशेषज्ञ दंत उपचार एवं निदान प्रक्रियाएं तथा आर०बी०जी० एंड ओ०पी०जी०

1	2	3
48.	बी०बी०आर० मल्टी स्पे० हास्पिटल, 7-4-194, फिरोजगुड्डा, बालानगर, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
49.	सी०डी०आर० हास्पिटल, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
50.	सी०डी०आर० हास्पिटल, मोजामजरी मार्किट, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
51.	श्री नर्मदा हास्पिटल, गांधी नगर, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
52.	निजाम इंनस्टियूट आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
53.	श्री साई किडनी सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद	हीमोडाइलेसिस और लियोट्रिप्सी में विशेषज्ञ उपचार
54.	रिमेडी हार्ट इनस्टि० एवं सुपर स्पे० हास्पिटल, एच-3-6-2/1, लिबर्टी क्रासिंग रोड, हिमायत नगर, हैदराबाद	कार्डियोलोजी और सी०टी०एस० में विशेषज्ञ उपचार
55.	अपोलो अस्पताल, प्लाट नं० 90 पी० एंड टी० एम्पलाईज कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, विक्रमपुरी कॉलोनी, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
56.	सिवानी हास्पिअल, इंदिरा पार्क के सामने, आर०के० मठ रोड, हैदराबाद	सामान्य प्रयोजन के उपचार
57.	केयर हास्पिटल, क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
58.	कामिनेनी हास्पिटल, एल०बी० नगर, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार रिनाल ट्रांसप्लांट एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
59.	साईं कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, सेट रोड, काची गुडा, हैदराबाद	न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी और इनसे संबंधित निदान तथा विशेषज्ञ उपचार
60.	वसावी मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर, 6-1-91, मीरा टाकीज के सामने, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, हैदराबाद	सामान्य उपचार ई०एन०टी० एंड आनकालोजी में विशेषज्ञ उपचार
61.	ईमेज हेल्थ केयर लिमिटेड, अमीरपेट, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार कार्डियोलोजी एवं सी०टी०एस० एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
62.	स्पेक्ट्रम डेंटल क्लिनिक, 2-4-82, मिसा गार्डन, श्यामलाल इस्टेट, सिख विलेज, सिकन्दराबाद	विशेषज्ञ दन्त परिचर्या
63.	अनुकृष्णा हास्पिटल, वसंतपुरी कॉलोनी, मल्कागिरी, हैदराबाद	प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी विशेषज्ञ उपचार

1	2	3
64.	सिकन्दराबाद डेंटल हास्पिटल मस्टि स्पेशियलिटी सेंटर, 1-261/4-6, एस०डी० रोड, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	विशेषज्ञ दन्त उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
65.	अशोक कुमार हास्पिटल, 3-4-136, बरकतपुरा, हैदराबाद	विशेषज्ञ ई०एन०टी० उपचार
66.	स्मीलाइन डेंटल हास्पिटल, मेन रोड पर गोल्ड स्पाट के बगल में, अमीरपेट, हैदराबाद	विशेषज्ञ दन्त उपचार एवं एक्सरे
67.	महावीर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ए०सी० गार्डस, हैदराबाद	सामान्य/विशिष्ट उपचार एवं डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं, कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोथोरासिक सर्जरी सहित
68.	स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर सिकन्दराबाद, हैदराबाद	डेंटल एक्सरे (इंट्रा ओरल) तथा आर्थोपेंटोग्राफी
69.	सिकन्दराबाद डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, 1-58/7/3, श्रीनाथ काम्पलेक्स एस०डी० रोड सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य विकिरण एवं रोग विज्ञान प्रक्रियाएं
70.	पार्कलेन मेडिकल डायग्नोस्टिक, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य रोग विज्ञान जांच
71.	ईलसैस डेंट इमेर्जिंग एंड डायग्नोस्टिक, क्लाक टावर सब-स्टेशन के सामने, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	डेन्टल एक्सरे और ओ०पी०जी० प्रक्रियाएं
72.	टिवीन सिटी स्पीच एंड हियरिंग, 1-1-36 बी, आर०टी०सी० एक्स-रोड, हैदराबाद	स्पीच थिरेपी एंड आडियोमीट्री
73.	डेक्कन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, प्रथम तल, ज्योति आरकेड, कालीकामन, हरी भवन के सामने, गुलजार हाउस के नजदीक, हैदराबाद	विकिरण और रोग विज्ञान नैदानिक प्रक्रियाएं
74.	प्रीमियर डायग्नोस्टिक, 10-3-232, हुमायूं नगर, हैदराबाद	सामान्य रोग विज्ञान प्रक्रियाएं और एक्सरे
75.	कैलाश डायग्नोस्टिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, मोजमझाई हैदराबाद	सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं और फीजियोथिरेपी
76.	3 एम डायग्नोस्टिक सेंटर 8-सकीना कम्पलेक्स मेंहदीपटनम, हैदराबाद	सामान्य रोग विज्ञान प्रक्रियाएं और एक्सरे
77.	विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, हिम्मत नगर, हैदराबाद	सभी नैदानिक प्रक्रियाएं
78.	कोणार्क डायग्नोस्टि सेंटर, हैदराबाद	रोग विज्ञान जांचें और एम०आर०आई० को छोड़कर रेडियोलोजिकल डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं
79.	एशियन इंस्टीट्यूट आफ गेस्ट्रोइन्ट्रोलोजी प्रा०लि०, 6-3-652, धीवतार अपार्ट०, सोमाझीगडा, हैदराबाद	गेस्ट्राइन्ट्रोलोजी नैदानिक और थेराप्यूटिक उद्देश्य

1	2	3
80.	मेडीनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसिज, सोमाजीगुडा, हैदराबाद	सामान्य और विशिष्ट रोग विज्ञान जांचे और एम०आर०आई० एवं सीटी स्कैन को छोड़कर रेडियोलोजिकल डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं
81.	डा० वी० नन्दन सिंह डायग्नोस्टिक सेंटर, 4-1-897, तिलक रोड, हैदराबाद	सामान्य रोग विज्ञान और विकिरण नैदानिक प्रक्रियाएं

हैदराबाद में सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त उन अस्पतालों की सूची जिनमें सी०जी०एच०एस० निदेशालय के आदेशानुसार सी०जी०एच०एस० के लाभार्थियों को अस्थायी तौर पर रेफर करना बंद कर दिया है

1.	अवेयर हास्पिटल, शांतिवनम, नागार्जुन सागर रोड, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं रेडियोथिरेपी
2.	श्रवण नर्सिंग होम, मोजामजाही मार्किट, हैदराबाद	सामान्य उपचार
3.	श्रीमती भगवान देवी हास्पिटल, 21-7-191, मामा जुमला फाटक, चरकमन, हैदराबाद	सामान्य उपचार, आर्थोपेडिक्स एंड प्रसूति एवं स्त्री रोग
4.	कोणार्क डायग्नोस्टि सेंटर, हैदराबाद	एम०आर०आई० को छोड़कर पैथोलाजिकल जांचें और रेडियोलोजिकल नैदानिक जांच
5.	मेडिसिटी हास्पिटल, 5-9-22, सचिवालय रोड, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार कार्डियोलोजी सी०टी०एम० एंड नेफ्रोलोजी एवं नैदानिक प्रक्रियाएं सहित
6.	यशोदा सुपर स्पे० हास्पिटल, मालकपेट, हैदराबाद	रिनाल ट्रांसप्लांट एवं नैदानिक प्रक्रियाओं सहित सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
7.	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, राज भवन रोड, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं निदान प्रक्रियाएं
8.	सी०डी०आर० अस्पताल, मालकपेट, हैदराबाद	सामान्य उपचार, प्रसूति और स्त्री रोग, डैंटल एवं ओप्थालमोलोजी उपचार
9.	सी०डी०आर० हस्पिटल (सी०डी०आर० हैल्थ केयर लि०), हैदरगुडा, हैदराबाद	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	सी०डी०आर० हास्पिटल, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	सी०डी०आर० हास्पिटल, मोजमजही मार्किट, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	अपोलो अस्पताल, जुबली हिल्स, हैदराबाद	सामान्य/विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	अपोलो इमरजेंसी अस्पताल, हैदरगुडा, हैदराबाद	कार्डियोलाजी एंड ट्रामाटोलोजी
14.	अपोलो अमर अस्पताल, बशीरबाग, हैदराबाद	सामान्य उपचार
15.	अपोलो अस्पताल, प्लाट नं० 90, पी० एंड टी० एम्पलाइज कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, विक्रमपुरी कालोनी, सिकन्दराबाद, हैदराबाद	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

जबलपुर

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं जिनके लिए सी०जी०एच०एस० के अधीन मान्यताप्राप्त
1	2	3
1.	सिल्वर ओक अस्पताल, सिलवर लोक, नेपियर टाउन, जबलपुर, 0761-2624556, 2624557	ई०एन०टी० एवं दंत चिकित्सा को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार
2.	संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, रामनगर आधारताल, जबलपुर, 0761-2360140, 2659740	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	नेशनल अस्पताल, 703, गोल बाजार, जबलपुर, 0761-2412612, 2414612.	सामान्य प्रक्रियाएं एवं विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	एस०सी० गुप्ता मैमोरियल अस्पताल, टी०वी० टावर के पास, कटंग, जबलपुर, 0761-2407152, 2667151.	दंत चिकित्सा, आर्थोपेडिक एवं ओप्थाल्मोलोजी को छोड़कर सामान्य उपचार
5.	जबलपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, रसल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर, 0761-2408660, 2403687	सामान्य प्रयोजन एवं विशिष्ट उपचार नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	मार्बल सिटी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, 21, नार्थ सिविल लायन्स, जबलपुर, 0761-2627718, 2628032.	लैप्रोस्कोपिक एवं डायलिसिस के लिए सामान्य प्रयोजन एवं विशिष्ट उपचार
7.	सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ ट्रस्ट अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, दीक्षितपुरा, जबलपुर, 0761-2650632, 2653973.	सामान्य प्रयोजन और विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं-इको, टी०एम०टी०, यू०एस०जी०, एण्डोस्कोपी एंड कलर डाप्लर
8.	महाकौशल अस्पताल, राइट टाऊन, जबलपुर, 0761-2408780, 2490950.	सामान्य प्रयोजन (दंत चिकित्सा को छोड़कर) और कार्डियक सर्जरी तथा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार
9.	हिंदुस्तान अस्पताल एवं हार्ट इंस्टी०, सिविक सेंटर, मारहातल, जबलपुर, 0761-5004996-98.	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	बोम्बे अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गोल बाजार, जबलपुर, 0761-2312202-2312510.	मेडिसिन, सर्जरी एवं आर्थोपेडिक्स में सामान्य प्रयोजन उपचार
11.	जामदार अस्पताल प्रा०लि०, गोल बाजार, जबलपुर, 0761-2312133, 2312538, 2404134.	सामान्य प्रयोजन उपचार (दंत चिकित्सा को छोड़कर) एवं आर्थोपेडिक्स में विशिष्ट उपचार
12.	जे०के० अस्पताल (मैसर्स जे०के० मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम), राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2407334, 2403142.	मेडिसिन, सर्जरी, ई०एन०टी०, आर्थोपेडिक्स एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
13.	अनंत इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज (अनंत नर्सिंग होम प्रा०लि० का एक यूनिट), राइट टाउन, जबलपुर, 0761-5006494-97	सामान्य प्रयोजन उपचार (दंत चिकित्सा को छोड़कर) एवं न्यूरोलोजी और न्यूरोसर्जरी में विशिष्ट उपचार

1	2	3
14.	त्रिवेदी डेंटल क्लीनिक, 1553 अशोका होटल रोड, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2315786, 2405986.	नेमी दंत चिकित्सा उपचार
15.	डा० अंकुर मुखर्जी डेंटल क्लीनिक, नेपियर टाउन, जबलपुर, 0761-2311152.	दंत उपचार
16.	देशमुख डेंटल क्लीनिक, रसल चौक, जबलपुर, 0761-2318520, 2390143.	दंत उपचार
17.	आयुष्मान अस्पताल (आयुष्मान चिल्ड्रन्स अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर), रसल चौक, जबलपुर, 0761-2402272, 5004272.	पेडियाट्रिक्स मेडिसिन एवं सर्जरी
18.	सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल, 1572, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2410222, 2406897.	केवल नेफ्रोलोजी एंड यूरोलोजी में विशिष्ट उपचार
19.	सुतिका गृह और शिशु कल्याण केन्द्र, 2565, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2407539, 2402787.	प्रसूति और स्त्री रोग
20.	पाण्डे अस्पताल, बिहोर बाग, जबलपुर, 0761-2621133.	सामान्य सर्जरी एवं प्रसूति और स्त्री रोग
21.	समाधान अस्पताल, 1625, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2402937.	रेडियोग्राफिक और नेमी सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
22.	जबलपुर एक्स-रे, सोनोग्राफी सेंटर, टेलीग्राफ गेट नं० 2 के पास, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2409586.	रेडियोग्राफी एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
23.	एस०एस० सोनोग्राफी एवं एक्स-रे सेंटर, रांझी, जबलपुर, 0761-2333171.	नेमी रेडियोग्राफिक एवं सोनाग्राफिक प्रक्रियाएं
24.	सक्सैना एक्स-रे सोनोग्राफी सेंटर, रूपम टावर, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2401280.	रेडियोग्राफी एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
25.	संधू डायग्नोस्टिक, बस स्टैंड, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2414436, 2404436.	ओ०पी०जी०, एक्स-रे एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
26.	दिशा एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर, गंजीपुरा मैन रोड, जबलपुर, 0761-2310053, 2310051.	रेडियोग्राफ्रिक, सोनोग्राफिक एवं इको प्रक्रियाएं
27.	निदान केन्द्र, रांझी, जबलपुर, 0761-2330143, 2330133-34.	रेडियोग्राफी एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
28.	चरक डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेंटर, सिविक सेंटर, जबलपुर, 0761-2311889, 2315889.	कलर डॉप्लर, इको, सीटी स्कैन एवं सोनाग्राफिक प्रक्रियाएं

1	2	3
29.	हाई टेक स्कैन सेन्टर (आस्था डायग्नोस्टिक प्रा०लि० की एक यूनिट), सिविक सेन्टर, भारहातल, जबलपुर, 0761-2313259, 5004017.	सीटी स्कैन, इको कार्डियोग्राफी, होल्टर, मानिटरिंग फैसिलिटी एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
30.	जबलपुर मेडिकल सेन्टर, एल०आई०सी० बिल्डिंग, सिविक सेंटर, जबलपुर, 0761-2310889, 5004889.	सीटी स्कैन, कलर डाप्लर, इको कार्डियोग्राफी एवं सोनोग्राफी प्रक्रियाएं
31.	मिनोचा एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर, 11, गुलाटी काम्पलेक्स, आनंद टाकीज के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर, 0761-2403733, 2402710.	नेमी रेडियाग्राफिक एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
32.	आशीर्वाद सोनाग्राफिक एवं एक्सरे क्लीनिक, गोल बाजार, जबलपुर, 0761-2409148.	नेमी एक्स-रे, कलर डाप्लर एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
33.	आर०के० एक्स-रे सोनोग्राफिक सेंटर, मयूर होटल, मालवीय चौक, जबलपुर, 0761-2310685.	कलर डाप्लर रेडियोग्राफिक एवं सोनोग्राफिक प्रक्रियाएं
34.	बंसल ब्लड बैंक एवं ट्रांसफ्यूजन सर्विस, सुखीजा टावर, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-5004322.	नेमी नैदानिक एवं ब्लड बैंक
35.	डा० भल्ला पैथोलोजी सेंटर, गोरखपुर, जबलपुर, 0761-2408228.	नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं
36.	महा कौशल पैथ लेब, नेपियर टाउन, जबलपुर, 0761-2451266.	नेमी पैथोलोजिकल एवं डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं
37.	खन्ना पैथोलोजी एवं ब्लड बैंक, 14 रूपम टावर, राइट टाउन, जबलपुर, 0761-2316980.	नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं
38.	श्वेता डायग्नोस्टिक सेंटर, 13/6, किंग्सवे कैंट, सदर, जबलपुर, 0761-2622238.	नेमी विशिष्ट पैथोलोजिकल जांचें
39.	ई०सी०जी० एवं फिजियोथेरेपी सेंटर, 9/31, सिविक सेंटर, मदातल, जबलपुर, 0761-2415174.	केवल फिजियोथेरेपी
40.	डा० मखीजा हैल्थ केयर एवं पैथोलोजी सेंटर, रानीताल चौक, जबलपुर, 0761-2312537.	नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं
41.	डा० खण्डारे पैथ क्लीनिक, क्लेक्टोरेट के समाने, जबलपुर, 0761-2625980.	सामान्य पैथोलोजिकल जांचें
42.	जबलपुर पैथोलोजी, विक्टोरिया अस्पताल के सामने, जबलपुर, 0761-2315939.	सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं और रक्त बैंक

1	2	3
43.	डायग्नोस्टिक पैथोलोजी क्लीनिक, यादव कालोनी, जबलपुर, 0761-2416832ए	नैदानिक प्रक्रियाएं
44.	नेमा पैथोलोजी केन्द्र, श्रीनाथ की तलैय्या, जबलपुर, 0761-2311372.	सामान्य पैथोलोजिकल प्रक्रियाएं
45.	दी हार्ट क्लीनिक, सदर, जबलपुर, 0761-2626383.	ई०सी०जी०, टी०एम०टी० एवं इको कार्डियोग्राफिक प्रक्रियाएं
46.	साईं क्लीनिक, 1, कचनार एंकलेव, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर, 0761-2629127, 2628287.	उपरी एवं निचली जी०आई० एण्डोस्कोपिक प्रक्रियाएं
47.	डा० आशुतोष वाजपेयी, आर०डी० सेंटर, गोल बाजार, जबलपुर, 0761-2318561.	ई०सी०जी०, टी०एम०टी० एवं इको कार्डियोग्राफिक प्रक्रियाएं
48.	प्रवीण एक्स-रे क्लीनिक, यादव कालोनी चौक, गरहा रोड, जबलपुर, 0761-2416484.	नेमी एक्स-रे प्रक्रियाएं

जयपुर

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	प्रक्रियाएं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	एपैक्स अस्पताल प्राईवेट लिमिटेड, एस०पी०-6, मालवीय इंडस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार/नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	सोनी अस्पताल, सोनी मेडीकेयर लि० की एक यूनिट, 38, कनोटा बाग, जे०एल०एन० मार्ग, जयपुर	सी०टी० स्कैन और विशिष्ट प्रयोगशाला जांचों को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	आई सर्जरी एण्ड लेजर सेंटर, सी 401, मालवीय नगर, जयपुर	नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञ उपचार तथा इससे संबद्ध नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	जयपुर कलगरी आई अस्पताल, मालवीय नगर, जयपुर	सामान्य नेत्र उपचार और निदान प्रक्रिया
5.	यूरोलांजी एण्ड मेडिकल केयर सेंटर, ई-2, प्रधान नगर, मालवीय नगर, जयपुर	यूरोलोजी के लिए विशिष्ट उपचार
6.	भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, जे०एल०एन० मार्ग, जयपुर	कैंसर उपचार
7.	संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल कम मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भवानी सिंह मार्ग, बापू नगर, जयपुर	आंकोलाजी, कार्डियाक सर्जरी एवं प्रतिरोपण को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	जैन आई क्लिनिक एण्ड अस्पताल, के-4-ए, फतेह टिबा, मुस्लिम स्कूल के सामने, जयपुर	नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञ उपचार और संबद्ध नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
9.	सह्याय अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, भाभा मार्ग, मोती डूंगरी, जयपुर	नेत्र विज्ञान में सामान्य प्रयोजन उपचार और संबद्ध प्रक्रियाएं
10.	मोनीलोक अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर	यूरोलाजी एवं वृक्क (रीनल) प्रतिरोपण में सामान्य/विशिष्ट उपचार और सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	शर्मा ईस्ट इंडिया अस्पताल एण्ड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड, लाल कोठी, नगर निगम के सामने, जयपुर	अर्थो० सर्जरी, एवं सामान्य रेडियोलोजिकल नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	भण्डारी अस्पताल एण्ड लेसर सर्जरी सेंटर, एस०पी० 6, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	अमरनाथ एलर्जी एण्ड जनरल अस्पताल, गोपालपुरा बाई के पास मालवीय नगर, जयपुर	एलर्जी इलाज
14.	महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एण्ड अस्पताल, सीतापुरा, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर	सामान्य/विशेष उपचार निदान प्रक्रिया
15.	भण्डारी अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, 138-ए वसुंधरा कालोनी, गोपालपुरा बाई पास, टॉक रोड, जयपुर	लेपरोस्कोपी, लेसर सर्जरी और लिथेट्रिप्सी
16.	धनवंतरी अस्पताल एण्ड रिसर्च, सेंटर, 67/56-ए, मानसरोवर, जयपुर	सामान्य उपचार
17.	जयपुर अस्पताल, गोपालपुर फ्लाई ओवर, महावीर, नगर, टॉक रोड, जयपुर	आर्थोपेडिक सर्जरी एण्ड लेपरोस्कोपिक सर्जरी
18.	टोंगिया हार्ट एण्ड जनरल अस्पताल, 7 विवेकानंद मार्ग 'सी' स्कीम, जयपुर	कार्डियोलोजी एवं कार्डियो थोरासिक सर्जरी एवं विशिष्ट कार्डियाक प्रक्रियाएं
19.	राजधानी क्लिनिक एण्ड नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड, सी-30, भगवान दास रोड, जयपुर	सामान्य प्रयोजन और विशिष्ट सर्जिकल उपचार
20.	पांड्या अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, प्राइवेट लिमिटेड, जे-2/37, महावीर मार्ग, जय क्लब के सामने, सी-स्कीम, जयपुर	लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
21.	एस०आर०एम०आई० अस्पताल, डी-विंग असम होटल के पास, स्टेशन रोड, जयपुर	नेत्र सर्जरी और संबद्ध जांचें
22.	रेडिएंट अस्पताल एंड यूरोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए-48 तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर	यूरोलोजिकल सर्जरी तथा संबद्ध जांचें
23.	आनंद अस्पताल एण्ड आई सेंटर, 21 भरत माता लेन, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर	नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञ उपचार

1	2	3
24.	गोपीनाथ हास्पिटल प्रा०लि०, यूनिट-I, सेक्टर-8, चेतक मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
25.	के०सी० मैमोरियल आई हास्पिटल, मालन का चौबारा, सी-स्कीम, जयपुर	आप्थाल्मोलोजी में विशेषज्ञ उपचार एवं संबद्ध नैदानिक प्रक्रियाएं
26.	सारदा नर्सिंग होम, 39, हास्पिटल रोड, जयपुर	आप्थाल्मोलोजिकल सर्जरी में विशेषज्ञ उपचार एवं संबंध जांचें तथा प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान
27.	गंगटा हास्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर	कार्डियोलोजी, आंकोलोजी एवं नेफ्रोलोजी को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं तथा संबद्ध जांचें
28.	ओ०के० डायनोस्टिक रिसर्च सेंटर, 4 विवेकानंद मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	सामान्य/विशेषज्ञ नैदानिक प्रक्रियाएं
29.	स्वयं सिद्ध डायग्नोस्टिक केयर प्रा०लि०, सी-77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	सामान्य/विशेषज्ञ नैदानिक प्रक्रियाएं
30.	जयपुर सी०टी० स्कैन सेंटर (प्रा०) लि०, 7, विवेकानंद मार्ग सी-स्कीम, जयपुर	सी०टी० स्कैन और ई०सी०जी०
31.	ए०के० डायग्नोस्टिक सेंटर एंड रिसर्च लैब, एच-3, टोडामल मार्ग, बनी पार्क, जयपुर	सामान्य पैथोलोजिकल जांचें
32.	मयूर क्लीनिक फार डायग्नोसिस, 7 सुंदर मार्किट, सवाई राम सिंह रोड, जयपुर	सामान्य डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं
33.	बसंत डायग्नोस्टिक सेंटर, एच-7, जनपथ श्याम नगर, जयपुर	सामान्य डायग्नोस्टिक प्रक्रियाएं
34.	डा० बी० लाल्स क्लीनीकल लैबोरेट्री प्रा०लि०, ए-725, हरी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल जांचें
35.	गामा इमेजिंग एवं आर०ई०ए० सेंटर, जय विल्ला नारायण सिंह रोड, जयपुर	न्यूक्लियर मेडिसिन में विशेषज्ञ उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं

कानपुर

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	प्रक्रियाएं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	कानपुर मेडिकल सेंटर प्रा०लि० 120/500 (24) लाजपत नगर, कानपुर टे०नं० 0512-2297130, 2297131, 2296152, 2295520	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान प्रक्रियाएं

1	2	3
2.	रीजेंसी हास्पिटल लिमिटेड ए-2 सर्वोदय नगर कानपुर 0512-2212001-5	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार और निदान प्रक्रियाएं
3.	कानपुर यूरोलोजी सेंटर (वी०आर० स्टोन क्लीनिक) 11/456 हर्ष नगर कानपुर 0512-2310473, 2551190, 9549222	मूत्ररोग में विशेषज्ञ उपचार
4.	मधुलोक अस्पताल, 628, के ब्लाक किदवई नगर कानपुर 0512-2613111, 26722333.	सामान्य उपचार प्राथमिक दंत परिचर्या
5.	डा० देवेन्द्र आई सेंटर गीता नगर कानपुर 0512-2503588, 2502324.	फाको सर्जरी में विशेषज्ञ उपचार
6.	बृज मेडिकल सेंटर प्रा०लि०, 94-ई, पांकी कानपुर 0512-2262861, 22633999, 2226215.	सामान्य उपचार
7.	सरल नर्सिंग होम लाल बंगला, थाना चाकोरी के सामने, कानपुर 0512-2402121, 2402206.	सामान्य उपचार और निदान प्रक्रिया ई०सी०जी० एक्सरे अल्ट्रासाउंड
8.	जौली नर्सिंग होम एवं रिसर्च सेंटर, 119/22 नसीमाबाद, कानपुर 0512-2295005, 2296573.	सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	आर०के० देवी मेमोरियल अस्पताल 113/157, स्वरूप नगर, कानपुर 0512-22944599, 2256929, 2559737, 2255081.	आथ्थाल्मोलोजी में सामान्य प्रयोजन उपचार
10.	चन्दानी अस्पताल 9/60 आर्य नगर, कानपुर 0512-2551185, 25512885, 2292127.	सामान्य उपचार डाइलिसिस आई०सी०यू०
11.	श्री राम नर्सिंग होम प्रा०लि० 128/817ए, के० ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर 0512-2602303, 2607105	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	कुलवन्ती हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 117/एन/8 साकेत पुरी, काकादेव कानपुर 0512-2503049, 2500102, 2500103	सामान्य और विशेषज्ञ उपचार
13.	लाला लम्बा प्रसाद स्मारक चिकित्सालय 15/201, सिविल लाइन, कानपुर 0512-2303208, 2303209	बाल चिकित्सा में सामान्य उपचार तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग
14.	जैन डेंटल क्लिनिक 124, ओ-ब्लाक किदवई नगर कानपुर 0512-2602121	सामान्य दन्त उपचार
15.	शकुन डेंटल केयर एंड एक्सरे, 229, चंदेल मार्किट, हरजिंदर नगर, लाल बाग कानपुर 0512-2401852, 2450456, 2453255	

-तदैव-

1	2	3
16.	लक्ष्मी देवी कृष्णा चन्द मैमोरियल हास्पिटल प्र०लि० 150 रतनलाल नगर, कानपुर 0512-2280370, 2280478	सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
17.	भार्गव हास्पिटल, 15/263 सिविल लाइन्स कानपुर 0512-2305900, 2304500, 2304700, 2304900.	-तदैव-
18.	डा० जवाहर लाल रस्तोगी स्मारक नेत्र चिकित्सालय, सर्वोदय नगर, कानपुर 0512-2297605, 2297234, 2297247, 2296237.	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार नेत्र
19.	मधु राज नर्सिंग होम प्रा०लि० 134/121 स्वरूप नगर कानपुर 0512-2255902, 2255904.	सामान्य उपचार, नैदानिक प्रक्रियाएं एक्सरे अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर
20.	डैंटल मेक्सिलो फैसियल सेंटर 118/534 कौशल पुरी कानपुर 0512-2216190.	विशेषज्ञ दंत उपचार
21.	सूरज हास्पिटल, (सूरज मेडीकल एंड डायग्नोस्टिक (प्रा०लि०), 117 एन/65 काकादेव, कानपुर 0512-2500768, 2500039	सामान्य उपचार लिथोट्रिप्सी में विशेषज्ञ उपचार सी०टी० स्केन एम०आर०आई० कलर डोप्लर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड
22.	प्रशान्त नर्सिंग होम (प्रा०) लि० 88/593 प्रेम नगर कानपुर 0512-2543612, 2542118.	सामान्य प्रयोजन उपचार
23.	प्रिया हास्पिटल डी/25, एच०आई०जी०, वर्ल्ड बैंक कालोनी, बरारा कानपुर 0512-2682020.	-तदैव-
24.	जे०एल० रोहतगी अस्पताल 117/52 सर्वोदय नगर, कानपुर 0512-2297605, 2297234, 2297247, 2296237.	-तदैव-
25.	मोहमदीया अस्पताल, नाला रोड, रेलवे क्रासिंग बीकन गंज, कानपुर 0512-2315031, 2315030, 2361803.	-तदैव-
26.	राजा राम हास्पिटल 26, ए० एंड टी०, ब्लाक ई०, पांकी काल्पी रोड, कानपुर 0512-2262303, 2263944.	सामान्य प्रयोजन तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
27.	खैराबाद आई हास्पिटल 112/202 स्वरूप नगर, कानपुर 0512-2292221, 2255617, 2210930.	नेत्र रोग में विशेषज्ञ उपचार
28.	भारत एक्सरे पैथोलोजी एंड अल्ट्रासाउंड, 28/86, कराची खाना, कानपुर 0512-2352603	विकृति विज्ञान जांचें और अल्ट्रासाउंड
29.	बृज एक्सरे एंड पैथे० सेंटर 94-ई पांकी कानपुर 0512-2262861	सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
30.	मेड बीम स्केन प्रा०लि०, 117/31, 22 सर्वोदय नगर, बाबा भूल नाथ आश्रम के पास कानपुर	रेडियोलोजी में सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं सी०टी० स्केन कलर डोपलर 2 डी इको में विशेषज्ञ प्रक्रियाएं
31.	सिंह एक्सरे एंड पैथोलौजी, 7/201, स्वरूप नगर एल०एल०आर० अस्पताल के सामने, कानपुर 0512-2214284	केवल एक्सरे
32.	स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड सैंटर, (स्टैंडर्ड एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड केन्द्र), 40-41, 'ओ' ब्लाक किदवई नगर कानपुर	एक्सरे और अल्ट्रासाउंड
33.	आदर्श डायग्नोस्टिक सैंटर, 33-V, गोविन्द नगर कानपुर	सामान्य निदान एक्सरे अल्ट्रासाउंड हीमेटीलोजी एवं बायोकेमिस्ट्री
34.	यूनिवर्सल पैथोलोजी लीब एंड ब्लड बैंक, एल०एल०आर० अस्पताल के सामने, कानपुर	ब्लक बैंक और पैथोलोजी जांच
35.	डा० थवानी चेस्ट क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सैंटर कानपुर	फुफ्फसीय जांच, ई०सी०जी० और अल्ट्रासाउंड
36.	ऊषा पैथोलोजी एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड सैंटर एल०एल०आर० अस्पताल के सामने कानपुर	एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सामान्य विकृति विज्ञान जांचे और साइटोपैथोलोजी तथा हिस्टोपैथोलोजी में विशेषज्ञ निदान
37.	सीता पैथोलोजी 2 एन०, जयराम मार्किट, जूही गोशाला, किदवई नगर, कानपुर	विकृति विज्ञान जांचे
38.	डा० बी०एल० रोहतगी मेमो० डाय० 15/268 सैंटर सिविल लाइन, कानपुर 0512-2303975, 2305610	एक्सरे अल्ट्रासाउंड सामान्य पैकोलो० जांच और कलर डोपलर
39.	स्नेह पैथोलोजी एक्सरे ब्लड बैंक एंड अल्ट्रासाउंड 133/10 किदवई नगर कानपुर 0512-2601408	पैथोलोजी में सामान्य नैदानिक प्रक्रिया एवं ब्लड बैंक एवं विशेषज्ञ उपचार
40.	गुमटी पैथोलोजी एक्सरे एंड इलिसा सैंटर 118/13, कौशलपुरी, गुमटी नं-5 कानपुर 0512-2601408	एक्सरे एवं जनरल पैथोलोजी जांचें
41.	रतन एम०आर०आई० एंड स्पाइरल सी०टी० सैंटर स्वरूप नगर, कानपुर 0512-2547387, 388, 300.	एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड
42.	परफेक्ट स्केन, 117/एन/59, काकादेव, कानपुर 0512-2502865.	एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड सामान्य पैथोलोजिनल जांचें
43.	संजीवनी दि क्लिनिकल लेब एंड ब्लड बैंक कानपुर 0512-2549075, 2580432	सामान्य/विशेषज्ञ पैथोलोजिकल तथा रक्त बैंक
44.	प्रकाश लीवर एंड गेस्ट्रो० क्लिनिक कानपुर 0512-2535453	विशिष्ट एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं

1	2	3
45.	मधुलोक डायग्नोस्टिक सेंटर, 628-के, किदवई नगर कानपुर 0512-2641400, 2613111.	एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड
46.	कानपुर स्केन प्रा०लि० 113/58-ए, स्वरूपनगर कानपुर 0512-2290509.	सी०टी० स्केन एंड कलर डोपलर केवल

कोलकाता

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र का नाम	निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए सी०जी०एच०एस० के के अधीन मान्यता प्राप्त है
1	2	3
1.	सुरक्षा अस्पताल (सुश्रुत क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड), जे०सी० 16 एवं 17, सैक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-033-23257710.	सी०टी० स्कैन और एम०आर०आई० सहित बहुविधयक विशिष्ट उपचार
2.	पीयरलेस हास्पिटल एंड बी०के० राय रिसचे सेंटर, 360, पंचसायर, कोलकाता-033-24622394/0071/0072/0073.	नूरोसर्जरी तथा कार्डियोथोरेसिस सर्जरी में एम०आर०आई० तथा विशिष्ट उपचार को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	रूबी जनरल अस्पताल लिमिटेड, कस्बा गोलपार्क, ई०एम० बाई पास, कोलकाता-033-24426091.	केवल सी०टी० स्कैन तथा एम०आर०आई० को छोड़कर सामान्य प्रयोजन/विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	बी०एम० बिड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर, नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यू, कोलकाता-033-2456777/7890.	कार्डियोलाजी तथा कार्डियोथोरेसिस सर्जरी के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
5.	सुश्रुत आई फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, एच०बी०-36/ए/1, सैक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-033-23580201/23341628.	केवल नेत्र-विज्ञान के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	सिल्वरलाईन आई हास्पिटल, 396, प्रिंस अनवर शाह रोड़, कोलकाता-033-24720335/0836.	केवल नेत्र-विज्ञान के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
7.	शंकरनाथ डायलिसिस सेंटर एंड नर्सिंग होम, स्विस पार्क, कोलकाता-033-24247676.	केवल डायलिसिस (हीमोडायलिसिस) के लिए विशिष्ट उपचार
8.	रवीन्द्र नाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, 124, मुकन्दपुर, संतोषपुर कनेक्टर के निकट, कोलकाता-033-24363000.	केवल कार्डियोलाजी तथा कार्डियोथोरेसिस के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	वोकहार्ड हास्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट, 111-ए, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-033-24633320.	लिथोट्रिप्सी तथा रीनल रोगों के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	दी कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्डीट्यूट, 7/2, डायमंड हार्बर रोड़, कोलकाता-033-24567700/2174.	केवल एम०आर०आई० एवं सी०टी० स्कैन सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।

1	2	3
11.	बेहाला बालनंद ब्रह्मचारी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 151 एवं 153, डायमंड हार्बर रोड़, कोलकाता-033-24781687/7801/24684080.	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	राम कृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99, शरत बोस रोड़, कोलकाता-033-24753636/37/68/39/30.	केवल सी०टी० स्कैन सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	अपोलो ग्लेनीगल्स हास्पिटल लिमिटेड, 58, कनाल सर्कुलर रोड़, कोलकाता-033-23585208 से 17.	केवल सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
14.	ए०एम०आर०आई० अपोलो हास्पिटल, धकूरिया ब्रिज, कोलकाता-033-24612626.	केवल एम०आर०आई० सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
15.	वेस्ट बैंक हास्पिटल, अंदुल रोड़, हावड़ा, कोलकाता-033-26475516/8888/8889/9800.	केवल सामान्य प्रयोजन एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	सुरक्षा नैदानिक एवं नेत्र अनुसंधान प्रा०लि०, फूलबागान, कोलकाता-033.	केवल यू०एस०जी० एवं सी०टी० स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
17.	बेले व्यू क्लीनिक, ब्रह्मचारी रोड़, कोलकाता	केवल सी०टी० स्कैन सहित पैथोलोजिकल, कार्डियोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
18.	पाथो ट्रीट नैदानिक केन्द्र एवं पोली क्लीनिक, दम दम रोड़, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें, एक्स-रे एवं यू०एस०जी०
19.	नाइटिंगेल नैदानिक एवं मेडीकेयर केन्द्र प्रा०लि०, शेक्सपीयर सारानी, कोलकाता	केवल सी०टी० स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
20.	क्लीनिकल लैबोरेट्री प्रा०लि०, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें
21.	मेडी व्लू अनुसंधान एवं नैदानिक, चौरंगी रोड़, कोलकाता	केवल यू०एस०जी० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
22.	ईस्टर्न नैदानिक एवं मेडिकल सेंटर लि०, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कोलकाता	सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
23.	रिलायंस डायग्नोस्टिक्स, साल्टलेक सिटी, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें, एक्स-रे एवं यू०एस०जी०
24.	वैल्किन मेडिकेयर प्रा०लि०, 1699, गरिया स्टेशन रोड़, कोलकाता	केवल यू०एस०जी० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
25.	नॉर्थ सिटी नैदानिक एवं अनुसंधान केन्द्र (प्रा०) लि०, कैनल वैस्ट रोड़, कोलकाता	केवल सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं

1	2	3
26.	कलकत्ता हार्ट अनुसंधान केन्द्र, शरत बोस रोड़, कोलकाता	केवल सी०टी० स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
27.	स्वास्तिक मेडिकेयर डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर, 31, पिकनिक गार्डन रोड़, कोलकाता	केवल यू०एस०जी० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
28.	मां दुर्गा नैदानिक एवं अनुसंधान संस्थान, सी०आई०टी० स्कीम नं० VII एम०, कोलकाता	केवल यू०एस०जी० सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
29.	एन०जी० मेडिकेयर एवं कलकत्ता होप, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल इनफर्टीलिटी क्लीनिक, जांचें, एक्स-रे, यू०एस०जी० एवं सी०टी० स्कैन
30.	मेडीनोवा नैदानिक सेवाएं लि०, शरत चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता	केवल सी०टी० स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियालोजिकल प्रक्रियाएं
31.	ईस्टर्न मेडिकल एवं अनुसंधान संस्थान, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें

लखनऊ

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए सी०जी०एच०एस० के अधीन मान्यता प्रदान की गई है।
1	2	3
1.	डेंटल क्लीनिक, त्रिवेणी हाऊस, 1, नवल किशोर रोड, हजरत गंज, लखनऊ। 0522-2210167	दन्त चिकित्सा परिचर्या व दन्त एक्स-रे
2.	जावित्री हास्पिटल तालीबाग, लखनऊ। 0522-2440292, 2440686	प्रसूति एवं स्त्री रोग उपचार यू०एस०जी० व एक्स-रे
3.	जगरानी हास्पिटल, रिंग रोड, कल्याणपुर, कुक्करेल पिकनिक स्पाट क्रासिंग के पास, लखनऊ। 0522-750308	सामान्य प्रयोजन उपचार
4.	के०के० हास्पिटल 87/88, नबीबुल्ला रोड, रीवर बैंक कॉलोनी, सूरज कुण्ड पार्क के पास, लखनऊ। 0522-2219049-50	सामान्य चिकित्सा और सामान्य शल्य चिकित्सा
5.	सिटी हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर सी-1, किंडर डम्प काम्पलेक्स, कृष्णा सिनेमा हाल के सामने, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ। 0522-2463301-02	इको व अस्थि उपचार
6.	मदर एवं चाइल्ड केयर सेंटर एम०सी०सी० नर्सिंग होम, कल्याण गिरी मंदिर के सामने, हरदोई रोड, पी०ओ० चौक, लखनऊ। 0522-224832, 224884326	प्रसूति व स्त्री रोग और बाल शल्य उपचार
7.	शेखर हास्पिटल, बी-ब्लाक, चर्च रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ। 0522-2352352	नेफ्रोलाजी, मूत्र विज्ञान और लिथोट्रिप्सी

1	2	3
8.	मायो मेडिकल सेंटर, विकास खण्ड-II, केन्द्रीय टैगोर टाऊन के पीछे, लखनऊ। 0522-2394782,, 2398614.	सामान्य प्रयोजन उपचार तंत्रिका विज्ञान व तंत्रिका शल्य चिकित्सा
9.	अवध हास्पिटल एवं हार्ट सेंटर, 9-डी, सिंगर नगर, कानपुर रोड, लखनऊ। 0522-2454922, 2451911	कार्डियोलॉजी और सामान्य शल्य चिकित्सा
10.	विवेकानन्द पालीक्लीनिक, रामकृष्णा मिशन सेवाश्रम, विवेकानन्द पुरम, निराला नगर, लखनऊ। 0522-2321277	सामान्य उपचार और रोग नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	लाइफ लाइन हास्पिटल एवं हार्ट सेंटर, बी-1/31, सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ। 0522-2364344, 2763433	कार्डियोलॉजी
12.	सरोज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 1-बी, बाराबिरवा, कानपुर रोड, लखनऊ। 0522-2436974, 2508944	प्रसूति व स्त्री रोग
13.	सेवा हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, सेवा नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ। 0522-2363151	सामान्य शल्य चिकित्सा मूत्र विज्ञान और नेफ्रोलॉजी
14.	डायग्नोस्टिक मेडीकल सेंटर प्रा०लि०, बी-52 जे-पार्क, महानगर एक्सटेंशन, कपूरथला क्रासिंग के पास, लखनऊ। 0522-2327106	एक्स-रे, यू०एस०जी० और इको
15.	निदान डायग्नोस्टिक सेंटर, 4/31, विवेक खंड, थाना चौराहा, गामती नगर, लखनऊ। 0522-2393350	पैथोलोजिकल जांचें
16.	लखनऊ पैथोलोजी, ब्लड बैंक, एक्स-रे अल्ट्रासाउंड, 2-पटेल नगर, टेहरी पुलिया, आलमबाग, लखनऊ। 0522-2452061, 2455449.	यू०एस०जी० एवं एक्स-रे
17.	पार्क डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजेंसी प्लाजा, 5-पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, लखनऊ। 0522-2238787.	इको
18.	इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड बैंक लि०, फैजाबाद रोड, लखनऊ। 0522-2380084	सी०टी० स्कैन
19.	सरकार डायग्नोस्टिक, सी-1093, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ। 0522-2331189	कंवेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी० स्कैन, एम०आर०आई०, मैमोग्राफी, यू०एस०जी० और कलर डोप्लर
20.	राज स्कैनिंग लि०, 1, मानस नगर, जाएमाऊ, लखनऊ। 0522-2206981	एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन, एक्स-रे एवं आंकोलोजी
21.	चक्रधर डायग्नोस्टिक प्रा०लि०, 292/05, तुलसीदास मार्ग चौक, लखनऊ। 0522-2254255	एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउंड

मुम्बई

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए सी०जी०एच०एस० के के अधीन मान्यता प्रदान की गई है
1	2	3
1.	जसलोक अस्पताल, 15, डा० देशमुख मार्ग, मुम्बई। 022-56573333.	सामान्य/विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	क्यूम्बाला हिल हास्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, 93-95, अगस्त क्रांति मार्ग, मुम्बई। 022-23805898, 23803330.	मेट एवं स्त्री रोग विज्ञान को छोड़कर सामान्य/विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	आर०जी० स्टोन यूरोलोजीकल रिसर्च इंस्टी०, 21-ए, 14-ए रोड़, अंहिसा मार्ग, खार (प०), मुम्बई। 022-26042260.	यूरोलोजी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार तथा यूरोलाजी और गैस्ट्रोइंडोस्कोपी में विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	महात्मा गांधी मिशन्स न्यू बोम्बे हास्पिटल, प्लाट नं० 35, सेक्टर-3, वशी, नवी मुम्बई। 022-27922203, 27821659.	सामान्य/विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
5.	श्रीमती सुशीला बीन आर० मेहता और सर कीकाभाई प्रेमचंद कार्डियाक इंस्टी०, प्लाट नं० 96, रोड नं० 31, गांधी मार्किट के पास, किंग्स सर्किल (पू), मुम्बई। 022-24035455.	कार्डियोलोजी में विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	श्रॉफ आई क्लीनिक, गोबिन्द महल, 86-बी, एन० सुभाष रोड, मुम्बई-022-228 11863, 22814077	नेत्र विज्ञान में विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
7.	गुरू नानक हास्पिटल, एस-341, गांधी नगर, बांद्रा (ई), मुम्बई 022-26592853/6/7/8	सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	होली स्प्रिट हास्पिटल, महाकाली रोड अन्धेरी(ई), मुम्बई 022-28878822	बध्यीकरण प्रक्रियाओं को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार, हृदय, न्यूरोवास्कुलर, प्रतिरोपण शल्य क्रिया को छोड़कर विशिष्ट उपचार तथा कार्डियक एवं न्यूरोवास्कुलर जांचों को छोड़कर सामान्य/विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	इनलैक्स जनरल हास्पिटल, इनलैक्स जनरल हास्पिटल रौड, चंबूर कालोनी, मुम्बई 022-25202325, 25204162, 25204161	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	एस०एल० रहेजा हास्पिटल, रहेजा रूग्णालय मार्ग, महिम, मुम्बई 022-24467564/70/85	विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	राधाबाई वातुमूल गलोबल हास्पिटल 120, वीर सांवरकर मार्ग, महिम, मुम्बई 022-24446614-1920	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं छाती रोग के लिए विशिष्ट उपचार
12.	करूणा हास्पिटल, जीवन बीमा नगर, बोरीवाली (वे), मुम्बई 022-289334698	बन्धयीकरण आपरेशनों को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
13.	मंगल आनन्द हास्पिटल, 48, स्वास्तिक पार्क, उमर्षि बप्पा चौक, सियोन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुंबई-022-25224845/25227539	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
14.	बाम्बे हास्पिटल, 12, न्यू मेरिन लाइन्स, मुंबई 022-220 67676	सामान्य/विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
15.	डा० बालाभाई नानावती हास्पिटल, एस०वी० रोड, विले पार्ले (वे०) मुंबई 022-26182255	सामान्य/विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	स्पेशियलिटी लैनबैक्सी लि०, प्लाट नं० 113, एम०आई०डी०सी० 15 स्ट्रीट, अन्धेरी (ई), मुम्बई 022-5603951/61	सूक्ष्मजीव विज्ञान, विकृति रोग विज्ञान एवं जैव रसायन सामान्य व विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
17.	एन०एम० मेडि० सेंटर, मेहता हाऊस, 36, पं० रमाबाई रोड, मुम्बई 022-23688001	सामान्य एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
18.	वी०टी० शाह डायग्नोस्टिका सेंटर एंड क्लीनिक, कपोल निवास, 590, डा० अम्बेडकर रोड, मुम्बई 022-24140745	सामान्य एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
19.	क्लीनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर, ए 8, बेन नेवीस, ग्राउंड फ्लौर, भुलाभाई देसाई रोड, मुम्बई 022-23684764-65	एक्स-रे, कैट स्कैन, एम०आर०आई० एवं मैमोग्राफी को छोडकर सामान्य एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
20.	स्टर्लिंग इमेजिंग सेंटर, एल०डी० मेडिकल सेंटर, डा० एनी बैसेंट रोड अपो० ग्लाक्सो, वर्ली, मुम्बई 022-246933759/92	बोन डेनसिटीमेट्री एवं मैमोग्राफी के लिए विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं
21.	अन्धेरी पैथोलॉजीकल लैब, शाप नं० 14, राधिका निवास, अपो० विशाल हाल, अन्धेरी, मुम्बई 022-26822811/26832589	सूक्ष्म जीवविज्ञान, विकृति रोग विज्ञान, रुधिर विज्ञान जैव रसायन एवं हार्मोन ऐसे में सामान्य नैदानिक प्रक्रिया
22.	निर्माण हाई टेक० डायग्नोस्टिक सेंटर, श्री राम अपार्ट० गोरास्वादी, मिलाप सिनेमा के पीछे, एस०वी० रोड० मलाड़-कांदीवाली (वे) मुम्बई 022-28015485/97/49	विशिष्ट इमेजिंग नैदानिक प्रक्रियाएं
23.	अश्विनी लेबोरेटरी, ज्योति बिल्डिंग, अपो० बस डिपो, सेवेन बंग्ला, अंधेरी (वे), मुम्बई	जैव रसायन, सूक्ष्म जीवविज्ञान तथा विकृति रोग विज्ञान में सामान्य एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं

मेरठ

क्रम सं०	सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए सी०जी०एच०एस० के अधीन मान्यता प्रदान की गई है
1	2	3
1.	दयानन्द नर्सिंग होम, जवाहर क्वार्टर्स, बेगम ब्रीज, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
2.	भारत हास्पिटल नियर तेज गढ़ी, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं न्यूरो सर्जरी में विशिष्ट उपचार

1	2	3
3.	पार्वती देवी पोलीक्लिनिक एंड नर्सिंग होम, छिप्पी टैंक, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
4.	दृष्टि आई फाउंडेशन, 12, 14, पवनसूत कम्प्लेक्स, नियर चौरसिया नर्सिंग होम, छिप्पी टैंक, मेरठ	विशिष्ट नेत्र उपचार
5.	इक्स हास्पिटल ईक्स क्रासिंग, झापुड़ रोड़, मेरठ	बाल रोग चिकित्सा तथा बाल रोग सर्जरी में विशिष्ट उपचार
6.	जिन्दल हास्पिटल एंड नर्सिंग होम, ईक्स क्रासिंग, झापुड़, मेरठ	लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सामान्य प्रयोजन उपचार एवं विशिष्ट उपचार
7.	मधु नर्सिंग, होम, 44-ए, नई सड़क, गढ़ रोड, शास्त्री बाजार, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
8.	जसवंत राय स्पेशलिटी हास्पिटल अपोचिट स्पोर्ट्स, मवाना रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं कार्डियोलाजी, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी इंडोस्कोपी एवं ई०आर०सी०पी० में विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	यशलोक हास्पिटल नर्सिंग होम (प्रा०)लि०, इस्टर कचेरी रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
10.	धनवंतरी जीवन रेखा हास्पिटल 1, साकेत, मेरठ	कार्डियोलाजी, यूरोलाजी, एम०आर०आई०, कलर डाप्लर, लिथोट्रिप्सी में विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग उपचार
11.	विनायक हास्पिटल, 1/94, शारदापुरी, कांकेड़ खेड़ा, मेरठ	विशिष्ट नेत्र परिचर्या उपचार (दैनिक परिचर्या)
12.	तुलसी हास्पिटल, डी-ब्लाक, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार तथा न्यूरो सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार
13.	डा० एम० प्रकाश हास्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, बेगम ब्रीज, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं तथा कार्डियोलाजी, यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं नेफ्रोलाजी में विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
14.	प्रभात ट्रामा सेंटर, 123, पंचशील, 3-गढ़ रोड, मेरठ	आर्थोपेडिक अभिघात सेवाएं
15.	जगत हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्रा०लि०, अपोजिट, आम्रपाली सिनेमा, गढ़ रोड, मेरठ	विशिष्ट प्रयोजन उपचार
16.	जैन आई हास्पिटल एंड लेजर सेंटर सिविल लाईन्स, नियर मेरठ कालेज, मेरठ	विशिष्ट नेत्र उपचार
17.	लोकप्रिय हास्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं तथा यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, न्यूरोसर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
18.	डा० चौरसिया नर्सिंग होम, छिप्पी टैंक, अपोजिट आर०जी० इन्टर कालेज, मेरठ	सामान्य उपचार एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार
19.	सुभारती मेडिकल कालेज, (शिवाजी सुभारती कालेज) दिल्ली हरिद्वार मेरठ बाई पास रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
20.	मेरठ एंडोस्कोपी सेंटर नियर चौरसिया नर्सिंग होम, अपो० आर०जी० नर्सिंग कालेज, छिप्पी टैंक, मेरठ	विशिष्ट अपर एवं लोवर जी०आई० इंडोस्कापी, एक्स-रे एवं आई०आई०टी०वी०
21.	अग्रवाल एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर एंड सिन्डीकेट आर्केड, हापुड़ रोड, मेरठ	सामान्य विकिरण विज्ञानी प्रक्रियाएं, एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउन्ड
22.	डा० मधु सिंहल पैथोलॉजीकल लैब, अपो० ईव्स० सिनेमा, हापुड़, मेरठ	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रियाएं
23.	धनवंतरी डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०, पो० बाक्स नं० 84, सुमेर भवन, बच्चा पार्क, मेरठ	एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउन्ड एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं-सी०टी० स्कैन, कलर डाप्लर, मैमोग्राफी एवं पैनोरमिक डेंटल एक्स-रे
24.	राज पैथोलॉजी लेबोरेटरी, 1, बैंक कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रियाएं
25.	सेठ डायग्नोस्टिक सेंटर अपो० एन०ए०एस० कालेज, ई०के० रोड, मेरठ	सामान्य एवं विशिष्ट विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रियाएं
26.	हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर, शिवाजी रोड, नियर एन०ए०एस० कालेज, अपो० शंकर आश्रम, मेरठ	विकिरण विज्ञान एवं विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाएं-सी०टी० स्कैन एवं कलर डाप्लर
27.	कैंट डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर न्यू सरधाना रोड, शारदापुरी, कांकेड़ खेड़ा, मेरठ कैंट, मेरठ	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रियाएं एवं एक्स-रे
28.	तोमर स्कैन सेंटर अपो० नन्दन सिनेमा, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य विकिरण विज्ञानी प्रक्रिया एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउन्ड
29.	डा० कुमुद गुप्ता पैथोलॉजी लैब०, 7, सिटी सेंटर, नियर बच्चा पार्क क्रासिंग, मेरठ	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रिया
30.	शिव कार्डियाक लैब (प्रा०) लि० पवनसुत काम्पलेक्स, छिप्पी टैंक, मेरठ	एक्स-रे एवं नैदानिक प्रक्रियाएं, कलर डाप्लर, टी०एम०टी०, होल्टर एवं स्पाइरोमेट्री
31.	डा० प्रदीप त्यागी कम्प्यूटराईज्ड पैथोलॉजी लैब०, अपो० आर०जी० इन्टर कालेज, 29/4, छिप्पी टैंक, मेरठ	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी प्रक्रियाएं
32.	यूनाईटेड स्कैन (प्रा०)लि० नियर सब्जी मंडी एंड गली नं० 4, पंचशील, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य विकिरण विज्ञानी प्रक्रियाएं-एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउन्ड

1	2	3
33.	शिव कैट स्कैन (प्रा०) लि० पवन सुत काम्पलेक्स, छिप्पी टैंक, मेरठ	सी०टी० स्कैन एवं पैरोरमिक डैंटल एक्स-रे
34.	प्रभा न्यूरो डायग्नोस्टिक सैंटर, 5, मेडीसैंटर, हापुड़ रोड, मेरठ	विशिष्ट न्युरोसर्जिकल प्रक्रियाएं-ई०ई०जी०, ई०एम०जी०, एन०सी०वी० एवं इवोक पोटेंशियल
35.	प्रकाश न्यूरोलाजी सैंटर, 6, शिव काम्प्लेक्स, अपो० नानकचंद डिग्री कालेज, ईस्ट कचहरी रोड, मेरठ	विशिष्ट न्युरोसर्जिकल प्रक्रियाएं-ई०ई०जी०, ई०एम०जी०, एन०सी०वी० एवं इवोक पोटेंशियल
36.	डा० (श्रीमती) विनय भारत ब्लड बैंक, न्यू मार्केट, बेगम ब्रीज, मेरठ	सामान्य एवं विशिष्ट विकृति रोग प्रक्रियाएं
37.	अर्पित न्यूरो केयर सैंटर एंड न्यूरोफिजीयोलॉजी लैब०, नियर ईव्स सिनेमा, हापुड़ रोड, मेरठ	विशिष्ट न्युरोलाजिकल प्रक्रियाएं-ई०ई०जी०, ई०एम०जी०, एन०सी०वी० एवं इपोक पोटेंशियल

मेरठ शहर में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय के आदेशानुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभर्थियों को रेफर किया जाना अस्थायी रूप से रोक दिया गया है

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	यशलोक हास्पिटल एंड नर्सिंग होम (प्रा०)लि०, ईस्टर कचेरी रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
2.	मधु नर्सिंग होम, 44-ए, नई सड़क, गढ़ रोड, शास्त्री बाजार, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार
3.	तुलसी हास्पिटल, डी-ब्लाक, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य प्रयोजन उपचार एवं न्युरोसर्जरी तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विशिष्ट उपचार

नागपुर

अस्पताल

1.	सुश्रुत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सैंटर, रामदासपीठ, नागपुर	केवल आर्थोपेडिक्स
2.	सूबेदार हॉस्पिटल, 9, रामदासपीठ, वर्धा रोड, नागपुर	केवल कार्डियोलॉजी
3.	डा० के०जी० देशपांडे मेमोरियल सैंटर, गोकुलपीठ	कार्डियोलॉजी, कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी और नेत्र रोग विज्ञान
4.	रेटीना केयर हॉस्पिटल, ए/1, नील गगन, धनतोली, नागपुर	केवल नेत्र रोग विज्ञान

1	2	3
5.	सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साईंसिज, बजाज नगर, नागपुर	न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड केवल नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	अवन्ती हार्ट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, 5, अभ्यंकर नगर, धानतोली, नागपुर	केवल कार्डियोलोजी
7.	दिनेश हॉस्पिटल एंड यूरोलोजिकल क्लिनिक, 3, कैनाल रोड, रामदास पीठ, नागपुर	केवल यूरोलोजी
8.	आई इंफरामरी एंड लेजर सेंटर, 6, लक्ष्मी वैभव कम्प्लेक्स, बजाज नगर, नागपुर	केवल नेत्र रोग विज्ञान
9.	राउत चिल्ड्रन हॉस्पिटल, परमानन्द अपार्टमेंट, इंदौरा चौक, कामटी रोड, नागपुर	केवल बाल रोग चिकित्सा एवं संबंधित निदान
10.	एम०एम० विश्वकर्मा मेमोरियल, कमल चौक, नागपुर	केवल नेत्र रोग विज्ञान
11.	तामास्कर क्लिनिक, 17, वर्धा रोड, नागपुर	केवल सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
12.	श्री क्लिनिक मैटरनिटी एंड सर्जिकल, निरजा हाउस, 16, स्वाबलम्बी नगर स्केयर, दीन दयाल नगर, नागपुर	केवल सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
13.	स्नेह नर्सिंग होम, श्री वर्धन कम्प्लेक्स, वर्धा रोड, नागपुर	केवल सोनाग्राफी सहित प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
14.	सेंट्रल न्यूरोलोजिकल इंस्टीट्यूट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, 80, शंकर नगर, नागपुर	केवल न्यूरो सर्जरी
15.	श्री राधाकृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ईस्ट वर्धमान नगर, नागपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	मुरे मेमोरियल हॉस्पिटल, महाराजा बाग रोड, सीताबुलदी, नागपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
17.	जनता मेटरनिटी होम एंड हॉस्पिटल, जरीपटका, नागपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
18.	लता मंगेशकर हॉस्पिटल, महाराजा बाग रोड, सीताबुल्दी, नागपुर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
19.	मातृ सेवा संघ मेटरनिटी होम, सीताबुल्दी, नागपुर	केवल प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञन
20.	क्रिसेन्ट नर्सिंग होम एवं आई०सी०सी०यू०, ओल्ड माउंट कारमेरल स्कूल के पीछे, लोकमत स्केवायर के नजदीक, धानतेली, नागपुर	केवल कार्डियोलोजी, नेफ्रोलोजी

1	2	3
	नैदानिक केन्द्र	
1.	पुरश्रीर गेस्ट्रोएंट्रोलोजी क्लिनिक, (नैदानिक केन्द्र), श्री वर्धन कम्प्लेक्स, वर्धा रोड, रामदासपीठ, नागपुर	केवल गेस्ट्रोएंट्रोलोजी
2.	श्री वर्धन एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, श्री वर्धन कम्प्लेक्स, 7-वर्धा रोड, रामदासपीठ, नागपुर	केवल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, कलर डोप्पलर, ट्रीडमिल्ल टेस्ट
3.	साई नाथ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, विनायक अपार्टमैंट, भूतल, लोकमत स्कवायर के नजदीक, धानतोली, नागपुर	केवल माइक्रोबायोलोजी इंवैस्टीगेशन्स
4.	सेंट्रल पैथोलोजी लेबोरेट्री, इंदोरा चौक, नागपुर	केवल पैथोलोजी और बायोकैमिस्ट्री
5.	जयनीता पैथोलोजी एंड सीटोलोजी लेबोरेट्री, 213, श्री वर्धन कम्प्लेक्स, राधिका होटल के नजदीक, वर्धा रोड, नागपुर	केवल पैथोलोजी
6.	खेमका एक्स-रे एंड अल्ट्रासांउड क्लिनिक, 5, विनायक अपार्टमैंट, लोकमत स्कवायर, धानतोली, नागपुर	केवल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड

पटना (एस०टी०डी०-0612)

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	चिकित्सा नर्सिंग होम, मीठापुर, पटना 232131	प्रसव सेवाएं
2.	सहयोग हास्पिटल, 40, पाटलीपुत्र कालोनी, पटना 226026	काय चिकित्सा में सामान्य प्रयोजन उपचार, सामान्य सर्जरी तथा प्रसूति तथा स्त्री रोग
3.	तारा हास्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, बी०पी० कोइराला मार्ग, (बैंक रोड), पटना 222243	सामान्य प्रयोजन उपचार तथा कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी में विशिष्ट उपचार
4.	शाही हास्पिटल, रोड नं० 2बी, राजेन्द्र नगर, पटना 267281	लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलाजी
5.	डा० रूबेन मेमोरियल हास्पिटल रतन स्टोन क्लीनिक, मिनार प्लाजा, साउथ ईस्ट गांधी मैदान, पटना 266246	लिथोट्रिप्सी, डायलिसीस एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सहित सभी मूत्र विज्ञानी सर्जरी
6.	दृष्टि आई केयर एंड रिसर्च सेंटर, बी/22, पतराकर नगर, कंकड़ बाग, पटना 2352415	लेजर को छोड़कर सभी नेत्र प्रक्रियाएं
7.	जीवक हार्ट हास्पिटल एंड रिसर्च इन्स्टी० प्रा०लि०, 6-डाक्टर्स कालोनी, कंकड़बाग, पटना 2345895	कार्डियक शल्यक प्रक्रिया

1	2	3
8.	महावीर कैंसर संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना 2253956	कैंसर उपचार (रेडियोथिरेपी एवं कीमोथिरेपी) मैमोग्राफी, सी०टी० स्कैन, अल्ट्रासाउन्ड, रेडियोलाजी, पैथोलाजी एवं बायोकेमिस्ट्री
9.	राम रतन हास्पिटल, रामपुर रोड, नियर बाजार समिति, पटना 2686256	आर्थोपेडिक, डर्मेटोलाजी, आब्स० एवं गिनी०, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल, पैथोलोजी, रेडियोलाजी, मेडिसिन एवं फिजियोथिरेपी
10.	पॉमा व्यू हास्पिटल, नंदनपुरी, पटना 2288738	मूत्र विज्ञानीय सेवाएं व लेप्रोस्कोपिक शल्य-चिकित्सीय क्रियाविधियां
11.	एल०एस० इन्स्टी० ऑफ इ०एन०टी० (प्रा०)लि०, नेमा प्लेस, एक्सहिबिशन रोड, पटना 2367997	कान, नाक व गला उपचार और शल्य चिकित्सीय क्रियाविधियां
12.	अनुपमा हास्पिटल प्रा०लि०, खजांची रोड, पटना 2672707	सामान्य शल्य चिकित्सा व लैप्रोस्कोपी
13.	हाई मेडिकेयर एंड रिसर्च इन्स्टी० बेली रोड, राजा बाजार, पटना 2284533	सामान्य शल्य चिकित्सा व लेप्रोस्कोपी और रोग विज्ञानीय व विकिरण विज्ञानीय क्रियाविधियां
14.	हार्ट हास्पिटल प्रा०लि०, चन्द्रालय, कंकड़ बाग, पटना 2367997	कार्डियक शल्य चिकित्सा को छोड़कर कार्डियोलाजी में विशिष्टीकृत उपचार
15.	अवध आई हास्पिटल, ए-39, पी०सी० कालोनी कंकड़ बाग, पटना 2367997	नेत्र विज्ञानीय उपचार
16.	सिद्धिकी नर्सिंग होम एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, प्रा०लि०, अपो० बी०एन० कालेज, गोला रोड, बेकरगंज, पटना 2309178	सामान्य शल्य चिकित्सा
17.	शल्य निकेतन, जगत नारायण रोड, कदम कुंआ, पटना 2674801	मूत्र विज्ञानीय जांचें व उपचार
18.	अरविंद डायबिटिज क्रिटिकल केयर हास्पिटल एंड गाइनेकोलाजी एंड मेटर्निटी सेंटर, अशोक राज पथ, पटना 2672707	मधुमेह परिचर्या
19.	गोलघर चिकित्सा केन्द्र, गोलघर, पटना 2227578	कार्डियक जांचें
20.	नालन्दा हास्पिटल एंड स्कैन रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, डाक्टर्स कालोनी, कंकड़ बाग, पटना 2351930	एक्स-रे, एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन व अल्ट्रासाउंड
21.	सुरभि इमेजिंग सेंटर, अपो० सेल्स टैक्स, आफिस, गुजरी, पटना	अल्ट्रासोनोग्राफी
22.	आर०के० लैब गरहट्टा मोर, पटना सिटी 2654139	रूधिर विज्ञान व जैव रसायन शास्त्र
23.	पंचलोक डायग्नोस्टिक सेंटर अपो० तारा मंडल, बेली रोड पटना 2234498	रूधिर विज्ञान व जैव रसायन शास्त्र पी०एफ०टी० और भौतिक चिकित्सा

1	2	3
24.	शंकर डायग्नोस्टिक, मखानिया कुआं रोड, पटना	रोग विज्ञान व जैव रसायन शास्त्र (रूधिर विज्ञान और जैव रसायन शास्त्र)
25.	पैथो बायोकेम इंस्टीट्यूट, तुलसी अपार्टमेंट, गोविन्द मित्रा रोड, पटना 2670321	रूधिर विज्ञान व जैव रसायन परीक्षण
26.	सेंट्रल डायग्नोस्टिक्स शांति प्रिया एपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना 2234764	रोग विज्ञान सूक्षम जीव विज्ञान, जैव रसायन शास्त्र व होर्मोनल एस्से
27.	बालाजी कार्डिक डायग्नोस्टिक सेंटर, लक्ष्मी काम्पलेक्स के सामने बोरिंग रोड, पटना 2261328	केवल कार्डियक जांच
28.	मौर्या लोबोरेट्रीज प्रा०लि० राजेन्द्र नगर, रोड नं० 3 पटना 2685276	सभी रोग विज्ञानीय जैव-विज्ञानीय, सूक्ष्मजीव विज्ञानीय और हिस्टोपैथोलॉजी जांच
29.	बायोलैब व पवन अल्ट्रासाउण्ड, खजांची रोड महावीर स्थान के निकट, पटना 2685276	रोग विज्ञान जैव रसायन शास्त्र व सूक्ष्म जीव विज्ञान
30.	पटना स्केन सेंटर, डीपराज काम्पलेक्स, आर्य कुमार रोड, पटना 2686545	केवल अल्ट्रासाउण्ड
31.	हर्ष एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, बसमेंट कुमार टावर, बोरिंग कैनाल रोड, पटना 2237655	रोग विज्ञान जैव-रसायन और अल्ट्रासाउण्ड
32.	अरविंद डायग्नोस्टिक लैब एंड अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, अशोक राजपथ, पटना	रोग विज्ञानीय व जैव विज्ञानीय जांचें और अल्ट्रासाउण्ड
33.	गेटवेल हास्पिटल, राजा बाजार, बेली रोड, पटना 2286530	रूधिर विज्ञान, जैव रसायन शास्त्र, अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे
34.	आलोक मेडिकल सेंटर, एच०एन० 47, रोड नं० 20, श्री कृष्णा नगर, पटना 2520935	चिकित्सीय व नैदानिक अपर जी०आई० एन्डोस्कोपी और चिकित्सीय ई०आर०सी०पी० तथा लोवर जी०आई० एन्डोस्कोपी

पुणे (एस०टी०डी०-020)

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	प्रक्रियाएं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	भारती विद्यापीठ मेडिकल फाउंडेशन भारती हास्पिटल कटराज धनकावाड़ी, पुणे	सामान्य प्रयोजन उपचार
2.	पुणे इनस्टिट्यूट आफ न्यूरालोजी गणेशखिंड रोड, शिवाजी नगर, पुणे 25536531	न्यूरोलोजी में विशेषज्ञ उपचार (मेडिकल एंड सर्जिकल) तथा संबंधित जांचें

1	2	3
3.	भागली क्लिनिक एंड नर्सिंग होम० प्लाट नं० 2 सदानन्द सोसाइटी बिबवेवाड़ी, पुणे 24210066	नेत्र विज्ञान एवं विकलांगता में विशेषज्ञ उपचार
4.	कावडे नर्सिंग होम, उत्तर नगर, पुणे 25290110	सामान्य प्रयोजन उपचार
5.	सुपरटेक हास्पिटल, चिंचवाड, पुणे 21101884	तंत्रिकाविज्ञान में विशेषज्ञ उपचार (मेडिकल एंड सर्जिकल) एवं ट्रामा तथा संबंधित जांचें
6.	एन०एम० वाडिया अस्पताल शुक्रवार पेट पुणे 24472463	सामान्य प्रयोजन उपचार
7.	शुभाश्री आर्थोपेडिक्स हास्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोट्रड पुणे 25880995	आर्थोपेडिक्स में विशेषज्ञ उपचार
8.	आनन्द मेडिकल फाउन्डेशन सुबोध हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे	सामान्य प्रयोजन उपचार
9.	ऊषा किरण जनरल हास्पिटल एस०न० 229/ए 1 कामधेनु इस्टेट हडप्सर, पुणे 26999910	सामान्य प्रयोजन उपचार
10.	महाराष्ट्र मेडिकल फाउंडेशन, (रतन) मेमोरियल हास्पिटल) 968/969 सेनापति बापत रोड, पुणे 25651035	सामान्य प्रयोजन उपचार
11.	महाराष्ट्र मेडिकल फाउंडेशन, (जोशी हास्पिटल) 778, शिवाजी नगर, कमला नेहरू पार्क के सामने पुणे 25676861	सामान्य प्रयोजन उपचार
12.	ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन रूबी हाल क्लिनिक, 40, सैसून रोड पो० बाक्स 70, पुणे 26123301	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	सूर्य हास्पिटल प्रा०लि० 1317 कस्बापेठ, पुणे 24454232	सामान्य परिचया एवं सी०टी० स्कैन
14.	इन्सटीट्यूट आफ यूरोलोजी, एस० नं० 32/32 ए, एरंडेवाने, पुणे 2543063	नेफ्रोलोजी में विशेषज्ञ उपचार यूरोलोजी और लेपरोस्कोपी और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
15.	जोशी क्लिनिक जनार्दन सदन, 1194/23, घोल रोड, पुणे 25533361	विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा
16.	कालोनी नर्सिंग होम (द्वारिका संगमनेरकर मेडिकल फाउंडेशन), नवीपेठ, पुणे	प्रसूति और सभी रोग
17.	संचेती इन्सटीट्यूट आफ आर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन, 16 शिवाजी नगर, पुणे 25533333	आर्थोपेडिक्स में सामान्य उपचार
18.	कर्ने हास्पिटल प्रा०लि० कृष्णा चैम्बर, नीयर लक्ष्मी नारायण थियेटर्स सतारा रोड, पुणे 24265148	आर्थोपेडिक्स में सामान्य उपचार

1	2	3
19.	भिडे हास्पिटल 18, लक्ष्मी पार्क, ओप० संडेट्टा पुलिस चौकी नवीपेठ पुणे 24331448	आर्थोपेडिक्स में सामान्य उपचार एवं बाल चिकित्सा
20.	लोकमान्य हास्पिटल (युनिट-II), निगड़ी पुणे 27657001	ट्रामा (अर्थो एंड यूरो) में विशेषज्ञ उपचार एवं सी०टी० स्कैन
21.	रांका हास्पिटल 157/5 आपो० सी०पी०डब्ल्यू०डी० आफिस, मुकुन्द नगर, पुणे 2428130	आर्थोपेडिक्स में सामान्य उपचार
22.	सई स्नेह हास्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा०लि० नियम पी०एम०टी० बस स्टाप, पुणे सतारा हाइवे, कटराज, पुणे-26959208	सामान्य उपचार
23.	डा० पोतदार डेंटल केयर सेंटर, मुम्बई पुणे रोड, निगाडी, पुणे 27473311	विशेषज्ञ दन्त उपचार
24.	जहांगीर अस्पताल एण्ड मेडिकल सेंटर, 32 सैसून रोड, पुणे 2605050	सामान्य प्रयोजन उपचार
25.	एन०एम०डब्ल्यू० इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी, 32 सैसून रोड, पुणे 26122936	कार्डियोलोजी एंड कार्डिएक सर्जरी में विशेषज्ञ उपचार
26.	अयोध्या चेरिटेबल ट्रस्ट, अयोध्या जनरल हास्पिटल, एस० नं० 51/2, नीयर एस०आर०पी०, गेट नं० 2, विकास नगर, वनोवाड़ी, पुणे	विशेषज्ञ ई०एन०टी० उपचार
27.	कोटबागी हास्पिटल, एस०न०, 163, डी०पी० रोड औंध, पुणे 26882770	सामान्य प्रयोजन उपचार
28.	शारदा ऑर्थोपेडिक हास्पिटल, शान्ति प्लाजा, सिंहगढ़ रोड वडगांव (बी०के०) पुणे 24350286	विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक उपचार
29.	कावलिया-पुणे फार हियरिंग एण्ड स्पीच शिवसागर सोसाइटी, 161/ए, मोदी बाग गणेशखिंड रोड, पुणे	विशेषज्ञ ई०एन०टी० उपचार
30.	अमेया नेत्रालय, दूसरा तल, संतभूमि पुणे को-ओप सोसाइटी, निगड़ी बस स्टाप के पीछे निगड़ी, पुणे	विशेषज्ञ नेत्र उपचार
31.	पी०बी०एम०ए०एस०एच०बी० देसाई आई अस्पताल, सर्वे न० 93, तरवडे बस्ती, मोहम्मदवाडी, हडस्पर, पुणे 271128034	नेत्र विज्ञान में सामान्य/विशेषज्ञ उपचार
32.	देसाई एक्सीडेंट एण्ड जनरल अस्पताल, पुणे नासिक रोड भोसरी, पुणे 27128034	विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक उपचार
33.	डा० बंसल अस्पताल, बम्बई पुणे रोड बैंक आफ इण्डिया के सामने देहु रोड, पुणे	प्रसूति एवं स्त्री रोग

1	2	3
34.	सांईनाथ ऑर्थोपेडिक अस्पताल, पुणे, नासिक रोड भोसारी पुणे 27119030	विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक उपचार
35.	जोग अस्पताल, 46/2बी/2, पुणे 25431758	सामान्य ऑर्थोपेडिक उपचार
36.	पूना अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, 27 सदाशिव पेठ पुणे 24331006	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार कार्डियोथोरोसिक को छोड़कर
37.	इंलैक्स एंड भुधशनी ह्रास्पिटल एंड एम०एन० भुधरानी कैंसर इंस्टीट्यूट में 7-9, कोरेगांव पार्क, पुणे 24129999	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार/सी०टी० स्केन एवं मैमोग्राफी सहित आनकोलोजी में सामान्य/एवं नैदानिक विशेष उपचार प्रक्रिया
38.	संजीवन अस्पताल कर्वे रोड, पुणे 25436053	सामान्य प्रयोजन उपचार
39.	डा० पटवर्धन अस्पताल एण्ड मेटरनिटी होम, घंकवाड़ी पुणे 24370134	विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग
40.	के०ई०एम० ह्रास्पिटल, सरदार, मुदलियार रोड रास्ता पेठ, पुणे 26125600	सामान्य प्रयोजन उपचार
41.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आप्थो० 1187/30, ओप० गोल रोड, नीयर फूले म्युजियम, शिवाजी नगर, पुणे 25536369	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार नेत्र विज्ञान में निदान प्रक्रिया
42.	संजीवनी अस्पताल उत्तम नगर, पुणे 25290057	सामान्य उपचार, सामान्य शल्य चिकित्सा लेप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी
43.	योगेश अस्पताल, 1188 सदासिव पेठ, लिमाये वाडा, पुणे 24478740	अर्थे एंड आप्थो० में विशेषज्ञ उपचार
44.	शुश्रुत मेडिकल केयर एण्ड रिसर्च सोसाइटी (ह्रार्डिकर ह्रास्पिटल), गणेशखिंद रोड पुणे 25535326	आथोपेडिक्स में सामान्य प्रयोजन उपचार
45.	डा० डी०वाई० पाटिल मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, पिम्परी, पुणे 27420307, 27423090	सामान्य उपचार और सी०टी० स्कैन
46.	फड़के अस्पताल, 1260 बी, शिवाजी नगर, जे०एम० रोड रोग पुणे 255317	बाल रोग चिकित्सा (मेडिकल एवं सर्जिकल) स्त्री और प्रसूति
47.	शारदा क्लिनिक, 408/1 धोरपडे पेठ पुणे 26452200	अर्थोपेडिक्स में विशेषज्ञ उपचार
48.	दीन दयाल मेमोरियल अस्पताल, 926, फर्ग्युसन कालेज रोड शिवाजी नगर, पुणे 25652497	सामान्य प्रयोजन उपचार, कार्डियोलोजी एवं संबद्ध, नैदानिक प्रक्रियाओं में विशेषज्ञ उपचार
49.	दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल, 8-13/2, इरण्डावेन, हिमाली सोसाइटी के निकट, पुणे 24023085	सामान्य उपचार, सामान्य/विशेषज्ञ निदान प्रक्रियाएं

1	2	3
50.	अनुष्का स्कैन सेंटर, के०ई०एम० हास्पिटल, डायमण्ड जुबिली बिल्डिंग, रास्ता पेठ, पुणे 26113165	सी०टी० स्कैन व एम०आर०आई०
51.	गंगाधर एक्सरे एण्ड अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक, फ्लैट न० बी० 1 (पी०एम०सी० न० 2) शांतानंद कॉम्पलेक्स, पी०एम०टी० बस डिपो के बगल में, गाडीतल, हडस्पर, पुणे 26892718	एक्स-रे, यू०एस०जी० तथा विशेष प्रक्रियाएं
52.	चौधरी एक्सरे एण्ड सोनाग्राफी क्लिनिक, गंगा काम्पलेक्स, किवल्कर हास्पिटल, एयरपोर्ट रोड येरवडे, पुणे 26892688	एक्स-रे, यू०एस०जी० तथा विशेष प्रक्रियाएं
53.	गोलविलकर लेबोरेटरीज, पुणे 2 अभ्युदय एपार्टमेंट्स, 771, भंडारकार इस्ट० रोड पुणे 24012007	सामान्य-विशेष पैथोलाकिल जांच
54.	ओम् पैथोलॉजी लैब, श्रद्धा चैम्बर्स, निडर दांडेकर ब्रिज, सिंहगढ़ रोड, पुणे 24331058	सामान्य-विशेष पैथोलाकिल जांच
55.	मेडिनोवा डाईग्नोस्टिक प्राइवेट सर्विसिज, 1319, जंगली महाराज जांच रोड, शिवाजीनगर, पुणे 25683731	सामान्य/विशेषज्ञ विकृति विज्ञानी व विकिरण विज्ञानी
56.	आर्यभूषण डाईग्नोस्टिक सेंटर, बी०जे०-5, कोणार्क इस्टेट्स, पूणा क्लब के सामने, बूंद गार्डन रोड, पुणे 26119730	नेमी एक्स-रे यू०एस०जी०, सी०टी० स्कैन व विशेष प्रक्रियाएं
57.	मेडिविजन होल बाड़ी सी०टी० स्कैन, पाटील प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, मिश्रा मंडल, सारस बाग के निकट पुणे 24468031	एक्स-रे यू०एस०जी०, सी०टी० स्कैन व विशेष प्रक्रियाएं
58.	इंद्रायणी डाईग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राउण्ड फ्लोर, मंत्री मार्केट, पुणे-सोलापुर रोड हडस्पर पुणे 26872545	विशेषज्ञ विकिरण विज्ञानी जांचें (सी०टी० स्कैन) एवं नेमी/विशेषज्ञ विकृति रोग विज्ञानी जांचें
59.	परांजपे एक्स-रे एण्ड अल्ट्रासाउंड लैब; पुष्पक, 200, नारायण पीठ, लक्ष्मी रोड, पुणे 24464336	एक्स-रे, यू०एस०जी०, विशेष प्रक्रियाएं
60.	यूनिस्केन सेंटर, शिवाजी नगर, पुणे 25639797	सी०टी० स्कैन
61.	होलिस्टिक हैल्थ सेंटर, प्रथम तल इडेन हाल, 413/बी, भम्बुर्दा, ओम सुपर मार्केट के सामने पुणे 25601852	सामान्य विकिरण विज्ञानी जांचें, (एक्स-रे तथा यु०एस०जी०) और 2 डी ईको, कलर डापलर
62.	पी०एच०, मेडिकल सेंटर, लोटस कोर्ट, आदिनाथ सोसाइटी के सामने, सतारा रोड, पुणे 25680852	सामान्य विकिरण विज्ञानी जांच (एक्स-रे तथा यु०एस०जी०) और 2 डी ईको, कलर डापलर
63.	नोबल लैब, सेफ गार्डन, मालवाडी रोड, पुजा हास्पिटल के सामने, हडस्पर, पुणे 28875899	पैथोलॉजी जांच व यू०एस०जी०

1	2	3
64.	गुलाटी सोनोग्राफी क्लिनिक, एम०जी० रोड, कैम्प, पुणे 26130444	यू०एस०जी० केवल
65.	डिसीजन डाईग्नोस्टिक सेंटर, प्रा०लि० डिसिजन टावर्स, सियोटी प्राइड थियेटर के निकट, पुणे-सतारा रोड, पुणे 24230388	सामान्य/विशेष विकिरण एवं चिकृति रोग विज्ञानी जांचें
66.	सहयाद्रि लेबोरेट्री एंड हिमोटोलाजी सेंटर, 33/34 बी, मकरंड भावे पीठ दक्कन जिमखाना, पुणे 25463399	सामान्य/विशेषज्ञ विकृति रोग विज्ञानी जांचें
67.	मडाने एक्स-रे एण्ड सोनोग्राफी क्लिनिक, 3 मोहित ट्विन टावर्स ए० नगर, सिंहगढ़ रोड, पुणे 24354282	एक्स-रे, यू०एस०जी०, विशेष प्रक्रियाएं

पुणे शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय के आदेशानुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रेफर किया जाना अस्थायी रूप से रोक दिया गया है

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन रूबी हाल, 40, सैसून रोड, पोस्ट बाक्स नं० 70, पुणे	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	एन०एम० वाडिया हास्पिटल, शकूरवार पीठ, पुणे	सामान्य प्रयोजन उपचार

रांची

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	नगरमल मोदी सेवा सदन, सेवा सदन पथ, रांची	कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	अब्दूर रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीचर्स हास्पिटल (अपोलो हास्पिटल ग्रुप) अरबा, रांची	सामान्य विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	राज हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मेन रोड, रांची	नेफ्रोलाजी एवं डायलिसिस को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	सेंट बर्नाबस हास्पिटल, चर्च रोड, रांची	सामान्य प्रयोजन उपचार
5.	डा० पी०एस० रोहतागी इंवेस्टीगेशन सेंटर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के निकट, डोराण्डा, रांची	सामान्य व विशेषज्ञ विकृति रोग विज्ञानी जांचें

1	2	3
6.	डा० ए०वी० वर्मा पैथोलाजी लैबोरेटरी, 65, रोड नं० 1, अशोक नगर, रांची	सामान्य विकृति रोग विज्ञानी जांचें
7.	डा० जे० शरण पैथोलाजिकल लैबोरेट्री, मेडिकल कालेज के निकट, बरियातु, रांची	सामान्य/विशेषज्ञ विकृति रोग विज्ञानी जांचें

त्रिवेन्द्रम

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	प्रक्रियाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता दी गई है
1	2	3
1.	एस०यू०टी० हास्पिटल, पत्तोम, त्रिवेन्द्रम	सामान्य/विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	कास्मोपालिटन हास्पिटल, मुरिंजपालम, पत्तोम, त्रिवेन्द्रम	ओपन हार्ट सर्जरी एवं न्यूरोवास्कुलर सर्जरी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	वनचिनाड हास्पिटल, पोंगुम्मुड, त्रिवेन्द्रम	सामान्य उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं तथा विशेषज्ञ उपचार एवं न्यूरोलाजी के लिए नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	जी०जी० हास्पिटल, पत्तोम, त्रिवेन्द्रम	यूरोलाजी के लिए सामान्य उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं एवं विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
5.	एस०पी० फोर्ट हास्पिटल, फोर्ट, त्रिवेन्द्रम	सामान्य उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	जुबिली मेमोरियल हास्पिटल, मीड्स लेन, पलायम, त्रिवेन्द्रम	सामान्य उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
7.	चैतन्य आई हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कासवाड़पुरम, त्रिवेन्द्रम	नेत्र विज्ञान के लिए विशेषज्ञ उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	डाक्टर्स डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, यूल्लूर त्रिवेन्द्रम	सामान्य/विशेषज्ञ नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	देवी स्कैन (प्रा०) लि० मेडिकल कालेज हाई स्कूल, कुमार पुरम त्रिवेन्द्रम	सामान्य/विशेषज्ञ नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	स्कैन हाऊस डा० गोपिनाथ डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेडिकल कालेज के निकट, त्रिवेन्द्रम	सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	ए०डी०एस० स्कैन एंड हास्पिटल लि० मेडिकल कालेज के निकट, त्रिवेन्द्रम	कल्चर तथा सेंसिटिवीटी को छोड़कर सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेडिकल कालेज के निकट, त्रिवेन्द्रम	नेमी विकिरण एवं प्रयोगशाला जांचों के लिए सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं

के०स०स्वा०यो० शहर का नाम: गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित दिल्ली

क्रम सं०	के०स०स्वा०यो० द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम	के०स०स्वा०यो० के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त
1	2	3
1.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल रोड, नई दिल्ली-60	कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं, रीनल प्रक्रिया, रीनल ट्रांसप्लान्टेशन, गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी प्रक्रियाएं, लीवर ट्रांसप्लान्टेशन और जेनेटिक लैब प्रक्रियाएं
2.	सुंदर लाल जैन अस्पताल, अशोक विहार फेज-III, नई दिल्ली	सामान्य, विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर) और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	तीरथ राम शाह अस्पताल, तीस हजारी के निकट, बैटरी लेन, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	संत परमानन्द अस्पताल, 18, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
5.	जीवन माला अस्पताल, 67/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
6.	मोहन आई इंस्टीट्यूट, 11-बी, गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-आप्थेलमोलॉजी
7.	केसर अस्पताल, ए०एच०-11, शालीमार बाग, दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन मिनिमम इनवेसिव सर्जरी (लेप्रोस्कोपिक)
8.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, ब्लाक डी, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली-52	भौतिक-चिकित्सा, परम्परागत विकिरण विज्ञान एवं लेब०
9.	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल, 2-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सामान्य सर्जरी
10.	न्यू दिल्ली स्कैन इंस्टीट्यूट, (सर गंगा राम अस्पताल) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	सी०टी०
11.	नाथ एम०आर० स्कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट (सर गंगाराम अस्पताल), राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एम०आर०आई०
12.	महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेनसिटोमेट्री सेंटर (सर गंगाराम अस्पताल), राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	न्यूक्लियर चिकित्सा एवं बोन डेंसिटोमेट्री
13.	सी०डी० डायग्नोस्टिक (सुंदर लाल जैन अस्पताल), अशोक विहार, फेज-III, दिल्ली	सी०टी०
14.	मेट्रो हैल्थ केयर सेंटर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के नजदीक, बैटरी लेन, नई दिल्ली	सी०टी०

1	2	3
15.	सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, सिद्धार्थ कैट स्कैन स्पेसिलिटी, 2169, शादी खाम पुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	यू०एस०जी०, सी०टी० और प्रयोगशाला
16.	शालीमार डायग्नोस्टि सेंटर, एडी-130ए, शालीमार बाग, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी और प्रयोगशाला
17.	डा० एस०एस० डोडा अल्ट्रासाउंड सेंटर, 23-बी पूसा रोड, नई दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियालोजी, यू०एस०जी०, मैम्मोग्राफी और सी०टी० एवं कलर डोप्लर
18.	जी०एम०आर० इंस्टीट्यूट आफ इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर, 35-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	सी०टी० और एम०आर०वाई०
19.	नार्थ दिल्ली पैथ क्लिनिक, 56-ए, कमला नगर, दिल्ली	प्रयोगशाला
20.	डा० लाल पैथ लैब (प्रा०) लिमिटेड, एस्की होम, 54, हनुमान रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला
21.	दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर, 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सभी रेडियोलोजिकल जांचें और न्यूक्लियर मेडिसिन
22.	सरल एडवांस्ड डायग्नोस्टिक (पी०) लिमिटेड, ई-1073, सरस्वती विहार, पीतमपुरा एंड 2, शक्ति विहार, पीतमपुरा, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू०एस०जी०, सी०टी०, एम०आर०आई० और प्रयोगशाला
23.	डा० सुरी लैब प्राइवेट लिमिटेड, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच
24.	डा० हांडा इमेजिंग सेंटर, 34-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ०पी०जी०, यू०एस०जी०, कलर डोप्लर, मेमोग्राफी
25.	मैक्स मेडसेन्टर-नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक, ए-2, 3 एंड 4, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्टिक सेन्टर, दिल्ली-32.	मैदानिक प्रयोजन
26.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-25	कार्डियो वास्कुलर शल्य चिकित्सा, इन्वेसिव एवं नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी और पैडिट्रिक कार्डियोलाजी
27.	इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली 44	सभी विकिरण विज्ञानी जांचें और न्यूक्लियर चिकित्सा, लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, डायलिसिस, मूत्र विज्ञान, अंग प्रतिरोपण (रीनल, लीवर) लिथोट्रिप्सी, ज्वायंट प्रतिस्थापन, रेडियेशन थिरेपी, कार्डियोलाजी, कार्डियक शल्य चिकित्सा, कार्डियो थोरेसिक, वास्कुलर शल्य चिकित्सा
28.	बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 1, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62	कार्डियक प्रक्रियाएं जैसे सी०ए०जी०, सी०ए०बी०जी०, पी०टी०सी०ए०, ई०पी० स्टडी, कार्डियो वास्कुलर प्रक्रियाएं, एम०आर०आई०, सी०टी०, इमेजिंग, केमोथिरेपी और कैंसर रेडिएशन थिरेपी

1	2	3
29.	इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरी केन्द्र, 50-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	विशिष्ट तथा मैदानिक (स्पाइनल इंजुरी, स्पाइन्स से संबद्ध रोग और फिजियोथिरेपी)
30.	पुष्पावती सिंघानियां रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रैस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, नई दिल्ली-17	लीवर, रीनल और डायबेटिक रोग के लिए विशिष्ट प्रयोजन
31.	मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 14, रिंग रोड़, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलॉजी, कार्डियक एंड वास्कूलर सर्जरी और संबद्ध डायग्नोस्टिक
32.	द हार्ट सेंटर, 2, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	नॉन-इनवैसिव कार्डियक प्रक्रियाएं
33.	सेंटर फार साइट, ए-23, ग्रीन पार्क, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-16	आप्थलमोलोजी
34.	मजिदा अस्पताल, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर,	नैदानिक प्रयोजन
35.	जी०एम० मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर फार मेडिकल साइंसेज, मंदिर मार्ग, प्रेस इन्कलेव के पास, साकेत, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रियाएं
36.	आर्थोनोवा हास्पिटल, सी-5/29, एस०डी०ए०, मेन आई०टी०आई० गेट के सामने, नई दिल्ली-16	आर्थोपैडिक, ट्रामा एवं क्रिटीकल केयर
37.	वेनू आई इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 1/31, शेख सराय इंस्टीट्यूटशनल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली	नेत्र संबंधी प्रयोजन
38.	प्रेसिजन डेन्टल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	कोस्मैटिक दंत चिकित्सा परिचर्या को छोड़कर डे-केयर दंत चिकित्सा उपचार
39.	मैक्स मेडिकल सेंटर, एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17 दूरभाष 26218481, 26237200	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी०, एम०आर०आई०, मैमोग्राफी, यू०एस०जी०, इको, होल्टर, पी०एफ०टी० आडियोमिट्री और स्पीच थेरेपी, प्रयोगशाला जांच
40.	जी०एम०आर० इंस्टिट्यूट एंड एम०आर०आई० स्कैन सेंटर, ए-13, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	एम०आर०आई०
41.	ओरगन इमेजिंग रिसर्च सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली	सी०टी० और एम०आर०आई०
42.	डा० पी० भसीन पैथ लैब, एस-13, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली	लैब
43.	एन०एम०सी० इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर (विमहांस कैम्पस), 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली	सी०टी०, एम०आर०आई०, कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू०एस०जी० और लैब

1	2	3
44.	कर्नल पंत इमेजिंग सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	यू०एस०जी०, मैमोग्राफी
45.	दिल्ली एम०आर० और सी०टी० स्कैन सेंटर (असलोक हास्पिटल), 25-ए/ए०बी०, एस०जे० एन्क्लेव, नई दिल्ली	एम०आर०आई०, सी०टी और यू०एस०जी०
46.	वसंत विजन एक्स-रे और यू०एस०जी० क्लीनिक, टी-9/4, वसंत विहार, नई दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी और यू०एस०जी०
47.	स्पेशिलिटी रेनबेक्सी लिमिटेड, सी/ओ, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेन्टर, सेक्टर-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	लैब
48.	कोहली इमेजिंग और डाइग्योनोस्टिक सेन्टर, 70, माऊंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डोप्लर
49.	सांघी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस-51, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच
50.	फोकस इमेजिंग और रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 47/1-2, मेन यूसूफ सराय मार्किट, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	एम०आर०आई०
51.	डा० एम०एल० अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक, ए/1/150, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली	एक्सरे एवं यू०एस०जी०
52.	साऊथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे क्लीनिक, ए-44, हौज खास, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ०पी०जी०; यू०एस०जी०, कलर डाप्लर, मैमोग्राफी
53.	दी क्लीनिकल लैबोरेटरी, ई-13/9, वसंत विहार, नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच
54.	आनन्द अस्पताल, 21, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली	विकिरण चिकित्सा एवं हेमो-डायलिसिस
55.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली	कैंसर निदान, केमोथिरेपी, रेडियेशन, पैलिएटिव परिचर्या, पुनर्वास और सामान्य नैदानिक प्रयोजन
56.	गामी डाइयोगनोस्टिक सेंटर, गुजरात विहार, विकास मार्ग, दिल्ली	प्रयोगशाला जांच
57.	डा० सविता जैन अरूण इमेजिंग सेंटर, डी-29, विवेक विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू०एस०जी० और मेमोग्राफी, कलर डोप्लर और इको
58.	डा० आनंद इमेजिंग और न्यूरोलोजिकल सेंटर, एफ-24, प्रीत विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी० और एम०आर०आई०
59.	माता चानन देवी अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन और डायलिसिस, नानइनवैसिव कार्डियक प्रोसिजर, डाग्नोस्टिक (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)

1	2	3
60.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, रोड सं० 35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नान-इन्वेसिव कार्डियक प्रक्रिया आदि, डायग्नोस्टिक (कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी 22 मार्च, 2004 से प्रभावी)
61.	राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली	कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी
62.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल, 2, इंस्टीट्यूटशनल एरिया, रोहिणी, नई दिल्ली दूरभाष-27980760, 27980935-37	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सी०ए०बी०जी०, एंजीयोग्राफी तथा कार्डियो थोरेसिस सर्जरी सहित) और नैदानिक (सी०टी० छोड़कर)
63.	ब्रह्म शक्ति अस्पताल और रिसर्च सेंटर, यू-1/78, बुद्ध विहार, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन उपचार
64.	नासा स्कैन सेन्टर, 38, पॉकेट-सी-9, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली	लेब, एक्सरे, यू०एस०जी०, कलर डोप्लर, एम०आर०आई० को छोड़कर सी०टी०
65.	गणेश डाइयोगनोस्टिक और इमेजिंग सेंटर, 109, पॉकेट-ए-1, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली	एक्सरे, यू०एस०जी०, सी०टी०, एम०आर०आई०
66.	सचदेवा डाइयोगनोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-991, सरस्वती विहार, दिल्ली	विशेष जांच सहित एक्सरे, यू०एस०जी०, कलर डोप्लर, बोन डेन्सीटोमेटरी
67.	जनता एक्स-रे क्लीनिक, 4-बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी०, एम०आर०आई०, मैम्मोग्राफी, यू०एस०जी० और कलर डाप्लर, प्रयोगशाला एवं बोन डेन्सीटोमेट्री
68.	नेशनल सी०टी० स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, 17, एन०डब्ल्यू०ए०, क्लब रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी०, प्रयोगशाला और कलर डोप्लर एवं इको
69.	सि०टी० एक्सरे एंड स्कैन सेंटर, 4-बी/7, तिलक नगर, नई दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सीटी, मैम्मोग्राफी, यू०एस०जी० और कलर डोप्लर एवं प्रयोगशाला
70.	कल्याणी अस्पताल (प्रा०) लिमिटेड, 354/2, मेहरोली रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
71.	डा० तनेजा अस्पताल एवं हार्ट सेंटर, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
72.	शीतला अस्पताल और आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, डी०एस०टी० कालेज के पास, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन
73.	उमकल हास्पिटल एण्ड एम०पी० हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए-520 सुशान्त लोक-1, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रिया

1	2	3
74.	माडर्न डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर, 363/4, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव (जवाहर नगर)	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सी०टी० और लैब
75.	उमा संजीवनी हेल्थ सेन्टर, 1, दक्षिण मार्ग, डी०एल०एफ० सिटी फेज-II, गुड़गांव	नैदानिक प्रयोजन (लैब)
76.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद	नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया सहित सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक
77.	संतोष मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अस्पताल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
78.	यशोदा अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, III-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक तथा नॉन इनवैसिव कार्डियोलोजी, इको, कलर डोप्लर, टी०एम०टी०, सी०टी० स्कैन
79.	यू०पी० स्टोन एंड यूरोलॉजी सेंटर, II-ए/40, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	लिथोट्रिप्सी
80.	मेट्रो अस्पताल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट, X-1, सेक्टर-12, सी-94, सेक्टर-11, नोएडा	सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं
81.	कैलाश अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया (कार्डियक इनवेसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी 22 मार्च, 2004 से प्रभावी)
82.	सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए, सेक्टर-34, नोएडा	केवल सामान्य प्रयोजन
83.	प्रकाश अस्पताल, डी-12, 21ए,. 12बी, सेक्टर-33, नोएडा	सामान्य प्रयोजन
84.	नोएडा डायग्नोस्टिक सेंटर, डी-4, सेक्टर नं० 20, नोएडा	कन्वेंशनल रेडियोलोजी एंड लैब
85.	एस्कोर्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लि०, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद	कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन तथा नैदानिक प्रयोजन
86.	फरीदाबाद सी०टी० स्कैन सेंटर, नीलम चौक, फरीदाबाद	सी०टी०

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची जहां पर के०स०स्वा०यो० के लाभार्थियों को 23.09.2004 से अस्थाई रूप से रैफर करना बंद कर दिया गया है

1.	नार्थ प्वाइंट अस्पताल (प्रा०) लिमिटेड, एस-357, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी
2.	नोएडा मेडिकेयर सेंटर, 16-सी, ब्लाक-ई, सेक्टर-30, नोएडा	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया

1	2	3
3.	श्री राम सिंह अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट बी-25-26-26ए, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली	केवल सामान्य प्रयोजन
4.	सरोज अस्पताल, मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली-85	सामान्य प्रयोजन, नैदानिक और नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
5.	मिलेनियम बोन डेनसीटोमेट्री एंड ओस्टीयोपोरोसिस रिसर्च सेंटर, 47, पूसा रोड, नई दिल्ली	बोन डेनसीटोमेट्री

राष्ट्रमंडल खेलों संबंधी व्यवस्था की समीक्षा

2709. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खेलों के स्थान के निकट विभिन्न समस्याओं के कारण होने वाले विचलन की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए मंत्रियों का कोर ग्रुप (जी०ओ०एम०) गठित किया है। खेलों के निरीक्षण और समन्वय के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया है। खेलों के आयोजन के लिए अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति गठित की गई है।

दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संदर्भ में दिल्ली शहर में विद्यमान अवस्थापना की समीक्षा की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ई०आई०), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) तथा नई दिल्ली नगर निगम (एन०डी०एम०सी०) के पास विद्यमान अवस्थापना का अपेक्षित उन्नयन और नवीनीकरण कर के राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत आने वाली अधिकांश खेल विधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की अवस्थापना के उन्नयन/नवीकरण के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विद्यमान अवस्थापना पर परामर्श का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के दिल्ली में विद्यमान पाँच स्टेडियमों की स्थिति का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है।

राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण के संबंध में निजामुद्दीन पुल के पास एक स्थान की पहचान की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन नये स्थानों एवं खेल गांव के प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसका उसे निर्माण करना है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए दिल्ली में नागरिक सुविधाओं के सुधार/उन्नयन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव, दिल्ली की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सड़कों के उन्नयन, हेल्थ केयर, नागरिक सुविधाओं, यातायात प्रबंधन तथा पार्किंग के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थान के पुन: मूल्यांकन अध्ययन के लिए इवेंट नोलेज सर्विस को अनुबद्ध किया है जिसने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मसौदा रिपोर्ट में यातायात जाम, अक्षरधाम मंदिर और रेलवे ट्रैक से नजदीकी, एयरपोर्ट से दूरी आदि जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।

(ङ) इन मुद्दों पर विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पत्रकारों के लिए नि:शुल्क वीजा सुविधा

2710. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के पत्रकारों के लिए नि:शुल्क वीजा सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पत्रकारों की किन-किन श्रेणियों की पहचान की गई है;

(ग) क्या दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के देशों ने भी ऐसा ही किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) से (ङ) भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के पत्रकारों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा की कोई पेशकश नहीं की है। तथापि, पत्रकारों सहित नेपाल और भूटान के सभी राष्ट्रिक भारत में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं।

विश्व बाजार में इसरो का हिस्सा

2711. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो (आई०एस०आर०ओ०) का विचार प्रक्षेपण यानों और संबंधित सेवाओं के लिए विश्व बाजार में 10 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारतीय प्रमोचक राकेट कार्यक्रम मुख्य रूप से घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बची हुई क्षमता अन्य देशों के वाणिज्यिक प्रमोचनों हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) इस समय विश्व की प्रमोचन मांगों का वार्षिक पूर्वानुमान भू-स्थिर कक्षाओं में लगभग 15-20 प्रमोचन और अन्य कक्षाओं में 3 से 6 प्रमोचन है। वर्तमान बाजार परिदृश्य तथा भारी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए इसरो द्वारा प्रमोचक राकेटों और संबंधित सेवाओं के लिए विश्व बाजार में अधिकतम 5% का ही लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) फिलहाल, पी०एस०एल०वी० पर प्रमोचन सेवाओं के लिए अन्य देशों के साथ तीन करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं :–

- वर्ष 2006-07 के दौरान इटली के 350 कि०ग्रा० भार वाले एजाइल उपग्रह के प्रमोचन हेतु एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा कॉसमॉस इन्टरनैशनल, जर्मनी के बीच करार।
- वर्ष 2005-06 के दौरान एक सूक्ष्म उपग्रह के प्रमोचन हेतु एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इण्डोनेशियाई अन्तरिक्ष एजेन्सी लापान, इण्डोनेशिया के बीच करार।
- वर्ष 2006-07 के दौरान एक सूक्ष्म उपग्रह के प्रमोचन हेतु एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा नान्यांग प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सिंगापुर के बीच करार।

सी०बी०आई० द्वारा केन्द्रीय भण्डार के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच दर्ज करना

2712. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने केन्द्रीय भण्डार के विरुद्ध कम्प्यूटरों, एच०पी० कैट्रिज, गेटवे ब्रांड टाइपिंग और डुप्लीकेटिंग पेपर तथा एल०जी० एयर कंडीशनरों की खरीद में की गई अनियमितताओं के लिए प्रारम्भिक जांच दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्रीय भण्डार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार ने अपने एक कर्मचारी (सेवानिवृत्त) की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति का मामला सी०बी०आई० को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो मामले की जांच की स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार के एक कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंम्भिक जांच के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट केन्द्रीय भण्डार को प्राप्त हो गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार ने अपने एक कर्मचारी के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अब अपने जवाब में कहा है कि उपर्युक्त कर्मचारी के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति का कोई मामला नहीं बनता और उन्होंने यह मामला समाप्त कर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चार लेन का बनाया जाना

2713. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी परिवहन गलियारा परियोजना के अंतर्गत टुमकुर और हवेरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर चार लेनों का निर्माण अंतिम अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो हवेरी और टुमकुर को जोड़ने वाली परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के जून, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

गोपालपुर और धमरा में पत्तन

2714. श्री अनन्त नायक :
श्री परसुराम माझी :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार और निजी कंपनियों से गोपालपुर और धमरा में बड़े पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) उड़ीसा की सरकार और अन्य स्रोतों से उड़ीसा, में धमरा और गोपालपुर में अवस्थित पत्तनों को विकसित किए जाने के अनुरोध मिले हैं। फिर भी, इन दो स्थानों पर महापत्तन क़ायम किए जाने का कोई भी प्रस्ताव, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों के सिवाय, अन्य पत्तनों को विकसित करने की ज़िम्मेदारी, संबंधित राज्य-सरकारों की है। इस बारे में उड़ीसा की सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उसने गैर-सरकारी पार्टियों के माध्यम से उपर्युक्त दो पत्तन विकसित करने के क़दम उठाने आरंभ कर दिए हैं।

[हिन्दी]

एन०डी०एस०आई० पर आया व्यय

2715. श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नेशनल डिसिप्लिन स्कीम इंस्ट्रक्टर्स' को राज्यवार विशेषत: राजस्थान में किस तिथि से शुरू किया गया था;

(ख) क्या इस योजना का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णत: राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह निर्णय लिया गया था कि 'एन०डी०एस०आई०' और 'हाऊस कीपिंग स्टाफ' पर आए व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या 'एन०डी०एस०आई०' पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा कर दी गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त राशि की प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना, एक केन्द्रीय योजना, मूल रूप से 1954 में राजस्थान सहित पूरे देश के लिए आरंभ की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) डा० कुंजरू समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय अनुशासन योजना को राष्ट्रीय फिटनेश कोर्पस योजना के साथ मिला दिया गया था। चूंकि संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों को विभिन्न राज्यों के स्कूलों में कार्य करना होता है इसलिए योजना के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिय गया।

(घ) योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के स्टाफ के वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों को की जाएगी जब तक कि स्टाफ आमेलित हो या बिना आमेलित हुए सेवा में रहे।

(ङ) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे योजना के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने दावे प्रस्तुत करें। राजस्थान सरकार सहित कुछ राज्यों से दावे प्राप्त हुए हैं। जिनकी

जांच की गई है और निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। तथापित राजस्थान के मामले में 2005-06 के दौरान 40.00 लाख रु० की राशि जारी की गई है।

(च) समय-सीमा, राज्य सरकारों से पूर्ण दावों की प्राप्ति और बजटीय आबंटन की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

2716. श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में विशेषत: गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एच०एच०डी०पी०) चरण-I से VII के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न विकास परियोजनाओं का राज्यवार, क्षेत्र-वार और चरण-वार ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : सरकार ने एन०एच०डी०पी० चरण I, II और IIIक के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर, पत्तन संपर्क (कनेक्टीविटी) और दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। तत्संबंधी राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने एन०एच०डी०पी० चरण IIIख के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के रूप में अग्रिम कार्रवाई शुरू करने संबंधी अनुमोदन भी दे दिया है। एन०एच०डी०पी० चरण IV, V, VI और VII प्रस्ताव चरण में हैं और इन चरणों के ब्योरे देना अभी संभव नहीं है।

विवरण

एन०एच०डी०पी०, चरण-I, II और IIIक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग

क्रम सं०	राज्य	स्व० चतु०	उत्तर-दक्षिणी कॉरीडोर	पूर्व-पश्चिमी कॉरीडोर	पत्तन संपर्क कनेक्टिविटी	अन्य	एन०एच०डी० पी० IIIक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1016.00	766.00		12.00	83.00	285.00
2.	अरुणाचल प्रदेश						
3.	असम			690.00		10.00	
4.	बिहार	206.00		511.24			
5.	चंडीगढ़						
6.	छत्तीसगढ़					18.00	135.00
7.	दिल्ली	25.00	21.00			10.00	20.00
8.	गोवा				13.00		
9.	गुजरात	485.00		634.00	56.00		
10.	हरियाणा	152.00	183.00			18.00	167.00
11.	हिमाचल प्रदेश		11.00				110.00
12.	जम्मू और कश्मीर		448.00				
13.	झारखंड	192.00					75.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	कर्नाटक	623.00	92.00		37.00		457.00
15.	केरल		168.00		10.00		230.00
16.	मध्य प्रदेश		519.00	119.00			95.25
17.	महाराष्ट्र	489.00	276.00		44.00	17.40	474.00
18.	मणिपुर						
19.	मेघालय						
20.	मिजोरम						
21.	नगालैंड						
22.	उड़ीसा	443.00			77.00		288.00
23.	पांडिचेरी						4.00
24.	पंजाब		270.00			20.00	153.00
25.	राजस्थान	722.00	30.00	526.00			186.00
26.	सिक्किम						
27.	तमिलनाडु	341.00	775.00		54.00	487.00	946.00
28.	त्रिपुरा						
29.	उत्तर प्रदेश	754.00	202.00	652.00		148.00	264.00
30.	उत्तरांचल						125.00
31.	पश्चिम बंगाल	398.00		330.85	53.00		
	जोड़	5846.00	3761.00	3463.09	356.00	811.40	4,014.25

मोबाइल फोन पर अश्लीलता

2717. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरार को मोबाइल फोन पर अश्लीलता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मोबाइल फोन पर अश्लीलता को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) देश में कई अग्रणी समाचार-पत्रों ने मोबाइल फोन पर मल्टीमीडिया संदेश (एम०एम०एस० के प्रसारण और प्रेषण के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित की हैं।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत आता है।

मद्यपान के दृश्यों पर प्रतिबंध

2718. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में मद्यपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रणाली को सुचारू बनाना

2719. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को सुचारू बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन निर्देशों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारें किस सीमा तक सफल रही हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 और इसके अंतर्गत बने नियमों से संबंधित कानूनों के प्रति उत्तरदायी है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणालियों में सुधार एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और अनुरक्षण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन इत्यादि जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राज्यीय राजमार्गों और अन्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास संबंधी व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसमें एन०एच०डी०पी० चरण I और II के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज (5846 किलोमीटर), उत्तर-दक्षिणी और पूर्व-पश्चिमी कॉरीडोर (7300 किलोमीटर), पत्तन संपर्क कनेक्टिविटी (356 किलोमीटर) और अन्य परियोजनाएं (777 कि०मी०) और चरण-III के अंतर्गत बी०ओ०टी० के माध्यम से 10,000 कि०मी० को चार लेन का बनाने इत्यादि कार्य शामिल हैं।

केंद्रीय सरकार के पास मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के उपबंधों को लागू करने के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र मौजूद नहीं है। इन उपबंधों को लागू करने के प्रति राज्य उत्तरदायी हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न प्रकार की संगत सूचना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राज्यीय परिवहन और परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने संबंधी पहलू शामिल हैं, के प्रचार-प्रसार के अनेक पहलुओं बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। राज्यों को सौंपे गए उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में संबंधी अनुदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का आकलन उनके द्वारा ही होते किया जाना हो।

[हिन्दी]

सरकारी दफ्तरों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल

2720. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या पोत परिवहन, प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी दफ्तरों में सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) सरकारी कार्यालयों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर किसी भी सरकारी अनुदेश के अनुसार कोई भी पाबन्दी नहीं है। फिर भी, विभाग अथवा संगठन, सुरक्षा कारणों इत्यादि के मद्देनज़र, सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय में मोबाइल फोन के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त किया जाना

2721. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकरण अधिनियम में एक संशोधन करके केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों में इसके समान्तर कार्यालयों को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए किसी मसौदा विधान को स्वीकृत दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस विधान को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) सरकार ने, कुछ राज्य सरकारों से, उनके राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों के मद्देनज़र, प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त किए जाने के लिए एक समर्थकारी प्रावधान बनाने के आशय से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया है। तथापि इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि

2722. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2001 में 52,010 कि०मी० से बढ़कर मार्च, 2004 में 6,55,569 कि०मी० हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च, 2001 में 57,737 कि०मी० थी जो मार्च, 2004 में बढ़कर 65,569 कि०मी० हो गई। यातायात की अधिक मांग, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए संपर्क प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा पर्यटन महत्व के स्थानों को जोड़ने, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए अपेक्षाकृत छोटी ग्रिड प्रदान करने आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई।

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर सरकार द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि लगभग 23,506 करोड़ रु० है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पासों का निर्माण

2723. **श्री संतोष गंगवार :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित बाई-पासों का स्थानवार ब्योरा क्या है; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है और निर्माण कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए प्रस्तावित बाईपासों, उनके स्थान और कार्य की स्थिति के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	रा०रा०सं०	बाइपास का नाम और स्थान	वर्तमान स्थिति/प्रारंभ होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	56	रा०रा० 56 और 29 को जोड़ना-वाराणसी बाइपास	भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है

1	2	3	4
2.	7	रा०रा० 7 पर मिर्जापुर बाइपास	साध्यता अध्ययन चल रहा है
3.	74	रा०रा० 74 पर नजीबाबाद बाइपास	यथोक्त
4.	24	रा०रा० 24 पर बरेली बाइपास	भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है
5.	19	रा०रा० 19 और 29 पर गाजीपुर बाइपास	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित
6.	24 व 28	दो लेन के विद्यमान लखनऊ बाइपास को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ीकरण	निर्माण कार्य चल रहा है
7.	76	रा०रा० 76 पर महोबा बाइपास	साध्यता अध्ययन कार्य वार्षिक योजना 2005-06 में प्रस्तावित है
8.	73	रा०रा० 73 पर सहारनपुर बाइपास	यथोक्त
9.	29 व 2 और 2 व 56	रा०रा० 2 व 29 और रा०रा० 2 व 56 को जोड़ने वाला वाराणसी बाइपास	यथोक्त
10.	2	राजा का ताल बाइपास (230.86 से 235.06 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
11.	2	सिरसागंज बाइपास (270.00 से 278.50 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
12.	2	उखेंद बाइपास (282.70 से 284.70 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
13.	2	इटावा बाइपास (307.500 से 321.00 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
14.	2	इकदिल बाइपास (326.17 से 327.39 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
15.	2	बकेवर बाइपास (336.55 से 340.74 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
16.	2	उझयानी-महेवा-अनंतराम बाइपास (342.08 से 350.40 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
17.	2	बाबतपुर-अजीतमल बाइपास (35310 से 359.30 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
18.	2	भिकेपुर-मुरादगंज (360.42 से 367.77 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
19.	2	बीर्लिडा (86.100 से 87.652 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
20.	2	थरीओन (98.00 से 99.864 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
21.	2	इलाहाबाद बाइपास (158 से 242.708 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
22.	2	सैयद रजा (39 से 41 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
23.	2	नौबतपुर (45 से 46 कि०मी०)	कार्यान्वयन के अधीन
24.	2-3	आगरा बाइपास एन०	दिसंबर, 2005
25.	25-26	झांसी बाइपास	दिसंबर, 2005

2		3	4
26.	26	ललितपुर, बाइपास	दिसंबर, 2005
27.	28	गोरखपुर बाइपास	अक्तूबर, 2005
28.	28	रामस्नेह घाट बाइपास	अक्तूबर, 2005
29.	28	बाराबंकी बाइपास	अक्तूबर, 2005
30.	28	अयोध्या बाइपास	अक्तूबर, 2005
31.	25-28	लखनऊ बाइपास	कार्यान्वयन के अधीन
32.	25	कानपुर में रा०रा० 25 को 75 से 80.60 कि०मी० तक चार लेन का बनाना (गंगा नदी पर पुल सहित)	सिंतबर, 2005
33.	25	झांसी बाइपास	सिंतबर, 2005
34.	25	उरई बाइपास (चिरगांव च० 126 कि०मी० से प्रारंभ)	सिंतबर, 2005
35.	25	मोठ	सिंतबर, 2005
36.	25	सिकंदरा और पुंज	सिंतबर, 2005
37.	25	उरई (उरई कस्बा च० 203 कि०मी० से प्रारंभ)	सितंबर, 2005
38.	58	मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड पर खतौली बाइपास	फरवरी, 2006
39.	58	मेरठ-उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा खंड पर पुरकाजी बाइपास	2006

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

2724. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 9 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित आधारभूत संरचना संबंधी समिति ने आगामी सात वर्षों 2005-2012 में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 1,72,000 करोड़ रु० के कुल निवेश के कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना आयोग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं :–

(i) स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के शेष कार्य को पूरा करना।

(ii) एन०एच०डी०पी० चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के 10,000 किलोमीटर को 4/6 लेन का बनाना।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित सड़क विकास।

(iv) एन०एच०डी०पी० चरण-IV के अंतर्गत एकल/मध्यवर्ती लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 20,000 किलोमीटर का उन्नयन करते हुए उसे पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन का बनाना।

(v) एन०एच०डी०पी० चरण-V के अंतर्गत लगभग 5000 किलो-मीटर को लेन का बनाना।

(vi) एन०एच०डी०पी० चरण-VI के अंतर्गत लगभग 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्धारण और निर्माण कार्य।

(vii) एन०एच०डी०पी० चरण-VII के अंतर्गत अपेक्षित स्थानों पर बाइपासों, फ्लाईओवरों, आर०ओ०बी० इत्यादि का निर्माण।

एन०एच०ए०आई० द्वारा अब तक निम्नलिखित उप परियोजनाएं हाल में ली गई हैं :–

(i) एन०एच०डी०पी० चरण-I (मुख्यतया चार महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज)	स्वर्णिम चतुर्भुज की 92% लंबाई का कार्य दिसंबर, 2005 तक पूरे होने की संभावना है। सिवाय 157 कि०मी० लंबाई जिसमें 4 निरस्त ठेके शामिल हैं और 84 कि०मी० लंबाई जिसमें इलाहाबाद बाइपास शामिल है, का कार्य केवल 2004 में सौंपा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज (96%) के शेष भाग के जून, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
(ii) एन०एच०डी०पी० चरण-II (मुख्यतया उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर)	2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
(iii) एन०एच०डी०पी० चरण-IIIक (बी०ओ०टी० आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के 4000 कि०मी० को उन्नयन करना)।	दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य।

नेपाल के साथ प्रत्यर्पण संधि

2725. **श्री खुलदीप बिश्नोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों ने देश में अपराध करने के पश्चात् नेपाल भाग जाने वाले अपराधियों को पकड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) नेपाली मूल के अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) नेपाल के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं करने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं मौजूदा रूप से 1953 की प्रत्यर्पण संधि द्वारा शासित होती हैं। इस संधि को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि इसे अपराधों की प्रकृति में बदलावों और प्रत्यर्पण के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त पाया गया है। मौजूदा संधि की अन्य कमियों में यह भी एक कमी है कि यह संधि सीमित अपराधों और अनुरोधकर्ता राष्ट्र के राष्ट्रिकों तक ही सीमित है।

पुरानी संधि की कमी को दूर करने के उद्देश्य से भारत और नेपाल ने अद्यतन प्रत्यर्पण संधि पर चर्चा सम्पन्न की। भारत और नेपाल के बीच नई प्रत्यर्पण संधि के पाठ को 19-20 जनवरी, 2005 के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान अंतिम रूप दिया गया। यह संधि दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात् प्रभावी होगी।

भारत और नेपाल की सरकारों ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी समझौते के पाठ को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता भी दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन हो जाने के बाद प्रभावी होगा।

एक बार संपन्न होने के बाद इन दोनों समझौतों के माध्यम से आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों की जांच और न्याय प्रक्रिया को संस्थागत तरीके से अंजाम देने में द्विपक्षीय सहयोग हासिल होगा।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

स्थगन प्रस्ताव

नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की विफलता – जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आप सभी से एक अनुरोध या अपील कर सकता हूं? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके साथ गहरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। आप सभी से मैं सच्चे मन से अपील करता

हूं कि चूंकि चर्चा की अनुमति दी जा चुकी है, आप सभी इसे उचित ढंग से होने दें ताकि देश को भी पता चल सके कि हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर मर्यादित ढंग से चर्चा करने में सक्षम हैं। कोई व्यवधान मत आने दीजिए। माननीय नेतागण अथवा सदस्य अपनी बारी आने पर अपनी-अपनी बात रख सकते हैं। सभा के हर व्यक्ति से यही मेरा अनुरोध है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे इश्यु पर बोलने का मौका दिया, जिस पर 21 साल से सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सिख इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसके लिए जो नौ कमीशन बने, उसमें आखिरी नानावती कमीशन था। सरकार ने उसकी रिपोर्ट और उसकी ए०टी०आर० यहां सदन में रखी। मैं उस पर कुछ कहने से पहले जो सिखों के साथ हुआ और जो सिखों ने इस देश के लिए किया, उसके संबंध में बताना चाहता हूं।

आज़ादी की जंग जब सारा हिन्दुस्तान लड़ रहा था तो उसमें कितना हिस्सा हमारा था, मैं उसके संबंध में पहले आपको बताना चाहता हूं। यह मेरी नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 121 लोग फांसी पर चढ़ाए गए, जिनमें से 93 सिख थे। लाइफ इंप्रिज़नमैंट 2646 को दी गई जिनमें से 2147 सिख थे। फिर जलियांवाला बाग में 1300 लोगों का कत्ल हुआ जिसमें 799 सिख थे। कूका मूवमैंट चली गऊ की रक्षा के लिए, जिसमें 91 कूका तोपों से उड़ा दिये गये, वे भी सारे सिख थे। इसके अलावा एक अकाली मूवमैंट आज़ादी के दौरान चला जिससे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने एक मूवमैंट चलाया कि हमारे गुरुद्वारा साहिबान में अंग्रेज़ों ने जो अपने पिट्ठू महंत बैठा रखे हैं, उनको निकालना है और अपने कब्ज़े में लाना है। उस लड़ाई में 500 सिख शहीद हुए। उसके बाद जब हमने यह जंग जीती, एस०जी०पी०सी० एक्ट बना, तो उस वक्त महात्मा गांधी जी का पहला तार गया था कि आपने आज़ादी की पहली जंग जीत ली है। 1931 में महात्मा गांधी जी दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में गए। सिखों के साथ उन्होंने वायदे किये। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आज़ाद हिन्दुस्तान होगा तो आपके बगैर पूछे हिन्दुस्तान में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सिखों को नामंजूर हो। वहां पर एक सरदार मदनसूदन सिंह उठे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, जब सरकार बन जाती है तो और कुछ हो जाता है, लेकिन आप कैसे हमें यकीन दिलाते हैं? यह बात महात्मा जी ने 'यंग इंडिया' नामक मैगज़ीन में लिखी है, जो वे निकालते थे। उन्होंने कहा कि 'मैं आपसे इस पवित्र जगह पर वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आपके साथ बेइंसाफी होती है तो, गुरु गोविन्द सिंह ने जो आपको सिखाया है कि तलवार उठाओ, मैं आपके साथ रहूंगा, अगर आपके साथ कोई बेइंसाफी होगी।' मैं बात आज से नहीं, बल्कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ, तब से ही हमारे साथ बेइंसाफी शुरू हो गयी।

स्पीकर साहब, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, तब से ही हमारे साथ बेइंसाफी शुरू हो गयी। सबसे पहले अगर कोई पोलिटिकल लीडर अरैस्ट हुए तो मास्टर तारा सिंह शिरोमणि अकाली दल के प्रेज़ीडैंट 1949 में हुए। वे क्या करने आ रहे थे — वे सिखों की एक कॉनफ्रैन्स करने के लिए दिल्ली आ रहे थे कि जैसा हमारे कांस्टीट्यूशन में है कि जो प्रमाणित लैंग्वेजेज़ हैं, उनके आधार पर सूबे बनाए जाएंगे, लेकिन चूंकि हम पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर सूबा मांगते थे, तो इन्होंने कहा कि हम उसे यहां दिल्ली में आने ही नहीं देंगे। इस प्रकार नरेला स्टेशन से ही भारत के पहले पोलिटिकल प्रिज़नर मास्टर तारा सिंह को अरैस्ट करके हिमाचल भेज़ दिया गया। 1955 से हमारी मांग रही कि हमारा भी पंजाबी सूबा बना दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस समय हम 80,000 लोग जेलों में गए, गोलियां चलीं, लाठियां चलीं। अगर 1965 की जंग न होती तो पंजाबी सूबा भी हमें नहीं मिलता।

महोदय, मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए तीन जंगें हुईं, उन जंगों को लड़ने में किन लोगों का ज्यादा हिस्सा था, कौन लोग थे जो उन लड़ाइयों को कमांड कर रहे थे? जनरल कुलवंत सिंह, जिन्होंने कश्मीर की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि अगर पंडित नेहरू हमें न रोकते और 24 घंटे और लड़ाई के लिए मिल जाते तो आज हिन्दुस्तान की जो रूप-रेखा है, वह न होती और न कोई कश्मीर का मसला होता। उसके बाद सन् 1965 में जनरल हरबख्श सिंह लड़ाई के हीरो बने, वह भी सिख थे। सन् 1917 की जंग, जो बंगला देश की जंग थी, उसके हीरो भी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ लड़ाई की ही बात नहीं है, जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी, आप जानते हैं कि हरित क्रांति के पहले हम कभी आस्ट्रेलिया जाते थे या दूसरे देशों में अनाज लेने के लिए जाते थे। उस समय जिस सूबे की डेढ़ परसैंट जमीन हिन्दुस्तान में है, उन्होंने 60 से 70 परसैंट तक फूडग्रेस को स्टोर करके भारत को दिया और भारत को अनाज के मामले में सेल्फ सफिशियेंट बनाया। लेकिन यह सब करने के बाद हमें क्या मिला — हमारे क्षेत्र का पानी भी ले

लिया गया। इससे पहले ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। हमारी राजधानी हमें नहीं मिली। हमारा पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र हमसे छीन लिया गया। मैं आपके द्वारा इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि हम कुर्बानियां करते चले गए, उसके बदले जो हमारे पास था वह भी हमसे छीन लिया गया। जनरल खंडूरी जी यहां बैठे हैं और दूसरे लोग भी जानते होंगे कि सन् 1965 की लड़ाई में जब हमारे जवान लड़ रहे थे तब हमारी बहू, बेटियां और बहनें रोटी ले कर उनके बैरक्स में जा कर उन्हें खाना खिलाती थीं। हमारे ट्रक वाले अपने ट्रकों में लड़ाई का सामान ले कर वहां जाते थे। इतना सब हिन्दुस्तान के लिए करने के बावजूद भी सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आज से ही नहीं, बल्कि ऐसा पहले से होता आया है। सिर्फ इतना ही नहीं है महोदय, फिर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी की लड़ाई हुई। हिन्दुस्तान को दोबारा गुलाम बना दिया गया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था और कोई भी अदालत में नहीं जा सकता था। उस समय सिर्फ एक ही पार्टी ने 19 मजीने की लड़ाई लगातार लड़ी। उसके बाद आजादी दोबारा बहाल हुई, हमारा हक फिर बहाल हुआ। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या मिला? हमारी सरकार सन् 1977 में बनी। शिरोमणि अकाली दल और जनता पार्टी ने सरकार बनाई। लोगों ने फतवा दिया और सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री बने और उसमें मैं भी मंत्री रहा। हमें 117 सदस्यों में से 101 सदस्यों की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन एक रात को सरकार तोड़ दी गई। यह नहीं देखा गया कि इनको कितने सदस्यों की सपोर्ट है, 117 में से 101 सदस्यों इनके साथ हैं। इससे हालात और बिगड़ गए। तब संत जरनैल सिंह भिंडरावाला उठे। उन्होंने कहा कि अकाली आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, नॉन वायलेंस से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अकाली आपको नॉन वायलेंस से या जेलों से भेज कर कुछ नहीं दिला सकते हैं, आप मेरे साथ आओ, हम हिन्दुस्तान की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और आपको हक दिला कर रहेंगे। उसके बाद जो स्थिति आई, वह आपके सामने है। किसी कौम के साथ यह पहली बार हुआ है कि उसके सबसे पवित्र स्थान हरमंदर साहब और अकाल तख्त साहब पर फौजें भेज दी गईं, टैंक चढ़ा दिए गए और तोप से उड़ा दिया गया। इससे बुरी बात किसी आज़ाद देश में और उस कौम के साथ हो जिसने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हों, इसकी मिसाल मौजूद नहीं है, यह बहुत असहनीय है। मैं आपको बता रहा हूं, सदन को बता रहा हूं और ये बातें बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, फिर क्या था, हमारे लोग भी बहुत मारे गए। हमें भी निशाना बनाया गया। हमारे प्रैसीडेंट सन्त हरचन्द सिंह लौंगोवाल शहीद हुए। हमारे माननीय नेता जत्थेदार गुरचरण सिंह तोहड़ा और जत्थेदार जगदेव चन्द तलवंडी पर अटैक हुए और उनके साथी मारे गए। वे बच गए, लेकिन फट्टड़ (जख्मी) हो गए। इस प्रकार हमें एक तरफ सरकार से मार खानी पड़ रही थी और दूसरी तरफ उनसे मार पड़ रही थी। हमारा क्या कसूर था – हमारा कसूर सिर्फ इतना ही था कि हमने उस समय बड़ा काम किया, देश को जवान दिए, देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुरबानियां दीं। देश को आजाद रखने के लिए जब जरूरत पड़ी, तो हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां कीं। जब अनाज की जरूरत पड़ी, तो हमने अनाज दिया, क्या यही हमारा कसूर है, क्या इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सदन से अपील करना चाहता हूं कि सिखों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। जो कुछ हमारे साथ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, ऐसा करते समय हमारी कुरबानियों को तो कम से कम ध्यान में रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, अकेले दिल्ली में, दिन-दहाड़े, लगातार तीन दिन तक कत्ल होते रहे और गवर्नमेंट की फिगर है कि उसमें 2733 सिख मारे गए। पुलिस तमाशबीन बनकर बैठी रही, तीन दिन तक फौज को नहीं बुलाया गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका प्रैस कह रहा है, मीडिया कह रहा है। मैं इसके सबूत आपको देना चाहूंगा। किसी एक आदमी की डैथ हो जाए, तो कहते हैं कि सबूत नहीं मिला। इसके ऊपर नौ कमीशन बन गए, लेकिन सुबूत नहीं मिले। क्या सरकार को किसी के ऊपर शक भी नहीं है, सरकार को सबूत क्यों नहीं मिले, मैं बताऊंगा। सभी अखबारों ने उस समय लिखा था कि कौन-कौन आगे थे, किस-किस ने इनसाइट किया, कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उन्हें किस-किस ने छुड़वाया। यह सब विवरण विस्तार से अखबारों में आया है, लेकिन सरकार कहती है कि सबूत नहीं मिले, इस पर कौन विश्वास करेगा?

अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी कोई घटना हो जाए, तो तुरन्त सरकार और पुलिस को हरकत में आना चाहिए था। उस दिन 9 बजकर 20 मिनट पर श्रीमती इंदिरा गांधी पर हमला हुआ और 11.00 बजे ऑल इंडिया रेडियो बोल रहा था कि सिखों ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर हमला कर दिया। वह भी एक साजिश थी ताकि सारे सिखों की पहचान कर ली जाए। मैं बताना चाहता हूं कि उनके घरों को किसने मार्क किया, किसने कहा कि यह सिख का घर है, यह सिख की फैक्ट्री है या यह सिख की दुकान है। एक जैसे साइज के इतने रॉड एक दिन में कैसे इकट्ठे हो गए, एक दिन में इतने सारे रॉड, एक ही साइज के, कहां से तैयार हो गए, इतना डीजल, इतना पैट्रोल और इतना मिट्टी का तेल, कहां से मिला – क्या वह अपने आप आ गया था अपने आप इकट्ठा हो गया? यदि ये सब बातें नहीं होतीं, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर सिखों का कत्ल नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन सारे न्यूज पेपर्स ने लिखा है कि चार ग्रुप बने हुए थे – एक ग्रुप जाता था, वहां जो कोई आदमी होता

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

था, उसे मारता था, कत्ल करता था, दूसरा ग्रुप जाता था, उसका जो हाउस, दुकान या फैक्ट्री होती थी, उसका ताला तोड़ देता था, तीसरा ग्रुप उसे लूटता था और चौथा ग्रुप उसे आम लगा देता था। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह प्रैस कह रही है। उस दिन का प्रैस का रिकॉर्ड देख लीजिए। आज पासवान जी यहां नहीं हैं, पासवान जी का घर लूटा भी गया, एक सिख को उनके सामने जलाया भी गया। लारन जी बैठे हैं, इनसे पूछिये। ये उस वक्त मौजूद थे, ये भी बोलेंगे। यही नहीं, जो बहुत बड़े इण्टेग्रिटी वाले रिटायर्ड पर्सन थे, जब सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार हर दिन सामने नहीं आई तो उनमें से मैं पूछता हूं कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को, जिनको सारा हिन्दुस्तान अपना हीरो मानता है, उनकी क्या हालत थी। उस वक्त वे अपने घर नहीं जा सके। वे कहते हैं कि वह हिन्दुस्तान, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, उसमें मैं आज अपने घर नहीं जा सका और वे आई०के० गुजराल जी के घर रहे। इसलिए उनकी जान बची, नहीं तो ऐसा जनरल, जिस पर सारा हिन्दुस्तान फख्र करता है, उस जनरल की यह हालत थी। ऐसे कितने ही सिखों की कहानी मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जब सरकार नहीं आई तो 'पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एण्ड पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स आगे आए कि कुछ न कुछ इनका किया जाये, इसलिए उन्होंने बुकलेट छपवाई, आपने भी शायद पढ़ी हो। उसमें नाम थे– 'हू आर दि गिल्टी?' केवल यही नहीं कि एफीडेविट्स ही थे। वे तो एन०जी०ओज़० थे, वे किसी पोलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। यही नहीं, 1985 के अर्ली मंथ्स में दो और एन०जी०ओज़० आये, श्री बी०के० तारकुंडे के नेतृत्व में सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी और दूसरा भारत के पूर्व न्यायाधीश श्री एस०एम० सिकरी के नेतृत्व में सिटिजन्स कमीशन अगर विश्वास नहीं, तो उनकी रिपोर्ट मंगा लीजिए। उनकी रिपोर्ट पर भी कार्रवाई करते, कोई पार्टी के आदमी नहीं थे, तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उनकी रिपोर्ट कहां गई, उस पर सरकार ने कोई एक्शन लिया हो तो आप जवाब दें।

यही नहीं, इस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ लिखा है। इसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, एफीडेविट्स हैं, लेकिन मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 2-3 ही पढ़ूंगा। श्री आई०के० गुजराल, जो फोर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, जिन्होंने यह बताया कि हम होम मिनिस्टर के घर गये, पहले तो सरदार पतवंत सिंह और जनरल जगजीत सिंह के घर गये, जहां प्रबन्ध सिंह, ब्रिगेडियर जगजीत सिंह और आई०के० गुजराल थे, उन्होंने कहा कि हमने टेलीफोन किया तो हमारा टेलीफोन होम मिनिस्टर ने नहीं सुना। उन्हें बताया गया कि वे मीटिंग में बैठे हैं तो हमने सोचा कि अपने आप चलते हैं। हम उनके घर चले गये और जब अन्दर चले गये तो हमने देखा कि वहां कोई मीटिंग नहीं थी, वहां कोई आदमी नहीं था। हमने पूछा कि यह क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप आर्मी क्यों नहीं बुला रहे, तो वह कहते हैं कि मैं करता हूं, देखता हूं। हिन्दुस्तान का होम मिनिस्टर ऐसा कह रहा है, जिसे मालूम है कि सारी दिल्ली जल रही है और लाशें पड़ी हैं। जहां 2733 तो सरकार की अपनी फीगर्स हैं, लेकिन होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं। जब वे जनरल से मिलते हैं और कहते हैं, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। वहां एक एरिया कमाण्डर था। वे कहते हैं कि एज़ ए जनरल हम वहां गये तो हमने पूछा कि आप क्यों नहीं आर्मी लाते हो तो कहते हैं कि पुलिस हमारे साथ कोआर्डीनेट नहीं कर रही। फीगर्स के बारे में मेरे और साथी बोलेंगे तो वे बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी कमीशन से कुछ इन्साफ नहीं मिला है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कमीशन से भी हमें कुछ नहीं मिला है। जो थोड़ी बहुत रिकमन्डेशन्स थीं, वह सरकार ने खत्म कर दीं और उन लोगों को सरकार ने बरी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उन्हें किस लेवल पर बरी किया और क्यों किया? क्या सारी दुनिया नहीं जानती कि श्री एच०के०एल० भगत, श्री जगदीश टाइटलर, श्री सज्जन कुमार और श्री शास्त्री इनमें शामिल है? सभी पेपरों ने इस बात को कहा है, सभी कमैटियों ने एफिडेविट देकर कहा है कि ये इंवाल्व हैं। लेकिन सरकार कहती है कि वे इंवाल्व नहीं हैं। क्या किसी लोकतान्त्रिक देश में ऐसा सोचा जा सकता है? मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं, सरदार श्री मनमोहन सिंह जी, जो एक सिक्ख प्रधानमंत्री हैं, जब वह प्रधानमंत्री बने, तब हमने भी खुशी मनायी थी और लोगों में भी इसकी खुशी थी कि कांग्रेस ने एक सिक्ख को प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उस सिक्ख प्रधानमंत्री का क्या फायदा, जब उन्हीं की कम्यूनिटी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो कुछ किया था, वह सब कहां चला गया। जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट लेते थे, वह कहां चला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें कभी इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसा कोई वक्त भी आएगा जब हमें इंसाफ मिल पाएगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप निर्देश दें और यह हाउस पास करे कि जिन लोगों पर अंगुली उठायी गयी है, जिनके खिलाफ रिकमन्डेशन्स की गई हैं, उनके खिलाफ तो केस रजिस्टर होना चाहिए, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे हिन्दुस्तान में चार हजार सिखों को तीन दिन में मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माता, बहनें, बीवियों को कत्ल किया गया। क्या किसी एक को भी सज़ा नहीं होगी? क्या किसी देश में ऐसा विधान, रूल है कि एक भी दोषी आदमी को सज़ा न हो, क्या हमें भारतीय होने के नाम पर शर्म नहीं आती है? जिस कम्यूनिटी ने अपना इतना खून बहाया है, जिस कौम ने इतने

बड़े-बड़े बलिदान दिए हैं, वे सिर्फ इंसाफ मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इंसाफ के साथ चलें और हमें इंसाफ दिलाएं। मेरी यही विनती है। और भी बहुत सी बातें और तथ्य हैं, जो मेरे साथी आपके सामने रखेंगे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित की जाए।"

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नि:संदेह 1984 के सिख विरोधी दंगों को मैं दंगे नहीं, बल्कि नरसंहार कहूंगा। निश्चित तौर पर भारत के उज्जवल नाम पर यह दंगा एक धब्बा है। मैं ढींडसा साहब की इस बात से सहमत हूं कि सिख समुदाय के लोगों ने देश के इतिहास में हमेशा ही बहुत अहम रोल अदा किया है। गुरू नानक देव जी ने देश को एकता का संदेश दिया। गुरूओं ने कहा "मानस की जात सबै एक ही पहचानो" साथ ही कहा "अव्वल अल्लाह नूरे उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौ मंदे।" इस बात को हम सब मानते हैं और इस देशभक्त कौम के ऋणी हैं कि इस कौम ने आजादी के संघर्ष के समय कितनी कुर्बानियां दीं। यह बात भी सही है कि आज जिस हरित क्रांति का जिक्र हम अपना सिर ऊंचा उठाकर करते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सिख समुदाय के लोगों का है। लेकिन मुझे यह भी कहना होगा कि 1984 से पहले तक, मैं सिर्फ उन सात दिनों को छोड़कर बात करना चाहता हूं, उससे पहले और बाद में कभी भी, किसी वक्त, किसी भी तरह सिख समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं उठी।

जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दंगे हिन्दुस्तान के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक हैं और इस कलंक को धोया नहीं जा सकता। ... *(व्यवधान)* मैंने क्या गलत कहा। ... *(व्यवधान)* यह बात सही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तीन-चार दिन या एक हफ्ते में 2733 सिख भाइयों के कत्ल दिल्ली में हुए और देश के अन्य प्रान्तों में 300 से ऊपर कत्ल हुए, लेकिन इसी वक्त मुझे यह बात कहने की आवश्यकता है कि श्री राजीव गांधी, जो उस हालात में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में क्या कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपील करता हूं। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। प्रत्येक माननीय सदस्य को वह सब कहने का अधिकार है जो वह कहना चाहता है और आपको को भी उत्तर देने का अधिकार है। सिक्खों की भूमिका पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता और देश में और हमारे इतिहास में सिख लोगों द्वारा निभायी गई महती भूमिका पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता। यह सबसे देशभक्त समुदायों में से एक है और सिखों के योगदान पर हम सभी को गर्व है। मुझे विश्वास है कि कोई भी इसे कम करके नहीं देख रहा है। श्री बंसल ने भी इसे स्वीकार किया है। जो एक अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : 31 अक्टूबर, 1984 को ही उन्होंने जो कहा, मैं उसे कोट करता हूं।

[अनुवाद]

"हमे अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए क्योंकि भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित करेंगी। कोई भी बात हमारी प्रिय इंदिरा गांधी को उतनी चोट नहीं पहुंचाएगी जितना कि देश के किसी भी भाग में हुई हिंसा दु:ख पहुंचाएंगी।"

[हिन्दी]

2 नवम्बर, 1984 को जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, वह 1.11.1984 को खुद दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके थे। उन्होंने कहा–

[अनुवाद]

"कुछ लोग नफरत और हिंसा फैलाकर हमारे अतीत को कलंकित कर रहे हैं। कोई भी काम जो भाई-भाई के बीच दरार पैदा करता है राष्ट्र की एकता में बाधा बनता है। इस हिंसा से केवल विध्वंसकारी शक्तियों को अपना उद्देश्य पूरा करने में मदद मिल रही है। साम्प्रदायिक पागलपन हमें बर्बाद कर देगा; यह भारत की पहचान को नष्ट कर देगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता और न ही दूंगा।"

[हिन्दी]

ये शब्द श्री राजीव गांधी ने कहे थे। दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्र जांच आयोग बनाया। ... *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्हें आपने राज्य सभा का मैम्बर बना दिया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, मल्होत्रा जी, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आयोग ने सभी को आमंत्रित किया कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है, किसी तरह का कोई एवीडैंस है, तो वह उनके सामने पेश कर सकता है। उन्होंने अपनी सिफारिश में तीन समितियों के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार ने तीनों कमेटीज़ बनाईं। उन्हीं कमेटीज़ के तहत बाद में एक कमेटी ने आंकड़े दिए कि उन दिनों दिल्ली में 2733 मौतें हुई थीं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही दल के वक्ता के भाषण में व्यवधान न पैदा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : बात वहीं खत्म नहीं हुई। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती रही और इसी कारण 636 एफ०आई०आर० दायर की गईं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हमारे मन की भावनाएं कुछ भी हो, हम कैसा भी उस चीज को महसूस करते हों। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण के लिए मैं श्री ढींडसा को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसे उचित क्रम में रखा है। उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन यदि आप लोग इसी तरह एक दूसरे के बीच में व्यवधान डालते रहेंगे तो यह उचित नहीं है। मेरा आप सभी से अपील है कि एक दूसरे के बीच में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन हमें यह बात भी कबूल करनी है कि जब मामला कचहरी में चला जाता है, तो वह सरकार के हाथ में नहीं रहता। आज मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं इस बात की गंभीरता और संजीदगी समझता हूं। जैसा अभी ढींडसा साहब ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर चर्चा पार्टी स्तर से ऊपर उठकर होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त जब हम ऐसा कहें, तो साथ-साथ हमें यह देखने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा शब्द न कह दें, कोई ऐसी बात न कह दें जिससे पूरे देश को ठेस पहुंचे। इस बात में कोई शक नहीं कि उन दंगों के कारण न केवल सिख समुदाय के लोगों, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रवादी लोग, अच्छी सोच रखने वाले लोगों का ज़मीर, भावनाएं, उनको ठेस पहुंची थी। उसी के कारण सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी और तभी कहा था कि 'यह पागलपन अवश्य खत्म होना चाहिए' उसके बाद मसले कचहरी में गये। हम जानते हैं कि जब एक एफ०आई०आर० में सौ-सौ नाम दर्ज हों, मैं उनके दर्द को भी समझता हूं। यह दर्द उनका ही नहीं, पूरे देश के एक-एक नागरिक का है। आज ढींडसा साहब जो कह रहे हैं और उसके बाद के कुछ वर्षों में कहा, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सही मायने में उनकी पार्टी ने एक-एक घर जाकर वह बात कही होती, उन लोगों से मिले होते, उनके साथ बैठकर अपनी लीगल सर्विसेस दी होतीं, तो शायद वे अच्छी एफ०आई०आर० लिखवा सकते थे, शायद अच्छे बयान दे सकते थे। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में पुलिस कहां थी? यह क्या बात कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव आप लोगों से अपील करता रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उस वक्त एफ०आई०आर० कोई नहीं लिखता था। सब जाली एफ०आई०आर० थीं। सब रिकार्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिये। *(व्यवधान)* यह कहते हैं कि एफ०आई०आर० लिखवाते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं एक बात कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं आपकी प्रशंसा की है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनके यील्ड करने से ही आप पूछेंगे। सब लोगों के एक साथ खड़े होने से कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी उनके विचारों से बंधा हुआ नहीं है। प्रक्रिया यह है कि चर्चा के बाद उत्तर दिया जाएगा। आप भी उसी का अनुपालन करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछिये। यह उन पर निर्भर करता है कि वे मानते हैं या नहीं। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, ढींडसा साहब ने कहा था कि उनके और सदस्य इस पर बोलेंगे। मेरी जो भी बात गलत होगी, उसे मैं कबूल करूंगा लेकिन उसका जवाब इनके और साथी दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे बैठने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : इनके बोलने के बाद आप मुझे बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनके बोलने के बाद देखा जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पसंद नहीं है, तो आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदस, कचहरियों में 636 एफ०आई०आर० दायर हुई और उनकी मोनीटरिंग होती रहीं। गृह मंत्रालय में अलग से एक सेल बना, जिसके तहत अफसरों को हिदायतें दी गयीं कि एक-एक केस की पूरी पैरवी करनी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अगर पीठासीन जज के किसी बयानात की बिना पर महसूस नहीं करते, हमारे कानून के तहत किसी को दंड दिया जा सकता है तो उसके लिए आरोपी कौन होगा, किस पर आरोप लगाये जायेंगे? सरकार में उसके लिए कसूर ढूंढे जायेंगे? जो बात हम कहते हैं, जिस हिसाब से बहस करना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगी। लेकिन मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वे केस अभी भी खत्म नहीं हुए। हाल ही में 16 मई, 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा दी—इसका मतलब है कि केस चल रहे हैं। यह बात सही है। *(व्यवधान)* जस्टिस रंगनाथ कमीशन ने यह बात उस वक्त कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रशासन उस वक्त निष्क्रिय, संवेदनहीन और उदासीन रहा। सरकार की तरफ से शिनाख्त की गयी और उसके बाद इसे बहुत गंभीरता से लिया गया तथा पुलिस आफिसर के खिलाफ केस दायर किये। लेकिन हमें फिर यह बात कहनी होगी, उस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर कोई आदमी उस वक्त सेवानिवृत्त हो चुका हो, यहां सब जानते हैं कि उसके बाद सरकार उस पर केस चला सकती है। क्या सरकार ने कोशिश नहीं की? 6 साल मिले थे, कानून बदले नहीं गये। *(व्यवधान)* जो कानून थे, उनके तहत जो कचहरियों ने फैसला दिया, सरकार आगे अपील करती रही और अपील करने के बाद ही पांच केसों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ।

सर, मैंने जिक्र किया था कि 31 अक्तूबर और उसके बाद 2 नवम्बर, 1984 को श्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था। इल्जाम

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

यही लगाये जा रहे हैं। मुझे थोड़े अफसोस के साथ सिर्फ यही कहना होगा कि अगर इस बहस के जो तथ्य हैं, उन पर बातें होतीं, तो हम कबूल करते कि कोई भी कहीं भी दंगा हो, कहीं भी नरसंहार हो, वह देश के लिए नरसंहार ही है, बेशक वह 1947 का दंगा हो या 1984 का या 1993 का या 2002 का दंगा रहा हो। वे सभी हमारे लिए दंगे हैं और हमें उन सभी के लिए सोचना होगा, तब मैं समझता कि आज हम किसी बात पर बहस कर रहे हैं। हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि देश में फिर ऐसा नहीं होगा और हम पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात उनमें यही होगी, जैसे कि आखिर के एक वाक्य में श्री व्हींडसा जी ने पांच नाम ले लिए – मुझे मालूम है, वे नाम कमीशन के आगे आए लेकिन वह काम कमीशन को करना था। कमशीन ने उसके सामने जो एवीडेंस आए, एक-एक पर विचार इसके उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी। उसके बाद मांग उठी, वह मांग वाजिब थी और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त के गृह मंत्री और उप-प्रधान मंत्री यहां हैं, जब यहां हाउस में लोगों पर केसों का जिक्र हो रहा था, उस वक्त भी हम उस तरफ बैठे थे, कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से यह बात उठी थी कि अगर आप समझते हैं कि रंगनाथ जांच आयोग की तरफ से या उसके बाद जो समितियां बनी हैं, उसके बनने के बाद कोई इंसाफ नहीं हुआ तो एक और कमीशन बनाइए। हम लोगों ने यह मांग की थी। आप इस बात को ठुकरा नहीं सकते कि तब एक कमीशन बना। हमसे आपने नहीं पूछा कि किसे उस कमीशन का हैड बनाना चाहिए। आपने अपनी बुद्धि के हिसाब से ठीक बनाया और बात चलती रही। आज जस्टिस नानावती की रिपोर्ट हमारे सामने है।

पहली टिप्पणी इस रिपोर्ट पर यह हो रही है कि यह पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी वक्त पहले कहा था कि कोर्ट्स की कंटेम्प्ट हम कर सकते हैं, क्या आज हम फिर वही बात करना चाहते हैं कि अगर किसी भी जज का फैसला हमारे अनुकूल नहीं होगा तो हम उसे दुत्कार देंगे? कहीं तो हमें उस बात पर सोचना होगा कि आगे वहां से कैसे बढ़ें? यहां ए०टी०आर० सरकार की आ गई। उसकी दस सिफारिशों में से दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो रिपोर्ट में ऑबजर्वेशन होता है–विचार, ऑबजर्वेशन एंड दि फाइंडिंगस–दि रिकमेंडेशन–सिफारिश। सरकार को जब ए०टी०आर० देनी होती है तो वह विचारों पर नहीं जा सकती। सरकार को जो सिफारिशें होती हैं, उसमें से निकालकर एक-एक पर अपना मन बनाना होता है। समय लगता है एक-एक सिफारिश को देखने में लेकिन क्या हुआ रिकार्ड्स पर? क्या उसके हिसाब से परिणाम सामने आया? आज जब हमारे सामने ए०टी०आर० है और उनकी जो दस सिफारिशें थीं, उसमें 9 को तो बिल्कुल कबूल किया गया है कि उसके मुताबिक कार्य करेंगे और एक में विचार दिये गये हैं। आप जानते हैं कि संभावनाओं का वहां जिक्र हुआ है, तो क्या कानून में संभावनाओं की बिना पर किसी को कैद हो सकती है? यह बात छोड़ दीजिए कि किसका नाम है? कोर्ट इंसान, क्या हिन्दुस्तान के एक भी नागरिक का यह अधिकार नहीं है कि अगर सरकार उसके खिलाफ कोई केस दायर करना चाहे तो वह कचहरी में जाकर कह सकता है कि मेरे खिलाफ यह केस गलत दायर हो रहा है, मेरे खिलाफ इसमें कोई बयानात नहीं हैं, मेरे खिलाफ कोई इल्जाम सिद्ध नहीं होते – तो क्या सरकार यह अपने जिम्मे ले सकती है, अगर कल को कहा जाए कि सरकार ने झूठे लोगों के केस बना दिये – मैं यह बात फिर पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ कहता हूं कि जो बात हुई है, उसे हम भुला नहीं सकते। वह कलंक कभी दूर नहीं हो सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहेगा कि 21 साल हो गये, इस बात को भूल जाइए। उस बात के लिए हमें हर वक्त पश्चाताप करते रहना होगा। वह पश्चाताप देश करता रहेगा लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारियां थीं, मैंने उसी सन्दर्भ में राजीव गांधी जी का जिक्र किया था। उसके बाद हमारे पिछले वर्षों में ... *(व्यवधान)* एक बात जब मैं यह कहता हूं कि हम भुला नहीं सकते, तो मैं साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम हर वक्त जख्मों पर मरहम लगाने की जगह जख्मों को कुरेदते रहें। जख्मों को कुरेदने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस यही है कि जब भी मौका मिलता है, कोशिश यही होती है कि उन जख्मों पर फिर से नमक लगा दिया जाए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : जो बातें 21 साल पहले हुईं, उनका फिर जिक्र करके लोगों के मन में हम फिर से वैसी भावना पैदा करना चाहते हैं।

मैं आपको कुछ लाइनें फिर पढ़कर सुना देना चाहता हूं। जब आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं, कांग्रेस ने कैसे सिख समुदाय को हमेशा अपना समझा है। ... *(व्यवधान)* मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हम सिख समुदाय के साथ अपनी पहचान करते हैं, अकाली दल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के साथ पहचान नहीं करते, यह अधिकार लोगों ने भी अकाली दल को नहीं दिया कि वे अपने आप को सिखों के नुमाइन्दे कहलाएं। ···(व्यवधान) यही तो समस्या की जड़ है। जब कोई सामुदायिक पार्टी, ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? उनको भी बोलने का हक है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : सर, मैं उस बात को भुला देना चाहता हूं। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात अनपार्लियामेंट्री होने पर हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आप कृपया बोलना जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन अगर कोई पार्टी अपना रोल ही सिर्फ उस तरह से अदा करे। ···(व्यवधान) मैं किसी को उत्तेजित करने की कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन जब बातें सामने आती हैं कि 1984 के बाद क्या हुआ था, एक हिन्दू फंडामेंटेलिज्म देश में उभरा – उसे हवा किन्होंने दी? ···(व्यवधान) उसके बाद उसका एक नया रूप किन्होंने देने की कोशिश की? ···(व्यवधान) उस वक्त के ···(व्यवधान) आज तो शायद वे उनको न मानें, आज तो शायद वे उनके लिए वह पद न दें लेकिन उस वक्त परिवार के जगमगाते हुए कवच में शूरवीर थे ···(व्यवधान) उन्होंने रथ यात्राओं के जरिये देश में क्या किया? ···(व्यवधान) मैं इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अनुचित है। मैं आप सभी से अपील करता आ रहा हूं। माननीय नेतागण इससे सहमत हुए थे। यदि अब आप उनके भाषण में व्यवधान डालेंगे तो जब आप बोलेंगे तो वे भी व्यवधान डालेंगे। हम विपक्ष के नेता की बात सुनना चाहते हैं। पूरा देश उनको सुनना चाहता है। यदि आप लोग एक दूसरे के भाषण में व्यवधान पैदा करते रहेंगे तो आप लोगों को क्या लाभ होगा? ये बहुत ही सक्षम नेता और वक्ता हैं, ये, अपनी बारी आने पर पूरी क्षमता से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। यह सही बात नहीं है। यह उचित बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, वे मुद्दे से दूर जा रहे हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए। हम डिसाइड करेंगे। इस तरीके से बहस नहीं होती है। आपकी मनमानी नहीं होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन जब हमारी तरफ इल्जाम लगाये जा रहे हैं और उस वक्त ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़ दीजिए। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे सुनने में आ रहा है और एक-एक मुद्दे पर कहा जा रहा है कि मैं डिबेट को डाइवर्ट कर रहा हूं। ···(व्यवधान) जब यहां बोलते हुए, उस वक्त जो मुद्दे थे, उनसे डाइवर्ट करके एक और तरफ ले जाने की बात हो रही थी, इसी कारण मुझे यह कहना पड़ रहा है। उसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि 11 नवम्बर, 1998 को श्रीमती सोनिया गांधी को राष्ट्रीय सिख परिषद, नई दिल्ली ने बुलाया। वे लोग जिन्होंने बहुत कुछ सहा, वे महान लोग उसी बात में जकड़े नहीं रहना चाहते। वे यह भी चाहते हैं कि आप उनको इस बात पर बार-बार मत कुरेदते रहिए। उनके पास श्रीमती सोनिया गांधी गईं। तब इन्होंने क्या बोला कि "गुरुओं ने सहनशीलता और करुणा की शिक्षा दी है। गुरु नानक, ···" (व्यवधान) इस पर भी आपको एतराज है। ···(व्यवधान) गुरु नानक जी और दूसरे गुरुओं ने सबको अपना बनाकर, सभी धर्मों को मानने वालों को मिल-जुलकर रहने और एक-दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना सिखाया।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हमारी शानदार अनेकता को मान्यता दिलाई। अपने 500 साल के इतिहास में ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

[अनुवाद]

आप आसन को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अपने 500 साल के इतिहास में सिखों में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। ... *(व्यवधान)*

उन्होंने कहा था–

"शुरू में उन पर भयानक जुल्म हुए। आजादी के समय उन्होंने बंटवारे का कष्ट सबसे अधिक झेला है, अभी कुछ समय पहले भी उन्हें हिंसा का आघात सहना पड़ा। वर्ष 1984 की दुखद घटना के बारे में मैं अपनी वेदना पहले ही चण्डीगढ़ में व्यक्त कर चुकी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो कुछ मैंने पहले कहा था वह मेरे हृदय की भावना है और इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए।"

सिक्खों के योगदान के सम्बंध में हमारी यही मान्यता है। यह आपके साहस, दृढ़ता, सद्भावना और गहरी देशभक्ति के लिए तारीफ की बात है कि आप नफरत और कड़ुवाहट की भावना से ऊपर उठे। आज के भारत में आप एक ऐसे समुदाय के रूप में उभरे हैं जो आगे देखता है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में सब तरह शांति बनाये रखें। मैं आपसे बार-बार अपील कर रहा हूं और आपने शांत रहने पर सहमति दी है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था :

"आप एक ऐसे समुदाय के रूप में उभरे हैं जो आगे देखता है और भविष्य पर भरोसा करता है। जहां तक मेरा सवाल है मैं अपने परिवार के रिश्ते बहादुर सिख बिरादरी के साथ पहले की तरह मजबूत करना चाहती हूं।" ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप केवल बहस के प्रवाह में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : उससे पहले 25 जनवरी, 1998 को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चंडीगढ़ में कहा था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, यह व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है।

[अनुवाद]

मैं ऐसी भड़काने वाली बात के लिए अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं अपने अनुभव से ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार-बार शांत रहने की अपील की है। मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह उनका बोलने का पहला अवसर है। हम प्रश्न काल पर नहीं पहुंचे। कल सभा कार्य नहीं कर सकी। श्री बंसल कृपया अपने स्थान पर बैठिये। कल आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमें सभा स्थगित करनी पड़ी। आज सहमति हुई कि संरचनात्मक चर्चा होगी। देश विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार जानना चाहता है। जब तक समुचित रूप से चर्चा नहीं होगी तब तक किसे लाभ होगा? आखिरकार सभा की छवि खराब होती है और देश को राजनैतिक दलों के विचारों का लाभ नहीं मिलता। इसलिए, मैं सभा में सभी वर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप उनकी बातों का अपने भाषणों में उत्तर दे सकते हैं अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय ... *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप सुनते नहीं हैं। यह बात ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अपने विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरण मत दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने कहा था :

"मैं अपने अनुभव से जानती हूं कि कोई भी अल्फ़ाज इन घावों पर मरहम नहीं लगा सकते हैं, दूसरों की संवेदनाएं अक्सर खोखली लगती हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसे हादसे कभी नहीं होने चाहिए थे। मैं जानती हूं कि मेरे पति की भी यही भावना थी।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने उद्देश्य के प्रति भी न्याय नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। मैं हर समय आपसे ऐसा न करने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था–

"6 जून, 1984 की घटनाओं ने सिख समुदाय को जो दुख पहुंचाया है, मुझे उसका पूरा एहसास है। इससे हमारे परिवार को गहरी वेदना पहुंची है।"

यह बात कही थी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया बैठ जाइये। अन्यथा मैं आपको सभा से बाहर कर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने कबूल किया है, माना है और कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता है कि उस वक्त इन्सान हैवान बन गया था। यह बात रिपोर्ट में भी कही गयी है, जिसका आप जिक्र नहीं करना चाहते हैं, जो आपके द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन द्वारा कही गई है।

मेरे लिए बहुत कुछ कहना सम्भव नहीं होगा, लेकिन उसी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इन्हीं बातों का उसमें जिक्र हुआ है। अब यह बात आपको कबूल करनी होगी कि हालात ऐसे चल रहे थे कि उससे श्रीमती गांधी की हत्या पर एक ऐसा माहौल देश में बन गया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद कहें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे अफसोस है (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है, जो आप ऐसा कर रहे हैं। यह कोई अच्छा टेस्ट नहीं है। यह शर्म की बात है कि गलती हो गई, तो उसका आप मजाक उड़ाएं। यह बहुत गलत बात है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह रिपोर्ट में ही कहा गया है। यह रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री पवन कुमार बंसल : "श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से सम्बन्धित घटनाओं से पता चलता है कि ये अचानक घटित होने वाली घटनाएं नहीं थीं। 1981 से पंजाब की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा चालें चलना और तनाव का फायदा उठाना– "इस कारण उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय के खिलाफ अंदर ही अंदर आक्रोश पैदा हो गया था। क्या उस वक्त आपने यह कहा था, ढींढसा साहब, शायद उस वक्त आप यहां नहीं थे। आज वही लोग आपके साथी बने हुए हैं, उस दिन से बने हुए हैं। क्या किसी ने उस आक्रोश को खत्म करने के लिए कुछ किया या कहा था?" शायद कुछ व्यक्ति सिखों को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्हीं के दो अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने से आक्रोश भड़क गया और दिल्ली में सिखों के जान-माल पर भीषण आक्रमण किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता थीं और वह भारत की प्रधानमंत्री थीं। अत: यह कोई अनोखी बात नहीं थी कि उन्हीं के दो अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या करने की बात पता चलने पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। "उन्होंने जो आगे कहा है, वह भी मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन लगता है कि मेरा ज्यादा देर खड़ा होना आपको तकलीफ दे रहा है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को काफिले पर भी हमला

[श्री पवन कुमार बंसल]

हुआ था। वह सिख थे। क्या वह हमला कांग्रेस पार्टी ने कराया था ... *(व्यवधान)* उसमें यह कहा गया है। "पहले कहा गया कि कुछ नारे लगाए गए, लेकिन बाद में अफवाह फैलाई गई – उसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वह अफवाह फैलाने वाले कौन थे। अफवाह फैलाई गई कि शायद सिख समुदाय के लोग मिठाई बांट रहे हैं– इससे आक्रोश भड़क गया। इस तरह की जो अफवाहें फैलाई गईं, उससे लोग सिख समुदाय के खिलाफ भड़क गए और उनसे बदला लेने के लिए उतावले हो गए ..." *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग चुप रहें, आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने कहा कि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि श्री राजीव गांधी ने दिल्ली में हो रही घटनाओं के प्रति गहरी चिंता दिखाई थी। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक अपील जाहिर की थी। दूरभाष संख्या 100 पर पुलिस से लोगों का सम्पर्क नहीं होने की शिकायतें मिलने के बाद, ऐसी शिकायतें उन्हें मिली थीं कि लोग पुलिस से सम्पर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है, उन्होंने इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों को बुला कर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिससे जो भी पुलिस से सम्पर्क करना चाहे, वह कर सके। यहां तक कि उन्होंने 1.11.1984 को रात्रि में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था।

इसमें मैं बहुत कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन समय की पाबंदी के कारण नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन यह बात कही गई कि कांग्रेस दुराग्रही था। इसके प्रति निष्ठुर था। उस समय के गृह राज्य मंत्री जी का भी मेरे पास जवाब है। मेरे सामने हरिन पाठक जी बैठे हुए हैं। वह उस समय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनका जवाब भी मेरे पास है। मैं उस जवाब से बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो हालात थे, मैं इस बात से एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि कचहरियों का रोल क्या था। अगर उनके पास जो मामले गए, उन्होंने भी अपना रोल अदा किया था। क्या-क्या मुआवजा दिया गया, यह भी इसमें है। मैं मानता हूं, जब मैं मुआवजे की बात करता हूं कि इन्साफ के लिए मुआवजा हल नहीं होता।

[अनुवाद]

जिस व्यक्ति का पुत्र अथवा पिता या भाई दंगों में मारा गया हो उसकी क्षतिपूर्ति वास्तव में किसी भी मुआवजा राशि से नहीं हो सकती।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

लेकिन जो हालात हैं, क्या आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद उन पीड़ित परिवारों के बारे में सोचना है या नहीं। सरकार ने उनकी तकलीफों पर गौर किया या नहीं, यह देखने वाली बात है। अगर हम यही बात सोचते रहते कि उस हफ्ते के दौरान यह किया गया तो आगे हालात और बिगड़ते। उस वक्त सरकार के कठोर कदमों के कारण ही वह पागलपन समाप्त हुआ जैसा कि राजीव गांधी ने इसे कहा था। लेकिन उसके बाद मुआवजा क्या दिया गया। मृत्यु के संबंध में साढ़े तीन लाख रुपये की दर से 2327 मामलों में मुआवजा 72 करोड़ 70 लाख के करीब दिया गया। मैं फिर कहता हूं कि मुझे गलत न समझा जाए कि किसी भी क्षति को कोई पैसा से तोलना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह देखने वाली बात है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही या नहीं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मेरा जवाब सिर्फ मुआवजे के बारे में था, सिख विरोधी दंगों को जस्टिफाई करने के बारे में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका दिया जाएगा।

श्री हरिन पाठक : सर, मेरा नाम लिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके भाषण में बाधा नहीं पहुंचा सकते। मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम, वक्ता के रूप में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया शांति बनाये रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : इससे पहले कि मैं मुआवजे का जिक्र करूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उनको याद दिला दूं कि माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से सवाल था और माननीय हरिन पाठक जी ने 4.3.2003 को एक मिनिस्टर की हैसियत से जवाब दिया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के रूप में उन्होंने कहा था।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : सवाल था – "क्या यह सही है कि 1984 के दंगों में पकड़े गये लोगों को दोषमुक्त किया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और लम्बित मामलों का ब्योरा क्या है"? यह सवाल था, मुआवजे का नहीं था। जवाब था कि "उन 373 मामलों की वर्तमान स्थिति जिनमें 1984 के दंगों के संबंध में आरोप-पत्र दायर किये गये थे, निम्न प्रकार हैं :–

"दोषमुक्त 321, दोष-संबंधी 29, बरी किये गये 8, रिकार्ड रूम के सुपुर्द किये गये 7, विचार के लिए लम्बित 8"।

अगर यह इल्जाम लगाया जाता है कि कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दी, तो मैं भी पूछ सकता हूं कि उन 6 वर्षों में कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दी। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कोर्ट का काम कोर्ट का है।

श्री हरिन पाठक : इससे क्या लेना-देना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भटकिये मत।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर स्पीकर की जरूरत नहीं है तो मैं चला जाता हूं, आप हाउस चलाइये।

[अनुवाद]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह अपनी गलत आदतें छोड़ दीजिये।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : कोर्ट का काम कोर्ट का है और यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि हम सभी को यह बात समझने की जरूरत है। मैं मुआवजे की बात कर रहा था। साढ़े तीन लाख रुपये की दर से बड़ा हुआ मुआवजा 327 परिवारों को 72 करोड़ 70 लाख रुपये दिया गया, जिनकी हत्या हुई थी। चोटों के लिए मुआवजा, 263 लोगों को 54 लाख 62 हजार रुपये दिया गया। नष्ट रिहायशी सम्पत्तियों के लिए 5 करोड़ 83 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। औद्योगिक सम्पत्तियों सहित बीमित और अबीमित परिसरों का मुआवजा 4 करोड़ 77 लाख रुपये दिया गया। ऋण रहित स्कीम के तहत भी मुआवजा दिया गया।

मुझे अफसोस हुआ जब मैंने टी०वी० पर देखा कि एक कॉलोनी का नाम विधवा कॉलोनी रखा गया है, लेकिन सरकार ने ऐसा नाम नहीं रखा हो सकता है। किसी ने उसे ऐसा कहना शुरू कर दिया होगा। सरकार ने उन्हें इकट्ठा जरूर किया था। कारण यह था हमने उन लोगों का गठबंधन बनाया है जिन पर दंगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वे आपस में रह सकें, एक दूसरे को सहानुभूति दे सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन यह नहीं कि उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं गया। सरकार की तरफ से और प्रांतों को भी हिदायतें दी गयीं कि उनकी जो भी जरूरतें हैं वे पूरी करनी चाहिए।

महोदय, मैं इससे ज्यादा आपका समय दूसरी बातों पर नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बात पर फिर से वापस आना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी पहली ए०टी०आर० रिपोर्ट दी है। यह मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता। सरकार की जिम्मेदारी बनी रहती है, एक-एक पग पर उसकी मानीटरिंग करनी होती है। सरकार इस चीज को महसूस करती है, आज इसकी प्राइममिनिस्टरशिप श्री मनमोहन सिंह जी कर

[श्री पवन कुमार बंसल]

रहे हैं। इस संबंध में माखौल के साथ बात की गई। क्या आप यह समझते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वे केवल हिंदुओं के लिए सोचते होंगे? आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं, जो कि खुद सिख समुदाय से हैं, जिसकी गिनती देश भर में अल्पसंख्यकों में है, वे कितने कम हैं लेकिन वे आज प्रधानमंत्री पद पर हैं। इस बात को सिखों ने महसूस किया था और देश भर के सिखों ने कहा था और गुरूद्वारों में जा-जाकर इनके लिए प्रार्थना की। इन्होंने कहा था कि वर्ष 1984 में जो हुआ, अब आगे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप इसके लिए संकल्पित हैं? क्या आपने नहीं किया *(व्यवधान)* आपने आज फौजों का जिक्र किया *(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि फौजों में सिख भाइयों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेनका जी, आप एक जिम्मेदार सदस्या हैं। कृपया शांत रहिए।

[हिन्दी]

आप लोग शांत हो जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल : जिस तरह का रोल आजादी की लड़ाई में सिख भाइयों ने अदा किया था, बाद में भी ऐसा ही करते रहे हैं। इसीलिए आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? एक सिख समुदाय से है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं, मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं, इस कारण नहीं कि वे लोग सिख समुदाय से हैं, लेकिन सच यही है कि वे सिख समुदाय से हैं। डिप्टी चैयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन के पद पर भी यही स्थिति है, फिर आप किस बात के कारण ऐसा कह रहे हैं? स्वयं डिप्टी स्पीकर साहब जो हमारे सामने बैठे हुए हैं *(व्यवधान)* आप की पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। इस सदन के सभी लोगों ने उनको बनाया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बादल, कृपया बैठ जाइये। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : इतने सारे लोग सिख समुदाय से ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इसके बावजूद कहा जाता है कि इतने लोगों के साथ आपने ऐसा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

भगवान के लिए दूसरों की चिताओं पर अपनी राजनैतिक रोटियां मत सेकिये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने जा रहे हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप अब बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। यदि वे आपको बोलते हुए बाधा पहुंचाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : शायद हमारे उस तरफ के माननीय सदस्य नहीं जानते कि इन सब बातों के बावजूद पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आयी, तो क्यों आई? न अकाली दल और न ही बीजेपी आई। वहां की जनता ने तो बी०जे०पी० को निकाल दिया, बाहर कर दिया, उनको अपना अस्तित्व मालूम पड़ गया। लोगों को भड़काने की बहुत कोशिशें हुई। उस वक्त शांति लाने के लिए राजीव लोंगोवाल एकार्ड किया था। आपने कहा था कि आप की सरकार में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। यह फैसला किनका था? राजीव गांधी ने कहा था कि

[अनुवाद]

यह आवश्यक नहीं है कि कौन जीतता है। महत्वपूर्ण यह है कि आजादी की लौ देश में लगातार जलती रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

जरूरत है कि वह ज्योति हर वक्त उज्जवल रहे, जिससे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिले। आज इस पर चर्चा की गई, यह बहुत अच्छा हुआ कि आपने सरकार से इस विषय पर कहा। लेकिन आप इन दोनों बातों को कन्फ्यूज करके कहना चाहते हैं कि सिखों ने ये-ये किया। उनके साथ ज्यादती हुई। क्या आप यह नहीं सोचना चाहते कि क्यों पंजाब आज छोटा है? क्या कोई कह रहा था कि आप इतना छोटा पंजाब ले लें? पंजाबी लाहौल स्पीति तक पढ़ाई जा रही थी। आपने कहा था आपको जरूरत नहीं है कि पंजाबी पूरे देश में फैले। आपने कहा था कि आप हमें छोटी सी जगह दे दीजिए, जहां हम राज कर सकें। *(व्यवधान)* लेकिन अगर लोग वहां पर आपको फिर

से राज नहीं देना चाहते तो क्या वह हमारा गुनाह है? आपने जितना छोटा मांग था, वह दिया *(व्यवधान)* और अब वह पंजाब बना। शायद आप नहीं समझे थे कि क्या हुआ? आपने तो उस दिन दीवाली मनाई थी। अब आप आज कह रहे हैं कि एक छोटा सा पंजाब बना दिया, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। उसको प्रांत भी नहीं समझते, ऐसा क्यों? आपने अभी पानी का जिक्र किया, मैं पंजाब से आया हूं, मैंने पंजाब की नुमाइंदगी पहले भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में की है। मैं हमेशा पंजाब की बात उठाता रहा हूं, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, चाहे पानी का मामला हो या कोई अन्य मसला हो, बेशक कोई कमेटी हो या कहीं और सभी जगह हमने यह मामला उठाया है। आप इसका जिक्र इस प्रकार से करते हैं और यह भूल जाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का कोई संविधान है। अगर कोई मसला अंतर-प्रांतीय होता है, तो वह संविधान के तहत हमें हल करना होता है। इसके लिए हमारी जुडीशियरी है, वहां यह पानी का मसला गया हुआ है। आपने उसको कन्फ्यूज करते हुए अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि सिखों के साथ ज्यादती हुई। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस ऐसा होने नहीं देती है। हां दंगे हुए, सभी के लिए शर्मनाक बात है। सभी के लिए सोचने की बात है कि दंगा कहीं भी हो, दंगा है। कोई भी मासूम इन्सान उसमें मरता है, उसका खून बहता है तो वह सभी के लिए चिंता की बात है। हमें अभी भी इस बात की जरूरत है, मैं अभी भी इस बात को कहता हूं, खत्म करने की बात नहीं कहता, अभी भी सरकार को लगे रहने की जरूरत है कि कहीं किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो वह कचहरी में जाए और कार्रवाई करे। संभावनाओं को देखते हुए, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉबेबिलिटिज, अगर सरकार ने कह दिया कि इसमें यह मुश्किल है, आप उसे इतना बड़ा इशू बना देंगे, उस पर इतनी बड़ी एनालिसिज कर देंगे कि इस कारण सरकार ये सब करती है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह सिर्फ राजनीति के अलावा और किसी बात से प्रेरित नहीं है। ऐसे मसले दूर करने की जरूरत है। इस सदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान लीडर्स हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वे उन पर कुछ इस तरह का नियंत्रण रखेंगे। देश में बहुत हो गया, 1984 के बाद भी बहुत दंगे हो गए लेकिन बाहर के लोग मानते हैं कि इतना बड़ा देश, जहां 108 करोड़ लोग हैं, ऐसा होने के बाद भी एक फंक्शनल डैमोक्रेसी में चलते हैं। आज फिर लोग यह विचार बना रहे हैं। मैं इस कारण कहता हूं कि बार-बार पिछला जिक्र न करें ताकि उन लोगों के जख्मों में समय के साथ जो मरहम लगी है, वह फिर कुरेदें न जाएं। यह बात सोचने की जरूरत है ताकि देश दुनिया में आगे बढ़ता रहे जैसे इस वक्त यू०पी०ए० की सरकार के तहत बढ़ रहा है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं एक मिनट के लिए एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको लास्ट में मिनिस्टर साहब के रिप्लाई के बाद बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा, आप बाद में जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में केवल वही बात सम्मिलित की जाएगी जिसकी मैं अनुमति दूंगा और जिसकी मैं अनुमति नहीं देता वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वाजपेयी जी इस बहस में इंटरवीन करेंगे। इसीलिए आज प्रात:काल तक मेरा विचार नहीं था कि मैं बोलूं। मैंने ढींडसा जी की बात को सुना। उन्होंने कुल मिला कर देश के लिए सिखों ने किस प्रकार का योगदान दिया है, इसका विस्तार से उल्लेख करके इस बहस के महत्व को और बढ़ा दिया।

अभी-अभी बंसल जी बोल रहे थे। बंसल जी ने कहा कि हम नानावती कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बहस करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं इस बात से सहमत हूं और इसीलिए मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसे रॉयट कहना शायद उपयुक्त शब्द नहीं है। साधारणत: रॉयट्स होते हैं जैसे हिन्दू मुसलमान रॉयट्स हुए। शीर्षक में एंटी सिख रॉयट शब्द का प्रयोग किया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही तो मुसीबत है। आप टोका-टाकी न करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आये तो आप बोल सकते हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगे? कृपया अपनी सीट पर बैठिये। जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिए। फिर बात करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपको बोलने का मौका मिलेगा। आपकी पार्टी से कोई दूसरा सदस्य भाषण देने वाला है। जो बात कहनी है, आप उन्हें बता दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने पर नियंत्रण रखिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें स्वयं नानावती कमीशन ने कहा है कि इनका प्रारम्भ इस कारण हुआ कि देश की प्रधान मंत्री ...*(व्यवधान)* बहुत रिसपैक्टिड लीडर थी, उनकी हत्या हो गई इसके कारण उसका एक रिएक्शन हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कौन कर रहा है? यदि आपमें साहस है तो खड़े होइये। खड़े हो जाइये, मैं देखता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ 180 पर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब सभी पक्षों पर लागू होगा केवल एक पक्ष पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, पेज 180 पर नानावती कमीशन ने कहा है :

[अनुवाद]

"31-10-84 को घटित घटनाओं का कारण जनता की अनायास नाराजगी को बताया जा सकता है क्योंकि उनकी प्रिय नेता और देश की प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी।"

सही बात है। फिर उसने कहा है कि :

"1.11.84 से सिखों पर हमले का कारण वही नहीं रहा।"

[हिन्दी]

जो पहले दिन की प्रतिक्रिया थी वह तो स्पानटेनियस थी। उसका उल्लेख भी है लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई।

[अनुवाद]

"जनता की नाराजगी का लाभ उठाकर अन्य ताकतें भी हालात का फायदा उठाने चल पड़ीं। बड़ी संख्या में शपथ-पत्रों से पता चलता है कि स्थानीय कांग्रेस (आई) नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिखों पर हमला करने में भीड़ को या तो उकसाया या उसकी मदद की।"

[हिन्दी]

मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो बातें 1984 के संदर्भ में कही जा रही हैं, वह पॉलिटिकल मोटिव से नहीं कही जा रही हैं यह नानावती कमीशन की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, कहा है :

[अनुवाद]

"प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्तियों के समर्थन और सहायता के बगैर सिखों की इतनी आसानी से और बड़ी संख्या में हत्या नहीं हो सकती थी।"

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, आगे कहा है :

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"हमले योजनाबद्ध तरीके से और बिना किसी भय के किए गए थे; यह पता चलता है कि वे आश्वस्त थे कि वह कृत्य करते हुए और उसके पश्चात् भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिख समुदाय के पुरुषों को उनके घरों से बाहर ले जाया गया। उन्हें पहले योजनाबद्ध ढंग से पीटा गया फिट जिंदा जला दिया गया। कुछ मामलों में उनकी गर्दन में टायर डाल दिए गए और उन पर केरोसीन और पेट्रोल छिड़कर कर आग लगा दी गई। कुछ मामलों में उनके ऊपर श्वेत ज्वलनशील पाउडर फेंका गया जिसने तत्काल आग पकड़ ली। यह सामान्य पद्धति थी जिसका बड़ी भीड़ द्वारा अनुसरण किया गया जिसने कतिपय क्षेत्रों में तबाही मचा दी। दुकानों की पहचान की गई, उन्हें लूटा गया और फिर जला दिया गया।"

यह नानावती आयोग की रिपोर्ट है :

"इस तरह जो नाराजगी के कारण प्रारम्भ हुआ था वह एक संगठित हत्याकांड बन गया।"

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी क्या मुझे पृष्ठ सं० बता सकते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह पृष्ठ सं०-180 है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पृष्ठ सं०-181 पर वह आगे कहते हैं :

"रिकार्ड में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि बहुत से स्थानों पर पुलिस ने उनके हथियार यानी सिखों के हथियार और अन्य वस्तुएं ले ली थीं जिनसे वे भीड़ के हमले से स्वयं की रक्षा कर सकते थे। उन्हें यह आश्वासन देकर कि उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी उनके घरों के भीतर भेजने के पश्चात् ही उनके ऊपर हमले शुरू हो गए थे। यदि यह क्रुद्ध जनता की अनायास प्रतिक्रिया होती तो यह सब नहीं हुआ होता।"

[हिन्दी]

यह पृष्ठ संख्या 181 है। अध्यक्ष जी, यह रिपोर्ट रखी गई, एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई, उसी दिन सब लोगों की रिएक्शन्स हुई कि इनमें जिन लोगों के नाम हैं, कांग्रेस के नेताओं और एक मंत्री का, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है या उनको सरकार क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद देखा कि इसमें अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई पहले की गई है तो वह हैं दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर, जो लैफ्टिनैंट गवर्नर उस समय थे। यह घटना है श्रीमती गांधी जी की हत्या की जो 31 अक्तूबर को हुई। इसमें लैफ्टिनैंट गवर्नर श्री गवई के बारे में कहा है, कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि

[अनुवाद]

"जहां तक उपराज्यपाल श्री पी०जी० गवई का प्रश्न है, यह बताया जाता है कि उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और यह निष्कर्ष रिकार्ड करने में आयोग को संयुष्ट नहीं करता कि उनके स्तर पर कोई लापरवाही नहीं हुई। यद्यपि वह आवश्यक कार्यवाही करने में विलम्ब करते हुए नहीं दिखाई दिए फिर भी आयोग को लगता है कि उन्होंने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि अपेक्षित था।"

[हिन्दी]

सरकार का ए०टी०आर० पर कमेंट है :

[अनुवाद]

"सरकार ने अविलम्ब प्रशासनिक कार्यवाही की। और श्री गवई के स्थान पर श्री एम०एम०के० बाली को 4 नवम्बर, 1984 को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया।"

[हिन्दी]

31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक के चार दिनों में तत्कालीन उप-राज्यपाल को हटाया गया और उस की जगह श्री बाली को उप-राज्यपाल बनाया गया। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कितने भी केसेज़ थे, सरकार ने उन में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। एक स्थान पर कहा गया है कि हम एग्ज़ामिन करेंगे। हां, एक केस ऐसा है जिसमें कार्यवाही की गई और उसी समय की गई। अध्यक्ष जी, फिर भी यदि आप नानावती रिपोर्ट देखेंगे, उसमें श्री गवई के बारे में क्या लिखा है और मुझे लगता है कि आप नोट कर रहे हैं, इसलिये मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सुनना चाहता हूं। मैं नोट नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, नानावती कमीशन की रिपोर्ट में श्री गवई के बारे में पेज 171 से लेकर 173 तक लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह सारा पढ़ने लायक है। मैंने पूरा पढ़ा है। मैं सदन के सामने सारी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन पैराग्राफ 172 जरूर पढ़ूंगा जिसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"2 नवम्बर को उपराजपाल ने सुबह एक अपील जारी की और उसके पश्चात् वे त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, मंगोलपुरी और शाहदरा जैसे प्रभावित खेत्रों का दौरा करने चले गए। उनके साथ श्री एच०के०एल० भगत थे। उन्होंने 2½ घंटे तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कुछ वहीं मौके पर अनुदेश दिए। उन्होंने सशस्त्र बल की निष्क्रियता के बारे में जनरल वैद्य के साथ भी बातचीत की।"

[हिन्दी]

चूंकि वहां पहले ही होम सैक्रेटरी और दूसरे लोगों ने कहा है कि आर्मी बुलानी चाहिये लेकिन वह नहीं आई। अगर आई तो कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इसलिये उस समय जनरल वैद्य से बात की थी।

[अनुवाद]

"जब वे अपना दौरा कर ही रहे थे तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास से संदेश प्राप्त हुआ वहां पर प्रधानमंत्री के साथ श्री जगदीश टाइटलर और श्री धर्मदास शास्त्री भी उपस्थित थे। उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने अन्य लोगों से बाहर जाने को कहा और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ लगभग 20 मिनट बातचीत हुई। उन्हें संकेत दिया गया कि अब उनके उपराज्यपाल बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, घर लौटने के पश्चात् उन्होंने राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई। जब बैठक चल ही रही थी तो उन्हें डा० पी०सी० ऐलक्जेंडर से टैलीफोन आया जिसमें उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के चैयरमैन का पद सौंपा जाएगा।" *(व्यवधान)* "उन्होंने डा० ऐलक्जेंडर से कहा कि ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल छुट्टी में नहीं जाएंगे या तो वे पद पर बने रहेंगे अथवा त्याग पत्र देंगे। 3.11.84 को वे दिल्ली से चले गए।"

अब यह पढ़कर और उसके बाद कल मैंने डी०एन०ए०, बम्बई के दैनिकपत्र में श्री पदमेकर गढ़वी के वक्तव्य को देखा और उसका शीर्षक देखकर मुझे हैरानी हुई "यदि उस समय मैंने सभी तथ्य प्रकट कर दिये होते ..."

मैं इस वक्तव्य का एक अन्य भाग भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। वह कहते है :

"आज की सरकार की नीति विलम्ब करने और जानबूझ कर निर्णय लेने में देरी करने की थी जिससे मेरी कार्यवाही विफल होती थी।" *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उस रूप में यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यह गम्भीर मामला है, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निःसन्देह यह एक गम्भीर मामला है लेकिन उस तरीके में यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्योंकि यह गम्भीर है, मैं समाचार पत्र पर ही निर्भर नहीं हूं, मैंने फोन किया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने हस्ताक्षेप किया है। मैंने कहा है कि यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने पहले ही यह बात कह दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए पहले मैंने उनका टेलीफोन नम्बर ढूंढा जहां वह रह रहे हैं। मुझे बताया गया कि वह नागपुर में हैं और वहीं रहते हैं। मैंने उन्हें फोन किया उनसे फोन पर बात की। मैंने कहा कि कल आपके नाम से बम्बई समाचार पत्र में यह प्रकाशित किया गया है और मैं सत्यापित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जा सकता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने कहा "जो कुछ कहा गया है वह बिल्कुल सही है।"

अध्यक्ष महोदय : फिर भी आपने उस पर टिप्पणी की है यह वक्तव्य के रूप में नहीं जा सकता है क्योंकि इसको सही ठहराने वाला कोई नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : क्या वह आयोग के समक्ष पेश हुए थे? क्या वे सज्जन आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने उन्हें टैलीफोन किया था ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। आप मुझे बार-बार उकसा रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समाचारपत्र की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं हूं अत: वे ही वे व्यक्ति हैं ··· *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, टी०वी० पर उनका पूरा का पूरा स्टेटमैन्ट लाइव आया है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : तब भी यह स्वीकार्य नहीं है। टेलीविजन पर दिया गया वक्तव्य यहां स्वीकार्य नहीं है। मैंने उन्हें बोलने से मना नहीं किया।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, वह स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। हम रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। आयोग जिन्हें भी शपथ पत्र देने के लिए आमंत्रित करता था, उनके शपथपत्र रिकार्ड किए जाने थे। उसके अलावा किसी निजी वक्तव्य को स्थगन सम्बन्धी संकल्प का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने उन्हें अनुमति दी थी अब मुझे मेरा निर्णय देने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : बंसल जी ने सोनिया गांधी जी का अखबार का पूरा वक्तव्य क्यों पढ़ा ··· *(व्यवधान)* सोनिया जी का अखबार का पूरा वक्तव्य पढ़ सकते हैं तो इनका क्यों नहीं पढ़ सकते? ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपने पूरा वक्तव्य क्यों पढ़ा था? ··· *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप क्या कह रहे हैं ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सभा में उपस्थित थीं। आप इसे मत भूलिए। लेकिन यहां उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। विश्व में किसने कहा, क्या कहा, कहां-कहां उसे सभा में दोहराया नहीं जा सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह कोई मामूली आदमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सामान्यत: बताया था कि इसमें क्या है। आप उनके वक्तव्य को यहां उद्धृत मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गवई ने कोई साक्ष्य दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपकी कृपा चाहूंगा। जो कुछ टिप्पणी इन्होंने श्री गवई के लिए की है वह श्री एलेक्जेंडर द्वारा पृष्ठ 171 में अस्वीकार की गई है। वह दूसरे सदन के सदस्य हैं। इसको पृष्ठ 171 के अस्वीकार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आपका सदस्य इसका उत्तर देगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह यहां नहीं है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आप "सुपर स्पीकर मत बनिए अर्थात् मेरा काम करने का प्रयास मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पहले भी दो मामलों पर मिश्रा आयोग और नानावती आयोग, दोनों ही इस बात से सहमत थे कि सेना को बुलाने में देरी की गई थी। इस पर दोनों सहमत थे। इस विशेष मामले का उल्लेख इसीलिए किया गया है क्योंकि उपराज्यपाल ही उस समय दिल्ली में कानून और व्यवस्था के लिए प्रभारी थे और श्री गवई उस पद पर थे। उन्होंने कहा है कि कुटिल षडयन्त्र को

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

कार्यान्वित करने के लिए ही जानबूझ कर विलम्ब किया गया था और आयोग ने भी यही पाया कि यह स्वत: ही हो गया हत्याकाण्ड नहीं था बल्कि एक सुनियोजित हत्याकाण्ड था अत: यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का पता लगाए कि किसने इसकी आयोजना की थी, हमारी बस यही मांग है।

आज मैं इस बात से खुश हूं कि कल गृहमंत्री जी ने यह कहा था कि यह की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट अंतिम नहीं है, हम इसकी जांच जारी रखेंगे और हम इस पर काम जारी रखेंगे। सभा यह जानना चाहती है कि इस नरसंहार का कर्त्ताधर्त्ता कौन था। जिन्होंने इस नरसंहार में भाग लिया रिपोर्ट में उनके नामों का उल्लेख किया गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कार्यवाही करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन, जैसा कि इसमें कहा गया है कि पुलिस ने एक विशेष ढंग से कार्य किया, जोकि रोका जा सकता था, यदि ऊपर से ऐसे आदेश नहीं दिये जाते। अब प्रश्न उठता है ये आदेश किसने दिये? इसमें तो गृहमंत्री का भी नाम आया। दूसरे लोगों के नाम आये हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता पर निश्चित रूप में मैं सरकार द्वारा उनकी पुष्टि चाहता हूं। उस समय प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं थे। मेरा मानना है कि उन ममालों में राजनीतिक व्यवस्था का रुख कैसा था यह जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इसका पता लगायें कि इस नरसंहार को किसने अंजाम दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) :

"जब से जलते हुए घर देखे हैं इन आंखों ने,
रोशनी मुझको चिरागों की बुरी लगती है।"

अध्यक्ष महोदय, चर्चा नानावती कमीशन की रिपोर्ट और उस पर दी हुई सरकार की ए०टी०आर० के ऊपर चल रही है। बहस थोड़ा आगे बढ़ी है। चूंकि मामला बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। इसके साथ और भी बहुत से मामले जुड़े हुए हैं इसी वजह से हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने धर्म, दर्शन, समाज, इतिहास तथा अन्य तमाम बातों को भी इसके साथ जोड़ दिया है।

मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं अपने को उनसे संबद्ध करता हूं। जैसे ढींडसा जी ने बताया, जहां तक सिख समुदाय की बात है, इस देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम मोर्चा के लोग उस गौरवपूर्ण इतिहास के हिस्सेदार हैं। इसी वजह से क्षेत्र का इसमें कोई अंतर नहीं आता। मैं बंगाल से आता हूं। इस देश में चाहे सैल्यूलर जेल के पिलर्स पर जाकर देखें या मुहाफिज़खाने में देख लें, अफसोस तो यह है कि बंगाल और पंजाब ने जिस तरह से आज़ादी के लिए अपना खून बहाया और फसाद का शिकार हुए, 1947 में बंगाल और पंजाब का बंटवारा हुआ, हम तभी से समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां तक 1984 का मामला है, आडवाणी जी सदन में रहते तो अच्छा होता। वे हमसे पूर्व बोले हैं, इसलिए मैं उनकी बात से ही शुरू करता हूं। उनको आपत्ति है कि 'एंटी सिख रायट्स' क्यों कहा गया। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि अक्सर इस देश में हिन्दू-मुसलमान रायट्स होते हैं। जब आर्गनाइण्ड कार्नेज होती हैं और एक समुदाय को दबाया जाता है और उस पर हमले किये जाते हैं और आडवाणी जी ने आखिरी पैरा में बड़ी अच्छी बात कही, वे बड़े अनुभवी नेता हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ 84 के रायट्स को हटाकर गुजरात लगा दिया जाए तो भी उनकी तमाम बात सच है। लेकिन वह उस पर नहीं बोलेंगे। इस देश में अल्पसंख्यकों पर जितने हमले हुए, अफसोस यह है कि हम इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर गौरव करते हैं लेकिन बारी-बारी कभी सिख, कभी क्रिश्चियन, कभी मुसलमान, इस तरह से इनको टार्गेट करके *(व्यवधान)* क्या आप सिखाएंगे मुझे क्या बोलना चाहिए? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चुप करके बैठिये।

[अनुवाद]

किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप बोलते रहें। किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मैं किसी को इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी को व्यवधान पैदा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : यह पॉग्रॉम शब्द असंसदीय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी व्याख्या आपके हिसाब से नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैंने यह शब्द रिपोर्ट से लिया है। *(व्यवधान)* यह प्रोग्रोम शब्द रिपोर्ट में दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैं मानता हूं कि 1984 में दो समुदायों के बीच में दंगे नहीं हुए। *(व्यवधान)* इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। जब नानावती कमीशन बना, उसकी टर्म्स ऑफ रैफरेन्स में तो रायट्स बताया है। लोग जो कुछ करते हैं, बाद में भूलते क्यों हैं यह मेरी परेशानी है। कवर पेज में आने से अलग है और अंदर आने से अलग बात है। यह दंगा नहीं था। क्या मैं (क) से लेकर (च) तक निदेश पत्र पढ़कर सुनाऊं *(व्यवधान)* 2000 में ये बनाए गए। ऐसे गंभीर मामलों को उस वक्त भी गंभीरता से लेना चाहिए था, अचानक किसी फौरी फायदे के लिए नहीं। लोगों के खून, लोगों की लाशों, मासूमों पर जुल्म, और उसके ऊपर सियासत करने से हमारी पार्टी सख्त नफरत करती है। *(व्यवधान)* आपको क्या दिक्कत है? खून के ऊपर और लाशों के ऊपर राजनीति करने पर हमें आपत्ति है। क्या आपको आपत्ति नहीं है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है आपको?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से चुप रहने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : आडवाणी जी ने जो 179 और 180 पेज पढ़े। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सैलेक्टिव बातें पढ़ कर सुनाई हैं उन्होंने।

अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देखेंगे तो आपको हैरत होगी। श्री आडवाणी जी ने जहां से शुरू किया, उससे ऊपर की एक लाइन उन्होंने नहीं पढ़ी। जहां से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 180 पेज पर उन्होंने कोट किया, मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं लेकिन पंज 180 से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा जाना चाहिए था। इंट्रोडक्शन पार्ट वन में है–

[अनुवाद]

> "जिस तरह से हिंसक हमले हुए उन्हें देखते हुए यह महसूस किया गया कि संभवत: सिखों पर किये गये हमले कांग्रेसियों द्वारा अथवा उनके समर्थकों द्वारा या फिर किसी अन्य संगठन अथवा समूह द्वारा सुनियोजित ढंग से किये गये थे।"

[हिन्दी]

यह अन्य संगठन अथवा समूह कौन थे। जांच होनी चाहिये थी। ऐसा नानावटी रिपोर्ट में कहा है। मैं रिपोर्ट को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। अगर मैं रैफरेंस पढ़ूं तो 21 साल से जो लोग न्याय का इंतजार कर रहे थे, जिन पर जुल्म किए गए थे, उनके साथ इस कमीशन ने जस्टिस नहीं किया। इक्कीस साल के लम्बे समय के बाद भी किसी को इंसाफ नहीं मिला। उस समय जो बच्चे थे, आज वह नौजवान हो गए हैं और आज की अखबार में आया है कि 21 साल का एक अनाथ नौजवान मुल्क छोड़ कर बाहर जाना चाहता है। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। पीड़ित लोगों को न्याय मिलना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे। इधर-उधर में न फंसे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : महोदय, इंट्रोडक्शन में कहा गया, पृष्ठ संख्या 180 के बारे में आडवाणी जी ने सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक लाइन ऊपर की नहीं पढ़ी, वह मैं पढ़ रहा हूं–

[अनुवाद]

"इस बात के भी लिखित साक्ष्य मौजूद हैं कि 31.10.84 को या तो बैठकें आयोजित की गई थी या उन लोगों को संपर्क स्थापित किया था जो प्रायोजित ढंग से हमले कर सकें और उन्हें सिखों की हत्या करने तथा उनकी दुकानें और घर लूटने के निर्देश दिये गये थे।"

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल जी ने भी कोट किया था और मैं भी कोट कर रहा हूं। सन् 1981 से ही इस मुल्क में हिन्दू और सिख समुदाय को दो अलग-अलग धाराओं में धकेला जा रहा था। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट से मैं कोट कर सकता हूं। श्री आडवाणी जी ने सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट ही पढ़ा है। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं, जो अदर आर्गेनाइजेशंस, हर रविवार को रिहर्सल करते हैं, जो दिल्ली शहर में रेडीमेट मिल जाती हैं। यह मामला राष्ट्रीय मामला है। दंगे-फसाद करवाने के लिए ये आर्गेनाइजेशंस रेडीमेड मिल जाती हैं। लोगों की तोहमत आपके ऊपर है और अपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सन् 1984 में जो कुछ हुआ वह सिर्फ सिखों का मामला नहीं था। गुजरात में जो कुछ हुआ वह केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, जो भी जमहूरियत को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, अमन चाहते हैं, इन सब बातों से उन सबका सिर शर्म से झुक जाता है। गुरू नानक जी, बाबा फरीद बुल्ले शाह और जो अन्य संत हैं, उनको मैं याद करता हूं। मैं बातों को बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री ढींडसा जी ने जो कहा, उसे मैं भी मानता हूं कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का कत्ल कर दे, लेकिन जो कातिल है, जो हमलावर है उसे पूरे समुदाय से संबद्ध करके, पूरे समुदाय को दोषी मानना कहां का न्याय है। यह एक मूलभूत बात है चाहे अमरीका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अयोध्या में हो या दिल्ली में हो यह एक मानसिकता है और यह बिगड़ी मानसिकता है और लोग इस मानसिकता को हालात बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम संसद में चार्जशीट फ्रेम नहीं करेंगे। हम संसद में इसलिए बहस नहीं कर रहे हैं कि किसी को हमें फांसी लगानी है, लेकिन लोकतंत्र किस रास्ते पर चलेगा, हमारे देश की क्या परम्परा बनेगी, सरकार की दिशा कौन सी होगी, हमारी धर्मनिर्पेक्षता की जो नीति है, वह किसी तरह से ऊपर उठेगी, पूरे विश्व के सामने, कम्युनिटी ऑफ नेशन्स के सामने, हम अपना चेहरा, अपना मुंह किस तरह से दिखाएंगे, वह सबसे बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं हो कि आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह कहना पड़े कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। इसलिए हम संसद में बहस करते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मोहम्मद सलीम, इधर-उधर मत देखें। कृपया अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, मैं डायवर्ट होने वालों में से नहीं हूं। मैं डायवर्ट नहीं होता। पहली बात यह है कि नफरत की राजनीति और दूसरो को बर्दाश्त न करने की राजनीति है, जिससे ऐसी स्थिति बन सकती है। माहौल ऐसा कैसे बनता है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब रेडियो से एनाउंसमेंट होता है कि श्री सतवन्त सिंह और श्री बेअन्त सिंह, दो सिख यूथ ने हमला कर दिया, तो यह एक्शन यही दर्शाता है कि माहौल बनाया गया, उसके बाद जो हुआ, उसकी तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। एंटी सोश्यल एलीमेंट्स, जो आग लगा सकते हैं, जो आगजनी कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर, जो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिखों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहे थे, जो यह सोचते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक क्यों हैं, वे सब लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं।

महोदय, दिल्ली शहर में जो लोग उस वक्त थे, उन्होंने देखा और बाद में अखबारों और टेलीविजन में अब यह बात आई कि ऐसा हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो, इसलिए जो कोई भी कसूरवार हैं, उन्हें सजा देने का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए, पूरा बन्दोबस्त होना चाहिए। तभी हम अपने संविधान के बारे में, अपने कानून के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन्स के बारे में गर्व कर सकते हैं। स्टिकर लगा देने से, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वे हैं, उससे गर्व नहीं होता है। गर्व इससे होता है कि हमारे यहां कानून का शासन है और सबके लिए समान है, डबल यार्डस्टिक नहीं हैं। मंत्री के लिए कुछ, साधारण नागरिक के लिए कुछ, अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ, दिल्ली के लिए कुछ और गुजरात के लिए कुछ, ऐसा नहीं है, तभी हम गर्व कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, यह सब मैं यहां से कोट कर सकता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप आगे बोलिए।

मोहम्मद सलीम : यही वजह है कि हमें सीधा संदेश देना पड़ेगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एक समुदाय को डॉमिनेट कर के, उसके खिलाफ नफरत पैदा कर के, उसके मासूम बच्चों को जलाकर, उसकी महिला के साथ बलात्कार कर के, उसका कत्ल कर के, जैसा हमने 1984 में दिल्ली में देखा, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं?

मोहम्मद सलीम : मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कह रहा हूं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। आपके लिए छोटा हो सकता है। *(व्यवधान)* कच्छ से लेकर कोहिमा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं सभी जगह की बात कह रहा हूं। आपको क्या आपत्ति है। मैं इतना दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैं कलकत्ता शहर और पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधित्व करता हूं, ऐसे एलीमेंट्स, अगर आप कांग्रेसमैन को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो क्या कलकत्ता शहर में कांग्रेसमैन नहीं थे, क्या कलकत्ते में हमला करने की साजिश नहीं हुई, लेकिन उस समय वहां वामपंथ की हुकूमत थी, वहां श्री ज्योति बसु की सरकार थी और हमारे जैसे कार्यकर्ता थे, इसलिए ढंगे नहीं हुए। वहां वे कार्यकर्ता नहीं थे जो लठैत बनते हैं, जो अग लगाते हैं, जो कैरोसिन तेल, पेट्रोल और डीजल साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से जलाया जाता है। ऐसे कार्यकर्ता कलकत्ते में नहीं मिले, इसलिए कलकत्ता नहीं जला और दिल्ली जल गई। *(व्यवधान)* इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी, दिल्ली जल गई, इसमें खुशी की क्या बात है?

यही वजह है, जब गुजरात में फसाद हो, बडौदा में हो, मुम्बई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हों तो हुकूमत की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करना है। यह आडवाणी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, वे होम मिनिस्टर थे, जब गुजरात जल रहा था वह भी उनको देखना चाहिए था, उनको हिदायत देनी चाहिए थी और हम जिस जमीन पर रहते हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, हम लोग करते हैं। *(व्यवधान)* बाद में एफीडेविट तो है, लेकिन उस रोज 31 अक्टूबर, एक और दो नवम्बर को हम यह देखते कि 1-2 भगवा झण्डा लेकर आप भी उतरे थे कि नहीं, सिखों को मत मारो, सिखों को मत जलाओ। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मोहम्मद सलीम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम सभा में एक दूसरे की ओर से किसी तरह की असहनशीलता नहीं दर्शानी चाहिए। हमें एक दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका उचित ढंग से उत्तर देना चाहिए। एक दूसरे के प्रति असहनशीलता नहीं दर्शानी चाहिए। मोहम्मद सलीम अब कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : जो इनटोलरेंस और टोलरेंस की बात कर रहे हैं, वह सदन के अन्दर और सदन के बाहर दोनों जगह है।

मेरी पार्टी और मेरी यह राय है कि नानावती कमीशन को जो टर्म्स ऑफ रैफरेंस दी गई थी, उसके प्रति उन्होंने न्याय नहीं किया और इसलिए 21 साल से जो मज़लूम इन्तजार कर रहे हैं, उन्हें भी इस कमीशन की रिपोर्ट को पूरा न्याय नहीं मिला है। एक नहीं, नौ कमीशन और कमेटियां बने, सब जानते हैं, उसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में चर्चा हो रही है।, ढींडसा जी, आपके दर्द और दुख को हम तो ज्यादा अच्छा समझते हैं, वे नहीं। चूंकि यह स्थिति आजादी के बाद एक के बाद एक कमीशन बने, फसादात हुए और इन्साफ नहीं मिला। लेकिन यह एक मौका है, इसलिए आपकी ए०टी०आर० भी हमें नापसन्द है। इस ए०टी०आर० में अगर आप आंकड़ों में जाएंगे, 10 सिफारिशें थीं नौ मान लिए तो वह सही नहीं होगा। जिनके नाम आये हैं, उन सब के विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वह जो भी हो। जब आप यह कहते हैं तो आपको भी यह कहना चाहिए कि चाहे मोदी हो और चाहे टाइटलर हो, सब के साथ इन्साफ होना चाहिए। यह हिम्मत हमारी है, आपकी नहीं है, इसलिए आप खामोश रहिये। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मोहम्मद सलीम]

दूसरी बात, सज्जन कुमार हमारे सदस्य हैं, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। जो ए०टी०आर० में कहा गया, उनके बारे में, उनके सिलसिले में, इससे भी हम खुश नहीं हैं, न सदन खुश है और इसलिए हम समझते हैं कि जिनके बारे में जैसे कार्रवाई करनी चाहिए, केसेज को, चाहे वह ट्रेस्ड हों या अनट्रेस्ड हों, उसका एक लॉजिकल कन्क्लूज़न होना चाहिए। आप कहते हैं, एफ०आई०आर० नहीं है, कांस्टेबल अगर यह कहे कि हां, प्राइमाफेसी इनके खिलाफ कुछ संदेह है तो डायरी ले लेते हैं, एफ०आई०आर० ले लेते हैं, नहीं लेते हैं तो हम लोग दबाव डालते हैं कि क्यूं नहीं लिया और कमीशन के बाद कमीशन कह रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं?

हम नहीं कह रहे कि आप जजमेंट पास करो, लेकिन आप उन मज़लूमों की तरफ से कानून का दरवाजा तो खटखटाओ कि इनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। अभी आपने देखा है, जब जो सत्ता में बैठ जाता है, वह केस को खत्म कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। खुद हमने इन सब के बारे में कहा था, आडवाणी जी, उमा भारती जी और मुरली मनोहर जोशी जी को केस के बारे में। इसलिए बीजद, जनता दल-यू और छींडसा जी, आपको मैं कह रहा हूं, यह मामला पार्टी लाइन का नहीं है, गठबंधन का नहीं, आपको उस समय भी कहना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उस समय बालासाहेब ठाकरे साहब ने कहा था कि एक सिख को भी हाथ नहीं लगना चाहिए, हम सिखों का बलिदान नहीं भूल सकते। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइये।

मोहम्मद सलीम : यह अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि जब जोशी जी, उमा भारती जी और आडवाणी जी का केस आया था, उस वक्त भी आपको ऐसा ही कहना चाहिए था।

तीसरी बात, जिन पुलिस अधिकारियों और आला अधिकारियों की बात की जा रही है। मैं और मेरी पार्टी इस बात को नहीं मानती है कि वह रिटायर हो चुका है या उसका तबादला हो गया है। मुल्क में अगर इंसाफ के लिए 21 साल तक इंतजार किया गया है, यदि वे लोग रिटायर भी हो चुके हैं तो कानून के अनुसार उनकी गिरेबां पकड़नी चाहिए। ठीक है, विभागीय एक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन क्रिमनल प्रोसिक्यूशन के हिसाब से तो कार्यवाही की जा सकती है। बैंक में जब फ्राड होता है, तब भी यही बात कहते हैं कि रिटायर हो चुके हैं। आप उन्हें रिटायर होने दें ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुआवजे के बारे में नानावती आयोग, ए०टी०आर० और बंसल जी ने भी कहा है। एक करोड़, दो करोड़, 70 करोड़ या 72 करोड़ की बात नहीं है, यह सब रुपये से नहीं मापा जा सकता है। यह तो हम हिलिंग टच की बात कर रहे हैं। आपको भी यह बात चुभती है। पूरे देश को यह बात चुभती है। संसद की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी इस पर मदद चाहूंगा कि सरकार के ऊपर यह दबाव डाला जाए कि जिनके घर के कमाने वालों की हत्या की गई है, उन सबको सरकारी नौकरी देने का प्रबन्ध करना चाहिए। अलग से कम्पन्सेशन देने की जो बात कही जा रही है, वह कम्पन्सेशन एटपार होना चाहिए। एक राज्य में कुछ, दूसरे राज्य में दूसरे किस्म का नहीं होना चाहिए। ताकि लोगों को यह मालूम हो कि यह मुल्क की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। यह आपने साबित भी किया है। मनमोहन सिंह जी इसे आपने शुरू किया है। जब यू०पी०ए० की सरकार आयी तो इसे लोगों ने सराहा, सिक्खों ने भी सराहा। इससे बहुत से लोग घबराए हुए थे। अब इस बारे में भी आपको ही कदम उठाना होगा। देश के लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा है, उसे देखते हुए यह कहना होगा कि "न कोई हमसफर, न किसी हमनशीं से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा।"

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नानावती आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा प्रस्तुत ए०टी०आर० पर चर्चा हो रही है। सलीम साहब ने जो भाषण दिया है, मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। 31 अक्तूबर, 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए, उनके बारे में ठीक ही कहा गया है कि वे दंगे नहीं, बल्कि सामूहिक नरसंहार था। उस सामूहिक नरसंहार के लिए जो लोग जिम्मेदर थे, तो कातिल थे, जो उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ जो क़ठोर कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं हो पायी है और यही असल सवाल है। इन दंगों की जांच करने के लिए तमाम समितियां बनीं। सबसे पहले रंगनाथ मिश्र समिति, 1985 में जब यह आयोग बना और 1986 में इसकी संस्तुति आयी, लेकिन उस पर लीपापोती की गई। फरवरी 1987 में तीन समितियां बनीं जैन समिति, आहुजा समिति और मित्तल समिति। मार्च 1990 में दिल्ली प्रशासन ने पोटीरोसा समिति बनायी। नवम्बर 1990 में पोटीरोसा समिति का काम जैन और अग्रवाल समिति को सौंप दिया गया। 1994 में दिल्ली में बी०जे०पी० की सरकार ने न्यायमूर्ति नरूला की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनायी और इसके बाद नानावती आयोग बना।

अध्यक्ष महोदय, कमीशन और समितियां बनने के बावजूद भी इतना लम्बा अरसा बीत जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष को मदद नहीं मिल पायी है, जो भरोसा कायम होना चाहिए था, वह भरोसा हम लोग कायम नहीं कर पाए हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 2,733 है। हत्याएं सिर्फ दिल्ली में नहीं हुईं, दिल्ली के अलावा गुड़गांव, कानपुर, बोकारो और इंदौर में जो हिंसक घटनाएं हुईं, उनमें 2,000 लोग मारे गए। एक आदमी का कत्ल होने के बाद 5-7 लोगों को सजा हो जाती है, लेकिन यहां लगभग 5,000 लोगों का कत्ल होने के बाद सिर्फ 7-8 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा मजाक कोई दूसरा नहीं हो सकता और यही काम हुआ। मेरा आरोप है कि उन लोगों को बचाने का काम किया गया। जो कमेटीज़ बनाई गईं, उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनके चलते कहा जा सकता है कि जो दंगाई थे, कातिल थे, कहीं न कहीं उन्हें बचाने का काम किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सामूहिक नरसंहार था। जैसे मैंने पहले कहा, असल सवाल यह है कि अगर कातिलों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो लोगों का कानून-व्यवस्था से विश्वास हट जाएगा और इस व्यवस्था से विश्वास टूट जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्रीमती गांधी की हत्या में उनके जो दो अंगरक्षक सिख शामिल थे, उनकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। लेकिन उनके कुकृत्यों के लिए पूरी कौम को निशाना बना लें, इससे ज्यादा घृणित कार्य कोई दूसरा नहीं है। यही वह समय होता है, हमारा यही आचरण आतंकवाद को जन्म देता है, इसके मूल में यही प्रवृति है। हमें इसे समझना चाहिये।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जब आडवाणी जी का भाषण हुआ, तो बी०जे०पी० और आर०एस०एस० के हमारे मित्र बोल रहे थे। *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनका नियंत्रण नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी शुरूआत कर दी और स्वर्गीय राजीव गांधी का यह कहना कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिल जाती है, पृथ्वी ज्यादा ही हिल गई। लेकिन यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम शुरू किया, उस समय उस काम में सहमति जताने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आर०एस०एस० के लोगों ने भी किया था, यह कटु सत्य है। *(व्यवधान)*

दिल्ली में सिखों के साथ जो हुआ, जिसे हम सामूहिक नरसंहार कहते हैं, ठीक उसी तरह गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुआ। वह भी सामूहिक नरसंहार था। *(व्यवधान)* आपको ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आप शामिल थे या नहीं, 1985 के लोक सभा चुनाव ने साबित कर दिया कि पूरी आर०एस०एस० कांग्रेस पार्टी के साथ थी। आपको दो सीटें मिलीं, हिन्दुस्तान में इससे बड़ा सबूत कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपको क्या प्रमाण चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी चले गए। वे दो लाख वोटों से हारे थे। मल्होत्रा जी, कोई आर०एस०एस० वाला आपके लिए काम करने को तैयार नहीं था। *(व्यवधान)* 1985 में आप और शिवराज जी की पार्टी एक हो गई थी। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा प्रमाण है। *(व्यवधान)* बोलिए मत, वर्ना आपको मुश्किल हो जाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सबसे दुखद बात यह है कि रिपोर्ट के आधार पर कानून मंत्रालय से सिर्फ पांच अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सलाह ली जा रही है। क्या इससे बड़ा मजाक कोई दूसरा हो सकता है? जिस तरह दंगे हुए, एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह बात मानता हूं कि दंगा एक बार हो सकता है, लेकिन अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दंगा लम्बे समय तक नहीं चल सकता।

अपराह्न 1.00 बजे

वे दंगे पांच-छः दिन चलते रहे। इसका सीधा मतलब है कि दंगाइयों के ऊपर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव था कि हमारा राज है, पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, हम चाहे जो तांडव नृत्य करें, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर सरकार का खौफ, सरकार का इकबाल, सरकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इन दंगाइयों पर होता, तो निश्चित रूप से यह घटना एक दिन हो सकती थी, एक क्षण हो सकती थी लेकिन इतने लंबे समय तक यह घटना चलती रहे, दौर चलता रहे, यह संभव नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, नानावती आयोग की जो रिपोर्ट है, वह बड़ी अजीबो-गरीब है। जिस तरह की यह रिपोर्ट है, उसी का परिणाम है कि श्री शिवराज पाटिल जी ने उसे अपनी इच्छानुसार परिभाषित कर दिया। इस रिपोर्ट में तत्कालीन उपराज्यपाल श्री पी०जी० गवई को जमकर लताड़ा गया है और कहा गया है कि हालात से निपटने में उन्होंने बहुत निरसता दिखाई। लेकिन गवई साहब फरमाते हैं कि दंगा रोकने के लिए गृह मंत्रालय से उन्होंने जो फोर्स मांगी, वह फोर्स उपलब्ध नहीं करायी गयी। उस समय दिल्ली में पुलिस आयुक्त श्री टंडन थे।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अपराह्न 1.01 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आयोग ने उनको भी कटघरे में खड़े करने का काम किया है। लेकिन टंडन साहब ने कहा कि मुझे मेरे अधिनस्थ सही स्थिति नहीं बता रहे थे। यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बंसल साहब जी बोल रहे थे। सही मायनों में जो लोग प्रभावित हुए, वे जिस तरह की रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, जिस तरह के अपराध पंजीकृत करना चाहते थे, उस तरह के अपराध पंजीकृत नहीं हुए। दिल्ली कैंट इलाके में सबसे अधिक 340 सिख मारे गये थे। पुलिस ने एक साधारण तरीके से उसकी रिपोर्ट लिख ली। पीड़ित लोग नाम बोलते रहे कि अमुक-अमुक लोग हमें मारने में शामिल हैं लेकिन पुलिस ने एफ०आई०आर० में, प्राथमिकी में उन लोगों के नाम दर्ज नहीं किये। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित पक्ष के लोग जिस तरह के अपराध पंजीकृत कराना चाहते थे, उस तरह के अपराध पंजीकृत ही नहीं हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ति कपूर द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है, वह एक तरह से समाज शास्त्र का विश्लेषण है। उन्होंने कहा है कि दंगों की चूक के लिए जिन 72 पुलिस अधिकारियों पर अभियोग लगाये गये, उनमें से छः गृह मंत्रालय के अनुशासनिक पदाधिकारी से संबंधित थे, 14 मुख्य सचिव उपराज्यपाल से संबंधित थे और शेष 52 अधिकारी पुलिस के अनुशासनिक पदाधिकारी से संबंधित थे। अब 72 अधिकारियों में से 13 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये तथा कार्यवाही शुरू होने से पहले ही तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। 12 अधिकारियों को बरी कर दिया गया। एक मामले में विवादित कार्यवाही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रद्द कर दी गयी। एक मामले में पैंशन कम कर दी गयी तथा तीन मामले अदालत में लंबित हैं। जहां हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया हो और उसमें 72 अधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेदार हों, तो क्या यह उनको बचाने का काम नहीं है, उनको संरक्षण देने का काम नहीं है? हमने मन ही नहीं बनाया कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये। जहां तक शेष 39 राजपत्रित पदाधिकारियों का संबंध है, तो उसमें से 33 अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गयी। इनमें 32 अधिकारियों को बरी कर दिया गया और दो अधिकारियों की निंदा की गयी तथा एक अधिकारी को चेतावनी देकर छुट्टी दे दी।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जांच के नाम पर, दंड के नाम पर टालमटोल करने का काम किया गया। अभी जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में पेश हुई, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नानावती साहब ने उस पर कोई प्रतिक्रिया करने से मना कर दिया। लेकिन कमेटी रिपोर्ट पेश होने से चार दिन पहले नानावती साहब ने फरमाया कि दंगों की पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव एवं जनरल वैद्य की थी। उनका कहना यह है कि गृह मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव मौन बने रहे और सेना काफी विलंब से वहां भेजी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस रिपोर्ट की जो भाषा है, वह संदेह पैदा करती है।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ 116 में है कि आयोग को यह निष्कर्ष रिकार्ड करना सुरक्षित लगता है कि जगदीश टाईटलर के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं कि संभावतः सिखों पर हमला करने में उनका हाथ था। अतः सरकार इस पहलू की जांच करवाने के बाद, जैसा जरूरी हो, आयोग की आगे कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। सरकार की तरफ से कहा गया है, संभावना के आधार पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। सही मायने में इस कमीशन की जो रिपोर्ट है, वही कंफ्यूजन क्रिएट करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह मान लिया जाए कि जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आए, अगर वे निर्दोष थे तो मेहरबानी करके माननीय प्रधानमंत्री जी यह बताने की जरूर कृपा करें कि आखिर दोषी कौन है? दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में लोग मारे गये और मारने वाले लोग भी दिल्ली के थे। यह कोई बोफोर्स की जांच नहीं है, यह दिल्ली की जांच है। अब मैं यह नहीं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से तथ्यों का पता लगाया जाता तब कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह दंगा हुआ तो क्या स्थिति थी? इस दंगे के समय ज्ञानी जैल सिंह, जो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनसे मिलने श्री इन्द्र कुमार गुजराल, श्री कुलदीप नैयर, चौधरी चरण सिंह और श्री कपूरी ठाकुर गये और जितने लोगों ने उनसे मुलाकात की, उस समय ज्ञानी जैल सिंह एक राष्ट्रपति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। वे अपने को असहाय महसूस कर रहे थे, देश के जो गृह मंत्री थे, वे भाव शून्य थे और लगभग मौन थे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे हमेशा ही भावशून्य रहते थे।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है, इसके पेज 17 पर श्री राम विलास पासवान, गवाह संख्या 135, उनका साक्ष्य है। उनके घर से भी एक सिख को जबर्दस्ती खींचकर मारा गया। उसमें राम विलास पासवान जी ने भी कहा है कि वहां पास में कांग्रेस

पार्टी का दफ्तर था। वहां से लोग आए थे और मुझे बताया गया कि वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह नरूला ने अपने शपथ-पत्र में कहा है और यह इस रिपोर्ट के पेज 96 में है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच के दौरान वेद मरवाह द्वारा तैयार किये गये हस्तलिखित नोट उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर नष्ट कर दिये गये। इस प्रकार साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग नष्ट कर दिया गया। इससे पता चलता है कि किसके इशारे पर उन कार्मियों के अपराध के आपत्तिजनक कारनामे दर्ज किये थे। यह नरूला साहब का साक्ष्य पेज नम्बर 102 में है। श्री गोविन्द नरायण – साक्ष्य नम्बर 150 और श्री सज्जन कुमार पर जो आरोप लगे, उसके जवाब में श्री सज्जन कुमार ने इनके खिलाफ केहर सिंह द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया है। लेकिन केहर सिंह ने बताया कि दिनांक 1.11.1984 को जब वह प्रात: काल दुकान पर जा रहे थे, तो मंगोलपुरी कांग्रेस कार्यालय पर भीड़ जमा थी जिसे सज्जन कुमार द्वारा भाषण देते हुए उकसाया जा रहा था कि इस इलाके का कोई सिख जिंदा नहीं रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ये इस तरह के साक्ष्य थे। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि साक्ष्य नं० 188 – श्री बी०पी० मारवाह जो उस समय सी०आई०डी० के अपर आयुक्त थे और जिन्हें जांच दी गई थी तो उनके जिम्मे दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच थी और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि दिल्ली पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हुई। जब वह उसका निष्कर्ष निकालने ही वाले थे, तभी कह दिया गया कि इस जांच को बंद कर दो। इसलिए हमारा आरोप है कि इस जांच को प्रभावित करने का कहीं न कहीं मैनीपुलेशन हुआ है और मेरा आरोप है कि दंगाइयों को बचाने का काम किया गया है जिसकी वजह से उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में तमाम धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, परस्पर सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता और पूरे समाज में सद्भाव हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जब हम कुछ वर्गों की नीयत पर शक करना शुरू कर दें, अनावश्यक रूप से दो वर्गों में झगड़ा हो जाए या कोई एक व्यक्ति झगड़ा शुरू कर दे और उसकी वजह से हम किसी वर्ग विशेष को गुनाहगार बनाने पर लग जाएं, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर यह हिन्दुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। साम्प्रदायिक तत्वों ने जहां-जहां नंगा नाच किया चाहे वह दिल्ली में सिखों को मारने का काम हो या गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में आर०एस०एस०, बजरंग दल और विश्व हिन्दु परिषद द्वारा जो नंगा नाच किया गया, दोनों एक जैसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं। गुजरात में जो कुछ हुआ, वहां जिस तरह से अकलियत के लोगों को चुन-चुनकर मारा गया, वह कोई दंगा नहीं था। गोधरा की घटना के बाद, जिन-जिन हल्कों में मुसलमान रहते थे, उनको चुन-चुनकर मारने का काम किया गया। उस समय मोदी जी के आचरण और इन्दिरा जी की हत्या के बाद किए कांगेस के लोगों के आचरण में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। आज गृह मंत्री जी का बयान छपा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी, आप इसमें जितना ज्यादा विलम्ब करेंगे, यह मामला आपके लिए उतना ही ज्यादा कष्टदायी होता जाएगा। टाइटलर को अगर आप सभी सरकार से विदा कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था। सज्जन कुमार जी के खिलाफ जो मुकदमे हैं, उनको फिर से रीओपेन करना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

महोदय, पीड़ित लोगों का पक्ष बराबर अखबारों में छपता रहता है। उनमें से तमाम लोग बेघर हो गए, लगभग दो हजार महिलाएं विधवा हुईं, उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो ए०टी०आर० है, इसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। यह ए०टी०आर० को रद्द करते हुए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि सिखों पर हमला करने वाले कातिल लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्यवाही करेगी।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई विद्वान साथियों ने अपने विचार यहां रखे हैं। वर्ष 1984 के दंगे सही मायने में नरसंहार थे, उसकी जितनी भी निन्दा और भर्त्सना की जाए, कम है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इसकी निन्दा करते हुए सदन में बोलने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना भारत के माथे पर काला धब्बा है, कलंक है। इतिहास की इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम ही होगी। जो हालात 1981 से 1984 के बीच देश में थे, उससे हम और आप सभी वाकिफ हैं। जब आपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इस देश में एक वर्ग ऐसा था, जो आहत था। सिखों की भावनाओं पर चोट लगी थी और एक ऐसा भी तबका था, जो तालियां पीट रहा था। देश में बहुत कम लोग थे, जो आपरेशन ब्लू स्टार की धारा के खिलाफ बोल रहे थे। देश में एक नेता चन्द्रशेखर जी थे, जिन्होंने खड़े होकर आपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ बात की थी। उस वक्त उन्हें निंदा सहनी पड़ी थी और गालियां सहनी पड़ी थीं। लेकिन बाद की घटनाओं ने साबित किया कि स्थिति दिन-ब-दिन

[श्री विजय कृष्ण]

बदतर होती गई और हालात खराब हो गए। यहां तक हालात पहुंच गए कि देश की सर्वोच्च नेता, नेहरू परिवार की मुखिया, जिस नेहरू परिवार ने राष्ट्र के लिए बहुत किया, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश की सर्वोच्च नेता की हत्या हुई, जो उसे नेहरू खानदान से थीं, जिसने देश के लिए, उनकी कांग्रेस पार्टी ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस देश में कांग्रेस का इतिहास त्याग, बलिदान और कुर्बानी का रहा है। लेकिन जिन परिस्थितियों में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसकी परिस्थिति 1981 से लेकर 1984 तक थी।

सिखों के इतिहास पर जब आप नजर डालेंगे, तो भारत के इतिहास के साथ उसे जोड़ना नहीं भूलेंगे। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर आज तक त्याग, बलिदान और कुर्बानी का इतिहास सिखों का रहा है। आपने जो बात ब्लू स्टार आपरेशन के समय की थी, आप भूल गए थे कि एक चार अहमद शाह अब्दाली का दमन चक्र अमृतसर में घूमा था और चार हजार से अधिक सिखों का बलिदान हुआ था। उस वक्त आपने भावनाओं की सौदागरी करने का काम किया था। आज भी कई लोग वही कर रहे हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी तरफ का हो, उनकी तरफ का हो या इनकी तरफ का हो, नरसंहार गोधरा का हो या दिल्ली का हो, सबकी तरफ हमारी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि कानून का राज है। यह रूल आफ ला है।

प्रधानमंत्री जी यहां हैं। मैं यू०पी०ए० की मुखिया सोनिया जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सिख समुदाय से आए हुए व्यक्ति को, अल्पसंख्यक को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन आज भी संदेह की निगाह पाटिल साहब आप पर भी डाली जा रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट पर आपने कार्रवाई करनी है। हमारे देश में अटल जी जैसा नेता भी है, जिनका एक स्टेटस है। मैं एक बात उनसे भी कहना चाहता हूं जब गोधरा में नरसंहार हुआ था, तो उस नरसंहार के जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए आप जैसे नेता बोलने लगेंगे, तो फिर हम क्या समझेंगे। गोधरा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या हुई, पूरे गुजरात में यह आग फैली। यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, संविधान द्वारा गठित राज्य सरकार द्वारा पोषित घटना थी। एक नरसंहार था, जिसके पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा आदमी और एन०डी०ए० के लोग खड़े होते हों, तो यह एक अजीब बात लगती है। आज ये नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। आज वे सिखों के घावों पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, सिखों की भावना से जुड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भावनाओं की सौदागरी न करें, क्योंकि इससे कटुता बढ़ती है, वैमनस्य बढ़ता है और परेशानी बढ़ती है। इससे टेंशन भी बढ़ती है। इससे हमें और आपको मुक्त रहना चाहिए। राजीव जी ने उस समय प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, जिसकी चर्चा अभी बंसल जी ने की थी। एक अच्छा काम हुआ था और वातावरण को ठीक बनाने के लिए उस वक्त उनकी बड़ी भूमिका रही। जिस परिवार में मां मर गयी हो और उसका बेटा गलियों में लोगों की भावनाओं को समेटने में लगा हो कि ऐसी घटना दुबारा न हो, यह बहुत साहस का काम होता है और राजीव जी ने उन दिनों साहस का ही काम किया था।

माननीय बंसल जी चंडीगढ़ से आते हैं, विद्वान साथी हैं और मैं उनका आदर करता हूं। जब वे बोल रहे थे तो कह रहे थे कि अकाली दल के लोग एफ०आई०आर० नहीं करवा रहे थे। मैं कांग्रेस के माननीय साथी से जानना चाहता हूं कि एफ०आई०आर० करने का काम क्या कोई पार्टी कराती है? एफ०आई०आर० दर्ज करवाने का काम पीड़ित करता है और यही कानून की व्यवस्था है। आप जैसे विद्वान आदमी जब ऐसी बात कहेंगे तो हमारे जैसे साधारण आदमी को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जैसे लोग जब बात कहते हैं तो उन्हें बहुत संभलकर बात कहनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप कानून के ज्ञाता हैं और माननीय कपिल सिब्बल जैसे एक से एक कानून के ज्ञाता आपके साथ हैं, फिर भी जो बात आपके द्वारा कही गयी है। उचित नहीं है। देश में कानून का राज चलना चाहिए और कानून की नजर में सब बराबर हैं, यह दिखना भी चाहिए। जहां पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता हो, वहां पर मुकदमा चलाया भी जाना चाहिए। जिनके खिलाफ साक्ष्य हैं, जनता में मैसेज यह जाना चाहिए कि जिस तरह से गोधरा कांड पर हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं कि गोधरा मामले से संबंधित लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों के साथ अन्याय हुआ है और एन०डी०ए० की सरकार ने उनको संरक्षण देने का काम किया है। मैसेज यह जाना चाहिए कि जहां उंगली उठ रही है, वहां सजा होनी चाहिए और यू०पी०ए० की सरकार में पारदर्शिता होनी चाहिए, साफ बात नजर आनी चाहिए और अगर बात साफ नजर नहीं आती है तो जिन सिखों के हम बलिदान, त्याग की बात करते हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हम यू०पी०ए० की चेयर-पर्सन, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि ए०टी०आर० की कमियों को दुरुस्त किया जाए। ए०टी०आर० में आपने 70 करोड़ रुपये के मुआवजे की बात कही है, जोकि बहुत ही कम है और इसमें एकरूपता भी नहीं है। कमीशन ने आपको बताया कि मुआवजे में एकरूपता होनी चाहिए। आप बताएं कि आप कौन सी एकरूपता लाना चाहते हैं।

अभी हमारे माननीय रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि उजड़े हुए परिवारों को कोई राहत नहीं मिली है, कोई मकान नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजे की राशि में एकरूपता नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आपसे मांग करता है कि इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें नौकरी एक-दो या तीन महीने में मिल जाएगी।

यहां पर रंगनाथ समिति व तारकुंडे समिति की रिपोर्ट की बात आई। मैं समझता हूं कि राहत के लिए सरकार में इच्छा-शक्ति होनी चाहिए कि हम क्या देना चाहते हैं, क्या दिखना चाहते हैं और हम एन०डी०ए० से अलग कैसे हैं और साथ ही हम तुरंत पीड़ित परिवारों के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार नियमों को शिथिल करके अनाथ बच्चों को नौकरी देने का काम तुरंत करे और यह भी सुनिश्चित करे कि नरसंहार पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा मिलेगा।

पेज 138 पर आयोग की सिफारिश है कि सेना को बुलाने में विलम्ब के संबंध में न्यायमूर्ति मिश्रा द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों से आयोग सहमत है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि एक स्वतंत्र पुलिस बल बनाया जाए जो राजनैतिक प्रभावों से मुक्त हो। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि एक स्वतंत्र पुलिस बल बनाया जाए जो राजनीतिक प्रभावों से मुक्त हो। मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस बल स्वतंत्र बने, राजनीतिक प्रभावों से मुक्त हो, इसके लिए आप कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं? क्या इस विषय में नियम, कानून और प्रावधान बनाए जा सकते हैं और किन विद्वानों की राय ली जा सकती है? इस दिशा में शीघ्र पहल की जानी चाहिए और पहल करके इन बातों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है और मेरे बहुत से साथियों ने भी इस संबंध में कहा है लेकिन मैं समझता हूं कि यह नरसंहार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के इतिहास में एक काला धब्बा और कलंक है। अगर हम इस कलंक को धोना चाहते हैं तो हमें मजबूती से आगे आना पड़ेगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। कांग्रेस ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। अनेक उतार-चढ़ाव देखने के बाद कांग्रेस इस मुकाम पर पहुंची है। मैं कांग्रेस की नेत्री और यू०पी०ए० की मुखिया से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, इस विषय में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा न लगे कि हम सिर्फ एक्शन करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा लगे कि यह एक्शन लिया जा रहा है, यह दिखना चाहिए। यदि ऐसा किसी को नहीं दिख रहा है और किसी को ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, यह न कांग्रेस के हित में है, न यू०पी०ए० के हित में, न हमारे हित में है, न किसी के हित में है। दंगाई कोई भी हो, नरसंहार का दोषी कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, उसका कॉलर ठीक से पकड़कर, नैक ठीक से पकड़कर के नियम-कानूनों के हिसाब से उसे कानून के सुपुर्द करना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए तथा देश को यह संदेश देना चाहिए कि यू०पी०ए० की गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, जो नीति और कानूनों के हिसाब से चल रही है। गुजरात में जो घटनाएं घटी हैं तथा उनके बचाव में जो लोग खड़े हैं, उनको जनता ने सजा दी है, फिर सजा देंगे। इसलिए यह बात को दोहराया नहीं जाना चाहिए आटर मजबूती के साथ जो सिख भाइयों के साथ जुल्म हुआ है, कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, घृणित काम हुआ है उसकी निंदा करते हुए अपनी पार्टी की ओर से फिर सरकार को आग्रह करूंगा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट की कमियों को दूर करते हुए जो पीड़ित और प्रताड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अक्टूबर 31, 1984 को जो देश के अंदर दंगे हुए, ये दंगे केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुए थे जिसमें तीन हजार से ज्यादा सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था। इन दंगों के बारे में या कत्लेआम के बारे में तीन बातों पर आम सहमति है।

पहली बात तो यह है कि उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, इन दंगों में कांग्रेस से जुड़े लोग पूरे देश के अंदर शामिल थे। इसमें सभी लोगों की आम सहमति है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : दूसरी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन ने सिखों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन या नानावती कमीशन की रिपोर्ट हो, यह दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन ने सिखों की रक्षा करने में कोई कार्यवाही नहीं की।

तीसरी बात यह है कि उस नरसंहार के पीछे गलत इरादे थे। एक डिजाइन था, जिसके द्वारा आर्मी को बुलाने में जान-बूझ कर देरी की गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के अंदर इतना बड़ा कत्लेआम हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कत्लेआम हुआ, यह एक मानसिकता का परिचायक है। इसलिए अगर सत्ताधारी दल

[श्री सुशील कुमार मोदी]

के लोग यह कहते हैं कि यह हत्या के बाद उपजा आक्रोश था, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि इस कत्लेआम के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में पूरे देश के अंदर सिखों के खिलाफ घृणा का भाव पैदा किया गया। उस समय जो सत्ताधारी दल था उसने किस तरह वोटों को एकत्र किया कि अमेठी में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां दीवारों पर लिखा था "बेटी है सरदार की देश के गद्दार की"। मैं पूछना चहता हूं कि ऐसा नारा लिखने वाले कौन लोग थे।

इस तरह के नारे लिखने वलो कौन लोग थे, ये नारे क्यों लिखे गए "सरदारों की बेटी, गद्दारों की बेटी।" उपाध्यक्ष महोदय, हमें अभी तक स्मरण है, उस समय जब लोक सभा के चुनाव हुए, उसमें जो पोस्टर्स लगाए गए, जो अखबार में विज्ञापन दिए गए, मुझे वे अभी तक याद हैं, जो हमारे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रकाशित विज्ञापन थे, उसमें एक टैक्सी दिखायी गई। उसमें खालसा पंथ को मानने वाला एक ड्राइवर है, अंग्रेजी में लिखा था "क्या आप दूसरे राज्य के ड्राइवर पर विश्वास करेंगे?" यह किस बात का परिचायक है? यह केवल आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि जो माईंड सैट था, उसमें जो मानसिकता थी, उसका परिचायक था। उसके बाद जो लोक सभा के चुनाव हुए उसमें 410 सीटें कांग्रेस को मिली थीं और भारतीय जनता पार्टी को केवल दो सीटें मिली थीं। हम को दो सीटें इसलिए आईं कि भारतीय जनता पार्टी और आर०एस०एस० सिखों के पक्ष में खड़ी थी। श्री खुशवंत सिंह जी सैकुलर राइटर माने जाते हैं ...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री मोदी के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : जो बी०जे०पी० के समर्थक नहीं रहे हैं उन्होंने लेख लिखा और कहा कि दिल्ली में जब सिखों का कत्ले-आम किया जा रहा था तो आर०आर०एस० के लोगों ने सिखों को बचाने का काम किया, उनको घरों में संरक्षण देने का काम किया। उसी का परिणाम था, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली क्षेत्र से ...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था, कह दिया है। अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय श्री खुशवंत सिंह ने खुल कर आर०एस०एस० का साथ दिया जबकि वह जीवन भर बी०जे०पी० के विरोधी रहे। उसका परिणाम बी०जे०पी० को भुगतना पड़ा और उसकी दो सीटें घट गईं। देश के अल्पसंख्यक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समुदाय, सिख समुदाय की रक्षा के लिए बी०जे०पी० ने जो कुछ करना संभव था, वह करके दिखाया।

जो रंगनाथन कमीशन बना था, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा और गृह मंत्री बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि 6 महीने के बाद रंगनाथन कमीशन क्यों बना? दंगे 31 अक्तूबर 1984 को हुए। 6 महीने के बाद जब लोक सभा में इस विषय को लेकर हंगामा हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ तो 6 महीने के बाद रंगनाथन कमीशन का गठन किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि जिस रंगनाथन मिश्रा जिनकी यह रिपोर्ट है, उनको राज्य सभा का सदस्य क्यों बनाया गया? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। नहीं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा। स्पीकर आपकी पार्टी का ही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, कृपया बैठ जाएं। श्री जय प्रकाश जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास में सिखों का योगदान है। उसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। मैं सदन के स्मरण करना चाहूंगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन की गुरुद्वारा शीश गंज में उतार दिया गया और उनके चारों पुत्र बलिदान हो गए। श्री गुरू गोबिंद सिंह साहब के पास उनके हजारों शिष्य बैठे हुए थे, हजारों शिष्य सामने थे उनमें से किसी ने कहा कि आपके चारों पुत्रों का बलिदान हो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि ये जो सामने शिष्य बैठे हैं, इन पुत्रों लिए मैंने अपने चारों पुत्रों का बलिदान किया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा "इन पुत्र के सीस पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हज़ार" जिसका अर्थ है चार बलिदान हो गए तो क्या हुआ, यहां तो मेरे पुत्रों के समान हजारों शिष्य बैठे हैं। लेकिनसिख परंपरा के लोगों का 31 अक्तूबर के बाद कत्लेआम किया गया। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसके अंदर मुझे इस बात का दुःख है कि इक्कीस वर्षों बाद जब नानावती कमीशन ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के नामों का उल्लेख किया है तो प्रोबेबल की बात कहते हैं। मैं आपको कोट करना चाहता हूं कि पेज सं० 151, जिसमें नानावती कमीशन कहता कि :

"आयोग को ऐसा भी लगता है कि श्री जगदीश टाइटलर ..."

जिसमें चार-पांच लोगों का नाम है :

"... इस क्षेत्र में सिक्खों पर हमले तथा उनकी सम्पत्ति की लूट में सभी कांग्रेसी (आई) के नेता या कार्यकर्त्ता किसी न किसी रूप में लिप्त थे।"

[हिन्दी]

उन्होंने केवल प्रोबेबल की बात नहीं कही है। नानावती कमीशन कहता है कि इस क्षेत्र में सिक्खों पर हमले या उनकी सम्पत्ति की लूट में श्री जगदीश टाइटलर किसी रूप में लिप्त थे। इतना ही नहीं सुरेन्द्र सिंह, जो विटनेस सं० 147 हैं, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

"आयोग सोचता है कि इस निष्कर्ष को लिपिबद्ध करना सुरक्षित होगा कि श्री जगदीश टाइटलर के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य है और इस बात की काफी संभावना है कि सिक्खों पर हमले को संगठित करने में उनका हाथ था।"

[हिन्दी]

आपने कहा है कि सिर्फ संभावना के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह सरकार सदन को गुमराह कर रही है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण दिए गए हैं कि श्री जगदीश टाइटलर, जो सरकार में मंत्री हैं, उनकी भूमिका है। सुरेंद्र सिंह, विटनेस सं० 147, जो आजाद मार्किट के पास पुलबंगश गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी हैं, उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"दिनांक 11.11.84 को पूर्वाह्न 9 बजे गुरुद्वारा पर हमले का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस भीड़ ने गुरुद्वारा पर हमला

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार मोदी]

किया था उसका नेतृत्व श्री जगदीश टाइटलर कर रहे थे जो उस समय इस क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य थे।''

[हिन्दी]

और आप कह रहे हैं कि केवल संभावना के आधार पर कैसे उनको हटाया जा सकता है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट में सुरेंद्र सिंह नाम का गवाह नं० 147 स्पष्ट कहता है कि मैंने देखा कि जो श्री जगदीश टाइटलर हैं–

[अनुवाद]

उन्होंने कहा है कि श्री जगदीश टाइटलर ने गुरुद्वारा में आग लगाने तथा सिक्खों की हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाया।

[हिन्दी]

इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। आगे वह कहता है कि :

[अनुवाद]

''उसने यह भी कहा कि 10.11.84 को श्री जगदीश टाइटलर ने उनसे संपर्क किया और उससे दो कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा।''

[हिन्दी]

दो सादे कागज पर जगदीश टाइटलर ने 1.10.1984 को सुरेंद्र सिंह से हस्ताक्षर करवाए, यह नानावती कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा है। आप कहते हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, केवल संभावना के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आगे नानावती रिपोर्ट में लिखा है कि :

[अनुवाद]

''इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि बाद का शपथ-पत्र संभवत:ठ समझा-बुझाकर और दबाव डालकर लिखवाया गया।''

[हिन्दी]

कमीशन कहता है कि जो दूसरा एफिडेविट किया गया वह दबाव में किया गया, यह नानावती की रिपोर्ट का हिस्सा है। एक और गवाह है, श्री जसबीर सिंह, जो कहता है कि उन्होंने देखा है कि श्री जगदीश टाइटलर कार से आए–

[अनुवाद]

''उसने उन लोगों को फटकार लगाई जो लोग वहां खड़े थे और कहा कि उसके निर्देशों को इमानदारी से अनुपालन नहीं हुआ और इस कारण उसकी स्थिति कमजोर हुई और केन्द्रीय नेताओं की नजर में मैं गिर गया।''

[हिन्दी]

मेरे क्षेत्र में जितनी कार्रवाई करनी थी, नहीं की, इसके कारण केंद्रीय नेताओं की निगाह में मैं गिर गया हूं।'' आगे कहा गया है–

[अनुवाद]

''उसके द्वारा अभिकथित है कि उन्होंने आगे कहा कि पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली आदि जगहों की तुलना में उनके चुनाव क्षेत्र में केवल नाम-मात्र की हत्याएं हुई और भविष्य में उनके लिए दावा करना मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या का वादा किया था।''

उपाध्यक्ष महोदय, यह जसबीर सिंह का बयान है जो नानावती कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा है। उन्होंने नागरिक समिति की मदद की थी। उसने कहा :

''साक्ष्यों ने सिख विरोधी दंगों में श्री एच०के०एल० भगत, श्री सज्जन कुमार और श्री जगदीश टाइटलर की भागीदारी के बारे में समिति को बताया है। इन सभी साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए आयोग समझता है कि इस निष्कर्ष को अभिलेख-बृद्ध करना सुरक्षित होगा कि जगदीश टाइटलर के विरुद्ध विश्वसनीयता साक्ष्य है और इस बात की काफी संभावना है कि सिखों पर हमले को संगठित करने में उनका हाथ था।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट की उन चार लाइनों को निकालकर कह दिया कि यह आउट ऑफ कन्टेक्सट है और सरकार कहती है कि केवल संभावनाओं के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है लेकिन रिपोर्ट के पूरे के पूरे पन्ने रंगे हुये हैं। नानावती रिपोर्ट में उन गवाहों का जिक्र किया गया है जिन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि श्री जगदीश टाईटलर के निर्देश पर हमला किया गया और सारी घटना घटी। इसी प्रकार श्री सज्जन कुमार, जो कांग्रेस पार्टी के इस सदन के सदस्य हैं, उनके खिलाफ इतने प्रमाण हैं परन्तु क्या पार्टी ने उन्हें निलम्बित किया, पार्टी से निष्कासित किया। इसलिये मामला केवल श्री टाईटलर को मंत्री पद से हटाने का नहीं है। श्री सज्जन कुमार के खिलाफ तो रिपोर्ट में पन्ने ही रंगे हुये हैं।

[अनुवाद]

"इसलिए आयोग सरकार से यह सिफारिश करता है कि वह केवल उन मामलों की जांच करे जिसमें साक्ष्यों ने श्री सज्जन कुमार पर विशेष रूप से अभियोग लगाया है और अभी तक उनके विरुद्ध कोई अभियोग-पत्र भी दर्ज नहीं किया गया है तथा इन मामलों को गुम मामलों के रूप में खारिज कर दिया गया और यदि इसमें कोई औचित्य है तो कानून में यथा अनुमेय इस पर आगे कार्रवाई की जाए।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोदी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगले वक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां गोधरा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोदी के भाषण के अतिरिक्त और किसी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोदी के भाषण के अतिरिक्त किसी अन्य का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री जय प्रकाश आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको मेरी अंतिम चेतावनी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको मेरी अंतिम चेतावनी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सज्जन कुमार के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट में 7 एफ०आई०आर० का जिक्र किया गया है। ए०टी०आर० में यह कहा गया है :

[अनुवाद]

"इसलिए, इस मामले को पुन: खोलना उचित नहीं होगा।"

यानी श्री सज्जन कुमार के बारे में कहा गया कि एविडैंस के आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज की जाये और ए०टी०आर० में लिखा हुआ है :

"इसलिए, इस मामले को पुन: खोलना उचित नहीं होगा।"

प्राथमिकी 307/94 में लिखा है :

"इन परिस्थितियों के अंतर्गत इस मामले को पुन: खोलना उचित नहीं होगा। इस मुकदमे को पुन: खोलने का कोई औचित्य नहीं है।"

[हिन्दी]

श्री टाईटलर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे और श्री सज्जन कुमार जिनके बारे में स्पैसिफिक आरोप है कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ आगे कार्यवाही करने का जस्टिफिकेशन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर जितने भी दंगे हुए, उन दंगों के पीछे कौन लोग थे, 45 साल तक जिन लोगों ने देश पर राज किया, वे लोग उन दंगों के पीछे थे। हमारे राज्य बिहार में भी दंगे हुए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"अधिकांश दंगों के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। श्री राजीव गांधी हरिजनों और मुसलमानों की सुरक्षा करने में असफल रहे। कांग्रेस और श्री राजीव गांधी के समय में देश की भौगोलिक सीमाएं खतरे में पड़ गई।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बयान मेरा नहीं है, माननीय रेल मंत्री, लालू प्रसाद जी यहां बैठे हुए हैं, 29 दिसम्बर, 1989 को भागलपुर दंगे के बाद इसी लोक सभा में भाषण करते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने कहा—कांग्रेस ने ही अधिकांश दंगों की योजना बनाई थी। लालू प्रसाद जी यह अपका बयान है। *(व्यवधान)* यह प्रोसीडिंग का कागज है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार मोदी]

उस समय श्री वी०पी० सिंह, प्रधानमंत्री थे और श्री राजीव गांधी विरोधी दल के नेता थे। ...*(व्यवधान)* उस समय भाजपा का पक्ष लेते हुए लालू जी ने कहा–

[अनुवाद]

"मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागलपुर में दो तरह के मुसलमानों, एक अंसारी तथा दूसरे सोल्लन, ने शहर में दंगा शुरू किया था। भागलपुर के पुलिस अधीक्षक पर बम फेंका गया और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए।"

[हिन्दी]

यह जो बयान है ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आडवाणी जी ने भड़काया था। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि यह लोक सभा का बयान है, लेकिन नानावती में इसे कहां से ले जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी : यह लोक सभा में आपकी स्पीच है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : यह असत्य बोलते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह लोक सभा में आपकी स्पीच है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार मोदी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : जो देश में दंगे हुए, इस सदन में बैठे हुए लोग आज जो बयान दे रहे हैं, बीस साल पहले इनका क्या बयान था। भागलपुर का दंगा भी इसी प्रकार का दंगा था, जब कांग्रेस के राज में एक हजार मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, जिस समय मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उस समय आपने क्या कहा था–

[अनुवाद]

"बिहार की वास्तविक स्थिति को आप समझ रहे हैं। श्री शिव चन्द्र झा अध्यक्ष थे जो अन्य कांग्रेसी नेता श्री भागवत झा आज़ाद के कट्टर विरोधी थे। यह दंगे उनके और उनके कुछ समर्थकों के कारण भड़का था। इन दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ था।"

[हिन्दी]

भागलपुर दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ था। यह आरोप लगाने वाले भाजपा के लोग नहीं है, माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी इसी सदन में बैठे हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया था। इतना ही नहीं बिहार के अंदर जिस समय हजारीबाग में दंगा हुआ, श्री सतेन्द्र बाबू वहां के मुख्यमंत्री थे। माननीय रेल मंत्री ने भाषण किया कि हजारीबाग में दंगा इसलिए हुआ, मैं दो लाइनें पढ़ देता हूं–

[अनुवाद]

"श्री राजीव गांधी अपनी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी के साथ वैशाली उत्सवों में भाग लेने के लिए गए थे। वे बुलेट-प्रूफ वस्त्र पहन कर गए थे। श्री राजीव गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी से कहा था कि समारोह देखने जाते समय वे स्वयं जीप चलाकर जाएंगे।"

[हिन्दी]

यह लालू जी का बयान है। पटना से 60 किलोमीटर दूर श्री राजीव गांधी ड्राइव करते हुए सोनिया जी को लेकर गये और सारे बिहार की पुलिस को हजारीबाग, रांची से वैशाली बुला लिया गया, इसी कारण से वहां दंगा भड़का और पांच दिन तक पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाई। ...*(व्यवधान)* यह बयान है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : जिन लोगों ने पचास साल तक इस देश पर राज किया, उनकी क्या मानसिकता है। ...*(व्यवधान)* बिहार के बहेरा में जब दंगा हुआ और कई लोग मारे गये तो कहा गया–

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

एक हजार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहेरा में बुलाया गया और उन्हें टोपी पहनने को कहा गया जिस पर यह नारा लिखा था–

[हिन्दी]

गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, की टोपी लगाने वाले भाजपा के लोग नहीं बल्कि कांगेस के लोग थे और यह बयान श्री लालू प्रसाद यादव जी का है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक सभा में दिया हुआ उनका बयान है। *(व्यवधान)* जो सिख विरोधी नरसंहार हुआ, उसमें कांग्रेस की भूमिका थी, उसमें कांग्रेस का हाथ था। केवल दिल्ली के सिख विरोधी दंगे नहीं *(व्यवधान)* और केवल आपने नहीं कहा, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री सत्येन्द्र बाबू की आत्मकथा प्रकाशित हुई– 'मेरी यादें मेरी भूलें।' उसमें वे कहते हैं कि भागलपुर का दंगा भड़काने के लिए मेरे कुछ राजनैतिक मित्र भागलपुर में मौजूद थे मगर स्थिति को काबू में लाने के प्रयास में योगदान देने के बजाय वे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिन्दू-मुस्लिम दंगे हों या सिख-विरोधी दंगे हों या सिखों पर अत्याचार हो, हर जगह कांग्रेस का हाथ आपको दिखाई पड़ेगा। समाज को इसी प्रकार विभाजित करके और बी०जे०पी० का भय दिखाकर कांग्रेस 50 सालों तक इस देश पर शासन करती रही। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : महोदय, वे संदर्भ से हटकर बोल रहे हैं *(व्यवधान)* वे दूसरों को उकसा रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोदी के भाषण के अतिरिक्त किसी अन्य का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं। रामविलास पासवान जी अभी बैठे नहीं हैं। उन्होंने नानावती कमीशन को हलफनामा दायर करके एक बयान दिया। वे कहते हैं कि किस तरह से उनकी आंखों के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक सिख को ज़िन्दा जलाया था। यह राम विलास पासवान का बयान है, सुशील कुमार मोदी का नहीं है। उस एफिडैविट में उन्होंने आगे कहा है कि – 'हत्यारी भीड़ युवक कांग्रेस दफ्तर से आई थी और एक सिख टैक्सी ड्राईवर को उनकी आंखों के आगे उनके घर के भीतर ज़िन्दा जलाया था।' वे आगे कहते हैं कि – 'गृह मंत्री के निजी सचिव के आश्वासन के बावजूद पुलिस तो नहीं पहुंची, पर युवक कांग्रेस दफ्तर के भीतर से भीड़ का बड़ा रेला आकर उनके घर में ज़बरन घुस गया ।' यह केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान कहते हैं कि सारी सूचना के बाद और गृह मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी उनके घर पर पुलिस नहीं पहुंची। ऐसी एक घटना नहीं है, पूरा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर एक जगदीश टाइटलर को बचाने की कोशिश की तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप कार्रवाई करके जनता में मैसेज दीजिए। जो 3000 लोग मारे गए, वे लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन आज उनकी और आम आदमी की भावना है कि इतना बड़ा दंगा हो गया, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिली। छोटे-मोटे कुछ लोगों को सज़ा मिली होगी, लेकिन जो राजनेता इस संगठित साजिश के पीछे थे, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनता के बीच विश्वास का माहौल पैदा नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अविलंब जगदीश टाइटलर को मंत्रिमंडल से निकाला जाए और कांग्रेस से जिन लोगों का नाम आया है, चाहे एच०के०एल० भगत हों, शास्त्री हों या सज्जन कुमार हों, अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है तो इन चारों लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। *(व्यवधान)* वह विषय जब आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आप तो गए नहीं वहां पर भाषण के लिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : भागलपुर दंगों को 11 साल हो गए, मगर उसमें जो लोग मारे गए थे, उनको अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला।

महोदय, अभी तक भागलपुर के मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। पन्द्रह साल आपकी सरकार बिहार में थी। आपने मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से मांग करता हूं कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मोशन की बहस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे सन् 1984 के वे दिन बहुत अच्छी तरह से याद हैं। उस समय मैं महारानी बाग में रहता था। मुझे सूचना मिली कि शायद 1 नवम्बर को हमारे यहां सिखों के तीन घर टार्गेटिड हैं। मेरे एक दोस्त श्री मुखिंदर सिंह वहां रहते थे, श्री सुखबीर सिंह और श्री डींडसा जी यहां बैठे हैं ये भी उन्हें जानते हैं। उनकी पत्नी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वह बैठ भी नहीं सकती थीं। मुझे सूचना मिली और कहा गया कि मैं इस बारे में कुछ करूं। वहां पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का भी घर था। मैंने कुछ फोन वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई। मुझे पता चला कि हमलावर 11 या 12 बजे के करीब आने वाले हैं। मैं जल्दी-जल्दी श्री मुखिंदर सिंह के घर गया और कहा कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा होगा और जल्दी अपने बचाव का इंतजाम कर लो। पता नहीं कौन लोग और कैसे लोग आएंगे। उनका एक पड़ोसी था, उसके घर पर हमने श्री मुखिंदर की पत्नी को शिफ्ट किया और बाकी सदस्यों को भी वहां भेज दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं 11 बजे वापिस अपने घर जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। इन लोगों के पास लाठियां और दूसरे किस्म के औजार थे। मैंने पिस्तौल किसी के पास नहीं देखी। उन्होंने पंजाब एंड सिंह बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का घर जलाया। इतनी देर में मैं श्री मुखिंदर के घर पहुंच गया और मैंने उन लोगों से विनती की कि ऐसा मत करिए। उस पर्टिकूलर क्राउड में कोई भी राजनेता नहीं था। कुछ नौजवान लड़के लाठियां और कैरोसीन तेल हाथ में ले कर घूम रहे थे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और हमें भी अपनी जान की फिक्र थी। श्री मुखिंदर का घर हमारे सामने जलाया गया और मैं समझता हूं कि ऐसा ही पूरी दिल्ली में भी हुआ होगा। लेकिन जो चर्चा आज सदन में हो रही है वह एक अजीब किस्म की चर्चा है। यह चर्चा इस आधार पर हो रही है कि क्या कोई एक राजनीतिक दल इसके लिए दोषी है। इस हिसाब से चर्चा नहीं हो रही कि एक हिन्दुस्तान के नागरिक की मृत्यु हुई है, चाहे वह सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, मृत्यु तो हिंदुस्तान के नागरिक की हुई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैंने आपको एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप क्यों मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.00 बजे

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिए, सभी इन्होंने यही कहा। *(व्यवधान)* यह बहुत दुख की बात है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न पहुंचाएं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : बाधा मत पहुंचाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य ने अभी कहा, उसे रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष जी, हमें यह विचार करना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि हमें आगे आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने हैं। यदि ऐसा कोई हादसा भविष्य में हो, तो हमें किस इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी को जांच के लिए देना चाहिए, यह बात इसमें लिखी है कि जांच होनी चाहिए, न कि कमीशन पर कमीशन बैठाने चाहिए।

[अनुवाद]

यह इस देश में वास्तविक संरचनात्मक सदस्या हैं। हो यह रहा है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस समय की सरकारें दंड प्रक्रिया संहिता का सहारा लेने की बजाय आयोगों का गठन करना शुरू कर देती हैं।

अब आयोगों के गठन से निम्नलिखित समस्याएं आती हैं :

"कि किसी भी आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी आयोग के पास जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी तो कोई जांच नहीं हो सकती और चूंकि कोई जांच नहीं हो सकती इसलिए सच कभी बाहर नहीं आता। इसलिए यह राजनैतिक दलों के बीच हमले और जवाबी हमले के लिए अच्छा आधार बन जाता है और इसे टालना चाहिए।"

हम आज यहां एक दल या दूसरे दल पर आरोप लगाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

मैं श्री सुखदेव सिंह ढींडसा साहब से यह जानना चाहता हूं कि गोधरा के बाद जब गुजरात में दंगे हुए, तो उन्होंने बी०जे०पी० से समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? *(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : हमने कंडैम किया था। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अगर ये अल्पसंख्यकों के इतने हितैषी हैं और अल्पसंख्यकों की पीड़ा से इन्हें इतना दुख है, तो इन्होंने उस समय सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिया, क्या इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्या नरेन्द्र मोदी किसी और पार्टी का है? ढींडसा साहब आप दुनिया को मत बताइए कि आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए है, तो वह यू०पी०ए० सरकार है। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : रिपोर्ट के पन्ने-पन्ने पर लिखा है। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अभी बहुत कुछ मैं बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ये मुझे बीच-बीच में टोक कर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री कपिल सिब्बल का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। उन्हें बाधा मत पहुंचाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठिए। बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री कपिल सिब्बल : मैं किसी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और मैं समझता हूं कि यह होना भी नहीं चाहिए,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

लेकिन दो-चार बातें, जो आडवाणी जी ने कहीं, उन पर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं दो चीजें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। पहली बात यह कही कि श्री राजीव गांधी किसी अपराध में शामिल नहीं थे। यह उनका निर्णय है, मेरा नहीं, दूसरी बात कही कि सर्वोच्च स्तर पर कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। और यह आडवाणी जी ने, अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा।

[अनुवाद]

पृष्ठ 182 पर ऊपर से पांचवी पंक्ति, नानावती आयोग के निष्कर्षों में कहा गया है :

"दूसरी ओर साक्ष्य से पता चलता है कि श्री राजीव गांधी ने दिल्ली में हो रही घटनाओं पर बड़ी चिंता प्रकट की थी।"

मैं यह नहीं कह रहा हूं; यह नानावती आयोग का कहना है।

"उन्होंने शांत बने रहने और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए अपील जारी की थी।"

उसके पश्चात् यह उद्धृत किया गया है :

"उन्होंने 1-11-84 को रात्रि में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।"

मैं आगे उद्धृत करना चाहता हूं। नानावती आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है :

"ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि श्री राजीव गांधी अथवा किसी अन्य उच्च पदस्थ कांग्रेस (आई) के नेता ने सिखों पर हमले की सलाह दी हो अथवा हमले आयोजित करायें हों।"

यह रिपोर्ट में है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : आगे पढ़िये। आगे का एक सेंटेंस पढ़िये। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : जब मैं पढ़ता हूं तो आपको इतनी पीड़ा क्यों होती है। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : प्लीज़, आगे वाला सेंटेंस पढ़िये। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आगे-आगे देखिये, होता है क्या। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका टर्न आयेगा, आप तब बोल लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : कृपया उससे आगे एक व्यक्य और पढ़िये। इसमें कहा गया है :

"जो भी कृत्य किए गए वे स्थानीय कांग्रेस (आई) नेताओं द्वारा किए गए और लगता है उन्होंने ऐसा अपने व्यक्तिगत राजनैतिक कारणों से किया ।"

श्री कपिल सिब्बल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह स्पष्ट है कि नानावती आयोग के निष्कर्ष दो हैं। वे बहुत स्पष्ट निष्कर्ष हैं। एक है कि श्री राजीव गांधी शामिल नहीं थे; यह कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च कार्यकर्ता न तो भड़काने में और न ही इसमें से किसी सिख दंगे को कराने में शामिल थे। इस सभा के सामने यह स्पष्ट होने दो। *(व्यवधान)* श्री ढींडसा कुछ अन्यथा कहना चाहते हैं *(व्यवधान)* दूसरे, नानावती आयोग ने क्या सिफारिश की है? मैं रिपोर्ट के पृष्ठ 183 से पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"तथापि आयोग सिफारिश करना चाहता है कि ऐसे दंगों पर नियंत्रण रखा जाए और एक स्वतंत्र पुलिस बल होना चाहिए जो राजनैतिक प्रभावों से मुक्त हो और जिसके पास तत्काल और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए पूर्ण अधिकार हों। यह भी आवश्यक है और इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि यदि दंगे बड़े पैमाने पर होते हैं और यदि पुलिस हरेक अपराध को अलग-अलग उसी समय दर्ज नहीं कर पाती जब उनकी सूचना मिलती है तो सरकार को उसके पश्चात् यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि सभी शिकायतें समुचित रूप से दर्ज की जाएं और यह कि उनकी जांच स्वतंत्र जांच अधिकारियों द्वारा की जाए।"

यही कहा गया है *(व्यवधान)*

इसीलिए, मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा ने इसे आज क्यों उठाया। जब उच्चतम न्यायालय गुजरात मामलों में कहा कि गुजरात में पुलिस बल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है और एक मामले को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया, तब तत्कालीन गृह मंत्री श्री आडवाणी ने सभी मामले महाराष्ट्र स्थानांतरित क्यों नहीं किए? *(व्यवधान)* दोहरे मानदंड क्यों अपनाएं जाते हैं? गुजरात में सम्पूर्ण मशीनरी एक कतिपय

राजनैतिक पार्टी के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी थीं ...(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने यही कहा था।

[हिन्दी]

कि बिहार क्यों कह रहे हैं, लेकिन अभी आप खुद बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) अभी मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, आप इनसे पूछिये न। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। कोई नियम नहीं है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस रूल के तहत पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं?

श्री लाल मुनी चौबे : यह हाउस ऑफ कामंस की व्यवस्था बहुत पहले से ही रही है और हाउस ऑफ कामंस की व्यवस्था के आधार पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि आधी शताब्दी से अधिक समय से भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी बतायें कि आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत है?

श्री लाल मुनी चौबे : सिब्बल साहब यह कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मुझे बोलने दीजिए, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब आप बैठ भी जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिब्बल साहब, आप बोलिये, प्लीज़।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : आप किसी भी पार्टी के चार ऐसे बड़े लीडर का नाम बताइए। क्या ये लीडर नहीं हैं? क्या ये छोटे-मोटे नेता हैं? ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : अभी बता देता हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस नियम के अधीन उन्हें बाधा पहुंचाने की अनुमति दी जा रही है? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मोदी जी ने अभी कहा कि उस समय बी०जे०पी० ने दंगे के समय जो सिक्ख परिवार को प्रोटेक्शन किया ...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, आपको उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मंत्री बोल रहे हैं और आप ही उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप इन्हें बैठाइए। अगर ये ऐसे ही बोलेंगे तो आपकी पार्टी का टाइम कम हो जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, आप अपनी पार्टी का टाइम खराब कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मेरे हाथ में श्री मोदी ने जो कहा उसके बारे में 3 फरवरी, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट है। मैं इसे रिकार्ड में रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि सिख दंगे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार की कटिंग पढ़ने के लिए स्पीकर साहब ने मना कर दिया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह इसे नहीं पढ़ सकते *(व्यवधान)* अध्यक्षपीठ ने पहले अपना निर्णय दिया था *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : आडवाणी जी ने भी पढ़ा था। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आडवाणी जी जब पढ़ रहे थे, तब स्पीकर साहब ने उनको पढ़ने से मना कर दिया था। *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : इसके बावजूद उन्होंने अखबार पढ़ा था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे उद्धृत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोट कर लें, उसको पूरा न पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोट करूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ कोट करें, पढ़े नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : वस्तुतः मैं सभा को सूचित कर सकता हूं कि कथित सिख दंगों के संबंध में 49 भाजपा और आर०आर०एस० कार्यकर्ताओं का नाम लेकर 14 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कोई एक जगह बता दें। *(व्यवधान)* नानावती कमीशन की रिपोर्ट में कहां है, वह बता दें। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

महोदय, मैं घोर आपत्ति करता हूं।

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपको प्राथमिकी संख्या बताऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आज तक किसी ने किया है तो बता दें। यहां कुछ भी कह देते हैं। *(व्यवधान)* इससे बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। *(व्यवधान)* इतने एफीडैविट हैं, आप एक भी एफीडैविट बता दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिब्बल के वक्तव्य को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैं बताता हूं। मेरे पास सारा मसाला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्वाईं जी, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस रिपोर्ट में यह, कहां लिखा है? *(व्यवधान)* इन्हें शपथपत्र रखने दो।

[हिन्दी]

नानावती कमीशन की रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है, यह बताएं। *(व्यवधान)* आप किसे रैफर कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि वह कौन से पेज पर लिखा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह पेपर से कोट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : वह कौन सी एफ०आई०आर० है, वह बताएं। *(व्यवधान)* उस वर्कर का नाम बताएं। *(व्यवधान)* आप हमें बी०जे०पी० वर्कर का नाम बताएं। *(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर किस रूल के तहत है।

श्री चंद्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, ये एफ०आई०आर० की बात कह रहे हैं। ये 4,000 एफ०आई०आर० की बात करें। उनमें क्या-क्या लिखा है, वह बताएं। *(व्यवधान)* वह नहीं बताते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, अधिकतर एफ०आई०आर० दक्षिण दिल्ली में श्रीनिवासपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिब्बल जी, आप नानावती कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मुझे यह कहने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से इसमें अन्तर्ग्रस्त है क्योंकि वे कह रहे हैं कि वे इसके अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मुझे उस आरोप को अस्वीकार करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : वह कौन सी एफ०आई०आर० है, वह बताएं। *(व्यवधान)* उस वर्कर का नाम बताएं। *(व्यवधान)* आप हमें बी०जे०पी० वर्कर का नाम बताएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : वे कह रहे हैं कि बी०जे०पी० और आर०एस०एस० शामिल नहीं थे। लेकिन रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि बी०जे०पी० और आर०एस०एस० शामिल थे। मेरा यह आरोप है *(व्यवधान)* नियम पुस्तिका में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं आरोप नहीं लगा सकता *(व्यवधान)* आप इसके बारे में चिन्ता क्यों करते हैं? आप एफ०आई०आर० के रिकार्ड को देखिए और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : नानावती कमीशन की रिपोर्ट में कहां है। ...*(व्यवधान)* आप नाम बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : वह नहीं था। ...*(व्यवधान)* कोई जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आपको एफ०आई०आर० नम्बर दे दूंगा। आप उन्हें देख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप उन वर्कर्स का नाम बतायें। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : मैं उनके नाम भी आपको बताता हूं। ...*(व्यवधान)* आप सुनने की शक्ति रखिये। ...*(व्यवधान)* मैं उनके नाम आपको अभी बताता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप इसे सभा पटल पर रखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे नाम दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, वे बी०जे०पी० के कौन से वर्कर्स हैं? आप उनके नाम बताइये। ...*(व्यवधान)* उसमें कोई भी बी०जे०पी० वर्कर नहीं थे। ये बिल्कुल गलतबयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : यह हरि नगर, आश्रम, सनलाइट कालोनी और भगवान नगर जैसे क्षेत्रों से हैं। सबसे विस्तृत एफ०आई०आर० दिनांक अगस्त 1993 में 1984 के दंगों के सम्बन्ध में दायर किया गया था जिसमें 17 लोगों के नाम शामिल थे इसमें श्री राम कुमार जैन, स्व० महिपाल शर्मा जैसे बी०जे०पी० कार्यकर्त्ताओं के नाम शामिल थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभी कांग्रेस के वर्कर्स ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे सभी कांग्रेसी थे और उनका नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कौन सी एफ०आई०आर० में यह लिखा है कि वह बी०जे०पी० का वर्कर है। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : असलियत आपके सामने आई तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : नानावती रिपोर्ट में क्या बताया गया है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, कौन सी एफ०आई०आर० में लिखा है कि वह बी०जे०पी० का वर्कर है। ये कांग्रेस वर्कर्स के नाम को बी०जे०पी० वर्कर्स का नाम बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आप असलियत को बर्दाश्त नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सब कुछ गड़ गया है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप कांग्रेस वर्कर्स का नाम बी०जे०पी० वर्कर्स कहकर बता रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : मैं डींडसा साहब से गुजारिश करूंगा कि वे अपने जवाब में कहें कि ये सारी एफ०आई०आर०, जो मैंने सुनी हैं कि विद्ड्रा हुई है, उनको रिवाइव किया जाये और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। *(व्यवधान)* मेरी आपसे गुजारिश है। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कौन सी एफ०आई०आर० में लिखा है कि वे बी०जे०पी० वर्कर है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : यह विशिष्ट अधिवक्ता हैं। क्या उन्हें गुप्त अमल कहने का अधिकार है? मैं उन्हें चुनौती देता हूं। यदि वे आरोप लगा रहे हैं कि एफ०आई०आर० में बी०जे०पी० के कार्यकर्त्ताओं का नाम दर्ज है तो वह इस बात को प्रमाणित करें मैं उन्हें चुनौती देता हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैं गृह मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इसे देखें। *(व्यवधान)* मैंने सुना है कि ये एफ०आई०आर० विदड्रा हुई हैं, उन पर दुबारा कार्रवाई हो। *(व्यवधान)* हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते, आप लोग डरते हो। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्वाईं जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिब्बल जी, आप कन्टीन्यू कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट नहीं है। क्या पार्लियामैंट में खड़े होकर यह गलत बयानी करेंगे? *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : हम नहीं फंसे, ये फंस गये हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात जारी रखूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह जो एफ०आई०आर० का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें किसी का नाम था? नौ कमीशन बैठे थे, हरेक ने लिखा है कि बी०जे०पी० और संघ ने उस वक्त लोगों को बचाया और बचाकर, इसमें भी लिखा है; *(व्यवधान)* ज्ञानी जैल सिंह जी ने यह बात कही, खुशवंत सिंह जी ने भी कहा, हरेक ने कहा है कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मैं सहमत नहीं हूं। आप मेरी अनुमति के बिना कैसे बोल रहे हैं? *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : इन्हें शीघ्र ही इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि वह सहमत होंगे *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.26 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कपिल सिब्बल : अब सच्चाई बता दो तो इसे आप गुमराह समझें। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा था *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : आप इन्हें पढ़ने के लिए कैसे एलाउ कर रहे हैं जबकि आपने आडवाणी जी को तो एलाउ किया नहीं था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि किसी अन्य व्यक्ति का वक्तव्य नहीं पढ़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, जिस एफ०आई०आर० का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें लिखा है कि आर०एस०एस० वर्कर है? *(व्यवधान)* अगर नहीं लिखा है तो इन्हें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ गलत है तो मैं देखूंगा और उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ जब श्री आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री और श्री गवई के बीच की बातचीत का उल्लेख किया और उनसे फोन पर कथित "मिस्ड कॉल" की बात की।

मुझे हैरानी हुई क्योंकि आडवाणी जी ने नानावती रिपोर्ट का शेष भाग अर्थात पृष्ठ संख्या 173 नहीं पढ़ा। उन्होंने 172 पृष्ठ पढ़ा और उन्होंने पृष्ठ 173 को छोड़ दिया। इसमें कहा गया है "आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्री पी०सी० ऐलक्जेंडर ने श्री गवई द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर टिप्पण भेजा। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 31.10.1984 को अपने कार्यालय में कोई बैठक नहीं बुलाई थी। उन्हें सेना बुलाने के बारे में उपराज्यपाल से कोई प्रस्ताव भी नहीं मिले थे।" यह तो श्री गवई के विचार से बिल्कुल विपरीत है मुझे हैरानी हुई कि आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता ने रिपोर्ट का यह भाग क्यों नहीं पढ़ा। उनके जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के इस प्रकार के चुने हुए पाठ से कही गई किसी राजनीतिक बात से किसी भी वादविवाद को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

इसके बाद पृष्ठ सं० 178 पर आयोग के निष्कर्ष में भी यह करते हुए "उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखे हुए" से शुरू किया गया है। मैं केवल दो वाक्य पढ़ूंगा "जहां तक उपराज्यपाल गवई का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है" और आडवाणी ने गवई का स्पष्टीकरण इस प्रकार लिया जैसे कि वह आयोग का निष्कर्ष हो। इसमें आगे कहा गया है "और आयोग इसे जानकर सन्तुष्ट नहीं हुआ है कि उनके स्तर पर कोई चूक नहीं हुई है यद्यपि उन्होंने कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं किया है। आयोग को ऐसा प्रतीत हुआ है कि उन्होंने दिल्ली में कानून और व्यवस्था को उतना महत्व नहीं दिया है जितनी उसकी आवश्यकता थी।" यही कारण है जिसके लिए श्री राजीव जी ने उन्हें पद से हटने के लिए कहा था "क्योंकि आयोग का निष्कर्ष था कि उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था।" नानावती आयोग के प्रतिवेदन के चुने हुए भाग का पढ़ना और उसे इस प्रकार निरूपित करना कि आयोग ने श्री गवई के पक्ष में कुछ कहा था मुझे वास्तव में हैरानी हुई है और मैं श्री आडवाणी जी से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता था।

एक अन्य बात जिसे श्री आडवाणी जी जानना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सभा को आवश्य बताएंगे कि इन दंगों के पीछे कौन था। मैंने सभा के समक्ष आयोग का निष्कर्ष पढ़ दिया है कि कांग्रेस के उच्चाधिकारी और तत्कालीन प्रधानमंत्री का इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। अत: श्री आडवाणी जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर उन्हें आयोग की रिपोर्ट से ही मिल गया है। अत: प्रधानमंत्री को उस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है जिसका उत्तर आयोग ने दे दिया है। इसीलिए मैंने अपना वक्तव्य यह कहते हुए आरम्भ किया कि मुझे वास्तव में दुख हुआ है।

[हिन्दी]

इस तरह की चर्चा इस सदन में हो रही है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि हम सभी संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचें कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो तो कैसे कार्यवाही की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। *(व्यवधान)*

डा० रतन सिंह अजनाला (तरनतारन) : आपके कहने का क्या यह मतलब है कि जो हो गया, सो हो गया?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जो कुछ हुआ, हम सभी ने उसकी निन्दा की है। यह उचित नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मुझे याद है कि जब मुंबई में 6 दिसम्बर के बाद दंगे हुए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए, आपकी पार्टी के नेता को भी बोलने का मौका मिलेगा। वे बहुत सक्षम नेता हैं, बहुत सही ढंग से अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, उस समय वहां की सरकार ने श्रीकृष्णा कमीशन गठित किया था और जब वर्ष 1998 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, उस समय 22 अप्रैल, 1998 को उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी ने कहा था :

[अनुवाद]

"मेरे दल में हर काम काफी सोच-विचार के बाद किया जाता है और इस कारण, इन दंगों में अपने दल की भूमिका पर मुझे कोई पश्चाताप नहीं है।"

[हिन्दी]

इसका आपके पास क्या जवाब है? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे नानावती आयोग की रिपोर्ट तक ही सीमित रखना चाहिए।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : उन्होंने इसे प्रमाणित नहीं किया है। यहां किस बात का संदर्भ है? ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मुख्यमंत्री जी कहा कि मुंबई दंगों में मेरी पार्टी के लोगों ने जो कुछ किया, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा नहीं कहा है। हमें शर्म है कि दिल्ली में दंगे हुए; हम शर्मिन्दा हैं कि इतनी मृत्यु हुई। हम चाहते हैं कि ऐसा फिर कभी न हो। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : ऐसा न कभी मोदी जी ने कहा, न आडवाणी जी ने, न मनोहर जोशी जी ने कहा है। कभी डींडसा जी ने भी यह नहीं कहा कि यह शर्मनाक दिन है, जो दंगे हुए उनकी फिर से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। यह दोगली राजनीति मत अपनाइए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं।

मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहां किसी के पक्ष में बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि नानावती आयोग ने क्या कहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद सभी लोगों ने इस रिपोर्ट को बारीकी से नहीं पढ़ा होगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसी बात नहीं है। यह रिपोर्ट सभी टी०वी० चैनलों पर आ रही है।

श्री कपिल सिब्बल : इसीलिए मैंने 'शायद' शब्द का प्रयोग किया है।

[अनुवाद]

अब मैं इस समय के एक सदस्य के बारे में बताऊंगा जिनके विरुद्ध सरकार ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा है : "इन परिस्थितियों में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।" लेकिन नानावती आयोग की रिपोर्ट में यही बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि इस सदन के उस विशेष सदस्य के विरुद्ध दो साक्ष्य हैं। एक हैं श्री सुरिन्दर सिंह। वह साक्ष्य सं० 147 हैं। श्री सुरिन्दर सिंह उस घटना के बारे में बताते हैं जो उस समय घटी थी। वे गुरुद्वारा पुल बंगश के प्रधान ग्रंथी थे जिसे जला दिया गया था तथा इस दौरान दो लोग मारे गए थे। उसके विरुद्ध दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। दो व्यक्ति जो मारे गए थे उनके नाम थे श्री ठाकुर सिंह और श्री बादल सिंह। उस विशेष घटना में आरोपित के विरुद्ध अभियोजन के लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। श्री सुरिन्दर सिंह, साक्ष्य सं० 147, ग्रंथी थे। उन्होंने 1984 से 2002 के बीच कुछ नहीं बोला। वह 18 वर्ष की लम्बी अवधि तक चुप रहे। वह किसी आयोग के समक्ष नहीं गए। उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी। उन्होंने किसी मित्र से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

18 वर्षों के बाद पहली बार उन्होंने नानावती आयोग के समक्ष बयान दिया। यह मेरा बयान नहीं है, यह आयोग द्वारा अभिलेखबद्ध किया गया बयान है। इसे मैं नहीं कह रहा हूं इसे किसी भी बात के लिए मेरा स्पष्टीकरण न समझा जाए। यह आपको निर्णय करना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित कीजिए। आप उनके प्रति मत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : यह माननीय सदस्यों को निर्णय करना है। 18 वर्षों तक श्री सुरीन्दर सिंह ने कुछ भी नहीं कहा। अंततः, जब नानावती आयोग का गठन हुआ तब उन्होंने 5 फरवरी, 2002 को एक अतिरिक्त शपथ-पत्र देकर नानावती आयोग के समक्ष एक बयान दिया। लेकिन 5 अगस्त, 2002 को उन्होंने एक दूसरा शपथ-पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह पहले शपथ-पत्र को नहीं समझ पाए क्योंकि वह अंग्रेजी में लिखा हुआ था। और यह शपथ-पत्र गुरुमुखी में लिखा गया है। यह नानावती आयोग का कहना है। इसीलिए, नानावती आयोग का कहना है कि किसी इस बात से कि किसी व्यक्ति ने 18 वर्ष तक कोई बयान नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए यह एक अच्छा आधार है। यह श्री जगदीश टाइटलर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यह एक विश्वनीय सबूत है। नानावती आयोग यही कहता है। अब, माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना है। एक व्यक्ति 18 साल बाद उस घटना के बारे में बयान देता है जिसके लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गई है, विचारण समाप्त हो चुका है, और सुनवाई समाप्त हो चुकी है *(व्यवधान)*। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा है। मैं यहां किसी का बचाव करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। *(व्यवधान)* लेकिन तथ्य क्या है इसके बारे में सदन को सूचित करना अपना कर्त्तव्य मानता हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुखबीर जी, जब आपको बोलने का समय मिलेगा, तब आप बोलें और जोर-शोर से बोलें। इस समय बीच में न बोलें।

श्री कपिल सिब्बल : इतने सालों के बाद कोई कमीशन को कहे और स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

कि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य, जो इस सभा के सदस्य हैं इसमें संलिप्त हैं तो क्या यह किसी व्यक्ति पर अभियोग लागने, दोषारोपण करने या सजा देने के लिए विश्वसनीय सबूत है? यह सभा को निर्णय करना है, मुझे नहीं *(व्यवधान)* यह बिल्कुल सही है *(व्यवधान)* यह आपको निर्णय करना है *(व्यवधान)* पब्लिक कह रही है। यह भी आपको ही निर्णय करना है *(व्यवधान)* एक सेकेंड *(व्यवधान)*। कृपया मुझे टोकिए मत, सच्चाई का सामना कीजिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं। अगर अभी बोलेंगे तो रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : इसलिए, यह एक साक्ष्य है – श्री सुरिन्दर सिंह *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अपनी पूरी क्षमता को बचाकर रखिए।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : श्री जगदीश टाइटलर के मामले में दो साक्ष्य हैं और एक के बारे में मैंने आपको बता दिया है।

दूसरा साक्ष्य जसबीर सिंह है। वह इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं है। वह पुल बंगश गुरुद्वारा में कहीं उपस्थित नहीं थे। वह कभी वहां नहीं था। पुनः इस साक्ष्य ने 1984 में कुछ नहीं कहा और उसके बाद किसी भी आयोग के समक्ष उसने कोई गवाही नहीं दी। 18 वर्षों तक वह चुप रहा, और 2002 में जब वह भी नानावती आयोग के समक्ष साक्ष्य था, उसने कहा कि इस सभा के एक माननीय सदस्य अस्पताल के द्वार पर खड़े थे और कह रहे थे कि "आप लोगों ने और लोगों को क्यों नहीं मारा?"

इसलिए, इन दो बयानों के आधार पर आयोग का निष्कर्ष है कि पूरी संभावना के साथ इस बात के लिए विश्वसनीय साक्ष्य है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य इसमें संलिप्त थे। यदि सभा को विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए ये साक्ष्य पर्याप्त हैं तो हम सभा की सलाह को मानेंगे *(व्यवधान)* आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के नियम से अवगत हैं, सुशील मोदी जी, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह अपना भाषण बीच में रोकने के लिए राजी नहीं हुए हैं। आपको मौका मिला था। अफसोस, आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप लोगों की मदद नहीं मांगी हैं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : यह एक ऐसे माननीय सदस्य से सम्बंधित है जो मंत्री हैं। जहां तक इस सभा के अन्य सदस्य का सम्बंध है, अयोग स्वयं कहता है कि उन सभी 9 मामलों में जो दर्ज किए गए हैं माननीय सदस्य को दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन प्राथमिकियों में कुछ नहीं हुआ, आयोग स्वयं कहता है कि दोहरे परिसंकट के सिद्धांत के कारण कुछ भी नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए, नानावती आयोग कहता है कि उन प्राथमिकियों में कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसमें कहा गया है कि कुछ अन्य प्राथमिकियां हैं जिसमें साक्ष्यों का पता नहीं लगाया जा सका।

अन्य शब्दों में एक आरोप लगाया गया, एक जांच हुई और मैजिस्ट्रेट को समापन प्रतिवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि "पता नहीं लगाया जा सका।" इसलिए, आयोग कहता है: "क्योंकि उनका पता नहीं चता, और चूंकि कुछ साक्ष्यों ने इस माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ कहा है, कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।"

माननीय सदस्य संभवत: जानते हैं कि जब समापन प्रतिवेदन पेश किया जाता है और जब एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय कहता है कि इन मामलों का पता नहीं चला, तो मैजिस्ट्रेट को हमेशा यह अधिकार है कि वह मुकदमे को खोले। मैं नहीं जानता कि इस सभा में हम विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य या वही व्यक्ति जाकर एक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करता है और कहता है कि ऐसा हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी, और प्रथम दृष्ट्या अगर मामला बनता है तो जांच शुरू होगी। इसलिए हम इस सभा में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जबकि श्री सुखदेव सिंह ढींडसा, श्री सुखबीर सिंह बादल, मुझे, प्रत्येक माननीय सदस्य को तथा इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसी प्रकार का उपचार प्राप्त है। यही कारण है कि हमें एक न्यायिक उपचार दिया गया है कि हम पुलिस में जाएं और बयान दें कि अपराध दर्ज किया जाए। एक प्राथमिक जांच होगी और फिर कानून अपना काम करेगा। इसलिए, उस न्यायिक उपचार को प्राप्त करने में लोगों को कौन रोकता है। इससे मुझे ऐसा विश्वास होता है कि इस चर्चा का उद्देश्य आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ उठाना है और ये लोग लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं को अनावश्यक रूप से उभार रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमें मलहम लगाना चाहिए न कि ऐसे भाषण देकर जनता को उत्तेजित करना चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : पांच हजार लोग मारे गए और आज भी आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, सिर्फ और पांच मिनट दीजिए और मैं समाप्त कर दूंगा।

मैं इसे मात्र अभिलेखबद्ध करवाना चाहता हूं ताकि हर व्यक्ति इसे जाने। राजनीतिक पार्टियां जो आवेशपूर्ण भाषण दे रही हैं उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। गुजरात के दंगे में संलिप्त 5067 लोगों में से अधिकांश जमानत पर हैं। उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

मैं जिलेवार दर्ज मुकदमों की संख्या तथा ऐसे मुकदमों की संख्या जिनकी जांच नहीं हुई, बता रहा हूं। मेलसाना में 170 मामलों में से 90 में जांच हुई और 80 में जांच ही नहीं हुई। अहमदाबाद में 1300 मामलों में 350 की जांच हुई और 950 की जांच नहीं हुई है। बड़ोदरा में 390 मुकदमों में से 150 की जांच हुई है और 240 की जांच

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सब्बिल]

नहीं हुई। साबरकांठा में 275 मामलों की जांच हुई और 460 की जांच नहीं हुई। बनासकांठा में 45 मामलों की जांच हुई है और 60 की जांच नहीं हुई है। राजकोट में 8 ममालों की जांच हुई और 198 की जांच नहीं हुई है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सिब्बल साहब, आप भी कोर्ट में जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मैं माननीय सदस्यों श्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा, श्री सुखेदव सिंह ढींड़सा और अन्य सभी नेताओं जो कि इस सभा में एक वक्तव्य देने के लिए कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं, से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि इन सब मामलों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा की गई है। यदि वे ऐसा वक्तव्य देते हैं तो हम विश्वास करेंगे कि वे अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हैं। अन्यथा, दुनिया जानती है कि वे किस चीज का ध्यान रखते हैं। यह सत्ता है और उसे उन्होंने आने वाले बहुत वर्षों के लिए खो दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त गीते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

एक पार्टी के नेता बोल रहे हैं। हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, नानावती रिपोर्ट और उस पर सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आज हम यहां बहस कर रहे हैं। नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। लेकिन उन सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई, जिसे सरकार ए०टी०आर० कह रही है वह नो एक्शन टेकन रिपोर्ट है। किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की बात तो छोड़ दीजिए, उस संदर्भ में सोचने की भी मंशा सरकार की दिखाई नहीं देती। महोदय, जब श्री सिब्बल जी यहां बोल रहे थे, जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और जब मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सदन में बोलता है तो यह माना जाता है कि यह सरकार की भूमिका को स्पष्ट कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका विभाग नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह सरकार यहां पर बोल रही है *(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री सिब्बल जी यहां बोल रहे थे और इतनी सहजता से बोले कि किसलिए हम यहां बहस कर रहे हैं। क्या यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता है? चाहे श्री ढींडसा जी हों या श्री कपिल सिब्बल जी हों या श्री मल्होत्रा जी या फिर मैं, कोई भी पुलिस स्टेशन में एफ०आई०आर० दर्ज करवा सकता है। वह एफ०आई०आर० रिकार्ड होगा। उसकी जांच होगी। यदि यह सब इतना आसान होता तो चार हजार सिखों का कत्लेआम दिल्ली में न होता। तब आपकी सरकार थी, आपका ही राज था। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी एफ०आई०आर० दर्ज हुई, उस समय कार्यवाही क्यों नहीं की गई? *(व्यवधान)* यह सरकार इस प्रकार से इस सदन में जवाब दे रही है, अपनी बात कह रही है *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यदि आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं है। सन् 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो हुआ उसकी आलोचना सारे देश ने की थी। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। हर एक ने उसकी निंदा की लेकिन उसकी निंदा के बाद खास कर जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तीन हजार से ज्यादा सिखों को पुलिस की सहायता से कांग्रेसियों के कहने पर *(व्यवधान)* यह सब नानावती रिपोर्ट में लिखा हुआ है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत गंगाराम गीते, कृपया विषय मत बदलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें परेशान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप डाइवर्ट मत होइए। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप यदि समर्थन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन जब सदन में बहस शुरू हुई और ढींडसा जी ने बहस को शुरू किया और उसके बाद श्री बंसल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तब लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने बोला और अपने आपको बैलेंस रखने का प्रयास किया। हर वाक्य को सोच-समझकर उन्होंने इस सदन के सामने रखा, लेकिन जब हमने कपिल सिब्बल जी को सुना तो उससे बंसल जी का सारा कहना बेकार हो गया। यही सरकार की मंशा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत गंगाराम गीते, कृपया विषय मत बदलिए नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें परेशान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : यहां सदन में श्री रामजी लाल सुमन और मोहम्मद सलीम जी सहित कई पूर्व वक्ताओं ने मांग की है कि एक मंत्रिपरिषद का सदस्य, जिनका नानावती कमीशन रिपोर्ट में जिक्र आया है और लोकसभा के एक माननीय सदस्य और राज्यसभा के एक माननीय सदस्य का भी जिक्र आया है, जो यहां पर गिल्टी हैं या जिनके नाम इस कमीशन की रिपोर्ट में आए हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए *(व्यवधान)* उस पर भी मैं बोल रहा हूं कि जब हमने श्री कपिल सब्बिल जी को यहां सुना तो मुझे नहीं लगता हे कि सरकार यह हिम्मत कर सकती है। हमारे जो गृहमंत्री जी हैं, वे यह हिम्मत कर सकते हैं? और शायद यह साहस करने की चेष्टा उन्होंने की, तो उनकी हालत पी०जी० गवई जैसी होगी। इसलिए आपका कहना सही है कि बहस करने का क्या फायदा है, वह फिजूल है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। सारी चर्चा का कोई फायदा नहीं है और फिजूल है। उस समय सरकार ने जो किया था, आज की सरकार की भी वही मंशा है। वह कुछ भी नहीं करना चाहती है।

आज नानावती कमीशन की ए०टी०आर० पर बहस हो रही है। यहां हर दंगे का रैफ्रेंस दिया गया। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है और कभी नहीं होगा। दंगा कभी अच्छा नहीं होता है चाहे किसी जाति धर्म में हो। दंगे का कहीं कोई समर्थन नहीं करेगा। उससे देश में शांति नहीं आती है। इसलिए जब इस विषय में चर्चा होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब किसी दंगे पर चर्चा होती है और माइनॉरिटी का सवाल आता है, हर बात पर माइनॉरिटी, क्या इसका मतलब केवल मुसलमान से है? यहां तक ही वह बात सीमित रहती है। यहां अकाली दल के सारे सदस्य हैं जो आज यहां मांग कर रहे हैं। देश में यह सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वाले लोग हैं लेकिन माइनॉरिटी के साथ क्या व्यवहार हुआ, उसका जिक्र ढींडसा जी ने यहां किया। माइनॉरिटी को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना है, तो किसी विशेष समाज से हर बात को क्यों जोड़ा जाता है?

आपने श्रीकृष्ण कमीशन का संदर्भ दिया। कैसे दिया, मुझे मालूम नहीं है। आप जानते हैं कि जो सदन में मौजूद नहीं है, उसके संदर्भ में सदन में कहना उचित नहीं है। आज श्री मनोहर जोशी इस सदन के सदस्य नहीं हैं। आप जानते हैं, फिर भी आपने रैफ्रेंस दिया। मुझे पता नहीं, आपके पास श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट थी। मैं यहां पर उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद ढह जाने का हादसा हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया मुम्बई में हुई। उसके पहले मुम्बई में कुछ नहीं हुआ था। वहां अमन-शांति थी। मुम्बई में किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे। कुछ भी मुम्बई में नहीं हुआ था लेकिन जिस दिन बाबरी का ढांचा गिरा, उसकी रिएक्शन मुम्बई में हुई, दंगे शुरू हो गए कत्ते-आम शुरू हो गए और हत्याएं शुरू हो गई। उसके बाद मुम्बई को बचाने में यदि किसी ने काम किया उसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री करें तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई गलत है। उन्होंने आज भी मुम्बई को बचाए रखा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह इस देश में सर्वोच्च मंच है। हमें इसकी प्रतिष्ठा बनाये रखनी है। बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। इसलिए, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम स्वयं ऐसा आचरण करें जैसे कि आप अक्सर सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कभी-कभी ऐसा हो जाता है। हम सब को भूल जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं आपसे शांति बनाये रखने की अपील करता हूं। यह हमारी अपनी सभा है जहां कुछ आशाओं के साथ लोगों ने हमें भेजा है। हम ऐसी ध्वनि और शोर न करें जो इस सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत हो।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, दिल्ली में जब 1984 में कत्ले-आम हुए तब सारे देश में माहौल खराब था। इसलिए हमने शुरू में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की जिस प्रकार हत्या हुई, सारे देश ने उसकी निन्दा की लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में हुआ शायद उसका परिणाम मुम्बई में भी होगा, यहां पर कई सदस्यों ने इस सवाल को कहा। जब सिखों की हत्या की जा रही थी तब आप क्या कर रहे थे, कई पार्टियों से सवाल किए गए। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए यहां यह रैफ्रेंस दे रहा हूं। जब दिल्ली में कत्ले-आम हुए तब मुम्बई में एक ही नेता था, शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने चेतावनी दी कि मुम्बई में किसी एक सिख की न हत्या की जाए न उनके बाल को हाथ लगाया जाए। मुझे यह कहते हुए *(व्यवधान)* गर्व नहीं कह रहा हूं, गर्व की बात नहीं है लेकिन निश्चित रूप से एक गुमान है।

दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ लेकिन मुंबई में एक भी सिख नहीं मारा गया। उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को धन्यवाद दिया। तब ठाकरे जी ने कहा था कि शायद किसी एक ने गलती की हो तो उसकी सज़ा पूरे समाज को नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश 21 साल के बाद, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिनके घर जलाए गए, जिनके घर और परिवार के लोगों की हत्या की गई, किसी का बेटा मारा गया, किसी का पिता मारा गया, किसी का पति मारा गया, किसी का भाई मारा गया, वे 21 साल के बाद भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे आजाद हिन्दुस्तान में एक न एक दिन, जो अपराधी हैं, जो इस हत्याकांड में अपराधी हैं, उन अपराधियों को सजा मिलेगी। आज इस चर्चा में जो सरकार की ओर से और सरकारी पक्ष की ओर से जिस प्रकार से इस सारी घटना का समर्थन किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से, जो भुक्तभोगी लोग हैं, उन्हें कोई न्याय मिल पाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विषय पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जरूर बोलिए। समस्या तो इस बात की है कि टोटल आठ मिनट थे लेकिन आपको बारह मिनट दे दिए हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, श्री राम कृपाल यादव जी बोलने से पहले याद दिला रहे थे कि पहले काफी समय हो गया है। जब समय कम होता है तो दो मिनट देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसी का टाइम एक्सटेंड नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वार्निंग भी तो देनी पड़ती है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो घटना 1984 की है, जिसका उल्लेख बार-बार सरकारी पक्ष की ओर से दंगा कह कर किया गया है, वास्तव में वह दंगा नहीं था। किसी भी सिख ने, एक सिख ने या सरदार ने किसी पर कभी हमला नहीं किया, न किसी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता पर और न किसी कांग्रेसी नेता पर, वह एकतरफा था। जो एकतरफा हुआ उसे दंगा कैसे कह सकते हैं? वह दंगा नहीं था, बार-बार उसे दंगा कह कर जो इसमें अपराधी हैं, अपराधी चाहे कोई भी है, उसे बचाने का जो प्रयास है, वह गलत है। दुःख तो इस बात का है कि श्री बंसल जी ने यहां पर बार-बार कहा कि मुझे पश्चाताप होता है। बल्कि हमें हर बार इस बात का पश्चाताप होता है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। यह हमारे लिए कलंक की बात है। लेकिन हर बार वे कह रहे थे कि मेरी पार्टी के लिए यह कलंक की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए कलंक की बात है, कांग्रेस हर बार इस बारे में पश्चाताप महसूस करती है। लेकिन उसी कांग्रेस ने, जिनके नाम यहां आए हैं, उन्हें बख्शीश देकर किसी को राज्य सभा में भेज दिया, किसी को लोक सभा में भेज दिया और किसी को मंत्री बना दिया। फिर हमें यहां पर सिखाया जाता है कि घाव पर नमक मत छिड़किए जबकि नमक छिड़कने का काम तो सरकार कर रही है।

महोदय, यदि आज की इस बहस से कुछ निकलने वाला नहीं है और यही राय सरकार की बनी है तो मुझे नहीं लगता है कि 1984 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ, जिन पर हत्याचार हुआ, उन भुक्तभोगियों को जीवन में कभी न्याय मिल पाएगा। यदि सरकार की यह मंशा है और सरकार यदि उन्हें न्याय देना चाहती है तो सबसे पहले इस कमीशन की रिपोर्ट में जिनका जिक्र आया है, चाहे वह नेता कितना भी बड़ा हो, उसे तुरंत पद से हटाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० कुप्पुसामी (मदास उत्तर) : धन्यवाद महोदय। लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद ने 21 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के जघन्य अपराध के पश्चात् हुए कत्लेआम के मामले पर आज चर्चा करने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र में बहुसंख्या राजनैतिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है किन्तु वास्तविक जीवन में बहुसंख्यक

और अल्पसंख्यक समुदायों के पूर्ण शांति और सौहार्द के साथ एक साथ सह-आस्तित्व के मूल्यों को पूरी ईमानदारी से बनाये रखा जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं मानता हूं कि प्रत्येक भारतीय को इस महान राष्ट्र में भाईचारा, सौहार्द और एकता का विकास करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दूर्भाग्य से जो भी हुआ उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए।

यदि बहुसंख्यक वर्ग अकारण ही और सभी मूल अधिकारों की अनदेखी करते हुए निर्दोष अल्पसंख्यकों की हत्या करवाता है तो यह मुझे और मेरे दल डी०एम०के० को स्वीकार नहीं है। हर तरीके से अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। जाति, पंथ, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन को किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों के जान-माल की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए।

डी०एम०के० पार्टी और हमारे नेता डा० कालाग्निार एम० करुणानिधि ने हमेशा सबके लिए विशेषकर हमारे समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समानता और न्याय की वकालत की है। यदि कोई सरकार सामान्य स्थिति बनाये रखने में विफल रही है अथवा शांतिपूर्ण जीवन के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने में विफल रहती है तो इसका अर्थ होगा कि प्रशासन लोकतंत्र के मूल्यों की कब्र खोद रहा है।

जब मद्रास उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सेल्वी जे० जयललिता को एक वर्ष की सजा का निर्णय दिया तो तमिलनाडु में क्या हुआ था? निर्णय सुनने के पश्चात् ए०डी०एम०के० के कार्यकर्त्ताओं ने कृषि विश्वविद्यालय की एक बस जला दी और तीन बालिका विद्यार्थी उसी बस के अंदर जल कर मर गइ थी। यदि हम इस तरह के जघन्य अपराध होने देंगे और यदि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में विफल रहती हैं तो इसका अर्थ है कि हम मानवता के खिलाफ घरेलू आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं।

यदि अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय अथवा असुरक्षा होती है, चाहे सिखों के विरुद्ध 1984 के दंगे हों अथवा मुस्लिमों के विरुद्ध गोधरा के दंगे हों, तो सभी भारतीयों को अपने सिर शर्म से झुकाने पड़ेंगे। इसलिए, केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही आतंकवाद के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना ही जरूरी नहीं है बल्कि हमें आंतरिक आतंकवाद यानी 1984 के दंगों जैसी घटनाओं के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमें 1984 के दंगों में शामिल समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने और उन्हें दंडित करने में विफल नहीं रहना चाहिए। मैं भारत सरकार से सिख समुदाय जो कि हमारे भाई और बहन हैं उनकी रक्षा करने का भी अनुरोध करता हूं। दंगा-प्रभावित लोगों को पूर्ण मुआवजा, निःशुल्क आवास और शिक्षा, रोजगार और शांतिपूर्ण जीवन-यापन के लिए पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए।

महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता हैं श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी। श्री त्रिपाठी आपके पास इस विषय पर बोलने के लिए सात मिनट हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, 1984 में दिल्ली में कांग्रेस के शासन काल में जो नर-संहार हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा नर-संहार किसी रूलिंग पार्टी के समय में नहीं हुआ होगा। उस समय मृत्यु का डांस हो रहा था। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से सारा देश दुखी था लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या हुई और कमीशन जांच करने के लिए बैठाये गये, उनकी रिपोर्ट्स पर क्या कार्यवाही हुई। स्व० राजीव गांधी जब इस देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी कहा :

"शक की सुंई बंगले की तरफ ही है।"

अभी नानावती कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसने भी 'नोडल ऑफ सस्पीशन' कांग्रेस पार्टी की ओर रखी है। इस बारे में सरकार का क्या कहना है? क्या स्व० राजीव गांधी ने जस्टिफाई नहीं किया था? यदि कोई बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिल जायेगी — इतना बड़ा नरसंहार हुआ और प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ा पेड़ गिर जाने से धरती हिलती है। धरती हिल गई, तीन हजार सिख मारे गये, सारे देश में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में सिखों की इतनी बुरी हालत हुई, लेकिन प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य वही था, जो कमीशन की रिपोर्ट में आ रहा है। इससे पहले सात कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, लेकिन नानावती कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसने प्रधान मंत्री जी के ऊपर भी उंगली उठाई है, उनके ऊपर संदेह किया है। बेनिफिट ऑफ डाउट प्रधान मंत्री जी, होम मिनिस्टर आदि सबके के ऊपर है। अब कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वह दूसरी बात है, लेकिन प्रधान मंत्री जी दिल्ली में मौजूद थे और नरसंहार दिल्ली में हुआ था।

[श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी]

श्री जगदीश टाइटलर, जो आज केन्द्र के मंत्री हैं और जिनके बारे में भी यहां डिस्कशन हुआ है, वह प्रधान मंत्री की कोठी में थे, जब वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर गये। उन्हें मिलने के लिए मना कर दिया गया। दिल्ली के एम०पी० के सामने आलोचना करना लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने सही नहीं समझा। टाइटलर जी ने जो बात प्रधान मंत्री जी से कही, उन्होंने जो कुछ बताया, उसके बारे में विटनैसेज ने कमीशन में बताया है, जो रिपोर्ट में आया है। टाइटलर जी की स्थिति यह थी कि हाईकमान मेरी है, मेरा कुछ नहीं होगा। मुख्यत: सरकार के ऊपर दोष आ रहा है कि तीन दिन तक आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। प्रधान मंत्री जी, होम मिनिस्टर के होते हुए राजधानी में यह सब हुआ, परंतु फौज को क्यों नहीं बुलाया गया – इसलिए संदेह हो रहा है। जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री जी से लेकर होम मिनिस्टर उस वक्त थे, उनके इशारे पर यह सब कुछ हुआ था। वे साइलैन्ट स्पैक्टेटर थे। वे चाहते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने होने दिया और यह सब हुआ।

अध्यक्ष महोदय, टाइटलर जी के बारे में जो कुछ 317 विटनैसेज ने बताया है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन दबाव देकर काउंटर एफिडेविट दिलाया गया था। 18 साल के बाद कोई कल्प्रिट कहां जायेगा, यदि उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि 18 साल बाद एफिडेविट क्यों दिया गया – क्या 18 साल के बाद कोई कल्प्रिट पकड़ा जायेगा – क्या उसके विरुद्ध एविडैन्स आयेगी और एक्शन होगा। ऐसा किसी कानून में नहीं है कि 18 साल तक कोई एक्शन नहीं होगा। उसके ऊपर दबाव था। आप केन्द्र सरकार में थे और वह खुद दिल्ली से पार्लियामैन्ट के मैम्बर थे और कांग्रेस दल के नेता था। इनके ऊपर दबाव था। वह एक पुलिस ऑफिसर सरकारी कर्मचारी था, जिसके ऊपर दबाव था। इसलिए उसने कुछ प्रयास नहीं किया।

हम मांग करते हैं कि सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। जो कांग्रेस दल के नेतृत्व में श्री एच०के०एल० भगत, श्री सज्जन कुमार और श्री कमलनाथ थे, उनकी भी थोड़ी आलोचना हुई है। इसलिए जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आये हैं, उन सबके विरुद्ध इनवैस्टिगेशन की जरूरत है और इनवैस्टिगेशन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सारे देश में तीन हजार सिख मारे गये। 2733 सिख दिल्ली में मारे गये। ऐसे ढंग से माइनोरिटीज के विरुद्ध कभी जुल्म नहीं हुआ। अभी ढींडसा जी बता रहे थे कि सिख कम्युनिटी ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया। देश को स्वावलम्बी बनाने तथा खाद्यान्न से लेकर डिफैंस आदि में जहां भी जरूरत पड़ी, सिख कम्युनिटी ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। यह बात सबको मालूम है। इसलिए सिख कम्युनिटी के मन में बहुत दुख है कि 21 साल के बाद भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला। उनके लिए सरकार की तरफ से जस्टिस डिले हुआ, जस्टिस डिनाई हुआ। माइनोरिटीज के विरुद्ध देश में जो नरसंहार हुआ था, प्रधान मंत्री सिख सम्प्रदाय के हैं, यह बता मैं कहना नहीं चाहता हूं। वह देश के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन देश में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और 21 साल से सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिला। सरकार कहती है कि कुछ एक्शन की जरूरत नहीं है। यह ए०टी०आर० सिखों के सबसे बड़े दुख का कारण है।

जो नानावती कमीशन की रिपार्ट है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, मगर उस पर सरकार की जो ए०टी०आर० है, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार द्वारा उस ए०टी०आर० को विदड्रा करना चाहिए और दोबारा एक ए०टी०आर० सदन में रखने की जरूरत है। सरकार की यह ए०टी०आर० इन हत्याओं के ऊपर और कष्ट देने का काम कर रही है। दंगा पीड़ितों को न्याय तो नहीं मिला लेकिन न्याय के नाम पर एक और हत्या हो गई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नानावती कमीशन रिपोर्ट में जिनके नाम हैं और जो केन्द्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें तुरंत निलंबित करना चाहिए और जो कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना जरूरी है। अभी भी एफ०आई०आर० के लिए टाइम है इसलिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस केस को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसे कितनी जल्दी वह डिस्पोज़ ऑफ कर सकती है और जो नए केस आएंगे, उनको वह कैसे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करेगी। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, यह भारतीय संसद के लिए एक दुखद दिन है। यह देश की राजनैतिक व्यवस्था के लिए एक दुखद दिन है। आज हम राजनैतिक आरोपों का आदान-प्रदान करके इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि 21 वर्ष पूर्व हुए सबसे खराब अपराध के कुकर्मियों को दंड क्यों नहीं दिया गया। मैं मानता हूं कि यह सच्चाई आपने आप में देश की राजनैतिक व्यवस्था के निष्पादन के बारे में एक दुखद टिप्पणी है।

क्या मैं विपक्षी मित्रों से एक प्रश्न कर सकता हूं? भाजपा छ: वर्षों तक सत्ता में थी। जब वे छ: वर्ष तक सत्ता में थे तो उन्हें यह पता लगाने के लिए कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे एक आयोग गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा हम सबको पता है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सभी मामलों को दोबारा खोला जा सकता है। दोबारे खोले गए मामलों के आधार पर कार्यवाही शुरू की जा

सकती है और न्यायालयो में किसी आदमी से पूछताछ की जा सकती है। श्री आडवाणी उन छः वर्षों में भारत के गृह मंत्री थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब चार-पांच आयोगों ने पहले ही इसकी जांच कर ली थी तो उन्हें एक और आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा आयोग गठित करने की क्या जरूरत थी?

महोदय, आपको यह सच बताने के लिए कि यह-आयोग किस प्रकार आस्तित्व में आया – मैं उस समय दूसरी सभा का सदस्य था, सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री आडवाणी ने बहुत सामान्य ढंग से टिप्पणी की थी कि यदि विपक्ष के नेता सहमत हों तो सरकार एक आयोग नियुक्त करना चाहती है। उस समय गृह मंत्री द्वारा दिया गया यह एक बहुत साधारण वक्तव्य था। उस समय विपक्ष के नेता सभा में उपस्थित नहीं थे। मध्याह्न भोजन के पश्चात् जहां तक मुझे याद है, श्री प्रणब मुखर्जी यह कहने के लिए खड़े हुए कि यदि सरकार की आयोग गठित करने की मंशा है तो कांग्रेस पार्टी इसमें रुकावट नहीं डालेगी। इसलिए सरकार द्वारा आयोग का आकस्मिक गठन किया गया था। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री द्वारा सामान्य ढंग से इसका जिक्र किया गया था। यह अपने आप में प्रमाण है कि भाजपा इसे नियुक्त नहीं करना चाहती थी बल्कि कुछ लाभ उठाना चाहती थी। वे कांग्रेस से यह पूछकर कि क्या कांग्रेस एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं उसे नीचा दिखाना चाहती थी।

यही आयोग की कहानी की शुरूआत है। आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? ऐसा क्यों था? आयोग का गठन छः माह के लिए किया गया था और पांच बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं भाजपा से पूछ सकता हूं कि वे इतने परेशान क्यों हैं कि अल्पसंख्यक सिख समुदाय को कांग्रेस नेताओं ने इतनी निर्ममता से आघात पहुंचाया? मैं उनके आरोप को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा सिख समुदाय को चोट पहुंचाई गई – यहां तक कि उस समय प्रधान मंत्री भी शक से बाहर नहीं थे। यही उनका आरोप है। यदि ऐसा है तो उन्हें समय क्यों चाहिए था? उन्होंने कार्यकाल क्यों बढ़ाया? जब भाजपा के पास शायद दोनों सभाओं में बहुमत था तो उन्होंने न्याय किए जाने की मांग क्यों नहीं की? यह क्यों किया गया?

प्रो० मल्होत्रा कृपया दंड प्रक्रिया संहिता को देखिये। किसी भी मामले को दोबारा खोला जा सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट मामला खोल सकता है और मामले को दोबारा खोलकर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि श्री आडवाणी को दंड प्रक्रिया संहिता का पता है। भाजपा में भी वकील हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आयोग नियुक्त क्यों किया गया? आयोग का कार्यकाल इतनी बार क्यों बढ़ाया गया? पांच वर्ष के पश्चात् हम कब्र खोद रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को स्वयं जिम्मेदारी से दोषमुक्त करना चाहिए। महोदय, यह उस उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता नहीं है। यह केवल बातें बनाना है और यदि भाजपा सिख समुदाय के साथ हुए गलत व्यवहार के प्रति न्याय करने में गम्भीर होती तो वे बहुत कुछ कर सकती थी।

महोदय, मुझे क्षमा कीजिए परन्तु मेरा निष्कर्ष यह है कि यह अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की निष्कपट पहल नहीं है। यह राजनैतिक लाभ लेने के लिए राजनैतिक पहल है। ऐसा कहते हुए मैं बेझिझक कहता हूं कि मेरी पार्टी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी यह मानती है कि यह-एक हत्याकांड था? यह जनसंहार का और अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति राज्य मंत्री हो, चाहे वह व्यक्ति संसद सदस्य हो; चाहे वह व्यक्ति एक राजनैतिक कार्यकर्ता हो; जब आप कहते हैं कि व्यक्ति एक सक्रिय सामाजिक संगठन का सदस्य है, भले ही वह कोई भी हो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए।

महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि आयोग ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। काम को आधूरा ही छोड़ दिया गया। आयोग की रिपोर्ट विरोधाभासपूर्ण है और यदि आयोग की रिपोर्ट विरोधाभासपूर्ण है तो की-गई-कार्रवाई अत्यधिक निराश करने वाली। मैं सरकार से विशेषकर गृहमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से तथा विपक्ष के नेता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चर्चा संपन्न करते समय इस सभा को यह आश्वस्त करें कि उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी जिनके खिलाफ मामलों की पुनः तहकीकात करने पर पर्याप्त साक्ष्य पायेंगे। क्या सभा में इस तरह का आश्वासन दिया जा सकता है? यदि आश्वासन दिया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि इससे सरकार का कद बढ़ेगा उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। ऐसा करके सरकार सभा के उन माननीय सदस्यों की हवा निकाल सकती है जो अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करने के नाम पर देश में लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए खतरनाक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। इसलिए सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से ही पहल करनी चाहिए।

अतः मेरा सुझाव है कि यह एक राष्ट्रीय चौकसी का मामला है। मेरा मानना है कि इसमें केवल आप के साथ ही अन्याय नहीं हुआ है अपितु पूरे राष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। बंगाल से आने के कारण, मैं समझता हूं कि हम सभी समान रूप से चौकन्ने हैं।

इसे आप ऐसे नहीं लें जैसे आप पर कोई चोट की गयी है। यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था उन अपराधियों को दंडित करने में असफल रही जिन्होंने आज से 20 साल पहले इस नरसंहार को अंजाम दिया

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

था। इसलिए आततायियों को दंडित किया जाना चाहिए की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। इस पर नये सिरे से विचार होना चाहिए। हमारा सुझाव तो यह है कि साक्ष्य के आधार पर सभी मामलों की पुनः सुनवाई की जानी चाहिए। चाहें जो भी हो, चाहें कितना बड़ा या छोटा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस नरसंहार के लिए दोषी पाये गये हैं। वे चाहें सेवारत हों, या सेवानिवृत्त हो चुके हों। हमारी मांग है कि दंगों का शिकार हुए सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। न्याय में विलम्ब का तात्पर्य न्याय से वंचित करना, नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले, मैं अपनी आपत्ति इस रिपोर्ट के टाइटल पर व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें लिखा है – "राइट्स" राइट की बात लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि यह मामला राइट्स का नहीं है, यह मामला तो कत्ले-आम का है। इसलिए कहीं न कहीं इस बात की भी सफाई होनी चाहिए। अभी यहां जितनी भी चर्चा चली, उसमें एक तरफ सिखों के साथ जो कुछ हुआ, उसे रख दिया गया और दूसरी तरफ गुजरात में क्या हुआ, यह बात भी आमने-सामने लाई गई। ये दोनों आमने-सामने आने वाली बातें नहीं हो सकतीं, क्योंकि यहां जो हुआ—वह एक पोगरोम था जो हिटलर अपने जमाने में चलाता था और वहां गुजरात में हुआ—वह आमने-सामने लड़ाई थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको तो मालूम है कि बिना स्पीकर की अनुमति के इस प्रकार से बीच में खड़े होकर बोलने से रिकॉर्ड पर नहीं जाता है। जब आपकी बारी आए, जब आप बोलिएगा। ठीक है। प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित किजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यदि मेरे बोलने पर उन्हें कोई आपत्ति है, तो जब वे बोलें, अपनी राय यहां रख सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो भी अनपार्लियामेंट्री होगा, उसे हम एक्सपंज कर देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस समय गुजरात में स्थिति बिगड़ गई और वहां के मुख्य मंत्री ने सेना की मांग की, तो जैसे ही वहां से यह मांग आई? मैं रात को ही वहां सेना लेकर पहुंच गया। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : हां, मैं भी साथ था। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, वहां जो कुछ भी हुआ, उसे हमने अपनी आंखों से देखा था और उसी के आधार पर मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप लोगों ने उसे देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए। चेयर को एड्रैस कर के बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे यह मालूम नहीं था कि जैसे ही मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा होऊंगा, सदन में तूफान आ जाएगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

[अनुवाद]

मैंने आपका नाम पुकारा है। आप बोलने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, उधर से कौन बोल रहा है। कृपया शान्त रहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका सबूत अगर किसी को चाहिए, तो अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं कुछेक वाक्य इसमें से पढ़कर सुनाना चाहूंगा, हालांकि इसकी सुनवाई यहां हो चुकी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं इसे इसलिए पढ़कर सुनना चाहता हूं क्योंकि जो मेरा तर्क है कि यह एक पोगरोम है तथा इसमें

और गुजरात में कोई मेलजोल नहीं है।

[अनुवाद]

पन्ना 180 में लिखा है :

"बड़ी संख्या में पेश किये गये शपथ पत्रों से यह पता चलता है कि स्थानीय कांग्रेस (आई) नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने भीड़ को सिखों पर हमला बोलने के लिए भीड़ को या तो उकसाया था या उसकी मदद की थी। प्रभावशाली और संसाधनयुक्त व्यक्तियों की मदद के बिना सिखों की इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं करना संभव नहीं हो पाता। कई जगहों पर तो दंगाई भीड़ में बाहरी व्यक्ति शामिल थे यद्यपि इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि सुल्तानपुरी और युमनापुरी जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां बहुत बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी हैं, वहां स्थानीय लोग भी भीड़ में शामिल थे। बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्तियों के साधारण व्यक्ति जनता से नहीं ला सकते थे। उनके बाहर से लाने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि इन बाहरी व्यक्तियों को सिखों के घरों की पहचान करायी गयी थी। स्पष्ट है कि बाहरी व्यक्तियों के लिए सिखों के घरों और दुकानों का इतनी जल्दी पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता। इस बात के भी साक्ष्य उपलब्ध हैं कि जो सिख गुरुद्वारा अथवा अपने क्षेत्र के किसी स्थान पर अपना सामूहिक रूप से बचाव करने के लिए एकत्रित हुए थे उन्हें अपने घरों में जाने के लिये मनाया गया या उन्हें बाध्य किया गया। अभिलेखों में यह साबित करने की पर्याप्त सामग्री मिलती है कि कई जगहों पर पुलिस ने सिखों से उनके अस्त्र-शस्त्र और दूसरी चीजें छीन ली थी जिसने वे भीड़ के हमलों से अपना बचाव कर सकते थे। सिखों को इस आश्वासन के बाद कि उनकी पूरी हिफाजत की जायेगी और उन्हें अपने घरों में जानें के लिए मनाने के बाद, उन पर हमले शुरू हो गये। यदि क्रुद्ध भीड़ की यह कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया होती हो यह सब घटित नहीं होता। जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से सिखों की हत्याएं की गईं उससे पता चलता है कि उन पर हमले पूर्वायोजित थे ।"

पोगराम में यही बात कही गयी है *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप इसकी केवल अगली दो पंक्तियां पढ़े *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कभी उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज़ : इसमें आगे लिखा है :

"ऐसा लगता है कि 1.11.84 के बाद एक आरंभिन्द क्रोध का कारण" में "स्थिति के भयादोहन का कारण" भी शामिल हो गया है। स्थिति का भयादोहन समाज विरोधी तत्वों द्वारा किया गया। समाज के निर्धन वर्ग के लोग जो जीवन की सुख सुविधाओं वाली चीजों के उपभोग से वंचित रहे हैं ने इस बात की परवाह किये बिना कि उन्हें दंडित भी किया जा सकता है, इस अवसर का लाभ उठाकर लूट पाट मचा दी" *(व्यवधान)*

मैं उसी पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाये रखें।

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज़ : इसमें आगे कहा गया है :

"स्थिति का भयादोहन भी स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभों जैसे अपना महत्व लोकप्रियता तथा जनता पर अपनी पकड़ प्रदर्शित कर अपना रुतबा बढ़ाने के लिये किया गया। पुलिस बल का भय न होना भी उन कारणों में से एक था कि इन तीन-चार दिनों में इतनी बड़ी संख्या में लूटपाट की घटनाएं घटीं। यदि पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की होती तो संभवत: इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं न होती और लूटपाट की इतनी सम्पत्ति की अधिक घटनाएं न होतीं।

जैसा कि सिखों पर हमलों की घटनाएं आयोग को संगठित जान पड़ती हैं, इस बात को जानने के प्रयास किये गये कि इन्हें संगठित तौर पर करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं। आयोग के समक्ष दायर कुछ शपथपत्रों में आमतौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस नेता/कार्यकर्त्ता इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट के भाग तीन में, आयोग ने ऐसी कुछेक घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें कांग्रेस (आई) के नेताओं/कार्यकर्त्ताओं के नाम लिये गये हैं। कुछ हद तक समाज-विरोधी तत्वों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन ने उन घटनाओं में कथित तौर पर हिस्सा नहीं लिया। दंगों के दौरान लगाये गये नारों से भी पता चलता है कि भीड़ में से कुछ लोग कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता अथवा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। यह सुझाव भी दिया गया था कि राजीव गांधी ने अपने एक अधिकारी से यह कहा था कि सिखों को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन आयोग को इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं दीख पड़ती। इस बारे में प्रस्तुत साक्ष्य बहुत ही अस्पष्ट हैं।"

[हिन्दी]

मैं यहां पर रुक जाऊंगा। मैंने इसलिए इसे पढ़ा है। *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : आगे भी तो पढ़िए। ... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : आप भी पढ़ सकते हैं, आप लोगों के हाथों में भी है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बातों पर ध्यान न दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास ज्यादा टाइम नहीं। आप बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह एक गंभीर मामला है, मगर मुझे अफसोस है और मुझे लगता है कि कुछ चर्चाएं यहां पर मजाक के तौर पर हुई हैं। यदि हम इस गंभीर विषय को छोड़ दें, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। चार हजार लोग जो मारे गए, जिनमें सेना के लोग भी थे, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की है। गाड;ी में जाते हुए सेना के सिक्ख अधिकारियों और जवानों को बाहर निकाल कर जान से मार दिया गया। वे सभी यूनिफार्म में थे, उन्हें क्यों मार दिया गया, क्योंकि वे सिक्ख थे। यह बात यहीं नहीं रुकती है। यहां पर बार-बार यह प्रश्न पूछा गया कि आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? इसके पीछे दो कारण हैं ... *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : महोदय, पीछे बैठे लोग टोपी नीचे करके और मुंह छिपा कर बोलते हैं। वह गलत है। अगर उन्हें बोलना ही है तो खड़े हो कर बोलना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप शांति रहिए। उनका रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा हम जानते हैं कि आप भी खड़े हो कर गलत करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सीमित समय मिला है। मैंने उन्हें आवंटित समय का दोगुना समय पहले ही दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए। हम आपको सुनना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन-जिन लोगों को इन दंगों में घसीट कर मार दिया गया, उनमें वर्दी पहने हुए सेना के जवान और अधिकारी भी थे। इस बात को बीस साल हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी चिल्ला रहे हैं। यह पूछा जाता है कि एन०डी०ए० की सरकार ने इतनी देर से काम क्यों किया। जब यह कांड हुआ था तब क्या उस समय इन लोगों को किसी ने रोका था? आज ये सब बातें हो रही हैं। आपको मालूम है कि यह कांड होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करवाए थे और क्या यह किसी को याद है कि चुनावों के लिए क्या पोस्टर लगाए थे, इतनी बड़ी तस्वीर बना दी गई, टैक्सी के बगल में दाढ़ी वाला सरदार और उस पर लिखा था, क्या इसके ऊपर विश्वास करोंगे। ... *(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : ये गलत बयान दे रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : ये गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगाया गया था। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम मानते हैं कि यह गम्भीर आरोप है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक ढंग से जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़, आप का समय व्यतीत हो चुका है। मैंने आपको आबंटित समय से दोगना से भी ज्यादा समय दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी नियंत्रित कर रहा हूं। मुझे दोनों पक्षों को नियंत्रित करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अनेक सदस्य बोल चुके हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है वह अपनी बात कह रहे हैं और अपने विचारों को बड़ी दृढ़ता से रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : कुछ बातों को छिपाने का प्रयास चल रहा था, वे मुझे आहत कर रही थीं। सिखों के लिए इतना प्यार है, यहां हमें यह बताया गया। पहले मार डाला, जो बचे हैं, वे मर जाएं ताकि उनकी टैक्सियां भी चलें, आमदनी भी हो, ये सारी कोशिशें थीं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आप कनक्लूड कीजिए। आपको पांच मिनट की जगह पन्द्रह मिनट दिए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मुझे दो-तीन बातें ही कहनी थीं, जिसमें से मैं दो बातें कह चुका हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सब माननीय सदस्यों ने भी ऐसा कहा है, हम भी उसी सोच और विचार के हैं। यहां जितने भी माननीय सदस्यों ने बोला है, वे सब एक ही विचार के हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार) : इसकी जरूरत नहीं थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चुप कीजिए। आपको बैठकर बोलने का कोई हक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप उधर के सदस्यों को भी मना कीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने मना किया है। हम जितना मना करते हैं, उतना मना और कोई नहीं करता। आपसे हाथ जोड़कर भी बोल रहे हैं। आप बैठकर कमैंट कर रहे हैं। आप चुप क्यों नहीं रहते। यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पांच मिनट था और अब 15-16 मिनट हो गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। जब मांगेंगे तब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आप उस तरफ क्यों देखते हैं। वे तो आपके पुराने दोस्त हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : जिन लोगों ने एक्शन टेक रिपोर्ट दी है, उसे फाड़ डालना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है यह आपका मत है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अनेक लोगों को बचाने के लिए बाबू लोगों द्वारा बनाई गई यह रिपोर्ट है। कोई संवेदनशील व्यक्ति इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखता। *(व्यवधान)* यहां लीडर ऑफ दी हाउस बैठे हैं, और भी मंत्रीगण हैं। बाबू लोगों द्वारा लिखी गई ए०टी०आर० इनके पास कैबिनेट में गई होगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इन्होंने उसे कैसे क्लीयर करके हमारे सामने रख दिया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसके खिलाफ थे।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या हम लोगों का दिल पूरा खत्म हो गया है? *(व्यवधान)* अगर बाबू लोगों में संवेदनशीलता होती, उनका दिल इन लोगों ने बेच डाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। *(व्यवधान)* मैं और समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस पर जितना बोलना चाहिए, सब सदस्य बोल चुके हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने सहयोग किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में 1984 में जो घटना घटी, वह बहुत ही शर्मनाक थी। उस घटना के बारे में आज ग्यारह बजे से बराबर सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा चर्चा हो रही है। 1984 में सिखों के ऊपर जो अत्यचार हुए, अन्याय हुए, उनकी जो हत्याएं हुईं, वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थीं, पूरे देश में ऐसी घटनाएं हुईं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी सिखों के ऊपर ऐसी घटनाएं हुईं। लकिन आज जो चर्चा सदन में हो रही है, अल्पसंख्यक सिख समुदाय के ऊपर जो घटनाएं घटीं, उस मुद्दे पर दोनों तरफ से राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि अगर सिखों के ऊपर दंगे हुए, सिखों की हत्याएं की गयीं, सिखों के साथ अन्याय किया गया तो इस देश के लाखों लोगों ने सिख भाइयों की जान-माल की रक्षा भी की थी, आज उसकी चर्चा इस सदन में किसी ने नहीं की। उस समय पूरे देश के अंदर लाखों जवान, बुजुर्ग, माता और बहनें अपने जान-माल को न्यौछावर करके सिख समुदाय की रक्षा के लिए आगे आयीं थी। मेरा कहना है कि उसकी चर्चा भी इस सदन में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 1984 में सिखों के साथ जो कुछ हुआ, वह बहुत ही अप्रत्याशित था। *(व्यवधान)* आप उसे प्री-प्लांड कह सकते हैं। मेरे मन में जो भावना है, मैं उसे बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विषय से हटकर न बोलें।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा : आपके शब्दों में वह प्री-प्लांड हो सकता है, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटे जिसमें हजारों सिख परिवार बेघरबार हो गये, मैं समझता हूं कि इस घटना से विशेष रूप से एन०डी०ए० या भाजपा का ही इंटरैस्ट नहीं है, बल्कि इस सदन के हर दल का इंटरैस्ट है। सबको शर्म के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि जो घटना घटी, वह गलत हुई।

अध्यक्ष महोदय, कल आपने इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ, वह अप्रिय घटना थी इसलिए सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। अगर अचानक कोई घटना घटती है, तो उसे रोकने के उपाय किये जाने चाहिए न कि उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सैंकनी चाहिए।

मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की यही सोच है कि अल्पसंख्यक सिख समुदाय, को इस देश में माइनौरिटी में है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इस सदन की सार्वजनिक रूप से बनती है। आज यू०पी०ए० सरकार यहां कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है। कांग्रेस के जो लीडर्स यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे सदन को भरोसा दिलाएं कि सिखों के साथ जो अन्याय हुआ, सिखों के ऊपर जो दंगे हुए, उन दंगों में जो लोग लिप्त थे, उनके खिलाफ वे कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। आज सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वे भी सदन को भरोसा दिलाएं कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक सिख समुदाय जो इस देश में सबसे ज्यादा आतंकित है, उन के साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकरण में जो लोग भी दोषी हैं, यू०पी०ए० सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन इस सदन में देगी। मेरी सरकार से यही मांग है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सिख समुदाय के लोगों से संबद्ध एक ऐसे संवेदनात्मक मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। सभी को मालूम है कि 21 वर्ष पूर्व दिल्ली और पूरे देश भर में क्या हुआ था। परसों ही जब माननीय गृह मंत्री ने आयोग की रिपोर्ट और की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो वह दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रह रहे पूरे सिख समुदाय के लिए अत्यन्त दुखभरा दिन था।

जैसाकि आपको विदित है कि सिख समुदाय ने स्वतन्त्रता संघर्ष में अधिकतम बलिदान किया था। मौलाना आजाद रचित "इण्डिया विन्स फ्रीडम" प्रसिद्ध पुस्तक में स्वतन्त्रता संघर्ष में सिख समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिका का स्पष्ट वर्णन किया गया है।

मेरे आदरणीय सहयोगी श्री ढींडसा ने अपने भाषण में स्वतंत्रता संघर्ष में सिख समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का वर्णन किया है और उदाहरण दिए हैं। मैं भी कुछ उदाहरणों की चर्चा करूंगा। स्वतंत्रता संघर्ष में फांसी दिए गए लोगों से लगभग 87 प्रतिशत लोग सिख समुदाय के थे और अंग्रेजों द्वारा काला पानी की सजा दिए जाने वाले लोगों में से 98 प्रतिशत लोग सिख समुदाय के थे। स्वतंत्रता संघर्ष को दर्शाने वाला अध्याय "कामा गारा मारू" में सिखों का ही वर्णन है और कूका आन्दोलन तथा जैसाकि पहले बताया गया है

"जीतों का मोर्चा" में भी सिखों का ही वर्णन है। आप सभी को मालूम है कि जलियावाला बाग हत्याकांड में भी हजारों पंजाबी मारे गए थे। सिख विरोधी आन्दोलनों के 21 वर्षों के बाद भी सिख समुदाय अपने को हताश महसूस करते हैं। भारत सरकार ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी यह एकमात्र उदाहरण है जहां हजारों मासूम लोगों की हत्या के लिए उस समय की सरकार ही जिम्मेदार है अब मैं नानावती आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। आपके पास केवल दो मिनट हैं। 5 मिनट में से आप तीन मिनट बोल चुके हैं।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, आपने कहा था कि मैं बोल सकता हूं। पूरी चर्चा सिख समुदाय के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा ने आपके दल की ओर से विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : महोदय, उनको थोड़ा और समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम तो दे ही रहे हैं। आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय नहीं बचा है, फिर भी दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल : कांग्रेस पार्टी इसमें इन्कार नहीं कर सकती है। मैं सत्तापक्ष के बैठे हुए कांग्रेस नेताओं से जवाब चाहता हूं। 1984 में किस की सरकार थी? उस समय सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री भी उन्हीं के थे। उस समय राज्यपाल कौन था? उसकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस समय सेना किसके नियंत्रण में कार्य कर रही थी? वह कांग्रेस के नियंत्रण में थी। पुलिस किसके नियंत्रण में थी? वह कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में थी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? यदि अप नानावती आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इस घटना के पीछे कांग्रेस थी। न्यायमूर्ति नानावती रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है :–

> "1 नवम्बर 1984 की सुबह से ही आक्रमण की प्रकृति और स्वरूप बदल गया था। लगभग सुबह 10 बजे के बाद लोगों के खून का बदला खून से लेंगे "जैसे नारे सुनाई पड़ने लगे थे।"

उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों का प्रयोग किया गया था। डी०टी०सी० बसें किसके नियंत्रणाधीन चलाई जा रही थी? यह कांग्रेस शासन के अधीन थी। अत: कांग्रेस सरकार वहां थी। डी०टी०सी० बसों में लोगों को लाया गया था, उन्हें मिट्टी का तेल, पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थ दिए गए थे। उन आक्रमणों के लिए वे जिम्मेदार थे। उन्होंने भीड़ को सिखों के घर और दुकाने बताई। उन्होंने योजना बनाई और लोगों को कहा कि सिख समुदाय के लोगों को मारना होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। यह कहा गया है कि स्पष्ट साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि आक्रमण सुनियोजित थे और उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस किसके नियंत्रण में कार्य कर रही थी? कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में थी। इसमें कहा है कि आक्रमण करने वालों को पुलिस का भय नहीं था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह लोगों को गिरफ्तार न करे और उन्हें अधिक से अधिक लोगों को मारने दिया जाए।

नानावती आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में शपथ-पत्र मिले हैं जो दर्शाते हैं कि स्थानीय कांग्रेस (आई) नेताओं ने लोगों को भड़काया और आक्रमण करने में उनकी मदद की। आप और क्या जानना चाहते हैं? इसमें यह भी कहा गया है कि रिकार्ड में काफी सामग्री यह दर्शाती है कि कई स्थानों पर पुलिस ने सिखों से उनके हथियार और अन्य सामग्री ले ली जिससे वे अपनी रक्षा न कर सकें। इसके बाद भी आप कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस बल ने डर के अभाव के कारण ही यह सब घटित हुआ जोकि अन्य कारणों में से एक था। रिपोर्ट यह भी कहती है कि दंगों के दौरान बोले गए नारे इस बात को दर्शाते हैं कि भीड़ कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं अथवा हमदर्दों की ही थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। मैंने आपको समय दिया है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय यह ठीक नहीं है *(व्यवधान)* आप यह नहीं कर सकते। यह आप नहीं कर सकते *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या नहीं किया जाए? मैं क्या नहीं कर सकता?

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : हमारे समुदाय ने सबसे अधिक भुगता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप सभा के नियमों का अनुसरण न करें।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : आप हमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। महोदय, यह शर्मनाक है।

अध्यक्ष महोदय : यह किसके लिए शर्मनाक है? नौजवान बैठ जाओ। यह किसके लिए शर्मनाक है आपको इसका जवाब देना होगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : हमें अपनी विचार व्यक्त करने के लिए कम से कम समय तो दीजिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दिया है। आपने तीन मिनट से भी ज्यादा बोला है। मैंने हर एक को समय दिया है। उनके पास 5 मिनट का समय था और मैंने पन्द्रह मिनट दिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे कथनों का प्रयोग मत कीजिए। आप कठिनाई में पड़ सकते हैं। कृपया ऐसे कथनों का प्रयोग मत कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सभा में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। आप संसद के सदस्य हैं और 'शर्मनाक' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सभा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : कृपया उन्हें 2-3 मिनट का सयम दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं लेकिन यह बर्ताव करने का तरीका नहीं है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, यह संवेदनात्मक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है यह संवेदनात्मक मामला है लेकिन आपको नियमों के अनुसार बर्ताव करना होगा। यदि आप मेरे साथ तर्क करेंगे तो मैं आपको समय नहीं दूंगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, न्यायमूर्ति नानावती आयोग ने स्पष्ट कहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ठीक तरह से बर्ताव करने के लिए भी कहिए।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, मुझे खेद है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दल के नेता हैं इन्होंने अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, मैं माफी मांगना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा समय दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं यहां पर हूं मैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय और दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात कहिए। यह बात कहने के कई और तरीके हैं। आप मुझे आंखें दिखाने के बजाय कुछ और समय दिए जाने के लिए अनुरोध कर सकते थे।

श्री सुखबीर सिंह बादल : मैं एक बार फिर क्षमा याचना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक से व्यवहार कीजिए। अशिष्टता की यहां अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, यदि आप रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट प्रमाण हैं और नानावती आयोग कहता है कि वह उसका मानना है कि इस निष्कर्ष को लिपिबद्ध करना सुरक्षित होगा कि श्री जगदीश टाइटलर, श्री धर्मदास शास्त्री, श्री एच०के०एल० भगत और श्री सज्जन कुमार के विरुद्ध विश्वनीय सबूत हैं। आप क्या चाहते हैं?

महोदय, अब तक कई आयोग बन गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई सुझाव दें। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि हजारों सिखों को किसने मारा, तो मैं समझता हूं कि आप सिक्ख समुदाय से क्यों नहीं पूछते? मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि आपको बस तीन प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न – किसी भी सिख से पूछिए – चाहे उसकी उम्र 10 साल हो, या 20 साल या 50 वर्ष के हों या 80 वर्ष के – कि 1984 में दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? हर सिख कहेगा कि यह कांग्रेस पार्टी है। दूसरा प्रश्न पूछिए : 1984 के दंगों

में भीड़ को किसने उकसाया? हर सिक्ख कहेगा चाहे वह 10 वर्ष का हो या 80 वर्ष का – यह कार्य एच०के०एल० भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर ने किया। आप तीसरा प्रश्न पूछे : उन्होंने ऐसा क्यों किया? उत्तर मिलेगा : उन्होंने अपने संरक्षक नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा किया *(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : यह बहुत ही अपत्तिजनक है। यह अति है। *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : इसलिए, महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा महसूस करता हूं कि हमें दलगत राजनीति से उपर उठना होगा। यह राष्ट्रीय हित की बात है। मैं सभी संसद सदस्यों से अपील करता हूं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और सिख समुदाय को न्याय दें। यदि आप लोग वास्तव में सिख समुदाय को न्याय देने के प्रति गंभीर हैं, तो इन लोगों के वैसा ही समझिए जैसा कि उन आतंकवादियों को समझते हैं जो जम्मू और कश्मीर में अपराध करते हैं, उन आतंकवादियों के जैसे समझिए जिन्होंने संसद भवन पर हमला किया, न्यूयार्क, लंदन या विश्व में चारों तरफ अपराध किए। उन्होंने निरपराध लोगों को मारा। टाइटलर, सज्जन कुमार, एच०के०एल० भगत भी हजारों निर्दोष सिखों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उनके साथ वैसे ही बर्ताव होना चाहिए जैसे आतंकवादियों के साथ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद।

श्री गुरजीत सिंह राणा।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, यह अंतिम बात है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अंतिमबार है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : यह अंतिम है। महोदय, मुझे कहने दीजिए अंत में मैं सभी कांग्रेसी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि वे कोई कदम नहीं उठाते हैं – कम से कम कांग्रेस पार्टी के सदस्य – जो सिख समुदाय से हैं चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पंजाब के मुख्य मंत्री हो, संसद सदस्य हो, या चारों तरफ बैठे लोग हों – मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें और हमें न्याय दिलाएं।

यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना आत्मसम्मान बचाइए और इस साम्प्रदायिक दल को छोड़ दीजिए।

श्री गुरजीत सिंह राणा (जालंधर) : हमें आत्म-सम्मान की बात मत पढ़ाइए।

श्री सचिन पायलट (दौसा) : महोदय, उन्होंने नाम लिया है। यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही कार्यवाही से निकाल दिया गया है। आप चिंता मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : यही इश्तहार है जिसके बारे में सभी चर्चा कर रहे थे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए उनको पुकारा है। आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। अफसोस, उसे मत दिखाइए। यह नियम विरुद्ध है। अब श्री गुरजीत सिंह राणा बोलेंगे।

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, क्या मैं और नजदीक आ जाऊं?

अध्यक्ष महोदय : आप नजदीक आना चाहते हैं। क्या आप धीरे बोलते हैं? बहुत अच्छा, आपके अनुरोध पर।

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, न्यायमूर्ति नानावती आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 3.56 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सर्वप्रथम मैं उन संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगा जो मेरे सामने बोले हैं कि वे हमें यह न पढ़ाएं और इमें उनसे यह नहीं सीखना है कि हमें क्या करना है और हमें हर बात का ध्यान रखेंगे। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया मुझे सुनिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

****श्री गुरजीत सिंह राणा** : उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने 'मरजीवरा' की शपथ ली है। वे मरते नहीं हैं। सरदार ढींडसा को कहने दीजिए कि राणा गुरजीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। मुझे गुरुग्रंथ साहिब की शपथ लेने के लिए कहने वाले वे कौन होते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : राणा जी, आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। आप लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए।

श्री गुरजीत सिंह राणा : मैं समझता हूं कि बहुत से लोग 'मरजीवरा' को नहीं समझ रहे होंगे। मुझे इसकी व्याख्या करने दीजिए। एक समय की बात है जब दो अकाली नेता हरमिंदर साहिब गए और उन्होंने गुरुग्रंथ साहिब के समक्ष ये कसम खायी कि हम लोग इस उद्देश्य के लिए जान दे देंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सिम्मलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सिक्खों का नरसंहार हुआ। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिक्ख होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ही दु:खद मामला है कि हर व्यक्ति इस पर राजनीति कर रहा है, और अपने जीत दर्ज करना चाहता है जो मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री सुखबीर सिंह ने ठीक ही कहा कि मुझे सच्चाई कहनी चाहिए और आपको इस सच्चाई को सुनना चाहिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप अभी प्रतिक्रिया न करें। ढींडसा जी ने अपने विचार बहुत अच्छी तरह व्यक्त किए हैं। मैं इससे प्रभावित हुआ। यह बहुत ही चिंता का विषय है। जहां तक नानावती की रिपोर्ट की बात है इसे रखा जा चुका है। हमारे साथ श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस की एक सक्षम अध्यक्षा हैं, माननीय प्रधान मंत्री, सरदार मनमोहन सिंह जी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे न्याय करेंगे और पहले भी वे न्याय करते रहे हैं। हम 2700 सिक्खों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल्ली में दंगों के दौरान मारे गए थे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: पंजाब में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टिप्पणी न करें।

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, 1984 के दंगों में 2700 से ज्यादा सिक्ख मारे गए थे। यह 21 वर्ष पुरानी कहानी है। यह बहुत ही दु:खद मामला है। यह रिपोर्ट देने में 21 वर्ष लग गए। अकाली हमारे विश्वसनीय मित्र हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं उनसे एक दो बातों पूछना चाहूंगा। केन्द्र में 6 वर्ष से ज्यादा समय तक वे सत्ता में रहे और पंजाब में भी 1997 से 2002 तक पांच वर्षों तक वे सत्ता में रहे। उन दंगा पीड़ितों के लिए उन्होंने क्या किया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरजीत राणा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, पांच साल अकाली दल का राज रहा, सात साल से ज्यादा इनका और इनके सहयोगियों का राज इस सदन में और दिल्ली में रहा। इनको पांच साल से ज्यादा रिपोर्ट को तैयार करने का समय मिला और समय कई बार बढ़ाया गया। मेरे ख्याल में श्री गुरुदास जी बहुत बढ़िया बोले। उन्होंने जो बिंदु उठाए मैं समझता हूं बहुत वैलिड बिंदु थे। मेरे ख्याल से सिखों के मसले पर प्वायंट सकोर करने की बात न कहें। हम यह तय करें कि इनको क्या देना है। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे उन्हें न्याय देंगे। *(व्यवधान)* सिखों ने देख लिया, आप सभी मेरी बात को शांति से सुनिए। अब मैं बोल रहा हूं, उनको देखने दीजिए। आप सिर्फ सुनने का काम कीजिए, अगर आपके अंदर माद्दा हो, नहीं है तो उठ जाइए, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं फिर बोलूंगा इससे क्या फायदा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री गुरजीत सिंह राणा : महोदय, इक्कीस साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। अब रिपोर्ट आ गई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जी इस दिशा में सही निर्णय लेंगे, जिससे कि न्याय और इंसाफ होगा। मुझे पूर्ण आशा है, जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात है *(व्यवधान)* जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं *(व्यवधान)* पांच साल के राज में इन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए पंजाब में इन्होंने कोई राहत का काम नहीं किया। *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

****श्री गुरजीत सिंह राणा** : महोदय, 5 वर्षों तक उनका शासन रहा। यदि उन्होंने दंगा पीड़ितों की मदद के लिए एक भी कदम उठाया हो तो वे हमें बताएं। पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हमारी सरकार तथा प्रधानमंत्री ने कदम उठाए।

यह हमारा कर्त्तव्य है कि हुए दंगे के दौरान पीड़ित सिखों का हम पुनर्वास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

****श्री गुरजीत सिंह राणा** : यह एक गंभीर मुद्दा है। कांग्रेय इससे चिंतित है। लेकिन बहुत से परिवार हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। विधवाओं को मदद तथा प्लॉट नहीं दिए गए हैं। लोगों ने घपला किया है। सहायता जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची है। विधवाओं को डी०डी०ए० के मकान दिए जाने चाहिए ताकि वे स्वयं जीवनयापन कर सके। परिचय-पत्र दिया जाना चाहिए। उनको स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए। यदि पीड़ित दिल्ली के हैं तो उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पतालों में नि:शुल्क स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: पंजाब में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

श्री गुरजीत सिंह राणा : उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाए और रेलवे में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाए। यदि आज ये पंजाब और पंजाबियों के बारे में इतने अधिक चिंतित है तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह सब 1978 में निरंकारी तथा अकालियों के झगड़े से आरम्भ हुआ। उस समय भिंडरावाले का समर्थन किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1984 में ब्लू स्टार आपरेशन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए क्योंकि व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

श्री गुरजीत सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी अधिक चिंतित हैं। परन्तु, महोदय, दिल्ली के सिखों ने हमें पुन: सत्ता सौंपी है और पंजाब में भी जहां वे सिखों के संरक्षक होने का दावा करते हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं लोगों ने पुन: कांग्रेस को सत्ता सौंपी है। कांग्रेस ने अनेक उप-चुनाव भी जीते हैं।

महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है। यदि आज सभा पंजाब, पंजाबी लोगों और दंगा पीड़ितों के बारे में वास्तव में चिंतित है हमें समस्या के मूल कारण जानने चाहिए। पंजाब में चालीस लाख नौजावान बेरोजगार हैं। पंजाब को पैकेज दिया जाना चाहिए। इन्हें इस संबंध ा में प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए। तब ही हम इनकी इस बात से सहमत होंगे कि ये वास्तव में पंजाब और पंजाबियों के बारे में चिंतित है।

सुखबीर सिह बादल जी आप इससे केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ढींडसा साहब ने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा है। क्या उससे कोई बात निकल सकती है? मेरे भाषण के दौरान शोर-शाराबा और व्यवधान उत्पन्न करके आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री जी में मेरा अटूट विश्वास है वे सिक्खों को न्याय दिलाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब भी किसी वक्ता को हर इश्यू पर बोलने का मौका मिलता है तो अपने आप में खुशी महसूस करता है कि मुझे बोलने का मौका मिला। लेकिन यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर खुशी से नहीं, दिल के दर्द और जुबान पर जो शब्द हैं, उनको दर्द की आवाज से बोला जा रहा है। आप आप कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने 1984 के दंगों को भुगता है, उनसे जाकर पूछिए कि उनका दर्द क्या है। महोदय, आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की इम्पार्टेंस सारे देशवासियों के लिए क्या है। गुरु तेग बहादुर जी, उनके बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु माना है। जो लोग गुरुद्वारे जाते हैं वे गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानकर उनको नमस्कार करते हैं लेकिन इन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को भी बख्शा। मेरे पास रिपोर्ट में यह एविडेंस है :

[अनुवाद]

"ब्लाक बी के निवासी निरजन सिंह ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि 10 से 11 बजे के बीच उसी दिन, श्री सज्जन कुमार जो कि स्थानीय कांग्रेस सांसद थे, और उनके निजी सहायक हरद्वारी लाल अपने दो पुत्रों के साथ, एक बाबूलाल और दूसरा होटल वाला जी ब्लाक आए, पहले गुरु ग्रंथ साहिब को जलाया और फिर गुरुद्वारा।"

[हिन्दी]

क्या अब भी जितने लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले हैं, क्या यह कहेंगे कि जो 1984 में हुआ ठीक हुआ? इनडायरेक्टली रूप से आप कहते हैं कि गलत हुआ लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है यह एक एफिडेविट में साफ लिखा है। अभी यहां पर बात आई कि एफ०आई०आर० ठीक से दर्ज नहीं हुई, अकाली दल को चाहिए था लीगल एक्सपर्ट्स को साथ लेकर एफ०आई०आर० दर्ज करवाते। मैंने यहां गिना है कि कितने लोगों ने अपने एफिडेविट दिए हैं। अगर नानावती कमीशन को देखा जाए तो 2557 लोगों ने अपने एफिडेविट दिए हैं, अगर मिश्रा कमीशन को देखा जाए तो करीब 670 के करीब एफिडेविट दिए हैं और जैन बेनर्जी कमीशन को देखें तो 415 एफिडेविट दिए हैं। क्या इससे भी तसल्ली नहीं हुई? सबने इंडिकट किया है कि दंगा करने वाले कौन थे। इतना ही नहीं जो बातें इस रिपोर्ट में आई हैं कि लोगों ने कहा है, वह है :

[अनुवाद]

"बी ब्लाक के मोती सिंह ने कहा है कि 1.11.84 को सुबह लगभग 8.30 बजे श्री सज्जन कुमार ने बी ब्लाक के समीप इकट्ठा हुई भीड़ से कहा कि सांप के बच्चों को मारो।"

[हिन्दी]

जिन सिखों ने शहादत दी, जो सिख कालापानी गए और आज जो सिख हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एम०पी० भी हैं और अच्छी पोस्ट्स पर भी हैं उनको कहा गया है 'सांप के बच्चे।'

आगे जो बात कही गई है वह सुनने वाली है :

[अनुवाद]

"वह उन्हें पुरस्कृत करेंगे उन्होंने उनकी प्रधानमंत्री की हत्या की है। श्री सज्जन कुमार ने भीड़ से कहा कि जो कोई भी रोशन सिंह अथवा बाघ सिंह को मारेगा उन्हें 5000 रु० दिए जाएंगे और अन्य सिखों को मारने वालों को 1000 रु० दिए जाएंगे।"

[हिन्दी]

सिखों ने क्या किया था जो आप लोगों ने ईनाम रखा कि अगर दो सिखों को मारोगे तो पांच हजार और अगर एक-एक सिख को मारोगे तो एक हजार, यह सब किसलिए? जो बातें हुईं वे बहुत दुखदायी हैं। अभी सिब्बल साहब, श्री जगदीश टाइटलर के बारे में कह रहे थे, मैं उनका ध्यान उस व्यक्ति की जो स्टेटमेंट है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

उसने कहीं नहीं कहा कि उसे पंजाबी आती है। उसने सिर्फ यही कहा कि उसे अंग्रेजी नहीं आती है। उसे यही कहा गया कि अगर पंजाब आती है, अंग्रेजी नहीं आती तो एफिडेविट गलत दिया है। लेकिन इतना जुर्म उसने यह जरूर किया कि उसने एफिडेविट दिया कि उसके साथ दगा की गई है, जुल्म किया गया है लेकिन सरकार ने क्या किया?

अपराह्न 4.15 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सभापति महोदय, जिस-जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया, उसे बुला-बुलाकर उस पर प्रैशर डालकर दुबारा स्टेटमेंट दिलाने की कोशिश

की गई लेकिन जब वह कमीशन के सामने पेश हुआ तो उसे अपनी बात लिखाई और उसका नाम लिया। अभी बंसल जी ने बताया कि पूरी एविडेंस नहीं दी लेकिन कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में अभी फैसला लिया है कि कोई भी एस०एम०एस० के जरिये एफ०आई०आर० दर्ज हो जायेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने एफिडेविट दिया, उन लोगों की एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की गई। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस ट्रक पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ होता था, उसे जला दिया जाता था।

सभापति महोदय, मैं एक महिला की व्यथा को बताना चाहता हूं। उसने कहा कि उसके पति को उसके सामने ही घर से निकालकर उसके ऊपर जलता हुआ टायर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, जब पत्नी अपने पति को जलते हुये टायर से बचाने के लिये गई तो उसके साथ भी बुरा सुलूक किया गया और उसके पति को ट्रक में डाल दिया गया। इससे बड़ी अमानवीय घटना और क्या हो सकती है? मेरे गांव की एक लड़की दिल्ली में एक सिख परिवार में ब्याही गई। राणा गुरजीत सिंह जी जानते हैं कि एक सिख के लिये उसके केश कितने महत्व के होते हैं। वह अपनी जान दे देगा लेकिन अपने केश नहीं कटवायेगा। लेकिन उस औरत ने बताया कि जिस दिन दंगे हुये, उसका पति बाहर गया हुआ था। महिला ने अपने पति को फोन किया कि यहां मत आइये क्योंकि यहां दंगे हो गये हैं। उस व्यक्ति ने पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी लेकिन दिल्ली में आने के लिए उसे अपनी दाढ़ी, बाल कटवाने पड़े। सभापति महोदय, सिखों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नानावती रिपोर्ट में जिन-जिन लोगों के नाम आये हैं, जिनके ऊपर शंका की सुई इंगित कर रही है उन सब को जेल के अंदर होना चाहिये। इसके अलावा ए०टी०आर० में श्री धर्म दास शास्त्री का नाम आया है उसके खिलाफ भी सबूत हैं कि दंगों में उसका हाथ था लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ चालान तक पेश नहीं किया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। सिखों को राहत तभी मिल सकती है, यदि एफिडेविट में जिन लोगों की ओर शंका की उंगली उठायी है, वे जेल के अंदर होने चाहिये। बाकी बातें बाद में हो सकती हैं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आप पांच मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। सभापति जी, 21 साल पहले सिखों के खिलाफ हुये नर-संहार पर हम आज सदन में चर्चा कर रहे हैं। 1984 में सिखों के खिलाफ जो दंगे हुये, उन्हें हम नर-संहार कह सकते हैं। इन 21 सालों में इन दंगों की जांच के लिये 9 कमीशन बनाये गये और जिनकी रिपोर्ट आई लेकिन आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला है। नानावती कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है, जिसका जिक्र पहले ही हुआ है, उस टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के मुताबिक उसकी सिफारिशें नहीं आईं। जहां तक टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में था–

[अनुवाद]

> "31 अक्तूबर, 1984 और उसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सिख समुदाय को निशाना बना कर हुई आपराधिक हिंसा तथा दंगों के कारण और कार्य योजना की जांच के लिए"

[हिन्दी]

हमने कमीशन की रिपोर्ट पूरी पढ़ी, लेकिन इसकी सिफारिशें जैसी आनी चाहिए थीं, वैसी नहीं आईं। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं, ए०टी०आर० में उसके क्रियान्वयन में भी वीकनैस है। इसलिए बार-बार हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी रिकमैंडेशंस में कंट्राडिक्शन है। लेकिन कंट्राडिक्शन को लेकर अगर एक्शन लेने में कोई हेजिटेशन है तो वह नहीं होनी चाहिए। यहां यह बात भी आई, जिसे सुनकर हमें आश्चर्य हुआ, जब जॉर्ज साहब ने कहा कि वर्ष 1984 के दंगे और 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, वे कम्पेयर नहीं हो सकते। यह सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि 1984 वाले दंगे प्रोग्राम थे और 2002 वाले दंगे प्रोग्राम नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक आर्गेनाइज्ड था और दूसरा आर्गेनाइज्ड नहीं था। हम जानना चाहते हैं कि गुजरात में वर्ष 2002 में जो घटना घटी क्या यह पूर्व नियोजित नहीं था? क्या वह आर्गेनाइज्ड नहीं था, अगर वह आर्गेनाइज्ड नहीं था तो हम जानना चाहता हैं कि गुजरात के दंगे कैसे इतने दिन चले और आर्मी भेजी गई। सेना का उपयोग किया गया अथवा नहीं? एडीशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री पी० कुमार ने जो डायरी में लिखा है, उससे पता चलता है सेना का प्रयोग नहीं किया गया। पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया गया। जो दंगाई थे, उन्हें प्रोटैक्शन देने के लिए वहां पर खुद मुख्य मंत्री के यहां से इंस्ट्रक्शंस आई थीं। क्या वे दंगे पोगराम नहीं थे, आर्गेनाइज्ड नहीं थे। वहां वोटर लिस्ट लेकर माइनोरिटी कम्युनिटी के घरों, दुकानों को आइडेन्टिफाई किया गया और उन्हें अटैक किया गया। क्या वे पोगराम नहीं थे। यह स्पॉन्टेनियस था, वर्ष 1984 का दंगा या नरसंहार, उसे हम जो भी कहें, वह पोगराम था, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। *(व्यवधान)*

[श्री बसुदेव आचार्य]

अपराह्न 4.24 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला और उनकी नीरो के साथ तुलना की। गुजरत के मुख्यमंत्री की तुलना नीरो से की गयी। उन्हें आधुनिक नीरो कहा गया। जब आग लगाई जा रही थी तो उन्होंने दूसरी तरफ अपना मुंह किया हुआ था। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि दोनों की निंदा करनी चाहिए।

1984 में जो दंगे हुए, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा कंसिस्टैन्ट रही कि जब कभी कहीं पर दंगे होते हैं या इस तरह की घटना घटती है, तो हम उसकी निन्दा करते हैं। सिर्फ निन्दा ही नहीं, बल्कि हम उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। जब 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद जो दंगे हुए, सन् 1993 में मुम्बई शहर में जो दंगे हुए, हज़ारों का कत्लेआम हुआ, क्या वह *पोग्रॉम* नहीं था? शिवसेना के सदस्य अभी यहां पर नहीं हैं। उसके बाद वहां जो कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री का क्या कहना था, वे शायद भूल गए हैं। इसलिए हम आर्ज साहब को बता रहे हैं जब उन्होंने कहा कि गुजरात तो आमने सामने था। सन् 2000 में जो कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, यह भी आमने सामने हुआ और एकतरफा हुआ। यह भी एकतरफा, वह भी एकतरफा हुआ, मगर एक को जस्टिफाइ कर रहे हैं और दूसरे को कंडैम कर रहे हैं। ये डबल स्टैन्डर्ड हैं। हमने सुझाव दिया है कि आज जो रिकमंडेशन आई हैं, उन पर इंप्लीमैंटेशन होना चाहिए और हमने यह बताया है कि नानावती कमीशन ने जिनके बारे में बताया है कि उनके खिलाफ प्रॉसीक्यूशन होना चाहिए, उनके बारे में हमने साफ-साफ बता दिया है कि जो अनट्रेस्ड हैं, इनको रीओपन करना चाहिए, यह भी हमारी मांग है, इसमें जो कहा गया है कि डैथ हो गई है, कार्रवाई नहीं हो सकती या रिटायर हो गए हैं, सर्विस में नहीं हैं, हम कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जो अनाथ हो गए हैं, उनके इंप्लॉयमैंट और कंपनसेशन के बारे में जो सिफारिश की गई है, वह पूरी होनी चाहिए। हम सबको यह सबक लेना चाहिए क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह भी जांच करनी है कि जो कमीशन की रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में बोला है – 'अन्य संगठन,' दूसरे कौन से संगठन इसमें थे? *(व्यवधान)* गुजरात में गरीब आदिवासियों को इस लूट के काम में लगाया गया था। यहां पर भी झुग्गी-झोपड़ी में जो गरीब आबादी है, उनको इस काम में लगाया गया था। इसीलिए कौन दूसरे संगठन इसके साथ हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी पता चलना चाहिए। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : यहां आदिवासियों का नाम लिया गया है, उन्हें रिकार्ड से हटाया जाए।

डॉ० कुंवर अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : नहीं, वह बात सही कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप अकले आदिवासियों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी के प्रति कुछ सम्मान प्रकट करें।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (डा० मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संयोगवश राजनीति में प्रवेश किया परन्तु मैं जीवन भर राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं और मैं सदा से यह मानता हूं कि राजनीति सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण साधन है। राजनीति जब अपने इस मार्ग से विचलित हो जाती है, संकीर्ण अनुदार तथा तुच्छ विचारों की गुलाम बन जाती है तो अपनी वृहत सामाजिक भूमिका और नैतिक उद्देश्यों से भटक जाती है।

आज हम एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी एक बड़ी मानवीय त्रासदी पर बहस कर रहे हैं। इस विषय पर सभा में मतभेद नहीं होने चाहिए। वर्ष 1984 की दुखद घटनाओं के विश्लेषण में तरफदारी की राजनीति को हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए हमारी आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री की अपने ही देश में उनके अपने आंगन में उनके दो अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली और अन्य शहरों में व्यापक जनसंहार की घटनाएं हुई।

हमें सामूहिक प्रयास कर वे रास्ते तलाश करने होंगे जहां हम यह सुनिश्चित कर सके कि दिल्ली अथवा गुजरात जैसी घटनाएं देश में दुबारा घटित न हो। इसलिए मैं इस सभा में तरफदारी के उद्देश्य से खड़ा नहीं हुआ हूं। 1984 में जो कुछ हुआ वह शर्मनाक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और उसके पश्चात् सिक्ख विरोधी दंगे और अन्य भयंकर घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह हमारी राष्ट्रीय अंतरात्मा पर काले धब्बे हैं। इस बात पर सभी पक्ष सहमत हैं। परन्तु प्रश्न यह है : "हम किस ओर जा रहे हैं?"

इक्कीस वर्ष बीत चुके हैं, अनेक दल सत्ता में रहे हैं परन्तु अब भी यह महसूस किया जा रहा है कि वास्तविकता बाहर नहीं आयी है और न्याय अभी तक नहीं मिला है। इसलिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम वे रास्ते और उपाय ढूंढे जिससे कि इस प्रक्रिया में तेजी लायी जाए और हमारे लोगों को यह विश्वास दिलाए कि इतने बड़े राष्ट्र में उन्हें न्याय मिलेगा। काश बहस में इस बात का ध्यान रखा जाता। परन्तु बहस संकीर्ण, हिमायती आधारित रही है और मैं बड़ी विनम्रता से इस सभा से यह कहना चाहूंगा कि इससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

सिख एक बहुत ही गौरवशाली समुदाय है। उनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे गुरूजनों ने हमारे लिए अपनी जीवंत विचारधारा छोड़ गए हैं जो पहले की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है सिखों का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत योगदान रहा है। जो कोई भी पोर्ट ब्लेयर गया है वह यह जानता होगा जिन लोगों को वहां जेल भेजा गया अथवा जिन लोगों को फांसी दी गयी उनमें कितने सिख थे।

देश का विभाजन हुआ। सिख समुदाय को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा। पूर्ववर्ती पंजाब की नहरी क्षेत्र जो सम्पन्नता का प्रतीक थी सिख किसानों की मेहनत का परिणाम था। उनमें से अधिकांश पूर्वी पंजाब में पलायन कर गए। लाखों लोग बेघर हो गए। बंटवारे के उन भयंकर दिनों में मैंने लोगों को अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों और बच्चों को मरते हुए देखा है। यह भयानक दृश्य अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। सिख समुदाय को इसका श्रेय जाता है कि वे इस त्रासदी के बाद भी हताश नहीं हुए।

तत्पश्चात् भातर स्वतंत्र हुआ और पुराने पंजाब की बलि देकर नया पंजाब अस्तित्व में आया। जब उस समय का इतिहास लिखा जाएगा ऐतिहासिक अभिलेखों में नए पंजाब के गठन में दो व्यक्तियों का नाम अग्रणी रहेगा। पहला जवाहर लाल नेहरू और दूसरा सरदार प्रताप सिंह कैरों। आज पंजाब जो कुछ भी है वह देश के इन दो महान व्यक्तियों के गठन से ही सम्भव हुआ। मैं अकाली दल के अपने मित्रों से बहस कर कुछ हासिल करना नहीं चाहता मैं उनसे सम्मानपूर्वक यही कहना चाहूंगा जब वे लोग पंजाब विभाजन के लिए संघर्ष कर रहे थे पंजाब सरकार जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार प्रताप सिंह कैरों जैसे लोगों से प्रेरित हो कर पंजाब के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय लिखा। पंजाब में हरित क्रान्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और सरदार प्रताप सिंह कैरों की देन है। यदि कोई सिख समुदाय और कांग्रेस पार्टी के मध्य दरार पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए।

तद्पुरान्त 1980 की घटनाएं हुई। किस को दोष दिया जाए और किस को दोष नहीं दिया जाए, मैं दोष का बंटवारा करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हूं। उस समय यह प्रतीत होता था कि पंजाब बुरे दिनों से गुजर रहा है। मैं जहां भी जाता था लोग मुझ से कहा करते थे "पंजाब नूं नजर लग गई"। हमने वह दौर भी देखा जब इस बहादुर समुदाय की ओर से ध्यान हटाने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए, जिसने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी वे हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। देश के बाहर के लोग सिखों तथा राष्ट्र की मुख्यधारा के मध्य दरार डालने का प्रयास किया। विदेशी ताकतों द्वारा उकसाये गए तथा सहायता प्राप्त आतंकवादी तत्वों ने हमारी एकता, हमारी राजव्यवस्था, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। हम सभा में अथवा बाहर जो कुछ कहें अथवा करें यदि हम पंजाब के युवकों में असंतोष का बीज बोते हैं तो यह हमारी राष्ट्रीयता के प्रति पाप होगा। पंजाब हमारे देश का सीमावर्ती राज्य है। सिख सदियों से इसकी रक्षा में बहादुर रक्षक की भूमिका निभाते रहे हैं।

यदि आप सिख समुदाय और राष्ट्रीय मुख्य धारा के मध्य दरार डालने का प्रयास करते हैं, मुझे चिंता है कि हो सकता है कि ऐसा आपका इरादा नहीं है यह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहां आतंकवाद का भयानक रूप को पंजाब से दूर किया गया मुझे सन्देह है कि वह पुन: वापस न आ जाए इससे पंजाब को कुछ लाभ नहीं होगा। इससे भारत या हमारे राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा। मैंने उन भयानक दिनों को देखा है अनेक सिख युवक मेरे पास आते थे और कहते थे अंकल मैं विदेश जाना चाहते हैं, मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूं, परन्तु मुझे वीजा नहीं मिलता। सिख युवकों को आतंकवादी के रूप में देखा जाने लगा। मैंने पंजाब और इतिहास में उस भयानक दौर को स्वयं महसूस किया है जब प्रत्येक स्थान पर सिक्खों को संदेह से देखा जाता था। वे देश से बाहर जिस देश में भी गये हर देश में यह अटकले लगायी जाती थी "सावधान आंतकवादी हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं।"

[डा० मनमोहन सिंह]

मैं इस समुदाय और हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा दोनों की प्रशंसा व्यक्त करता हूं जिनके कारण युवकों के मन से आतंकवाद के दुखद अध्याय को दूर किया जो कि अब पुरानी बात हो गयी है। परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा बहादुर सिपाहियों द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं कि हमारे लोगों के दिमाग में संघर्ष के बीज बोये जा रहे हैं और मैं तो इस बारे में यही कह सकता हूं कि इस त्वरित संचार के युग में इस सभा में ऐसी बातें की जाती हैं जो एक बार फिर लोगों के बीच नफरत के भाव पैदा करती हैं, आप जो इस सभा में बोलते हैं आप जो मीडिया के सामने कहते हैं – वे सभी बातें पूरे देश में पहुंचती हैं; मुझे यह सोचकर संकोच होता है कि पंजाब के युवाओं के मन पर उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा जब वे यह देखेंगे कि हमारे संसद सदस्य किस तरह से वहां बातें करते हैं। ये बातें सिख समुदाय के हित में नहीं है। ये बातें हमारे देश के हित में भी नहीं हैं।

इसलिए राष्ट्रीय एकता के नाम पर मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि वे ऐसी बातें न कहें, ऐसे काम न करें जिससे सिख समुदाय और देश के दूसरे वर्गों के बीच खाई चौड़ी हो। यह सिख समुदाय की विशेषता है कि वह इस संकट से बाहर आ गया है। पंजाब एक बार फिर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पंजाब के लोग एक बार फिर साथ मिलकर काम करने लगे हैं ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य खुशहाल हो सके। लेकिन अमन की इस प्रक्रिया में इस सबको योगदान करना है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे सिख युवाओं का विश्वास डिगे। उनका भविष्य देश को सुदृढ़ करने में ही सुरक्षित है।

हमारे देश का कोना-कोना हमारे महान गुरूओं की यादों से सराबोर है। चाहें आप पोन्टा साहिब जायें, नानडेड साहिब जायें, असम जायें इस देश की इंच-इंच भूमि हमारे महान गुरूओं के स्पर्श से पवित्र की गयी है। उन्होंने हमें सभी धर्मों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने एक ऐसे समय में हमें व्यावहारिक धर्मनरिपेक्षता का पाठ पढ़ाया जब धार्मिक कट्टरता और उत्पीड़न का बोलबाला था।

इसलिए मेरा शिरोमणि अकाली दल के अपने मित्रों से यह अनुरोध है कि वह कांग्रेस पार्टी की जितनी चाहें आलोचना करें, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति की एक भूमिका होती है, पर कृपया ऐसी बातें न करें जिससे सजग सिख समुदाय और राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल लोगों के बीच कोई स्थायी दूरी पैदा हो।

महोदय, मैंने कहा है कि हम सभी सचाई जानना चाहते हैं, यह पता करना चाहते हैं कि 1984 की घटनाएं कैसे घटी। इसके लिए अब तक आठ आयोग बिठाये जा चुके हैं। फिर भी हमें संतोष नहीं हुआ। इस पर एक नौंवा आयोग गठित किया गया। जिन परिस्थितियों के तहत इस आयोग का गठन किया गया, हमारे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त ने पहले ही उनका उल्लेख कर दिया है। इस आयोग का गठन करने में हमारी राय नहीं ली गयी थीं। इसका गठन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन अब इस आयोग की रिपोर्ट भी आ गयी है, लेकिन कुछ लोगों को अब भी यही लगता है कि अभी भी पूरी सच्चाई बाहर नहीं है। लेकिन मेरी समझ से एक बात पूरी तरह स्पष्ट है। इस आयोग का गठन कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इसका गठन राजग सरकार ने किया था। हमारा यह तय करने में भी कोई हाथ नहीं था कि इस जांच आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। अब इस आयोग ने उन सब बातों को बिना लागलपेट के और स्पष्ट शब्दों में झुठला दिया जिन्हें लगातार 21 सालों से कांग्रेस पार्टी के उच्च नेताओं के विरुद्ध बिना सोचे समझे कहा जाता रहा है और यह दिखला दिया है कि इतने दिनों से ये सारी अफवाहें जो फैलायी जा रही थी कि उन दंगों में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल रहा है, सभी गलत साबित हुई हैं।

हमें इस बारे में कभी कोई संदेह नहीं था। भला पंडित जवाहर लाल नेहरू के सिख समुदाय के साथ संबंधों को कौन भुला सकता है, इंदिरा गांधी ने सिखों को जो प्यार-दुलार दिया उसे कौन भुला सकता है। मैं जानता हूं कि सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, पंजाब पर जो कहर टूटा था, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी उससे कितना अधिक व्यथित थे और उन्होंने सिखों के इस स्थिति से उबारने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला काम किया वह था पंजाब समस्या की ओर ध्यायन देना और राजीव लोंगोवाल समझौता इसी का परिणाम था।

मुझे याद है कि सरदार बलवंत सिंह, जो उस समय पंजाब सरकार में वित्त मंत्री थे – मेरे सहपाठी थे, 40-50 वर्षों से मेरे मित्र थे, और बाद में आतंकवादियों ने जिनकी हत्या कर दी थी, ने मुझे यह बताया था कि यह राजीव-लोंगोवाल समझौता कितनी मेहनत के बाद हो पाया था। मैं सभा को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि समझौते कि विस्तृत रूपरेखा तैयार हो चुकी थी फिर भी संत हरचरण सिंह लोंगोवाल दुःखी और दुविधा में थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें 'गुरू ग्रंथ साहिब से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।' इसलिए वे दोनों गुरू ग्रंथ साहिब के दरबार में गये। गुरू ग्रंथ साहब को खोला गया और उसका जो पृष्ठ सामने आया उसमें संदेश लिखा था :

[हिन्दी]

"होए इकतर मिलहु मेरे भाई। दुबीधा दूर कराहु लिव लाई।"

[अनुवाद]

इसका अर्थ यह है कि – अरे मेरे बच्चों, आओ एक साथ मिलकर काम करो। अपनी दुविधा को त्याग कर प्रेम से ईश्वर में एकाकार हो जाओ।''

संत जी ने कहा कि अब मेरा संदेह दूर हो गया है। राजीव-लोंगोवाल समझौता इस तरह हुआ था।

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हमें विगत की कड़ुवाहट भुला देनी चाहिए, हमें उस भयावह राष्ट्रीय त्रासदी को विभेदकारी नजरों से देखना बंद करना चाहिए, हमें नये रास्ते तलाशने के लिए साथ-साथ कार्य करना चाहिए ताकि ऐसी त्रासदियां दुबारा कभी न हों।

माननीय सदस्यों ने नानावती आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न कई मुद्दों का हवाला दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा यह आशा की जाती थी कि विभिन्न जांच आयोग, निःसंदेह यह तथ्य सामने लायेंगे कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा फैली और दंगे हुए उसके लिए दोषी कौन था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका है। कई व्यक्तियों पर उंगलियां उठायी जाती रही हैं लेकिन जांच आयोग की रिपोर्टों में शायद ही कभी किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य मिलने का उल्लेख किया गया है। परिणामस्वरूप, इसकी सच्चाई के जानने का प्रयास होता रहा है। न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग इस दिशा में अद्यतन प्रयास है।

मैं इस आयोग के निष्कर्षों में कोई दोष नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन जैसा कि कुछ पूववर्ती आयोगों के मामले में हुआ है, अब भी इसकी सच्चाई में संदेह बरकरार है और हमें यह बात स्वीकारनी होगी। आयोग ने जिन सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है उनमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो गये हैं। उस समय और उसके बाद भी उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। तब से कई सेवानिवृत्त हो गये हैं और अब बीस साल के अंतराल के बाद साधारणतया उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है। फिर भी, हमारी सरकार विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श कर उन लोगों को अधिक से अधिक दंड दिलाने का प्रयास करेगी जो इसमें दोषी पाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ की गयी है। यहां भी आयोग ने स्पष्टरूप से कहा है :

> ''इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि श्री राजीव गांधी अथवा कांग्रेस (आई) पार्टी के कोई दूसरे उच्च सदस्य नेता ने सिखों पर हमला करने का सुझाव दिया था या हमले आयोजित किये थे।''

कुछ दूसरे लोगों के मामले में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभव है कि इन लोगों का कुछेक घटनाओं में हाथ हो, और इस आशय के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन स्वयं आयोग इन व्यक्तियों की भूमिका को लेकर संदेह में है। जैसा कि की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है जब आयोग में ही इस मामले में अनिश्चितता व्याप्त है तो सरकार इस मामले में कैसे कार्रवाई कर सकती है ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात तो सुनें ... *(व्यवधान)*

तथापि, एक बात है जिसे अवधारणा कहा जाता है, और इस सभा की अपनी भावनाएं भी हैं। सरकार उन भावनाओं की कद्र करती है और उनका सम्मान करती है। इसलिए, आज सभा में व्यक्त की गई इन्हीं भावनाओं के मद्देनजर हमारी सरकार ने सभा को आश्वासन दिया है कि जिन मामलों में आयोग ने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर कहा है कि उसमें आगे और जांच की जरूरत है या किसी विशेष मामले में मुकदमे को सिरे से चलाये जाने और उनकी नये सिरे से जांच करने के बारे में आवश्यकता महसूस की है तो सरकार कानून के दायरे में रहते हुए इस दिशा में सभी संभव कदम उठायेगी। सरकार की इस सभा के प्रति यह प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता है।

अध्यक्ष महोदय, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उस राष्ट्रीय त्रासदी का शिकार हुए परिवारों के पुनर्वास से संबंधित है। उन घटनाओं के बीस वर्ष बाद ऐसा कहना, हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि इसमें बहुत देरी हो गयी है। तथापि, यदि इस संबंध में कोई कमी है तो इस सभा को हमारा पूर्व आश्वासन है कि हम इस कमी को दूर करने के गंभीर प्रयास करेंगे।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग इन दंगों का शिकार हुए हैं उनकी विधवाएं और बच्चे आत्म-सम्मान की जिंदगी बसर करें। हमारा यह ईमानदार प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दुःखी व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछे जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, उस समय जो हुआ, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात थी और बहुत बड़ी राष्ट्रीय तथा मानवीय त्रासदी थी।

मेरा इस सभा से अनुरोध है कि ''कृपया किसी मानवीय त्रासदी पर राजनीति की रोटियां न सेकें। ऐसी घटनाओं को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को आगे बढ़ने देना चाहिए।''

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए एक आश्वासन सदन

[प्रो० राम गोपाल यादव]

को दिया है और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को दिया है। आज हम सदन में इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई थी, जो पोलिटिकली विपक्ष में थे, हम भी विपक्ष में थे हमारी भी आंखें नम थीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह इतना दुखद था कि जो लोग दिल्ली में थे, उन्होंने दिल्ली में देखा होगा और जो लोग दिल्ली से बाहर थे, उन लोगों को कहीं-कहीं अकेले सिखों को बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बल-प्रयोग करना पड़ा। इस तरह से लोग सिखों पर हमला कर रहे थे। वह बहुत लंबी बात है, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका आजादी की लड़ाई में और आजादी की लड़ाई के बाद चाहे देश की सीमाओं की रक्षा का प्रश्न हो या देश के अंदर कोई और मामला हो, एक शानदार योगदान रहा है। 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा जी की हत्या के बाद जो घटना घटी, उससे यह शानदार कौम डिमोरलाइज हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश को क्या करना है, यह ज्यादा आवश्यक है।

अपराह्न 4.58 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस वक्त हम यह कहें कि यह घटना हुई या वह घटना हुई, उससे कम्पेयर करें तो यह बात बेमानी है। अगर यह बहस चार साल पहले होती तो हम जो दूसरी बात कहते, यह घटती ही नहीं। इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी की बात से, इशारे से लगता है, अगर पांच-दस लोगों के नाम, जिनके बारे में पूरी कम्युनिटी को आशंका है, जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इतने लोगों की हत्याएं हो गयीं, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद कुछ लोगों को दंडित किया जा सकता है, उन्हें दंड न दें तो लोगों के मन मे निराशा होती है। जब भी अल्पसंख्यंक के मन में निराशा होगी, जब भी अल्पसंख्यक के मन में यह होगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके दुष्परिणाम सामने आयेंगे जिन्हें हम देख रहे हैं और देख चुके हैं।

प्रधानमंत्री जी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि देश बड़ा है और इस देश को एक रखने के लिए, लोगों में सद्भाव बनाये रखने के लिए, यशस्वी कौम के मन में विश्वास पैदा करने के लिए अगर दो-चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े, तो उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.00 बजे

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : महोदय, मैं इस विषय में 21 वर्ष से जोर-जोर से बोलने की प्रतीक्षा करती रही। मुझे खुशी है कि मुझे मौका दिया गया है।

मैं कहना चाहती हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अत्यधिक खतरे की चेतावनी दी गई थी तो उन्हें अपने सिख अगंरक्षकों को हटाने के लिए कहा गया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि इससे वह समुदाय और अपमानित होगा और बंट जाएगा। वह सच्ची राष्ट्रवादी थीं। क्या हमने इस यादगार का सम्मान किया? क्या हमने उनकी मृत्यु के पश्चात् सत्ताधारी दल द्वारा किए गए कार्यों से उनके दृष्टिकोण का सम्मान किया? जिस महिला ने सिखों को स्वयं से अलग करने के बारे में सोचा भी नहीं उसकी याद में सत्ताधारी दल ने क्या किया?

बहुत से दंगे हुए हैं। जैसा आपने बताया गुजरात, मेरठ और मुरादाबाद में दंगे हुए हैं। हर बार कोई न कोई पकड़ा गया। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी किसी न किसी कारण से दंगे होते रहेंगे। किन्तु यह पहला मामला है जिसमें नरसंहार खुले तौर पर, हृदयविहीन होकर और संगठित रूप में सत्ताधारी दल द्वारा आयोजित किए गए जहां लोगों को दल बनाकर यह पता लगाने हेतु भेजा गया कि उन्हें कितने पेट्रोल की जरूरत है; उन्हें कितनी रस्सियों की जरूरत है और उन्हें कितने टायरों की आवश्यकता है।

मैं महारानी बाग में भी। मैंने अपने नगर पार्षद, जो कि अब सत्ताधारी दल में हैं, के नेतृत्व में एक दल को प्रवेश करने हुए देखा। उनके हाथ में एक सूची थी। उस सूची में उन मामलों की संख्या थी जिनमें सिख रहते थे और जिनके मालिक सिख थे। हरेक को जला दिया गया। उन्होंने मेरे सामने टैक्सी स्टैंड को जला दिया। यदि मैं मेनका गांधी न होती तो मेरा घर भी जला दिया गया होता।

वे हमारे बारे में इससे राजनैतिक फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। तब चुनाव समय पूर्व करा दिए गए थे। उनके शव की तस्वीरों वाले पोस्टर लाये गए थे। कलश भेजे गए थे। मैं अमेठी गई थी तो 28 वर्ष की थी। हर गांव जिसमें मैं गई यह लिखा था "बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की"। मैंने उनसे बात की और कहा, "क्या आप संजय गांधी की पत्नी के बारे में ऐसा कहते हैं?" उन्होंने कहा, हमने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोग आए थे और रात में यह लिख गए।" मैं इस कत्लेआम की साक्षी हूं। मेरे पास जो भी था, हाथ में कंबल लेकर मैं उसके बाद उन सब क्षेत्रों में गई थी।

मैंने देखा कि जिन लोगों की बड़ी दुकानें थीं वे एक कंबल के लिए भीख मांग रहे थे।

इक्कीस वर्ष बाद कल मैंने टेलीविजन पर एक मुख्य अभियुक्त जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं की यह कहते हुए देखा कि वह एक पीड़ित है। वह तिलक नगर जाकर देखें। वह उन कालोनियों में जाएं जहां लोगों का पुनर्वास किया गया है। और वह मारे गए लोगों के बच्चों को देखलें जो नशा करने लगे और जो निराश्रित हो गए। वे तीन लाख या एक लाख रुपए और सरकारी नौकरी नहीं चाहते। वे न्याय चाहते हैं। वे कातिलों को पकड़वाना चाहते हैं। यही आप और में चाहते हैं। इसी के लिए हम कह रहे हैं। आप उन्हें पैसा दे सकते हैं। आप उन्हें सरकारी नौकरी दे सकते हैं। यह अच्छा है। परन्तु वे सबसे अधिक न्याय चाहते हैं। यदि किसी ने मेरे पिता अथवा मेरे भाई की हत्या की हो तो क्या मैं सरकार में क्लर्क की नौकरी पाकर खुश हो जाऊंगी? मैं चाहती हूं कि हत्यारे पकड़े जाएं। यही हम सब मांग कर रहे हैं।

ऐसे आरोप हैं कि जब भी दंगे होते हैं तो सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं। किन्तु यह पहली बार है कि इस रिपार्ट में आरोप लगाए गए हैं कि सरकार के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल थे और यह कि पुलिस ने वहां कार्यवाही नहीं की जैसे कि उन्हें ऐसा करने के लिए सरकारी तौर पर कहा गया था।

हम इस बहस से वोट या सीटें प्राप्त करना नहीं चाहते। यदि वोट हासिल करने होते तो मामले को 21 वर्ष पूर्व चुनावों में उठाया जाता। इसे नहीं उठाया गया। हम राजनैतिक लाभ भी नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि लेने के लिए कुछ लाभ हैं ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उसके पश्चात् भी सिख वोट प्राप्त किए हमने उसके पश्चात् सिखों के वोट हासिल किये। इसका दंगों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए, हम राजनैतिक लाभ लेना नहीं चाहे रहे हैं।

हम उनके नाम पर केवल न्याय चाहते हैं जिन्हें 21 वर्षों से न्याय नहीं मिला, सताया गया और प्रतीक्षा कराई गई और जिनकी अनदेखी की गई; वे निर्दोष जिन्होंने अपने परिवारों को मरते हुए देखा।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह कार्यवाही करेंगे। परन्तु यदि इस रिपोर्ट की अनदेखी की जाती है, यदि रिपोर्ट में नाम लिए गए लोग सरकार में और उच्च पदों पर बने रहते हैं तो यह न्याय का मजाक और विडम्बना होगी। और यह विडम्बना होगी कि इसकी अध्यक्षता एक सिख प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी।

हम आपको एक सत्ताधारी दल के नेता के रूप में नहीं देखते हम आपकी ओर राष्ट्र के नेता के रूप में देखते हैं। हम पूर्व में किए गए पापों के लिए कवच के रूप में नहीं देखते। वे उस क्रोध से नहीं बच नहीं सकते जो 21 वर्ष से उनके लिए है। मैं उन हजारों लोगों के लिए जिनका कोई भविष्य नहीं है, इस पूरी सभा की ओर से न्याय की मांग करती हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : शुक्रिया उपाध्यक्ष महोदय, मुल्क में जब-जब मानवता को प्रताड़ित किया जाता है, जब-जब उस तरह के दंगे होते हैं, जिस तरह 1984 में सिखों के खिलाफ हुए और वैसे ही सैंकड़ों दंगे मुसलमानों के खिलाफ हुए, तब-तब एक इन्क्वायरी कमीशन बिठा दिया जाता है मेरी सदन से, पूरे तजुर्बे के बाद, एक अपील और गुजारिश है कि अब यह ज्यूडिशियल इन्क्वायरी जरायम पर पर्दा डालने और उसे 20-20 साल तक लटकाने की जो प्रक्रिया बन चुकी हैं, उसे खत्म किया जाए। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी से न तो किसी को फायदा हुआ है, न किसी मजलूम के आंसू पोंछे गए हैं और न आगे किसी को कोई उम्मीद है। पहले की जांच समितियों की और इस जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने गौर से देखी है। मेरे इस विचार को और पुख्तगी मिली कि कोई भी पार्टी, जब वह सत्ता में आती है, उस पर मोरिदे इल्जाम आता है, इसी तरह की एक्शन टेकन रिपोर्ट देती है। इससे पहले श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस वक्त जो सरकारी पार्टी थी, उसकी भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने देखी है। इस सरकार की भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने देखी है। उसे देखने से लगता है कि अगर न देते तो कोई आसमान नहीं टूटता, क्योंकि बिना एक्शन टेकन रिपोर्ट के भी वह जांच समिति की रिपोर्ट पेश कर सकते थे। अब गुजरात के दंगों पर इन्क्वायरी कमीशन जो बैठा है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसे भी हम देखेंगे कि उसका क्या हश्र होगा।

इन ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कमीशंस का नुकसान यह है कि हमारी ज्यूडिशरी में कुछ ऐसे लोग हैं, तो यह चाहते हैं कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हमें किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। रंगनाथ मिश्र जी की बात आई। मैं यह बात सदन के रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब वह अयोध्या गए थे। वह कृष्ण मोहन पांडेय को ताला खुलवाने के लिए राजी करने गए थे कि ताला खुलवा दो, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट आएगा, हम वहां बैठे हैं। ताला खुलवाने से लेकर और इस तरह के कमीशन नियुक्त होने तक अगर उनके आगे तक पहुंचने की कहानी पर आप गौर करेंगे, तो सदन इस बात से मुत्तफिक होगा कि आइंदा आप लोग ज्यूडिशियल इन्क्वायरी से तौबा कर लें। यह सिर्फ जरायम पर पर्दा डालने का एक माध्यम और जरिया बन चुका है।

[श्री इलियास आज़मी]

मैं कहता हूं कि एक घंटा और दो घंटे के लिए कोई झगड़ा हो सकता है। हाउस में भी हो सकता है। और हाउसेज में भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी हुआ था। लेकिन कोई झगड़ा दिन भर चले, दो दिन चले, चार दिन चले, महीने भर चले, यह बिना राजनीतिक सत्ता के सहयोग के, उसकी मर्जी के बगैर बिल्कुल असंभव है, चाहे मेरा ही राज क्यों न हो। आखिर वही उत्तर प्रदेश है, जहां बसपा राज आने के बाद कोई झगड़ा नहीं होता है। पहले कितने फसादात होते थे। वही बिहार है, जहां जमशेदपुर और राउरकेला से लेकर भागलपुर तक हजारों-हजार इन्सान मारे गए। उसके बाद राजनैतिक सत्ता बदली और लालू जी पावर में आए। वह नहीं चाहते थे कि इस तरह प्रशासन के बल पर किसी समुदाय का कत्लेआम हो। फिर उसे बिहार में घंटे-दो घंटे का झगड़ा हुआ हो, तो मैं नहीं कह सकता, हुआ होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर कई दिन चलने वाला कोई वाकया नहीं हुआ।

मुझे यकीन है कि अब जो यू०पी०ए० की सरकार है, उसने माज़ी में जो गलतियां की हैं, उनसे सबक ले लिया है। मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी और सोनिया जी के नेतृत्व पर विश्वास है कि पुरानी गलतियों को कांग्रेस पार्टी नहीं दोहराएगी, जो कांग्रेस पार्टी करती रही है। *(व्यवधान)* सब बदलते हैं, आप भी बदलते हैं, हम भी बदलते हैं और हमारी सोच भी बदलती है। वह दिन इस देश का बेहतरीन दिन होगा, जिस दिन आप भी बदल जाएंगे और इस देश की यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खुदा से मैं यही दुआ करता हूं आडवाणी जी कि आप भी अपनी सोच को बदलिये। आपने जो हिम्मत दिखाई थी, उस पर डटे रहिये और अपनी पार्टी की सोच को बदल दीजिए, जिससे मुल्क में इस तरह की समस्या कभी पैदा न हो। मैं अपनी बात इस उम्मीद से समाप्त करता हूं कि देश उन गलतियों को नहीं दोहराएगा, जिससे कोई नतीजा नहीं निकले और मेरी बात में ज्यूडिशियल इंक्वायरीज भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम नानावती आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है, मानवता के विरुद्ध अपराध है। कांग्रेस 1984-1989 तक सत्ता में थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर, 1984 को की गई थी। इसके बाद दंगे हुए थे। दिल्ली और कानपुर में हुए थे। उस समय आंध्र प्रदेश में नहीं हुए। भारत सरकार ने उस समय इन हमलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये। सभी आयोगों ने ऐसी घटनाओं के बारे में बताया यहां तक कि नानावती आयोग ने भी इन घटनाओं का उल्लेख किया। सभी सदस्यों ने नानावती आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत किया। सत्ताधारी दल ने इसे अपने पक्ष में उद्धृत किया। परन्तु कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इसके पीछे थी। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं का भी यहां उल्लेख नहीं किया गया *(व्यवधान)* कृपया नानावती आयोग की रिपोर्ट पढ़िये। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम भी इसमें शामिल नहीं किए गए। इस रिपोर्ट में उन कांग्रेसी नेताओं के नाम व्यक्तिगत रूप से शामिल किए गए जिन्होंने भीड़ को उकसाया और उसके बाद की घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

किसी भी संवैधानिक सरकार जो सत्ता में होती है उसे नागरिकों के जान-माल की रक्षा करनी पड़ती है। यह सरकार सत्ता में थी। गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे; उस समय राज्यपाल कांग्रेस पार्टी के थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब स्वर्गीय श्री एन०टी० रामाराव मुख्य मंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई। आंध्र प्रदेश सरकार सतर्क थी और आंध्र प्रदेश में सिखों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाये। किन्तु दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ? उन्हीं लोगों पर लोगों ने तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई। 1 नवम्बर को क्या हुआ था? 2 नवम्बर को क्या हुआ था? 3 नवम्बर को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री यहां थे; गृह मंत्री यहां थे और सशस्त्र सेनाएं यहां थी। उन्होंने सिखों के विरुद्ध दंगे क्यों नहीं रोके?

वह एक स्वाभिमानी कौम है; एक देशभक्त कौम है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में और हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है।

परन्तु इस स्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। नानावती आयोग ने उन सब नामों का जिक्र किया है। सरकार को उन सब लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें मामले दर्ज करने पड़ेंगे *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : आप नानावती आयोग की रिपोर्ट पढ़िए ···*(व्यवधान)* यह मेरा वक्तव्य नहीं है। यह न्यायमूर्ति नानावती आयोग का वक्तव्य है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस सम्माननीय सभा में तुरन्त कार्यवाही करने की घोषणा की थी ···*(व्यवधान)* ये शोर क्यों मचा रहे हैं ···*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया है और कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार मैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा जिनका नाम नानावती आयोग की रिपोर्ट में आया है ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है और कहा है : 'मैं नानावती आयोग में जिक्र किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।' अब, वे इसे क्यों नहीं समझते? ···*(व्यवधान)*

दूसरी बात, महोदय, उन सभी पीड़ितों और परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है। सभी प्रकार के मुआवजा और अन्य मुहैया कराने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्हें कम से कम प्रत्येक प्रभावित परिवार में नौकरी देनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 21 वर्षों के बाद भी प्रेस में से खबर आ रही है कि मृतकों के आश्रितों के पास कोई रोजगार नहीं है। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। इसलिए, सरकार द्वारा एक-एक मामले की जांच के लिए एक या दो वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार और अन्य लाभ दिए जा सकें।

महोदय, यह कहा गया कि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है। यह एकदम सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई जरूरत है तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान बना सकती है, हम इसका समर्थन करेंगे। इसका कारण है कि यदि भय होगा तो हर आदमी सावधान होगा। लेकिन पुलिस अधिकारियों की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण यह सब कुछ हुआ था। इसलिए यह तर्क देकर कि उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमे चुप नहीं हो जाना चाहिए इसलिए सरकार को एक ऐसा विधान लाना चाहिए जिसमें यह उल्लेखित हो कि यदि सरकारी अधिकारी से कोई लापरवाही होती है चाहे सेवानिवृत्ति के बाद भी, तो उसको दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब हर आदमी यह कहकर अपना पीछा छुड़ा रहा है, कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद हम कुछ नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उनकी सेवानिवृत्ति के चार साल पूर्व भी उनकी पैंशन कम करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यही कारण है कि नए विधान की जरूरत है ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। हमें दोषी को सजा देना होगा चाहे वह सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ही क्यों न हो।

महोदय, मेरी पार्टी की ओर से ये कुछ मांगें हैं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : महोदय, यह घटनाएं, उस समय की है जब 21 वर्ष पूर्व भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी जिसके कारण दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सिखों पर हिंसात्मक हमले हुए और उनकी सम्पत्ति की लूट-पाट हुई।

ये सारी घटनाएं 21 वर्ष पूर्व 8वीं लोक सभा के दौरान हुई। अब, यह 14वीं लोक सभा है, और 21 वर्ष बाद आज हम उन घटनाओं, नानावती आयोग की रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1984 से लेकर अब तक मारे गए लोगों के परिवार न्याय और अपनी समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह आयोग वर्ष 2000 में राजग सरकार द्वारा गठित किया गया था और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी नियम और शर्तें भी तय कर दी गई थी। छह महीने के भीतर रिपोर्ट रखने के लिए इसका गठन हुआ था। लेकिन इस आयोग की अवधि कई बार बढ़ाई गई। प्रथमतः, मैं राजग के नेताओं से जानना चाहूंगा कि समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा को बढ़ाने तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट रखने से उनको किसने मना किया। उन्होंने नानावती आयोग की समय-सीमा को कई बार बढ़ाया।

आयोग पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। इस संदर्भ में आरोपों की चर्चा राजग सरकार द्वारा की गई। हमने उम्मीद की थी कि रिपोर्ट नियमों और शर्तों के अनुरूप और अंतिम होगी। लेकिन,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बीर सिंह महतो]

मुझे कहने में यह दु:ख होता है कि रिपोर्ट विरोधाभासी है, और कई संभावनाएं हैं। इसलिए, सरकार से मेरी यही सलाह है। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं। उनकी जांच की जरूरत है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की छान-बीन करें और उनकी पुन: जांच कराए ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी गई टिप्पणियां की गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो अभी भी सेवा में हैं और उनके विरुद्ध भी जिन्होंने इस कार्य में उनकी मदद की। उस समय के पीड़ित परिवारों के घावों के भरने के सम्बंध में भी प्रश्न पूछे गए थे। प्रधानमंत्री ने पहले ही आश्वासन दिया है, उन्होंने सभा में इसकी घोषणा कर दी है कि सभी प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, एक समान मुआवज़ा दिया जाएगा और उन परिवारों के सदस्यों को, जिनके कमाने वाले सदस्य मारे गए थे, को रोजगार अथवा पर्याप्त आजीविका उपलब्ध करायी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लगातार सुबह ग्यारह बजे से एक अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे और हजारों-लाखों लोगों की भावनाओं के साथ जिसका सीधा संबंध है, ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अगर यह चर्चा डिसइनवैस्टमैंट या कामगारों के अधिकारों पर होती तो उसका रुख अलग होता। आज जो चर्चा हमारे सामने है, जो परिस्थिति हमारे सामने आई, मुझे लगता है कि आज पूरे सदन को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर सोचना होगा।

कई चर्चाएं हुईं। मैं दुखी था, जब तक प्रधानमंत्री जी का इंटरवैंशन नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने एक संवेदनशील व्यक्ति और नेता के नाते कुछ बातें सदन के सामने रखीं लेकिन उसके बाद जो बातें सामने रखीं और पूर्ववक्ताओं ने घटनाक्रम, नरसंहार को जिस तरीके से सहज भाव से लिया, उसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि यह कानून से जुड़ा सवाल नहीं है। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा सवाल है। बाद में अगर कुछ लोगों के घर बह जाएं तो भी उनकी भावनाएं भड़कती हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हमने कपिल सिब्बल जी का भाषण सुना, हमें उससे बड़ी निराशा हुई। वह मेरे परम मित्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे वकील आर्ग्यूमैंट्स करते हैं, उन्होंने वैसे ही आर्ग्यूमैंट्स देने की कोशिश की।

अगर उनकी नजर अध्यक्ष जी की कुर्सी पर जाती, जिसके ऊपर वेद की ऋचा में लिखा है "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" – मैंने पिछले 16 वर्ष के संसदीय जीवन में कई बार इसी कुर्सी का सम्मान करते हुए इसका उल्लेख किया है, जिसमें धर्म का मतलब कोई सम्प्रदाय नहीं है, धर्म का मतलब नैतिकता है। धर्म का मतलब है कि हमारी ईमानदारी है। क्या सारे मसले अदालतों में सुलझाए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि श्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर एक परंपरा शुरू हुई। परंपरा यह थी कि हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी बात कह कर छोड़ दी। उन्होंने इस बात की सीख दी, सलाह दी कि हम ऐसी बात न कहें जिससे बाहर के लोगों की भावनाएं भड़कें। मैं आपसे सहमत हूं लेकिन ऐसा कृत्य भी न करें कि आंखों के सामने सत्य दिखाई दे फिर भी उस पर अमल न करें और लोगों में यह मैसेज जाए कि कत्लेआम करने वाले लोगों को आप सहयोग दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। तब आपकी सलाह ठीक साबित नहीं होगी। इसलिए मैं बड़े आदर के साथ *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइए। उनका टाइम खराब न करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित किया करें व्यक्ति को नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न पैदा करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं तो चुपचाप खड़ा रहा हूं, उनको बोलने दिया है। वर्ष 2002 की तरफ जाने से पहले मेरे गुजरात के साथी यह समझ लें कि इतिहास के आंकड़ों में 2002 से पहले 1984 आता है। 1984 में जो घटनाएं घटीं, जिनका आप बचाव कर रहे हैं और फिर 2002 पर उंगली उठाते हैं, जब 1984 में निर्दोष मां-बहनों को जलाया गया था, जब 1984 में निर्दोष सिखों को गले में टायर डाल कर जिंदा जलाया जाता था, तब याद नहीं आई? उस वक्त 2002 नहीं था, 2002 तो उसके 18 साल बाद आया। अगर किसी ने सीखा तो तुम्हारे लोगों से सीखा है, आप जिम्मेदार हैं 1984 की घटना के लिए। आप क्या 2002 की बात कहते हो? *(व्यवधान)* पहले यह कहते कि 1984 में जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इस देश में कभी नहीं हुआ। *(व्यवधान)* मैं नहीं चाहता था, उन्होंने उल्लेख किया, जब गुजरात रिपोर्ट आएगी तब चर्चा होगी।

महोदय, इस रिपोर्ट के दो पहलू हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका ध्यान विशेष आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक तो कमीशन बनाया गया। मेरे वामपंथी साथी, जो उस तरफ भी जाना चाहते हैं, बंगाल से ध्यान हटाकर दिल्ली में रैली करके कुछ दो-चार सीटें मिल जाएं इसलिए बाहर मिनट में से दस मिनट कमीशन कैसे बनाया गया, उस पर श्री गुरुदास दासगुप्ता ने चर्चा की, रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की। कैसे कमीशन बना, क्यों कमीशन बना, आज यह चर्चा नहीं थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ए०टी०आर० क्यों पेश किया? इस कमीशन के ए०टी०आर० को पेश करना स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद आपने उस पर एक्शन लिया। एक्शन में कुछ मांगें मानीं कुछ नहीं मानीं — या तो आप कह देते कि इसमें लिखा हुआ हर वाक्य गलत है, हम इसे नहीं मानते। जब एन०डी०ए० सरकार ने नानावती कमीशन बनाया था, तो हमारी सहमति इसमें नहीं थी। उस वक्त आपने कमीशन को स्वीकार किया। कमीशन की सिफारिशें आईं और सिफारिश के बाद अब आपके सामने प्रश्न आया, इसमें जो नाम दर्ज हुए हैं, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, रात भर से ही नहीं जब से रिपोर्ट टेबल पर रखी गई हैं तब से मैंने अकेले एक कोने में बैठकर एक-एक पेज पढ़ा है, एक-एक पेज पर लिखा हुआ है, श्री कपिल जी, आपने पेज नंबर 181 पढ़ा, उस वक्त आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं थीं।

मैं उसी पेज-182 की बात कर रहा हूं, जिसे सिब्बल जी ने 'सिलेक्टिव' रहकर छोड़ दिया था। मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह किसी ने नहीं कहा कि स्व० राजीव गांधी इस सब के लिये जिम्मेदार थे लेकिन सिब्बल जी ने जो आखिरी वाक्य में जो 'सिलेक्टिव' था, वह नहीं बोला :

[अनुवाद]

"ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो बताता है कि श्री राजीव गांधी या कोई अन्य उच्च सदस्य कांग्रेसी नेता ने सिखों पर हमलों को आयोजित किया हो।"

जो भी हुआ वह स्थानीय कांग्रेस आई नेताओं द्वारा किया गया।

वे लोग आपके नेता थे। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वे कॉर्पोरेटर थे,संसद सदस्य, विधायक मंडल प्रमुख आदि-आदि थे।" वे सभी आपकी पार्टी के थे और उनके पास 1 रुपये या 10 रुपये की सदस्यता पर्ची थी। आप सर्वश्री सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री, एच०के०एल० भगत, जगदीश टाइटलर से आप अपने को कैसे अलग कर सकते हैं? आप अपने नेताओं से अपने को अलग कैसे कर सकते हैं। रिपोर्ट के हर पृष्ठ पर उनकी उपस्थिति दर्ज है।

[हिन्दी]

आने वाला समय इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। यह कहते हैं कि हमने राजनीति नहीं की। इन्होंने 1984 के दंगों का फायदा उठाने की कोशिश की है, ये लोग हिन्दू फंडामैंटलिस्ट्स की बात करते हैं। उस समय तक तो हिन्दू फंडामैंटलिस्ट की शुरूआत भी नहीं हुई थी। इन्होंने ही सिख भाइयों में हिन्दुओं के खिलाफ नफरत पैदा की। रथ यात्रा तो बाद में निकली। चुनाव में जो पोस्टर छापा गया, उसमें कांग्रेस के महासचिव का नाम था। *

उपाध्यक्ष महोदय : यह नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : ऐसा पोस्टर छापकर वोट मांगे गये थे। उस पोस्टर में लिखा था : *

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : आप यहां इस तरह हल्ला नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से और खासकर कांग्रेस, पार्टी के हित के लिये करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा *(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी, पिछले दो दिनों से सारे देश में प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रौनिक मीडिया में पूरी रिपोर्ट को उसके इंटरप्रीटेशन के साथ दिखाया जा रहा है। आपने उन सभी लोगों को टी०वी० पर देखा होगा जिन्होंने न केवल अपने संबंधियों बल्कि अपने परिवारजनों को खोया है बल्कि अपनी आंखों के सामने जिन्दा जलते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में मेरे और आपके कहने से उनकी भावना को शान्ति नहीं मिलेगी, आपको इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करनी होगी। आप इस सदन और इस सदन के भाषणों के बदले तुरंत ऐसी कार्यवाही करें।

आज शाम सदन उठने के बाद तुरंत कार्रवाई करें, ताकि करोड़ों लोगों और लाखों सिख भाइयों को लगे कि हमारी भावना की कद्र की गई। फिर वही कानून, वही कोर्ट, फिर वही एफ०आई०आर० और एफ०आई०आर० में क्या है। पेज नम्बर 159 पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां लिखा है, कपिल सिबल जी आप कहेंगे, क्या एफ०आई०आर० से देश चलेगा, पुलिस स्टेशन से देश चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से देश चलेगा – यदि ऐसा है तो फिर इस संसद को बिखेर दो *(व्यवधान)* इसकी क्या जरूरत है। हर एक चीज, हर मसले का हल अगर अदालतों के जरिये होगा, लोगों की भावनाओं का भी हल यदि अदालतों के जरिये होगा तो फिर यह सदन हर रोज क्यों चर्चा करता है? जो खिलवाड़ हुआ है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हर पन्ने पर लिखा हुआ है कि पुलिस पर दबाव डाला गया है। अगर आप चाहते हैं, तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, लोगों की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहां ऐसे लोग बैठे हैं, चाहे वे इस तरफ हों या उस तरफ हों, भले ही उनके सिर पर पगड़ी हो न हो, लेकिन पगड़ी हमारे देश की पहचान है, पगड़ी इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता और स्वाभिमान है, इस देश की स्वाधीनता की लड़ाई में अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो हमारे देश की पगड़ी है। पगड़ी मैंने नहीं पहनी है, लेकिन फिर भी मुझे उतना दर्द है, जितना दर्द किसी माननीय सदस्य और प्रधानमंत्री जी के दिल में है। वह दर्द उनके शुरूआत के भाषण में दिखाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आज सदन उठने से पहले देश के सामने उचित कार्रवाई नहीं आती है, वही हम संविधान और वही हम संसद की बातें मानेंगे और कहेंगे, देखेंगे और सोचेंगे, तो कुछ नहीं होगा। मैं एश्योरेन्स कमेटी का चेयरमैन हूं। हमारे सामने इसी तरह की बातें कई सालों से आती हैं कि सलाह लेंगे, एडवोकेट जनरल से सलाह लेंगे, अगर इसी तरह चला तो मुझे लगता है कि देश में सही संदेश नहीं जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी की संवेदनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं। इसके साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतने एश्योरेन्स से देश की जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको आगे आना होगा और जिन-जिन लोगों के नाम पर उंगली उठी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अंतिम दो वाक्य कहूंगा कि इस देश की परम्परा रही है – "यद यद आचरति श्रेष्ठा, तद तद इतरा जना:" इस देश की वेद ऋचाओं में लिखा है कि हम जो यहां संसद में बैठे हैं, जो समाज की अगुवाई करते हैं, उन्हें सबूतों की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी समझें कि हमारे आचरण से देश में एक शिष्टता पैदा होती है, समभाव पैदा होता है। हम कानून की खिड़कियों से छिटकने की कोशिश न करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन-जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आये हैं, जिन-जिन लोगों के नामों पर उंगली उठी है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री पाठक के भाषण के सिवाय कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो मंत्री हैं, आप भी बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाठक के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इसलिए मैं सदन से इतना कहूंगा कि सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं, बल्कि विदेशी संस्कृति में भी कहा गया है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान) सिर्फ हमारी संस्कृति में ही नहीं, विदेशी संस्कृति में भी ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आठवले जी, आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ..*(व्यवधान)* मैं हाई कोर्ट से बरी हो गया था। ..*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति में यह कहा गया है कि– 'यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तद् तद् इतरा जनाः।' विदेशों की संस्कृति में भी कहा गया है कि राजा संदेह से परे होना चाहिए। राजा का आचरण शंका से परे होना चाहिए। यदि राजा या शासक पर अंगुली उठती है तो उसका कर्त्तव्य बन जाता है कि उस शंका का निराकरण करे, राजा का आचरण शंका से ऊपर होना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में भी कहा गया है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जिन-जिन के नाम इस कमीशन की रिपोर्ट में हैं, उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए और जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों के परिवारों को इतने बड़े हत्याकांड का दुख उठाना पड़ा है, उन्हें सही मुआवजा दिया जाए। सिर्फ मुआवजे से काम नहीं होगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी तुरंत की जाए, इसी आशा के साथ मैं आज के कार्य स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार। अनुपस्थित।

श्री जोवाकिम बखला।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस संवेदनशील विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 21 साल पहले सन् 1984 में दिल्ली के अंदर एवं दिल्ली के बाहर हमारे देश के विभिन्न शहरों में जिस तरह का नरसंहार हुआ हमारे जो सिख भाई हैं, सिख समुदाय के लोगों को चुन-चुनकर उनकी हत्या करने का काम हुआ, उन्हें जिन्दा जलाने का काम भी देश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर दिल्ली में हुआ। इस तरह की घटनाएं जो अहिंसा का वातावरण फैलाती हैं, चाहे वे देश के किसी भी कोने में क्यों न हों, हमारी पार्टी आर०एस०पी० उनकी हमेशा निन्दा करती है।

आज सदन में सरकार ने जो नानावती कमीशन की रिपोर्ट और उस पर ए०टी०आर० रखी है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। नानावती कमीशन ने जांच के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह रिपोर्ट संपूर्ण नहीं है। चूंकि सत्ता का नेतृत्व यू०पी०ए० सरकार कर रही है, इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर जो ए०टी०आर० सरकार ने सदन में रखी है, उसमें वह भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ है। इसका कारण यह है कि नानावती कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह साफ नहीं है। उसमें 'प्रोबेबिलिटी' और 'संभवतः' जैसे शब्दों का व्यवहार किया गया है जिनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही कठिन हो गया है। हमारी सरकार के सामने एक चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि यू०पी०ए० की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह चुनौती स्वीकार्य है, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जिन लोगों ने सिख समुदाय के विरुद्ध अपराध किए हैं, उन अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ उन्हें उचित सजा मिले, यहीं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जिन परिवारों के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने सामने उनकी हत्या होते देखी है, उनकी जो हालत है, उनके पुनर्वास के लिए जो करना चाहिए और जो कर्त्तव्य हमारी सरकार का है, उसे हमारी सरकार को पूरा करना चाहिए। उनको मुआवजा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, यह हमारी मांग है। सिर्फ यहां बोलने से काम चलने वाला नहीं है। जब यह आयोग बना, उस समय एन०डी०ए० की सरकार थी, लेकिन जब ए०टी०आर० आयी तो उस सयम यू०पी०ए० की सरकार है। इस रिपोर्ट पर अंगुली उठायी गयी है कि कुछ असामाजिक तत्व भी नरसंहार करने और लूटपाट करने में शामिल थे और जो पुलिस थी, जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि जैसे ही उनको सूचना मिलेगी, तुरंत कार्यवाही होगी, वह भी घटना को रोकने में नाकाम रही। इस तरह की घटना दिल्ली और अन्य जगहों पर हो रही थीं, पुलिस को तुरन्त उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। दुख की बात है कि इस रिपोर्ट में एक संदेश लोगों के पास गया है और एक अंगुली उठाने का काम हुआ है कि राजनेता भी इसमें शामिल थे। अगर इस तरह की घटना हुई है तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और भविष्य में इस तरह की घटना देश के किसी कोने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जोवाकिम बखला]

में न हो इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। तभी यह संदेश पूरे देश में और हमारी जनता के सामने जाएगा कि हम एक हैं और विभिन्नता में एकता हमारे देश में है। विभिन्नता में एकता हम प्रमाणित करेंगे तो हम मिलकर इस तरह की घटनाओं का सामना कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, 31 अक्तूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इस देश में जो सिखों के कत्लेआम का दौर चला, उसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है। आज सुबह ढींडसा साहब ने सिखों के प्रति त्याग की भावनाओं का जिक्र किया और देश की आजादी में आज तक उनकी जो भागीदारी रही है, उसका उल्लेख किया। सिखों में इस देश के प्रति देशभक्ति की भावना बहुत अधिक है। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, जिस आदमी ने भी पागलपन में की, उसका बदला लेने के लिए जिस ढंग से सिखों का कत्लेआम इस देश में हुआ, उस घटना की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। अभी कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, वे काफी बड़े वकील हैं। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड में इस बात का प्रावधान है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो कोई भी थाने में जाकर एफ०आई०आर० लिखवा दे तो उस पर तुरन्त कार्रवाई होती है। फरवरी में नानावती आयोग की कमीशन की रिपोर्ट आपके पास आयी। आप सरकार के मंत्री हैं, फरवरी से किसने आपको रोका था? आपमें अगर ईमानदारी होती, यदि आप सिखों की हत्याओं के दोषियों को सजा दिलाना चाहते तो आप उस रिपोर्ट के आधार पर, जो भी व्यक्ति दोषी थे उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करके, एविडेंस इकट्ठा करके जांच करवाते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह के भाषण के सिवाय और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आप क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की बात कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप इस रिपोर्ट पर पर्दा डाल रहे हैं। आप सिखों के कत्लेआम के दोषियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

आप इनके कत्ल, उनके खून पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नानावती कमीशन की रिपोर्ट में उल्लेख है। श्री रामविलास पासवान जी के घर पर एक घटना हुई थी। मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। मैं उस समय लोकदल में एक कार्यकर्ता के रूप में था और स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकूर के नेतृत्व में 31 तारीख को दिल्ली में मजदूर किसान पार्टी और लोकदल के विलय का सम्मेलन था। हम सभी लोग दिल्ली आए हुए थे। स्टेशन पर आने के बाद मालूम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। चूंकि सम्मेलन स्थगित हो गया था इसलिए श्री पासवान जी ने अपने घर पर बिहार से आए हुए लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। डेढ़ बजे के करीब हम श्री पासवान जी के घर पर पहुंचे। आज पासवान जी भारत सरकार में मंत्री हैं, वे उस समय घर पर नहीं थे। हम लोग उनका घर पर इंतजार कर रहे थे। श्री कपूरी ठाकूर भी वहां थे और अचानक सब जगह हल्ला हुआ। शास्त्री भवन के सामने 12 नंबर कोठी पर डॉ० राजेन्द्र प्रसाद रोड़ पर, श्री जय प्रकाश यादव जी, जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, यह भी मेरे ख्याल से उस समय वहां पर मौजूद थे और घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वहां एक टैक्सी स्टैंड था। एक सिख ड्राइवर टैक्सी स्टैन्ड के पीछे छिपा हुआ था। 15-20 लोगों का हूजूम आया, उनसे घबराकर वह ड्राइवर पासवान जी के गैराज में छिप गया। उन लोगों ने अंदर घुसने का प्रयास किया। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकूर जी ने उन्हें गेट से अंदर आने नहीं दिया और उनके द्वारा डांटने के बाद वे लोग चले गए। तब तक पासवान जी भी आ गए थे। उन्होंने होम मिनिस्टर को, पुलिस कमिश्नर को और जिसको भी वे फोन कर सकते थे, फोन किया लेकिन कोई भी नहीं आया और 40 मिनट के बाद 40-50 की संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग वहां आ गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : कांग्रेस का दफ्तर उनकी बगल में रायसीना रोड़ पर था, वे लोग मां की हत्या का बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए घर में प्रवेश कर गए। मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लकिन फिर भी उन लोगों ने गैराज में आग लगा दी और पासवान जी सहित हम सभी लोगों को 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर आना पड़ा। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की स्पीच के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : वहां से हम सभी 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर बाहर आए। श्री मुलायम सिंह जी आज यू०पी० के मुख्यमंत्री हैं। उस समय पास ही लोकदल का दफ्तर था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी भी उनके साथ थे, इन लोगों को मालूम हुआ तो वे हमारा बचाव करने के लिए आ रहे थे। लेकिन वह सिख ड्राइवर उस घर में जलकर मर गया। पासवान जी प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी वहां पर नहीं आया। हम चश्मदीद गवाह हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तीन दिनों तक टी०वी० पर आता रहा कि खून का बदला खून से लेंगे और इस बात का प्रचार होता रहा और देश भर में लोग देखते रहे कि सिखों की हत्या ट्रेनों से, बसों से उतार कर सड़कों पर सरेआम की गई और आज कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। श्री पी०के० बंसल जी कह रहे थे कि घटना की जितनी निंदा की जाए, वह कम है, लेकिन घटना करने वालों पर कोई कार्यवाही न की जाए, उस पर लीपापोती की जाए, यह इस सरकार की मंशा है। इस देश में अगर हिन्दू और सिखों में किसी ने विभेद किया है, तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है।

महोदय, जब तक सिख परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनमें फिर से विश्वास पैदा नहीं होगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सारे लोगों पर कार्रवाई हो। हमारे मित्र इसमें साहस दिखाएं और इस रिपोर्ट में जिन-जिन के भी नाम हैं, उन सबको कांग्रेस से बाहर निकालिए। श्री कपिल सिब्बल जी, एफ०आई०आर० दर्ज कराइए और सबकी जांच कराइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय मैं, चाहूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं *(व्यवधान)* मैं क्या करूं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं प्रधानमंत्री को सभा को यह आश्वासन देने के लिए धन्यवाद देता हूं कि जिनके नाम आयोग की रिपोर्ट में दिए गए हैं उनके मामले दोबारे खोले जाएंगे और न्याय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि केवल नुक्ताचीनी करने वाले कानूनी तर्कों और तकनीकियों से न्याय कैसे किया जा सकता है? मैं आयोग के प्रतिपादन, पृष्ठ सं०-183 को उद्धृत करता हूं। मैं उसे पढ़ता हूं :

> "तथापि आयोग इस बात पर जोर देना चाहता है कि अलग प्राथमिकियां दर्ज न करने, साक्षियों के अनुसार उनके बयान दर्ज न करने और मामले की उचित रूप से जांच न करने के परिणामस्वरूप अब आयोग के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सिफारिश करना कठिन हो गया है जिनका साक्षियों द्वारा नाम लिया गया है कि वे उनके अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध हिंसक कृत्यों में शामिल थे अथवा उन्होंने उनकी मदद की थी।"

जब पूरा प्रशासन अपराधियों के साथ सांठगांठ रखता हो तो कोई साक्ष्य सामने नहीं आएगा *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : इसलिए हमें इससे आगे जाना होगा। तभी न्याय किया जा सकता है। यह निर्णायक रिपोर्ट नहीं है; यह घटिया रिपोर्ट है। किन्तु यह एक चिंताजनक तथ्य हमारे ध्यान में लाया है। जब दिल्ली में पूरा जनसंहार हो रहा था तो गृह मंत्री अप्रभावित बने रहे। भारत के राष्ट्रपति को सूचित नहीं किया गया और यह असहाय थे। उपराज्यपाल श्री गवई गम्भीर नहीं थे। आयोग का यही प्रतिपादन है। अन्य पुलिस अधिकारी दंगा करने वालों और जनसंहार में शामिल लोगों से पूछ रहे थे कि कितनी मुर्गियां–सिख मारे गए। यहां यही हो रहा था। क्या मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यही मशीनरी गठित की गई थी? यदि वे अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों से सांठ-गांठ रखते हैं तो कानून का शासन कहां है? इसलिए, यह एक खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। यह दिल्ली में नहीं रुका। यह गुजरात में चला गया। गोधरा के बाद जहां बच्चों को मारा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया और लोगों को गलियों में घसीटा गया और हत्या कर दी गई और पोटा जैसे कानून का एक वर्ग के खिलाफ प्रयोग किया गया प्रशासन अपराधियों के साथ था। इसलिए, जहां भी संगठित हमले हुए वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए – चाहे दिल्ली में सिख हों अथवा गुजरात में मुस्लिम हों अथवा मुम्बई या देश में कहीं भी मुस्लिम हों। यह नहीं चल सकता। केवल सिखों ने ही नहीं अपितु हम सबने दर्द महसूस किया। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से हूं; मैं जैन समुदाय से संबंध रखता हूं। हम सब इसे महसूस करते हैं; पूरा राष्ट्र इसे महसूस करता है। भारत में अधिकांश लोग साम्प्रदायिक नहीं हैं और यदि वे साम्प्रदायिक होते तो बहुत पहले देश के टुकड़े हो जाते। परन्तु एक वर्ग ऐसा है जो ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमेशा खतरनाक होते हैं; बहुसंख्यकों की उनसे रक्षा करनी होगी। इसलिए, यदि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती और अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं करते तो लोकतंत्र कहां है?

सायं 6.00 बजे

लोकतंत्र का सार क्या है? मैंने डा० राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया है उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुसंख्यकों की संस्कृति पर निर्भर करती है। इसलिए, जब हम यहां इस विषय पर बात करते हैं तो हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और राष्ट्र को बताना होगा कि हम ऐसा जनसंहार दुबारा नहीं होने देंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। उनके अधिकारियों और अस्तित्व पर किसी को सवाल नहीं करना चाहिए। इसलिए यह मानवाधिकार का मामला है। चूंकि इस देश में एक खतरनाक स्थिति विकसित हो रही है कुछ वर्गों के लोगों में बहुत असुरक्षा की भावना है। ऐसी असुरक्षा के रहते राष्ट्रीय एकता का कोई मतलब नहीं होगा; लोकतंत्र का कभी कोई अर्थ नहीं होगा। जो लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो मानवाधिकारों को महत्व देते हैं उन सबको इस जनसंहार के विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास लिस्ट में अभी बोलने वाले 6-7 ऑनरेबल मैम्बर्स बाकी हैं। अगर ऑनरेबल मैम्बर्स एग्री करे तो हाउस का टाइम एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्यगण : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र कुमार, कृपया जारी रखिये।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कोई भी लोग हों भले ही वे ताकतवर हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि जिनके नाम रिपोर्ट में हैं उन्हें छोड़ दिया गया तो राष्ट्र समझेगा कि कुछ भी हो, और कुछ भी वायदे किए गए हों इस देश में वही पुरानी चीज चल रही है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुझे आशा है कि सरकार कार्यवाही करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा जनसंहार इस देश में फिर कभी न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० अरुण कुमार शर्मा – उपस्थित नहीं। श्री पी०सी० थामस।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह दुखद तथ्य है कि भारत की एक महान राजनैतिक हस्ती की 31 अक्टूबर, 1984 को हत्या कर दी गई थी। यह दुखद तथ्य था कि उसके तुरंत बाद एक विशेष समुदाय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। सरकार को छोड़िये बल्कि पूरे देश को एक विशेष समुदाय जो कि मानवता और भारतीय समुदाय की बहुत सेवा कर रहा है के प्रति बड़े पैमाने पर किए गए कत्लेआम के लिए प्रायश्चित करने हेतु तपस्या करनी पड़ेगी।

यह सच्चाई कि अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं थोड़ा परेशान करने वाली और चिंताजनक है। इस संबंध में की गई कार्यवाही रिपोर्ट से वास्तव में हमें निराशा हुई है। तत्कालीन सरकार को, जो कि 21 वर्ष बाद आई नानावती आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है उस संबंध में थोड़ा और सावधानी से और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए था।

इस सभा के बहुत से वर्गों, जिसमें सरकार का समर्थन करने वाले वर्ग भी शामिल हैं, ने इस जघन्य अपराध के बारे में कहा है और इस सच्चाई के बारे में कहा है कि आयोग ने स्वयं सभी पहलुओं की जांच नहीं की है और अपराध की गम्भीरता को पूरी तरह नहीं समझा। उस स्थिति में जो थोड़ा बहुत सामने आया है उसका क्या किया जाए? यह सच्चाई है कि इस सभा के सभी वर्ग अब स्वीकार करते हैं कि इस रिपोर्ट में जो थोड़ा–बहुत बताया गया है उस पर कार्यवाही की गई है। यह सच्चाई है कि रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक विशेष राजनैतिक दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। यह बताया गया है कि दिल्ली से बाहर से भी बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया था। यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार व्यक्तियों, जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे, द्वारा भी भड़काने का कार्य किया गया। यह दल हो सकता है, सरकार हो सकती है अथवा पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। इस पहलू के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस रिपोर्ट में आरोपित किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही न की जाए। अपने दल की ओर से मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और मेरा निवेदन है कि जो कार्यवाही की जानी है वह इस सभा को स्थगित किए जाने से पूर्व आज ही कार्यान्वित की जानी चाहिए।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, हमारे जैसे लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों की सरकारों का अपने नागरिकों के जान और माल की रक्षा करना परम कर्त्तव्य है। महोदय, यह गम्भीर चिंता का विषय है कि उस समय कानून और व्यवस्था की मशीनरी बुरी तरह विफल रही और राजनैतिक कार्यपालिका की जिम्मेदारी तो और भी निंदनीय है। आजादी के बाद से हमारे देश को दिल्ली अथवा गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य भागों में भी ऐसी अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को झेलना पड़ा है। इन सब स्थानों पर हमने पीड़ितों की रक्षा करने में राजनैतिक नेतृत्व और कानून और व्यवस्था की मशीनरी की विफलता अथवा आपसी सांठगांठ को देखा है। यदि हम रिपोर्ट का अध्ययन करें तो हम ऐसे असंख्य मामले देख सकते हैं जिनमें कानून और व्यवस्था की मशीनरी कार्यवाही करने में विफल रही और निर्दोष तथा असहाय लोगों की समय पर मदद करने में विफल रही। क्या भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष को इस तरह का प्रस्ताव लगाने का कोई नैतिक अधिकार है। हमें पता है कि अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या की घटना के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में क्या हुआ और हमने गुजरात में जो हुआ वह भी देखा है। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा था कि निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कद्दावर व्यक्ति गुजरात में नहीं है। जहां तक अयोध्या का संबंध है तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री और राजग के वर्तमान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वह उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। अब एक दशक पश्चात विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को पाकिस्तान की यात्रा करनी पड़ी और उन्होंने भी यही कहा कि 6 दिसम्बर, 1992 उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नानावती आयोग पर बात कर रहे हैं?

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : जी हां, महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। यदि इन दोनों नेताओं के जीवन में यह सबसे दुखद दिन था तो मैं पूर्ण विनम्रता और आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जख्मों को भरें और हमारे देश में जो हुआ उन जख्मों पर मरहम लगाएं और क्या ये बाबरी मस्जिद का इसके वास्तविक स्थान पर पुनर्निर्माण कराने की पहल करेंगे? यदि ये आगे आएंगे तो राष्ट्र उनकी बात का विश्वास करेगा कि वह उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था।

जब प्रधानमंत्री बोले थे तो उन्होंने केवल सिख समुदाय को आश्वासन नहीं दिया था बल्कि पूरे राष्ट्र को आश्वस्त किया था उनके वचन इतने सत्यनिष्ठ, और निश्छलता और वचनबद्धता में भरे हुए थे पूरे राष्ट्र को प्रधानमंत्री पर विश्वास है। यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री ने 1984 में सिख समुदाय के साथ हुए घटनाक्रम पर चिन्ता व्यक्त की है। पवित्र बाइबल में आया है : "धन्य हैं शान्ति स्थापक, धन्य हैं वह लोग जो विनम्र हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे और वे धरती के उत्तराधिकारी होंगे।"

माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी को पंडित जी और इन्दिरा जी द्वारा बनाए रखी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की समृद्ध परम्परा विरासत में मिली है। अत: राष्ट्र को प्रधानमंत्री के शब्दों पर पूरा विश्वास है। उन्होंने सभा में आश्वासन दिया है कि 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिया जाएगा और यह सिख समुदाय को अकेले नहीं मिलेगा। इस देश में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया है। दिल्ली में जो कुछ हुआ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है उसके लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। महोदय, यह केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं है।

हमारी हमारे पूर्वजों और इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले करोड़ों लोगों के प्रति जिम्मेदारी है वे चाहते थे कि भारत में अत्यन्त स्वेन्दनशील प्रजातंत्र आए जहां सभी समुदायों के लोग शन्ति और सामंजस्यता के साथ रह सकें। महोदय, मैं आशा करता हूं कि डा० मनमोहन सिंह जी की सरकार इस राष्ट्र और हमारे संस्थापकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, नानावती कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है, वह बहुत गंभीर है, लेकिन यहां राजनीति से प्रेरित बातें हो रही हैं। मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मैं कल उन लोगों के पास गया था, जिन्होंने परसों तिलक नगर में रास्ता रोको आन्दोलन किया था, जो आज जंतर-मंतर में धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने ऐसा सोचा था कि अब उनको न्याय मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन करते हुए गोल-मोल बातें कहीं। इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कल कुछ बूढ़ी औरतें मिलने आई थीं। उन्होंने बताया कि हमें नानावती आयोग की रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको न्याय कैसे मिल सकता है, उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ श्री जगदीश टाइटलर को भेज दीजिए, हम न्याय कर लेंगे। उनकी एक ही मांग है कि इसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

यहां बोला गया कि चुन-चुनकर मारा गया है – किन लोगों को चुना गया, यह आपको मालूम होगा। *(व्यवधान)* मैं केवल चार मिनट ही बोलूंगा, आप कृपा करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। *(व्यवधान)* कांग्रेस के साथियों, आप हिम्मत रखिए। आपको सच सुनना पड़ेगा। हम नानावती आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिन 3,000 सिखों को चुन-चुनकर मारा गया, उनमें से 2,000 लोग बंजारा समाज के थे। मैंने देखा है कि बंजारा समाज के लोगों को कैसे चुना गया, लुभाया समाज के लोगों को कैसे चुना गया। यहां बताया गया कि उनके राशन कार्ड देखे गए थे कि राशन कार्ड में किन नामों के पीछे बाई शब्द लिखा था, सिख लोग जनरली अपने नाम के आखिर में सिंह या कौर लिखते हैं, लेकिन जो लोग बंजारा समाज से सिख समाज में आए हैं, वे अपने नाम के आखिर में बाई लिखते हैं। आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। जिन 3,000 सिखों को जिन्दा जलाया गया, उनमें से 2,000 लोग कैसे चुने गए।

मैं सुबह सोच रहा था कि वे 2,000 लोग कौन थे। वे शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग थे। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई अच्छा वकील मिल जाए, तो ठीक है। मैं आपके माध्यम से श्री कपिल सिब्बल को धन्यवाद देना चाहता हूं। एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंतर्गत सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। एट्रोसिटीज़ एक्ट उन लोगों पर लगना चाहिए, जिनके नाम आयोग की रिपोर्ट में आए हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे, क्योंकि 2,000 लोग, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वे दलित थे। इन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, यह साबित हो चुका है। *(व्यवधान)* प्लीज़, आप घंटी मत बजाइए। आपको दो मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित समझा कि श्री जगदीश टाइटलर के विरुद्ध इस बात का विश्वसनीय

साक्ष्य है, इस बात की काफी संभावना है कि सिखों पर हमले करवाने में उनका हाथ है। अत: आयोग सरकार से सिफारिश करता है कि वह इस पहलू की जांच करे तथा इस पर आवश्यक कार्रवाई करे। यह निर्देश इसमें मिला है। *(व्यवधान)*

अभी जो मंत्री इस पर उत्तर देने वाले हैं, मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि मैंने जो पढ़कर सुनाया है, उस बारे में आप उत्तर दीजिए। मैं कपिल सिब्बल जी को धन्यवाद दूंगा। *(व्यवधान)* अगर आपने नहीं किया तो हम लोग एफ०आई०आर० दर्ज कराकर आपको अंदर करायेंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ : आप एक मिनट सुन लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयोग की बात कर रहा हूं। यहां पर श्री पी०जी० गवई की बात हुई थी। कल मैं टी०वी० देख रहा था तो 'आज तक-चैनल में मिस्टर अवस्थी श्री पी०जी० गवई से इंटरव्यू ले रहे थे। श्री पी०जी० गवई, जो नागपुर में हमारे गांव के पास रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बार-बार बोला कि मिलिट्री बुलाइये, मैंने अपने पंत प्रधान राजीव गांधी जी को भी बोला कि आप इसे देखिये लेकिन किसी ने नहीं देखा। यह बात 'आज तक' चैनल पर दिखाई जा रही थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असम गण परिषद दल की ओर से मैं स्वयं को नानावती आयोग रिपोर्ट के मामले पर श्री ढींडसा द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं।

महोदय, इस आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है कि 1984 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और जब नरसंहार हुआ था, तो रिपोर्ट के अनुसार इस सबके लिए वह पार्टी ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। यू०पी०ए० कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अब केन्द्र में सत्ता में है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के, देश के बेहतर हित में देश के धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए उन्हें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके कुछ नेता और कुछ कार्यकर्त्ता इस घोर अपराध में अन्तर्ग्रस्त थे। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें देश में सिख समुदाय के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए।

दूसरा हम विश्वास करते हैं कि सिख समुदाय ने इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में और इस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि इस जघन्य अपराध के कारण लोगों में गलत संकेत जाता है और अभी विशेषकर सिखों के मन में भ्रम है और संदेह विद्यमान है कि उनके साथ न्याय नहीं किया जाएगा। अत: सत्तापक्ष के कांग्रेस पार्टी का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त हुये इन लोगों के प्रति जैसे कदम उठाते हुए उनकी विकृतियों, नफरत और भ्रम को समाप्त करे।

नानावती आयोग रिपोर्ट में कुछ नामों को बताया गया है। मैं समझता हूं यदि कांग्रेस सिखों के लिए कुछ ठोस कार्य करना चाहती है तो उसे इस आयोग रिपोर्ट में बताए गए लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरा प्रभावित परिवारों को विशेष ध्यान दिया जाए। पिछले दो दिनों में दृश्य मीडिया के मार्फत ही हमें प्रभावित परिवारों की घटनाओं के बारे में पता चला है। यू०पी०ए० सरकार द्वारा उनकी भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए और उनकी तकलीफों को दूर किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं यदि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बना रखना चाहता है तो उसे सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का मान करना चाहिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले। सबसे पहले आप अपने स्थान पर जाइए।

पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,

ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, हम अत्यंत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सर, मैं गंभीरता से ही बोल रहा हूं।

"ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी,

इंदिरा जी की जरा याद करो कुर्बानी।"

हम सब लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सैकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। हम सब लोग जानते हैं कि इंदिरा जी की हत्या के बाद जो भी सिख समुदाय पर अन्याय हुआ, उनके कम से कम 330 लोगों की मृत्यु हुई। *(व्यवधान)* जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम भारत देश के नागरिक होने के नाते, चाहे दिल्ली, गुजरात, मुम्बई या अयोध्या जहां भी इंसीडेंट हो, भारत देश का कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके बारे में हमें सब लोगों को दुख होना चाहिए और इसी तरह की जो समस्या पैदा हो रही है, उसे समाप्त करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। नानावती कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, नानावती कमीशन ने, जैसा आप बता रहे हैं कि इनको हटाओ, उनको हटाओ लेकिन जब हम आपसे कहते थे कि इनको हटाओ, उनको हटाओ, लेकिन आप नहीं हटा रहे थे, अगर आपने नहीं हटाया तो हम क्यों हटाएं? *(व्यवधान)* आप कभी कह रहे हैं कि श्री जगदीश टाईटलर को हटाना चाहिए। जब कोर्ट में केस था तो नानावती कमीशन को पूरा अधिकार था। जो साल तक पूरा आपके हाथ में था। नानावती कमीशन ने जो भी रिपोर्ट दी है, जगदीश टाईटलर को उसमें पूरा दोषी नहीं ठहराया है। जो भी उनके ऊपर शंका व्यक्त की गई है, अगर हमारे उधर से मित्र बोल रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, एफ०आई०आर० दाखिल करेंगे, अगर आप हमारे खिलाफ एफ०आई०आर० दाखिल करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ एफ०आई०एल० दाखिल करेंगे। एफ०आई०आर० की बात नहीं है।

सायं 6.23 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सर, मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरा भाषण जब चल रहा है तो अध्यक्ष जी, आप चेयर पर हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी उधर आ गये हैं। यह हंसने की बात नहीं है। यह सीरियस बात है। *(व्यवधान)* हमारी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है कि जिनकी डैथ हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी सिख समाज के हैं और हम आपको बता रहे हैं कि सिख समाज पर जो अन्याय हुआ है, उन पर अन्याय तो हुआ है लेकिन जानबूझकर किसी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने अन्याय नहीं किया है। जो अन्याय हुआ है और जिन लोगों ने यह अन्याय उनके ऊपर कर दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्हें रीहैबिलिटेट करने की जरूरत है, उन्हें रीहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, उसमें दो मत नहीं हैं। हम भी सिख समाज के साथ हैं और सिख समाज भी हमारे साथ है। इसीलिए भारत देश की आजादी के लिए सिख समाज की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या हमारी आर०पी०आई० हो, कोई सी भी पार्टी हो, सिख समाज की कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते हैं। सिख समाज के लिए हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम किया, इसीलिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंजाब में सिख हमारे साथ रहे हैं। कुछ सिख आपके साथ भी हैं, लेकिन हमारे साथ ज्यादा लोग हैं। मनमोहन साहब भी है सिख, *

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आज की कविता ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : अगर आपको रिकार्ड से निकालना है तो निकाल दीजिए, मैंने तो बोल ही दिया है। हमें नहीं चाहिए भीख क्योंकि सारे भारत का है हमारे साथ सिख। सिख हमारे साथ हैं, इसीलिए हम लोगों को यह काम करने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों को यह काम भी करना है कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज कविता ठीक नहीं लग रही है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, आज ये लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों को रिजाइन करना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइटलर साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कानूनी कार्यवाही हो, की जानी चाहिए। मैं टाइटलर साहब को बताना चाहता हूं कि आप श्री मल्होत्रा जी को टाइट कीजिए। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, यह पूरे दिन भर की चर्चा का मजाक है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा मुस्करा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अगर आप लोग गुस्सा हो रहे हैं तो टाइट मत कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह मुस्करा रहे हैं। वह इसे उपयुक्त भावना से ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : इसलिए मुझे यह कहना है कि सिख समुदाय ने हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उसका हमें बड़ा अभिमान है, लेकिन जिस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी जी और महात्मा गांधी जी की हत्या की गयी, उसके कारण को खत्म किए जाने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले : आप अगर हमारा रिजाइन मांग रहे हैं तो मोदी जी को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? अगर आप हमारे कहने पर उनको नहीं हटा सकते हैं तो हम आपके कहने पर अपने लोगों को नहीं हटा सकते हैं। मैं अन्त में यह कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि हम सभी लोगों को इस तरह की घटनाओं को फिर होने से रोकने के लिए काम करना चाहिए और देश की मजबूती के लिए काम करने की आवश्यकता है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : किसी शायर ने ठीक ही कहा है :

"जब चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का।"

यह इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि इस मुल्क में जितने भी फसादात हुए, सबसे ज्यादा नुकसान अकलियतों को हुआ। साबित वजीरे आजम मरहूम मिसेज मोहतरमा इन्दिरा गांधी के बेदर्दी से कत्ल के बाद देहली में जो फसादात हुए, मैं उसको फसाद नहीं कहूंगा बल्कि नस्लकसी कहूंगा। एक मंसूबाबंद तरीके से सिख बिरादरी को टारगेट बनाया गया, उनको लूटा गया, मारा गया, पीटा गया। मैं हुकूमत से यह गुजारिश करूंगा और मेरा मुतालबा भी है कि जो कुछ भी सिफारिशात जस्टिस नानावती ने अपनी रिपोर्ट में दी हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाए और इसलिए अमल किया जाना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट भी पेश होने वाली है। मैं यहां पर बैठकर सुन रहा था कि हमारे साबित वजीरे दाखिला के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बड़ी जोरदार तकरीर की है और इंशा अल्लाह जब यहां हुकूमत लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट टेबल करेगी, तब हम यही अल्फाज दोहराएंगे और आपके कानों को सुनाएंगे। उस वक्त हम आपके जमीर से यह सवाल करेंगे कि जब आप यहां पर इतना उछ-उछकर कह रहे हैं और इतनी मोहब्बत और जज्बे का मजारा कर रहे हैं।

मुझे अफसोस भी हुआ कि गुजरात में, उन्हीं की सरजमीं पर उन मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, खून की होली खेली जा रही थी, जैसी कि सिखों के साथ खेली गई थी। उस वक्त आपका जमीर नहीं जागा। उस वक्त आपमें इन्सानियत पैदा नहीं हुई इसलिए कि मरने वाले मुसलमान थे। मगर बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, जो अवाम पर अयां होंगी। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट टेबल की जाए और यू०पी०ए० हुकूमत ने जो वादा किया है कि फसादात की रोकथाम के लिए एक कानून को लाया जाएगा, उसे जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। एन०डी०ए० के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वे मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। आपका रिकार्ड सारे हिन्दुस्तान की अवाम जानती है। आप यह भी जानते हैं कि यह मुल्क 1992 का मुल्क नहीं है, 2004 का मुल्क है, जिसमें तमाम फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ वरडिक्ट देश की अवाम ने दिया है। इसीलिए इस हुकूमत को बराबर जो यह मेनडेट मिला है, उसे पूरा करे। यहां पर किसी को बचाने का काम हम नहीं करने वाले हैं। बराबर जिन पर इल्जामात साबित होंगे, उन्हें कैफो किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। इन लोगों की बातों को सुन कर किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है –

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

यह बदनसीबी है अकलियतों की। यहां पर सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर साथ ही साथ हुकूमत के साथ मुतालिबा करते हैं कि वह जल्द से जल्द फसादात रोकने के लिए कानून इवान में पेश करे, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की नस्लकशी को रोका जा सके।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे उन सब बातों को दोहराना नहीं है, जो इस समय यहां पर कही गई हैं। मैं सिर्फ दो-तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। जिस समय नानावती आयोग की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट आई, तो सारे देश में एक ऐसा माहौल बना कि पूरा देश स्तब्ध रह गया था। कोई ऐसा टेलीविजन चैनल नहीं था, कोई ऐसा मीडिया का अखबार नहीं था, जिसने उनकी निंदा न की हो, उसकी भर्त्सना न की हो। सारे देश ने उस पर लानत भेजी कि चार हजार से ज्यादा लोगों की हत्या के बाद सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में उसे पूरी तरह से व्हाइट वाश किया गया है, कालिख पोत दी गई है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जब यह रिपोर्ट आई और यह सब हुआ, उसके बाद अंदाजा यह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में एक पुनरावलोकन हो रहा है, आत्मावलोकन हो रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी आज कोई बड़ी भारी घोषणा करने वाले हैं। लगातार अखबारों में यह छप रहा था कि कई मीटिंग्स हुईं। उन मीटिंग्स में प्रधानमंत्री जी का विचार था कि कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ का विचार था कि नहीं होनी चाहिए। आखिर में कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि इस देश की भावनाओं को देखते हुए कुछ बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत निराशा हुई। सारा देश देख रहा था, सारा मीडिया देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने पहले तो एक लम्बा वक्तव्य दिया। मैं उसे इस समय दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरों का जिक्र किया और यह कहा कि ये दोनों उस वक्त के महान व्यक्ति थे, जिन्होंने पंजाब को बनाया। परंतु प्रताप सिंह कैरों को किसने निकाला और किसने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया, यह सभी जानते हैं। प्रताप सिंह कैरों का कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था। उस वक्त नेहरू जी ने कमीशन बनाया और उसके बाद प्रताप सिंह कैरों को हटा दिया। बाद में उनकी हत्या हुई। हत्या में कौन लोग शामिल थे, यह भी सभी जानते हैं। इसलिए उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने अकाली पार्टी के खिलाफ किया और यह कहा कि अकाली पार्टी ध्यान रखे इस बात का कि पंजाब में कहीं दोबारा आतंकवाद न आ जाए।

मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पंजाब में आतंकवाद को दोबारा लाने की बात कौन कर रहा है। आपके ही मुख्यमंत्री खालिस्तान के सबसे बड़े अड्डे कनाडा में गए। जहां पर भिंडरांवाला जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे। वहां यह भी लिखा हुआ था कि खालिस्तान बनेगा। वहां जाकर आपके मुख्यमंत्री सरोपा लेते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं।

جناب اسد الدین اویسی (حیدر آباد): جناب اسپیکر صاحب، کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے:

"جب چُپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔"

یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی فسادات ہوئے، سب سے زیادہ نقصان اقلیتوں کا ہوا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کے بے دردی سے قتل کے بعد دہلی میں جو فسادات ہوئے، میں اُس کو فساد نہیں کہوں گا بلکہ نسل کشی کہوں گا۔ ایک منصوبہ بند طریقے سے سکھ برادری کو ٹارگیٹ بنایا گیا، ان کو لوٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ میں حکومت سے یہ گذارش کروں گا اور میرا مطالبہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی سفارشات جسٹس نانا وتی نے اپنی رپورٹ میں دی ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا جائے اور اسلئے عمل کیا جانا چاہئے کیونکہ آنے والے دنوں میں لبراہن کمیشن کی رپورٹ بھی پیش ہونے والی ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر سن رہا تھا کہ ہمارے سابق وزیر داخلہ کے منسٹر آف اسٹیٹ نے بڑی زوردار تقریر کی ہے اور انشاءاللہ جب یہاں حکومت لبراہن کمیشن کی رپورٹ ٹیبل کرے گی، تب ہم یہی الفاظ دوہرائیں گے اور آپ کے کانوں کو سنائیں گے۔ اس وقت ہم آپ کے ضمیر سے یہ سوال کریں گے کہ جب آپ یہاں پر اتنا اُڑ اُڑ کر کہہ رہے ہیں اور اتنی محبت اور جذبے کا اظہار کر رہیں۔

مجھے افسوس بھی ہوا کہ گجرات میں، ان ہی کی سرزمیں پر ان مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جیسی کہ سکھوں کے ساتھ کھیلی گئی تھی۔ اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا۔ اس وقت آپ میں انسانیت پیدا نہیں ہوئی اس لئے کہ مرنے والے مسلمان تھے۔ مگر بہر حال یہ تمام چیزیں ہیں، جو عوام پر عیاں ہوں گی۔ میں حکومت سے گذارش کروں گا کہ جلد از جلد لبراہن کمیشن کی رپورٹ ٹیبل کی جائے اور یو پی اے حکومت نے جو وعدہ کیا ہے کہ فسادات کی روک تھام کے لئے ایک قانون کو لایا جائے گا، اسے جلد سے جلد لانے کی ضرورت ہے۔ میں این ڈی اے کے لوگوں سے بھی گذارش کروں گا کہ وہ مگر مچھ کے آنسو نہ بہائیں۔ آپ کا ریکارڈ سارے ہندوستان کی عوام جانتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک 1992 کا ملک نہیں ہے، 2004 کا ملک ہے، جس میں تمام فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ورڈیکٹ ملک کی عوام نے دیا ہے۔ اس لئے اس حکومت کو برابر جو یہ مینڈیٹ ملا ہے، اسے پورا کرے۔ یہاں پر کسی کو بچانے کا کام نہیں کرنے والے ہیں۔ برابر جن پر الزامات ثابت ہوں گے، انھیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے:

ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

یہ اقلیتوں کی بدقسمتی ہے۔ یہاں پر سکھوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ حکومت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد فسادات روکنے کے لئے قانون ایوان میں پیش کرے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی نسل کشی کو روکا جا سکے۔

पंजाब में जो मानव बम पकड़ा गया, उसके बारे में कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आदमी है, केवल बादल साहब निकम्मे हैं। इससे पता चल जाता है कि पंजाब के अंदर कौन आतंकवाद को दोबारा पैदा कर रहा है। हम आपसे सहमत हैं कि पंजाब में दोबारा आतंकवाद नहीं आना चाहिए। वहां पर आठ हजार लोगों के मारे जाने के बाद बहुत मुश्किल से आतंकवाद खत्म हुआ था। अब पंजाब में दोबारा आतंकवाद उभर रहा है, इसे कौन ला रहा है, आप इस बात पर विचार कीजिए। आपने अकाली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भिंडरांवाला को खड़ा किया था। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने भिंडरांवाला को वहां पर लाकर उसका समर्थन किया, अकाली पार्टी को खत्म करने के लिए।

जब भिंडरवाला भस्मासुर बन गया *(व्यवधान)* पंजाब में अकाल तख्त पर, स्वर्ण-मंदिर पर किसने हमला किया, किसने सेना भेजी। उसके कारण यहां आतंकवाद बढ़ा था। आज फिर अकाली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अकाली पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, आप फिर से आतंकवादियों को सहारा दे रहे हैं। जिन्होंने दिल्ली के सिनेमाघरों में जाकर बम फैंके, वे आतंकवादी कहां रह रहे थे, किनके घरों में छिपे हुए थे? आप अकाली पार्टी को नुकसान पहुंचाते-पहुंचाते देश को नुकसान पहुंचाएंगे, अकाली पार्टी को नष्ट करते-करते देश को नष्ट करेंगें। उस आतंकवाद को रोकने के लिए आप कदम उठाइये, हम आपका साथ देंगे। अकाली पार्टी को कमजोर करने के लिए, पंजाब में फिर से आतंकवाद लाया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने दूसरी बात यह कही कि सिखों को मेन-स्ट्रीम से अलग न किया जाए। *(व्यवधान)* मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कार्रवाई आपको इस रिपोर्ट पर करनी चाहिए, जब आप वह कार्रवाई नहीं करेंगे करेंगे और नानावती कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या सिखों के मन के अंदर ग्लानि और दु:ख नहीं रहेगा और वे अपने मन में यह नहीं सोचेंगे कि उनको न्याय नहीं मिला। आप बताएं कि कौन उनको मेन-स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश कर रहा है। माननीय प्रधानमत्री जी, आपके प्रधान-मन्त्रित्वकाल में ऐसी रिपोर्ट बना दी गयी जिसमें चार हजार सिखों की हत्या के बाद एक ही आदमी को सजा नहीं होगी। माननीय प्रधान मंत्रीजी, आपने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें हम आशा करते थे कि सारे देश की लानत के बाद आप इस रिपोर्ट पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की घोषणा करेंगे। आपने कहा कि मैं इसको देखूंगा, उस पर विचार करूंगा और फिर कानून की राय ली जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपके वक्तव्य से बहुत निराशा हुई है। हम कहना चाहते हैं कि जितनी निराशा हमें ए०टी०आर० से हुई थी, उससे कहीं ज्यादा निराशा हमें आपके वक्तव्य से हुई है, आपके भाषण से हुई है। यही मैं कहना चाहता था।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी-लौंगोवाल समझौता मानते हैं या नहीं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : अध्यक्ष जी, बहुत से माननीय साथियों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये हैं और वे विचार सारे सदन ने सुने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पर अपना वक्तव्य दिया और यह वक्तव्य भी हम सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर व्यक्त किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य यहां पर दिया है। हम जो यहां पर उनके साथ हैं, हमने जो विचार यहां पर दिये हैं, उन विचारों के मुताबिक जो आयोग की रिपोर्ट आयी है, उस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आयेगा। देश को एक रखने की भावना से, भाई-चारे की भावना से हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सभी इस देश के हैं, यह भावना बनाते हुए, जिन्होंने भी जो काम नहीं करना चाहिए था, किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय देने का जो विचार है, उसको ध्यान में रखकर हम काम करेंगे।

महोदय, मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जो नानावती आयोग बना, वह वर्ष 2000 में बना। नानावती आयोग पिछली सरकार ने बनाया था और आयोग ने चार साल बाद रिपोर्ट दी। हम यहां खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जो भी सिफारिशें की गई हैं, उन पूरी सिफारिशों पर हम अमल करेंगे। असल में दस सिफारिशें की गईं थीं, ऐसा हमने यहां बताया और नौ सिफारिशों के बारे में हमने पहले ही कह दिया था कि अमल करने जा रहे हैं, जैसे कि सिफारिश में कहा गया है। सिर्फ एक सिफारिश *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है? आप बैठ जाइए। यह सही नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : सिर्फ एक सिफारिश के बारे में जो चीज थी, वह खुलकर सामने आ गई है। आज हम यहां प्रधानमंत्री जी से सभी लोग मिलकर कह रहे हैं कि उस विषय पर जो भी कार्यवाही करना जरूरी है, उस सिफारिश के मुताबिक करेंगे। इसके बाद भी जब चर्चाएं होती हैं, तो अलग-अलग प्रकार से विचार यहां पर प्रकट किए जाते हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि सिफारिशें क्या हैं? हमने उनके खिलाफ क्या कहा है? कुछ अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। हमने कह दिया है कि हम कार्यवाही करेंगे। कुछ राजकीय

[श्री शिवराज वि० पाटील]

नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गई। उनमें एक को छोड़कर, हमने कहा कि उन सभी के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसके बाद भी लीपापोती की जा रही है, इन सिफारिशों को माना नहीं जा रहा है, ऐसा बार-बार कहा जा रहा है ... *(व्यवधान)* वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद कहा जा रहा है और लिखित रूप में उनके हाथ में देने के बाद भी कहा जा रहा है। मैं फिर से यह बात दोहराना चाहता हूं, उन सभी के लिए जो यहां पर बैठे हुए सदस्य हैं, बाहर जो हमारे भाई-बहन हैं और जो मीडिया के हमारे साथी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि सारी सिफारिशों के लिए हमको जो कुछ करने को कहा गया है, हम करने जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

यह एक अत्यन्त संजीदा चर्चा है। मैं सभी पक्षों का धन्यवाद करता हूं। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। सुशील जी यह रिकार्ड नहीं होगा। हमने बहुत आपकी चर्चा की है प्रत्येक सदस्य ने सहयोग किया है और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। अब सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

ठीक है, डींडसा साहब को मौका मिलेगा।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यहां जो दूसरी बात कही गई है कि पुलिस रिफार्म होना चाहिए, इस प्रकार की सिफारिशें हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में बड़े सविस्तार से बड़ी, गहराई से और खुलकर कहा कि पुलिस रिफार्म्स की बात हमें मान्य है। इतना ही नहीं, पहले से ही हमने पुलिस रिफार्म्स शुरू कर दिया है। वह पुरा हुआ है कि नहीं, उससे ज्यादा करना है, कि नहीं करना है, वह और बात है। इस पर हम ध्यान देंगे। कम्पंसेशन की बात यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने कही है और यह बात सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने, हमारे सभी सदस्यों ने जो सबसे पहली बात बताई है कि किसी की जान तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो उनके कुनबे के लोग हैं, उनको जितनी भी मदद हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, इस प्रकार की हमारे पास सूचनाएं हैं। जब मैं कहना चाहता हूं कि कम्पंसेशन दिया गया, कितना दिया गया है, कैसे दिया गया, इसका विस्तार से एक्शन टेकेन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। कितने लोगों को दिया गया? जिस के घर में एक मृत्यु हुई, उसके घर वालों को साढ़े तीन लाख रुपए दिए हैं, वे कम हैं या ज्यादा हैं, वह अलग बात है। आपकी राय में यह राशि ज्यादा देनी चाहिए, उससे हम नाराज नहीं होंगे। हम उस पर विचार करेंगे लेकिन हमने मुआवजा दिया है, बहुत लोगों को दिया है, यहां पर दिया है और बाहर भी दिया है। जैसा कि आयोग ने कहा कि समान रूप से मुआवजा दीजिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। आयोग पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। बहुत से सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए थे, जिन का जवाब दूसरे सदस्यों ने दिया है। उन्हें फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी घटनाओं पर सजा क्यों नहीं होती है? इस प्रकार का हम सब लोगों का मत बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस ने भी चर्चा गहराई, शांति और विस्तार से सुनी होगी तो एक बात निकल कर आ रही है कि सजा क्यों नहीं होती है? उसे पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बात यहां आई। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, क्या आप उनकी बात सुनने के इच्छुक हैं अन्यथा मैं उन्हें अपनी बात समाप्त करने को कह दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं और मेरी गुजारिश है कि आप उसे गलत अर्थ में न लें, शांति से सुनें। आज इस विषय में पूरे दिन चर्चा हुई। इस चर्चा में पॉलिटिक्स कितना था और न्याय करने की क्या भावना थी? हम इसका एनालिसिस करें तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। विपक्ष के लोग देंगे कि इसमें पॉलिटिक्स कितना था, न्याय की भावना कितनी थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने की कितनी इच्छा थी? जो हुआ है, वह बुरा है, नहीं होना चाहिए था। किस प्रकार से नहीं हो सकता है? बार-बार कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में साफ तौर पर बातें कही गयी हैं। लोगों ने उसे गहराई से पढ़ा और कोट किया है। मैं फिर से पढ़ना और कोट नहीं करना चाहता हूं। मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि वह अंडर लाइन है। क्या यह सही नहीं है कि रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि दिल्ली में जो हुआ, जो हमारे नेता थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे या ऊपर के स्तर के जो कांग्रेस पक्ष के नेता था, उनका कोई हाथ नहीं है। यह इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है या नहीं? आपने कहा है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जवाब देना कोई औपचारिकता नहीं है। आपको उनकी बात सुननी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : अगर यह कहा है तो क्या बार-बार इसे नजरअन्दाज करते हुए लोकल लीडर्स ने यह किया है, उस बात को ऊपर के लोगों पर थोपना ठीक है या नहीं? मैं केवल यह सुनना चाहता हूं। इससे ज्यादा इस बात पर भाषण देना नहीं चाहता हूं ··· *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर मान रहे हैं कि लोकल लीडर्स ने किया। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : दूसरी बात यह है कि जब कभी ऐसे हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं तो जिन्होंने किया है, उनके साथ-साथ निपराध लोगों के नाम भी जोड़े जाते हैं। पुलिस इनवैस्टिगेशन करती है। मैंने कोर्ट में काम किया है और आपने भी किया है। हमने देखा है कि जब अपराधी के साथ निरपराधी का नाम जोड़ा जाता है तो न्याय करने में बहुत कठिनाई होती है। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर कोई करता है तो ऐसी घटना और भी बढ़ जाती है और न्याय करने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं यहां खड़े होकर पुछूं कि आप बार-बार दूसरों का नाम ले रहे हैं, पांच साल में आपने क्यों नहीं किया?

अगर मैं यह पूछूं कि आप पांच-छः साल में कोर्ट में क्यों नहीं गए तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। मगर मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो छोटी-छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा मन छोटा हो जाता है, उन्हें दूर रखकर ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह छोटी बात है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ी बात नहीं की जा सकती। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी मां के जैसी हमारी नेता हमारी आंखों के सामने चली गईं। जब उनका शव पड़ा हुआ था तो उनका बेटा गली-गली, कूंचे-कूंचे में बताने के लिए घूम रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा होगा। आपका बड़ा मन है तो आप कबूल करेंगे, अगर छोटा मन है तो कबूल नहीं करेंगे। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। न तो मैं और न ही आप उनको कुछ कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, हमारी माता हमारे से हटाई गईं, इतना ही नहीं हमारे भाई और बहन, जो इनोसेंट थे, हमारे से हटाए गए। उसका भी दर्द हमारे मन में है, यह नहीं है कि माता का मन में दुःख ले रहे हैं। ··· *(व्यवधान)* हमारा दुःख दुगुना है, हमारा दुःख एक गुना नहीं, हमारा दुःख दुगुना है। हमारी माता गई, हमारे भाई-बहन चले गए, इसका भी हमें दुःख है, इसे नहीं भूलना चाहिए।

श्रीमन्, हम इतना ही कह रहे हैं कि जो सही है वह सही है और जो बुरा है वह बुरा है। जिसने बुरा किया है उसे हम संरक्षण

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि० पाटील]

नहीं देंगे, जो सही नहीं है उसे हम ढांपने की कोशिश नहीं करेंगे। इस समय हम अपनी तरफ से, जो सोल्स हमसे दूर हैं, उनका अभिवादन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस सदन में बैठे हुए बूढ़े और बुजुर्गों से, कि हमें बांटिए मत, हमको बांटिए मत, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर हमको मत बांटिए, हमें यूनाइट रहने दीजिए और जो कर सकते हैं कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम अपना कर्त्तव्य इस देश को एक रखने के लिए जरूर करेंगे।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दुखदायी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 1984 घटना की जो विधवायें यहां प्रोटैस्ट करने के लिए आई थीं, मुझे जानकारी मिली है कि उन पर लाठी चार्ज हुआ और वे जख्मी हैं। वे वहां बैठीं, उन्होंने वहां धरना दे दिया। आप विधवाओं की बात कह रहे थे, लेकिन आज उन विधवाओं की व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है। यहां प्रधानमंत्री जी बैठें हैं और गृह मंत्री जी भी बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, पहले भी प्रकट किया था। यही नहीं, श्री मीडिया का, चाहे वह इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, प्रिन्ट मीडिया हो, जब यह रिपोर्ट इस सदन में रखी गई, तब उन्होंने प्रेस और टी०वी० में उसे फ्लैश किया और दुनिया को स्थिति के बारे में बताया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे जजबात देखते हुये, हमारे साथ हुई बेइन्साफी को मद्देनजर रखते हुये ग्रुप-पार्टी से ऊपर उठकर हमें सपोर्ट दी और एक्शन लेने के लिये बात की। एन०डी०ए० के सभी सदस्यों, केवल कांग्रेस को छोड़कर सभी ने साथ दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ दि अपोज़ीशन का आभारी हूं कि उन्होंने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी सिख हैं, इसलिये उनके जज्बात मुझे मालूम हैं, उनके साथ बहुत कुछ हुआ। श्रीमती मेनका गांधी सिख की बेटी हैं। गांधी परिवार की बहू हैं जिन्होंने अपने जज्बात से बात कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें पौलिटिक्स नहीं आनी चाहिये। अध्यक्ष जी, आप इसके गवाह हैं क्योंकि आपने भी सपोर्ट दी है, जब मैं भाषण कर रहा था।

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह भी है कि जिन पौलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट आये, उन्होंने एफिडेविट दिये जिनमें श्री विजय कुमार मल्होत्रा, श्री मदन लाल खुराना थे, उनके बारे में बात नहीं की। जस्टिस तारकुंडे किसी पार्टी से नहीं थे, चीफ जस्टिस सीकरी किसी पार्टी से नहीं थे। हिन्दुस्तान के बड़े बड़े लोग राइटर्स श्री पटेवंत सिंह, श्री खुशवंत सिंह, श्री कुलदीप नैयर, श्री आई०के० गुजराल और न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट और एफिडेविट दिये, आप उन पर ध्यान दीजिये लेकिन किसी न उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधामंत्री जी, मुझे इस बात का दुख है कि कोई एक्शन लेने की बात नहीं कही गई *(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थीं, देश की प्रधानमंत्री थी। इन लोगों ने कहा कि इसलिये देश में रिएक्शन हुआ जो तीन दिन तक होता रहा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या महात्मा गांधी इन से कम बड़े लीडर थे, जब उनका कत्ल किया गया *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। महात्मा गांधी को नाथू राम गौडसे ने मारा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े दुख की बात है कि इतने सीरियस मैटर पर डिसकशन हो रहा है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : इसलिए क्या सभी को मार देना था?

अध्यक्ष महोदय : सभी जानते हैं कि किसने मारा?

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : श्री राजीव गांधी का कत्ल * अगर श्रीमती गांधी का कत्ल हो गया तो क्या सभी सिखों को मार दिया जाता? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

(व्यवधान)

श्री ए० कृष्णस्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप सभी की बात एक साथ नहीं सुनाई दे सकती है।

(व्यवधान)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, उन्होंने आक्षेप लगाया है इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए *(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ढींडसा जी, आप भी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। कृपया मुझे समझने दीजिए कि सदन में क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री एस०के० खारवेनथन (पलानी) : महोदय, यह हमारे लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। इस मामले में वे उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं देखूंगा और कार्यवाही-वृत्तांत से इनका लोप करवा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैंने तो सपोर्ट किया है। उसमें सभी नागरिकों का कोई कसूर नहीं था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले से ही काफी परेशानियां हैं। इसलिए इन्हें और मत बढ़ाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैंने यही कहा, मैंने इनकी मदद की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा आप अभी तक प्रासंगिक बोल रहे थे। आप कृपया केवल प्रासंगिक ही बोलिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : दूसरे कांग्रेस के जितने मैम्बर्स बोले हैं, तकरीबन वे सभी पंजाबी ही थे। इसके बाद मैं उनकी बात करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पंजाबी मत कहिये, यह कहना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ढींडसा, सबसे पहले वे सभा के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : गुजरात की बात कही गई, जो रिकार्ड पर है कि गुजरात की घटना को शिरोमणि अकाली दल ने कंडैम किया। *(व्यवधान)* मैं आज भी कहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : समर्थन वापस क्यों नहीं लिया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे आपका वक्तव्य स्वीकार है। बाकी लोगों की आप अनदेखी करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं इस ऑगस्ट हाउस में कहना चाहता हूं कि अगर 1984 के मुजरिमों को सजा दी जाती तो न गोधरा होता, न गुजरात होता और न कोई और घटना होती। *(व्यवधान)* यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में किसी को कुछ नहीं होने वाला है, कोई किसी को भी मारते जाओ, कुछ नहीं होगा। चार हजार सिख मार दिये, उन्हें कुछ नहीं हुआ। यदि गुजरात में मुसलमान मार दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर कहीं और मुसलमान या माइनोरिटी के लोगों को मार दोगे *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसी किसी घटना को उचित नहीं ठहराना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है। यहां नहीं होगा, वहां नहीं होगा, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आप इसके बारे में बोलिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं कह रहा हूं कि अगर उन्हें सजा मिल जाती तो कम से कम जो दंगाई लोग हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। इस सभा का यही संदेश होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, ठीक यही बात हम भी कहना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं वही तो कह रहा हूं। मेरी बात आप कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा बोला।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : यदि उन्हें सजा हो जाती तो कम से कम उन्हें डर लगता जो ऐसा करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग थोड़ा चुप कीजिए। आपके प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया, होम मिनिस्टर साहब ने भाषण दिया और इतने बुजुर्ग नेताओं ने भाषण दिया, तब भी आप बोले, आप बाहर क्या बोलेंगे, क्या सब कुछ यहीं बोलेंगे। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : कोई गलत बात करेगा तो उसे सपोर्ट कैसे करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव आपको इसका समर्थन करने की जरूरत नहीं। आप स्वयं को संभालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : एक बात जो प्रधानमंत्री जी ने और मल्होत्रा जी ने कही, वे उसके जवाब में बोले। आप अकालियों के बारे में कह रहे हैं कि कहीं दोबारा टैरेरिज्म न आ जाए। आई०बी० के एक ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी थी, *(व्यवधान)* * यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आई०बी० का ज्वाइंट डायरेक्टर कह रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ये बातें यहां न उठायें क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा न करें। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है, यह क्या बात हो रही है। नानावती कमीशन की चर्चा के बीच में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं। इसलिए आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसका जवाब दीजिए। आप इसके बारे में बोलिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन बातों को छोड़िये, सब कुछ कोट नहीं करना चाहिए।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं किताब का रेफरेन्स दे रहा हूं। बंसल साहब मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। इन्होंने बहुत बढ-बढ़ कर बातें कही हैं। हमारे साथ बहुत सहयोग भी दिया और सब कुछ कहा। उन्होंने दो-तीन बातें कहीं जिनका उत्तर मैं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप उस वक्त मलहम लगाने क्यों नहीं आए। मैं बंसल साहब को कहना चाहता हूं कि रिकार्ड उठाकर देख लें 5 तारीख को हमारे सारे बड़े लीडर जेलों में थे – सरदार प्रकाश सिंह बादल, गुरुचरण सिंह तोहड़ा सभी, लेकिन हमने फैसला किया। सरदार बलवंत सिंह का नाम हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। वे उस समय फाइनैंस मिनिस्टर थे और मैं भी उस वक्त मिनिस्टर था। हम दोनों और एस०जी०पी०सी० के प्रैजीडैंट राजेन्द्र सिंह भालीवाल बाय एयर एयरपोर्ट पर आए तो हमें दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया। हमें कहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि आप नहीं जा सकते। बी०एस०एफ० का जहाज़ लेकर हमें दोबारा वापस भेज दिया गया। क्या इंसाफ था कि हमें मलहम नहीं लगाने दिया। यह रिकार्ड की बात है। एक बात इसमें मैंशन की कि राजीव-लॉंगोवाल समझौता हुआ। उस राजीव-लॉंगोवाल समझौते में एक ही मद ऐसी थी जो डेटबाउंड थी। वह क्या थी कि 26 फरवरी को चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सरदार बरनाला थे। हमें बताया गया कि आज रात को 12 बजे चंडीगढ़ हमें मिलेगा। हम भी सभी एम०एल०ए० आए थे। मगर वह हमें नहीं मिला। उसी दिन हमने फैसला कर दिया कि आज के बाद *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उचित बात है?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : पर सर्वथा उचित बात है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : प्रधानमंत्री ने राजीव लौंगोवाल समझौते का मुद्दा उठाया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलते रहिये। आप लोग बैठिये। आपको मदद ही नहीं करनी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि इससे वाद-विवाद में कैसे मदद मिल रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। जो इन्होंने कहा है, उसका जवाब दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये क्या बात है? इस तरह से क्या रिप्लाई होता है?

(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : जो प्रश्न इन्होंने उठाए उनका जवाब दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलते रहिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : जो उन्होंने कहा है, उसका जवाब तो देने दो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमको तो बोलने का हक है, इसलिए तो हम चेयर पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, आप अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मेरे साथियों ने भी और बंसल साहब ने भी रिपोर्ट से पढ़कर सुनाया कि राजीव गांधी जी का उसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन यह कोई नहीं भूला कि उन्होंने यह तो कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। *(व्यवधान)* यह मत भूलिये, यह तो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़ दीजिए। जितना बोलेंगे, यह सब चलता रहेगा।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, इसकी सीरियसनैस को आप देख लीजिए। 4000 आदमी मर गए, मगर वे कहते हैं कि छोटी-मोटी बातों की बात मत करो। *(व्यवधान)* उनके लिए ये छोटी मोटी बात है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : वहां उनका शरीर पड़ा था और फिर वह इधर-उधर घूम रहे थे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही-वृत्तांत में दिया है। यदि कोई और बात कही जाती है तो इसका मतलब होगा कि वह उनकी बातों को सही ढंग से पेश नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर इंटरवीन करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैं इन घटनाओं को छोटा नहीं मानता। मैंने तो यह कहा था कि इतने बड़े मुद्दों को इतने तंग नजरिये से न देखा जाये। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : सर, ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए। आपकी सोच छोटी नहीं है, बड़ी है।

[अनुवाद]

मैंने आपको इसीलिए बोलने की अनुमति दी है। अन्यथा मैं आपको बोलने की अनुमति ही नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष जी, चूंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि राजीव गांधी की माता जी का देहान्त हो गया था। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। राजीव गांधी जी की माता जी के मरने के बाद, मैं उनके जजबात समझ सकता हूं, लेकिन जो 4000 लोग दंगों में मर गए, क्या उनकी माता बहिनें नहीं थीं? उन्हें आज डंडे पड़ रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमें बोलिए, हम सुन रहे हैं। वे नहीं सुनते हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मुझे एक बार फिर अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दिया जाये। मैंने कहा था कि मैंने अपनी मां खो दी। मैंने अपनी बहनों और भाइयों को खो दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कमिश्नर ने यह खबर दी कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इन्होंने सभा को किस तरह गुमराह किया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुखदेव ढींडसा जी, आपने शुरू में बहुत अच्छा भाषण दिया। उसे पूरे हाउस ने बहुत ध्यान से सुना। हमने भी अच्छी तरह सुना।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं। सारे हाउस के जजबात माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने सुने। हम आपकी कद्र करते हैं, आप भी कद्र करते हैं। अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब उन सभी को मानते हैं कि सबने ठीक बात कही और पार्टी लैवल से ऊपर उठकर बात कहीं, तो उन्हें यहां कम से कम यह आश्वासन भी देना चाहिए कि जो ए०टी०आर० लिखी गई है, उसे वे वापस लेते हैं और जिनको इस रिपोर्ट में इंडाइट किया गया है, उन्हें सजा दी जाएगी और वह सजा ऐसे नहीं दी जाएगी, बल्कि जैसे सतवन्त सिंह और बेअन्त सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी गई, वैसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दी जाएगी। जिन लीडरों के नाम इस रिपोर्ट में आए हैं, उन्हें कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिए।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तो वे एनाउंसमेंट कर दें, ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने आज आपकी वजह से उन लोगों को बहुत डांटा है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने तो एक बात भी नहीं कही कि उन्हें सजा दी जाएगी। मिनिस्टर तो वहां बनने को बहुत बैठे हैं। बंसल साहब को मिनिस्टर बना दो। हमें इनकी सिंसियरिटी कैसे दिखे, इनकी सिंसियरिटी किसी चीज से नजर आए, इन्होंने अपने उत्तर में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी मांग है। प्रधानमंत्री जी आपकी मांग पर सोचेंगे।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एडजर्नमेंट मोशन है। यह बहुत इम्पौर्टेंट है। आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाये रखें। स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।

प्रश्न यह है :

"अब यह सभा स्थगित होती है।"

जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं – कृपया कहें "पक्ष में"।

कुछ माननीय सदस्य : पक्ष में।

अध्यक्ष महोदय : जो इसका विरोध करते हैं, वह कहें "विपक्ष में"।

कई माननीय सदस्य : विपक्ष में।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अधिकतर सदस्य इसके विपक्ष में हैं।

कुछ माननीय सदस्य : "पक्ष में" अधिक हैं। हम मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली करा दी जायें।

महासचिव महोदय कृपया सदस्यों को स्वचालित मतदान रिकार्डिंग संयंत्र के संचालन की प्रक्रिया के बारे में सदस्यों को अवगत करायें।

महासचिव : माननीय सदस्यों के ध्यानार्थ *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये टिप्पणियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे कहना चाहिए कि निंदनीय है। इस तरह की टिप्पणियां करना माननीय सदस्यों की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

महासचिव महोदय, कृपया अपनी बात कहें।

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है :–

मतदान के पहले प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने-अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए और प्रणाली का संचालन केवल अपने स्थान से ही करना चाहिए।

जैसा कि देखा जा सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन की दोनों ओर 'डिस्प्ले बोर्ड पर लाल बल्ब' पहले से ही जगमग हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मतदान प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है।

कृपया मतदान के लिए पहली 'घंटी' आवाज के तुरन्त बाद निम्नलिखित दो बटनों को एक साथ दबायें, अर्थात्:

माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगे लाल बटन तथा डेस्क पर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

हां	–	हरा रंग
ना	–	लाल रंगा
अनुपस्थित	–	पीला रंग

दोनों बटनों को तब तक दबाये रखना आवश्यक है जब तक कि दूसरी घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती और लाल बल्ब बुझ नहीं जाते।

माननीय सदस्य कृपया इस बात को ध्यान से सुन लें कि यदि वे दूसरी घंटी की आवाज़ तक दोनों बटनों को एक साथ दबाये नहीं रहते तो उनका मत दर्ज़ नहीं होगा।

कृपया मत विभाजन के दौरान (ऐम्बर) कहरूवे के रंग के बटन, (पी) को नहीं दबायें।

माननीय सदस्य डिस्प्ले बोर्ड तथा अपनी डेस्क यूनिट पर स्वयं यह देख सकते हैं कि उनका मत सही ढंग से पड़ा है या नहीं।

यदि उनका मत दर्ज नहीं हो पाया है तो वे पर्ची के माध्यम से मत दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली करा दी गयी हैं।

अब प्रश्न है :

"कि यह सभा अब स्थगित होती है।"

लोकसभा विभाजित हुई :

सायं 7.21 बजे

पक्ष में

अंगड़ि, श्री सुरेश

अजगल्ले, श्री गुहाराम

अजनाला, डा० रतन सिंह

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज जी०

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

*आदिकेसवुलु, श्री डी०के०

आदित्यनाथ, योगी

ओराम, श्री जुएल

कथीरिया, डा० वल्लभभाई

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कस्वां, श्री राम सिंह

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण

कोली, श्री रामस्वरूप

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री अविनाश राय

खन्ना, श्री विनोद

खैरे, श्री चंद्रकांत

गंगवार, श्री संतोष

गद्दीगउडर, श्री पी०सी०

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री प्रदीप

गांधी, श्रीमती मेनका

गाव, श्री तापिर

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गौडा, श्री डी०वी० सदानन्द

चन्देल, श्री सुरेश

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पंकज

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री शिवराज सिंह

जगन्नाथ, डा० एम०

जावमा, श्री वनलाल

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०

डांगावास, श्री भंवर सिंह

*ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

थामस, श्री पी०सी०

दिलेर, श्री किशन लाल

देव, श्री बिक्रम केशरी

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नीतीश कुमार, श्री

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई

पटैरिया, श्रीमती नीता

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पटले, श्री शिशुपाल

पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर०

पाटिल, श्री डी०बी०

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी०

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पासवान, श्री सुकदेव

प्रधान, श्री अशोक

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बादल, श्री सुखबीर सिंह

बैठा, श्री कैलाश

भगोरा, श्री महावीर

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई०जी०

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माहेश्वरी, श्रीमती किरण

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी

मोदी, श्री सुशील कुमार

मोहिते, श्री सुबोध

येरननायडु, श्री किन्जरपु

राठौड़ श्री हरिभाऊ

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावले, श्री मोहन

रिजीजू, श्री खीरेन

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वसावा, श्री मनसुखभाई डी०

वाघमारे, श्री सुरेश

वीरेन्द्र कुमार, श्री

शर्मा, डा० अरुण कुमार

शाह, ले० कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र

शुक्ला, श्रीमती करूणा

साय, श्री नन्द कुमार

साय, श्री विष्णु देव

सिंह, कुंवर सर्व राज

सिंह, डा० राम लखन

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री कल्याण

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्रभान

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री मानवेन्द्र

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल

सिंह, श्री सरताज

सिंह, श्री सुग्रीव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

विपक्ष में

अंतुले, श्री ए०आर०

अंसारी, श्री फुरकान

अजय कुमार, श्री एस०

*अंतिथन, श्री धनुषकोडी आर०

अप्पादुरई, श्री एम०

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री

अम्बरीश, श्री

अय्यर, श्री मणिशंकर

*अहमद, डा० शकील

अहमद, श्री ई०

आचार्य, श्री बसुदेव

आजमी, श्री इलियास

आठवले, श्री रामदास

आरुन रशीद, श्री जे०एम०

इंगती, श्री बिरेन

उरांव, डा० रामेश्वर

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

ओसमानी, श्री ए०एफ०जी०

कमलनाथ, श्री

करूणाकरन, श्री पी०

कलमाडी, श्री सुरेश

कादर मोहिदीन, प्रो० के०एम०

किन्डिया, श्री पी०आर०

कुप्पुसामी, श्री सी०

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कुरूप, श्री सुरेश

कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णदास, श्री एन०एन०

कृष्णन, डा० सी०

कृष्णास्वामी, श्री ए०

केरकेटा, श्रीमती सुशीला

कोल, श्री लालचन्द्र

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस०के०

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर

गमांग, श्री गिरिधर

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गिल, श्री आत्मा सिंह

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

चक्रवती, डा० सुजान

चक्रवती, श्री अजय

चक्रवती, श्री स्वदेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द कुमार, प्रो०

चन्द्रप्पन, श्री सी०के०

चारेनामै, श्री मणि

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चित्तन, श्री एन०एस०वी०

चिन्ता मोहन, डा०

चौधरी, डा० तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री आधीर

चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

जय प्रकारा, श्री

*जयाप्रदा, श्रीमती

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के० फ्रांसिस

जाहेदी, श्री महबूब

*जोगी, श्री अजीत

झा, श्री रघुनाथ

टाइटलर, श्री जगदीश

तुम्मर, श्री वी०के०

डेलकर, श्री मोहन एस०

डोम, डा० रामचन्द्र

तंगबालु, श्री के०वी०

तस्लीमुद्दीन, श्री

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोपदार, श्री तरित बरण

थुपस्तन, श्री छेवांग

दास, श्री अलकेष

दास, श्री खगेन

*दासगुप्त, श्री गुरूदास

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दीक्षित, श्री सन्दीप

दूबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देव, श्री संतोष मोहन

*देवरा, श्री मिलिन्द

धनराजू, डा० के०

धारावत, श्री रविन्दर नाइक

नन्दी, श्री अमिताभ

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन

नरबुला, श्री डी०

नागपाल, श्री हरीश

नायक, श्री ए० वेंकटेश

निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद

पटेल, श्री किसनभाई वी०

पटले, श्री जीवाभाई अम्बालाल

*पटेल, श्री दिनशा

श्रीमती पानाबाका, लक्ष्मी

पलनिसामी, श्री के०सी०

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

*पाठक, श्री ब्रजेश

पाण्डा, श्री प्रबोध

पायलट, श्री सचिन

पॉल, डा० सिबैस्टियन

पाल, श्री राजाराम

पाल, श्री रूपचंद

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री वीरचन्द्र

पिंगले, श्री देविदास

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी०

पोन्नुस्वामी, श्री ई०

प्रधान, श्री प्रशान्त

प्रभु, श्री आर०

प्रसाद, कुंवर जितिन

प्रसाद, श्री लालमणि

प्रसाद, श्री हरिकेवल

फैन्थम श्री फ्रान्सिस

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

*बंगरप्पा, श्री एस०

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बर्मन, प्रो० बसुदेव

बर्मन, श्री हितेन

बसु, श्री अनिल

बाउरी, कुमारी सुस्मिता

"बाबा", श्री के०सी० सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई

बालू, श्री टी०आर०

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बेल्लारमिन, श्री ए०वी०

बोस, श्री सुब्रत

भडाना, श्री अवतार सिंह

भूरिया, श्री कांति लाल

मनोज, डा० के०एस०

मनोज कुमार, श्री

महतो, श्री बीर सिंह

महावीर प्रसाद, श्री

मांझी, श्री राजेश कुमार

माकन, श्री अजय

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मिडियम, डा० बाबू राव

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा० राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुकीम, मो०

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुर्मू, श्री रूपचन्द्र

मूर्ति, श्री ए०के०

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड

मैन्या, डा० टौकचोम

मो० ताहिर, श्री

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, डा० करण सिंह

यादव, प्रो० राम गोपाल

यादव, श्री अखिलेश

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री एम० अंजनकुमार

*यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

*यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री बालेश्वर

यादव, श्री मित्रसेन

यादव, श्री राम कृपाल

यास्खी, श्री मधु गौड

रघुपति, श्री एस०

रठवा, श्री नारनभाई

राजा, श्री ए०

राजू, श्री एम०एम० पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम०एस०के० भवानी

राजेन्द्रन, श्री पी०

राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रविन्दर कुमार

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रानी, श्रीमती के०

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

रामदास, प्रो० एम०

राव, श्री के०एस०

*राव, श्री के० चन्द्रशेखर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

*रावत, श्री कमला प्रसाद

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एन० जनार्दन

रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

रेड्डी, श्री के०जे०एस०पी०

रेड्डी, श्री मधुसूदन

रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द

रेड्डी, श्री सुखराम सुधाकर

लालू प्रसाद, श्री

लाहिरी, श्री समिक

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती ऊषा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

बाघेला, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री ए०के०एस०

विरूपाक्षप्पा, श्री के०

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के०

वेंकटस्वामी, श्री जी०

वेणुगोपाल, श्री डी०

वेलु, श्री आर०

शर्मा, डा० अरविन्द

शर्मा, श्री मदन लाल

शहाबुद्दीन, डा० मो०

शांडिल्य, डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शाहिद, मोहम्मद

शिवन्ना, श्री एम०

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेरवानी, श्री सलीम

शैलेन्द्र कुमार, श्री

सज्जन कुमार, श्री

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अजमद

सरोज, श्री तूफानी

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए०

साहु, श्री चंद्रशेखर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

*सिंह, चौधरी लाल

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद

*सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री रामसेवक

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिकदर, श्रीमती ज्योर्तिमयी

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई०जी०

सुजाता, श्रीमती सी०एस०

'सुब्बारायण, श्री के०

सुम्बरूई, श्री बागुन

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच.

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेनथिल, डा० आर०

सेलवी, श्रीमती वी०, राधिका

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

हमज़ा श्री टी०के०

हर्ष कुमार, श्री जी०वी०

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हसन, श्री मुबव्वर

हान्डिक, श्री विजय

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :–

पक्ष में : 128

विपक्ष में : 254

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खोल दी जाएं।

सायं 7.22 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि वे सभी यहां उपस्थित हैं।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 468(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 492(अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भविष्य निधि, 2005 के मुम्बई पत्तन न्यास (संशोधन) विनियम का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2463/05]

(2) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2464/05]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2465/05]

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से भी मतदान किया।

पक्ष में : 128 + श्री डी०के० आडीकेसावुलु, श्री सुखदेव सिंह ढींडसा = 130

विपक्ष में : 254 + श्री अजीत जोगी, श्री मिलिन्द देवरा, चौधरी लाल सिंह, श्री धनुषकोडी आर० अतिथन, श्री के०, चन्द्रशेखर राव, डा० शकील अहमद, श्री दिनशा पटेल, श्री मोहन सिंह, श्रीमती जयाप्रदा, श्री ब्रजेश पाठक, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री के० सुब्बारायण, श्री एस० बंगरप्पा = 270

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2466/05]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि [कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, कोयला खान कुटंब पेंशन स्कीम (समाप्त), कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम और कोयला खान पेंशन स्कीम], धनबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि [कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, कोयला खान कुटंब पेंशन स्कीम (समाप्त), कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम और कोयला खान पेंशन स्कीम], धनबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2467/05]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लिमिटेड के सेल वन टर्मिनेटिंग ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10) जो 9 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-10/2005-एफ०एन० में प्रकाशित हुए थे।

(2) बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सर्विस क्वालिटी संबंधी विनियम, 2005 (2005 का 11) जो 8 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० नं० 305-2/2005-(क्यू०ओ०एस०) खंड-II में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2468/05]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नागरिकता (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 484(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2469/05]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 7 – श्री तस्लीमुद्दीन। पहले आप क्षमा याचना कीजिए क्योंकि पहली बार जब सभा पटल पर पत्र रखने के लिए आपका नाम पुकारा तो आप उपस्थित नहीं थे। आप कहते हैं कि मुझे खेद है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : मैं सॉरी बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब बोलिए।

श्री तस्लीमुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005

जो 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०क०नि० 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2470/05]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2005 जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०क०नि० 199 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2471/05]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के प्रथम परिनियम, जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई०आई०टी०आर०/एम०एस०-3/2005 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2472/05]

(2) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2473/05]

(4) एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2474/05]

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) अधिसूचना संख्या आई०जी०/एडमिन(जी)/एस०टी० 10/2003/26 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्कूल ऑफ लॉ की स्थापना के बारे में परिनियम 10क में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या आई०जी०/एडमिन(जी)/एस०टी० 17/30 जो 30 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 17 के खंड 11 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या आई०जी०/एडमिन(जी)/एस०टी० 15/04/90 जो 14 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निदेशकों (स्कूलों के निदेशकों से भिन्न) की परिलब्धियों, सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में अध्यादेश 15 और परिनियम 4 के खंड (3) और (4) के अधीन उनकी शक्तियों और कृत्यों के संबंध में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) अधिसूचना संख्या आई०जी०/एडमिन(जी)/आर्डि० 13/2005/130 जो 4 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के रिसर्च डिग्री प्रोग्राम (अध्यादेश 13) के बारे में अध्यादेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2475/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री इलैंगोवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2005 जो

[श्री कमलनाथ]

13 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 235(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2476/05]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 जो 15 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1017(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2477/05]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2478/05]

सायं 7.24 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : मैं गैर-सरकारी, सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.24½ बजे

लोक लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : मैं "रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में संयंत्र तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति और उपयोग" के बारे में लोक लेखा समिति (2005-2006; का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.25 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 109वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 109वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2479/05]

सायं 7.25½ बजे

(दो) लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों के ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए पालिसी पैकेज

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० पलानीमणिक्कम) : महोदय, अपने सहयोगी श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं 'लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों के ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए पालिसी पैकेज' के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2480/05]

सायं 7.25½ बजे

(तीन) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, अपने सहयोगी श्री जगदीश टाइटलर की ओर से मैं प्रवासी भारतीय कार्य से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 73ए के अंतर्गत यह वक्तव्य दे रहा हूं।

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (सितम्बर, 2004 में नाम बदलकर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय रखा गया) की वर्ष 2004-05 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में अपना दूसरा प्रतिवेदन 25 अगस्त, 2004 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया। समिति को अपनी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट 7 दिसम्बर, 2004 को प्राप्त हुई।

तथापि, यथा अपेक्षित दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्योरा अनुबंध में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि मंत्रालय ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर कार्यवाही की है। मुझे आशा है कि वे मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होंगे।

सायं 7.25¾ बजे

(चार) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2004-2005 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : महोदय, मैं योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73ए के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) को तीसरा प्रतिवेदन 20-8-2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के परीक्षण से संबंधित है?

समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में की गई कार्यवाही वक्तव्य 18.11.2004 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजे गए थे। ये समिति के अपने तीसरे प्रतिवेदन जो 22.12.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन के अंश हैं।

समिति के द्वारा अपने तीसरे प्रतिवेदन में छः सिफारिशों की गई हैं जो कि मुख्यतः (एक) सकल घरेलू उत्पाद – अर्थव्यवस्था की विकास निष्पादन का सूचक, (दो) दसवीं योजना में राकोषीय निष्पादन, (तीन) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (चार) कार्यालय पद्धतियों का आधुनिकीकरण, (पांच) इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनपावर रिसर्च (आई०ए० एम०आर०) अनुदान सहायता और (छः) व्यावसायिक और विशेष सेवाओं का भुगतान जैसे विषयों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

सभा कल 11 अगस्त, 2005 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 11 अगस्त, 2005/20, श्रावण, 1927(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2481/05]

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2482/05]

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री जीवाभाई ए० पटेल	241
2.	श्री एन०एन० कृष्णदास	242
3.	श्री हंसराज जी० अहीर	243
4.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल श्री तापिर गाँव	244
5.	श्री दरीगा प्रसाद सरोज श्री ई० पोन्नुस्वामी	245
6.	श्री प्रभुनाथ सिंह	246
7.	डा० टोकचोम मैन्या	247
8.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्री चन्द्रभान सिंह	248
9.	श्री सुरेश चन्देल	249
10.	श्री सीताराम सिंह	250
11.	श्री वी०के० तुम्मर श्री बीर सिंह महतो	251
12.	श्री असादुद्दीन ओवेसी श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	252
13.	श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील श्रीमती किरण माहेश्वरी	253
14.	श्री राकेश सिंह श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	254
15.	डा० रामचन्द्र डोम श्री लक्ष्मण सेठ	255
16.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री अविनाश राम खन्ना	256
17.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	257
18.	श्री कमला प्रसाद रावत श्री रामजीलाल सुमन	258
19.	डा० राजेश मिश्रा	259
20.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा श्री मुन्शी राम	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रमांक	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरिफ रशीद, श्री जे०एम०	2622
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	2601
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2564, 2605, 2664, 2688, 2695
4.	अहीर, श्री हंसराज जी०	2623, 2674, 2696
5.	अप्पादुरई, श्री एम०	2602
6.	आठवले, श्री रामदास	2562, 2639, 2641, 2678
7.	आजमी, श्री इलियास	2597
8.	बैठा, श्री कैलाश	2609
9.	बारड़ श्री जसुभाई धानाभाई	2531, 2625, 2687, 2699, 2719
10.	बर्मन, श्री रबेन	2530
11.	बखला, श्री जोवाकिम	2522, 2629
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	2606, 2665
13.	भार्गव, श्री गिरिधारी लाल	2580, 2642
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2571, 2641
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2532, 2620, 2673, 2725

1	2	3
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2555, 2635
17.	चौरे, श्री बापू हरी	2561
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2634
19.	चिन्ता मोहन, डा०	2566, 2643
20.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2558
21.	चौधरी, श्री पंजक	2552
22.	चौधरी, श्री अधीर	2592, 2593, 2623, 2682
23.	धनराजू, डा० के०	2569, 2644, 2679
24.	डींडसा, श्री सुखदेव	2573, 2648
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2551
26.	गढ़वी, श्री तुकाराम गंगाधर	2596, 2622
27.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2540, 2546, 2669, 2704
28.	गमांग, श्री गिरिधर	2714
29.	गांधी, श्री प्रदीप	2550
30.	गंगवार, श्री संतोष	2545, 2652, 2723
31.	गाव, श्री तापिर	2632, 2676, 2691
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2542
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2707
34.	गोहेन, श्री राजेन	2558
35.	गौडा, श्री डी०वी० सदानन्द	2582, 2654
36.	गुढे, श्री अनंत	2547, 2680
37.	हसन, श्री मुनव्वर	2604, 2663
38.	जगन्नाथ, डा० एम०	2591
39.	जय प्रकाश, श्री	2520, 2655, 2720
40.	झा, श्री रघुनाथ	2690
41.	कामत, श्री गुरूदास	2610, 2641
42.	कनोडिया, श्री महेश	2572
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2527, 2641, 2650, 2717
44.	खंडूडी, मेजनर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2421, 2621, 2724
45.	खारवेनथन, श्री एस०के०	2590, 2658, 2684, 2698, 2702
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2517, 2614, 2670
47.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2587, 2715
48.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2536, 2713
49.	कुरूप, श्री सुरेश	2594
50.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2586, 2646
51.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2573, 2648
52.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2566, 2643, 2722
53.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2612
54.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2578
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2624
56.	महतो, श्री बीर सिंह	2618
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	2675
58.	महतो, श्री टेक लाल	2556
59.	माझी, श्री परसुराम	2538, 2714
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	2540, 2546, 2669
61.	मनोज कुमार, श्री	2516, 2613
62.	मनोज, डा० के०एस०	2599, 2661
63.	मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	2565, 2623, 2642, 2717

1	2	3
64.	मेघवाल, श्री कैलाश	2533, 2623, 2647
65.	मिश्रा, डा० राजेश	2622
66.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2577
67.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2548
68.	मो० ताहिर, श्री	2586, 2646
69.	मोहिते, श्री सुबोध	2696
70.	मुन्शी, राम, श्री	2646
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2558
72.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2599, 2642
73.	नायक, श्री अनन्त	2535, 2664, 2714
74.	निहाल चन्द, श्री	2611
75.	निखिल कुमार, श्री	2567, 2623
76.	ओराम, श्री जुएल	2526
77.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2617, 2677
78.	पलनिसामी, श्री के०सी०	2539
79.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	2595, 2660
80.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2623, 2651
81.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	2616
82.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	2557, 2585, 2637, 2664, 2683
83.	पाठक, श्री ब्रजेश	2544, 2627, 2666, 2694, 2701
84.	पाटील, श्री बालासाहिब थिखे	2708
85.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2599
86.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी०	2560, 2640
87.	पिंगले, श्री देविदास	2588
88.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2638, 2703
89.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2570, 2645
90.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2577
91.	राजेन्द्र कुमार, श्री	2529, 2619, 2672, 2693
92.	रामदास, प्रो० एम०	2705
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2563, 2642
94.	राणा, श्री काशीराम	2549, 2638
95.	राणा, श्री रविन्द्र कुमार	2583
96.	राव, श्री के०एस०	2623
97.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2543, 2626, 2721
98.	राव, श्री डी० विट्टल	2576
99.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2579
100.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2639, 2689
101.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	2519, 2615, 2671, 2692, 2700
102.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	2559, 2716
103.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	2710
104.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2549
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2528
106.	शर्मा, डा० अरूण कुमार	2554, 2631, 2675
107.	सत्पथी, श्री तथागत	2518
108.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2581, 2653, 2681
109.	शाहिद, मोहम्मद	2586, 2646
110.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2644
111.	शांडिल्य, डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2607
112.	शर्मा, श्री मदन लाल	2547, 2649, 2680

1	2	3
113.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2564, 2574, 2605, 2659
114.	शिवन्ना, श्री एम०	2600, 2662
115.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	2586, 2603, 2646
116.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	2524, 2599
117.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2525
118.	सिंह, श्री रामसेवक	2589
119.	सिंह, श्री दुष्यंत	2641, 2642, 2715
120.	सिंह, श्री गणेश	2564, 2574, 2644, 2664, 2695
121.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2583
122.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2540, 2546, 2669
123.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2534, 2628, 2685
124.	सिंह, श्री मोहन	2592
125.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2712
126.	सिंह, श्री राकेश	2636
127.	सिंह, रेवती रमन	2709
128.	सिंह, श्री सीताराम	2633
129.	सिंह, श्री सुग्रीव	2557, 2637, 2695
130.	सिंह, श्री उदय	2584, 2656, 2682
131.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2572
132.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2630
133.	सुब्बारायण, श्री के०	2608, 2668
134.	सुजाता, श्रीमती सी०एस०	2598
135.	सुमन, श्री रामजीलाल	2722
136.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	2584, 2716
137.	थामस, श्री पी०सी०	2553, 2667
138.	तुम्मर, श्री पी०के०	2616, 2634
139.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2595, 2660
140.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2585, 2657, 2683, 2688
141.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2564, 2605, 2666, 2690, 2697
142.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2540
143.	यादव, श्री बालेश्वर	2541
144.	यादव, श्री पारसनाथ	2706
145.	यादव, श्री राम कृपाल	2568
146.	यादव, श्री सीता राम	2537
147.	येननायडू, श्री किन्जरपु	2711, 2718

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना और प्रौद्योगिकी	:	242, 244, 247, 250, 253, 254, 259
विदेश	:	243
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	245, 246, 248, 249, 255, 258, 260
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	251
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	241, 252, 256
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2686
कोयला	:	2571, 2601, 2603, 2613, 2678, 2696
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2522, 2524, 2525, 2528, 2532, 2533, 2540, 2542, 2554, 2562, 2577, 2585, 2590, 2596, 2597, 2602, 2605, 2619, 2621, 2622, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2646, 2648, 2666, 2671, 2672, 2673, 2677, 2688, 2694, 2701, 2706, 2717
विदेश	:	2539, 2573, 2594, 2598, 2609, 2617, 2653, 2684, 2685, 2710, 2725
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2516, 2517, 2519, 2523, 2527, 2530, 2534, 2535, 2541, 2545, 2547, 2551, 2556, 2560, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2575, 2578, 2580, 2584, 2586, 2591, 2592, 2593, 2595, 2599, 2604,

		2611, 2615, 2623, 2632, 2639, 2641, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2656, 2657, 2658, 2660, 2661, 2664, 2665, 2668, 2669, 2679, 2681, 2682, 2687, 2689, 2690, 2697, 2698, 2699, 2708, 2718
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2553
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2520, 2544, 2549, 2550, 2558, 2606, 2614, 2627, 2670, 2680, 2695, 2712, 2720, 2721
योजना	:	2518, 2531, 2538, 2543, 2546, 2548, 2568, 2581, 2587, 2625, 2626, 2628, 2638, 2655, 2676
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2529, 2536, 2537, 2557, 2559, 2561, 2572, 2582, 2583, 2588, 2589, 2600, 2608, 2612, 2634, 2636, 2640, 2645, 2652, 2662, 2667, 2675, 2683, 2691, 2692, 2700, 2702, 2703, 2704, 2707, 2713, 2714, 2716, 2719, 2722, 2723, 2724
अंतरिक्ष	:	2705, 2711
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2521, 2526, 2552, 2555, 2569, 2570, 2574, 2576, 2579, 2607, 2610, 2616, 2618, 2620, 2624, 2630, 2644, 2654, 2659, 2663, 2693, 2709, 2715.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।